राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या : 9

बुधवार,

10 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री शांतिलाल चपलोत,अध्यक्ष,पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई साहब ।

पंचायत समिति बाप(जोधपुर) के स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पद

246. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर के किन–किन ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप–केन्द्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन केन्द्रों पर पिछले छह माह से कहां–कहां, कितने–कितने पद चिकित्सक एवं नर्सो के रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर के ग्रामों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप–केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) इन केन्द्रों पर पिछले छह माह से रिक्त रहे पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे चुनाव क्षेत्र से परिचित होंगे कि वह डेजर्ट का मध्य है और बहुत घनी आबादी है । वहां पर अधिकतर पद रिक्त रहते हैं । जनता को 40–40, 50–50 मील तक इलाज के लिए जाना पड़ता है । कस्बों के अन्दर ठहरने की जगह नहीं है । बड़ा महंगा इलाज होता है, मामूली दवाइयां भी लेनीं होती हैं तो वहां पर उपलब्ध ही नहीं हैं । ज्यादातर खाली पड़े हैं, तो इसका कुछ बंदोबस्त कीजिये, कुछ स्टिक्ट कार्यवाही कीजिये, ताकि उसमें कुछ किया जा सके ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार से फलौदी है उसी प्रकार से शेरगढ़ है । डेजर्ट के ये जितने एरियाज हैं, उनमें डाक्टर्स, कम्पाउंडर्स, ए .एन .एम .रहते नहीं हैं । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इनसे 5 साल के लिये बांड भरवाइये, 10 हजार रुपये का बांड भरवाइये और फिर इनका पोस्टिंग कीजिए । यदि फिर वे वहां न रहें तो उनका वह बांड जब्त कीजिये । ये हमेशा की तरह प्रैक्टिस करते हैं शहर में आकर । जोधपुर में मजे से बैठे रहते हैं और एक तारीख को जाकर तनख्वाह ले आते हैं । गांवों के

(2.)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लोग रोते रहते हैं, न ए.एन.एम. रहती हैं, न कम्पाउंडर रहते हैं, न डाक्टर रहते हैं। आपको हम रोजाना शिकायतें इसी तरह करते रहते हैं । मेहरबानी करके इसके लिये एक नया प्रबंध कीजिये, दूसरा प्रबन्ध हो ही नहीं सकता । हमने अपने प्राइवेट स्कूल में भी बांड भरवाकर के टीचर्स को लिया है, वे बराबर वहां पर रहते हैं । अगर बीच में इस्तीफा भी देना चाहते हैं तो उनकी बांड की रकम जब्त हो जाती है ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों में जो ए.एन. एम. नहीं रहती हैं... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सूची तो दे दी कि इतने पद रिक्त हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये पद रिक्त क्यों हैं ? यहां इन डाक्टरों की पोस्टिंग की गयी या नहीं की गयी ? यदि डाक्टरों की पोस्टिंग की गयी तो उसके बाद ये पद रिक्त क्यों हैं ?

जैसा माननीय खेतसिंह ने कहा, प्रवृत्ति यह चल रही है कि सरकारी नौकरी में आने के लिए उत्सुक होते हैं और जब किसी देहात में उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है तो वे डाक्टर वहां ड्यूटी जोइन नहीं करते। इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो, लाइन में खड़े हुए दूसरे जो एम.बी.बी.एस. डाक्टर्स हैं, उनको तो मौका नहीं मिलता है और ये लोग गवर्नमेंट से अपाइंटमेंट लेकर, उसके बाद प्राइवेट होम में चले जाते हैं। इसलिये जैसा माननीय खेतसिंहजी ने कहा, इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये, ये बांड होने चाहिये। सरकारी नौकरी में आने से पहले उनसे बांड भरवाया जाए कि वे सरकारी नौकरी में 5 साल तक सेवा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब तक यह प्रावधान नहीं होगा, ये कमियां चलती रहेंगी और डाक्टरों के बिना ये हास्पिटल खाली पड़े रहेंगे ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाकों में डाक्टर की पोस्टिंग होने के बाद,महीने में एक दिन डाक्टर अपनी तनख्वाह लेने जाता है। एक-दो प्रकरण मैंने मंत्री महोदय को भी बताये । मंत्री महोदय ने उनके ट्रांसफर कर दिये, बहुत अच्छी बात है। परन्तु आज हालत यह है कि सब–सेंटर्स में नर्सों का नामोंनिशन नहीं है। शहर में बैठी हुई तनख्वाह ले रही हैं और सब–सेण्टर पर एक भी नर्स डाक्टर नहीं जाते। कई शिकायतें आने के बाद भी सम्बन्धित सी.एम.एच.ओ. उन पर कार्यवाही नहीं करते हैं। मंत्री महोदय, आप कोई ऐसा इलाज करिये कि भविष्य में हमको इन डाक्टरों और नर्सों की शिकायत नहीं करनी पड़े। अगर आपको कोई कानून बनाना हो तो आप कानून बनाएं। किसी भी डाक्टर की शिकायत आने पर उसको आप दण्डित करिये, नहीं तो हम रोज यहां शिकायत करेंगे, रोज बोलेंगे कि डाक्टर नहीं जाते, नर्सें नहीं जातीं। ऐसा कोई परमानेंट इलाज करिये जिससे भविष्य में हमें आपको कहना नहीं पड़े। डाक्टर ग्रामीण इलाकों में जायं, वहां पर ग्रामीण जनता की सेवा करें, आप इसमें कोई ऐसा प्रावधान करिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि स्टाफ गांवों में जोइन कर ले, उसके बाद हैडक्वार्टर छोड़ने के बारे में आप कड़ाई से कोई निर्देश जारी करें या जरूरत पड़े तो नियमों में संशोधन करें। एक बार जोइन कर लिया और फिर

(श्री हरजीराम बुरडक)

शहर में रहते हैं । महीने के बाद तनख्वाह लेनी हो तो वहां जाकर फिर हाजरी कर देते हैं । इस सम्बन्ध में आपको कड़े निर्देश देने चाहिये । जो पद खाली हैं, वे तो हैं ही, (व्यवधान)... जो पद भरे हुए हैं उनको भी आप निश्चित रुप से हैडक्वार्टर पर देख सके, ऐसी कोई व्यवस्था करें ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ डेजर्ट एरिये का ही मामला नहीं है । सवाई माधोपुर जिले के अन्दर एक डांग क्षेत्र है, वहां पर आज तक डाक्टरों की शक्ल नहीं दिखती है । अभी जैसा माननीय खेतसिंह साहब ने कहा 10 हजार रुपये मैं तो यह कहता हूं कि उन डाक्टरों से कम से कम 50,000 रुपये का बांड भरवाया जाए जिससे कि वे कम से कम गांवों के अन्दर जाएं । आज भी स्थिति ऐसी हो रही है कि गंगापुर में आ जाते हैं, सवाई माधोपुर में रहते हैं और कहीं बिलकुल नहीं जाते ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि डाक्टर और ए. एन. एम. की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहे, इसके लिए सात दिन में एक दिन डिस्टिक्ट के सी.एम. एच.ओ. अनिवार्य रूप से इंस्पेक्शन करें और उनकी उपस्थिति का सरप्राइज विजिट करें । यह कानून अनिवार्य रूप से बना दीजिये कि सात दिन में एक दिन अनिवार्य रूप से चेकिंग होगी, सरप्राइज विजिट होगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आप से रिलेटेड ही है ।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि थोड़ा–बहुत सुधार हुआ है लेकिन जितना चाहिये उतना सुधार नहीं हो पाया है । डाक्टरों की अनुपस्थिति, ए. एन. एम्स. की अनुपस्थिति । वे स्वतंत्र रूप से उस गांव के अन्दर हैं तो कोई परवाह नहीं करते इस बात की । सरकार एक प्रकार की निगरानी समितियां रखकर एक नया प्रयोग यह कर सकती है कि वे अगर अनुपस्थित रहें या उनके व्यवहार आदि की सूचना जन निगरानी समितियों से प्राप्त करें । इसके बाद में सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठाए तो मेरे ख्याल से वह उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलालजी । (व्यवधान) सबको मौका दे रहा हूं ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से कई पद रिक्त हैं । डूंगरपुर में भी रिक्त पद है । मेहरबानी करके जहां कहीं भी पद रिक्त हैं, उनकी पूर्ति की जाए ।

श्री अध्यक्ष : नोट हो गयी है, सारी एक ही बात है ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इसका एक सोल्यूशन यह हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ, ए.एन.एम. और नर्स सैकण्ड और थर्ड हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सैण्टर इतने कम हैं और प्राइवेट हास्पिटल भी खुल रहे हैं, सरकारी भी हैं, अगर उनकी संख्या जस्ट डबल कर दी जाए तो इतने लोग उपलब्ध होंगे । उनकी कमी है, आज बहुत सी जगह पोस्टिंग नहीं कर पाते या पोस्टिंग करने के बाद में रहते नहीं । तो उनकी संख्य .....(व्यवधान)... मेडिकल में तो कर नहीं सकते लेकिन नर्सिंग स्टाफ ...(व्यवधान).... की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : विराजें । माननीय रामस्वरूपजी, (व्यवधान) आप विराजिये । जुबेर जी ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जिले में एक सी.एम. एच.ओ. होता है और ए.एन.एम. सौ के करीब होती हैं ।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा होती हैं ।

श्री जुबेर खान : जब हम मंत्री महोदय से शिकायत करते हैं तो ये सी.एम. एच.ओ. से रिपोर्ट मांगते हैं और सी.एम.एच. ओ. लीपापोती कर देता है । आपने एक कदम उठाया है कि हर पंचायत मुख्यालय पर कम से कम एक सब सेंटर हो। सरपंच या पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद के सदस्य अगर यह रिपोर्ट करते हैं कि ए.एन.एम. हैडक्वार्टर पर नहीं आ रही है और नहीं रह रही है। उसके ऊपर जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक ए.एन.एम. और डाक्टर संवेदनशील नहीं होंगे क्योंकि उनको विभाग द्वारा बचाया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जन प्रतिनिधियों की शिकायतों पर सुनवाई कीजिये जिससे यह... (व्यवधान) हो कि वहां पर ए.एन.एम. हैडक्वार्टर पर रुके ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो भी डाक्टर या नर्स या कम्पाउंडर हाजिर नहीं रहते हैं इसके पीछे मेन कारण है कि उन को ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए सुविधा नहीं है। प्रथम तो यह दिक्कत आ रही है। हालांकि पहले से तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कोई जन प्रतिनिधि अगर हास्पिटल के अन्दर जाए और उसको नर्स या डाक्टर गैर–हाजिर मिलें तो उनकी गैर–हाजिरी लगाने के पावर, मैं तो यहां तक निवेदन करना चाहूंगा कि एम. एल.ए. को होने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बहुत ही सक्षम हैं, और आपने इसमें काम भी किये हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि ग्रामीण इलाकों में डाक्टर नर्स उपस्थित नहीं रहते हैं । मेरे एरिये में मैंने कम से कम 10 बार इस प्रकार की जांच की । मैं जब मौके पर गया तो मुझे वे नहीं मिले । लागों ने कहा कि 3–3 दिन तक नहीं आते, 7 दिन में एक दिन आकर हाजिरी लगा जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे पावर दीजिये, मैं खुद जाकर जांच करूंगा । (व्यवधान) और मैं उनको ...(व्यवधान) यह अधिकार आप हमको दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । श्री रामनारायणजी ।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर न डाक्टर रहते हैं, न नर्सिंग स्टाफ रहते है और न मेडिकल से सम्बन्धित अन्य स्टाफ रहता है । यह बात सदन में बार बार उठ रही है। मेरा बिलकुल अलग प्रश्न है, ये डाक्टर और नर्सेज वगैरह क्या प्राइवेट सफाखाना के अन्दर काम कर रहे हैं ? विभाग ने कहां–कहां इनकी इन्क्वायरी की या कोई ऐसा केस पकड़ा गया ? ये सभी डाक्टर्स प्राइवेट सफाखाने के अन्दर एक्स्ट्रा काम करते हैं और इनको वहां जॉब मिलती है, इस कारण गांवों के अन्दर वे वक्त देना पसन्द नहीं करते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्षजी, एक प्रश्न है ।

श्री रामनारायण डूडी : दूसरी बात, जैसे कहा, आजकल गांवों के अन्दर सभी डाक्टर्स के लिये क्वार्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ के लिये क्वार्टर्स हैं और उनके होते हुए भी सारी जगह खाली पड़ी हैं। माननीय पूनम चन्दजी साहब ने यह प्रश्न किया, मैंने भी पिछले दिनों कई बार प्रश्न किये । आंकड़ा आ जाता है कि इतने रिक्त पद, फ्लानां–फ्लानां डिस्पेंसरी के अन्दर, वे आज तक दो साल से भरे नहीं गये हैं। न वहां पर महिला डाक्टर है, न और हैं ये सारी बातें हैं और लोगों को दुःखी होकर शहरों में बहुत महंगा इलाज कराना पड़ता है । तो क्या यह चैक करने की कृपा करेंगें ? (व्यवधान) ...

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मंत्री महोदय झुंझुनूं जिले में गये थे, उन्होने कलक्टर को कहा था कि कोई भी डाक्टर ड्यूटी पर नहीं मिले तो उसको रिलीव करके आप जयपुर भेज दो। उसमें जिलेवार कोई ऐसा हुआ क्या ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्षजी, एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : हां, चौधरीजी । एक सैकण्ड ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में बहुत ही चिन्ता का प्रश्न है और मंत्रीजी इसमें चिन्तित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ डाक्टर्स और नर्सेज की पोस्टिंग तो गांवों में हैं, तनख्वाह भी वे वहीं से उठाते हैं पर विभिन्न कारणों से वे शहरों में लगे हुए हैं । यह सबसे ज्यादा गम्भीर बात है । क्या आप ऐसे डेपुटेशन्स को निरस्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब। एक सैकण्ड ।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से हम विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं वहां के डाक्टर, ए.एन.एम., नर्स यदि हाजिर नहीं रहते हैं तो हमारी क्या कैपेसिटी है ? हम उनको ही हाजिर नहीं रख सकते और सरकार से आग्रह करते रहते हैं कि मंत्रीजी यह करो, वह करो तो हम काहे के जन–प्रतिनिधि हैं फिर ?

श्री अध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, सवाल डेजर्ट और नान डेजर्ट का नहीं है । सवाल यह है कि डाक्टर और नर्सेज शहरी क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं और अधिकांश डाक्टर जो जयपुर, झुंझुनूं, सीकर के आस–पास हैं, उन्होंने अधिकांश ने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखी हैं । उनमें वे काम करते हैं और उन्हीं में वे नर्सेज काम करती हैं। ए.एन.एम. उन्हीं में काम करती हैं। उधर का सरकारी भत्ता उनको एक्स्ट्रा मिलता है। माननीय मंत्री महोदय ने यह व्यवस्था की, सब जगह नहीं लेकिन झुंझुनूं जिले में उन्होनें विशेष तौर पर ध्यान दिया, कलक्टर को इंस्ट्रेक्शंस दी। उसके बाद में उसमें सुधार हुआ लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उसमें खराबी यह आ गयी कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

कलक्टर की रिकमण्डेशन पर आपने उनको बांसवाड़ा और दो महीने बाद ही, 15 दिन बाद ही वापस उनकी सुविधानुसार आपने उनको बीकानेर, चूरू में कर दिया, राजगढ़ में कर दिया, सीकर में कर दिया । जिन आदमियों को इन शिकायतों के आधार पर, कलक्टर की रिपोर्ट, इंस्पेक्शन के आधार पर आप बदलें, उनको पांच साल से पहले उस जिले के दर्शन नहीं होने चाहिये। तब जाकर के वह मामला होगा। आप एक–डेढ़ महीने बाद में बदल देते हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है...

श्री रामस्वरूप मीणा : दे दीजिए पावर हमको (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें। सुनिये आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं भी उनकी चिन्ता में अपने आप को सम्मिलित करता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दो साल में राजस्थान के अन्दर जितने भी चिकित्सकों की भर्ती हुई है, उतनी भर्ती पिछले दस सालों में नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग से तदर्थ समिति बनाकर, केन्द्रीय चयन समिति बनाकर तदर्थ रूप से जिला स्तर पर भी चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का पूरा प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, 2019 चिकित्सकों को भर्ती करके उनका पदस्थापन अलग--अलग स्थनों पर किया गया। उनमें से मात्र 1359 चिकित्सकों ने जोइन किया । अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा संकट यह है कि चिकित्सक उसी कार्यस्थल पर रहना चाहते हैं जो शहर में या उसके सुविधाजनक हो। यह एक इस तरह का काम भी है कि चिकित्सक को सरकारी नौकरी मिले तो उसको अपना निजी चिकित्सालय चलाने में भी ज्यादा असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता । अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं भी सोच रहा हूं कि कोई–न–कोई इस तरह का कानून बनना चाहिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैकेनिज्म।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : या कोई इस तरह का विचार होना चाहिये ताकि हम बाध्य करें कि वे एक बार सरकारी चिकित्सालय में, सरकारी सेवा में आने के पश्चात कुछ निश्चित समयावधि तक वहां काम करें । अध्यक्ष महोदय, हमने इसके लिये प्रयास भी किया है । जो स्टूडेंट्स, सी.एस.पी.जी. इन सर्विस हुआ करते थे, उनके लिये हमने अब यह कानूनी बाध्यता लगायी है कि जब तक वे तीन साल ग्रामीण क्षेत्र में सेवा नहीं करेंगे तब तक वे इसके अधिकारी नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा भी उठी कि बहुत बड़ी संख्या के अन्दर चिकित्सक और ए.एन.एम. अनुपस्थित रहते हैं । अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी बताया गया कि बहुत बड़ी मात्रा में पद रिक्त हैं । ऐसी बात नहीं है । पूरे राजस्थन में ए.एन.एम. के 11271 पद हैं जिसमें से 981 पद रिक्त हैं । अभी जुलाई के अन्दर हमारे पास 1500 ए.एन.एम. का बैच आ रहा है, हम उनको भर देंगे । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पूरे राजस्थन में चिकित्सकों के मात्र 282 पद रिक्त हैं । इसमें कुछ संख्या और हो सकती है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी जोइन कर ली और हमारे रिकार्ड के अनुसार वे वहां ड्यूटी में हैं । पर निश्चित तौर पर वे एब्सकांड हो गये होंगे । इस तरह की बात भी है । अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, पिछले दो सालों में हमने बड़ी मात्रा में इसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की है और उप केन्द्र से लेकर सवाई मानसिंह चिकित्सालय तक हमने चिकित्सा सलाहकार समिति भी बनायी है । मैं इस चीज को भी स्वीकार करता हूं कि चिकित्सा सलाहकार समिति की नियमित बैठक नहीं हो रही है । मैं तुरन्त निर्देश जारी करूंगा और प्रयास यह करूंगा कि पूरे माह में एक निश्चित तिथि को चिकित्सा सलाहकार समिति की बैठक हो । अध्यक्ष महोदय, जो चिकित्सक अपने कार्य से अनुपस्थित रहे या सरकारी सेवा में होते हुए भी दूसरे जिले में जाकर जिन्होंने अपना निजी चिकित्सालय खोल लिया, ऐसे 102 चिकित्सकों की हमने सेवाएं समाप्त की हैं, सर्विसेज टर्मिनेट की है । अध्यक्ष महोदय, 69 चिकित्सकों को सस्पैंड किया है और 296 को 16 सी.सी.ए. में और 131 को 17 सी.सी.ए. में हमने नाटिस दिये हैं । कार्यवाही करने का हम प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ चिकित्सक और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों को डेपुटेशन पर हमने शहरों में लगा रखा है । अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और हमने एक निर्देश जारी करके तमाम प्रकार के डेपुटेशन को रद्द किया है । उसके पश्चात भी कोई स्पेसिफिक नाम आएंगे और कुछ बात माननीय सदस्य मुझे बताएंगे तो उसके अनुसार मैं कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करूंगा । अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहूंगा कि वे भी इसके बारे में सदन के बाहर आपस में विचार करें या मुझे इस तरह के कोई दिशा निर्देश दें कि किस तरह हम यह प्रयास करें कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा पहुंचे । सरकार की मंशा के अनुसार वह चिकित्सा सुविधा पहुंचे और उसके लिये यह आवश्यक हो कि जो चिकित्सक हमारे ही समाज के लोग हैं, वे अपनी सेवा के स्थल पर कार्यरत रहें । आजकल जो प्रवृत्ति बन गयी है, अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में चिन्ता की बात है । मैं भी विचार करूंगा और माननीय सदस्यों ने आज जो मुझे दिशा–निर्देश दिये उसके अनुसार मैं प्रयास करूंगा कि कोई न कोई इस तरह की नीति बने ताकि, चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में रहें ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । श्रीमती इन्दिरा मायाराम ।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, स्थानान्तरण नीति में डेपुटेशन करना चाहिये । उनके बहकावे में आकर बन्द मत करिये आप । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, एक छोटी–सी बात निवेदन करना चाहूंगा । मंत्रीजी ने यह फरमाया कि ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री रामप्रताप कासनियां : प्रथम नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में, जो नये डाक्टर हैं उनका पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे, यह अन्याय है । नये को काम सीखने के लिये ग्राम में भेज दें और ट्रेंड हैं उसको शहरों में रखें, यह तो अन्याय है । " पढ़े जाट को, लिखे नाई को", अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

प्रश्न संख्या – 247

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

महिला बंदियों हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण/पुनर्वास व्यवस्था

248. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा महिला बंदियों के लिये औधोगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो कौन--कौनसा प्रशिक्षण ? उक्त प्रशिक्षण से बंदी महिलाओं को कितना आर्थिक लाभ प्रतिदिन प्राप्त होता है ?

(2) क्या यह सही है कि आजीवन सजायाफ्ता महिला बंदियों की रिहाई के बाद उनके पुनर्वास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या, और नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कारागृह (श्री श्रीकिशन सोनगरा) : (1) जी, हां । कारागार विभाग में महिला बंदियों को औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की हुई है, जिसमें उन्हें निवार, सिलाई, बुनाई, झाडू, अगरबत्ती एवं साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण के एवज में आर्थिक लाभ दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

(2) जी, नहीं । जेल मैनुअल में रिहाई के बाद पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है । जेल में निरुद्ध अवधि के दौरान जिन बंदियों का आचरण अच्छा रहता है, उन्हें खुले बंदी शिविर में स्थानान्तरित कर बंदी जीवन यापन पुनर्वास हेतु तैयार किया जाता है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं खण्ड दो के बारे में पहले पूछना चाहूंगी कि क्या किसी महिला बंदी को कभी खुली जेल में आपके द्वारा रखा गया है ? नम्बर एक।

नम्बर दो, इसके लिये तो मैं धन्यवाद देती हूं कि प्रशिक्षण की आपने व्यवस्था की है लेकिन पुनर्वास बहुत जरूरी है । पुनर्वास के लिये आपने चिन्तन नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है ? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी, साथ ही शिक्षा मंत्री महोदय, आप प्रयास कर सकते थे कि वहां कोई शाला खोली जाए और वे पढ़ सकें। तकनीकी शिक्षा मंत्री के माध्यम से आप प्रयास कर सकते थे, मंत्री महोदय, कि वहां पर उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाए। महिला और बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आप प्रयास कर सकते थे कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए । आपने यह व्यवस्था क्यों नहीं की ? और यदि अब करने का विचार रखते हैं तो इसके सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जाएंगे ?

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय, कि मुल्ला कमेटी में जो सिफारिशें लिखी हुई हैं उस मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर लेने में इन सिफारिशों में और अन्य सिफारिशों में आपको क्या दिक्कत आने वाली है ? आप कब तक मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर लेंगे ? मेरे इन तीन प्रश्नों के उत्तर दें ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्यों ने पूछा है कि खुला बंदी शिविर में कितनी महिलाओं को रखा गया, तो इसके सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमती केसर पत्नी श्रीलाल को खुला बंदी शिविर में भेजा गया था जयसर, और श्रीमती हरगोरी पत्नी वल्लाराम को सांगानेर खुला बंदी शिविर में हमने भेजा था। तो जहां तक इनके इस सवाल की बात थी, वह तो मैं इनको इस तरह से निवेदन करना चाहता हूं।

जहां इन्होंने पुनर्वास की बात कही है, इस नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे यहां महिला बंदी आती हैं वे आर्थिक रूप से सक्षम बनें और इस बंदी जीवन के बाद जब अपने परिवार में जाएं तो कुछ प्रशिक्षित हो कर जाएं इसलिये हम ये जो उद्योग बताये हैं उनमें प्रशिक्षण देते हैं। वे उसके बाद जाकर अपनी आय अर्जित करती हैं, उनको एक काम सीखने का मौका मिलता है।

अब जहां इन्होंने शिक्षा की बात की, इस नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम बंदी के लिये जेल में शिक्षक रखते हैं वे उनको वहां शिक्षा देते हैं। हमनें सारी जेलों में साक्षरता का कार्यक्रम चला रखा है।

अब जहां पुनर्वास की बात है, इस नाते अभी समाज कल्याण विभाग की भी बात आयी। वहां जो निराश्रित महिलाएं आवेदन करती हैं उनके लिये समाज कल्याण विभाग पुनर्वास की व्यवस्था करता है। इस तरह मैं सोचता हूं कि आपने जो सवाल किये उनके मैंने उत्तर आपको दे दिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा–सा मेरा प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट, जरा मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, विराजें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अब के बजट में महिलाओं को कुछ छूट रखी है। महिलाएं कहने नहीं गयी थीं उनको कि हम को यह छूट रखो, हमको विशेष अवसर दिये जाएं, उनके लिए कोई ज्ञापन नहीं दिये गये थे। उन्होंने स्वयं चिन्तन किया, उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। निराश्रित महिला बंदियों के सम्बन्ध में, जो आजीवन कारावास की कैदी हैं, यहां मैंने बात रखी है। आप यह जानते हैं कि महिलाओं के साथ अगर किसी ने आवेश में कोई भी कृत्य कर दिया, उसके बाद उनके लिये न पीहर में स्थान है न ससुराल में स्थान है। ऐसी निराश्रित महिलाओं के लिये आपकी ओर से प्रयास क्यों नहीं किये जाएं, मैं यह पूछना चाहूंगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आपने कुछ प्रशिक्षण रखे हैं लेकिन उन प्रशिक्षण से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती। मेरा यह सुझाव है, प्रश्न कह लें या सुझाव कह लें, कि उन महिला बंदियों का जो श्रम है जितने मानव दिवस वे कार्य करती हैं उसकी एक पासबुक खोलकर उनके नाम से जमा करें। उसमें से आप रॉ–मैटीरियल का पैसा काट लें, प्रशिक्षण का पैसा काट लें। कुछ मुनाफे में परसेंटेज काट कर बाकी उनका जमा करें जिससे उस स्थिति से जब वे मुक्त हों तो उनको बाहर निकलते ही यह नहीं देखना पड़े कि कोई उनको फिर बिगाड़ दे, कोई उनको गलत दिशा में फिर न ले जाए। मेरा यह सुझाव है, मंत्रीजी यहां इस का उत्तर दें या न दें, यह व्यवस्था आप करें। मुझे आश्वस्त

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करें कि निश्चित रूप से आप इस सारे प्रकरण को सामने रखते हुए उन महिला बंदियों के बारे में कुछ चिन्तन करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, कुछ कदम उठाएंगे । माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी अपनी शिक्षा के माध्यम से, तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी भी, समाज कल्याण मंत्रीजी भी, इस सारे सन्दर्भ में विचार करें, महिला बाल विकास को भी ले लें, वे भी इस सन्दर्भ में चिन्तन करें । कुल –मिलाकर सरकार इसके बारे में कुछ कार्य करे, यह मेरा कहना है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप प्रश्न पूछें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय खुद स्वीकार करेंगे, झाड़ु बनाने की शिक्षा देने में क्या है, झाड़ु तो मैं बना दूं । क्या लगता है, चार सींक जोड़ीं....

श्री अध्यक्ष : माननीया, केवल प्रश्न पूछें । यह प्रश्नकाल है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा कहने का अर्थ है कि उस समय के लिए जब वे मुक्त हों, उनके लिये कोई व्यवस्था हो। माननीय मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय शांतिलालजी खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे ध्यान है...

श्री शिवनाथ सिंह : आप तो रहे हो जेल में।

श्री शांतिलाल खोईवाल : हां, मैं जेल में रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जेल में नहीं रहे, जेल सुपरिंटेंडेंट।

श्री शांतिलाल खोईवाल : इनके आशय की मुझे ताईद करनी थी ...(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : ये जेल सुपरिंटेंडेंट थे तो हम जेल में थे।

श्री शांतिलाल खोईवाल : जहां तक मुझे ध्यान है, जेलों में जो बंदी काम करते हैं, निर्धारित टास्क पर उन्हें मजदूरी के एवज में कुछ पैसा दिया जाता है । अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में लिखा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । शायद वे इस प्रशिक्षण शब्द से कन्फ्यूज हो गये होंगे कि प्रशिक्षण के एवज में कोई इनको पैसा दिया जाता है, या फिर यह..... (व्यवधान)..... यह आप के प्रशिक्षण वाला मामला है । Let me speak please. मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशिक्षण शब्द पर आधारित होकर वे अपना इस तरह जवाब दे रहे हैं कि वहां पर इस तरह की कोई मजदूरी देने का कोई प्रावधान नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि पहले मजदूरी दी जाती थी। यदि उनका आशय जॉब से है कि किसी भी जॉब के एवज में कोई पैसा नहीं दिया जाता है तो यह पैसा दिया जाना कब बंद हो गया और क्यों बंद हो गया, इसका जवाब मंत्री महोदय दें ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या जेल से ...(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जेल विभाग का कार्यभार संभालने के बाद क्या आपने सपत्नीक किसी कारागार का निरीक्षण किया ? नहीं किया तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा....

श्री अध्यक्ष : क्या मतलब ? सपत्नीक का मतलब ?

श्री रामनारायण चौधरी : अपनी पत्नी सहित । क्योंकि महिला बंदियों की वास्तविक स्थिति का कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, मंत्री जाएं या आई.जी. जाएं या डी.जी. जाएं उनको किसी को कुछ पता नहीं चलता। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी पत्नी महोदया को साथ लेकर जाएं और जेल डिपार्टमेंट को आप सूचना भेजें कि मंत्री महोदय सपत्नीक जेल में आएंगे और जेल में बंदियों से, महिलाओं से सब से मिलेंगे। महिला कैदी के ऊपर जो बीत रही है वह आपबीती मंत्री महोदय को या किसी पुरुष अधिकारी को वह कभी भी नहीं बता सकती। और महिला अधिकारी को भी नहीं बता सकती क्योंकि महिला अधिकारी को यदि, मान्यवर, वह आपबीती बता देगी तो महिला अधिकारी भी उसकी खाल निकाल लेगी शाम को। इसलिये मैं .....

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय,मान लो गृह मंत्रीजी जेल मंत्री हो गये तो चौधरी साहब की बात को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने इस सारे सन्दर्भ में जो चिंता प्रकट की है और महिलाओं से जो जेल में काम लिया जाता है उसके लिये इन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं, उसके निमित्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो न्यायालय होते हैं उनके आदेश के अनुसार जेलों में सश्रम कारावास की व्यवस्था होती है। उनको सश्रम कारावास मिलता है उस नाते उनसे काम कराते हैं। मगर इस सब के बाद भी वहां कुछ ऐसे नॉर्म्स तय हैं कि जिनके आधार पर उनके लिये काम निश्चित है कि उनको इतना काम, यह–यह काम करना है। बंदी निश्चित नॉर्म्स के अनुसार जो काम है उतना काम करते हैं तो उनको कोई देय नहीं होता। कोर्ट के आदेश के अनुसार जो श्रम वे करते हैं या कार्य करते हैं और जिस तरह से अभी माननीय सदस्या ने पुछा है, इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो निश्चित काम है उसके अलावा भी अगर वे काम करते हैं तो कुशल श्रमिक को चार रुपये और अकुशल श्रमिक को तीन रुपये, इस तरह से उनको दी जाने वाली रेट है । उस सब के साथ यह भी सुनिश्चित है कि एक महिला आठ घंटे काम करती है, उसमें आठ पेटीकोट सिलेगी, वह उसका निश्चित काम है उसके बाद जो काम करेगी उसकी मजदूरी जुड़ेगी। इस तरह से ये अलग–अलग काम हैं और उनकी अलग–अलग निश्चितता है ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सब कागजों पर है ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : उस निश्चितता के तहत काम होता है। मैं एक निवेदन करना

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

चाहता हूं कि हमारे जयपुर में जो महिला जेल में हैं उसमें अब तक, यह रिकार्ड के अनुसार आया है कि किन्हीं ने भी जो निश्चित श्रम है उससे ज्यादा काम नहीं किया ।

इस के बाद अभी हमारे राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने प्रशिक्षण में कोई राशि नहीं देने वाली बात कही, तो प्रशिक्षण तो जेल में जो बंदी आता है और उसको सश्रम कारावास है तो उसको प्रशिक्षण तो दिया ही जाएगा। 10 –15 दिन था जितनी भी अवधि में वह प्रशिक्षण प्राप्त करता है, कुछ सीख पाता है तो वहां उसको देने वाली बात नहीं है। जब वह प्रशिक्षित हो जाता है तो उसके अनुसार जेल के जो काम हैं, जो उद्योग हैं उनमें वह काम करता है ।

जहां तक माननीय चौधरी साहब ने सवाल किया कि मंत्रीजी ने क्या सपत्नीक दौरा किया तो मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने करीब 40 जेलों में दौरा किया है और नागौर की जेलों में तो सपत्नीक दौरा किया है ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा–सा प्रश्न है। कुशल श्रमिक के लिये चार रुपये और अकुशल के लिये तीन रुपये हैं। क्या यह राशि अतिरिक्त टास्क की एवज में पर्याप्त है ? यदि पर्याप्त नहीं है तो क्या मंत्री महादय इस पर विचार करेंगे कि यह राशि बढ़ायी जाएं ? आज टास्क के लिये मजदूरी मात्र चार रुपये देते हैं, यह किसी भी कीमत पर पर्याप्त नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें, इस राशि को बढ़ाएं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि मैं 19 महीने तक जेल में रही हूं, मैंने महिला बंदियों की स्थिति बहुत खराब देखी है। मंत्री महोदय का उत्तर पूर्णतया असंतोषजनक है। सुधार गृह और आर्दश सुधार गृह। आप इसमें व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये लीक पर नहीं चलेंगे। होता आया है, यह कोई बरदाश्त करने लायक बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप । मदन मोहन जी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कुछ अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी बात होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करती हूं कि महिला बंदियों की दयनीय दशा देखकर और उनके पुनर्वास की स्थिति देखकर आप कुछ अच्छा करने के लिये कदम उठाएं वरना ....(व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मैं माननीय सदस्या से मिलकर वे जो सुझाव देंगी उन पर विचार करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने सलाहकार समितियां बनायी नहीं ढाई साल में, आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजें । कृपया आने दें । मदन मोहन जी । (व्यवधान)

जिला नागौर की स्वीकृत सड़कें

249.श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में कौन–कौनसी सड़कें कितनी–कितनी राशि की किस–किस योजना

(श्री हरजीराम बुरडक)

में कब–कब स्वीकृत हुई तथा उनका काम कब–कब कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पिछले वर्ष कौन–कौनसी सड़कें कितनी–कितनी लम्बी डामर न मिलने के कारण बिना डामर किये रहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त क्षेत्र में इस वर्ष कौन–कौनसी नयी सड़कें बनी हैं जो डामर के अभाव में बिना डामर किये रहीं ?

(4) डामर की कमी की पूर्ति करने के लिये सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाये गये तथा नतीजा क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित ।

श्री मदन मोहन जी ।

अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में और जातियां शामिल किया जाना

250. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार जाट,मेव व ओड राजपूत जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय प्रतिवेदन में जाट, मेव को विस्तृत जांच व सर्वेक्षण में रखा गया है तथा ओड राजपूत को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नाम जोड़ने की सिफारिश नहीं की गयी है ।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हें शामिल करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : (व्यवधान) आपने क्या कहा ? (व्यवधान) यह हाउस में आने के बाद हरजीराम जी की प्रापर्टी नहीं है यह तो हाउस की प्रापर्टी है। हम पूछना चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह आज 249 स्थगित किया है अगले टर्न में....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अच्छा, स्थगित किया है ।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से पूछना चाहा है कि क्या जाट, मेव और ओड राजपूत को आप ओ.बी.सी. में शामिल करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते। और यदि रखते हैं तो कब तक शामिल किया जाएगा और यदि नहीं तो क्यों। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया है यह तो पूर्ण रूप से अस्पष्ट और निरर्थक है। जिस जाट कम्युनिटी ने, जिस मेव कम्युनिटी ने रेजीमेंट के तौर पर इस देश की सेवा में भर्ती होकर इस देश की सेवा की है उसकी आज इतनी दयनीय स्थिति हो गयी है कि एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों से भी दयनीय हालत में पहुंचे हुए हैं। मैं आपके माध्यभ से निवेदन करता हूं सामन्तवादी ताकतों के खिलाफ, राजा–महाराजाओं के खिलाफ जाट और मेव कम्युनिटी जिस बहादुरी से लड़ी आज उनको हम क्या रिजर्वेशन भी नहीं देना चाहते ? क्या

(श्री मदन मोहन)

उनके स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं करना चाहते जिस जाट और मेव कम्युनिटी ने इस देश में खेती में पैदावार को बढ़ाया है, जिसने जमीन का सीना चीरकर पैदावार को बढ़ाया है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जिसने देश की सेवा की है, जिसने किसानों की मदद की है उनको पूर्ण रूप से ओ.बी.सी. में शामिल किया जाए। चाहे इस रिजर्वेशन की सीमा को बढ़या जाए और संविधान की नवीं अनुसूची में डाला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से केवल यही पूछना चाहता हूं कि आप इनको शामिल करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते ? यदि रखते हैं तो कब तक शामिल कर लिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : धनखड़ साहब ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि माननीय सदस्य ने बहुत ही स्पष्ट पूछा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धनखड़ साहब ने अनुमति मांगी है, मैंने उनको अनुमति दी है ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो आयोग है उसने अपनी जो सैकण्ड रिपोर्ट दी है उसमें जाट और मेव को अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण का लाभ मिले, इस बारे में विस्तृत जांच के बारे में कहा गया है । माननीय मंत्री महोदय, कृपया बताए, यह रिपोर्ट आयोग ने कब दी, किसको दी और इस रिपोर्ट पर जिस किसी को कार्यवाही करनी थी वह क्या कार्यवाही हो गयी ? (व्यवधान) आयोग ने रिपोर्ट कब दी ? क्योंकि आपका जवाब है । किसको दी, इस पर जिस किसी को जांच करनी थी ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब आ जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, बैठ जाइये । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : वह जवाब तो आने दीजिये । (व्यवधान) मंत्री महोदय, आपने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? स्पेसिफिक प्रश्न है and mine supplementary arises out of the question.

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर जाट, माली और गूजर ये सब गरीब हैं तो हम कौनसे गरीबों में नहीं आते ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : बिल्कुल सही है ।

श्री अध्यक्ष : आप अब विराजें । (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, मैं आइडेंटिफाई करता हूं जाट, मेव, राजपूत, विश्वनोई, करबी, छीगली, ये जितनी भी काश्तकार और मार्शल कौमें हैं ये सारी ओ.बी.सी. में ली जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : विराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : Mine is a pointed question. Please let the Minister response.

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजें। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री महोदय, यह रिपोर्ट कब दी, किसको दी, किसको जांच करनी थी और कब तक हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : कृपया जवाब आने दीजिये। चौधरी साहब, विराजें आप। (व्यवधान) एक मिनट उनका उत्तर आने दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले इसका जवाब आ जाए ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है कि जो ... (व्यवधान) रिपोर्ट की बात .. ...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : I seek your protection.

श्री अध्यक्ष : विराजें । आप सबका साथ ही देंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री महोदय को रेस्पांड करने दीजिये। इस स्थिति में वे बैठे हैं , उनकी तैयारी नहीं है। आप बैठे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) विराजें तो सही आप। विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, पहले इसका जवाब आ जाए । आप पाइंटेड प्रश्नकर्ताओं को रोक दीजिये । पहले इस स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब आ जाए ।

श्री जगदीप धनखड़ : He is sitting over the matter.

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, वे जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : धनखड़ साहब ने जो पूछा है उसका जवाब दिलाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये । (व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जाट जाति सबसे ज्यादा है राजस्थान में । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अभी एक–एक को बुला रहा हूं । आप विराजें तो सही। (व्यवधान)

श्री जीतराम : काफी जाट तो पहले पंजाब में चले गये जमींदारों से तंग आकर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये न आप। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है ।

श्री जीतराम : हम गये हैं, पंजाब में गये हैं । (व्यवधान) बीकानेर से गये ।

श्री अध्यक्ष : विराजें । एक बार जवाब आने दें । (व्यवधान) मैं वही ले रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी के पास कोई जवाब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप सब विराजें तो सही । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह+++ बंद करिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । यह शब्द एक्सपंज कर दें ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । कृपा करके विराज जाएं ।

श्री जीतराम : ऐसे ओड जाती का मैं बताऊं, ओड राजपूतों को हरियाणा के अंदर एस.सी. के अंदर लिया गया है। 12 गांव ब्राह्मण वहां पर काश्तकार हैं। मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा हैं (व्यवधान) सब ब्राह्मण खेती करते हैं।

श्री अध्यक्ष : विश्वनोई जी ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे +++ (व्यवधान) इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अभिव्यक्ति एक्सपंज कर दी जाए । विश्नोई साहब ने फरमाया है इसलिये मैं उनको कह रहा हूं । (व्यवधान) सारे सदन पर है । विश्नोई साहब ने फरमाया इसलिये मैं कह रहा हूं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : एक सैकण्ड में अर्ज कर देता हूं । विश्नोई की पांच लाख की राजस्थान में आबादी है । शासन सचिवालय में क्लास फोर्थ से लेकर क्लास फर्स्ट तक, मेरे ख्याल से एक भी कर्मचारी नहीं है । बता दो आप । मैंने भी सवाल पूछा है, जवाब नहीं आया । एक भी नहीं है । (व्यवधान) विधान सभा में अलग बात है । एक भी नहीं है सैक्रेटेरिएट में । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि .... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, धनखड़ साहब ने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब नहीं आया । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, सबको बुलवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : विश्नोई साहब को बुला दिया न । एक प्रश्न में 50 सप्लीमेंट्री तो नहीं करवा पाऊंगा मैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस सवाल का जवाब दिलाया जाए पहले । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वोट लेने हैं तो खड़े हो जाओ ।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें । (व्यवधान) माननीय , विराजें आप । माननीय मंत्रीजी । (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सभी

+++ शब्द, अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं ।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से इस विषय पर गम्भीरता से चर्चा करने....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना आसान नहीं है। माननीय सदस्यों से मेरा अनुराध है इसको गम्भीरतापूर्वक ...... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप ही सुन लीजिये न एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : अब आप चौधरी साहब को नहीं सुनना चाहते हैं तो मंत्री महोदय क्या जवाब देंगे ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं कितनी देर से खड़ा हुआ हूं आप बोलने की परमीशन नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : आजादी के बाद...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बार–बार खड़े हो रहे हैं, चौधरी साहब बोल रहे हैं, मैं मना कर रहा हूं क्या ? ...(व्यवधान) राजेन्द्रजी आज जरुरत से ज्यादा उग्र हो रहे हैं आप। बड़े सीनियर मैम्बर कोई बात कह रहे हैं आप उनकी बात सुनें नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : रियासतों के विलीनीकरण के बाद ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप और कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि उग्र हो रहे हैं, बिना ही काम के उग्र हो रहे हैं । आप विराजें , चौधरी साहब, आपकी पार्टी के लोग आपको सुनना नहीं चाहते हैं। माननीय सदस्य, विराज जाएं ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं काफी देर से आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं अब ज्यादा अलाउ नहीं करुंगा, मंत्रीजी बोलें पहलें । आप विराजें ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहूंगा । पिछड़े वर्ग की बात यदि मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा ? आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप और जोर से बोलें तो क्या करुं मैं। मैं आपको अभी अनुमति नहीं दे रहा हूं, पहले इनका उत्तर तो आने दें उसके बाद कोई बात होगी तो और बता दें । विराजें आप ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : ठीक है, बाद में बोल लूं ?

श्री रामनारायण मीणा : मूल प्रश्न पर एक घंटे की डिटेल विस्तृत चर्चा करवा ली जाए। अहम सवाल है, सारा सदन जानता है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप । मंत्रीजी ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जिन जातियों का उल्लेख किया है यह प्रश्न वहीं तक सीमित

(18)

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं है। आजादी के बाद राजस्थान के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भारी परिवर्तन आया है। जो जाति रियासत के जमाने में जागीरदारों की रियासतों की नौकरियों पर निर्भर थी वह राजपूत जाति थी। रियासत खतम हो जाने के बाद, जागीरदारी समाप्त हो जाने के बाद राजपूतों की एज ए कामन जाति, कामन राजपूत की जो दयनीय स्थिति राजस्थान के अन्दर बनी है वैसी उत्तर प्रदेश में नहीं है । राजस्थान में जो है मैं जानता हूं । मैं मेरे ही गांव का उल्लेख करके बताता हूं कि सबसे अधिक डैटीरियोशन आर्थिक दृष्टि से और समाजिक दृष्टि से राजपूत कम्युनिटी में आया है उतना किसी में भी नहीं आया है । एस. टी. आगे बढ़ी है, एस. टी. का उत्थान हुआ है ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : ठहरो, साहब, बिलकुल गलत कह रहे हैं आप । राठौड़ी की बात कर रहे हैं .... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं मेरी बात कह रहा हूं , मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं.. (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : आपकी कोई राय सही नहीं हैं ।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : केवल मात्र पांच.... (व्यवधान) हो जाएं आज .... (व्यवधान) देखा ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप। चौधरी साहब, विराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : Let the Hon'ble Minister respond to my supplementary question.

श्री रामनारायण चौधरी : आम राजपूतों की हालत आजादी के बाद राजस्थान के अन्दर ...

श्री भंवरसिंह डांगावास : राजस्थान में सबसे पावरफुल कोई कम्युनिटी है तो वह राजपूत है ।

श्री रामनारायण मीणा : कोलायत से आने वाले माननीय विधायक राजपूत है... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अपने कोई चिन्ता नहीं है। राज करेगा खालसा हाकिम रहे न कोय... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : राज कर रही है राजस्थान में.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें । यह क्या कर रहे हैं आप ?

श्री भगराज चौधरी : राजपूत कौम अगर ओ.बी.सी. में मिल जाएगी तो उनकी क्या हालत होगी ?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आने दें, आप विराज जाएं ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर स्टेट में तो अंग्रेजों के समय से जाट ओ.बी.सी. में थे । आज भी राठौड़ मौजूद हैं और जानबूझकर मैंने जिन जातों के नाम गिनाये हैं उनको पीछे रखा जाय .....

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो । मंत्रीजी ।

श्री जुबेर खान : x x x

श्री भगराज चौधरी : x x x

श्री हीरालाल विश्नोई : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री अध्यक्ष : अभी थोड़ी देर विराजें आप, पहले इनका जवाब आने दें। मेरी भी कुछ सीमा है। कृपया पहले आप विराजें। अंकित नहीं हो रहा है। आप उत्तर तो आने दें। माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में कहा है कि जाट, मेव, और ओड राजपूत जाति जिन्होंने मिलिटरी में काम किया है, देश की बहुत सेवा की है, देशभक्त कोंम हैं। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि ओड राजपूत, मेव जाति जाट निश्चित रूप से देशभक्त जाति है परन्तु इन्होंने यह भी कहा है कि मंत्री महोदय जवाब दें कि इन जातियों को ओ.बी.सी. में शामिल करना है कि नहीं करना है। सरकार ने इसके लिये एक आयोग का गठन किया हुआ है। आयोग विस्तृत सर्वे करके अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है, सरकार को इस विषय में उसने रिपोर्ट दी है लेकिन जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया गया है, अभी यह सर्वेक्षणाधीन है, इसका सर्वेक्षण हो रहा है। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता जब तक कि आयोग की स्पष्ट रूप से और सिफारिशें नहीं आ जातीं। माननीय धनखड़जी ने भी यहां प्रश्न किया कि जो दूसरी रिपोर्ट है यह सरकार को कब प्राप्त हुई। यह सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई 01 जनवरी, 1996 को। यह भी पूछा है कि वह रिपोर्ट सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत की गयी, तो यह रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्रस्तुत की गई है। माननीय धनखड़जी को यह जानकारी मैं दे रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न था कि इस पर जो विस्तृत जांच करनी थी वह किससे करानी है ?..... (व्यवधान) क्या किया गया, यह मेरा प्रश्न है। ....(व्यवधान) बिलकुल अधूरा जवाब दिया है। जानबूझकर छः महीने की लापरवाही हुई है सरकारी स्तर पर, उसको देखें कि छः महीने में क्या किया। क्या मुख्य मंत्रीजी ने खुद इसको अपने ताले में रख दिया ? ... (व्यवधान) क्या विस्तृत जांच की गयी इस विषय में ?

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य इस विषय को गम्भीरता से ले रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : जानबूझकर आप जांच नहीं कराना चाहते।... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सवाल यह है कि ओड जाति के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने (व्यवधान) ओड जाति तो पहले से ही आरक्षित है ओ.बी.सी. में। सवाल यह है कि ओड के साथ ओड राजपूत भी जोड़ा जाए क्योंकि एक परिवार का सदस्य अगर ओड लिख देता है तो ... (व्यवधान) और ओड राजपूत लिख देता है आरक्षण के जरिये .... (व्यवधान) आपने गलत बयानी की है। ओड समुदाय पहले से ही आरक्षित है ओ.बी.सी. में। सवाल इतना–सा है कि ... (व्यवधान) जिन्होंने ओड के साथ ओड राजपूत जोड़ा हुआ है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये।

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में गम्भीर मामला है, इस विषय पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं । सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता महोदय बैठकर एक दिन आधे घंटे की चर्चा इस विषय पर रख लें कि बैकवर्ड कौन है । इसके बारे में जानकारी ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने मुझे पुकारा तो मैं खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलें आप ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी चौधरी, बोलें। सब जने एक साथ खड़े हो जाएंगे तो न तो किसी की बात क्या है, सुनायी पड़ती है ।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और पूरा सदन अपने–अपने प्रश्न से चिन्तित है।

श्री अध्यक्ष : अब आप खड़े हो गये। मैंने चौधरीजी को अलाउ किया है उनकी बात सुनें आप। विराजें आप, हमारी भी कोई सीमा है ।

श्री मदन मोहन : माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ओड जाति...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाह रही हूं कि सारी महिलाएं पिछड़े वर्ग में आनी चाहिये चाहे किसी भी कास्ट की हों क्योंकि महिलाओं को आपने सबसे पीछे रखा है, पढ़ाई में पीछे रखा है, आर्थिक स्थिति में पीछे रखा है, उनके सम्मान की स्थिति में पीछे रखा है। सम्पूर्ण महिला समाज को आप पिछड़े वर्ग में शामिल करें।

श्री अध्यक्ष : ..(व्यवधान)...आप भी कंट्रोल नहीं होते हैं, दूसरे भी कंट्रोल नहीं होते हैं। विराजें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । पूरा सदन इससे चिन्तित है और आप भी इस चिन्ता में शामिल हैं। चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव भी दिया है कि इसके ऊपर चर्चा कर ली जाए आधा घंटे की क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, ओड और ओड राजपूत एक ही बात है । इसी तरह से दलवी समाज के अन्दर आंजना है, आंजना और दलवी एक ही है पर उसमें लिखा हुआ नहीं है । अब उसके अन्दर जाट और मेव की जो चर्चा की गयी है, विश्नोई समाज है, सिरवी समाज है, यादव, गूजर, जाट, विश्नाई और सिरवी सब एक ही श्रेणी के हैं।...(व्यवधान).

श्री खेतसिंह राठौड़ : राजपूतों ने आपका क्या बिगाड़ा है ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं मना नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में आजादी के बाद सामाजिक परिवर्तन हुआ है उसके अन्दर हमने जो आर्थिक रिजर्वेशन की बात कही है, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको भी इसके अन्दर शामिल करने के बारे में हमको विचार करना चाहिये। वास्तव में यह चिन्ता की बात है और इसमें सरकार को आधा घंटे की चर्चा करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी गहलोत।... (व्यवधान)...

श्रीमती शशीदत्ता (राज्य मंत्री, विधि) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, उन्हें बोलने दें पहले। आप तो मिनिस्टर हैं। श्री राजेन्द्रजी, बोलिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनकी कुछ जातियां आरक्षण सूची में नहीं आयी हैं। विशेषकर भिश्ती जिनकी पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश भी की है कि भिश्तियों को पिछड़े वर्ग की सूची में लिया जाए, वास्तव में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं।...(व्यवधान)... नहीं लिया है ।

श्री जुबेर खान : मंत्रिमण्डल ने काट दिया। सिफारिश की थी सबके साथ ...... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपया बात न करें, डिस्टर्ब न करें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ सिरवी समाज और विश्नोई समाज को भी जोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष : आप तो निवेदन कर रहे हैं पर टाइम तो लिमिटेड है। विराजें आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आयोग की रिपोर्ट भी आ गयी, राज्य सरकार को दी गयी है उसमें दोनों वर्ग के नाम डाले गये हैं। यही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विराजें । आंजना जी ... (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दलवी समाज ...(व्यवधान)... को ओ.बी.सी. का नाम मिल रहा है लेकिन उसके साथ आंजना शब्द नहीं जोड़ने से ...(व्यवधान)...चित्तौड़ जिले में रहने वाले हमारे भाइयों को इसमें जोड़ दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : विराजें .....(व्यवधान)... श्री विश्नोई जी ।

श्री सुखलाल सेणचा : ...(व्यवधान).... पिछड़ा आयोग के पास हमारे सिरवी समाज का भी मामला आया है वह फैसला ही नहीं कर रहा है ..(व्यवधान)..

श्री हीरालाल विश्नोई : विश्नोई समाज का राजस्थान में सचिवालय में बाबू से लेकर आई.पी.एस., आई.ए.एसस. तक एक भी अधिकारी नहीं है। बहुत ही पिछड़ी जाती है विश्नोई जाति और बहुत कम, तीन लाख की पापुलेशन है। यह बहुत गम्भीर मामला है। विश्नोई जाति को इसमें जोड़ा जाए...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह कैसी सरकार है ? इसके मंत्री लोग ही प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार हम लोगों का है, यहां मंत्री ही प्रश्न पूछने लग गये, यह कैसी सरकार है ? ये मंत्री होकर प्रश्न पूछ रहे हैं, यह क्या बात हुई ?...(व्यवधान)...

श्रीमती शशीदत्ता : मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूं ।

(22)

श्री मोहनलाल मोदी : यह प्रश्न पूछने का अधिकार तो हमारा है, और ज्यादातर विपक्ष का है अधिकार, यह क्या हो रहा है ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,यह आयोग कब तक अपना फैसला देगा ? राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट पर कब तक फैसला कर देगी ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।...(व्यवधान).

श्री जगदीप धनखड़ : इस रिपोर्ट पर विस्तृत जांच कब तक हो जाएगी, एक महीने में दो महीने में ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब एक साथ ही बोल रहे हैं। मैं एक–एक को मौका दे रहा हूं। हमारी लिमिटेशन होती है, बोलने की भी कोई लिमिटेशन होती है ....(व्यवधान)..

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : राजपूत गरीब जाति है उसका नाम इसमें जरुर आना चाहिये । राजपूत से ज्यादा गरीब कोई दूसरी जाति नहीं है ।...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी क्या यह सही है कि आपके राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अप्रैल 1994 में जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के क्रमांक 19 नम्बर पर गद्दी मुस्लिम के लिये रिजर्वेशन की सिफारिश आपके विभाग को की थी सरकार ने ?

श्री अध्यक्ष : अपने तो है ही नहीं यह।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आपने जब इसकी अधिसूचना निकाली तो क्या आपने गद्दी समाज को बिलकुल हटा दिया ? भारत सरकार से जो लिस्ट आयी है उसमें भी 52 नम्बर पर गद्दी समाज है मुस्लिम। आपने इस बिरादरी को ओ.बी.सी. के आरक्षण से क्यों हटाया ? आप बताइये कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को आपने रद्द क्यों किया ? क्या गद्दी समाज को वंचित करने के लिये यह साजिश की है ? मंत्री जी, पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य का जो बना है क्या उसकी सिफारिश को काटकर आपने गद्दी समाज को ओ.बी.सी. के आरक्षण से अलग कर दिया ? ऐसा क्यों किया आपने ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। चौधरी साहब ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ओड राजपूत और एक आध और जाति को ओ.बी.सी. की सूची में शामिल करने के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को लेकर मंत्री महोदय ने समुचित जवाब नहीं दिया है। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है, माननीय मंत्री महोदय ने मण्डल कमीशन के जो मूल दिशा–निर्देश हैं, कि कौनसी कौम ओ.बी.सी. में आनी चाहिये, कौनसी नहीं आनी चाहिये, इसके क्या आधार हैं, इसके बारे में आपने तय नहीं किया। जहां तक मेरी जानकारी है मैंने अध्ययन किया है उससे मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में केवल वे जातियां शामिल की जानी चाहिये जो कि शैक्षणिक दृष्टि से ,आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और राजकीय सेवाओं में बहुत ही पीछे रह गयी हैं और जिनका खानपान बहुत ही ...(व्यवधान)....ऐसी जातियों को शामिल किया जाना चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : विराजें। मिर्धा जी।

श्री मगराज चौधरी : इसलिये जिन कौमों का स्तर बहुत नीचे था और जो पिछड़ी कौमें हैं...(व्यवधान)...राजस्थान में बहुत ही पिछड़ापन है ।

श्री अध्यक्ष : अब क्या करें ? विराजिये आप...(व्यवधान)...विराजें ।

श्री मगराज चौधरी : हजारों अधिकारी ऐसे हैं जो ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर्स हैं, कैप्टन्स हैं, आर.ए.एस. अधिकारी है, डाक्टर्स हैं, इन्जीनियर्स हैं, ऐसी कौमों को शामिल करने की बात कही जाएगी तो...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, समय पूरा हो रहा है आप जवाब दिलवा दें ।

श्री जगदीप धनखड़ : जांच कब तक पूरी कर देंगे ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया, पूरा हाउस इस विषय पर चर्चा कराने के लिये आपको निवेदन कर रहा है। इस विषय पर आधा घण्टे हाउस में चर्चा होनी चाहिये। ...(व्यवधान) ....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । माननीय मंत्री जी ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले में खारवाल नाम की एक जाति है, उस जाति को आरक्षण नहीं दिया है...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पाटीदार समाज को भी ओ.बी.सी. में शामिल किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : विराजें । आप जवाब तो आने दें ।

एक माननीय सदस्य : आरक्षण में आधार को भी तय किया जाए। ..(व्यवधान)... जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए । आरक्षण में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आर्थिक आधार को भी शामिल किया जाए । (व्यवधान)

श्री मोहनलाल बारुपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप ऐसे ही करते रहेंगे।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है आपसे कि राजपूतों, बणियों और ब्राह्मणों का भी आरक्षण कर दिया जाय (व्यवधान).....

श्री राम प्रताप कासनियां : इसमें कोई बणिया और जाति का सवाल नहीं है, आथिक बेस पर होना चाहिए। समाज में कटुता पैदा हो गयी है आरक्षण से।

एक माननीय सदस्य : आर्थिक दृष्टि से भी आरक्षण होना चाहिये जो समाज के कमजोर तबके के लोग है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब आप कोई जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। 25 माननीय सदस्य और (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दें ।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) विराजें आप। प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मदरामपुरा (जयपुर) में पुलिस थानों की स्थापना

247. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नया थाना खोले जाने के क्या मानदण्ड हैं? निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि मदरामपुरा (जयपुर) का थाना बदल कर उसे प्रतापनगर का कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? मदरामपुरा में दूसरा थाना नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही हैकि मदरामपुरा के आसपास के 7–8 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी पुलिस चौकी अथवा पुलिस थाना नहीं है ? जबकि प्रतापनगर एवं सांगानेर थाना दोनों ही 4 किलोमीटर के अन्तर पर है ।

उत्तर

(1) नया पुलिस थाना क्षेत्र में अपराधों का पंजीकरण, कानून एवं व्यवस्था, जनसंख्या तथा अन्य थानों से दूरी आदि के आधार पर खोला जाता है। उक्त थानों में पुलिस बल की संख्या के संबंध में मापदण्ड परिशिष्ट–क में संलग्न है ।

(2) जी नहीं । इस क्षेत्र के लिए थाना सांगानेर सदर के नाम से है ।

(3) थाना सांगानेर सदर गांव मदरामपुरा से पक्की सड़क द्वारा 8.50 कि. मी. है तथा कच्चे रास्ते से लगभग 7.00 कि. मी. है। चूंकि प्रतापनगर के नाम से कोई थाना नहीं है। अतः यह सही नहीं है कि प्रतापनगर व सांगानेर थाने 4.00 कि.मी. के अन्तर पर है।

(मापदण्ड के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 312

(स्थगित)

रामनगर (जयपुर) में सड़कों एवं नालियों का पुनर्निर्माण

313. **श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शास्त्री नगर, जयपुर स्थित विभिन्न कॉलानियों में नाली एवं सड़क निर्माण/मरम्मत का कार्य करवाया गया/करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो किस–किस कॉलोनी में कितनी–कितनी राशि का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शास्त्री नगर स्थित रामनगर कॉलोनी में इस वर्ष नाली एवं सड़क मरम्मत का कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो कितनी–कितनी राशि का ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी में करवाया गया नाली एवं सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार शेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां। राम नगर कॉलोनी में नालों पर लगभग रु.3 लाख व सड़क पर रु.3 लाख का कार्य करवाया जा रहा है।

(3) जी हां। नालियों का कार्य शीघ्र पूर्ण करवा दिया जायेगा। सड़क का कार्य डामर उपलब्ध होते ही पूर्ण करा दिया जायेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

रामनगर, शास्त्री नगर, (जयपुर) का सार्वजनिक पार्क नम्बर 9

314. **श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सार्वजनिक पार्क नम्बर 9, रामनगर (खड्डेवाला पार्क) शास्त्री नगर, जयपुर में प्रकाश व्यवस्था किये जाने के संबंध में तखमीना तैयार किया गया था ? यदि हां, तो कब और इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त पार्क पर राशि स्वीकृत होने के बावजूद अब तक प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के क्या कारण रहे हैं तथा सरकार अब कब तक उक्त पार्क में प्रकाश व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, पार्क नम्बर 9 के साथ साथ इस क्षेत्र के अन्य पार्को सहित प्रकाश व्यवस्था हेतु फरवरी, 1996 में तखमीना तैयार तक किया गया था । इसके लिये 5.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई ।

(2) ठेकेदार द्वारा कार्य में विलम्ब किये जाने के कारण उक्त पार्क में अभी तक प्रकाश व्यवस्था नहीं हो पाई है । अब दो माह में उक्त कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा ।

नगर परिषद्, पाली द्वारा किराये पर ली गई जीपें

315. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् पाली ने कुछ जीपें किराये पर ले रखी हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी जीपें किराये पर ली गई ? जीपों के मालिकों के नाम, मय जीप रजिस्ट्रेशन नम्बर के सदन की मेज पर रखें । प्रति माह प्रति जीप का कितना किराया दिया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जीपें किराये पर लेने के लिये विधिवत् निविदायें आमंत्रित की गई ? यदि हां, तो क्या इस हेतु विज्ञापनों द्वारा आम व खास को इत्तला करवाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद् पाली में किराये पर चल रही जीपों का किराया टैक्सी स्टेण्ड पर उपलब्ध जीपों से अधिक चुकाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं ,तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपरिषद पाली में केवल एक जीप किराये पर लगाई गई है। चाहा गया विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) दिनांक 20.10.95 से 19.1.96 तक जीप किराया 400/–रुपये निर्धारित कर लगाई गई थी । दिनांक 20.1.96 से एक वर्ष के लिये जीप निविदाएं आमंत्रित कर तथा नेगोसिएशन करके 400/–रुपये किराये पर लगाई गई है ।

(3) जी हां । जिला कलक्टर द्वारा जीप का किराया 300/–रुपये प्रति दिन निर्धारित किया गया है जबकि नगर परिषद द्वारा 400/–रुपये प्रति दिन भुगतान किया गया है । अधिक भुगतान के लिये संबंधित अधिकारी (आयुक्त) के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें ।)

प्रश्न संख्या 316

(स्थगित)

मानसरोवर, जयपुर की सड़कों का पुनर्निर्माण

317. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि मानसरोवर, जयपुर एशिया के सबसे बड़ी कॉलोनी होते हुए भी वहां की सड़कें टूटी–फूटी एवं कच्ची हालत में है ?यदि हां, तो सरकार उन्हें कब तक पक्की बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, मानसरोवर योजना की मुख्य सड़कों पर पेवर से तथा मुख्य सड़को के अलावा सैक्टर रोड में साधारण डामरीकरण एवं बची हुई समस्त सड़कों का डब्ल्यू. बी. एम. से निर्माण करवाया जा चुका है ।

दिनांक 23.2.93 से मानसरोवर के सैक्टर 1 से 6 तथा 9 से 13 नगर निगम जयपुर को रख रखाव हेतु हस्तांतरित किए जा चुके हैं अतः क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है।

सैक्टर 7, 8, एवं 15 की बची हुई डब्ल्यू. बी. एम. सड़कों का डामरीकरण वर्षाऋतु के पश्चात् शीघ्र ही करावा दिया जायेगा। सैक्टर 7 एवं अन्य सैक्टरों में निर्माणाधीन मकानों का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही डामरीकरण करवाना संभव होगा।

सामान्य पंजीकरण योजना, 1989

318. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवास मण्डल जयपुर द्वारा वर्ष 1989 में सामान्य पंजीकरण योजना के तहत आवास आबंटन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस–किस श्रेणी हेतु कितने–कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण संख्या 13775 से 13785 तक के आवेदकों में से किस–किस ने कब–कब मांगी

(श्री विष्णु मोदी)

गई सम्पूर्ण राशि जमा करवाकर तृतीय प्रति मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की ? आवेदक का नाम, दिनांक एवं राशि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि तृतीय एवं अन्तिम किश्त जमा कराने के 13 माह के अन्दर आवास आबंटन किये जाने का नियमों में प्रावधान हैं ? यदि हां, तो उक्त आवेदकों में से किस–किस आवेदक को कब–कब आवास का आबंटन किया गया ? आबंटित आवास के नम्बर एवं आबंटन करने के दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार शेष रहे आवेदकों को, जिन्होंने सम्पूर्ण राशि मण्डल कार्यालय में जमा करवा दी है कब तक आवास आबंटन का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राजस्थान आवास मण्डल, जयपुर द्वारा वर्ष 1989 में जयपुर शहर के लिए सामान्य पंजीकरण योजना के तहत अल्प आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में आवास आबंटन किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। श्रेणीवार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या की सूची निम्नानुसार है ।:–

अल्प आय वर्ग	8069
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	3222

(2) पंजीकरण संख्या 13778 से 13781 के आवेदकों ने ही पूर्वग्रहण राशि जमा कराकर चालान की तृतीय प्रति मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की है शेष द्वारा राशि जमा नहीं कराई है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

आवेदक का नाम	चालान नं.	दिनांक	राशि
1.श्री कन्हैया लाल	13778	2.3.93	1500.00
2. श्री अशोक बन्शीमा	13781	11.1.94	3500.00
		14.7.94	3500.00
		12.1.95	3000.00

(3) जी हां, यह सही है कि तृतीय एवं अंतिम किश्त जमा कराने के 13 माह के अन्दर पंजीकरण वर्ष की वरीयता के आधार पर वरीयतानुसार आवास आबंटन किए जाने का नियमों में प्रवधान है। उक्त आवेदकों में से केवल मात्र एक आवेदक श्री अशोक बन्शीमा ने पूर्व ग्रहण राशि की तीनों किश्तें जमा कराकर चालान की तृतीय प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की है परन्तु इन्हें अभी आवास का आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि इनकी वरीयता किराया क्रय पद्धति में निर्धारित है परन्तु इनकों जारी पूर्वग्रहण राशि पत्र में आवास की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त (जमा) चुकाने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु आवेदक द्वारा आवास की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त (जमा) चुकाने की सहमति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इन्हें अभी आवास का आवंटन नहीं किया गया । किराया क्रय पद्धति में आवासों का आबंटन अभी सामान्य पंजीकरण योजना वर्ष 1982 में पंजीकृत आवेदकों को किया जा रहा है ।

(4) पंजीकरण वर्षानुसार/ वरीयतानुसर आवास उपलब्धता के आधार पर आबंटन किए जा रहे हैं ।

जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधीन ग्रामों के विकासार्थ योजना

319. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधीन स्थित 472 ग्रामों के विभिन्न विकास कार्यों के सम्बन्ध में सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति की 32 वीं बैठक दिनांक 19.6.96 में प्राधिकरण के 342 ग्रामों के विकास हेतु निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

" प्राधिकरण क्षेत्र के 342 ग्रामों के विकास हेतु एक पृथक से प्रोजेक्ट बनाई जाये एवं इन ग्रामों के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि अर्थात् 10 करोड़ का प्रावधान रखा जावे । इन गांवो के विकास पर अधिक धनराशि व्यय होने पर जिलाधीश जयपुर द्वारा अन्य राजकीय योजना या अन्य स्त्रोत से यथा डी.आर.डी.ए. जन सहभागिता आदि से व्यय किया जावेगा। एक्शन प्लान जिलाधीश जयपुर द्वारा बनाया जावेगा । "

पहले प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के इन गांवों में विकास कार्य कराने हेतु इस वर्ष के बजट में 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया था जिसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है ।

वन विहार योजना (जयपुर) में नालों की सफाई

320. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वन विहार योजना आवासन मण्डल, जयपुर में बरसाती पानी के निकास हेतु सभी नालों की सफाई पुर्व में कब की थी ?

(2) क्या यह सही है कि नालों में मिट्टी भर जाने के कारण वर्षा का पानी सड़कों पर बहने से सड़कों का कटाव हो रहा है तथा नालों की सफाई के अभाव में, देख–रेख की कमी के कारण सड़को की मरम्मत पर सरकार को अनावश्यक रूप से व्यय करना पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना में स्थित सीवरेज प्लांट तथा सैक्टर संख्या 2 के प्लाट संख्या 19, 20, 25 तथा 26 के मध्य में स्थित नाला नगर निगम द्वारा पूर्व में अनाधिकृत निर्माण के तोड़े गये मलवे के फैलाव से भर गया है और अब पानी का बहाव प्लेट संख्या 19, 20 एवं 25, 26 के मध्य में स्थित गली में हो गया है ?

(4) क्या सरकार उक्त नाले को वर्षा के पानी से निरन्तर हो रहे नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए शीध्र साफ करवाने का विचार रखती है.? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वन विहार योजना आवासन मण्डल की योजना हैं, इसको नगर निगम, जयपुर को हस्तानान्तरित 1992 में किया गया था। हस्तानान्तरण पश्चात् इस विभाग द्वारा इस कॉलोनी में नालों की सफाई नहीं कराई गई।

(2) वन विहार योजना में केवल 2 नाले हैं, सड़कों पर केवल एक स्थान के अलावा कहीं भी पानी जमा नहीं हैं। एक स्थान पर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जो पानी जमा है वो भी नाले की वजह से नहीं है। इस कॉलोनी की सड़कें एवं इनकी बनावट की वजह से काफी ढलान हैं जिससे बरसाती पानी की गति तेज होती हैं और उसकी वजह से सड़को में कटाव हो जाता हैं। सड़कों के कटाव की दूसरी वजह यह हैं कि सड़कें पूरी चौड़ाई में बनी हुई नहीं हैं। बल्कि केवल बीच में ही बनी हुई हैं।

(3) यह सही नहीं हैं कि सीवरेज प्लाट तथा सैक्टर संख्या 2 में प्लाट संख्या 19, 20, 25 तथा 26 के मध्य में स्थित नाला अनधिकृत निर्माण के तोड़े गये मलवे के कारण भर गया है। अनधिकृत निर्माण सेफ्टी टेंक के दक्षिणी तरफ हैं जबकि नाला उत्तरी तरफ हैं। यह सही है कि नाला मिट्टी से पूरा भर गया था जिसे साफ करा दिया गया हैं। वर्तमान में गली में कोई पानी भरा हुआ नहीं हैं। गली बिलकुल सूखी हैं।

(4) नगर निगम, जयपुर में अभी हाल ही में 238 नालों की सफाई करवाई हैं। ये वे नाले हैं जिन्हें पूर्व में सूची बद्ध करा लिया गया था। वनविहार के नाले सूची में सम्मिलित नहीं किए गये थे। क्योंकि इनकी चौड़ाई कम हैं। इनकी सफाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं, और भविष्य में नियमित सफाई के लिये नालों के लिये नालों की सूची में इसे जोड़ दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र, जोधपुर शहर में स्वीकृत हैण्डपम्प

321. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 से 1996 तक विधान सभा क्षेत्र, जोधपुर शहर में कितने हैण्डपम्प मंजूर हुए तथा कुल कितने हैण्डपम्प लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प कार्यरत हैं, कितने खराब पड़े है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उल्लेखित अवधि में सम्पूर्ण जोधपुर शहर हेतु स्वीकृत 254 हैण्डपम्पों में से जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र हेतु 38 हैण्डपम्प चिन्हित हुए जिसमें से 33 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं एवं 5 स्थापित किये जाने शेष हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में कुल स्थापित 558 हैण्डपम्पों में से वर्तमान में 12 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब एवं 4 हैण्डपम्प परित्यक्त हैं, वांछित सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें।)

शिवपुरी कॉलोनी (जयपुर) की पाइप लाइन

322. **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, बनीपार्क के (झोटवाड़ा) क्षेत्र की शिवपुरी

(श्री कुबेरसिंह)

कॉलोनी में कालवाड़ रोड पर विभाग की पानी की मेन लाइन जो पुरानी भी है, प्लाटों के नीचे से निकल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में वहां के निवासियों द्वारा मेन लाइन हटाने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र दिए गए हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ये सभी कनेक्शन कालवाड़ रोड़ पर मेन पाइप लाइन डालकर प्लाटों के नीचे से निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं, मेन लाइन हटाने हेतु विभाग को निवासियों से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(3) कालवाड़ रोड पर पेयजल वितरण हेतु पाइप लाइन डालने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

बीरमसर (चूरू) में स्वीकृत पी. एस.पी. कनेक्शन्स

323. श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीरमसर तहसील रतनगढ़, जिला चूरू में गत दो वर्ष पूर्व पी.एस.पी. स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कहां–कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ स्वीकृत स्थानों पर आज तक पी.एस.पी. कनेक्शन चालू नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो इन्हें अब कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ नए पी. एस. पी. कनेक्शनों की विभाग द्वारा और स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कहां–कहां ?

(4) क्या पूर्व में स्वीकृत पी.एस.पी. का कनेक्शन कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कहां–कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें। शेष रहे पी.एस.पी. कनेक्शनों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। उल्लेखित ग्राम में वर्ष 1993 में स्वीकृत एक सार्वजनिक नल, एक व्यक्ति श्री सवाई सिंह कि घर के निकट लगाये जाने हेतु चिन्हित किया गया था ।

(2) जी हां। उपरोक्त स्वीकृत सार्वजनिक नल को वहां रहने वाले परिवारों में आपसी विवाद होने के कारण चालू नहीं किया जा सका है। विवाद का निपटारा होने के पश्चात् इसे चालू कर दिया जायेगा।

(3) जी नहीं ।

(4) ग्रामों में पूर्व में स्वीकृत तीन विभागीय भूतल जलाशयों एवं पंचायत द्वारा निर्मित दो जलाशयों को मय सार्वजनिक नलों

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के पाइप लाइन से जोड़ कर चालू किये जा चुके हैं। केवल एक सार्वजनिक नल को आपसी विवाद के कारण चालू नहीं किया जा सका है। विवाद हल हो जाने के पश्चात् इसे भी चालू कर दिया जायेगा ।

जयपुर में राज्य कर्मचारियों/ अधिकारियों को आबंटित सरकारी आवासों की मरम्मत

324. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु राजकीय आवास के मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या इस बाबत सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या, और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अल्प एवं कम आय वर्ग के राज्य कर्मचारियों के आवास भवनों के रख–रखाव की तुलना में उच्च आय वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के मकानों के रख–रखाव हेतु अत्यधिक राशि व्यय की जा रही है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि आवास श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय के भवनों के रख–रखाव हेतु एक वर्ष में एक लाख रुपयों से भी अधिक व्यय किया जाता रहा है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में जिन भवनों के रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु राशि रुपये एक लाख से अधिक व्यय की गई, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उच्च स्तर के आवास के रख–रखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति से अधिक व्यय करने एवं छोटे स्तर के आवासों की छोटी–छोटी मूल भूत समस्याओं को भी उपेक्षा करने संबंधी भेदभाव पूर्ण नीतियों को सुधारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे एवं कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर में राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु राजकीय आवास के मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है इस बाबत सरकार द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। परिशिष्ट "अ"

(2) जी नहीं, अल्प एवं कम आय वर्ग के राज्य कर्मचारियों के आवास भवनों एवं उच्च आय के कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासों के रख–रखाव हेतु राशि का व्यय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने की चेष्टा की जाती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे मकान की उम्र, एवं उसकी स्थिति को ध्यान में रख कर मरम्मत की राशि व्यय की जाती है।

(3) आवास श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय के 15 भवनों के रख–रखाव हेतु एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक व्यय किया गया। संबंधित सूची संलग्न है। परिशिष्ट "ब"

(4) विभाग द्वारा उच्च स्तर एवं छोटे स्तर के आवासों के रख–रखाव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का ही पालन किये जाने की कोशिश की जाती है ।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु आबंटित राशि

325. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के प्रत्येक जिले को पिछले दो वर्षों में सड़कों की मरम्मत व रख–रखाव के लिये कितनी–कितनी राशि आबंटित की गई ?

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की सड़कों के रख–रखाव व मरम्मत हेतु वर्ष 1993–94 व 1994–95 में कुल कितनी राशि आबंटित की गई ? क्या यह सही है कि उक्त धन राशि का आबंटन सड़कों के आधार पर किया गया ? यदि हां, तो किस–किस सड़क पर कितनी–कितनी राशि आबंटित की गई व उन पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले के वर्ष 94–95 एवं 95–96 में सड़कों के मरम्मत व रख–रखाव के लिए जो राशि आबंटित की गई थी उसकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की सड़कों के रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु वर्ष 1993–94 में रु. 51.52 लाख व 1994–95 में रु. 48.27 लाख आबंटित किये गये थे । जी नहीं । सड़कों के रख–रखाव व मरम्मत मद में साधारण मरम्मत का बजट एक मुश्त जिले में सड़कों की लम्बाई के अनुपात में आबंटित किया जाता है तथा विशेष मरम्मत एवं रिनुअल का बजट सड़कों की रिपेयर की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। सड़क वार आबंटित राशि व उस पर व्यय की गई राशि की सूची परिशिष्ट "ब" में संलग्न है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

प्रतिनियुक्ति पर गये प्राध्यापक

326. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय महाविद्यालयों के कितने व कौन–कौन प्राध्यापक विभिन्न सरकारी विभागों में कब–कब से प्रतिनियुक्ति पर है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रतिनियुक्तियों का क्या औचित्य है ?

(3) क्या उक्त प्रतिनियुक्तियों से अध्यापन कार्य में कोई बाधा आई है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) विभिन्न विभागों द्वारा चाहे जाने पर व्याख्याताओं की सेवाऐं प्रतिनियुक्ति पर उन विभागों को उपलब्ध कराई जाती है । इससे एक और विभागों की आवश्यकता की पूर्ति होती है वहीं दूसरी और व्याख्याताओं के प्रायोगिक एवं व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है जो बाद में अध्यापन में लाभकारी होती है ।

(3) जी, नहीं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें ।)

राजस्थान विश्वविद्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित आवास

327. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए किस–किस श्रेणी के कितने आवास हैं ? इन मकानों के आबंटन एवं विशेष आबंटन के क्या नियम हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त मकानों का आबंटन कब से किस–किस को किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जयपुर में अपने निजी आवास हैं क्या उन्हें भी आवास आबंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में अधिकारियों के 9 मंत्रालियक कर्मचारियों के 40 व सहायक कर्मचारियों के 138 आवास उपलब्ध हैं । आवास आबंटन नियम की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) आबंटन सूची (अधिकारियों, मंत्रालयिक कर्मचारियों व सहायक कर्मचारियों) की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जयपुर में अपने निजी आवास है उन्हें आवास आबंटित नहीं किये जाते हैं तथा इसकी पुष्टि हेतु समस्त आवास आबन्टियों से रुपये 10/–के नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित करवा कर घोषणा/शपथ पत्र लिया जाता है कि उनके पास जयपुर शहर में अपना निजी आवास नहीं है ।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

पी.एम.टी. परीक्षा का आयोजन

328. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विगत पांच वर्षों से पी.एम.टी. परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है ? प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा के आयोजन के प्रभारी व्यक्ति का नाम तथा विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विश्वविद्यालय द्वारा इस परीक्षा के आयोजन के लिए किसी एक व्यक्ति को ही प्रभारी बनाया गया अथवा इस परीक्षा के आयोजन के लिए किसी समिति का गठन किया गया ? किसी एक व्यक्ति को प्रभारी बनाने अथवा परीक्षा के आयोजन के लिए कोई समिति गठित करने का निर्णय क्या विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट द्वारा लिया गया ? यदि हां, तो सिण्डीकेट के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) विश्वविद्यालय में विगत पांच वर्षों में पी.एम.टी. परीक्षा के आयोजन के शुल्क के रुप में कितनी राशि एकत्रित की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) वर्षवार पी.एम.टी. परीक्षा के आयोजन में कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(5) प्रत्येक वर्ष पी.एम.टी. परीक्षा के आयोजन में कितनी–कितनी राशि, किस–किस मद में व्यय की गई ? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या पिछले पांच वर्षों में पी.एम.टी. परीक्षा के आयोजन में हुए व्यय के पश्चात् इस परीक्षा के लिए संबंधित वर्ष में एकत्रित हुए शुल्क में से कोई राशि बची है ? यदि हां, तो कितनी ?

(7) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पी. एम.टी. की परीक्षा के आयोजन में हुई बचत की राशि का व्यय किस के द्वारा किस मद में तथा किस निकाय की अनुमति से किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(8) क्या पिछले पांच वर्ष में पी.एम.टी. परीक्षा के आयोजन में परीक्षा शुल्क के रुप में एकत्रित की गई राशि व्यय का प्रति वर्ष अंकेक्षण करवाया गया ? यदि हां, तो अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि अंकेक्षण नहीं करवाया गया तो अंकेक्षण न कराने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1992, 1993,1994 में प्रोफेसर आर.एन. सिंह. निदेशक, पोद्दार प्रबन्ध संस्थान पी.एम.टी. परीक्षा के परीक्षा नियन्त्रक थे। वर्ष 1995, 1996 में डॉ. अंजिला सक्सैना, कार्यकारी निदेशक, पौद्दार प्रबन्ध संस्थान में पी.एम.टी. परीक्षा नियन्त्रक के रुप में कार्य किया है।

(2) निदेशक, पौद्दार प्रबन्ध संस्थान को पी.एम.टी. परीक्षा हेतु कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारी (नियन्त्रक) बनाया गया था तथा परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु प्रभारी द्वारा प्रति वर्ष वरिष्ठ अध्यापकों की समिति बनाई जाती है। इसके लिए सिण्डीकेट द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) विगत चार वर्षों में (1992 से 1995) में शुल्क के रूप में कुल रु. 1,71,36,906.00 की राशि एकत्रित की गई है । वर्षवार विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(4) पी.एम.टी. परीक्षा में गत चार वर्ष में कुल खर्च रु. 85,51,357.00 हुआ। वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(5) खर्च का वर्षवार मदवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(6) जी हां, गत चार वर्षों में बची हुई राशि रुपये 85,85,549.00 है ।

(7)बची हुई राशि रु. 85,85,549.00 में से रुपये 82,30,166.00 विश्वविद्यालय को भेजा जा चुका है। शेष राशि रुपये 3,55,343.00 बैंक में शेष हैं। यह विश्वविद्यालय के आय के रूप विश्वविद्यालय के सामान्य खाते में जमा कर दी गई है।

(8) जी नहीं ।

विश्वविद्यालय में वर्ष 1992–93, 1993–94 की अंकेक्षण चल रहा है । यह कार्य सम्पन्न होते ही पी.एम.टी. परीक्षा के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य करवा लिया

(उच्च शिक्षा मंत्री)

जायेगा वर्ष 1996 की पी.एम.टी. के परिणाम के पश्चात् इसी कम से वर्ष 1996 के आय–व्यय का अंकेक्षण करवा लिया जावेगा ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (जयपुर) के अनुरेखक पद

329. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर में अनुरेखक के पद की प्रोविजनल वरिष्ठता तय करने के सिद्धांत/नियम क्या हैं एवं अनुरेखक के पद की सीधी भर्ती के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर द्वारा अनुरेखक के पद पर प्रसारित प्रोविजनल वरिष्ठता सूची क्रमांक 14216–49 दिनांक 22–9–95 में श्री सुरेश माथुर को श्री मनोहर लाल से वरिष्ठता के क्रम में स्थान पहले किन नियमों के अन्तर्गत दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अनुरेखक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति होने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश रजिस्टर्ड डाक अथवा साधारण डाक से भिजवाये जाते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) विभाग में नियुक्त श्री सुरेश माथुर को एवं श्री मनोहर लाल चौधरी को अनुरेखक के पद के आदेश किस–किस प्रकार से भेजे गये ? क्या सूचना नियमानुकूल थी ?

(5) क्या नियुक्ति के पश्चात् उपस्थिति देते समय अधिकृत राजकीय चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या श्री सुरेश माथुर ने स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया था ?

उत्तर

(1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान में अनुरेखक का पद अधीनस्थ सेवा संवर्ग में आता है तथा उनकी वरिष्ठता/प्रोविजनल वरिष्ठता राजस्थान अधीनस्थ सेवायें (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है । अनुरेखक के पद की सीधी भर्ती के नियम की सारांश फोटोप्रति परिशिष्ट –1 पर संलग्न है ।

(2) विभाग द्वारा जारी की गई प्रोविजनल वरिष्ठता सूची कमांक: 14216 – 49, दिनांक: 22 – 9 – 95 में श्री सुरेश कुमार माथुर को श्री मनोहर लाल चौधरी से वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा गया जिसका कारण विभाग में उनके कार्यग्रहण की तिथि है। श्री सुरेश कुमार माथुर ने विभाग में दिनांक: 5 – 9 – 91 को तथा श्री मनोहर लाल चौधरी ने दिनांक: 6 – 9 – 91 को अनुरेखक के पद पर कार्यग्रहण किया ।

प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी करने के पश्चात् विभाग द्वारा अन्तिम वरिष्ठता सूची आदेश क्रमांक: 7281 – 35, दिनांक: 6 – 4 – 96 के द्वारा जारी की गयी।

(36)

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री)

इस अन्तिम वरिष्ठता सूची में दर्शायी गयी अपनी स्थिति के विरुद्ध श्री मनोहर लाल चौधरी तथा दो अन्य कर्मचारी श्री राजेश छंगाणी एवं श्री सुशील कुमार दाधीच द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये, जिनका परीक्षण किया जाकर, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1960 के प्रावधान अनुसार दिनांक: 5.7.96 को क्रमांक: 12888 – 12113 के द्वारा संशोधित अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी। इसकी प्रति परिशिष्ठ – 2 पर संलग्न है।

(3) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिगत रूप से ले जाने वालों को हाथों–हाथ या साधारण डाक से भेजने की प्रक्रिया अपनायी जाती है ।

(4) कुल 6 अनुरेखकों के नियुक्ति आदेश दिनांक: 4–9–91 को प्रसारित किये गये। उसमें से तीन व्यक्ति सर्वश्री (1) राजेश छंगाणी (2) सुरेश कुमार माथुर (3) राजेन्द्र कुमार ने आदेश व्यक्तिगत रुप से प्राप्त किये तथा तीन व्यक्ति सर्वश्री (1) मनोहर लाल (2) सुनील पंवार तथा (3) गजेन्द्र सिंह को दिनांक: 5–9–91 को डाक द्वारा नियमानुसार भेजे गये ।

(5) राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के पश्चात् कार्यभारग्रहण करते समय अधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। श्री सुरेश कुमार माथुर ने मेडिकल ज्युरिष्ट, एम.जी. हॉस्पिटल, जोधपुर का प्रमाण पत्र क्रमांक: 1371, दिनांक: 4–9–91 का प्रस्तुत किया है।

(फोटोप्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

चम्बल सिंचित क्षेत्र में नहरों की विचाराधीन योजना

330. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में बनी नहरें काफी पुरानी एवं जीर्ण–शीर्ण हालत में होने के कारण उस के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की आवश्यकता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा नहरों की मरम्मत एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में दीर्घकालीन योजना के लिए राशि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि के और उक्त प्रस्ताव कब से विचाराधीन है तथा विचाराधीन प्रस्तावों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) चम्बल क्षेत्र की नहरें वर्ष 1956 से 1971 तक बनी थी तथा क्षेत्र में अधिक वर्षा व चिकनी मिट्टी होने के कारण तथा रख–रखाव हेतु आवश्यकता के अनुरुप धनराशि उपलब्ध न रहने के कारण नहरों की स्थिति उपयुक्त स्तर की नहीं है ।

(2) जी हां, यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र की 9 वितरिकाओं की मरम्मत एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में 4112 लाख रु. के प्रस्ताव नेशनल वाटर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट के तहत विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को 3.8.94 को प्रेषित किये गये थे। इन प्रतिवेदनों की भारत सरकार से अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। विश्व बैंक से

(सिंचाई मंत्री)

सहायता प्राप्त करने हेतु भी इन कार्यों को प्रस्तावित "वाटर रिर्सोसेज कन्सोलिडेशन प्रोजेक्ट" के तहत सम्मिलित करने हेतु नामजद किया गया है ताकि नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुधारे गए जल प्रबन्ध के काम को इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के तहत कराया जा सके। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भिक दौर में है। राज्य सरकार सभी सम्भावित स्त्रोतों से नहरों के आधुनिकीकरण हेतु राशि प्राप्त करने के प्रयास करने को इच्छुक है।

साथ ही प्रतिवर्ष मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु अधिक राशि उपलब्ध कराने के प्रयास कराये जाते है एवं नहरों के सही रूप से चलाने हेतु कुछ छोटे उपाय भी लिए जाते रहे है जिनमें कुछ माइनरों का जल उपयोग समितियों द्वारा रीहेबिलिटेशन भी शामिल है।

भीलवाड़ा के बांध/तालाबों की बकाया राशि का प्रकरण

331. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) एवं **श्री राम रिछपाल नुवाल** (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले में किस–किस बांध व किस–किस तालाब की कितनी–कितनी सिंचाई की राशि आज तक बकाया है ?

(2) इतने लम्बे समय से इतनी बड़ी राशि सिंचाई की बकाया रहने का क्या कारण है ?

(3) क्या विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से उक्त राशि लम्बे समय से बकाया चली आ रही है ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) सरकार अब कब तक उक्त समस्त वसूली कर लेगी ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वे बांध जिनकी सिंचाई कर वसूली इस विभाग द्वारा की जाती हैं, की बांध/तालाब वाइज बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं ।

(2) बकाया की राशि में अधिकांश रकम पिछले दो वर्षो की हैं। इसका प्रमुख कारण निरन्तर सूखे की स्थति हैं। अधिकांश बांधो /तालाबों से एक पान जल उपलब्ध होने से काश्तकार को पूर्ण उत्पादकता नही मिलने के कारण काश्तकारों की माली हालत कमजोर होना हैं। वर्ष 1967 से 1995 की अवधि में लगभग 9–10 वर्ष अकाल से प्रभावित रहे हैं।

पुराने खातों के पारिवारिक बंटवारे के नये भागीदार पुरानी सम्मिलित बकाया राशियां जमा कराने में तत्पर नहीं होने के कारण।

कुछ परियोजनाओं की कृषि भूमि आबादी सीमाओं में होने से व भूमि का प्लाटों में बेचान हो जाने व मूल खातेदारों के अन्यत्र चले जाने के कारण।

(3) अधिकारी/कर्मचारी इसके लिये दोषी नहीं हैं अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जानी हैं।

(सिंचाई मंत्री)

(4) सिंचाई की बकाया वसूल करने योग्य राशि को आगमी 3 वर्षों में वसूल के प्रयास किए जायेगें।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

राजसमंद के सिंचाई तालाबों हेतु स्वीकृत राशि में बढ़ोतरी

332. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षो के दौरान राज्य में सिंचाई विभाग के लघु सिंचाई तालाबों व उनकी नहरों की मरम्मत हेतु किस–किस जिले को कितनी–कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत पांच वर्षो में राजसमंद जिले के आबंटित लघु सिंचाई तालाबों की मरम्मत की राशि को किस–किस पंचायत समिति के किस–किस तालाब पर कितनी–कितनी व्यय की गई ?

(3) क्या सरकार राजसमंद जिले में करोड़ों की लागत से बने तालाबों की दयनीय स्थिति को देखते हुए जिले की मरम्मत की राशि में समुचित बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षो के दौरान मरम्मत हेतु राशि सिंचाई खण्ड वार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध हैं ।

(3) मरम्मत राशि को बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगें ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

पुलिस थाना कोतवाली एवं थाना पुरानी टोंक के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

333. **श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994 से मई, 1996 तक पुलिस कोतवाली टोंक एवं थाना पुरानी टोंक में पुलिस कर्मियों द्वारा शराब पीकर गाली–गलोच, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किन किन के विरूद्ध तथा इस सम्बन्ध में इन व्यक्तियों के विरूद्ध विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ? शिकायत की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हीं पुलिस कर्मियों की टोंक जिले के अन्य थानों में भी इसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कहां–कहां, किन–किन के विरुद्ध एवं कब–कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जो पुलिस कर्मी इस प्रकार के आचरण करने के आदि हो चुके हैं,उनके खिलाफ

(श्री जगदीश प्रसाद मीणा)

विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जो पुलिस कर्मचारी/अधिकारी इस प्रकार के आचरण करते हैं उनका डाक्टरी मुआयना करवाकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाती है। पुलिस कर्मियों/अधिकारियों द्वारा मद्यपान कर अनुचित आचरण को रोकने के लिए महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर का एक प्रपत्र दिनांक 18/19 जून 1996 को जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है ।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

पुलिस थाना रेनवाल (जयपुर) के अभियोग संख्या 35/96 का जांच प्रकरण

334. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर के वर्तमान सांसद द्वारा पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को अभियोग संख्या 35/96 थाना रेनवाल, जिला जयपुर ग्रमीण के अनुसंधान में भारी अनियमितताओं के संबंध में मई 1996 को पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उक्त पत्र की प्रति मय की गई कार्यवाही के सदन मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त पत्र के संबंध में सीकर के सांसद को कोई जवाब भेजा गया ? यदि हां, तो उसकी प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के आदेशानुसार अभियोग सं. 35/96 थाना रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण का अनुसंधान, विशेष अनुसंधान शाखा जयपुर शहर द्वारा किया गया ? इसके निष्कर्ष व लोक अभियोजक द्वारा इस पर की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त निष्कर्ष एवं टिप्पणी में इस मामले के पूर्व अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दूदू के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब क्या कोई कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां । पत्र की छाया प्रति संलग्न है । उक्त पत्र प्राप्त होने पर पुलिस महानिदेशक द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज प्रथम तथा पुलिस अधीक्षक जयपुर को उक्त अभियोग के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर निर्देश दिये थे । तत्पश्चात् उप महानिरीक्षक पुलिस रेंन्ज प्रथम द्वारा श्री मधसूदन सिंह अति. पुलिस अधीक्षक जयपुर पश्चिम को दि. 4.6.96 को अन्वेषण के सत्यापन एवं जांच करने के निर्देश दिये गये । प्रकरण का उनके द्वारा अनुसंधान जारी है ।

(2) अभियोग का अनुसंधान लम्बित होने के कारण अभी सांसद को उत्तर नहीं भेजा गया है ।

(गृह मंत्री)

(3) जी हां। प्रभारी विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा सहायक लोक अभियोजक से ब्रीफ बनवाया गया। ब्रीफ की प्रति संलग्न है।

(4) उक्त अभियोग अन्वेषणाधीन है। पूर्व अनुसंधान अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक दूदू के विरुद्ध अन्वेषण पूर्ण होने पर ही यह निर्णय किया जा सकता है ।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

पुलिस थाना पुरानी टोंक में दर्ज कत्ल का मुकदमा

335. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी** (नावां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना पुरानी टोंक में दिनांक 16 जून, 1996 की रात्रि में कत्ल किये जाने के संबंध में कोई एफ.आई. आर. दर्ज की गई है ? यदि हां, तो किस मुकदमा संख्या के तहत ? एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस वारदात में किन–किन व्यक्तियों को आरोपित किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि आरोपित किये गये व्यक्तियों में से एक श्री जैमुदीन वारदात के समय मौके पर न होकर मनोहरपुर में था ? यदि हां, तो फिर उसका नाम आरोपियों में किस प्रकार सम्मिलित किया गया ? क्या सरकार न्यायहित में इस संबंध में कोई जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) थाना पुरानी टोंक पर 16.6.96 रात्रि को बाबरों का चौक हाजी कपड़े वाले की दुकान के सामने घटित घटना के संबंध में श्री राहतनूर पुत्र मोहम्मद नूर की रिपोर्ट पर एक हत्या का प्रकरण सं. 90/96 धारा– 302, 120 बी, 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध किया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट "क"

(2) उक्त प्रकरण में चार अभियुक्त मोइनुदीन पुत्र बहुरुदीन, जेईनुदीन पुत्र जहरुदीन, बदरुदीन पुत्र जहरुदीन, फारुक पुत्र बदरुदीन, मुसलमान नि. बाबरों का चौक,पुरानी टोंक को आरोपित/नामजद किया गया है ।

(3) परिवादी श्री राहतनूर व घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह महमूद व हबीब ने जैनुदीन को घटना स्थल पर होना व वारदात में शामिल होना अपने बयानों में बतलाया हैं । प्रकरण का अनुसंधान उप अधीक्षक द्वारा कराया जा रहा है । अनुसंधान से पाये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

थाना कठूमर (अलवर में) पदस्थापित पुलिसकर्मी के विरुद्ध जांच

336. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) थाना कठूमर (अलवर) में वर्तमान में कौन–कौन पुलिसकर्मी कब से कार्यरत है ?

(श्री कुबेर सिंह)

कार्यरत पुलिस कर्मियों की सूची नाम पते सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त थाने में कार्यरत श्री कैलाश चन्द शर्मा, हवलदार निवासी लीली जो अपराधवृत्ति के व्यक्तियों से मिला हुआ है उन्हें संरक्षण देकर अपराध करवाता रहता है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त हवलदार के विरुद्ध विभागीय जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) थाना कठूमर (अलवर) में वर्तमान में पदस्थापित पुलिसकर्मियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

मतदाता परिचय पत्रों के संबंध में प्राप्त शिकायतें

337. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता परिचय पत्र बनाये जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था ? यदि हां, तो किस–किस जिले में कितनी–कितनी राशि व्यय की जाकर कितना–कितना कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है ? शेष रहा कार्य सरकार अब कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को परिचय पत्रों में फोटो अस्पष्ट होने एवं विवरण गलत होने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? क्या सरकार इन त्रुटियों को सुधारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । पहचान पत्रों के पेटे फर्मो को किये गये भुगतान का जिलवार विवरण तालिका "क" में उपलब्ध है। फोटो खींचने का कार्य 78.83 प्रतिशत पूरा हो गया है । जिसमें से 74.17 प्रतिशत कार्ड तैयार किये जाकर संबंधित ठेकेदार फर्मो ने संबंधित रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन पदाधिकारियों को उपलब्ध करायें हैं जिनमें से 58.05 प्रतिशत का वितरण मतदाताओं को किया जा चुका है। विवरण तालिका "ख" संलग्न है । शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के इस संबंध में निर्देश हैं कि फोटो अस्पष्ट हो या परिचय पत्र में कोई प्रविष्टि गलत दर्ज की गई हो तथा उस ठेकेदार फर्म की तरफ से कार्यवाही गलत हुई है तो वे अपने खर्चे पर ठीक कर उपलब्ध कराएंगे और यदि निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि गलत पत्र में कोई गलत होने के कारण परिचय मुद्रण हो तो उसे सरकार के खर्चे पर सही करवा कर उपलब्ध करवाया जायेगा। इसमें समय सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। चूंकि जैसे–जैसे परिचय पत्रों का वितरण किया जायेगा

(निर्वाचन मंत्री)

उसके उपरान्त ही त्रुटियां संबंधित रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को निर्वाचकों बतायी जायेंगी तथा तदुपरान्त उन्हें सही कराया जा सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र मकराना (नागौर) में खनिज विभाग द्वारा निर्मित सड़कें

338. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में कहां–कहां कौन–कौन सा खनिज निकलता है,और उससे सरकार को कितनी वार्षिक आय होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य को अत्यधिक खनिज आय होने के बाद भी विधान सभा क्षेत्र मकराना में अब तक खनिज विभाग की ओर से क्या कोई सड़क बनाई गई ? यदि हां, तो कौन सी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में निकलने वाले खनिज एवं उनसे प्राप्त आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दिया गया है ।

(2) जी हां। मकराना क्षेत्र में विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में दिया गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

जिला अलवर के राजकीय चिकित्सालय/अस्पतालों में रोगी वाहन/एक्स–रे मशीन

339. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर स्थित किस–किस राजकीय अस्पताल में एक्सरे मशीनें कब–कब से उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जिला अलवर के रेफरल अस्पताल, रामगढ़ में माननीय मंत्री महोदय द्वारा एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने के आदेश तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये गये थे । यदि हां, तो अब एक्सरे मशीन रामगढ़ रेफरल अस्पताल में कब तक उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है ?

(3) जिला अलवर के किस–किस राजकीय अस्पताल में एम्बुलेंस (रोगी वाहन) सुविधा कब–कब उपलब्ध कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) रेफरल अस्पताल रामगढ़ (अलवर) में क्या आज की तिथि में रोगी वाहन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो कब तक यह सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ में एक्स–रे रूम व डार्क रूम के निर्माण

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

की स्वीकृति वर्ष 1995–96 में जारी की जा चुकी है । उक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एवं समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर एक्स–रे मशीन उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

चिकित्सा महाविद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण

340. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों के चयन किये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा महाविद्यालयों में पहले से कार्यरत अस्थायी शिक्षकों को स्थायी किये जाने के परिपेक्ष्य में आयोजित की गई थी, या सभी अभ्यर्थियों के लिए ? उक्त परीक्षा में नये अभ्यर्थी भी सम्मिलित हुये थे तो पहले से वर्षो कार्यरत अस्थायी शिक्षकों की वरिष्ठता को निर्धारण का आधार क्या रहा ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण अन्य शिक्षण महाविद्यालयों तथा आयुर्वेद चिकित्सकों/शिक्षकों की भांति किये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या अस्थायी चिकित्सा शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण उक्त घोषणा के अनुसार किया गया है ? यदि हां, तो किस रुप में ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा महाविधालयों के कुछ विषयों के शिक्षकों के चयन के सम्बन्ध में अक्टूबर, 1995 से दिसम्बर, 1995 के मध्य सवीक्षा परीक्षा आयोजित की गई थी । आयोग द्वारा शिक्षक चिकित्सकों के चयन हेतु जून, 95 से अप्रेल, 96 तक साक्षात्कार आयोजित किए गए थे ।

(2) जी नहीं। सभी अभ्यार्थियों के लिए चयन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय आंकी गई योग्यता के अनुसार ही सभी चयनित चिकित्सकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण किया गया।

(3) जी नहीं। नियमानुसार नियमित नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय प्रत्याशियों की आंकी गई योग्यता के अनुसार निर्धारित की गई चयनित चिकित्सकों की पारस्परिक वरिष्ठता को परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। आयोग द्वारा निर्धारित वरिष्ठता कम में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

नये उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना प्रकरण

341. श्री गुलाब सिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के क्या मानदण्ड है ?

(2) वर्ष 1995–95 में राज्य में 700 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रावधान के अन्तर्गत किस–किस जिले में कितने–कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या खोले गये सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के मानदण्ड इस प्रकार है :–

सामान्य क्षेत्र में 5000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मानदण्ड है ।

(2) वर्ष 1995–96 में राज्य में 700 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, जिले वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

प्रश्न संख्या 342

(स्थगित)

सीकर जिले की ग्राम पंचायतों/ नगर परिषदों में केरोसीन तेल का वितरण

343. श्री अमराराम (धोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीकर जिले के केरोसीन तेल का मासिक कोटा क्या है ? क्या सरकार इसको बढ़ाने का इरादा रखती है ?

(2) क्या सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायतवार केरोसीन तेल के डीलर नियुक्त कर रखे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार हर ग्राम पंचायत एवं नगर परिषद् के वार्डवार राशन के विक्रेता को केरोसीन डीलर बनाकर सुविधा देने का विचार रखती है ?

(4) सीकर जिले में नये केरोसीन डीलर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बनाने में पिछले एक वर्ष में क्या प्रगति की है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में सीकर जिले को 1200 किलो लीटर केरोसीन प्रतिमाह आबंटन किया जा रहा है। भारत सरकार से राज्य को पर्याप्त कोटा उपलब्ध होने पर ही सीकर जिले का कोटा बढ़ाया जाना संभव है ।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

(2) जी नहीं। जिले की हर ग्राम पंचायत में तेल केक डीलर नियुकक्त नहीं कर रखे हैं अपितु अधिकांश गांवों में केरोसीन तेल का वितरण राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के तहत अनुज्ञप्ति धारी खुदरा विक्रेता करते हैं ।

(3) सरकार का यह प्रयास है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अधिकाधिक केरोसीन तेल का वितरण कराया जाये।

(4) पिछले एक वर्ष में शहरी क्षेत्र में 4 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 इस प्रकार कुल 7 उचित मूल्य के दुकानदारों को केरोसीन वितरण के लिए अधिकृत किया गया ।

उचित मूल्य की दुकानों/सहकारी संस्थाओं के माध्यम से केरोसीन वितरण व्यवस्था

344. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में केरोसीन का वितरण उचित मूल्य की दुकानों तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सभी जिलों में यह व्यवस्था प्रभावी है?

(2) जिला सीकर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में केरासीन तेल वितरण की क्या व्यवस्था है एवं कितना केरोसीन वितरित किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि सीकर शहर में उचित मूल्य की दुकानों से केरोसीन वितरण हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार कब तक उक्त व्यवस्था लागू कर देगी?

उत्तर

(1) राज्य में केरोसीन का वितरण उचित मूल्य की दुकानों एवं राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत अनुज्ञप्तिधारी खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है ।

(2) जिला सीकर में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसीन तेल का वितरण उचित मूल्य की दुकानों, सहकारी संस्थाओं, आर.टी.ए. अनुज्ञापत्रधारकों से कराये जाने की व्यवस्था है। केरोसीन तेल पांच लीटर से 10 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड वितरित कराया जाता है ।

(3) सीकर शहर में मुख्यतः केरोसीन का वितरण आर.टी.ए. अनुज्ञापत्र धारकों एवं साथ ही उचित मूल्य दुकानदारों से कराया जा रहा है। पूर्व में जो राज. व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के अन्तर्गत केरोसीन डीलर थे उनके माध्यम से उनसे सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानों के उपभोक्ताओं को राशन कार्डों के आधार पर केरोसीन तेल का वितरण कराया जा रहा है। जिसके कारण सभी उचित मूल्य की दुकानों से केरोसीन तेल की वितरण कराया जाना सम्भव नहीं हैं ।

तहसील कोटड़ा (उदयपुर) में शैक्षणिक विकास हेतु नये छात्रावास

345. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(46)

(श्री महावीर भगोरा)

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ा तहसील उदयपुर जिले का सबसे अधिक जनजाति जन संख्या वाली तहसील है ? यदि हां, तो इस तहसील के जनजाति के छात्रों के शैक्षणिक उत्थान हेतु विभाग ने क्या–क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तहसील का साक्षरता प्रतिशत ज़िले की अन्य तहसीलों से सबसे न्यूनतम है ? यदि हां, तो साक्षरता प्रतिशत क्या है ?

(3) क्या सरकार इस तहसील म जनजाति के शैक्षणिक विकास हेतु नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां–कहां एवं कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । कोटड़ा तहसील उदयपुर जिले का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जनजाति के छात्रों के शैक्षणिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा 3 बालक एवं 2 बालिका छात्रावास कुल 5 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं :–

क.सं.	नामछात्रावास	स्वीकृत छात्र सं.	भवन
1–	राजकीय बालक छात्रावास, कोटड़ा	125	राजकीय भवन
2–	राजकीय बालक छात्रावास, झेड	25	किराये का
3–	राजकीय कन्या छात्रावास, कोटड़ा	25	राजकीय भवन
4–	राजकीय कन्या छात्रावास, मैरपुर	25	राजकीय भवन
5–	अनुदानित बालक छात्रावास, कोटड़ा	25	संस्था का निजी भवन

विभाग द्वारा राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक छात्रवृति जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्वीकृत की जाती है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु कार्य कर रहा है।

(2) जी हां। कोटड़ा तहसील का साक्षरता प्रतिशत 8.67 है।

(3) इस तहसील में जनजाति के शैक्षणिक विकास हेतु नये छात्रावास प्रारम्भ करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा स्थान की औचित्यता पर निर्भर करेगा ।

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में संचालित योजनाओं का भौतिक सत्यापन

346. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा पंचायत समितियों तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत कोई योजनाएं चलाई जाती है ? यदि हां, तो कौन–कौन सी ? मानदंड/नियम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन योजनाओं के माध्यम से सामूहिक एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु कितनी–कितनी राशि वर्ष 1994–95 से 195–96 तक पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में प्रदत्त की गई ? योजना का नाम सहित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन योजनाओं की राशि का भौतिक सत्यापन भी किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति की गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है। योजनाओं के नियम एवं मापदंड का विवरण परिशिष्ट (1) के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है। निगम द्वारा संचालित योजनाओं का संचालन निगम के प्रत्येक जिले में कार्यरत परियोजना प्रबन्धक द्वारा किया जाता है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा नहीं।

(2) वर्ष 1994–95 एवं 95–96 में पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में विभिन्न योजनाओं में राशि प्रदत्त की गई। राशि का विवरण एवं योजनावार राशि का विवरण परिशिष्ट (2) के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, वर्ष 1994–95 की योजनाओं की राशि का पंचायत समिति जहाजपुर में 10 प्रकरणों में और कोटड़ी में 3 प्रकरणों में भौतिक सत्यापन किया गया। राशि के दुरुपयोग की कोई जारकारी नहीं पाई गई। वर्ष 1995–96 की योजनाओं के भौतिक सत्यापन हेतु निगम ने मापदण्ड निर्धारित किये हैं जिनके अनुसार भौतिक सत्यापन अब किया जा रहा है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

समाज कल्याण बोर्ड निम्बाहेड़ा में कार्यरत कर्मियों का बकाया प्रकरण

347. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समाज कल्याण बोर्ड के अधीन कार्यरत समाज कल्याण योजना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन किस–किस माह का कितना–कितना बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं अब बोर्ड द्वारा जयपुर में ही रखी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों के उपार्जित एवं रूपान्तरित अवकाश पर रहने की स्थिति में उन्हें अपना प्रार्थना पत्र जयपुर स्थित कार्यालय में देना पड़ता है ? क्या पूर्व में यह स्वीकृति वहां के कार्यालय के स्तर पर ही हो जाती थी ? क्या सरकार कर्मचारियों को हो रही असुविधा का निराकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि कर्मचारियों को भेदभाव पूर्ण तरीके से वेतन का भुगतान किया जाता रहा है ? जनवरी, 1995 से मई, 1995 तक किस–किस कर्मचारी को कितना–कितना वेतन किस–किस तिथि को भुगतान किया गया तथा संबंधित ड्राफ्ट जयपुर स्थित कार्यालय से कब प्राप्त हुआ ? इसमें विलम्ब, अनियमितता एवं भेदभाव पूर्ण तरीके से वेतन के वितरण के लिए कौन दोषी है एवं उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण बोर्ड के अधीन कार्यरत समाज कल्याण योजना, निम्बाहेड़ा में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है ।

(2) जी हां। परियोजनाओं द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें नियमित एवं सुचारु रुप से संचालित नहीं किए जाने के कारण केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली के अ.शा. पत्र क्रमांक एफ–16(6)(88) पी. दिनांक 19.10.94 के प्रथम अनुच्छेद के आधार पर सेवा पुस्तिकाएं बोर्ड कार्यालय, जयपुर में मंगवाई गई है। परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) जी नहीं। कर्मचारियों को उपार्जित एवं रूपान्तरित अवकाश प्रार्थना पत्र सम्बन्धित योजना कार्यालय से अभिशंसा के साथ राज्य बोर्ड, जयपुर को भिजवाया जाता है। अवकाश प्रस्थान की अनुमति सम्बन्धित योजना कार्यालय द्वारा दी जाती है। अतः कर्मचारी को अवकाश प्राप्ति में कोई असुविधा नहीं होती है।

(4) जी हां। जनवरी, 1995 से मई, 1995 तक कर्मचारियों को दिए गए वेतन का विवरण परिशिष्ट 1 से 8 तक संलग्न है। दिनांक 16.5.96 को संबंधित योजना को डाफ्ट प्राप्त हुआ जिसका भुगतान 31.6.96 को कर्मचारियों को किया गया।

राज्य बोर्ड, जयपुर से प्राप्त विवरण के अनुसार वेतन भुगतान में एकरूपता नहीं पाई गई है ।

अनियमितता एवं भेदभाव पूर्ण तरीके से वेतन के विवरण के लिए कौन दोषी है, इस प्रकरण की सम्पूर्ण जांच मुख्य लेखाधिकारी समाज कल्याण विभाग से शीघ्र करवाली जाएगी। तथा जांच में दोषी व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 348

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के राहत कार्य

349. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में राहत एवं मजदूरी उपलब्ध कराने के लिए विभाग वार कार्य स्वीकृति की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रत्येक स्वीकृत कार्य की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) स्वीकृत अधूरे कार्य को पूरा कराने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट–"क")

(2) विवरण संदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–"क")

(3) अधूरे अकाल राहत कार्यों को

(राज्य मंत्री, अकाल राहत)

विभागीय बजट से अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हुए है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

जिला अजमेर के राहत कार्यों में लगे मजदूरों को भुगतान

350. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में अकाल राहत कार्यों के तहत अजमेर जिले में कुल कितनी राशि के राहत कार्य करवाये गये ? विवरण विधान सभा क्षेत्रानुसार सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त समयावधि में अकाल राहत कार्यों पर कुल कितने मजदूरों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया और कितनी राशि का भुगतान अभी किया जाना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करने का विचार रखती है कि अकाल राहत कार्यों पर कार्यरत मजदूरों को उनकी मजदूरी का समय पर भुगतान हो सके ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में अकाल राहत कार्यों के तहत अजमेर जिले में करवाये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"एक")

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–"दो")

(3) जी हां। जिला कलेक्टरों को समय पर भुगतान करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–17 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मिम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत एवं 35 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में बिजली की कमी, उत्पादन इकाइयों की स्थापना की थोथी घोषणाएं तथा किसानों को कृषि कनेक्शन दिये जाने की नीतियों में बार–बार बदलाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की तहसील लालसोट के ग्राम गुढा–सम्पतपुरा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भू–आबंटन किये जाने के बावजूद उनको कब्जा नहीं दिलवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा ।

(श्री अध्यक्ष)

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री भीमसेन चौधरी एवं श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति भयंकर रूप से बिगड़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में हरिजन महिलाओं आदि पर अत्याचारों की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस प्रशासन के निष्क्रिय बने रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री भीमसेन चौधरी एवं श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से एस.पी. मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल पी.बी.एम. के रेजीडेंट डाक्टर्स के साथ मारपीट एवं नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करने से डाक्टर्स में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री बनवारी लाल बैरवा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील देवली के ग्राम उथरणा में दिनांक 13.6.96 की रात को एक अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सीकर के थाना सदर फतेहपुर में दर्ज एफ.आई. आर. संख्या 70/96 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगापुर सिटी स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के एक कनिष्ठ लिपिक द्वारा स्टाफ से तंग आकर आत्महत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री भीमराज भाटी एवं 11 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली में पिछले दिनों छोटे–मोटे पूंजी निवेशकों से शेयरों में पूंजी लगवाकर उनको लाभ दिलाने का धोखा करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हीरालाल विश्नोई एवं श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर थाना क्षेत्रान्तर्गत दो वर्ष पूर्व एक अध्यापक किसनाराम हत्याकाण्ड प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यों को आज पुलिस एवं कारागार विभाग की मांग पर चर्चा के समय प्रस्ताव में उल्लेखित विषयवस्तु के सम्बन्ध में बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजना 'जनता जल' में लगाये गये हैल्पर व मेन्टीनेन्स चार्जेज बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

(श्री अध्यक्ष)

(2)श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास,सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर लिफ्ट नहर निर्माण में उपकरण खरीदने में बरती गयी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में ।

(3) श्री भंवर सिंह डांगावास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के कृषि महाविद्यालयों में महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण करवाकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये अधिक से अधिक अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

(4) श्री किशन मोटवानी , सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले में अकाल राहत कार्यों में एक सरपंच से मस्टररोल छीने जाने और उसे अकाल राहत कमेटी से हटा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(5) श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य,विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में रोडवेज द्वारा संचालित कतिपय पूर्व सेवाओं को समाप्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(6) श्री मोहनलाल बारूपाल , सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर की तहसील जायल की कतिपय सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(7) श्री प्रतापसिंह सिंघवी , सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की सर्वेशुदा सिंचाई परियोजनाएं मंजूर कर उनका कार्य शीघ्र शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(8) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभाकी ओर से पंचायत समिति डूंगरपुर,आसपुर एवं अन्य पंचायत समितियों में इस वर्ष वर्षा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(9) श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में दिनांक 6 जुलाई , 1996 को सांय 4 बजे आये भयंकर तूफान , आंधी, वर्षा से हुई तबाही के सम्बन्ध में ।

(10) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना लाखेरी में दर्ज एफ.आई.आर. नम्बर 8/95 के मुल्जिमान के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करने तथा पीड़ित विधवा को सरकार की ओर से सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

(11) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला डूंगरपुर के मोरडोंगरा ग्राम पंचायत बारवाड़ा भूमि का नक्शा एवं सीमांकन करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(12) श्री फूलचन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण उदयपुर का मुख्यालय उपखंड सलूम्बर करने के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। .....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : जयपुर में फोगिंग के लिये हमने कहा था कि ... (व्यवधान)....आप डेट बताइये । आपने कहा था कि जयपुर में फोगिंग के बारे में आप डेट निर्धारित करेंगे । लेकिन अभी तक कोई डेट ...(व्यवधान).... डिसाइड नहीं की गयी है। आप तारीख उसके अन्दर तय कीजिये .... (व्यवधान).... जयपुर में फोगिंग के लिये चर्चा हेतु आप कौनसी डेट निर्धारित कर रहे हैं, आप कृपा करके, मेहरबानी करके इतना तो जरूर कीजिये । अध्यक्ष महोदय, आपने चार बार टाइम बताया लेकिन कोई डेट निश्चित नहीं की। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : रामगंज ।

श्री अध्यक्ष : एक–एक करके बोलें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज जयपुर के ....(व्यवधान).... हजारों लोग विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं ..(व्यवधान)..

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : हजारों परिवार बरबाद हुए हैं। हजारों परिवार आज भी बीमार हो रहे हैं....(व्यवधान)....राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोग भयंकर रूप से आज भी बीमार पड़े हैं।....(व्यवधान)...आप कोई चिन्ता ही नहीं कर रहे हैं । इसके बारे में क्या व्यवस्था दे रहे हैं ? .... (व्यवधान).. आप और हम तक भी आ पंहुचेगी यह।

श्री अध्यक्ष : मैं दीपेन्द्रसिंह जी, आपसे तय करके आप जो डेट चाहते हैं...

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम कहते हैं आपकी मर्जी आये जो डेट दे दीजिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : आपने यह बताया था कि ... (व्यवधान).. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय करेंगे। लेकिन बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय नहीं हुआ ... (व्यवधान)..

श्री शैलेन्द्र जोशी : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में फोगिंग के मामले में चर्चा ही नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है । इससे करीब 25 हजार व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और बीमार हैं। कोई व्यवस्था आपके माध्यम से निश्चित रूप से कर दी जाए।..(व्यवधान)...

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : यह बता दीजिये कि कब तक डेट तय कर देंगे । ... (व्यवधान)... कब समय तय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आज करेंगे। कल आपसे मिलना नहीं हो पाया था और अलग से इश्यू था आपका । आज अपन बैठ कर के बात कर लेंगे, जैसे आप कहेंगे ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आप तो बगैर मिले ही तय कर दो ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसमें हमारे भी दस्तखत हैं, हमको भी बुलाएं ।

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में मिल लेना तय कर लेंगे ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : कितने बजे की कह रहे हो आप ?

श्री अध्यक्ष : दो बजे तक ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : तारीख निश्चित हो जाएगी ?, चर्चा के लिये तिथि निश्चित करने की सूचना हमको 2 बजे तक दे देंगे आप ?.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमसे पूछ कर भी डेट तय करना । हमको भी बुला लेना, हमारे दस्तखत हैं उसके उपर। हम भी दुखी हैं इस मामले में । फोगिंग के मामले में मेरे भी दस्तखत हैं ।

श्री अध्यक्ष : जरूर–जरूर ।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पाली में करोड़ों रुपयों के शेयर घोटाले के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसमें 11–12 मैम्बर्स के सिगनेचर हैं । आपने उसमें कह दिया कि पुलिस पर चर्चा होगी तब मौका दे दिया जाएगा । शेयरों का घोटाला करोड़ों का है, पुलिस का उसमें महत्वपूर्ण रोल है लेकिन वेत्त मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण रोल है। ग्हां हजारों आदमियों से करोड़ों रुपये लूट लेये गये ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो दिया है कि ाप उस समय फरमा लें । आप विराजें ।

श्री भीमराज भाटी : मैं तो विराज ाऊंगा लेकिन ....(व्यवधान) ....

श्री अध्यक्ष : आप उस समय डिस्कस र लेना, इसमें क्या हो गया ।

श्री भीमराज भाटी : पुलिस का मामला तो कुछ है ही नहीं । पुलिस का मामला तो अलग है पुलिस का रोल अलग है । लेकिन जिनके लाखों–करोड़ों रुपये लुट गये, उनका क्या होगा ? और जो लूटने वाले हैं उनका क्या होगा ? करोड़ों रुपये लुट गये हैं और सिर्फ पाली में ही शेयर घोटाला नहीं है .....

श्री अध्यक्ष : जिसने भी धोखाधड़ी की होगी तो यह तो पुलिस की डिमांड में आएगी बात ।

श्री भीमराज भाटी : पुलिस की सीमा में अलग से आएगी लेकिन जिनके करोड़ों रुपये लुट गये पुलिस उनको पैसे वसूल कर के नहीं देगी कभी भी । जिन लोगों ने इतना बड़ा आर्थिक अपराध किया है । उस आर्थिक अपराध में आखिर में जाकर जिस पत्रकार ने मामला उजागर किया उस पत्रकार पर भी जानलेवा हमला हुआ । उसके उपर दो दफा कार चढ़ाने की चेष्टा की गयी । उसके खिलाफ अलग एफ.आई.आर. लॉज की गयी है और आपने कह दिया कि पुलिस पर डिस्कस कर लीजिये । इतने बड़े आर्थिक अपराध को अगर आप इस तरह पर्दा डालना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ पाली में ऐसे आर्थिक अपराध हुए हैं बल्कि पुरे राजस्थान में । शेयरों के घोटाले यहां पर जयपुर में भी हुए हैं । जयपुर में,चूंकि कई करोड़ों रुपयों के नकली शेयर बेचे गये हैं । पाली की तो मुझे जानकारी है इसलिये वहां ढाई करोड़ की बात है, लेकिन पूरे राजस्थान में करोड़ों का घोटाला हुआ है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस मामले को पुलिस में मत डालिये

(श्री भीमराज भाटी)

और अलग से डिस्कस करवा कर कुछ कीजिये । हम 12 लोगों ने उसके उपर अलग से सिगनेचर करके दिया है ।

श्री अध्यक्ष : अभी आप चैम्बर में मिल लेना । विराजें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की मांगों के सम्बन्ध में मैंने और लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अन्य सदस्यों की तरह वह दी थी ।

श्री अध्यक्ष : हां, वह मैंने देखा था । आपने घंटा–डेढ़ घंटा लेट दी थी ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, इन टाइम दी थी । एक दिन एडवान्स दी थी ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा था कि एक बजे तक पेश करनी थी, 2 बजकर 58 या 59 मिनट पर आपकी पेश हुई है । मैं उसको और देख लूंगा ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, हम दोनों ने परसों दी है ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमने परसों ही दी है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कल नहीं दी है, परसों दी है । हमने तो 24 घण्टे पहले दी है ।

श्री अध्यक्ष : वही तो मैं कह रहा हूं कि परसों एक बजे तक था । एक–डेढ़ घंटा लेट हो गये थे । आप विराजें ।

श्री परसादीलाल मीणा : परसों दी है, कल कहां दी है ? कल देते तो लेट होते ।

श्री अध्यक्ष : परसों एक बजे तक ही होता है ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप रूल्स देखिये । कल एक बजे तक का है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा ही है । आप बिराजें । देख लिया था । वह कर लेंगे ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव कल था जिसमें आपने यह कहा था कि सरकार का जवाब आ गया है। लेकिन मुझे दो मिनट का मौका आपने नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : कब ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कल। और दूसरा बिजनस चालू कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकारा था ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, साहब, नहीं पुकारा था ।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही आपका नाम पुकारा था । आप तो दूसरे काम में लग गये, आपको ध्यान नहीं रहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यहीं मौजूद था। आप शायद भूल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकारा था और ......

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं बोला, साहब । आपने सिर्फ इतना कहा था कि आपको दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाएगा लेकिन बोलने के लिये आपने नाम नहीं पुकारा था । कल लगवा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (औसियां) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं । जो मोशन मैंने मूव ही नहीं किया उस पर मेरे पास आज सूचना आयी है कि कल रात को निर्णय दे दिया गया है । मैंने वह मोशन मूव नहीं किया, वह लैप्स हो गया । उसके बारे में कुछ तो प्रोटेक्शन दें । मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है । इसमें जिक किया है 157 और 159 का, आपने मुझे 160 के तहत मोशन मूव करने की परमीशन नहीं दी । मोशन मूव नहीं हुआ तो वह उसी सत्र में लैप्स हो गया । और इस सत्र में कल आपने मुझे चेम्बर में बुलवाया था । उसके लिये मैं आया था तो आपने कहा कि जो मैंने शुक्रवार को मोशन दिया है उस पर सोचकर आपको अनुमति दूं या नहीं दूं, मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,विराजें आप ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय वरिष्ठ सदस्य गुलाब सिंह जी ...... लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ तो मुझे आप प्रोटक्शन दिलवाएं । यह अनहोनी घटना हुई है। इस सात पेज के आर्डर को मैंने पढ़ा, इसमें मेरे खिलाफ आपने काफी ओपिनियन्स भी दिलायीं । मैं उनको चैलेंज नहीं करता, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं । अध्यक्ष महोदय, अगर कल मेरी थोड़ी–सी सुन लेते, जो मैं आपको बार–बार 256 का अर्ज कर रहा था, थोड़ी–सी सुन लेते तो यह मसला सामने आता ही नहीं । मैं आज आपके सामने पाइंट आफ आर्डर लेकर व्यवस्था के लिये खड़ा ही नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, मैं जाऊं कहां ? आप फरमाएं तो वहां बैठ जाऊं, आप फरमाएं तो सदन के बाहर निकल जाऊं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह मेरे सदस्य बनने के सैल्फ रेस्पेक्ट का मामला है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में कल रूलिंग दे चुका हूं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, वह तो आपने दे दी । मैं उसको चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह अर्ज कर रहा हूं कि नियमों के तहत ......

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं देने की रुलिंग दी है, अग्राह्य किया है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप उसी पर रूलिंग दे सकते हैं...(व्यवधान) नहीं–नहीं, आप चाहते हैं कि ऐसे नियमों का उल्लंघन होता रहे ? जरूर करें। महावीर जी, मैंने कल रात को भी आपको यही कहा। लेकिन माननीय सदस्य उधर भी विराजमान हैं । अध्यक्ष जी, क्वेश्चन यह नहीं है कि आर्डर दे दिया । मैं आपके आर्डर को चैलेंज ही नहीं करता हूं, आप उसको विथड्रा भी मत करिये। मेरे कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन अगर मैंने मोशन ही मूव नहीं किया और आप मुझे फरमा रहे हैं, सिर्फ मेरे मोशन के प्रजेंन्टेशन पर आपने ओपिनियन दे दी, मोशन मूव नहीं हुआ तो ? रूल 256 मैंडेटरी है, 256 कहता है....

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन, हाउस एडजोर्न होने के बाद या पहले जो सैशन चला हो उसमें भी प्रिविलेज मोशन बना रहता है । आपने उसको मूव किया था ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उसको मूव नहीं किया था ।

श्री अध्यक्ष : मूव के लिये अनुमति ली थी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मूव नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : आपने पेश किया था ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पेश नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : उस पर आपने कल सुबह और परसों यहां धरने भी दिये कि आप उनको सुनायें, ढाई साल से यह आपने पैंडिंग रख रखा है और मैंने यह यूं कर रखा है तो उसको मैंने कल आपको सुनाया । विराजें आप ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा मोशन है । मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपने अगर मुझे अनुमति दे दी होती 160 के तहत तो वह मोशन मूव माना जाता । 256 क्लियरली कहता है, आन दी फ्लोर आफ....

श्री अध्यक्ष : मूव की इजाजत नहीं दी थी । मैंने वही तो लिखा है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कहां दी आपने ? आपने इसमें भी जिक किया 157 और 159 का ।

श्री अध्यक्ष : अग्राह्य किया है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या ?

श्री अध्यक्ष : अग्राह्य किया है । विराजें आप ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने 160 का कहीं जिक नहीं फरमाया । मूव होने की प्रकिया है । 160 कहता है कि द स्पीकर .....

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर । विराजें आप, माननीय सदस्य । श्री दलीचन्द जी ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड । मैं उसको विथड्रा तो चाहता ही नहीं हूं कि आप करें । It should remain on record. 160 कहता है कि द स्पीकर.....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप विराजें । जिस बात के लिये कल डिसाइड कर दिया, आपने स्वयं दो–दो, तीन–तीन बार यहां धरने दिये । आप सब जने यह कह रहे थे कि नहीं, आज का आज सुनाना पड़ेगा तो मैंने कहा कि आज का आज सुनाएंगे ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने मुख्य मंत्री जी के खिलाफ जो शुक्रवार को मोशन किया है, उसके लिये मैं आपसे बार–बार विनती कर रहा था । आप मेरी सुन तो रहे नहीं हैं । मुझ पर इस सत्र में पता नहीं और सब तरह से मेहरबानी है, लेकिन जब कभी भी मैं मुख्य मंत्री जी का कुछ उठाऊं तो आपका रुख बदल जाता है । जबकि यह ....

श्री अध्यक्ष : यह बात आप नहीं कहें ।

57

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जबकि आपके लिये मुख्य मंत्री जी भी सदस्य हैं और मैं भी सदस्य हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा थोड़ा जस्टिस दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आपने 157 में भाभड़ा साहव के खिलाफ दिया था, उसको मैंने अग्राह्य किया है । बात हो गयी खत्म ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि अगर आपकी इस रूलिंग से रूलिंग पार्टी और उनके मुख्य मंत्री जी खुश हैं तो उनको बधाई । मैं उस पर टिप्पणी करना ही नहीं चाहता । लेकिन मैं इस हाउस का सदस्य हूं और इसके मैसेज पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में जाते हैं । यह जजमैंट जैसा आपने मावलंकर साहब का कोट किया, उसी मुताबिक आपके जजमैंटस भी रिकार्डेड एण्ड रिपोर्टेड होते है। वह रिकार्डेड और रिपोर्टेड होते हैं तो माफ करना, अध्यक्ष जी, जो मोशन मूव ही नहीं हुआ उस पर आप मुझे कटघरे में धर रहे हैं । बड़ी मेहरबानी । बहुत मेहरबानी आपकी ।

श्री अध्यक्ष : कोई भी प्रिविलेज का मोशन can not be moved without the consent of the speaker. उसी के लिये मैंने उसको अग्राह्य किया है । आपने जो पेश किया था उसको ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उस पर आप रूलिंग कैसे दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने ही स्वयं ने फोर्स किया था । आप नहीं चाहते थे तो आप क्यों इतना कर रहे थे ? आप जान रहे थे आप बहुत विद्वान हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहूं कि आपके मुख्य मंत्री जी को आप हटा दो तो आप हटा देंगे क्या ? मैं अगर गलत बयानी करूं तो मुझे टोकने के बजाय आप उसके खिलाफ रूलिंग दे दो ? मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप वैश्म में और मिल लेना अगर और कोई बात हो तो । कृपया आप चलने दें । मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप विराजें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इस बारे में तो मैं मिलना नहीं चाहता ।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें । श्री दलीचन्द जी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो आपसे लड्डू खाऊंगा क्योंकि यह ऐसी अनहोनी चीज हुई है उसके लिये इनको तो बधाई। ऐतिहासिक, महा ऐतिहासिक। आपको और आपके मुख्य मंत्री जी को बधाई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसके लड्डू खा लेना आप ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय गुलाब सिंह जी और आपके बीच में ...आपकी रिक्वैस्ट पर हम आये थे । सवा चार बजे आपने टाइम दिया, आपकी मुख्य मंत्री जी से 2–3 घण्टे मीटिंग चल रही थी ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी से मेरी कोई मीटिंग नहीं हो रही थी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो कह रहा हूं कि सवा चार बजे हम लोग आये । आपसे हमने रिक्वैस्ट की कि मेहरबानी करके मुख्य मंत्री जी के खिलाफ जो प्रिविलेज मूव किया है, मुझे आप परमिशन देकर रिजैक्ट करना ।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। श्री दलीचन्द जी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ...और उस पर व्यवस्था दिलाना, यह अर्ज है ।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप । श्री दलीचन्द जी ।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा । मैंने 28 जुलाई, 1995 को माननीय मंत्री महोदय को पंचायत समिति पीपलखूंट में जो निर्माण कार्य हुए थे, उसमें भारी अनियमितताएं बरती गयी थीं उसके विषयक एक प्रार्थना पत्र दिया था शिकायत के तौर पर । उस प्रार्थना पत्र पर जिलाधीश बांसवाड़ा ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधिशासी अभियन्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की । उस कमेटी ने जांच करने के बाद यह रिपोर्ट दी कि उसमें लाखों रुपयों का गबन हुआ है । उसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर महोदय को उन्होंने 29 फरवरी, 1996 को उपलब्ध करा दी । उसके पश्चात् आज तक उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, इन विकास कार्यों में मेरे अन्दाज से करीबन 15 से 16 लाख रुपये का गबन है । फिर भी बहुत सारे कार्यें में सही जांच नहीं की गयी है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि इन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे ? कम से कम साल–सवा साल होने को आ गया है इस प्रकरण को लेते हुए लेकिन अभी तक इस विषय में काई ठोस कदम नहीं लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जिलाधीश महोदय ने जिला परिषद, सी.ई.ओ. को यह निर्देश दिया है कि विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाकार एवं सम्बन्धित ग्राम सेवकों के विरुद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाएं। दर्ज करवाने के लिये भी आदेश दे चुके हैं लेकिन अभी तक सी.ई.ओ. ने इसकी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है। तो यह भी कब तक करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में जो भेदभाव हो रहा है उसकी सदन को और मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत अधिनियम में एक धारा जोड़ी गयी है जिसके बच्चे पैदा होंगे दो से ज्यादा उसको अयोग्य घोषित करने की बात है। जहां जहां कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के लोगों के पैदा हो रहे हैं उन सबको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बच्चे पैदा करने में माहिर होते जा रहे हैं लेकिन उनमें से एक को भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि खाटूश्यामजी के सरपंच को हटा दिया गया। ....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, ये जन्म से ही कांग्रेस है और भारत में पैदा होते हैं या भूटान में पैदा होते हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

श्री रामनारायण मीणा : + + +

श्री टीकमचन्द कांत : ....(व्यवधान) ये माहिर हैं और कांग्रेस माहिर नहीं है बच्चे पैदा करने में ?

श्री रामनारायण मीणा : मुझे पता है सारा क्या हो रहा है । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, बीजेपी ने बच्चे पैदा करने का क्या ठेका ले रखा है ?

श्री टीकमचन्द कांत : कांग्रेस को बच्चे पैदा करने नहीं आते क्या ?

श्री रामनारायण मीणा : यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें । कृपया समय जाया नहीं करें ।

श्री टीकमचन्द कांत : कांग्रेस को बच्चे पैदा करने नहीं आते क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : जन्म घूंटी देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कहें ।

श्री रतनलाल ताम्बी : जन्म घूंटी समझते हैं न । जन्म घूंटी देते हैं तब से ऐसा ही हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें, इनको बात कहने दें ।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में एक उप प्रधान को हटा दिया गया, एक पंच को हटा दिया गया, खाटूश्यामजी के सरपंच को हटा दिया गया, दूसरे लोगों के सरपंच को हटा दिया गया । लेकिन बारां जिले में ग्राम पंचायत कलमंडा के सरपंच के दो–दो बीवियां हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का होगा या किसी पार्टी का होगा, सरकार जांच करवा ले, उसके दो बीवियां हैं और छठा बच्चा अभी पैदा हुआ है 18.6.96 को । लोगों ने दरख्वास्त दी लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उस क्षेत्र के मंत्री उसको नहीं निकलवाना चाहते हैं, वहां के सांसद धोती हाथ में लेकर घूम रहे हैं कि इनको मत हटाओ, नहीं तो आपका ट्रांसफर करवा दूंगा। आफिसरों के ऊपर दबाव पड़ रहा है। कलमंडा सरपंच के दो बीवियां हैं, अनैतिक है कि दो बीवियां हैं और उस सरपंच के 18.6.96 को छठा बच्चा पैदा हुआ है, सरकार उसको हटाए । इस तरह से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनगिनत बच्चे पैदा कर रखे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करें । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दो इस प्रकार के शब्दों को। माननीय भवानी जी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से बांसवाड़ा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री भवानी जोशी)

बांसवाड़ा में वर्षा नहीं हुई और आप जानते हैं कि बांसवाड़ा एक जनजाति क्षेत्र है और वहां पर अधिकांश आदिवासी गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवनयापन करते हैं। आज मेरे क्षेत्र के कुछ लोग आये, उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में गेहूं की, आटे की, दाल की और खाने--पीने की वस्तुएं चोरी होती हैं और उस चोरी में तीन दिन पहले एक आदिवासी की हत्या हो गयी । मेरा आपसे निवेदन है कि उन आदिवासियों को निःशुल्क राशन वितरित किया जाए, पशुओं को निःशुल्क चारा वितरित किया जाए। जो तालाब खाली पड़े हुए हैं उनको तत्काल माही के पानी से भरा जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वनस्थली विद्यापीठ में एस.टी.,एस.सी. की 350 छात्राएं अध्ययन करती हैं और कक्षा 3 से 12 वीं तक का प्रवेश दिया जाता है। संस्था को जो स्कालरशिप मिलती है वह गत वर्ष की 11 लाख रुपये की स्कालरशिप अभी तक नहीं मिली है । 11 लाख रुपये स्कालरशिप नहीं मिलने से उस संस्था के लिये एक कठिन स्थिति पैदा हो गयी है । वहां पर एस.सी.,एस. टी. की छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है । वह संस्था अभी एडमिशन नहीं दे रही है, पिछले समय की 11 लाख रुपये की स्कालरशिप बाकी है इसलिये एडमिशन देना बन्द कर दिया ।

दूसरी बात यह है कि 12वीं कक्षा की जो लड़कियां पास हो गयीं उनको कालेज में एडमिशन के लिये जाना पड़ता है और कालेज की लास्ट तारीख शायद 12 ही है। वे टी.सी. भी नहीं निकाल पा रही हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 12वीं कक्षा की जो छात्राएं पास हो चुकी हैं उनको टी.सी. दिलायी जाए, तीसरी कक्षा से प्रवेश हो रहा है उसमें प्रवेश दिलाया जाए और पिछले वर्ष की जो बकाया राशि 11 लाख की है वह दिलायी जाए। इस तरफ मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोदीजी ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नीमकाथाना में प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने में भेदभाव बरता गया है। मैं यह चार्ज लगाता हूं। 1994--95 में एक स्कूल क्रमोन्नत की गयीं, 1995--96 में तीन स्कूलें क्रमोन्नत की गयीं ...

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : आपके राज में तो एक भी नहीं हुई ।

श्री मोहनलाल मोदी : आप मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : बात कहने दीजिये ।

श्री मोहनलाल मोदी : जो तीन स्कूलें क्रमोनत की गयी हैं वे जो नयी पंचायतें बनी हैं उनमें क्रमोन्नत की गयी हैं ।

श्री उगमराज मेहता : तीन तो खोलीं, आपके राज में तो हमारे यहां एक भी नहीं खोलीं ।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरी व्यथा सुन लीजिये । आप रोज खड़े होकर बोलते हैं, मेरी जो तकलीफ है वह मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : फरमाइये आप तो ।

श्री मोहनलाल मोदी : जो तीनों नयी पंचायतें बनी हैं उनमें स्कूलें क्रमोन्नत की गयीं। दो में बीजेपी के सरपंच, एक राजपुरा और एक आगावाड़ी में खोली । एक घासीपुरा जो पंचायत हैडक्वार्टर है, पुरानी पंचायत है उसमें आपके सारे नार्म्स पूरे होते हैं –एक हजार से उपर की जनसंख्या है, 100 से अधिक छात्र हैं, 5वीं क्लास में 20 से अधिक छात्र हैं, उस स्कूल के लिये मैं आपसे 1994 में मिला, आपको एप्लीकेशन दी । फिर मैं 1995 में भी आपसे मिला लेकिन एक बात समझ में नहीं आयी कि आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह से उसको अवाइड कर दिया । आपको एक और ताज्जुब होगा, अध्यक्ष महोदय । मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मेरे नीमकाथाना क्षेत्र में कहां–कहां पंचायत हैडक्वार्टर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं । मंत्री महोदय का जवाब आया कि घासीपुरा में है । इनका जवाब है कि पंचायत मुख्यालय मोकलवास, गोडावास, श्यामपुरा है लेकिन इस घासीपुरा का नाम ही नहीं आया। आप देखिये, छह मिडल स्कूल हैं लेकिन वहां पर 10 किलोमीटर के एरिया में ......?

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लें ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं बात करने के लिये इनके पास दो–तीन दफा गया हूं, मैं वैसे जाता नहीं हूं लेकिन इसके लिये दो–तीन दफा मैं मंत्रीजी के पास गया और इनको राइटिंग में लिख कर भी दिया है । इनकी एक चिट्ठी आयी उसमें जवाब लिखा है 4.7.95 का । मंत्री महोदय, 1996–97 में तो कम से कम जो पंचायत हैडक्वार्टर रह गये हैं, जहां स्कूल की आवश्यकता है वहां खोलें । देखिये, आपने आगावाड़ी में खोली जहां सिरोही में एक किलोमीटर दूर मिडल स्कूल है और राजपुरा में खोली जहां धांधेला में एक किलो–मीटर दूर मिडल स्कूल है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस घासीपुरा का निश्चित रूप से आप ध्यान देकर क्रमोन्नत करें। यह भी आप जानकारी लें कि आपको यह गलत जानकारी किस ने दी । आपने यह गलत उत्तर मुझे दिया उसके लिये जो आपके अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनियां ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में जिन गांवों में थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना है वहां के किसानों की भूमि तो अवाप्त कर ली गयी है लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को मुआवजा मिला है, बाकी लोग मुआवजे से वंचित रह गये हैं । इसका कारण यह है कि खातेदारी नहीं मिलने से वे काश्तकार मुआवजा पाने से वंचित रह गये। खातेदारी नहीं देने में सरकार और सम्बन्धित एस. डी. ओ. की गलती है। अगर अलॉटमेंट कमेटी की बैठक होती तो हम उन काश्तकारों को खातेदारी हक दे सकते थे। नियमों के अनुसार खातेदारी ...

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । समाप्त करें ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष : हां, बहुत महत्वपूर्ण विषय है लेकिन इस पर जवाब नहीं आ पाएगा। आपने सरकार के ध्यान में ला दिया, विराजें आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, उन गांवों की भूमि तो अवाप्त कर ली गयी है लेकिन उन गांवों में अभी तक बिजली नहीं है, प्रदूषण तो जरूर मिलेगा। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन गांवों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को नौकरी दी जाए, उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाए और मुआवजे से वंचित लोगों को खातेदारी प्रदान कर मुआवजा दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपालजी कोगटा ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी और डेयरी विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अकाल राहत के तहत पशु पालन करने वाले किसान बन्धुओं को बांटें में सवा रुपये की सब्सिडी मिलती है। वह उन पशुपालकों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसमें बहुत घपला हो रहा है । डेयरी वाले 3.35 रुपये ले रहे हैं । एक पशु को दो किलो बांटा दिया जाता है, सवा रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी है लेकिन किसान से ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है । वे 10–15 रुपये तो कैश केडिट, 10 रुपये कैरिंग चार्जज और पच्चीस पैसे डेयरी सैक्रेटरी के कमीशन के काट लेते हैं । इस प्रकार सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में जो सहायता दी जा रही है वह किसानों तक नहीं पहुंचती है। मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी और डेयरी विकास मंत्रीजी से इस बारे में जवाब चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान जी ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 24, 25, 26 तारीख को बाढ़ से हुई क्षति इतनी भयंकर थी कि अलवर जिला मुख्यालय किशनगढ़, रामगढ़, गोविन्दगढ़, लक्ष्मणगढ़ से तीन दिन तक कट ऑफ रहा। इस बात की पुष्टि सम्बन्धित तहसीलदार ने प्रमाणपत्र देकर की है कि कोई आवागमन का साधन नहीं था। जिलाधीश महोदय ने रामगढ़ में ए.डी.एम. की ड्यूटी लगायी थी, वे 24 घण्टे रामगढ़ और अलवर के बीच बैठे रहे कि कब पानी उतरे और कब वहां जाकर रिलीफ वर्क देखें।

सात तारीख के अखबारों में यह घोषणा थी कि बीबीरानी कॉलेज और भरतपुर कॉलेज की परीक्षाएं 17 तारीख को दुबारा होंगी लेकिन अलवर के गौरी देवी राजकीय बालिका महाविद्यालय जहां की साठ छात्राएं 25 तारीख को पानी से रास्ता रुकने के कारण परीक्षा नहीं दे पायीं, वहां की प्रिंसीपल ने इस बारे में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लिख दिया कि हमारे यहां 60 बच्चियां पानी से रास्ता रुकने के कारण नहीं दे पायीं। रामगढ़ क्षेत्र के तहसीलदार, ए.डी.एम. से प्रमाणपत्र लेकर वाइस चांसलर को कापी भेज दी। इस बारे में मैंने माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिगत निवेदन भी कर दिया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि

(श्री जुबेर खान)

दोहरा मापदण्ड नहीं रखा जाए। आज छात्राओं में असमंजस की स्थिति हो रही है कि बीबीरानी कॉलेज और भरतपुर कॉलेज में तो परीक्षाएं हो रही हैं लेकिन अलवर में नहीं हो रही। अभिभावकों और बच्चों के टेलीफोन आ रहे हैं, ज्ञापन आ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा साल खराब हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि बाढ़ से रास्ता रुकने के कारण अलवर कॉलेज की जो छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गयी थीं उनकी परीक्षा 17 तारीख को अन्य के साथ कराने की घोषणा आज ही करें ताकि उनके माता–पिता को तसल्ली हो और उनका एक साल खराब न हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : मैं आज ही वाइस चांसलर महोदय से इस विषय में बात कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जी जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ जिले की श्री मेवाड़ शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपालसागर ने दिनांक 31 मार्च, 1996 के बाद किसानों से जो गन्ना खरीदा था उसका भुगतान अभी तक नहीं किया है। इस क्षेत्र में हल्की–फुल्की बरसात हुई है और किसान फसल बोना चाहते हैं लेकिन उनके पास रुपये न होने से वे खाद और बीज नहीं ला पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को राहत दी जाए। माननीय उद्योग मंत्रीजी, मेवाड़ शुगर मिल को यह कहा जाए और उनकी बकाया रकम दिलायी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई के सब डिवीजनल हैडक्वार्टर पर स्थित राजकीय हॉस्पिटल सरकार की दूषित नीति के कारण 50 बैड का कायम नहीं हुआ है। इस समय वहां आपरेशन थियेटर बंद है, सर्जन का अपाइंटमेंट नहीं है, सफाई व्यवथा नहीं है और गंदगी की भरमार है। ऐसी स्थिति में जन स्वास्थ्य को परम लक्ष्य मानते हुए, मंत्री महोदय से निवेदन है कि सब डिवीजनल हैडक्वार्टर पर 50 बैडेड हॉस्पिटल की घोषणा के अनुसार कार्यवाही करें। वर्तमान में जो आपरेशन थियेटर कई महीनों से बंद हैं और कोई आपरेशन नहीं हुआ है उसको चालू कराएं और सर्जन के ट्रांसफर से खाली पद पर कोई दूसरी नियुक्ति कराएं ताकि बांदीकुई की जनता को जो इस समय...।

श्री अध्यक्ष : कुछ जन सहयोग तो आप भी कर सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उनकी नीति के अनुसार कब तक कार्यवाही हो जाएगी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अपन चर्चा कर लेंगे । सर्जन की नियुक्ति इसी सप्ताह कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विकास के कार्य करने में पीछे नहीं है परन्तु अधिकारियों की लापरवाही और अकर्मण्यता की वजह से जनता सफर

(64)

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

कर रही है। मेरे क्षेत्र में आज से 10 साल पहले एक सड़क कृषि उपज मण्डी के द्वारा बनायी गयी थी। कृषि उपज मण्डी मांडलगढ़ से खंगारजी का खेड़ा, गोविन्दपुरा, पदमपुरा और चित्तौड़िया लाडपुरा से होकर आते हैं तो पन्द्रह किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। लेकिन सीधे मांडलगढ़ से इन गांवों की तीन किलोमीटर की दूरी है। दुर्भाग्य से उस समय वह सड़क बनी नहीं और काफी वर्षों तक अधूरी रही।

इन क्षेत्रों में ग्रामीण जनता आज भी बरसात में आ–जा नहीं सकती। यदि कोई बीमार हो जाए तो बरसात में खाट पर पांच–सात लोग कंधा लगाकर ले जाते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण सड़क के बारे में मैंने विधान सभा में प्रश्न भी उठाया था और माननीय कृषि मंत्रीजी को भी कहा था। दिनांक 9.2.96 को उप शासन सचिव ने प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पत्र लिखा जिसक विषय था, कृषि उपज मण्डी, माण्डलगढ़ की अधूरी सड़क खंगारजी का खेड़ा से चित्तौड़िया का कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में .....।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष : बहुत महत्वपूर्ण बात है लेकिन हो गयी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : निर्देशार्थ कृषि उपज मंडी समिति मांडलगढ़ की अधूरी सम्पर्क सड़क खंगारजी का खेडा से चित्तौड़िया का कार्य पूर्ण कराना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर से 27 लाख 75 हजार रुपये के विशेष अनुदान की कृषि उपज मंडी समिति मांडलगढ़ को स्वीकृति प्रदान की जाती है ताकि माननीय कृषि राज्य मंत्रीजी द्वारा विधान सभा में दिये गये आश्वासन की कियान्विति हो सके। मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे महीने में सड़क सैंक्शन हुई परंतु आज पांच महीने बीत जाने पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इस प्रकार के अधिकारी जो सरकार के जन हित कार्यों की उपेक्षा कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और अविलम्ब टेण्डर लेकर कार्य शुरू कराए और इसको पूर्ण कराने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आबकारी मंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के थाना टोडाभीम के अण्डर में आने वाले मेंहदीपुर बालाजी में एक दुकान के अन्दर दारु की दुकान अवैध खोल रखी है जो बिलकुल ही सड़क के ऊपर है। उसके कारण दो–तीन यात्रियों की हत्या कर दी गयी है और एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है। उसी दारु की दुकान के बिल्कुल बगल में ऐसा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी कई बार कह चुका हूं अवैध दुकान के बारे में कि इस प्रकार की दारु की दुकानें तीर्थस्थानों पर चल रही हैं। मैं फिर मांग करता हूं कि उस अवैध दुकान को वहां से हटवाया जाए। अज्ञात लुटेरों ने या बदमाशों ने वहां पर शराब पी है और दो यात्रियों की हत्या की है और बहिन के साथ जो बलात्कार उसने किया है यह बहुत ही दुखान्त घटना है। ऐसे महान तीर्थों

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पर ऐसी घटनाएं होने लग गयीं तो यात्रियों का आना ही बन्द हो जाएगा। लोगों में एक गलत भावना पैदा हो जाएगी। धर्म को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह पुनीत कर्तव्य बनता है। इस प्रकार की घटना, गृह मंत्री जी विराजमान हैं, आप उसकी जांच करा लें। हत्या परसों के दिन हुई है, अखबार के माध्यम से मैं आपको यह बात बता रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्री जी कि जिस दुकान के कारण हत्या हुई है इसको तुरन्त हटवाया जाए। इसी के कारण यह हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन मोहन जी।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, वे इस सदन के नेता भी हैं और इस सदन में विपक्ष की भूमिका भी उन्हीं को निभानी पड़ती है। महिलाओं के प्रति अत्याचारों के मामले सदन में आते हैं उनको कितनी शालीनता से लिया गया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि बहरोड़ की एक हरिजन महिला के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया गया और जनताबसई गांव के अन्दर महिला को ट्रेक्टर के पीछे बांधकर खींचा गया लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न उनको अभी तक पकड़ गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर, अजमेर, कोटा, घड़साना, गंगानगर और जयपुर की हरिजन महिलाओं के साथ और अन्य वर्ग की महिलाओं के साथ जितने भी अन्यायपूर्ण तरीके के अपराध हुए हैं उनके लिये कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करें।

इसी के साथ कुछ समाचार पत्रों में अलवर के मामले को लेकर लगातार खबरें छप रही हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस अलवर के यौन शोषण के प्रकरण की पुनः सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वरिष्ठ अध्यापक श्री भगवान सहाय जैन मेरे गंगापुर क्षेत्र का निवासी है जिसका 30 जुलाई, 1995 को निधन हो गया था। अध्यक्ष महोदय, एक साल पूरा होने को जा रहा है उसकी विधवा को आज तक न तो पेन्शन मिली है और न जी.पी.एफ. का पैसा मिला है और ग्रेचुटी वगैरह भी आज तक नहीं मिली है। अफसोस तो इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, कि जो वहां पर कनिष्ट लेखाधिकारी था उसने उस विधवा से 2 हजार रुपये फाइल तैयार करवाने के मांगे। मेरा निवेदन यह है कि आप अपने विभाग को निर्देश दें कि कम से कम सरकारी कर्मचारी जिसमें खास तौर से अध्यापक वगैरह हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो समय पर उनको भुगतान तो हो जाए, उनके आश्रितों को नौकरी तो मिल जाए। आज एक साल से वह विधवा क्या कर रही है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। इस संबंध में उप–जिलाधीश और जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने भी तीन बार टेलीफोन किये लेकिन यही कहा गया कि इसकी पत्रावली आगे भेज दी गयी है। यह गंगापुर का ही मसला नहीं है, राजस्थान में ऐसे कितने ही मसले हैं। तो मेहरवानी करके आप एक नियम बना लीजिये कि इस तरह के कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो चुकी हो,

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

उनका निपटारा एक माह में करा दें। यही मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र चौधरी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान राजस्थान की एक ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । कक्षा 8 से 10 तक बच्चों की जो पुस्तकें पाठ्य पुस्तक मण्डल ने भिजवायी हैं वे पूरी छपवा जरुर दी लेकिन आज की तारीख में 50 परसेन्ट पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हैं डिपो के ऊपर–नम्बर एक।

नम्बर दो – 8वीं की गणित, विज्ञान और हिन्दी की पुस्तकें नहीं हैं। 9वीं और 10वीं का भी पूरा कोर्स उपलब्ध नहीं है। उसके कारण से बच्चों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 33 डिपो हैं उसमें से 20 डिपो को बन्द करने का निर्णय लिया जा रहा है। उससे छोटे पुस्तक विक्रेताओं, अभिभावकों और छात्रों को बहुत भारी परेशानी होने वाली है। पाठ्य पुस्तक मण्डल ने पिछली बार तो 10 करोड़ की ज्यादा पुस्तकें छपवा लीं थी आप ने ये पुस्तके कम कैसे छपवा लीं इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? अब पुस्तकों का जो आर्डर दिया है एक महीने तक पुस्तकें छपकर नहीं आएंगी। इसके कारण से छात्रों का जो नुकसान होगा उसके लिये जिम्मेदार कौन होगा और उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेगें ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रावत।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में एक सब्जी मंडी की जमीन पर कृषि मंत्री जी की तरफ से 40 दुकानें बनाकर दो साल पूर्व तैयार हो चुकी हैं , पर उनका अभी तक न किसी व्यक्ति को अलाटमेन्ट किया गया है और न ही वह सब्जी मंडी चालू की गयी है। कोटपूतली का मेन जाने –आने का रास्ता है, उसके नुक्कड़ पर सब्जी मंडी लगती है। सौ, दो सौ सब्जी की ठेलियां और इस तरह की दुकानें मेन सड़क पर आ जाती है । आवारा पशु वहां पर घूमते रहते है और आवागमन जाम हो जाता है सरकार ने वहां पर 40 दुकानें बना रखी हैं तो फिर यह सब्जी मंडी वहां से शिफ्ट क्यों नहीं की जाती है ? इतना ट्रेफिक जाम हो जाता है कि नेशनल हाइवे जाम कर देते हैं। गवर्नमेन्ट को 40 हजार का फायदा होगा अगर वे दुकानें अलाट कर दी जाती हैं तो । दो साल पूर्व वे बनकर तैयार हो गयीं इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 40 जो दुकानें बन चुकी हैं सब्जी मंडी को वहां शिफ्ट किया जाए और जो यहां न्यूसेंस पैदा हो रही है रोड के ऊपर कोटपूतली शहर को आने जाने में, उसको रोका जाए।

श्री अध्यक्ष :श्री हीरालाल विश्नोई साहब वापस कहेंगे आप ? आप एबसेन्ट थे । फरमाइये ।

श्री हीरालाल विश्वनोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 8 तारीख को सांचौर तहसील के आड़ेचा गांव में कई अज्ञात डाकुओं ने रात को 3 बजे

(श्री हीरालाल विश्नोई)

आकर वहां डकैती डालने का मानस बनाया और पूरे गांव को घेरा। गांव वालों को जानकारी हुई और गांव वाले पचास--साठ आदमी बाहर निकले तो उन लोगों ने गांव वालों पर फायरिंग की। नामजद रिपोर्ट हुई , तरवाना थाने के अन्दर नामजद रिपोर्ट हुई, गांव वालों ने किसी आदमी को पहचान भी लिया लेकिन आज दिन तक उन आदमियों को पकड़ा नहीं गया है, कोई पुलिस की तरफ से कार्यवाही नहीं हो रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इस तरह की अगर डकैतियां होती हैं तो आपकी तरफ से गांव वालों की क्या सुरक्षा मिलेगी ? इतना घिनौना अपराध है और पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं, किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय सांचौर पधार कर तफरी करके वापस आ गये, आड़ेचा गांव तक नहीं गये। जिस गांव के अन्दर डकैती होनी थी उस गांव तक नहीं गये। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी का मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : क्या परसों की घटना है ?

श्री हीरालाल विश्नोई : आज टेलीग्राम आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपालसिंह मिर्धा।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां मेड़ता सिटी में एक एस.एन. सहगल इस विभाग में एक्स.ई.एन. थे. वे 20 लाख रुपये का घोटाला करके वहां से चले गये। विभाग ने जो भी टेन्डर्स दिये एस.एन. सहगल ने अपने चहेतों को दिये। पूरे घोटाले का पर्दाफाश अखबारों में हुआ उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : मिर्धा जी, नाम नहीं लिया जाता हैं क्योंकि वे सदन में नहीं हैं।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : ठीक है। पूरे घोटाले का विवरण अखबारों में आया था उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां की बिजिलेन्स कमेटी में उनके खिलाफ जांच चल रही है, उस जांच में भी कोई प्रगति नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। फर्जी मस्टररोल बनाने का भी उसमें मामला है और जितने भी काम किये, अध्यक्ष महोदय, कोई काम पूरे नहीं हुए, सब कार्य अधूरे पड़े हैं। विभाग में करीब 20 लाख रुपये का घोटाला किया, उसके बाद वहां से उसका स्थानान्तरण किया गया है केवल।

श्री देवीसिंह माटी (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि एक तो पूर्व में आपने मुझे ऐसी सूचना नहीं दी। आप स्पेसिफिक मुझे सूचना दे दें, निश्चित तौर पर यदि वह दोषी है तो I'll sack him. किसी हालत में बख्शूंगा नहीं।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : मैं आपको दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : 295. श्री खेतसिंह जी ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

" जनता जल " योजना

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, परसादी लाल जी कह रहे हैं कि आपको 295 के प्रश्न भी नहीं उठाने चाहिये, आपके तो वैसे ही काम हो जाते हैं। यह प्रश्न भी बड़ा नहीं है लेकिन पढ़कर सुनाना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से वक्तव्य दिये जाने की अपेक्षा करता हूं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एक योजना निकाली है जिसका नाम " जनता जल " योजना है। इस योजना के तहत विभाग गांव में नलकूप खोद कर, बिजली लगाकर, मोटर पम्प व टैंक आदि बनवाकर, सारी तरह से पूर्ण व्यवस्था कर पंचायत को सुपुर्द करती है और पंचायत तथा विभाग के साथ यह निर्णय लिया जाता है कि पंचायत उस योजना को चलाने के लिये अपनी ओर से हैल्पर लगा दे। उसे विभाग 500 रुपये माहवारी पगार देगा तथा साथ ही मोटर पम्प आदि खराब न हो, उसकी मेंटीनेंस के लिये 4000/–रुपये देता है। बिजली का बिल विभाग भरता है। यह योजना अच्छी है, इसे वास्तव में कामयाब करना है तो हेल्पर का वेतन 700 रुपये होना चाहिए और मेंटीनेंस के लिए 5000 रुपये होने चाहिये। जब पंचायत को सुपुर्द करें तब मोटर पम्प के.एस.बी. या अन्य अच्छी कम्पनी के लगा कर दें और बिजली बिल पर हार्सपावर के हिसाब से साल भर के पंचायत को पहले ही दे दें तो आसानी से कई गांव इस योजना को ले सकते हैं। यदि यह योजना कामयाब हो जाए तो काफी बड़ी तादाद में विभाग को नयी भर्ती नहीं करनी पड़ेगी और जो आज जनता को परेशानी है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। कृपया मंत्री महोदय का इस पर वक्तव्य दिला दें।

मंत्रीजी, आप जा रहे हैं। बोलो तो सही कि क्या कर रहे हो इसमें।

श्री अध्यक्ष : जवाब भेजेंगे इसमें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपकी बात पर वाकआउट कर गये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर लिफ्ट नहर के पम्पिंग स्टेशनों के उपकरणों की खरीद में अनियमितता

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर की पेयजल समस्या के समाधान के लिये निर्माणाधीन जोधपुर लिफ्ट नहर के पम्पिंग स्टेशन संख्या–5, 6 एवं 8 के लिये पाइप लाइन में जल के घात–अपघात की समस्या को दूर करने के लिये आवश्यक उपकरणों में बरती गयी अनियमितताएं जांच का विषय बन गयी हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इसमें समस्त तकनीकी रिपोर्ट को नजरअन्दाज कर मनमाने तरीकों से उपकरणों की खरीद की गयी है। टाटा कन्सलटेन्सी एवं सी. पी. एच. ई. ई. ओ. के सुझावों के आधार पर तकनीकी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कमेटी के 5 जून, 1991 एवं 13 दिसम्बर, 1991 के निर्णयों को भी अनदेखा किया गया और वॉटर हैमर कन्ट्रोल उपकरणों को लिया गया।

जोधपुर लिफ्ट कैनाल के इन पम्पिंग स्टेशनों के लिये वाटर हैमर कन्ट्रोल उपकरण की खरीद के लिये निविदाएं आमंत्रित की गयीं जिसमें बम्बई और जोधपुर के तीन निविदादाताओं ने भाग लिया। इन निविदाओं में मात्र दो ही निविदादाताओं के बीच तुलना थी। इनमें तुलना करते समय यह नहीं देखा गया कि उपकरण की लागत के साथ ही लॉस द्वारा उस पर कितना खर्च आएगा। इस पर आने वाला खर्च भी उपकरण की लागत में जोड़ा जाना चाहिये। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विभाग ने ध्यान ही नहीं दिया।

इसके अतिरिक्त तकनीकी समिति ने पूर्व में जो निर्णय लिया और टाटा कन्सलटेन्सी एवं सी. पी. एच. ई. ई. ओ. की रिपोर्ट बम्बई, हैदराबाद, बैंगलोर के मुख्य अभियंताओं की सलाह पर भी ध्यान नहीं देकर ऐसे उपकरण स्वीकृत किये गये। ऐसी ही अनियमितता अजमेर जल वितरण योजना में भी हुई है। इस बारे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सचिव एवं मुख्य अभियंता को भी रिपोर्ट दी गयी कि इस तकनीकी स्वीकृति की समीक्षा की जाये। पूर्व मुख्य अभियंता सर्व श्री बस्तीराम पुरोहित, पी. एस. राजवंशी, के.डी. गुप्ता, आर.सी. अग्रवाल और ए.के. भार्गव ने पूर्व में बड़ी रेजिंग मेन में जीरो वैलोसिटी वाल्व और एयर कुशन वाल्व को मंजूरी नहीं दी जबकि एयर वैसल लागत में 45 लाख रुपये अधिक था फिर भी इसको स्वीकृत किया गया।

जोधपुर लिफ्ट नहर पर इसी तरह की 1626 मि.मी. डायामीटर की पाइप लाइन है लेकिन पूर्व तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद जीरो वैलोसिटी वाल्व को मंजूरी दी गयी जो कि तकनीकी रूप से बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बिजली के खर्च का अनुमान लेने तथा निविदादाता की स्वयं की गारंटी पर जाकर इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर की राय भी क्यों नहीं ली गयी ? निविदा पर निर्णय से पूर्व विद्युत खर्च का भार मूल दर में ही जोड़ा गया जो नियमानुसार है या नहीं ? इसके साथ ही निविदादाता द्वारा अतिरिक्त विद्युत व्यय नहीं होने के लिये आश्वस्त करना भी विशेषज्ञ द्वारा पुष्ट करवाया गया अथवा नहीं ?

जोधपुर लिफ्ट नहर के इन पम्पिंग स्टेशनों के लिये वाटर हैमर कंट्रोल के लिये उपकरणों की खरीद के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोधपुर द्वारा लिफ्ट कैनाल हेतु की गयी कार्यवाही अनियमित है। अतः विस्तृत जांच के साथ इसकी पुनः समीक्षा तकनीकी समिति से करवायी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय भंवर सिंह जी डांगावास।

कृषि शिक्षा में महिलाओं का आरक्षण

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है, कृषि महाविद्यालयों में महिलाओं की सीटों का आरक्षण किया जाए। दिनांक 5.7.96 के राजस्थान पत्रिका (जयपुर संस्करण) में प्रकाशित ऐसे तथ्यों को उद्धृत करता हूं।

" राजस्थान पत्रिका (जयपुर) दिनांक 5–7–96 कृषि शिक्षा में महिलाओं के लिये आरक्षण आवश्यक –

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

" भारत कृषि प्रधान देश है। अगर देखा जाए तो कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर है मगर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है। हमारा राज्य तो इस क्षेत्र में अन्य प्रदेशों से बहुत ही पीछे है। महिलाओं को कृषि शिक्षा के क्षेत्र की ओर अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिये कृषि शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को अनुदान घोषित कर राज्य सरकार ने इस दिशा में एक सार्थक पहल की है। वर्तमान में राज्य सरकार कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को 1000 रुपये प्रति वर्ष स्कूल शिक्षा एवं तीन हजार रुपये प्रति वर्ष कालेज शिक्षा के दौरान अनुदान देती है।

हमारे देश को अगर कृषि क्षेत्र में उन्नति के नये शिखर की ओर अग्रसर करना है तो महिलाओं को उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी देनी होगी क्योंकि वर्तमान में हमारे देश की महिलाओं में उन्नत कृषि तकनीकी के बारे में ज्ञान का अभाव है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के महानिदेशक डा. आर.एस. फडोदा का आगमन कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में हुआ। उन्होंने भी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ,बीकानेर के कुलपति डा. आर. के. पटेल की मौजूदगी में कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी एवं महत्ता को देखते हुए कृषि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान की सलाह दी। इन महाविद्यालयों में महिलाओं के लिये आवास समस्या के निराकरण के लिये होस्टल बनवाये जाएं। अतः प्रदेश के सभी कृषि महाविद्यालयों में महिलाओं को अधिक से अधिक प्रवेश देना चाहिये एवं उन्हें इस ओर प्रोत्साहित करने के लिये अधिक अनुदान के साथ साथ आरक्षण की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिये।

निवेदन है कि लेख की ओर ध्यान आकर्षित कर राजस्थान के तमाम कृषि महाविद्यालयों में महिलाओं की सीटों का आरक्षण करवा कर उन्हें शिक्षा उपार्जित करने हेतु अनुदान राशि बढ़ाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोटवानी जी।

(13.00)

अजमेर जिले के अकाल राहत कार्य

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय,राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये राजस्थान में अकाल राहत कार्यों में नयी संस्कृति के उद्भव के प्रति व्याप्त चिन्ता के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं।

राजस्थान में अकाल राहत में अनियमितताओं के प्रति इस विधान सभा सत्र में पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने चिन्ता की अभिव्यक्ति की है। अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार को उदाहरण सहित उजागर किया, दोनों पक्षों ने व्यथा को व्यक्त किया।

सरकार ने कार्यवाही करने की घोषणा कर उस मामले की इतिश्री कर दी। राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्यों को शुरु कर राजस्थान की गरीब जनता को रोजगार दिलाने में गैरवाजिब देरी की।

(श्री किशन मोटवानी)

जनता से आज तक क्षमा याचना नहीं की। मेरे विचार से आज की सरकार राजस्थान की जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं मानती।

उपरोक्त सबसे उपर उठकर एक नयी अकाल राहत सभ्यता का अजमेर जिले के आरांई पंचायत समिति में मुझे गत दिनों आभास हुआ। उस क्षेत्र में चुने हुए सरपंच को गौण माना जाता है। उस चुने हुए सरपंच को कटघरे में बगैर आरोप के खड़ा कर दिया जाता है। रातों—रात उससे मस्टररोल छीन लिया जाता है, उसको अकाल राहत कार्य कमेटी से हटा दिया जाता है। अकाल राहत मंत्रीजी के कृपापात्रों को मस्टररोल सौंप दिया जाता है। वह चाहे धराशाही सरपंच हो या पैसा व बाहुबल का धनी हो।

सदन की जानकारी के लिये मैं कहना चाहता हुं कि यह व्यवहार मंत्री महोदय के क्षेत्र में उनके द्वारा महज कांग्रेस के सरपंचों के विरोध में नहीं है किन्तु भा.ज.पा. के सरपंचों के साथ भी किया गया है। खीरया, ढसूक, आरांई, छोटा लाम्बा, भगवानपुरा के पंचायतों के सरपंचों के साथ उपरोक्त व्यवहार किया गया है।

मैं बताना चाहता हूं कि उपरोक्त सरपंचों में पांच में तीन तो भा.ज.पा. के हैं किन्तु वे व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय को पसंद नहीं हैं। मेरी यह भी जानकारी में आया है कि ऐसी कार्यवाही अन्य जिलों में भी की गयी है। इसलिये मैं सोच रहा हूं कि अकाल राहत कार्यों में नयी संस्कृति "सांवरमल अकाल राहत कोड" की शुरूआत अत्यन्त चिन्ता एवं चिन्तन का विषय है। चुने हुए प्रतिनिधि का आदर अगर चुना हुआ प्रतितिधि नहीं करेगा तो हमारे देश व प्रदेश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो चरमरा रही है, वह ढह जाएगी और देश—प्रदेश अराजकता का शिकार हो जाएगा। इसलिये मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि इस नयी संस्कृति को अभी से ही समाप्त करें और चुने हुए प्रतिनिधियों को उचित आदर का स्थान प्रदान कर प्रजातंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

पिड़ावा (कोटा) की यातायात सुविधा

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा): राजस्थान विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में जयपुर—पिड़ावा, कोटा—सुनेड़ा, कोटा—पिड़ावा आदि बसें चला करती थीं लेकिन विगत 2—3 वर्षों से ये सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं जिनकी वजह से इस क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जयपुर— पिड़ावा बस लगभग चार वर्ष पूर्व चलायी गयी थी। इस बस को मात्र एक वर्ष के लगभग चलाकर बंद कर दिया गया। इस बस द्वारा कोटा—जयपुर के लिये काफी सुविधा थी। वह सुविधा समाप्त कर दी गयी जिसकी वजह से यात्रियों को अधिक धन और समय खर्च करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, कोटा—सुनेल बस जो काफी वर्षों से चल रही थी, मात्र एक कंडक्टर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बस को कोटा — भवानीमंडी तक ही सीमित कर

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

दिया गया। इस बस पर एक कंडक्टर भवानीमंडी का रहने वाला है और वह इस बस पर वर्षों से चल रहा है जबकि भवानीमंडी से मात्र 16 किलोमीटर दूर सुनेल स्थित है लेकिन कंडक्टर रात को अपने घर नहीं पहुंच सकता है, इसलिये इस बस को भवानीमंडी तक सीमित कर दिया गया। एक कंडक्टर को सुविधा प्रदान करने के लिये मेरे क्षेत्र के लोगों की सुविधा की बलि दी जा रही हैं। यह सुनेल व सुनेल के आसपास के लोगों के प्रति अन्याय है। उक्त बस कोटा डिपो की है।

इसी प्रकार कोटा–पिड़ावा बस को जो वर्षों से कार्यरत थी, पिड़ावा तक नहीं भेजा जाकर मध्य प्रदेश के सोयत कस्बे तक ही सीमित कर दिया गया है जबकि सोयत और पिड़ावा के बीच की दूरी भी मात्र 16 किलो मीटर है। इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा भी समाप्त कर दी गयी है।

झालावाड़ डिपो द्वारा एक बस पिड़ावा–खाटूश्यामजी चलायी गयी थी। पूर्व में झालावाड़–खाटूश्यामजी बस चला करती थी, व उसी बस को पिड़ावा से चालू कराया था लेकिन इस बस को भी मात्र 4–5 दिन चलाकर बन्द कर दिया गया। इस बस से हमें कोटा–जयपुर की सुविधा उपलब्ध होती थी। काफी दिन से मेरे क्षेत्र के लोगों की मांग है कि एक रात्रि बस भवानीमंडी–इन्दौर चलायी जाए। जिससे व्यापारी–किसान अपना इन्दौर का कार्य एक ही दिन में करके वापस आ सकें। लोगों की इस भावना के अनुरुप मैंने मंत्री महोदय को दो–तीन बार पत्र द्वारा अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (जो कोटा–जयपुर–इन्दौर आदि शहरों से सीधी सेवा से कटा हुआ है, वहां वांछित सेवाएं उपलब्ध कराकर इस क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मोहन लाल जी बारूपाल।

जायल (नागौर) में क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मैं आपकी कृपा से मंत्री महोदय का सड़कों के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिला नागौर तहसील जायल में नागौर से देह व देह से सोयणा गोठ मांगलोद वाया जायल जाने वाली सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं तथा नागौर से रोल काजीयान जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त है। इसी प्रकार रोल काजीयान से फरडोद, सरनाऊ से जायल सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं तथा रोल से रातंगा की सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिनसे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। लोगों का सम्पर्क एक–दूसरे से कटा हुआ है और विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

अतः सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को सूचित करना है कि उक्त सूचना मंगवाकर कार्य चालू कराया जाए।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आपको इस विषय में छोटी–सी कविता सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बहुत दिन हो गये हैं।

श्री मोहनलाल बारूपाल : सड़कें तो बन जाएंगी, पर मैं उनको कहूंगा। निवेदन करना है मेरा, अब राज तो आपका है और काम करते नहीं हो। (व्यवधान)

"धनवन्त धर्मन नहीं करे, नरपत करे न न्याय,
भजन करे नहीं भगत होय कीजे कौन उपाय,
कीजे कौन उपाय, सलाह एक मानो म्हारी,
जा बैठें तो मांयनै दी आवे जद भारी
जरयग डिन्गा खाव तो पगल्या टीके न ठाय
धनवन्त धर्मन नहीं करे नरपत करे न न्याय।"

आगे कहना है :

"दगा किसी का सगा नहीं, कर देखो रे भाई
चिट्ठी लिख दी बामण न नाक बढ़ायो नाई
नाई नाक बढ़ायो, राजा के दरबार,
बामण सीधो जावे तो रस्तो रोक्यो आर,
रस्तो रोक्यो आर, हमें कुछ देवो बधाई,
चिट्ठी लिख दी बामण न नाक बढ़ायो नाई।"

दगा किसी का सगा नहीं, किसी को दगा नहीं करना चाहिये। किशनाराम जी नाराज तो होंगे पर कहना तो पड़ेगा हमारे को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी।

छबड़ा की सिंचाई परियोजनाएं

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में हिंगलोह, लहासी, उतावली, फालिया, सिंचाई परियोजनाएं सर्वे होकर स्वीकृति के लिये पड़ी हैं। छबड़ा–छीपाबड़ौद का क्षेत्र पिछड़ा व गरीब है। यहां की जमीन की औसत जोत साढ़े सात बीघा है। असिंचित एरिया है, लोग कुओं से खेती करते हैं। वहां वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। क्षेत्र की नदियों का पानी बरसात में बहकर मध्यप्रदेश में चला जाता है। डीजल पम्प से जमीन सिंचित करने पर महंगी पड़ती है।

अतः मेरा निवेदन है कि भूमिगत जलस्तर को ऊपर लाने के लिये तथा खेती के लिये सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिये उक्त सिंचाई परियोजनाओं का कार्य शुरु करवाने का कष्ट करें। उक्त योजनाओं से छबड़ा विधान सभा के 220 से 250 तक और अटरू तहसील के भी कुछ ग्राम सिंचित होते हैं। क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूर कर कार्य प्रारम्भ करवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम जी अहारी।

डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्य

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में इस वर्ष बरसात के अभाव में भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। जहां कहीं माह जून के द्वितीय सप्ताह में मामूली बरसात हुई थी, वहां गत वर्ष से परेशान हुए काश्तकारों ने खेतों में बीज बो दिया लेकिन अभी तक आवश्यक बरसात नहीं होने से बोयी गयी फसल समाप्त हो गयी है। अधिकांश पंचायतों में बुवाई भी नहीं हो पायी है और इधर अकाल राहत के कार्य बंद कर दिये गये हैं। लोगों के पास न तो अनाज है और न ही घास। हैण्डपम्पों और कुओं में पानी बिलकुल

(श्री नाथूराम अहारी)

ही सूख गया है। घास की कीमत 10 से 12 हजार प्रति ट्रक हो गयी है अर्थात् क्षेत्र की जनता की हालत बहुत ही बिगड़ गयी है जिससे कहीं—कहीं चोरियों की वारदातें होने लगी हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार से सरकार को निवेदन है कि जहां जहां बुवाई नहीं हुई है, बोयी फसल सूख गयी है, वहां अकाल राहत के कार्य चालू कराये जाएं। घास की व्यवस्था सरकार की ओर से प्रत्येक गिरदावर सर्कल में करायी जाए। हैण्ड पम्प और कुएं जहां जहां सुख गये हैं वहां कुएं गहरे कराये जाएं एवं नये हैण्ड पम्प लगवाने की तुरन्त व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बनवारीलाल जी शर्मा।

प्राकृतिक प्रकोप के कारण मृतकों/घायलों को मुख्य मंत्री कोष से राहत

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत में निम्नांकित विशेष उल्लेख का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नटकापुरा, सरानी खेड़ा, चांदपुर, बिसनोदा, सरेसी का पुरा, लगमा एवं उसके आस—पास के ग्रामों में दिनांक 6 जुलाई, 1996 को सांय 4.00 बजे प्रकृति के प्रकोप ने यकायक 30 मिनट में तबाही मचा दी। ग्राम नटकापुरा, पंचायत सरानी खेड़ा तहसील धौलपुर में तेज गति से आये भयंकर तूफान, आंधी, वर्षा ने सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ों के नीचे दबकर एक किशोर सुराज पुत्र भुसरिया की मृत्यु हो गयी, 10 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये। दर्जनों मुर्गियां व बकरियां मर गयीं। घरों के छप्पर उड़ गये, कच्ची दीवारें ढह गयीं। पास ही स्थित छोटी रेलवे लाइन पेड़ों के गिरने से चौड़ी हो गयी जिससे धौलपुर—सरमथुरा जा रही ट्रेन 24 घंटे तक रुक गयी तथा यातायात भी ठप्प हो गया।

मान्यवर, ग्यारह वर्षीय सुराज पुत्र भुसरिया की मृत्यु हो गयी एवं रशीद—10 वर्ष, राजवीर—20 वर्ष, गुड्डू—3 वर्ष, आशा—10 वर्ष, मलिका—3 वर्ष, दबकर गम्भीर रुप से घायल हो गये। घयलों में से किसी के सिर में, किसी के पैर में, किसी की कमर में चोटें आयी हैं। तूफान की गति इतनी भयंकर थी कि पेड़ों के गिरने से 16 मुर्गियां, 3 बकरियां मर गयीं।

मेरा अनुरोध है कि मृतक सुराज के परिजनों व घायलों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से तुरन्त सहायता दिलवायी जाए। मरे हुए जानवरों की क्षतिपूर्ति एवं टूटे हुए मकानों की मरम्मत हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायणजी मीणा।

लटूर मीणा की पुलिस द्वारा कथित हत्या

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान एक बहुत ही जघन्य अपराध जो पुलिस के द्वारा किया गया है और

(श्री रामनारायण मीणा)

उसको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है, उसके बारे में दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ें इसको।

श्री रामनारायण मीणा : मान्यवर, पुलिस थाना लाखेरी वालों द्वारा लटूर मीणा निवासी गन्डाली की झोंपड़ियां (जिला बूंदी) की पुलिस में बुलाकर मारपीट कर हत्या की गयी। इसका मुकद्दमा संख्या 8/95 थाना लाखेरी में दर्ज है। मुकदमे की तफतीश सी. आई.डी. (सी.बी.) द्वारा करवायी गयी है किन्तु मुलजिमान ने अपने प्रभाव से सही तफतीश नहीं होने दी है और हत्या के मुकदमे के मुलजिमान के निलम्बन को निरस्त करके नौकरी पर बहाल कर दिया है। मृतक लटूर की विधवा श्रीमती शरमाबाई व नाबालिग बच्चे न्याय की गुहार करते आ रहे हैं। अनपढ़ एवं ग्रामीण परिवेश में पली उक्त विधवा की गुहार सुन कर अभी तक भी पति के हत्यारों को सजा नहीं दी गयी है क्योंकि हत्यारों का पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव है। मृतक की विधवा को अभी भी पुलिस ज्यादती से मारे गये उसके पति की मृत्यू के बतौर मिलने वाली सहायता राशि भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं।

अतः निवेदन है कि मृतक लटूर को पुलिस थाना लाखेरी में बुलाने तथा उसके थाने में रखने व पूछताछ करने के समस्त रिकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखी जाए तथा मुझे भी उपलब्ध करवायी जाए। पुलिस कर्मचारियों के बचाव के लिये दबाव में की जा रही तफ्तीश को महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से करवा कर मुलजिमान के खिलाफ हत्या के मुकदमे में न्यायालय में चालान पेश किया जाए। मृतक की विधवा शरमा बाई व नाबालिग बच्चे–बच्चियों को अनुग्रह राशि एक लाख रुपये, जो नियम है, वह दिलायी जाए। मान्यवर, मैनें इस बारे में मुख्य मंत्रीजी से बात की है गृह मंत्रीजी, आप तो काइण्ड एनफ हो इस मामले में क्या कर रहे हो क्योंकि पुलिस ज्यादती का मामला है ?

श्री अध्यक्ष : बात करेंगे आज। श्री शंकर लालजी।

श्री रामनारायण मीणा : यदि वे देना चाहें। आप कुछ कहना चाहेंगे, माननीय गृह मंत्रीजी ? वह आपसे मिली है, आपने उसकी दयनीय स्थिति देखी है, पुलिस ने मारा है उसको, मदद करेंगे कुछ ? गर्दन तो हिलाइये।

श्री अध्यक्ष : अभी डिमाण्ड है, तब बोल लेना। विराजिये आप। अहारी साहब।

मोरडोंगरा (डूंगरपुर) ग्राम का सीमांकन

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी का घ्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जिला डूंगरपुर के मोरडोंगरा ग्राम में भूमि का नक्शा व पत्थरगढ़ी (सीमांकन) न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

डूंगरपुर जिले के ग्राम मोरडोंगरा पंचायत चारवाड़ा, पंचायत समिति बिछीवाड़ा में लम्बे समय से मोरडोंगरा भूमि का राजस्व नक्शा पटवार मण्डल के पास उपलब्ध न होने से स्थानीय कृषकों को भारी नुकसान हो रहा है। नक्शा न होने से व्यक्तियों के निजी मकान बनाने

(श्री शंकरलाल अहारी)

में, कुआं खोदने में, मेड़बंदी, सड़क बनवाने के लिये खसरा नम्बरों की आवश्यकता रहती है। ग्राम के किसानों को जो भूमि पूर्व से अबंटन हुई है उसकी एस्तावर भूमि की पत्थरगढ़ी नहीं होने से लोग आपस में भूमि विवाद में लड़ रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि यथाशीघ्र ग्राम मोरडोंगरा पंचायत चारवाड़ा की भूमि का नक्शा एवं सीमांकन करवाने के आदेश दिलाकर स्थानीय ग्रामीण जनता को लाभान्वित कराएं। धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक सूचना जो आयी है, बहुत हिंसक क्राइम, कोटा में ......

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, आप विराजें। फूलचन्दजी को बोलने दें। माननीय फूलचन्दजी।

सलूम्बर (उदयपुर) में अपर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उदयपुर का मुख्यालय उप खण्ड सलूम्बर करने के बाबत आकर्षित करूंगा।

उदयपुर जिले का सबसे बड़े जनजाति बहुल उपखण्ड मुख्यालय सलूम्बर है। यह मुख्यालय जनजाति संसदीय क्षेत्र का आरक्षित मुख्यालय है। मैं इस लोक महत्व के आवश्यक एवं अविलम्बनीय प्रक्रिया के नियम के माध्यम से सरकार का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करूंगा कि इस सरकार ने इस उपखण्ड मुख्यालय का केन्द्र बिंदु सलूम्बर माना और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण साहसपूर्वक कर चार खंडीय कार्यालयों के मुख्यालय कायम किये हैं जो निम्न हैं– 1. सार्वजनिक निर्माण विभाग, 2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 3. सिंचाई विभाग, 4. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, 5. खनिज सहायक अभियन्ता। जनजातियों को उच्च शिक्षा का लाभ मिले, इसकी आवश्यकता समझ कर महाविद्यालय की स्थापना की और प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रख कर आवासीय विद्यालय 200 छात्राओं के लिये किया जो सराहनीय है एवं प्रशासनिक कदम है।

इसी क्रम में मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि उदयपुर मुख्यालय में तीन अपर पुलिस अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। इससे गरीब एवं पिछड़े और जनजाति क्षेत्र के वाशिन्दों को सुरक्षा एवं न्याय का सीधा लाभ प्राप्त होने में कठिनाई ही नहीं, कई तरह की विषमताएं वहन करनी पड़ रही हैं। इसलिये इन तीनों में से एक अथवा पुलिस की नवीनीकरण और विस्तार योजना के तहत नया अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्र सृजित कर किसी भी एक का मुख्यालय सलूम्बर करने की व्यवस्था करें ताकि जनता को सीधा न्याय एवं सुरक्षा मिल सके। इस इलाके की पुलिस एवं जनजाति जनता का संबंध तो आप भलीभांति जानते हैं। अतः पुनः निवेदन है कि अपर पुलिस अधीक्षक का मुख्यालय सलूम्बर पर कराएं। इसी निवेदन के साथ आशा है कि इसे माननीय गृह मंत्री महोदय एवं सरकार गम्भीरता से लेकर जरूर ही आवश्यक निर्णय करेंगे। धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं। बंधुआ मजदूरों के लिये हम यहां बात करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में बात करते रहते हैं। कोटा स्थित सेमकोर फैक्ट्री के मजदूरों की हालत खराब हो रही है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। एक ओमप्रकाश सुमन मजदूर—आपरेटर है कोल फिनिशिंग डिपार्टमेंट में है, उसके सिर पर सब के जूते रख कर उसको फैक्ट्री में घुमाया गया। उसके साथ मारपीट की गयी, ज्यादती की गयी वहां के मैनेजर के द्वारा, इस तरह का फैक्ट्रीज में अन्याय हो रहा है, बंधुआ मजदूरों से ज्यादा दुर्दशा हो रही हो और फैक्ट्री एक्ट का वायोलेशन हो रहा है। सरकार के जो कर्मचारी वहां लगे हुए हैं वे कुछ नहीं करते, इसलिये इसे तरह की ज्यादतियां हो रही हैं।मजदूर वर्ग आंदोलित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के घृणित कार्य जो फैक्ट्री करती है, उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करें। फैक्ट्री वाले इसलिये कर रहे हैं कि एक बहुत बड़े, प्रभावी मंत्री का वे नाम लेते हैं कि हमारे सिर पर वरदहस्त है। कृपा करके इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देकर सरकार से कुछ कार्य करवाएं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

सीकर जिले की पंचायत समितियों में डार्क जोन से मुक्ति दिलाने बाबत

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सीकर जिले की पंचायत समितियों में पुनः सर्वेक्षण करवा कर डार्क जोन से मुक्ति दिलाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति, 1995—96 का 70वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, जन लेखा समिति 1995—96 समिति का 70वां प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, जन लेखा समिति 1995—96 विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1990—91, 1991—92 तथा 1992—93 एवं इन पर भारत के नियंत्रक महा—लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग तथा शिक्षा एवं पंचायत राज विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 70वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के गांवों व कस्बों में समुचित पेयजल व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(अनुपस्थित)।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र की राजस्व सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में राजस्व समस्याएं

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं, लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की राजस्व सम्बन्धी समस्याओं के बारे में माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष जी ....

श्री परसादीलाल मीणा : राजस्व मंत्री जी कहां हैं ? राजस्व मंत्री जी हैं नहीं। (व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उन्होंने ध्यान आकर्षण कर दिया अब आप जवाब दीजिये। ....(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सदन की इससे बढ़कर क्या अवमानना हो सकती है। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाता है .... (व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा : यह सदन की अवमानना का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? मंत्रीजी हैं नहीं और आप ध्यानाकर्षण करा रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार गायब है।

श्री विष्णु मोदी : यह सरकार जिस तरह से सदन को चलाना चाहती है.... (व्यवधान)... क्या आप भी उसमें सहभागी बनना चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री जी मौजूद नहीं हैं सदन के अन्दर, यह तो सदन की बिलकुल अवहेलना है।

श्री विष्णु मोदी : क्या इस सदन में मंत्री जी की ...(व्यवधान)... विधान सभा में आस्था ही नहीं है ? ....(व्यवधान)....क्या आप भी इसमें भागीदार बनना चाहते हैं ? (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : रिकार्ड नहीं करवाइये इसको आप।

श्री विष्णु मोदी : किसका ध्यान आकर्षित करें, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : लघु शंका के लिये गये हैं, मंत्री जी हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी यहीं विराज रहे थे शायद लघु शंका करने गये हैं और यह ऐसी नेचुरल है कि उसमें किसी को कुछ कह नहीं सकते।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या लघु शंका के लिये पूछकर गये हैं आपसे ?

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में आ रहे हैं, विराजिये आप।

श्री हरजीराम बुरडक : आप ताड़ना दीजिये सरकार को, अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है।

श्री अध्यक्ष : अब पेशाब करने पर भी ताड़ना देने लगे गये तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।

श्री परसादी लाल मीणा : आधे से अधिक मंत्री यहां नहीं रहते, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दो–ढाई घंटे तक यहां बैठना पड़ता है, 11.00 बजे से विराजे हुए हैं और उन्हें यह पता नहीं था कि पहले वाला ध्यानाकर्षण करने के लिये श्रीमती इन्दिरा मायारामजी नहीं होंगी। विराजिये आप।

श्री हरजीराम बुरडक : हमको नहीं बैठना पड़ता है क्या ? हम भी तो बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : चलो आ गये, आ गये।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर तहसील व बीकानेर राजस्व तहसीलों की राजकीय कृषि योग्य भूमि जो काफी तादाद में उपलब्ध हैं, भूमिहीन काश्तकारों को आबंटन की जा सकती है, के संदर्भ में लेख है कि वर्तमान में लूणकरणसर तहसील में 1,87,058 बीघा बारानी कृषि योग्य भूमि आबंटन से शेष है। उक्त भूमि मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण बारानी भूमि पर आबंटन पर रोक है। साथ ही निकट भविष्य में इन गांवों को भारत सरकार के रक्षा विभाग द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्तार हेतु अवाप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित होने के कारण यहां बेरोजगार काश्तकारों को भूमि का आबंटन किया जाना सम्भव नहीं हैं।

उपरोक्त तहसीलों के क्षेत्र की भूमि सरकारी डीकोलोनाइजेशन होने के बाद काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं, के संबंध में लेख है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर का जो क्षेत्र परियोजना क्षेत्र से बाहर आ गया है, उसके जिन कृषकों का मौके पर निरन्तर कब्जा था, उन्हें राजाज्ञा दिनांक 9–7–87, 11–7–87, 4–1–89 एवं 8–7–91 के अनुसार खातेदारी अधिकार कैम्प लगाकर अथवा उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा दे दिये गये हैं। ये गांव मलकीसर छोटा, मलकीसर बड़ा, कपूरीसर, पीपेरा, हरियासर, फूलदेसर, कांकड़वाला और डेलाणा बड़ा हैं। बीकानेर तहसील के गांव करमीसर, शिवबाड़ी, चकगर्वी उदासर, बीछवाल, कानासर, शोभसर आदि नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं। अतः ऐसे काश्तकारों की संवत् 2012 की जमाबंदी में वर्णनानुसार काश्तकार या उसके उत्तराधिकारियों को जिनका कब्जा कृषि प्रयोजनार्थ निरन्तर रहा है, नियमानुसार, रिकार्ड और मौके पर जाकर खातेदारी अधिकार दे दिये जाने के आदेश अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को दिये जा चुके हैं।

विशेष आबंटन की पत्रावलियां जिनमें काश्तकारों के समक्ष करार दिया जा चुका था एवं इसी दौरान उपनिवेशन तहसील के समाप्ति के बाद से पेंडिंग पड़ी हैं, जिनमें आबंटन आदेश प्रसारित करने के संदर्भ में लेख है कि उपनिवेशन विभाग द्वारा विशेष आवंटन किया गया है और ऐसे आबंटियों ने 35 प्रतिशत राशि जमा करा दी है, उन्हें आबंटन आदेश जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. उनके घर प्रेषित किये जा चुके हैं। ऐसे कुछ काश्तकार, जिन्हें आबंटन हो चुका है, किन्तु 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करायी, उन आबंटियों को राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं तथा इन्हें भी नियमानुसार आबंटन आदेश जारी किये जाएंगे।

(श्री गंगाराम चौधरी)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह सूचनार्थ है कि लूणकरणसर क्षेत्र के ग्राम सूई, शेरपुरा में रिकार्ड की गलतियां थीं व तरमीम की आवश्यकता थी। ग्राम सूई का पुनः सर्वे कराया गया, अब अभिलेख तैयार किया जा रहा है। ग्राम शेरपुरा में तरमीम कार्य 35 प्रतिशत से ज्यादा है तथा अभी कराया जाना शेष है।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि भूमिहीन काश्तकारों को जो एक लाख सत्यासी हजार बीघा जमीन है वह आबंटित नहीं की जा सकती। मेरा निवेदन यह है कि उस इलाके में भूमिहीन काश्तकार बहुत बड़ी संख्या में हैं और उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है, राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि जब भूमि उपलब्ध है तो उन लोगों के बीच में भूमि क्यों नहीं आबंटित की जाए। दूसरा इसी में मेरा यह प्रश्न था कि अमरपुरा गांव और कानासर जो बीकानेर तहसील में हैं ये आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिये प्रस्तावित नहीं हैं। अमरापुरा गांव में भूमिहीन हरिजनों के कम से कम सौ—डेढ़ सौ काश्तकार ऐसे हैं जो कि 15—20 वर्षों से मूल निवासी हैं अमरापुरा गांव के। उनको जमीन टी.सी. पर आबंटित की जानी चाहिये थी जो आबंटित नहीं की जा रही है। इस उपनिवेशन तहसील में बारानी क्षेत्र में भूमिहीन काश्तकार हरिजन जो मूल निवासी हैं, उनको आबंटित क्यों नहीं किया जा रहा है ? इसके बारे में पिछली बार वहां के लोगों ने आन्दोलन किया और उपनिवेशन तहसील के उपनिवेशन कमिश्नर के कार्यालय में 15 दिन तक धरना दिया। धरना देने के बाद कमिश्नर ने उनको आश्वासन दिया था और उनसे आवेदन पत्र मांग लिये गये थे लेकिन उनको आबंटन नहीं किया गया। मैं राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे भूमिहीन काश्तकार अमरपुरा गांव के लोगों को जिनकी एप्लीकेशंस इन्वाइट कर ली गयी थीं, उन लोगों को आबंटन कराने की आप व्यवस्था करें।

इसके अलावा आपने मुझे यह बताया कि डीकोलोनाइजेशन होने के बाद आज भी इतने गांव हैं जिन गांवों के बारे में आपने कहा कि हमने कैम्प लगा कर उनको खातेदारी अधिकार दिये हैं। तो कृपया आप मुझे बताने का कष्टा करेंगे कि कितने आपने कैम्प लगा कर के कितने लोगों को खातेदारी अधिकार दिये हैं ? केवल आपने यह कहा है कि अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं। मैं यह समझ रहा हूं कि सन् 1977 में जो गांव डीकोलोनाइज हो गये आज इतने वर्षों 18 साल होने के बाद भी उन लोगों को आपने खातेदारी अधिकार नहीं दिये और आपने मेरे जवाब में लिख दिया कि हमने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिये हैं अभी तक। पिछले 18 साल में आपने आदेश दिये हैं और उन लोगों की जो समस्या है उसके बारे में आपने कुछ ध्यान नहीं दिय। मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि डीकोलोनाइज हुए जो काश्तकार हैं, जो टी.सी. होल्डर थे और डीकोलोनाइज होने के बाद लगातार कब्जे में हैं एकमुश्त तरीके से उनको खातेदारी अधिकार आप दें।

मुझे ऐसा कहा गया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि लो लेवल पर इन लोगों के सामने भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है। उसका कब्जा पूरा नहीं है, आप इतने पैसे दो तब तो कब्जा पूरा हो जाता है और पैसा नहीं दो तो

(श्री भीमसेन चौधरी)

उनको कहते हैं कि आपका कब्जा निरन्तर नहीं है। ये बहाने बना कर उन काश्तकारों को खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार की जो समस्या है इस समस्या पर भी आप अंकुश लगाएं, कि लगातार काश्तकार बैठा है उसके बारे में आपको पूछताछ करने की क्या आवश्यकता है ? एक साल का कब्जा आपके रिकार्ड से साबित नहीं होता जबकि आज तक 18 साल से 20 साल से बराबर वह बैठा हुआ है। यह अपने—आपमें सबूत है कि उसका निरन्तर कब्जा है। इस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी को इस समस्या की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा जो गांव शहरी क्षेत्र में आ गये हैं, जो काश्तकार आज तक कृषि करते आ रहे हैं, उसका प्रयोग आज खेती के लिये हो रहा है उनको खातेदारी अधिकार आप क्यों नहीं दे रहे हैं ? उनको क्यों वंचित कर रहे हैं आप ? उनको आज 18 साल हो गये, इस बारे में आपको जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिये।

(13.30)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने बारानी भुमि आबंटन के सम्बन्ध में किया है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कमाण्ड और अनकमाण्ड, उस जमीन को छोड़कर जिनमें डी.डी.पी. के प्रोग्राम्स लागू हैं उनमें सन् 1976 में भूमि का आबंटन कृषि प्रयोजनार्थ बन्द कर दिया गया था। गवर्नमेंट आफ इण्डिया की सलाह थी और राजस्थान सरकार ने 1976 में आदेश जारी किया था इसलिये यह बारानी भूमि जो 1 लाख 87 हजार बीघा बतायी है मैंने, उसका आबंटन इस क्षेत्र में नहीं हो सकता । ऐसे बहुत—से जिले हैं जिनमें बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, चूरु है, बहुत—से जिले हैं इनमें आबंटन पर निषेध है। इसी के साथ ही जो कालोनी एरिया है उस कालोनी एरिया में भी बारानी भूमि के आबंटन पर रोक लगा दी थी 1991 के आर्डर के आधार पर, इसलिये बारानी भूमि का आबंटन इस आधार पर किया नहीं जा रहा है। यह अमरपुरा की बात बतायी है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक गांव के लिये आबंटन का नोटिस निकला था इसलिये राज्य सरकार ने उस पर रोक लगायी थी। जब कालोनी एरिया में सारे और गांवों के लिये भी दरख्वास्तें मांगी जाएंगी तब इस अमरपुरा का भी हम साथ में ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, खातेदारी की जो बात कही गयी है, मैंने वैसे तो निवेदन किया है फिर भी मैं फिगर्स बता दूं कि जो क्षेत्र ट्रांसफर हुआ था, राजस्व डिपार्टमेंट को समझ लीजिये या कलैक्ट्रेट को, उसमें जो डिकालोनाइज विलेजेज आये थे उसमें कुल 1860 आदमियों को खातेदारी देना बाकी था। इनमें से कैम्प लगाकर 1278 को खातेदारी दे दी। अलग अलग गांव बता दूं – बीकानेर तहसील में 1286 थे जिसमें 787 को खातेदारी दे दी, लूणकरणसर तहसील में 574 थे जिनमें से 491 को खातेदारी दे दी। शेष जो व्यक्ति रह गये हैं दोनों को मिलाकर वे 582 हैं, उनमें

(श्री गंगाराम चौधरी)

अभी खातेदारी देना शेष है। उनमें कई कारण बनते हैं लेकिन उनमें भी जो अधिकृत अधिकारी हैं खातेदारी प्राप्त करने के उन लोगों को कैम्प लगाकर खातेदारी दे दी जाएगी। इसमें शहरी क्षेत्र में 180 हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह निर्देश जारी कर दिये हैं कि जो भूमि शहरी क्षेत्र की म्यूनिसिपैलिटी को ट्रांसफर कर दी उस जमीन पर खातेदारी देने में सरकार मजबूर है लेकिन मास्टर प्लान जहां पर लागू है लेकिन आदमी अभी भी कृषि कर रहा है वहां खातेदारी दे दी जाएगी। जो अधिकृत हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आदेश सम्बन्धित जिला कलेक्टर को दे दिये हैं। टी.सी. होल्डर जिनका लगातार कब्जा है, गैर खातेदार जिनका लगातार कब्जा है, उनको हम खातेदारी दे देंगे। माननीय सदस्य ने शंका जाहिर की है, लगातार या निरन्तर कब्जे की बात है तो वह डिस्क्रिशन पर रह जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है गिरदावरी में लगातार दर्ज नहीं हो। राज्य सरकार ने एक आदेश अवश्य जारी किया है कि जहां पर अकाल क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और उस वर्ष में अगर गिरदावरी में इन्द्राज नहीं है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे, उसको निरन्तर कब्जा न होना शामिल न करके निरन्तर कब्जा मान लिया जायेगा, उनको दे दी जाएगी। जो वास्तव में अधिकृत नहीं हैं उनको नहीं दी जा सकती या वह लोग जिन्होंने कृषि भूमि को रूपांतरित कर दिया, शहर में ऐसी कई कृषि भूमियां हैं जिन पर मकान बन गये वह भी कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है उन व्यक्तियों को खातेदारी नहीं दी जा सकेगी बाकी सब व्यक्तियों को खातेदारी दे

बीकानेर नार्थ, एस.डी. ओ. के पास में पहले कुछ काम ज्यादा था क्योंकि सारे एरियाज के एकदम ट्रांसफर हो गये, कुछ पैंडिंग केसेज भी थे। राज्य सरकार ने अब इसी क्षेत्र में खाजूवाला को अलग सब–डिवीजन घोषित कर दिया है इसलिये बीकानेर नार्थ के पास में जिसमें यह क्षेत्र है, वहां से खाजूवाला के पास जाएगा तो उसके पास में काम कम रहेगा और उस काम को हाथ में लेकर अभियान चलाकर हम सब को जो शेष हैं, जो अधिकृत हैं उनको खातेदारी दे देंगे।

श्री भीमसेन चौधरी :माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अमरपुरा गांव का खास तौर से निवेदन किया है। यहां के जो हरिजन हैं, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, उस इलाके के मूल निवासी हैं उनको 20 साल से आज तक अलाटमेंट नहीं हुआ। वहां तो टी.सी. पर जमीन आबंटित की जानी चाहिये थी। वह उनको नहीं दी गयी तो जो हरिजन हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं उन लोगों को तो कम से कम आप अलाटमेंट की व्यवस्था करवाएं। ये कालोनी एरिया के गांव हैं और क्षेत्र बारानी पड़ता है, बारानी क्षेत्र में तो आप इसकी व्यवस्था करवाएं।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो, जो एरियाज रेवेन्यू को ट्रांसफर हो गये उसके बारे में था आपका ध्यान आकर्षण फिर भी इस बारे में मैं निवेदन कर दूं कि केवल एक गांव अमरपुरा के लिये अधिकारियों ने आबंटन की दरख्वास्तें मांगी थीं इसलिये रोक लगायी थी। जब सारे ही गांवों के साधारण आबंटन शुरू होंगे तब अमरपुरा को भी साथ में ले लेंगे और हम जल्दी ही आबंटन करवा देंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : सारे गांव तो कोई हैं ही नहीं, एक ही गांव है। मेरे चतरपुरा और इसके बारे में तो कम से कम आप व्यवस्था करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। यह चर्चा समाप्त हुई।

प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा उदयपुर स्थित माछला मगरा वन क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

माछला मगरा (उदयपुर) वन क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर शहर स्थित माछला मगरा वन क्षेत्र में हो रहे अनधिकृत निर्माण की तरफ वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वन खण्ड माछला मगरा का प्रथम नाटिफिकेशन फोरेस्ट एक्ट के जरिये नम्बर 33/69–33710–34611 महकमा 30. 8.42 ई. तारीख 14.9.42 के गजट में शाया हुआ एवं अन्तिम नोटिफिकेशन जेर दफा 14 फोरेस्ट एक्ट मेवाड़ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट 8/29 मवर्खा 24.1.1944 के राजपत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर में प्रकाशित हुआ और इस वन खण्ड में कई ग्रामों का 511. 04 एकड़ क्षेत्रफल सम्मिलित किया गया। इस वनखण्ड की भूमि में से समय समय पर विभिन्न राजकीय प्रयोजनार्थ यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्टेट मोटर गैराज, मिलिटरी केंटोनमेंट हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि रिलीज की गयी है। विभिन्न राज्यादेशों द्वारा या जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय द्वारा इस वन खण्ड के ग्रामों में से 175.87 एकड़ वन भूमि निम्नानुसार हस्तांतरित हुई :–

(1) स्टेटं मोटर गैरेज 10 बीधा या 2. 1606 हैक्टेयर राज्यादेश संख्या एफ 7(284) रेवेन्यू/ए/62 दिनांक 4–12–62 द्वारा दी गयी।

(2) वाटर सप्लाई को पानी की टंकी व कार्यालय के लिये 112 बीधा या 24.1185 हैक्टेयर राज्यादेश संख्या एफ.7 (233) रेवेन्यू/क/68 दिनांक 10–2–69 द्वारा दी गयी।

(3) मिलिटरी केन्टोनमेंट को 94 बीधा 8 बिस्वा या 20.3958 हैक्टेयर राज्यादेश संख्या एफ 7 (283) रेवेन्यू/क/68 दिनांक 31–1–70 द्वारा दी गयी।

(4) मिलिटरी केन्टोनमें को 115 बीधा 2 बिस्वा या 24.8683 हैक्टेयर राज्यादेश संख्या एफ 7 (283) रेवेन्यू/क/68 दिनांक 31–1–70 द्वारा दी गयी।

इस प्रकार कुल 175 हैक्टेयर हस्तान्तरण हुई भूमि को पृथक करने का राज्यादेश संख्या एफ 2 (15) राज/8184 दिनांक 15.9.1984 राजपत्र दिनांक 21–2–85 में प्रकाशित हो चुका है।

राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों में अन्तर होने तथा नोटिफिकेशन के अनुसार अमल दरामद नहीं होने के कारण नगर विकास प्रन्यास व नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा इस क्षेत्र की भूमि को आबादी भूमि माना जा रहा है। इस वन खण्ड के ग्राम उदयपुर शहर के राजस्व रेकार्ड के अनुसार अभी भी 26 किता आराजियों का अमल दरामद होना शेष है।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

साथ ही इस 26 किता आराजियों में से कुल किता 11 रकबा 46.93 हैक्टेयर क्षेत्र आबादी दर्ज है। इस प्रकार कुल 34 किता में से मात्र 18 किता का ही अमल दरामद हुआ है जिसका रकबा 85.59 हैक्टेयर है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा मीरा कला मन्दिर, उदयपुर को वर्ष 1971 तथा वर्ष 1979 में भूमि का आबंटन कर दिया गया था।

यह कहना गलत है कि वन विभाग ने माछला मगरा पर अतिक्रमण, पशुचारण आदि रोकने का प्रयास नहीं किया है। नगर परिषद, उदयपुर, द्वारा इस क्षेत्र की वनभूमि में व्यावसायिक परिसर विकसित करने तथा दुकान आदि निर्मित करने हेतु सन् 1982—83 में अतिक्रमण कर कार्य आरम्भ किया गया था जिसे वन विभाग ने तत्काल बंद कराकर अतिक्रमण हटाया था। कच्ची बस्ती हेतु जबरन कब्जा करने वालों को समय—समय पर रोका गया है। कच्ची बस्ती एवं अन्य प्रयोजनार्थ अतिक्रमण को रोकने के प्रयास में समय—समय पर विधिसम्मत कार्यवाही हेतु न्यायालयों में प्रकरण दायर किये जाकर अतिक्रमण रोकने के प्रयास किये गये हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा बार—बार पुलिस तथा जिला प्रशासन से भी इमदाद ली गयी है। अतिक्रमण, निर्वनीकरण,मृदासंरण तथा पशुचारण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये पत्थर की दीवार बनाकर बाड़बंदी की गयी है। माछला मगरा स्थित एकलिंगगढ़ पर स्थित मजार के क्रम में क्षेत्र के लोगों द्वारा दिये गये कथनों से स्पष्ट है कि यह मजार अत्यन्त पुराने समय से स्थित है जैसा कि श्री हैदर खां पुत्र दलपत खां जो मेवाड़ गवर्नमेंट में सूबेदार रहे व्यक्ति के लड़के हैं, ने भी बताया है।

यातायात व्यवस्था में वृक्षारोपण हेतु बनायी गयी दीवार के कारण कोई व्यवधान नहीं है। दीवार वन सीमा पर बनायी गयी हैं। वन विभाग द्वारा वन सीमा पर जो दीवार बनायी गयी है उस लम्बाई में सड़क की चौड़ाई किशनपोल की तरफ से आने वाली पुरानी रोड से अधिक है। बहुत पहले से बनी हुई इमारत राजकीय मुद्रणालय तथा फराशिखाना के पास रोड की चौड़ाई मात्र 26.25 फीट है। चूंकि यह इमारत बहुत पहले से बनी हुई है अतः इसके पास रोड की चौड़ाई को वास्तविक चौड़ाई माना जा सकता है। जबकि वर्ष 95—96 में वन सीमा पर बनायी गयी दीवार के सहारे रोड की कम से कम चौड़ई 30.25 फीट है। कुछ जगहों पर चौड़ाई 38 फीट तक है। इस प्रकार वास्तव में दीवार बनाने कि कारण सड़क सकड़ी नहीं हुई है, बल्कि यह समस्या सड़क के पार्श्व में डाले जाने वाले मलवे कचरे से अवश्य उत्पन्न हो रही है। समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह क्षेत्र तथा सड़क का अधिकांश हिस्सा लम्बे समय से लोगों द्वारा मलवा डालने के स्थल की तरह उपयोग हो रहा था। आयुक्त, नगर परिषद, उदयपुर ने उनके पत्र क्रमांक भ.अति/95—96 दिनांक 12.10.95 द्वारा लिखा था कि बाउण्ड्री वाल के निर्माण से रास्ता सकड़ा होने की संभावना है। अतः स्वयं की भूमि में ही निर्माण कार्य करवाएं अन्यथा अवैध रूप से निर्माण करायी जा रही दीवार परिषद द्वारा हटवायी जाएगी। इस नोटिस के प्रत्युत्तर में उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण) ने उनके पत्र कमांक एफ.विविध/8727 दिनांक 13.10.95 को लिखा कि "नगर परिषद द्वारा लिखी गयी बातें सर्वथा असत्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दीवार को आपने सड़क पर बनवाया जाना बताया है उसके बारे में आपने पत्र लिखने से पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया है। वस्तुतः यह दीवार

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

वन विभाग की भूमि के वन खण्ड माछला मगरा की सीमा में ही बनायी जा रही है और किसी भी रोड के ऊपर कोई अनधिकृत दीवार नहीं बनायी गई है। न्याय हित में आपको सलाह दी जाती है कि वन भूमि पारिस्थितिक विकास हेतु किये जा रहे कार्यों के लिये बनायी जा रही दीवार को किसी भी तरह क्षति पहुंचाने की चेष्टा नहीं करें।" इसके पश्चात् नगर परिषद ने कोई पत्र व्यवहार नहीं किया।

माछला मगरा को पारिस्थितिकी विकास कार्य उदयपुर (दक्षिण) वन मण्डल द्वारा कराया जा रहा है। एतदर्थ सर्वप्रथम राज्य के सीमित संसाधनों से वृक्षारोपण हेतु पत्थर चुन कर सुरक्षा दीवार बनायी गयी है। जल तथा मृदा संरक्षण हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र में समोच्च पर निरन्तर और वितरित खंदक नालियां खोदी गयीं, समोच्च, प्रस्तर भित्तिबंध बनाये गये है। पारिस्थितिक सुधार, शहरी वृक्षारोपण तथा झीलों को संकटापन्न होने से बचाने हेतु प्राकृतिक पुनरुत्पादन, सीधी बुवाई तथा वृक्षारोपण कार्य सम्पूर्ण 75 हैक्टेयर माछला मगरा में वर्ष 1993 से प्रारम्भ कर कराये गये हैं। इसके साथ ही उदयपुर (उत्तर) वन मण्डल द्वारा लगभग 25 हैक्टेयर क्षेत्र में पारिस्थितिक विकास का कार्य पूर्व में ही करवाया गया है। वन विभाग ने उदयपुर शहर के मध्य स्थित संकटापन्न वन भूमि माछला मगरा के संरक्षण हेतु सफल प्रयास किया है।

माछला मगरा आरक्षित वन खण्ड (रिजर्वड् फोरेस्ट लैण्ड) है। पारिस्थितिक विकास, राजकीय भवन, पुनरुत्पादन तथा वृक्षारोपण हेतु पत्थर चुन कर दीवार बनाये जाने के लिये वन विभाग के सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति एवं स्वीकृत योजना के अनुरूप वन विकास कार्य कराये गये हैं। उदयपुर (दक्षिण) वन मण्डल को अरावली वृक्षारोपण परियोजना मद से वर्ष 1994–95 व 95–96 में आबंटित राशि में से उदयपुर (उत्तर) वन मण्डल के पूर्व से ही बने भवन से लगते हुए राजकीय आवास का निर्माण किया गया है। इस निर्माण हेतु यू. आई. टी. या नगर परिषद या टाउन प्लॉनर ने कभी कोई आपत्ति नहीं की है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के बाद माछला मगरा की जो स्थिति है, उसके संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि माछला मगरा वह स्थान है जहां किसी जमाने में मेवाड़ सरकार का तोपखाना रहता था और जहां से तोपों का संचालन होता था। जो बड़ी तोप थी, इसका गोला तो वहां से 21–22 किलोमीटर पर जाकर गिरता था जो डबोक कहलाता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसको एकलिंगगढ़ के नाम से जाना जाता है यानि यह गढ़ था, किला था एक तरह का। गढ़ की तरह से मेवाड़ के इस उदयपुर की सुरक्षा के लिये इसका निर्माण किया गया था। यह जो गढ़ था इसके नीचे यह बिलकुल शहर से निकलता है। जैसे ही चारदीवारी के बाहर निकलते हैं वहां से यह माछला मगरा प्रारम्भ होता है। यह इतना घना जंगल था कि इसके अंदर जो शिकार करने की हौदियां थीं, वे आज भी उस पर विद्यमान हैं। वो इतना गहरा यह जंगल था। इसमें सवाल इस बात का उठता है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजस्व के रिकार्ड के कारण और वन विभाग में लैण्ड के रिकार्ड की वजह से यू.आई.टी. और नगर परिषद इस पर कार्यालय के लिये भूमि देती रहीं। तो आखिर इस रेकार्ड को क्यों नहीं ठीक किया गया ? नगर परिषद को

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

किसी तरह की वह रहती न यू.आई.टी को रहती। वन विभाग वालों को चाहिये था कि इस रिकार्ड को ठीक करते।

मेवाड़ गवर्नमेंट के टाइम पर, आपने अपने उत्तर में बताया है कि इसका नाटिफिकेशन 1942 के अंदर ही कर दिया गया था और उसके बाद 1944 में नोटिफिकेशन किया और इतनी जमीन दे दी गयी। जो जमीन आबंटित की है, उन्होंने तो मिलिटरी वालों को भी दे दी, मीरा कला मन्दिर वालों को भी दे दी। यह सारी जमीन शायद इसलिये दी गई कि इसको रिजर्वड फोरेस्ट नहीं माना गया होगा। लेकिन वन विभाग वालों ने, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर जो अतिक्रमण हुए उनको रोकने के लिये प्रयत्न किया। तो यह स्वराज नगर कैसे बस गया, यह भगतसिंह नगर कैसे बस गया ? जो नेशनल हाईवे जा रहा है अहमदाबाद की ओर, उस नेशनल हाई–वे पर माछला मगरा की सम्पूर्ण पहाड़ी के ऊपर तक बस्ती बस गयी और वहीं नीचे कारखाने लग गये। उसके आगे तो यह कहा गया, एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि एकलिंगगढ़ नाम है इसका ? वहां पर एक मजार बनायी गयी और उस मजार को थोड़े दिन पहले हरा पोत दिया गया, एक हरा झंडा लगा दिया गया। उन्होंने केवल एक व्यक्ति से पूछकर यह कह दिया कि यह मजार बहुत पुरानी है। पहले यह मजार उदयपुर की तरफ मुख करके थी, अब यह नेशनल हाई–वे पर, और फिर हरा पोत दिया गया है, इस तरीके से कुछ शरारती लोग उस माछला मगरा के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय, आप कह रहे हैं कि यह मजार बहुत पुरानी थी। वहां इतिहासवेत्ता अनेक लोग हैं, वहां राजस्व के रिकार्ड मिल जाएंगे, मेवाड़ के सम्पूर्ण रिकार्ड वहां पर मिल जाएंगे। इस तरह का जो अतिक्रण हो रहा है, उसे वन विभाग को रोकना चाहिये।

आपने अपने उत्तर में कहा कि वन विभाग ने जो दीवार बनायी है वह केवल नवीनीकरण मृदाक्षरण और पशुकरण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो वन विभाग का दफ्तर था, वन विभाग के उस दफ्तर से लेकर के उन्होंने अपना एक आवासीय मकान बनाया, आवासीय मकान बनाने के बाद उस सड़क के ऊपर दीवार निकाली है। जो पाइप लाइन जा रही थी, समुद्र से पानी आने वाला है, पाइप–लाइन की सप्लाई होती थी, उस पाइप लाइन के बाहर भी दीवार को खड़ा किया है। इस तरह से पाइप–लाइन भी अन्दर और दीवार सड़क पर नहीं खड़ी की गयी है, क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह एक योजना थी कि उदयपुर में सूरजपोल से आने वाले यातायात को कम करने के लिये पटेल सर्किल से सीधे एक सड़क ...

श्री उपाध्यक्ष : आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं ? आप इस वाद–विवाद में बिलकुल न फंसें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं लोकेशन बताऊं।

श्री उपाध्यक्ष : वह मंत्रीजी को पता है, सरकार को पता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बता लेने दें, मैं भी समझ लूंगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपकी आज्ञा से मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

वन विभाग के अधिकारी का यह मकान बना है, जिसके लिये आपने जवाब में लिखा है, मंत्री महोदय, कि राजकीय आवास का निर्माण किया गया है। इस निर्माण हेतु यू.आई.टी. या नगर परिषद, ये कुछ नहीं, इन्होंने मकान बना लिया है और मकान बनाने के बाद में ये कह रहे हैं कि किसकी परमिशन से यह मकान बनाया गया है। क्या नगर–परिषद से परमिशन ली ? क्या इसके लिये यू.आई.टी. से परमिशन ली ? या टाउन प्लानर से परमिशन ली ? क्या कोई मकान ऐसे बनाया जा सकता है तो भी उनको इजाजत लेनी चाहिये थी। इन्होंने किसी से इजाजत नहीं ली। जब उनको नोटिस दिया गया उस दीवार के सम्बन्ध में तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने वापस नहीं लिखा।तब झगड़ा तो इस बात का है कि क्या यह दीवार उसके संरक्षण के लिये बनायी गयी या मकान के संरक्षण के लिये बनायी गयी है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह स्वराज नगर, भगतसिंह कालोनी वगैरह सारी की सारी जो कच्ची बस्तियां हैं वहां पर कैसे बस गयीं, अगर इन्होंने रोकने का प्रयत्न किया था ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सर्वे करवाया गया है कि इस क्षेत्र में कितनी कच्ची बस्तियां हैं ? मेवाड़ के रिकार्ड से यह बताएं। केवल एक आदमी के कह देने से इन्होंने उसको पुरानी मजार मान लिया, इसके लिये उन्होंने और कोई प्रयत्न नहीं किया। यह जो भवन बनाया गया है और इस भवन के साथ में दीवार का जो निर्माण किया गया है यह निश्चित रूप से सड़क पर अतिक्रमण है और इसे हटाया जाना चाहिये। उन्होंने पहले भी कब तारबंदी की थी वहां ? जिस क्षेत्र में वे वन का विकास कर रहे हैं वह तो वहां से बहुत दूर है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान दें और ध्यान देकर यह जो सारी अव्यवस्था फैल रही है उस अव्यवस्था को रोकें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आपका आदेश हो तो एक सवाल मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नहीं, सवाल तो आप आदेश देंगे तभी पूछूंगा। आप कहेंगे 3 पूछ लूंगा, 4 पूछ लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यहा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, आप आसन की आज्ञा से एक सवाल पूछ सकते हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : यह तो आपने प्रतिबंध लगा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। सरकार ने जवाब दिया है कि हमने 175.87 हैक्टेयर जमीन आबंटित कर दी है, विभिन्न इकाइयों को लेकिन जिन 4 इकाइयों को आपने जमीन अलाट की है वह 71.5432 हैक्टेयर है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूं कि शेष जो 104.3268 हैक्टेयर जमीन है वह किस संस्था के पास में है और किस हालत में है ? क्या वह यू.आई.टी के खाते में है ? क्या नगर पालिका के खाते में है ? क्योंकि फोरेस्ट वालों ने कहा कि हमारे खाते में नहीं है। उस जमीन की वर्तमान में क्या परिस्थिति है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है ? क्योंकि वहां यू.आई. टी. ने भूमि आवंटित की है, सारे मकान बने हुए हैं और फोरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि हमारी लैण्ड है, तो मंत्री महोदय यह बताएं कि जमीन की क्या परिस्थिति है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह एक समस्या है कि गजट नोटिफिकेशन हो गया भूमि का, खसरा नम्बर का, और रेवेन्यू रिकार्ड में अलम–दरामद नहीं हुआ। इस कारण कहीं यू.आई.टी. और रेवेन्यू अधिकारी यह समझते हैं कि वह भूमि उनकी है। जब नोटिफिकेशन हो गया तो भूमि का मालिकाना हक वन विभाग का हो जाता है। मैंने यह हिदायत दी है कि अमल दरामद की जो कमी है इसको राजस्थान भर में अभियान चलाकर पूरा किया जाए। यदि यह केवल अमल दरामद वाली बात है तो इसे सुलझा लिया जाएगा। वैसे मैं दोनों माननीय सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी चिन्ता भी यही है कि फोरेस्ट का संरक्षण हो।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह दो सदस्यों और मंत्री महोदय का मामला नहीं है, यह अब सारे सदन का मामला है। जो प्रश्न सदन में उठा दिया गया वह पूरे सदन का है। अब आप दोनों माननीय सदस्यों को नहीं कह सकते हैं, आप हमें कहिये। सदन को सम्बोधित कीजिये कि मैं सदन को यह कहता हूं, दो माननीय सदस्यों को नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन की प्रापर्टी हो चुका हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सदन की प्रापर्टी हो गयी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम हमारी प्रापर्टी कब मान रहे हैं, हम तो सदन की मान रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, आपकी प्रापर्टी नहीं है यह।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : चौधरी साहब, यह प्रापर्टी तो सदन की है। परन्तु दो माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है इसलिये मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूं कि वे वृक्षारोपण के प्रति, वृक्षों की सुरक्षा के लिये चिन्तित हैं। इस बात के लिये मैंने उनको धन्यवाद दिया है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सब चाहते हैं कि वृक्ष लगाएं, कौन नहीं चाहता ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपको भी धन्यवाद, पूरे सदन को धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इन्होंने अनेक बातें कही हैं और इन्होंने मेरे वक्तव्य से भी कुछ मतभेद प्रकट किया है। ज्यादा अच्छा यह हो कि माननीय सदस्य कभी समय बता दें, मैं स्वयं मौके पर आऊं, रेवेन्यू आथोरिटी को बुला लें, नगर परिषद और यू. आई.टी. को बुला लें और आप जो कहें वे शिकायतें सुनकर मौके पर ही उनका निर्णय लिया जाए।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : हम भी उदसपुर के रहने वाले हैं, दो शब्द हम भी बोलें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्री रघुवीर सिंह : कृपया एक मिनट दीजिये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : वे जवाब दे चुके हैं। मंत्री जी के जवाब देने के बाद में नहीं।

श्री रघुवीरसिंह : आधा मिनट दीजिये।

(श्री रघुवीर सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर शहर से पधारने वाले माननीय सदस्य कच्ची बस्ती के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाये हैं। वह कच्ची बस्ती आधी पहाड़ी तक है, बिलकुल ढलान है। वहां अनुसूचित जाति,जनजाति और माइनोरिटीज के लोग रहते हैं, वह तो आपको इतना बुरा लगा है। उदयपुर देहात के जिला अध्यक्ष ने कितना अवैध कब्जा कर रखा है, इतना प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री लगा रखी है उसके बारे में तो आपको कोई चिन्ता नहीं है और अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनोरिटीज के लोग जहां रह रहे हैं उस स्वराज नगर और भगत सिंह नगर के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं। हमें इस बारे में बड़ी आपत्ति है। माननीय सदस्य को सदन में ऐसा दुर्भावनापूर्ण मामला नहीं उठाना चाहिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल असत्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं है।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति और माइनोरिटी के लोगों को, जो गरीब हैं, पहाड़ी पर रहने के लिये जगह मिलती है...(व्यवधान) क्या समस्या है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने तो कुछ नहीं कहा ...(व्यवधान) न उन जनजाति के लोगों के लिये है। मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है.....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है। जनजाति क्षेत्रों में आपकी भावना से मेरी भावनाएं भी .....(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : रहने के लिये अगर उनको ....(व्यवधान) यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और शहर के बिलकुल नजदीक.... (व्यवधान) जंगल का लेना–देना नहीं है। (व्यवधान) जंगल से उनको ....(व्यवधान) उनको जमीन ....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आप बिराजिये। (व्यवधान) कृपया बिराजिये, आसन पैरों पर है। (व्यवधान) क्या मैं आपको खड़ा दिखाई नहीं देता ?

(14.00)

आय–व्यय (बजट) 1996–97, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगे। श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री मांग संख्या 16–पुलिस एवं श्री श्रीकिशन सोनगरा, कारागार राज्य मंत्री मांग संख्या 17– कारागार विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16–पुलिस की प्रस्तुति

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,81,40,55,000/– तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 17—कारागार की प्रस्तुति

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, कारागार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17—कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,36,60,000 तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

1. राज्य में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल बढ़ाये जाने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. नागौर जिले के थाना लाडनूं को क्रमोन्नत करने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. पुलिस बल के किसी सदस्य का अपराधिक मामले में लिप्त होने पर भी पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. जयपुर शहर में हत्या और अपहरण की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर पुलिस विभाग द्वारा नियंत्रण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

6. बालोतरा शहर के थाने को क्रमोन्नत करने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

7. श्रीमती उकी बेवा हरिशंकर पुरोहित नि.मडिया की निम्बोडा बॉध पर निर्मम हत्या होने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
8. सिरोही जिले के अकर्मण्य पुलिस अधिकारियों से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

9. बून्दी जिले में थानों की सीमा का पुर्नगठन एवं विस्फोटक पदार्थो को एन.ओ.सी. दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

10. राज्य में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में पुलिस बल में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. वायद या जैतपुर गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. केरला पुलिस थाने पर पीने के पानी की व्यवस्था एवं टेलीफोन सुविधा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

13. राज्य में वर्तमान जनसंख्या व परिस्थितियों को देखते हुये पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
14. राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों

(श्री हरिसिंह)

को रोकने में पुलिस की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. कुम्हेर पुलिस थाना जीर्ण—शीर्ण भवन की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

16. बीकानेर स्थित पुलिस आटोमोबाइल वर्कशाप को बन्द करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कि लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

17. बून्दी जिले के दईखड़ा व जैथल में पुलिस चौकी की स्थापना के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. जिला कोटा एवं बून्दी सम्भाग में लगातार बढ़ रहे अपराधों के कारण जनता में फैल रहे आतंक, भय एवं आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. बून्दी जिले में अनुभवहीन व अयोग्य अधिकारियों को स्थानान्तरित कर जनता को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. बून्दी जिले के कॉपरेन पुलिस थाना के एस.एच.ओ. द्वारा गुण्डा तत्व को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. पुलिस विभाग में सभी स्तर पर अनुसूचित जाति, जन—जाति के आरक्षित पदों पर नियुक्ति नहीं होने से गरीबों पर हो रहे अत्याचार को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री उंगमराज मेहता (ब्यावर).

22. ब्यावर शहर में पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

23. झुंझुनूं जिले के ग्राम बागोली में थानाधिकारी पुलिस थाना उदयपुरवाटी द्वारा जब्त की गई चोरी की मोटर साइकिल/स्कूटर के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

24. राज्य में बढ़ती आतंकवाद की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिये पुलिस को प्रशिक्षित व हथियारों से लैस करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. झुंझुनूं जिले के ग्राम भौडकी में डी. आर.डी.ए. द्वारा निर्मित खुर्रे खरंजे को तोड़ देने वाले मुलजिमों का पुलिस द्वारा चालान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. झुंझुनूं जिले के गुढ़ा गौड जी पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी के खिलाफ शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

27. राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था डकैती व हत्याओं की बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. पाटन थाना जिला—सीकर के अन्तर्गत रायपुर पाटन के ग्रामीण को गिरफ्तार करने एवं पिटाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. सीकर जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था

(श्री मोहनलाल मोदी)

से व्याप्त जनाक्रोश की स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. टोड़ा ग्राम तहसील नीम का थाना में हरिजनों पर हुये अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

31. धौलपुर जिले में बढ़ती हुई चोरी, डकैती, लूटमार, गुंडागर्दी एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. धौलपुर जिले में पुलिस दल बढ़ाने एवं सभी थानों पर जीप उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. धौलपुर जिले में हथियारों के लाइसेंस देने में पुलिस द्वारा भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. धौलपुर जिले में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)

35. राजस्थान पुलिस में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. अन्वेषण ब्यूरो विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. राजस्थान में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. राजस्थान पुलिस द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जन–जाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

40. बिसाऊ जिला झुंझुनूं में पुलिस स्टेशन भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

41. राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)

42. गंगापुर सहाड़ा रायपुर क्षेत्र में पुलिस स्टेशनों एवं वृत कार्यालय का नव निर्माण एवं गोखुन्दा, कोटमथल में नई पुलिस चौकी बनाने तथा गंगापुर थाने में सी.ओ. का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरखाड़ा)

43. पी.टी.एस. खैरवाड़ा का मुख्यालय अन्यत्र स्थानान्तरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. एम.बी.सी. खैरवाड़ा की भूमि पर परकोटा बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. एम.बी.सी. खैरवाड़ा में सहायक कमान्डेन्ट के पद के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. पी.टी.एस. खैरवाड़ा में लगे कर्मचारियों का लम्बे समय से स्थानान्तरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)

47. टोंक जिले में पुलिस की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. पुलिस थानों में फर्नीचर की कमी, पुलिस स्टाफ के लिये सरकारी आवास की कमी एवं पुलिस थानों व चौकियों की नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

49. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में थानों के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. नादौती एवं टोडाभीम में पुलिस थानों के भवनों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर)

51. अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार निवारण कानून की मंशा को पुलिस द्वारा सही ढंग से लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा (जालौर) के परिसर में स्थित कुएं में दो वर्ष पूर्व एक विद्यार्थी की लाश (डेड बोडी) मिलने के सम्बन्ध में अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

53. पुलिस थाना हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसमें श्री भंवर लाल गर्ग, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत आमली गढ़ पाछली पर त्वरित कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. पुलिस थाना कारोई जिला भीलवाड़ा द्वारा पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह भैंरुलाल एवं मोहन लाल गूजर के विरुद्ध पंचायत समिति सुवाणा द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं कर अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. भीलवाड़ा जिले के थाना बनेड़ा के ग्राम भटेडा के मगना गुर्जर की हत्या होने पर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही में बरती गयी लापरवाही एवं अभियुक्तों को भागने का मौका देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. भीलवाड़ा जिले के थाना मांडल के ग्राम जराड़िया की श्रीमती छमु गुर्जर की हत्या करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

57 भीलवाड़ा जिले में और भीलवाड़ा नगर में पिछले दो वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही चोरियों की वारदातों को रोकने हेतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

58. उदयपुर के थानों में पुलिस कांस्टेबलों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर)

59. कालवाड़ थाना को उप पुलिस अधीक्षक, दूदू से हटाये जाने एवं नया सर्कल बनाकर कालवाड़, बगरू व शिवदासपुरा, चाकसू को रखे जाने एवं दूदू सर्किल में फागी, दूदू व नरेना थानों को रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोपीराम जाट)

60. थाना कालवाड़ में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने एवं कालडेरा में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)

61. जनजाति क्षेत्र में आदिवासियों पर पुलिस के बढ़ते अत्याचार एवं झूठे मुकदमों में फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. उदयपुर शहर एवं जिले में विगत एक वर्ष में बढ़ती हुई चोरियां एवं अन्य वारदातों को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

63. बारां जिले के शाहवाद तहसील के थाना शाहवाद व किशनगंज में डाकूओं द्वारा कई व्यक्तियों के अपहरण, लूट आदि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. कोटा जिला ग्रामीण क्षेत्र की तहसील दीगोद पंचायत समिति सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत सीमल्या द्वारा चम्बल फर्टीलाइजर कम्पनी गड़े पान के विरुद्ध मिट्टी, मोहरम्म व पेड़ चोरी के मुकदमें सीमल्या थाने में दर्ज कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों को पुलिस संरक्षण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. कोटा जिले में ग्रामीण क्षेत्र व शहर कोटा में राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमें को तफतीशें जयपुर सी.आई.डी.सी.बी. में देने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

67. पुलिस चौकी देहली दरवाजे के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने शराब पीकर एक महिला के साथ मारपीट करने एवं युधिष्ठर कुमावत पर एक झूठा मुकदमा बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. बोहरवाड़ी धोली बावड़ी जैसे संबेदनशील क्षेत्र में पुलिस चौकी न होने के कारण अपराधों पर नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. राजस्थान के आर.पी.एस. अधिकारियों की कई वर्षों से आई.पी.एस. में पदोन्नति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्रों में हत्या, आत्महत्या, डकैती तथा चोरियों रोकने में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)

71. हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, हेराफेरी, दहेज हत्या आदि प्रकरणों में पुलिस बल के निष्क्रिय होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. पुलिस द्वारा हरिजन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में विफल रहने पर चर्चा के लिये।

73. संगीन अपराधों में पुलिस बल कर्मी लिप्त होने और उन पर प्रभावी नियंत्रण न रख पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

74. जिला गंगानगर में कानून और व्यवस्था

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. जिला गंगानगर में चोरी, डकैती और बलात्कार की बढ़ती घटना की रोकथाम में पुलिस प्रशासन की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)

76. जिला जालौर में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. जिला जालौर में चोरी, डकैती, बलात्कार आदि की बढ़ती घटना की रोकथाम में पुलिस प्रशासन की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अरुण सिंह (डीग)

78. पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों को जिला भरतपुर में मकान किराया जयपुर व बीकानेर के समान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को उसकी ड्यूटी के मुताबिक वेतन, मैस भत्ता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. राजस्थान पुलिस में आर.पी.एस. अधिकारियों की पदोन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. राजस्थान पुलिस थाना डीग जिला भरतपुर को थाने के नाम से जमीन अलाट हुई है। थाना पुरानी बिल्डिंग में ही रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)

83. उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने में देरी के फलस्वरूप समय पर न्याय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. उदयपुर जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज अनुसूचित जाति व जन जाति के विभिन्न प्रकरणों में एफ.आर. लगने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. उदयपुर जिले में अवैध शराब की तस्करी, नाजायज नशीले पदार्थों का सेवन, अवैध एवं ओवरलोडिंग वाहनों का संचालन रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

86. उदयपुर जिले में बढ़ते हुए अपराधों के अनुपात में पुलिस कर्मियों व वाहनों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. विभिन्न अपराधों की कानूनी जानकारी पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से आये नागरिकों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

88. राजस्थान में कानून व्यवस्था में आई गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)

89. पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल एवं हैड कांस्टेबल की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री जगदीप धनखड़)

90. राज्य में महिलाओं और गरीब वर्ग पर बढ़ते अत्याचारों की रोकथाम में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

91. पुलिस द्वारा अपराधिक मामलों के अनुसंधान में वांछित सुधार व अनुभव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

92. पुलिस थानों की जीपों को पाइलेट या एस्कार्ट के रूप में काम लेने से थानों के आवश्यक कार्यों में हो रही रूकावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. पुलिस चौकियॉ जहॉ केस ज्यादा रजिस्टर होते हो वहां का इन्चार्ज कांस्टेबल के स्थान पर ए.एस.आई. को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

94. जोधपुर नगर की जनसंख्या को देखते हुए जोधपुर में पुलिस थानों में पुलिस बल बढाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. पुलिस विभाग में समय पर डी.पी.सी. नहीं होने से पदोन्नति में होने वाले विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. अजनेश्वर मार्ग पर अजनेश्वर आश्रम के पास पुलिस चौकी हेतु नया भवन बनाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. जोधपुर राज्य का दूसरा बड़ा शहर होने के कारण यहां यातायात व्यवस्था सुव्यस्थित करने के लिए ट्रेफिक पुलिस की नफरी बढ़ाने के साथ एक उप–पुलिस अधीक्षक (डीवाई.एस.पी.) अलग से नियुक्त करने एवं एक इन्सपेक्टर का नया पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. बढ़ती आबादी के साथ बढ़ते अपराधों को रोकने एवं कानून एवं शान्ति व्यवस्था को प्रभावी रखने के लिए जयपुर की भांति जोधपुर में भी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

99. ग्राम कुन्दनपुर थाना सांगोद जिला कोटा में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100 बन्दूकों के नये लाइसेन्स जारी करने में अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

101. खानपुर (जिला झालावाड़) में सी.ओ./उप अधीक्षक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. कोटा सम्भाग के कुछ अपराधिक जातियों के लोगों द्वारा धारा 376 के तहत झूठे केस दर्ज कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

103. राज्य अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा मारे गये छापों में निष्पक्षता का अभाव व निस्तारण में घोर विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. नसीराबाद में अवैध टैक्सियों पर एक पार्टी विशेष का बोर्ड व चिन्ह लगाकर सवारियां ढोने पर पुलिस को अनदेखी व मिलीभगत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. नसीराबाद शहर में पुलिस द्वारा मध्यस्थों

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

के मार्फत अभियुक्त एवं फरियादी को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. नसीराबाद सीटी व नसीराबाद सदर के थानाधिकारियों के एक वर्ष में बार—बार किये गये स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. अजमेर जिले में थाना भागलियावास के तहत गांव लमोड़ी में दिनांक 24—3—96 को हुए कत्ल में पुलिस द्वारा नामजद मुल्जिमों को गिरफ्तार न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

108. सन् 1994 में अन्य पिछड़े वर्ग में चयनित कांस्टेबल्स् को अदालत से बरी करने के बावजूद नौकरी पर नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा)

109. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के गांव सिरोली कलां, ढाकपुरी, सारेकला, भिण्डूसा, खाकडा एवं बुढी बावल में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. तिजारा थाना में मौजूद 5/4 बीघा जमीन में कर्मचारियों के आवास निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. तिजारा क्षेत्र के थाना तिजारा, टपूकड़ा एवं कोटकासिम में थाना प्रभारी का स्तर बढ़ाकर सब—इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर स्तर का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़)

112. गेता पारोलो, तहसील कोटड़ीं, जिला भीलवाड़ा में श्याम लाल पटवारी एवं उसके पुत्र को 2—3 वर्ष व्यतीत होने पर भी तलाश करने एवं जांच करने में पुलिस द्वारा बरती जा रही शिथिलता से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (बैराठ)

113. बैराठ क्षेत्र के कस्बा अमरसर में थाना कायम करने तथा कस्बा शाहपुरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. प्रदेश में बढ़ती हत्याओं एवं अपराधों तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

1. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर),
2. **श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) एवं
3. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई)

115. राज्य अन्वेषण ब्यूरों द्वारा जिला—फूड—निरीक्षक, भीलवाड़ा (निलम्बित) के मामले का निस्तारण करने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

116. इन्चार्ज पुलिस थाना गोटन जिला नागौर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों में शिथिलता बरतने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं
2. **श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा)

117. सभी जिला मुख्यालय पर महिला थाने खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

118. पुलिस कर्मचारियों को समय पर वर्दी व अन्य सामग्री उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

119. आगरा रोड जयपुर स्थित (पोल्ट्रीएस्टेट) मुर्गी फार्म में आये दिनों होने वाली चोरी को पुलिस द्वारा रोकने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

120. पुलिस विभाग को और सक्षम किये जाने हेतु आधुनिकतम उपकरणों से सज्जित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. कानोता (जयपुर में) थाना खोले जाने, खण्डार के रास्ते में पुलिस चौकी का पक्का निर्माण कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (मकराना)

122. मकराना थाना के क्षेत्र बूड़सू ग्राम में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिये थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय)

123. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में हत्या, लूटपाट एवं कातिलाने हमले एवं बिगड़ी कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या—17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

1. बीकानेर केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक के विरुद्ध आरोपों की जांच की जाकर विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

2. बीकानेर सेन्ट्रल जेल में 1990—से 93 तक हुये दंगों एवं हत्याओं की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. बीकानेर स्थित केन्द्रीय कारागार का भवन जीर्ण—शीर्ण होने के कारण उसे अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

4. कैदियों को राष्ट्रीय दिवस एवं त्यौहारों पर अच्छी भोजन सामग्री उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. आतंकवादियों को कारागृहों में रखने के लिये समुचित सुरक्षा संसाधन मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

6. कारागार विभाग में सभी पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के आरक्षित कोटे को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. प्रदेश की विभिन्न जेलों में प्रशासनिक सुधार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. प्रदेश की विभिन्न जेलों के भवनों की विशेष तौर से मरम्मत कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

9. जेलों में बन्द कैदियों/बंदियों के सम्बन्ध में सुधार कार्यक्रमों को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(१७)

(श्री शिवनथ सिंहि)

10. जेलों की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में कारगर सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)

11. धौलपुर जेल में अपराधियों की संख्या के अनुपात में जेल स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. धौलपुर जिले में आवश्यक सुविधाओं में और वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)

13. कारागार विभाग एवं प्रदेश की जेलों में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. जेलों से कैदियों के फरार होने से रोकने की समुचित व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. जेलों में कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

16. कारागार विभाग में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पदों की डी.पी.सी. नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

17. भीलवाड़ा केन्द्रीय कारागृह में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी न करने एवं वेतन न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

18. राजस्थान के कारागृहों में आर्थिक कारणों से जमानत नहीं करा पा रहे अपराधियों को लम्बे समय तक सजा भोगने को बाध्य होने को स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. कारागृहों के अधिकारियों की पदोन्नति नहीं होने से उनमें पनप रहे असन्तोष पर चर्चा के लिये।

20. राजस्थान के कारागृहों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, अपराधों व नशे की बढ़ती प्रवृतियों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. कारागार के सन्तरी को पुलिस के सिपाही के समान सुविधा नहीं दिये जाने की स्थिति से व्याप्त आसन्तोष पर चर्चा के लिये।

22. जयपुर और उदयपुर में कैदियों द्वारा दरी एवं निवार बनाना बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)

23. बीकानेर कारागार में बंदियों के साथ अमानुषिक कार्यवाहियाँ करने एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध मुकम्मल कार्यवाही न हाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

24. राज्य के करागृहों में कैदियों के साथ किये जा रहे अमानवीय व्यवहार एवं कारागृह प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)

25. अपराधियों में सुधार एवं पुर्नवास के अन्तर्गत जेल मैन्यूअल में आवश्यक

(श्री महावीर भगोरा)

परिवर्तन किये जाने के समबन्ध में चर्चा के लिये।

26. राजस्थान की जेलों में कैदियों की व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा कि लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

27. वर्तमान में कारागारों में लगातार मौतें बढ़ने एवं व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)

28. राज्य में बालक एवं महिला अभियुक्तों व अन्य कैदियों की कारागार व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. कैदियों को समाज में पुनःस्थापित होने में सहायक कारागार व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

30. कारागृहों की स्थिति में सुधार की दृष्टि से क्षेत्रीय विधायक को माह में एक बार कारागृह के निराक्षण का अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा)

31. तिजारा निर्वाचन क्षेत्र में कारागृह के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द)

32. एन.डी.पी.एस. के तहत सजा भुगत रहे बन्दियों को कारागार के नियमों की पालना कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33 . राजस्थान के सभी केन्द्रीय कारागृह एवं जिला कारागृहों से एक्सट्रा मुरलगेंग में आजीवन कारावास भुगत रहे बन्दियों को बाहर कार्य पर निकालने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

34. कारागार विभाग में अन्य विभागीय अधिकारियों के पदस्थापन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कि लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

35. जेलों में मादक द्रव्य की पहुंच से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा)

36. जेलों में दिये जाने वाली खाद्य सामग्री की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लागू किये जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

38. जेलों में आजीवन कारावास भुगत रहे स्त्री व पुरुष बंदियों को कारावास काल में शिक्षण व प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. राज्य के कारागार में विभाग द्वारा समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग सख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरूण सिंह।

श्री अरूणसिंह (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्रालय की डिमाण्ड्स पर चर्चा हो रही है और माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार गायब, यहां हैं नहीं। गृह मंत्री तो हैं पर मुख्य मंत्रीजी भी होने चाहिये। इतनी इम्पोंटेंट डिमाण्ड है यह। माननीय गृह मंत्रीजी, सबसे पहले स्टेगनेशन

(श्री अरुण सिंह)

इन दी पुलिस फोर्स, 19 पोस्ट आई. पी. एस. की वेकेंट हैं। 19 posts are lying vacant in the I.P.S. आर.पी.एस. के प्रमोशन, आर. पी.एस. से आई.पी.एस. के प्रमोशन, ढाई साल से जिक्र हो रहा है, रोज रूमर उड़ती है, पर ये प्रमोशन होने वाले नहीं हैं। ये प्रमोशन होते तो ये 19 पोस्ट जो वेकेंट हैं, भरी जातीं। ये तो विडम्बना है। पर आपका लक अच्छा है गृह मंत्रीजी, राजस्थान एक शांतिप्रिय स्टेट है इन कम्पेरीजन टू उत्तर प्रदेश, इन कम्पेरीजन टू बिहार, हरियाणा , पंजाब । फिर भी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, जैसे महुआ में कांड हुआ, यहां स्टेडियम में कांड हुआ, यह कांड रिपीट नहीं हो।

बगल में पुलिस हैडक्वार्टर है और वहां आई.जी.और डी.जी. लेवल के इतने अफसर हैं, इन अफसरों के पास फाइल भी नहीं आती है तो मुझे एक सुझाव आपको देना है कि जोनल आई.जी. क्रीएट करो। चार जोन बनाओ या जैसे छह डिवीजनल पुलिस कमिश्नर्स हैं उनके साथ एक आई.जी. जोड़ा जाए। इन अधिकारियों के पास काम तो हो। पुलिस कांस्टेबुलरी के लिये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुण सिंहजी, मैं आज दस मिनट से ज्यादा किसी भी माननीय सदस्य को नहीं दे पाऊंगा, आप यह ध्यान रखें।

श्री अरुण सिंह : हां, पांच ही मिनट ले लूंगा। पुलिस कांस्टेबुलरी के लिये हाउसिंग की बहुत बड़ी समस्या है। भरतपुर जिले में पुलिस के एक सिपाही को मकान किराये के लिये आप लोग 70 रुपये देते हैं, जयपुर में 150 रुपये देते हैं। पुलिस का भले ही वह अधिकारी हो या कांस्टेबल हो, उसकी 24 घंटे की नौकरी है तो उनकी सुविधा के लिये भी माननीय गृह मंत्रीजी ध्यान दें।

भरतपुर जिला उत्तर–प्रदेश, हरियाणा से जुड़ा हुआ है। मेरा अनुरोध माननीय गृह मंत्रीजी से यह है कि गाड़ी–घोड़े यहां जयपुर में तो नये–नये दौड़ते हैं, जबकि भरतपुर जिले में कई थानों में गाड़ी भी नहीं है। वायरलैस सैट खराब है। मैं गृह मंत्रीजी को जरूर बधाई दूंगा कि मेरे अनुरोध पर कामां को सर्कल के रूप में क्रमोन्नत करवाया। एक और सिफारिश है कि भुसावर को भी सी.ओ. सर्कल में क्रमोन्नत करवाया जाए। अपने क्षेत्र की जो कोतवाली है, एक बहुत पुरानी इमारत में वे लोग रह रहे हैं, न पीने को पानी है, न कोई सुविधाएं हैं। सरकार ने आठ–दस साल पहले चार बीघा जमीन डीग थाने के लिये अलाट करवायी। मैंने भी अपना यह जो एम. एल.ए. का कोटा मिलता है, पचास हजार रुपये बाउण्ड्री वाल के लिये दिये। पहले एक काबिल एस.पी. थे भरतपुर में, पता नहीं पैसा कहां गया, बाउण्ड्री वाल तो बनी हुई नहीं है। चलिये, उनका तबादला हो गया सी.आई. डी. में, मिस्टर गहलोत्रा। वह पैसा कहां है ? बाउण्ड्री वाल तो बने। एक नया थाना डीग में.....

श्री परसादीलाल मीणा : क्या करेंगे थानों को ?

श्री अरुण सिंह : सुविधा तो है नहीं वहां, जो यह पुरानी थाने की बिल्डिंग है, यह एक चौकी बन जाएगी कस्बे के लिये। डीग में पचास हजार की आबादी है। यू.पी. पास, हरियाणा पास, वहां क्राइम बढ़ रहा है। माननीय मंत्रीजी से मेरे बड़े मधुर सम्बन्ध हैं। साढू का रिश्ता है। माननीय गृह मंत्री यह एक

(श्री अरुण सिंह),

बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, गृह मंत्रीजी कभी सन्तुलन खो देते हैं। मेरे पैतृक गांव आये। कांड हुआ वहां। सुनना चाहिये दोनों तरफ को । ये एक तरफ सुनकर फरार हो गये। कोटा में बैरवाओं और मीणाओं में विवाद हो गया, गृह मंत्री जी क्रोधित हो गये, एक पक्ष सुना। हमेशा दोनों पक्ष सुनो ।

एक सुझाव और देना है कि गुस्सा तो आता ही है पर आप पुलिस वालों के फीते मत उतारो, स्टार मत उतारो। ये फीते और स्टार योग्यता से मिलते हैं। आप उनको सस्पैंड कर सकते हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने दूसरे पक्ष को सुनने से मना कर दिया था क्या ?..(व्यवधानं). दोनों सुनें हैं और दोनों सुन कर फैसला किया, दोनों सुन कर आर्डर दिये हैं।

श्री अरुण सिंह : आप किसी के फीत उतार नहीं सकते हैं, किसी पुलिस वाले के स्टार नहीं उतार सकते हैं। आप बड़े योग्य गृह मंत्री हैं ठाकुर भैरोंसिंहजी की बदोलत, आप के फीत ठाकुर भैरोंसिंह उतार सकते हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : इनको भी योग्यता से मिले हुए हैं फीत।

श्री परसादीलाल मीणा : आप तो उदोनों साडू हो न।

श्री अरुण सिंह : माननीय गृह मंत्री जी, आप से एक अनुरोध है कि हमारे जिले पर थोड़ी महेरबानी रखो, गाड़ी–घोड़े दो वहां।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको भी दें क्या ?

श्री अरुण सिंह : गाड़ी–घोड़े तो नहीं चाहिये । और इस डीग थाने की जो नयी जमीन है उसमें कुछ राशि दो, मैंने तो अपने एम.एल.ए. कोटा से 50 हजार रुपये दिये हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराजजी चौधरी।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ऐसा है कि यह डीग का मसला वाकई जटिल मसला है। पुलिस वाले जो अपने जलमहल की कोतवाली थी उसमें रह रहे हैं, वह कभी भी गिर सकती है, कभी भी उसको खतरा हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराजजी चौधरी। कृपया बिराजें ।

श्री मोतीलाल : इसलिये डीग के थाने की ...(व्यवधान)...

श्री उपध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस विभाग के कियाकलापों पर और उनके द्वारा वार्षिक किये जो रहे खर्चे के बारे में सदन में डिमाण्ड पेश की गयी है। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने बात कही है, राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश है, यह बात सही है मगर राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है और उसके कारण से पाकिस्तान से घुसपैठिये, तस्करी करने वाले और आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बराबर राजस्थान को जागरुक रहना चाहिये। पिछले दो वर्षों में हमने देखा है कि इस प्रकार की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है । यह बात सही

(श्री भगराज चौधरी)

है कि पुलिस विभाग की सतर्कता के कारण से इस प्रकार की गतिविधियां जब–जब भी सामने आयी, उन पर शीघ्र कार्यवाही की गयी है मगर हमें इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में बराबर जागरूक रहने की जरूरत है।

पुलिस विभाग के कार्यकलापों की बात कही जाए तो इनका मुख्य काम राज्य में कानून व्यवस्था को बनाये रखना, अपराधी प्रकरणों को पंजीबद्ध करना, उनका अन्वेषण करना और कानूनी दायरे में कानूनी प्रकिया के तहत कार्यवाही करने के पश्चात अदालतों में चालान पेश करना है जिससे कि हमारे समाज में सुरक्षा की भावना बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहने के साथ–साथ पीड़ित लोगों को न्याय भी मिलता रहे और समाज में शांति रहे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में पुलिस के बढ़ते हुए दलबल के बावजूद भी जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, भांति–भांति के अपराध घटित किये जा रहे हैं। जिस तत्परता से मुकदमों को पंजीबद्ध करने के पश्चात उनका अन्वेषण करना चाहिये अदालतों में चालान पेश करना चाहिये और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में एक प्रकार की दहशत कायम की जानी चाहिये, उसमें मैं समझता हूं दिनोंदिन कमी आती जा रही है।

एक बात कही जाती रही है कि हम 21वीं सदी में पहुंच रहे हैं, हमारा अनुसंधान का तरीका थर्ड डिग्री मैथड का नहीं होना चाहिये। कुछ हद तक बात सही है मगर थर्ड डिग्री का मैथड एडाप्ट नहीं करने के अलावा भी कोई तत्परता तो बरती जानी चाहिये, सख्ती की कार्यवाही तो की जानी चाहिये। लूटपाट के मामलों में महीनों तक माल बरामद नहीं किया जाता, हत्या करने के मामलों में महीनों तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते। जैसा आज ही आपने कहा कि आये दिन लूट–खसोट की वारदातें होती रहती हैं, डकैतियां होती रहती हैं, हत्याएं भी होती रहती हैं और महिलाओं पर अत्याचार के मामले होते रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने अलवर की घटना के बारे में सुना, यहां चर्चा की गयी। इस प्रकार की घटनाएं हमारे यहां पर होती रहती हैं तो क्या पुलिस का दायित्व नहीं है कि तत्परता से इन घटनाओं के बारे में काग्नीजेंस लें और लेने के पश्चात तत्परता से कार्यवाही करें ?

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस के स्तर पर कार्यवाही करने के संबंध में गिरावट आयी है और इसका मुख्य कारण है पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार। मैं यह तो नहीं कहता कि ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा है मगर नीचे के स्तर पर चौकियों से लगा कर, खैर चौकियों के विशेष अधिकार नहीं हैं मगर थानों के स्तर पर तो मैंने स्वयं ने अपने जीवन में देखा है और आपने भी महसूस किया होगा कि आज खुलेआम दोनों पक्षकारों से पैसा लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के लिये भी पैसा लिया जाता है और मुकदमा दर्ज करने के पश्चात् संभावित अभियुक्त अगर ज्यादा पैसा दे देता है तो फिर उस मामले को लम्बा कर दिया जाता है, किसी प्रकार भी सही नतीजे पर पहुंचने की कोशिश पुलिस नहीं करती है और बहुत लम्बा समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में जो पीड़ित है उसके दिमाग में तो शंका पैदा होती ही है मगर आम लोग भी जब इस प्रकार की घटनाओं को सुनते हैं तो उनके दिमाग में भी एक प्रश्नचिन्ह लगता है कि यह पुलिस जो हमारी सेवा के लिये है, हमारी जान–माल की रक्षा के लिये है, जिसके भरोसे पर हम बैठे हैं क्या इससे हमको न्याय मिलेगा ? मैं समझता हूं

(श्री भगराज चौधरी)

आज एक आम धारणा बन गयी है कि पुलिस हमको न्याय नहीं दे रही है।

अन्वेषण करने के कई ऐसे मामले भी आते हैं जबकि हत्या के मामलों में और दूसरे मामलों में जो सैम्पल विधि प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं उनकी दो—दो साल तक रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। जब दो—दो साल तक रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा ? अंग्रेजी में एक कहावत है कि "Deal it as if it is equity." किसी मामले में आज पीड़ित व्यक्ति को तुरन्त न्याय नहीं दिला पाते हैं या उसमें देरी हो जाती है तो देरी करने मात्र से ही उसको न्याय मिलना असंभव हो जाता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। अगर बहुत लम्बा समय गुजरने के बाद में न्याय मिलता है तो मैं समझता हूं कि वह न्याय किया हुआ नहीं माना जाए। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग इस बात को तत्परता से देखे कि जो भी सैम्पल्स, चाहे हत्या होने पर विसरा के सैम्पल्स हों, चाहें और किसी प्रकार के सैम्पल्स हो चाहे एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त करने के बारे में हों उन सैम्पल्स का एनेलिसिस करने के पश्चात एक महीने के भीतर—भीतर सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को उसकी सूचना मिल जानी चाहिये ताकि सम्बन्धित मामले में जो अन्वेषण बाकी रह गया है, जो तफ्तीश बाकी पड़ी है और बाकी पड़े रहने के कारण से सम्बन्धित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है और एक असंतोष, आक्रोश की जो स्थिति बनी हुई है, उसका समाधान ढूंढा जा सके और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके ।

इसके अलावा जैसा कि मैंने निवेदन किया, भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। इसको रोकने के बारे में, इसका निवारण करने के सम्बन्ध में हमने एक विभाग भी बना रखा है जिसका पहले नाम था एंटी करप्शन विभाग और अब सुधार कर के उसको हमने नाम दे दिया राज्य अन्वेषण ब्यूरो। इस अन्वेषण ब्यूरो के कियाकलाप के बारे में हम विचार करते हैं, देखते हैं तो मैं समझता हूं कि समुद्र में से एक बूंद के समान इनकी गिनती है। इतना भारी—भरकम आडम्बर भ्रष्टाचार का जिसने कि हमारे समाज को दूषित बना रखा है, उसके बावजूद अन्वेषण ब्यूरो पूरे वर्ष भर में केवल यह कहता है कि हम ने 150 व्यक्तियों के बारे में जांच की, 50 व्यक्तियों के बारे में हमने कार्ट में चालान पेश कर दिये, 10 अधिकारियों की प्रापर्टी उनकी जो जायज इनकम होनी चाहिये उसकी सीमा से बाहर होने की हम को जानकारी मिली, हम ने रेड की, तो मैं समझता हूं कि यह कोई ज्यादा काम नहीं है। आज कौनसा सरकार का महकमा है जिसमें कि भ्रष्टाचार फैला हुआ नहीं है ? चाहे पुलिस का विभाग लीजिये, चाहे पानी का लीजिये, चाहे विद्युत विभाग लीजिये, या चाहे रेवेन्यू विभाग लीजिये आज सारे महकमों के अन्दर भ्रष्टाचार की इस भयंकर बीमारी ने जाल फैला रखा है, जिसे अगर हम कैंसर का रोग कहें तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बीमारी ने समाज को दूषित बना कर रखा है और इस प्रकार के भ्रष्टाचार के वातावरण को रोकने की जिम्मेदारी हमने केवल मात्र अन्वेषण ब्यूरो को दे रखी है। अब अगर यह अन्वेषण ब्यूरो ही मान लो सुस्त हो जाय, सोता रहे और अपने क्रियाकलाप की गतिविधियों में बहुत सतर्क और तेज—तर्राट होकर कार्यवाही नहीं करे तो फिर जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित है या होने वाला है और

(श्री भगराज चौधरी)

रिश्वत मांगी जाने पर नहीं दिये जाने के कारण से कार्यवाही नहीं हो रही, काम नहीं किया जा रहा वह किससे जा कर पुकार करे ?

उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास 10—5 छोटे—मोटे ऐसे आदमी आते हैं, बल्कि आते तो ज्यादा हैं, जो कहते हैं कि, साहब बिजली वाला ए. ईएन. पैसा मांग रहा है कनेक्शन देने के नाम से। फलां गांव में पाइप लाइन तो पहुंची हुई है, मगर हमें कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, कहते हैं कि पहले पाइप लाइन अलाटमेंट कराओ। अभी थोड़े दिनों पहले की बात थी, मेरे क्षेत्र के अंदर पाइप लाइन पहुंची हुई है, 10—15 व्यक्ति आये और कहने लगे कि हमारे यहां पाइप लाइन नहीं है। मैंने कहा, फार्म भरकर पेश कर दीजिये। मेरे कहने पर फार्म भरकर दफ्तर के अंदर चले गये। वहां अधिकारियों ने कहा कि एम.एल.ए. के पास जाने से कोई मतलब नहीं आपको, आप तो पाइप लाइन का हम से अलाटमेंट करवाइये और अलाटमेंट करने के लिये आप रकम लाइये। इस प्रकार की बात अगर कही जाती है तो फिर, गृह मंत्रीजी किसको जाकर पुकारें ? आपका दायित्व है भ्रष्टाचार को रोकने का और आपका विभाग सुस्त पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है।

मुझे बताइये, जालौर—सिरोही के लिये एक उप अधीक्षक लगा रखा है सिरोही के अंदर, उस अधिकारी ने जालौर में कितने छापे मारे, कितने केसेज में ट्रैप किये ? जबकि एक साल के अंदर कम से कम हजारों इस प्रकार के पीड़ित लोग हैं कि अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर रिश्वत नहीं देने पर जिनके काम नहीं हो रहे हैं। मैं यह चाहूंगा कि आप इस महकमे को थोड़ा सतर्क करिये, जागरूक करिये और इसकी गति को बढ़ाइये। मेरी मांग है कि प्रत्येक जिले के अन्दर आप डीवाई.एस.पी. एण्टी करप्शन का पद स्थापित करिये। जालौर में अलग से करिये क्योंकि जालौर से सिरोही बहुत दूर पड़ता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की बात लेकर आता है कि मुझे ट्रेप करवाना है। मैं उससे कहता हूं कि मैं एस. पी.से बात करूंगा, कलकटर से बात करूंगा ताकि वे टेलीफोन करके बुला लें। लेकिन सारी बातें

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

धीमी पड़ जाती है इसलिये कम से कम प्रत्येक जिले के हैड—क्वार्टर पर आपको एक पद स्थापित करना चाहिये जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कोई व्यक्ति आसानी से डीवाई. एस. पी. के पास जा सके और अपनी शिकायत को पेश करके, यदि हो सके तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी को ट्रेप करवा सके ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री भगराज चौधरी : मैं थोड़ा और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है माननीय सदस्य। बहुत नाम हैं, आज सभी को अवसर मिल जाए।

श्री भगराज चौधरी : संक्षेप में दो मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुकदमों का अनुसंधान करने में बहुत समय लग जाता है, जैसा कि पहले मैंने कहा था और इसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति परेशान होता है और पुलिस द्वारा उसे न्याय दिलाने की उसके दिमाग में जो आशा होती है वह धूमिल हो जाती है ।

(श्री भगराज चौधरी)

जालौर जिले के अंदर जसुंदरा पुलिस थाना है, उसी जसुंदरा में एक नवोदय विधालय बना हुआ है। आज से दो वर्ष पूर्व नवोदय विधालय के बारहवीं कक्षा के एक छात्र की कुछ लोगों नें किस कारण से हत्या करके उसकी लाश को उसी स्कूल के परिसर में डाल दिया। लाश को डालने के बाद उसकी डैड बॉडी से विसरा लिया गया पोस्ट मार्टम करने पर और वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया गया। आज करीबन ढाई साल का समय व्यतीत होने को आया पर अभी तक वह रिपोर्ट नहीं पहुंची है । रिपोर्ट के अभाव में वह केस खुल नहीं पाया है और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको दण्डित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार के सैकड़ों केसेज हैं, इसलिये मेहरबानी करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर जो भी सैम्पल आते हैं उनमें ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर।

श्री भगराज चौधरी : एक मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब आप बिराजें।

श्री भगराज चौधरी : पुलिस विभाग के गठन का सवाल है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें श्री कालूलाल गूजर।

श्री भगराज चौधरी : पुलिस विभाग के अंदर करीब 6 साल से आर. पी.एस अधिकारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है आज से करीबन 18 महीने पहले डी. पी. सी. की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के पश्चात् कुछ अधिकारियों की सूची बनायी गयी आई. पी. एस. कैडर में प्रमोशन देने के लिये, मगर सूची बनाने के बाद में अभी तक उन अधिकारियों को प्रमोशन नहीं दिया गया। यही नहीं सलैक्शन ग्रेड और दूसरे प्रकार की जो लिस्ट है वह सलैक्शन लिस्ट भी नहीं बन पायी। उसकी वजह से जो सलैक्शन लिस्ट बन रही थी डी. पी. सी. द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है ..

श्री उपाध्यक्ष : कालूलाल जी बोलिये। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : जो सलैक्शन लिस्ट बनी हुई है उन आर. पी. एस. अधिकारियों को आई. पी. एस. कैडर में क्रमोन्नत करने में कोई रुकावट नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान) अब आप चूंकि मुझे सुन नहीं रहे हैं इसलिए मैं अब स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या –16 – पुलिस विभाग पर डिबेट हो रही है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस का कार्य इतना अच्छा है कि उसकी जितनी सराहना की जाए, कम है। हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में पुलिस का कार्य इतना अच्छा नहीं, जितना हमारे यहां राजस्थान में है। पुलिस ने समय–समय पर तत्परता से बहुत अच्छे कार्य किये हैं, समय–समय पर जनता ने और सरकार ने उनको धन्यवाद दिया है। सरकार ने भी पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया। कई जगहों पर जहां आवश्यकता थी वहां पर नये थाने भी खोले हैं और विभाग के डीवाई. एस. पी. स्तर के कार्यालय खोले हैं। कई जगह बिल्डिंगे भी बनी हैं और पुलिस विभाग को अच्छी तरह से

(श्री कालूलाल गूजर)

चुस्त दुस्त करने का कार्य किया है। कई जगह पुलिस विभाग ने ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या परम्परा डाल रहे हैं आप ? यह आप इसमें से पढ़ रहे हैं ?

श्री कालूलाल गूजर : नहीं कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें कोई एक—दो प्वांइट लिखे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बगैर चश्में के मैं वैसे ही नहीं पढ़ सकता। मैं चश्मा उतारकर खड़ा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पुलिस विभाग द्वारा अच्छे कार्य किये जा रहे हैं और सरकार द्वारा भी पुलिस को जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वे मुहैया कराई जा रही हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं करूंगा।

पुलिस थानों में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जब हम थाने में जाते हैं वहां पर हमको लगता है कि प्रैक्टिकली ये दिक्कतें हैं। उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा, सरकार इस बजट में उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई थानों में जीपें और साधन नहीं है। तस्करों को पकड़ने के लिये, असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिये पुलिस के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं इसलिए समय पर वह कार्यवाही नहीं कर पाती है। कई जगहों पर जीपें भी दें रखी हैं, साधन दे रखे हैं परन्तु ऐसी खटारा जीपें हैं कि चल भी नहीं सकती । मैं जब मंत्री था तो, मुझे याद है, मेरे साथ जो भी एस्कोर्ट लगती थी वह कोसों दूर रह जाती और हमारी गाड़ी कहां चली जाती । थानों को अच्छी जीपें दी जाएं। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जीपों में भी उनको जिप्सियां दी जाएं जो सेंसेटिव प्लेस हैं, जहां पर ज्यादा अपराध होते हैं तो पुलिस ज्यादा मुस्तैदी से कार्य कर सकती है।

दूसरा, मेरा कहना यह है कि थानों के अन्दर नफरी कम है, यह आम शिकायत है। हर थाने में जितनी आवश्कता हो उसी अनुसार पुलिस फोर्स होनी चाहिए लेकिन उतनी नहीं होती। इनके जो नोर्म्स बना रखे हैं वे पुराने हैं। उस समय से जो पुलिस तैनात कर रखी है वह उतनी ही है, ज्यादा नहीं बढ़ायी। वहां पर सिपाहियों की नफरी बढ़ायी जाए ।

कई जगहों पर वायरलेस सेट भी कम हैं और कहीं पर वायरलेस सेट है तो बिजली से चलते हैं, अगर बिजली चली जाती है तो वायरलेस सेट बन्द हो जाते हैं, बैटरियां नहीं हैं। मुझे मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ भी एक घटना हुई थी। मुझे कोई जरूरी काम था और मुझे थाने से कोई सूचना वायरलेस के जरिये एस. पी. को देनी थी करेड़ा थाने से। वहां जाकर देखा तो लाइट नहीं थी और लाइट न होने से इनका वायरलेस सेट बन्द पड़ा था। इसी तरह से और भी जो कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए, साधन दिये जाएं। इससे हमारी पुलिस और ज्यादा अच्छा कार्य कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, थानों के अन्दर अच्छा कार्य हो रहा है परन्तु उसके साथ कुछ शिकायतें भी हैं। बड़े बड़े जो अपराध हो जाते हैं उनको रोकने के लिये पुलिस मुस्तैदी से कार्य करती है परन्तु गरीब और साधारण आदमी कई बार जब कभी थानों में जाता है तो वहां उसके साथ पुलिस को जिस तरह से संवेदनशील होना चाहिए, वह नहीं होती। इसलिये मैं तो यह निवेदन करता हूं कि पुलिस को ज्यादा संवेदनशील बनाया जाना चाहिये। कोई आदमी मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो

(श्री कालूलाल गूजर)

थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं करता है और नहीं करने के कारण अपराध और बढ़ जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे भीलवाड़ा ज़िले में बनेड़ा थाने के अन्तर्गत एक भटेड़ा गांव है, वहां पर एक लड़के को किसी अपराध में पकड़ ले गये। उन्होंने इल्जाम लगाया बकरी चोरी का और उसको पीटा। उस लड़के के पिता जी थे, वे जानते थे कि थाने में जाते ही मुकदमा दर्ज नहीं होता है। कई बार जाते हैं मुकदमा दर्ज नहीं होता। वे उस दिन जाकर मुकदमा दर्ज नहीं करा सके। फिर एस. पी. साहब के पास गये, एस. पी. को जाकर कहा तब एस. पी. ने डिप्टी साहब को भेजा तब मुकदमा दर्ज हुआ। तब तक उस लड़के की हत्या भी कर दी गयी। यदि थाने के अंदर संवेदनशीलता हो, हर व्यक्ति को यह विश्वास हो कि थाने में आते ही पहले मेरी सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी कोई भी बात होगी वह थाने में जाकर कहेगा, मुकदमा दर्ज करायेगा और वहां से रिलीफ भी प्राप्त करेगा। परन्तु थाने के अन्दर कई बार मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, कई थानेदार ऐसे भी होते हैं जो पैसे मांग लेते हैं। कई कागज और लिखाई पढ़ाई के नाम से पैसे मांग लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी कमी है इसे दूर किया जाना चाहिये और पुलिस को संवेदनशील बनाया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार जो थानेदार होते हैं या और कोई छोटे अधिकारी—कर्मचारी होते हैं उनकी शिकायतें होती हैं उन पर भी त्वरित गति से जांच नहीं होती है। इस कारण भी जो छोटे स्तर के पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी गलती करते हैं उनके हौसले और बढ़ते हैं। और थानेदार ने, मान लो, रिश्वत ली या हैडकांस्टेबल ने ली या मांगी और उसकी शिकायत एस. पी. के पास हो गयी। उनकी शिकायत हम लोगों ने कर दी परन्तु उसकी जांच कभी पांच महीने तक नहीं होती, कभी आठ महीने तक नहीं होती और कभी छः महीने तक नही होतीं तब तक जो अपराध करता है जो गलत काम करता है या रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। इसलिए मेरा यह भी सुझाव है माननीय गृहमंत्री जी को कि वह इस तरह के शिकायतों के लम्बित मामले हर थाने के अनुसार हर पुलिस अफसरों के खिलाफ कितने हैं, उनकी तत्काल जांच कराने हेतु कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे जांच तत्काल हो। उससे गलत काम करने वालों के ऊपर चैक हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस को ज्यादा सक्रिय इस आधार पर भी बनाया जाना चाहिये, कई बार अपराध होते हैं उसके बाद कार्यवाही होती है लेकिन अपराध के पूर्व भी कई प्रकार की बातें पुलिस के सामने लायी जाती हैं कि साहब अमुक जगह पर मारपीट हो सकती है, अमुक जगह पर टेंशन है या यहां चोर ज्यादा सक्रिय हैं। उसके बावजूद भी पुलिस एलर्ट नहीं होती है इसी वजह से अपराध घटित होते हैं। भीलवाड़ा में पिछले दो—चार सालों में चोरियां काफी बढ़ी हैं। चोरी होती है तब पुलिस वाले कार्यवाही करते हैं परन्तु कार्यवाही करने पर भी जब ज्यादा चोरी हो रही हैं तो रात को गश्त करनी चाहिये, पुलिस के द्वारा चोरी से पहले ही चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जाना चाहिये। यह एक बहुत बड़ी ढिलाई है, बहुत कमी है इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। निर्देश दिये जाने चाहिये कि इस तरह की कार्यवाहियों को पहले से ध्यान में रखकर ढंग से कार्यवाही की जाए तो कई प्रकार की हत्याएं भी कम हो सकती हैं और चोरी वगैरह की जो वारदातें होती हैं वे भी कम हो सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष लम्बी—चौड़ी बात नहीं करूंगा, इन बातों पर मेरा यही सुझाव है,

(श्री कालूलाल गूजर)

माननीय गृह मंत्रीजी ध्यान देंगे तो पुलिस विभाग में और चुस्ती आएगी और पुलिस अच्छा कार्य कर सकेगी। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी धन्यवाद। श्री हीरालाल सहरिया।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पुलिस विभाग की डिमाण्ड चल रही है उसके ऊपर मैं भी अपने दो विचार रखता हूं। पुलिस की जो पुस्तकें हमें वितरित की गई है उसमें बताया गया है कि पुलिस ने आगजनी,लूटपाट धोखा धड़ी में बहुत ही अच्छा काम किया है लेकिन मेरे हिसाब से तो वह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि एक उदाहरण है पुलिस डिपार्टमेंट का। मेरे द्वारा 12–3–76 को एक रिर्पोट एस. पी.साहब की दी गई पंचायत समिति की राशि का गबन किया गया था उस के सम्बन्ध में एप्लीकेशन दी। उस प्रार्थना पत्र पर एस. पी.. साहब के आदेश के बावजूद भी थाना प्रभारी ने रिर्पोट को दर्ज नहीं किया। ग्रह तो पुलिस की कार्य कुशलता का एक नमूना है।

दूसरा इसी तरह का है। किशनगंज के ग्राम मिसाई में अभी तक दो समुदायों में झगड़ा चल रहा है उसकी रिपोर्ट मैंने एस. पी. साहब को दी डी. आई. जी. साहब को दी। रिपोर्ट देने के बाद भी उसको लाइटली ले रहे हैं और कहते हैं कि यह तो जमीन का मुद्दा है। मैं उनसे कह चूका हूं कि किसी दिन इसमें अप्रिय घटना घट जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस वालों की होगी लेकिन वे कह रहे हैं कि जमीन का मुद्दा है। अगर वह जमीन वाला ही मुद्दा है तो पुलिस डिपार्टमेन्ट को उसके बीच मे पड़कर इस तरह के मुद्दे को निपटाना चाहिए।

इसी तरह किशनगंज शाहबाद हमारा मध्यप्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहां पांच तारीख को एक ऐसी घटना घटी जो पूरे राजस्थान को दहलाने वाली है। मण्डी सेजना गांव में छः तारीख की रात को एक डकैती हुई और डकैतों ने वहां दो किराना वालों के मकान पर लूटपाट की। लूटपाट करने के बाद वे वहां से चले गये। उसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। उसके बाद सात तारीख कोसुबह छः बजे वहां से चौथमलजी तहलसीदार,शाहबाद और बाबूलाल मीणा को अपहरण करके ले गये। उसके बावजूद भी पुलिस किसी प्रकार से हरकत में नहीं आई। मैं तो यह मांग करूंगा कि इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्रीजी को त्याग पत्र दे देना चाहिए क्योंकी वह तहसीलदारजी अपने निजी प्रयासों से एक लाख रुपये देकर छूटा है और पचास हजार रुपये चपरासी के नाम के खुद ने दिये है उसने। यह पुलिस विभाग की नाकामी की वजह से हुआ इसलिए गृह मंत्रीजी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उधर मीट्ठालालजी मेहता जो हमारे मुख्य सचिव बैठे हैं उन्होंने तहसीलदारजी के अपहरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिये।....(व्यवधान) मीट्ठालालजी मेहता ही मुख्य सचिव हैं।

इसी प्रकार ग्राम बासकुंणी में एक छोटूलाल माली का मर्डर हो गया उसमें थाना भंवरगढ़ ने अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। न तो जांच की, न तफ्तीस की और न ही गुण्डों को पकड़ा। इसी तरह से दस्यु क्षेत्र में हरिसिंह का गेंग किशनगंज शाहबाद में विचरण कर रहा है। पुलिस दबाव डाल रही है हजारों रुपये बरबाद कर रही है लेकिन अभी तक न तो उसको खदेड़ पाई है, न उसको पकड़ पाई है।अभी हरिसिंह ने खटकाकर ट्रेक्टर ड्राइवर को पकड़ा और पकड़ कर उससे पूछा ....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं कहां से आ गया?

श्री हीरालाल सहरिया : आपका नहीं है, साहब। हरिसिंह उधर के ही हैं, दस्यु हैं। (व्यवधान) महुआ नहीं, धौलपुर के हैं, बाड़ी के हैं। उधर के होंगे। मध्यप्रदेश के हैं या कहीं के भी हैं लेकिन हैं उनकी गेंग है।

श्रीहरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो गेंगेस्टर नही हूं ।

श्री हीरालाल सहरिया : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी न किसी गेंग के लीडर तो हो ।

श्री हीरालाल सहरिया : आप वह वाली बात मत करो कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप क्यों उचक रहे हो ?

एक माननीय सदस्य : वह ठाकुर हैं, हरिसिंह गूर्जर नहीं है ।

श्री हीरालाल सहरिया : उस गेंग को बाहर खदेड़ने के लिये पुलिस प्रशासन को कड़ाई से मेहनत करनी चाहिये। पुलिस उनको शाहबाद की तरफ ढूंढती है तो शाहबाद से वे किशनगंज की साइड में आ जाते हैं। नाहरगढ़ की साइड में आ जाते हैं। गृह मंत्रीजी वहां के आमजन दोनों तरफ से परेशान हो रहे हैं। उधर तो आम पब्लिक दस्यु से परेशान हैं और उधर पुलिस से भी परेशान हैं कि बोलो तुमने कहां गेंग भेजी है। आम जन-- जीवन ठप्प पड़ा हुआ है उसके लिए भी आपको उचित कदम उठाने होंगे।

साथ ही , जो डकैती पड़ी है उसके तहत आर. ए. सी. की चौकियां कायम की गयी हैं, उन आर. ए. सी. की चौकियों को परमानेन्ट ही लगाया जाय ताकि भविष्य में कभी इस तरह की घटना नहीं घटे।

तीसरा मेरा निवेदन है कि जो आर. ए. सी. की चौकियां लगाई गई हैं इनके पास कोई वायरलेस सेट नहीं है। वायरलेस सेट नहीं होने के कारण से वे एक जगह से दूसरी तक जगह नहीं जा पाते, उनको सूचना नहीं मिल पाती । दस्यु इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से निकल जाता है और ये उनको पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इनको वायरलेस सेट तुरंत दिये जाने चाहिये। एक और मेरा सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री हीरालाल सहरिया : एक मिनट साहब। एक बात और मेरी कह दूं। भंवरगढ़ और किशनगढ़ थाने में दो आदिवासी सहरियों का मर्डर हुआ। वह किसने किया, क्यों किया मेरी मांग है गृहमंत्रीजी से कि उसकी सी.बी. आई.से जांच हो। साथ ही गोरधन नामक सहरिया का कंकाल जो अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट के पास है वह उसके परिजनों को दिया जाए ताकि वह उसकी अंत्येष्टि कर सके, यह मेरी मांग है। साथ ही मेरा और एक निवेदन है कि पुलिस थाने पर एस.आई. भी रहता है और हैड कांस्टेबल भी रहता है। एस.आई. को रेजीडेंशल सुविधा हेतु मकान दिया जाता है लेकिन वहां हैड कांस्टेबल के लिये रेजीडेंशियल सुविधा नहीं होने से उसको बड़ी दिक्कत आती है । जब थानेदार ट्यूर में चले जाते हैं, परिवार में जाते हैं जब एफ. आई. आर. जो दर्ज करता है वह हैड कांस्टेबल करता है इसलिए उसको वहां रहने के लिए सुविधा देना जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग के सम्बन्ध में...

श्री उपाध्यक्ष : 2 बजकर 40 मिनट पर बोल रहे हैं आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ठीक समय है । मैं इस पर अपने विचार रखूं । एक ऐसी स्थिति है कि हमारे पूरे प्रजातान्त्रिक ढांचे में अगर कोई बल है, कानून की कोई बाइंडिंग फोर्स है सरकार के पास तो पुलिस है। अगर पुलिस का ढांचा सही ढंग से काम न करे तो निश्चित रूप से प्रजातान्त्रिक मूल्यों में गिरावट आएगी और प्रजातंत्र स्वतः ही खतरे में पड़ जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस की है। एक तरफ एक हजार चालीस किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक तरफ यू. पी. के चम्बल के बीहड़ और मध्यप्रदेश से लगा हुआ इलाका, जहां डकैतों की बहुत बड़ी समस्या है और दूसरी तरफ बढ़ते हुए अपराध और अपराधियों की रोज बदलती हुई मोडस आपरेन्डी। अपराधियों के पास आज साधन इतने तेज हैं जो हम पुलिस को मुहैया नहीं करवा रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार हर वर्ष कुछ पैसा राज्य सरकार को देती है । मुझे बड़े दुःख के साथ अनुरोध करना पड़ रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये, पुलिस को साज–समान उपलब्ध करवाने के लिये दिये गये पैसों को राजस्थान सरकार यूटिलाइज नहीं कर सकी और 2 करोड़, 54 लाख रुपये इस मद में आज भी बकाया पड़े हुए हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी पिछले दिनों कह रहे थे कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में हमको पैसा मार्च के अन्त तक मिलता है। हकीकत यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार से यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगती है। लेकिन न उस पैसे का यूटीलाइजेशन होता है,न यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है और न अगली किस्त राज्य सरकार को मिलती है।

यहां तो यह भी पोजीशन नहीं है । एक तरफ तो हम उनकी आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ पुलिस के पास साधन नहीं हैं, अपराधियों के पास बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने वाले साधन हैं, उनके संचार माध्यम भी बहुत तेज हैं। फिर हम उम्मीद करें राजस्थान की पुलिस से, 2 करोड़ 54लाख रुपये जिसके आधुनिकीकरण के लिये अनयूटिलाइज पड़ा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति राजस्थान की सरकार के लिये और दूसरी हो नहीं सकती।

मै आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह निश्चित बात है कि जहां पुलिस की इतनी बड़ी जिम्मेवारी आती है उपाध्यक्ष महोदय, वहां निश्चित रूप से आज आम जनता में एक माहौल बना हुआ है, आदमी का एक मानस बन गया है कि पुलिस में बिना रिश्वत दिये काम नहीं होता । एफ.आई. आर.दर्ज करवाने जाओ तो पैसे, उस पर कार्यवाही करवाओ तो पैसे,एक जनमानस बन गया साथ ही यह भी मानस बन गया कि पुलिस में कोई भी थानेदार ऐसा नहीं है जो दारू न पीता हो। दारू तो शाम को पी जाती है, अगर थाने का थानेदार दारू पीकर बैठ जाए और रात में ही अपराध कमिट हो तो वह दारू के नशेपते में कहां जाएगा? इस बात की एक इफेक्टिव जांच निश्चित रूप से हो जानी चाहिये। मेरा तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि ऐसे थानेदार जो हैबीच्युअल हैं ड्रिंक के, उनको कम से कम सेन्सिटिव थानों पर तो पोस्टिंग नहीं दी जाय।

(श्री हरिसिंह)

मैं इसके साथ साथ राज्य सरकार से एक अनुरोध करना चाह रहा हूं मैंने पिछली बार भी इन मांगों के संम्बंध में बोलते हुए कहा था कि हमारे पुलिस के सिपाही का पे स्केल 825 से शुरू होता है । मैंने अनुरोध किया था, मैंने मांग की थी सरकार से कि राजस्थान सरकार की पैरा—मिलिट्री फोर्सेस के बराबर हमारी पुलिस का पे स्केल होना चाहिये। जो सुविधा उनको केन्द्र दे रहा है, दिल्ली की पुलिस को जो सुविधा मिल रही है, राजस्थान की पुलिस को उतनी सुविधा मिलनी चाहिये। तो राजस्थान सरकार कभी तो दस रुपये तनख्वाह में बढ़ा देती है, कभी पांच रुपये बढ़ा देती है और पुलिस का डंडा पुलिस के सिपाही को पकड़ाती है उसके बीस पैसे काट लेती है, उसके ड्रेस के पैसे काटते हैं। आज हम उम्मीद करते हैं लेकिन रात—दिन चौबीस घण्टे के नौकर का पे स्केल एल. डी. सी. के बराबर भी नहीं हो तो कैसे काम चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करूं कि थानों में स्टेशनरी की राज्य सरकार आज तक कोई व्यवस्था नहीं कर पायी। चाहे वह सरकार हमारी वाली रही हो, चाहे यह सरकार आपकी हो। जो फरियादी जाता है उससे पहली दफा पुलिस वाला कहता है, एक दस्ता कागज ले आ, कुछ कार्बन पेपर ले आ। गृह मंत्री महोदय, क्या आप थानों को स्टेशनरी दे रहे हैं ? क्या आप नहीं जानते कि भ्रष्टाचार की शुरूआत ही यहीं से हो रही हैं। आप थानों को स्टेशनरी उपलब्ध करवाएं नहीं, थाने वाले फरियादी से स्टेशनरी का सामान मंगवाएं तो कैसे उम्मीद करें कि पुलिस वाले ईमानदारी से काम करेंगे ? यह राजस्थान सरकार की कुछ कमियां हैं ।

आश्चर्य की बात है सब तरफ महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है लेकिन थाने में बंद अगर कोई अपराधी हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, उसको डेढ़ रुपये डाइट के दिये जा रहे हैं। थानेदार घर से लाकर खिलायेगा क्या ? गृह मंत्रीजी, डेढ़ रुपया एक डाइट का उस अपराधी को दिया जा रहा है। जो थाने में बन्द है,फिर हम उम्मीद करें कि थानेदार ईमानदार हो।

मैं, गृह मंत्रीजी आपसे एक और अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम अपने अधिकारियों को तो निर्देशित कर दें क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूं। मेरे यहां मिडवे है, आप का कोई भी अधिकारी जाए तो मिडवे में, आपका एस. पी. जाए तो मिडवे में, आपका डी. आई. जी.जाए तो मिडवे, और माफ करना आप भी जाएं तो मिडवे में लेकिन बिल देगा थानेदार महुआ। वह अपनी तनख्वाह में से तो देगा नहीं। निश्चित रूप से वह पब्लिक से कलैक्ट करेगा और गलत रास्तों से कलैक्ट करेगा । ये बातें शोचनीय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय , मैं एक ऐसे क्षेत्र से सम्बधित हूं, आपकी स्वयं की जानकारी में है कि यू. पी. से सटा हुआ एरिया है। यू.पी. से अपराधी सीधा वहां घुसता है और वारदात करके सीधा वापस चला जाता है और पुलिस को इस बात की जानकारी मिले इससे पहले वह पास हो जाता है। बम विस्फोट हुआ महुआ में, क्या कार्यवाही हुई ? आज तक आप पूरे राजस्थान की जनता को ही नहीं , पूरे देश की जनता को अंधेरे में रखे हुए हैं कि इस बम विस्फोट के सम्बन्ध में आपको कितनी कामयाबी मिली है। कहीं उस कामयाबी का

(श्री हरिसिंह)

कोई जिक्र नहीं। हो सकता है कुछ गोपनीय चल रहा है । मैं आप को कम्पैल भी नहीं करूंगा। हो सकता है मेरे कहने मात्र से अपराधी भाग जाएं पाकिस्तान। आप गोपनीय काम अपने करिये लेकिन कम से कम राजस्थान की जनता को तो आश्वस्त कर दीजिए । राजस्थान में अपराधवृत्ति बढ़ रही है, उग्रवाद को पनाह मिल रही है ,कोटा से लेकर जयपुर से लेकर दो वारदातें हो गयी महुआ में , भिन्न – भिन्न इलाको में । गंगानगर और बीकानेर तक में उग्रवादी वारदातें कर जाते हैं और निकल कर चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस के लिये एक चैलेंज है। राजस्थान की सरकार के लिये उग्रवादियों की तरफ से एक चैलेन्ज है शांत प्रदेश राजस्थान में उग्रवाद। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, राजस्थान की पुलिस इस तरफ सक्रिय नहीं हुई तो राजस्थान में उग्रवाद फैलकर हमारा जीवन दूभर कर देगा।

मैं इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहूंगा, प्रैक्टिकली थाने पर केस की तफतीश के लिये ए.पी. पी. के पास फाइल जाती है। हर आदमी जानता है कि ए. पी. पी. ब्रीफ बनाकर तफतीश कुनिन्दा से सौ रुपये लेता है। आपने प्रोसीक्यूशन को अलग कर दिया, थानेदार सौ रुपये कहां से देगा ? सौ रुपये लेता है ए. पी. पी., सौ रुपये मांगता है डी. एस. पी. का रीडर। जब डी.एस.पी. का रीडर उससे लेगा, ए.पी. पी. उससे लेगा तो तफतीश कुनिन्दा निश्चित ही फरियादी अपराधी से पैसा लेगा। अदरवाइज उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, अपनी तनख्वाह में से नहीं दे सकता।

मैं इसी के साथ मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा । पंचायत के इलैक्शन हुए, जिला परिषद के प्रतिनिधि के इलैक्शन में बूथ कैप्चरिंग हुई । डी. आई. जी. रेंज महुआ हाजिर। दुबारा मतदान हुआ। दुबारा मतदान हुआ तो एक रात और एक दिन तक धड़ाधड़ बन्दूकें चलती रहीं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस समर्थक दो गांवो को पोलिंग के नजदीक नहीं जाने दिया। एक व्यक्ति का वोट नहीं डला, हम रोते रहे जबकि 150 आदमी पुलिस के थे। पुलिस की नाकामयाबी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में पार्लियामेंट इलैक्शन हुआ। दौसा पार्लियामेन्टरी कान्स्टीट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार लड़े। मेरी पर्सनल बात जब हुई तो कलेक्टर, एस. पी. और डी.आई.जी. सबने यह कहा कि चुनाव के दिन सिर्फ कैन्डीडेट और कैन्डीडेट का जो इलैक्शन एजेन्ट है, इन दोनों की गाड़ियां ही पोलिंग बूथ के निरीक्षण के लिए अलाउ करेंगे, इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करेंगे। आप आश्चर्य की बात समझिये इतने बड़े आश्वासन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कैण्डीडेट अपने साथ में गुण्डों से भरी हुई 6 गाड़ियां लेकर चला गया। बूथ कैप्चर करता हुआ चला गया और पुलिस तमाशा देखती रही ,कोई प्रभावी कदम नहीं हुआ। नतीजा यह निकला कि 7 से अधिक पोलिंग बूथ पर दुबारा मतदान हुआ। पुलिस सहयोग कर रही थी इसके बाद में एक जोन के पोलिंग स्टेशन पर तिबारा मतदान हुआ। केन्द्रीय पर्यवेक्षक की शिकायत पर दौसा के कलेक्टर और दौसा के एस.पी. का तुरन्त स्थानान्तरण किया गया। पुलिस की नाकामयाबी घिनौने कृत्य का इससे बड़ा सबूत कोई दूसरा नहीं हो सकता है, जहां प्रजातंत्र की मूल चुनाव प्रक्रिया पर आघात हो, चुनाव की पवित्रता

(११५)

(श्री हरिसिंह)

को समाप्त किया जाय और पुलिस मूक दर्शक बन कर देखती रहे। पुलिस की शिथिलता का एक और उदाहरण दूगां।

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस मूक दर्शक नहीं होती। माननीय सदस्य, पुलिस परिस्थितियों का अध्ययन कर रही होगी, पुलिस मूक दर्शक नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्ययन यह किया कि जोन पोलिंग स्टेशन पर जो दोनों, पोलिंग आफिसर थे उनको बुलाया, दबाते रहे कि उस पर लिखो कि बूथ कैप्चर नहीं हुआ। पूरी रात उनको फोर्सफुली दबाया। एस.पी. साहब ने मना कर दिया, कलेक्टर ने दबाया। पर उन्होंने मना कर दिया कि हमारा नैतिक दायित्व है, हम चुनाव की पवित्रता को नष्ट नहीं कर सकते। बूथ कैप्चर, भारतीय जनता पार्टी के कैण्डीडेट ने आकर किया है, हमने हमारे गोपनीय प्रतिवेदन में लिख दिया है। नतीजा यह हुआ कि एस.पी. और कलेक्टर की राय पर उन दोनों का सस्पैंशन हुआ। गृह मंत्रीजी, सुन लीजिये आप, वे दोनों पोलिंग आफिसर आज भी सस्पैण्ड पड़े हैं। उनका क्या कसूर था, आपकी कार्य प्रणाली। अनुसूचित जाति के दुल्हे निकले, आज की ताजा—ताजा घटना सीकर जिले में, पकड़कर उतार दिया। वारदात हुई। एक महीना हो गया केस दर्ज हुए। मैंने एडजोर्नमेंट मोशन भी लगाया था, शायद आपके पास जवाब भी आ गया होगा। क्या कारण है कि आपका डी. एस.पी. आज तक फरियादी को दबा रहा है कि आप राजीनामा कर लो। क्यों, यह पुलिस का काम है ? अपराधी को पकड़ कर कानून के हवाले करना पुलिस का काम है। आज तक अपराधी नहीं पकड़े गये। संगलपुर थाने पर यह मुकदमा नम्बर 112, 8—10—95 दर्ज हुआ। गोलियां एक घंटे चलीं, दोनों पार्टियों में आपस में मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से घायल हुए और 2 महीने निकलने के बाद में आज तक भी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया है। अपराधी खूले घूम रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, डी. एस.पी. से मिल रहे हैं, एस.पी. से मिल रहे हैं लेकिन उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें। आज बहुत माननीय सदस्यों को बोलना है। आप रोज—रोज बोलते हैं, जो रोज नहीं बोलते हैं वे भी बोलना चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं अन्त में सिर्फ इसी शब्द के साथ कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस प्रजातांत्रिक ढांचे को बनाये रखने की पहली जिम्मेदारी, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी और हमारी है कि इसके मूल्यों में गिरावट न आए।

श्री उपाध्यक्ष : वह मैं भी निभा रहा हूं, आप भी निभाएं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं भी निभा रहा हूं। और उसके बाद में अगर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तो पुलिस विभाग की है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्राजी से अनुरोध है कि कम से कम तबादलों में राजनीति बीच में न लाएं। भारतीय जनता पार्टी के एम.एल. एज. आपके पास डिजायर देते हैं, यह विचारणीय बिंदु है। उस डिजायर के पीछे कोई स्पष्ट मंशा, मंतव्य नहीं होते, वहां पर कुछ न कुछ गलत मंशा और मंतव्य है। पुलिस फोर्स में अपने मनचाहों को गलत काम करने के लिये लगवाने का नतीजा यह निकलता है कि पुलिस में ईमानदार व्यक्ति जो राजनेताओं तक अपनी

(श्री हरिसिंह)

पहुंच नहीं रखते हैं, पुलिस लाइन में पड़े हैं। मैं इन्हीं अनुरोधों के साथ में आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि आप इस व्यवस्था को सुधारने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंह डांगावास।

श्री कन्हैया लाल मीणा : ..(व्यवधान).. जिस कैण्डीडेट ने बूथ कैप्चर किया,काम उलटा किया। कांग्रेस ने तो बूथ कैप्चर किया और कैण्डीडेट का आप नाम लगा रहे हो। वह कैण्डीडेट तो मौजूद ही नहीं था। कम से कम यह असत्य बोलने ....(व्यवधान)..

श्री टीकम चन्द कांत : ये असत्य बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं—नहीं, यह गलत है ...(व्यवधान).... कमाण्डो था। उनके साथ में 12 आदमी लगे हुए थे, वह बूथ कैप्चर कर ही नहीं सकता। पुलिस के घेरे में था ... (व्यवधान)....

श्री कन्हैयालाल मीणा : नहीं—नहीं, यह असत्य है .... (व्यवधान).... सरासर असत्य है। इतना असत्य मत बोलो आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप रिर्पोट मंगवा लो न। उसके साथ तो कमाण्डो थे वह इतनी हरकत कर ही नहीं सकता। ...(व्यवधान)....

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय, ऊपर भी कुछ है, ऊपर भी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरिसिंहजी, विराजें।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांगों पर मेरे विचार रखने से पूर्व राजस्थान पुलिस के कर्मठ डी.आई.जी. श्री नवीन शर्मा जिन की आकस्मिक मृत्यु हुई, अल्पायु में मृत्यु हुई, मैं श्री नवीन शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को असामयिक दुःख सहन करने की शक्ति दें।

किसी विदेश, प्रांत या समाज को सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह करने के लिये एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है और वह व्यवस्था है पुलिस। राजस्थान पुलिस का इतिहास गौरवमय रहा है। ज्यों ही राजस्थान बना, वर्ष 1952 से लेकर के 1958 तक पूरे राजस्थान में दस्यु दल उदय हुए। पश्चिमी राजस्थान में बलवंत सिंह, कानिया, बेलिया, जीवन सिंह, खानूडा राई, बीकानेर में तेजसिंह ....(व्यवधान).... कृपया शांत रहें। बहुत गम्भीर बात है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उनको मूछों के तोते उड़ाने दो। शांत रहिये आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास : इस राजस्थान पुलिस ने, यहां तक कि एक पुलिस अधीक्षक श्री ताराचंद जैसे व्यक्ति ने, अनेक सिपाहियों ने अपनी जान की आहूति दे कर इस राजस्थान के नागरिकों को सुख—चैन से रहने की व्यवस्था की। आज की स्थिति यह है कि सिर्फ धौलपुर, भरतपुर और कुछ कस्बा थाने के आस पास इक्का दुक्का दस्यु हैं, जो भी आम तौर पर सक्रिय कम हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

116

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये गलत बोल रहे हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय सदस्य, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। ऐसी व्यवस्था आप कर देंगे तो शायद हम भी आपको न बोलने दें।

(15.00)

मैं अपराध के सम्पूर्ण आंकड़ों में नहीं जाना चाहता मैं बहुत शोर्ट दे रहा हूं पंजीबद्ध कुल अपराधों की बढ़ोतरी वर्ष 1994–95 में 11.46 प्रतिशत हुई है। इस बढ़ोतरी का विशेष कारण यह है कि अन्य मिसलेनियस अपराधों की बढ़ोतरी 14.91 प्रतिशत रही है। आपका विशेष ध्यान आकर्षित करूंगा कि डकैती की बढ़ोतरी 0 प्रतिशत, लूट की बढ़ोतरी 1.14 प्रतिशत, हत्या की 0.93 प्रतिशत, नकबजनी की 0.15 प्रतिशत और चोरी की 4 प्रतिशत जान, माल, सम्पत्ति के जितने मुकदमें हैं इनकी बढ़ोतरी के साथ, जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ, आकांक्षाओं की बढ़ोतरी के साथ यह जुड़ा हुआ है जो अधिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पुलिस ने अपराध अपने नियंत्रण में रखे। असामाजिक तत्वों पर अंकुश रखा, यह इसका द्योतक है।

मैं अन्तरदेशीय सीमा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। राजस्थान की अन्तरदेशीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, यह एक हजार चालीस किलोमीटर है। इस सीमा पर यद्यपि भारतीय अर्द्ध सैनिक बल, सीमा सुरक्षा बल लगे हुए हैं तथापि राजस्थान पुलिस ने उल्लेखनीय कार्य गत वर्ष में किये हैं। तस्करी की रोकथाम के सम्बंध मे गत वर्ष 9 तस्करों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, 3 तस्करों को कोफेपोसा एक्ट में और 77 व्यक्तियों को 18 मुकदमों में गिरफ्तार किया। वर्ष 1995 में राजस्थान पुलिस ने 92 करोड़ 67 लाख 22 हजार 104 रुपये का तस्करी का माल बरामद किया। इसके साथ–साथ निम्नलिखित हथियार भी पाक सीमा पर अपराधियों से पकड़े गये – ए.के.56 राइफल्स 16, ए.के. 47–2, पिस्टल व रिवाल्वर 39, राइफल 303 बोर सुपर स्टार 9, माउजर राइफल 68, ए.के. राइफल पाक निर्मित 96 व एम.एम. पाक निर्मित राइफल 116। इसके अलावा मैगजीन, गारनेट, कारतूस वगैरह भी राजस्थान पुलिस ने बरामद किये। यह दर्शाता है राजस्थान पुलिस की कर्मठता एवं कार्य कुशलता कि सीमा के करीब इतनी चौकसी रखी गयी जिससे पूरा वर्ष राजस्थान शांति बिता सका।

राजस्थान पुलिस की एक गुप्त शाखा बार्डर इंटेलीजेंस, जो सीमा पर तैनात रहती है, उसने वर्ष भर में मेहनत करके ऐसी सूचनाएं इक्ट्ठी की जो प्रांत ही नहीं भारत देश के लिये उपयोगी हुई। पाकिस्तान के सारे इरादे इस राजस्थान पुलिस की बार्डर इंटेलीजेंस ब्रांच के माध्यम से उच्च अधिकारियों और भारत सरकार को भेजे गये।

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाई मानसिंह स्टेडियम में विस्फोट हो गया था।

श्री भंवरसिंह डांगावास : इस सराहनीय कार्य के लिये मैं राजस्थान पुलिस के सिपाही से लेकर डायरेक्टर तक को बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि एक–आध ब्लैक शीप भी होती हैं। राजस्थान पुलिस के सारे कामों में यदि कुछ आदमी उनके चरित्र से उनके कर्त्तव्यों से ऐसे कार्य करें जिससे हमारी जनता आलोचना करे, तो उसके लिये we should deal with iron hand सख्ती से उनके साथ व्यवहार करना चाहिये। थोड़े से

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

मैं आपके समने आंकड़े रखता हूं। पुलिस कार्मचारियों के खिलाफ,जो जांच की जाती है उसकी अवधि 6 माह है इस में प्राथमिक जांच 12. 17. सी. सी. ए.रूल्स के तहत 240 पेन्डिग है । एक वर्ष से अधिक प्राथमिक जांचें 44, 17 ,सी. सी. ए. रूल्स में 122, 16, सी. सी. ए. में 410 पेन्डिग है इनका निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र नहीं किया गया तो जिस तरह से अपराधी बरी होता है और निरकुंश होता है। उसी तरह से राजस्थान पुलिस के नाकारा कर्मचारी हैं वे भी समय पर सजा नहीं मिलने पर निरंकुश होंगे। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान पुलिस को सुदृढ़ व सुसज्जित करने की यथेष्ट चेष्टा की जा रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां की जा रही है?

श्री उपाध्यक्ष : सुसज्जित या सुसंगठित ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : सुदृढ़ और सुसज्जित। गाडियों, वायरलैस व इक्विपमेंट्स से मतलब है।

अब मैं मैन मैनेजमैंट पर आता हूं यथेष्ट चेष्टा करने के बावजूद चाहे आप साधन उपलब्ध करा दें , चाहे आप उनको अच्छे से अच्छा आकर्षण दे दें परन्तु अगर अच्छा मैन मैनेजमेंट नहीं होगा तो पुलिस की दक्षता दर्शायी नहीं जा सकेगी । मैंने पूर्व बजट में भी कहा था कि राजस्थान पुलिस के एक्ट के अनुसार 24 घंटे की ड्यूटी पर रहना उसका फर्ज है । इसका मतलब यह नहीं है कि आप वाकई में ही इनसे 24 घंटे ड्यूटी लें। उपाध्यक्ष महोदय, तांगे वाला भी रात को घोड़े को खोलकर विश्राम देता है। लेकिन राजस्थान पुलिस का सिपाही न मालूम कब विश्राम करता है। मैंने सुझाव दिया था कि 5 बड़ी सिटीज–जयपुर,जोधपुर,कोटा,अजमेर और बीकानेर में इन्वेस्टीगेशन पुलिस अलग की जाए। अन्वेषणकर्ताओं की अलग टोली बनायी जाए प्रत्येक थाने में और उनकी आठ–आठ घंटे ड्यूटी ली जाए। इसी प्रकार ला एण्ड आर्डर के जुर्मों की रोकथाम के लिये, पैट्रोलिंग के लिए अलग दल बनाया जाए। प्रत्येक थाने में इस तरह से दो दल स्थापित हों। अगर यह व्यवस्था होगी तो तफतीश का काम सही होगा। मैं यह कहता हूं कि पुलिस के ऊपर बहुत भार बढ़ा है, 50 वर्ष पूर्व एक–आध प्रोसेशन ताजियों जैसे के लिये हमें इंतजाम करना पड़ता था, कोई एक–आध वी. आई. पी. आता था जिसकी हमं व्यवस्था करते थे। लेकिन आज हर धार्मिक मेला, हर धार्मिक जुलूस और वी. आई. पी. की लिस्ट बनायी जाए तो पता नहीं कितनी लिस्ट बने और उसके बाद में रही रात की पैट्रोलिंग करनी पड़ती है। ये सारी चीजें देखने के बाद एक पुलिस कर्मचारी को कितना रेस्ट देना चाहते हैं, कितने समय तक उससे काम लेना चाहते हैं ? अगर अधिक परिश्रम लेकर काम कराएंगे तो काम की क्वालिटी घट जाएगी, उसकी इच्छा नहीं करेगी वह मन मार कर ड्यूटी पर लट्ठ लेकर खड़ा रहेगा लेकिन उसकी इच्छा नहीं होगी कि मैं कोई काम करूं। इसलिये इन 5 बड़े शहरों में परम आवश्यक है कि इन्वेस्टीगेशन ब्रांच सैपरेट की जाएं। लां एण्ड आर्डर के साथ प्रिवेंशन वर्क भी जोड़ा जाए। इस हिसाब से विंग बनायी जाय तो मैं सोचता हूं कि जवानों को भी कुछ राहत मिलेगी कार्य की उनकी क्षमता बढ़ेगी।

मैं अभी आंकड़े देख रहा था कि 1994 के मुकाबले में 1995 में कितने पद सृजित हुए हैं। (व्यवधान)....। मैं क्षमा चाहता हूं पांच मिनट और लूंगा। जैसी आपकी इच्छा,मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं तैयारी करके आया हूं

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

कोई आदमी यहां खड़ा होकर बोलता है वह दस मिनट ले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आइंदा आप से कभी नहीं कहूंगा।

मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य को बता दूं कि यह व्यवस्था बोम्बे में आज से 50 वर्ष पहले थी । गुजरात स्टेट में 1952 में जब मैं बार्डर पर था तो थाना थराद में यह व्यवस्था थी । हमारी स्ट्रैंथ 11+1+1=13 थी और उनकी स्ट्रैंथ 85 थी । लेकिन हुआ क्या? राजस्थान पुलिस में 113 पदों की बढ़ोतरी हुई जिसमें से 109 पद सिपाहियों के कम कर दिये गये । रीढ़ की हड्डी हैं हमारे सिपाही । पुलिस विभाग में अगर सिपाही सही ड्यूटी देता है तो डी.जी. भी सही ड्यूटी देता है और सिपाही गलत देता है तो पूरी राजस्थान पुलिस गलत ड्यूटी देती है। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी ।

अब मैं वैलफेयर पर आता हूँ । अध्यापक सिर्फ 4 या 5 घंटे ड्यूटी देता है, वेतन देख लीजिये । एल.डी.सी. साहब आते हैं दस्तख्त किये, पान की दुकान पर, फिर चाय की दुकान पर, दिन अस्त हुआ और पांच बजे घर चल देगा, उनका वेतन देख लीजिये । इनकी जान की कोई रिस्क नहीं, वे मरते ही नहीं, सिवाय कोई खुद कुछ कर ले तो अलग बात । और इनकी हमेशा जान की रिस्क, हमेशा पब्लिक से प्रहार होने की रिस्क और वेतन क्या है ? मैं यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर हमारे सिपाहियों का वेतन किया जाए । अगर आप वेतन पूरा देंगे तो भ्रष्टाचार स्वतः ही मिटेगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : मिलिटरी के सैनिक के बराबर तो हो ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : उनकी स्केल मुझे मालूम नहीं है। हर साल अलाउंसेज घोषित होते हैं–वाश, मैस अलाउंस, साइकल अलाउंस, मोटर साइकल अलाउंस । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वार्डस्टिक है, तनख्वाह में हैं कि हमारे महंगाई भत्ते प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ेंगे । वह प्राइस तो पैट्रोल पर बढ़ रही है, साइकल के टायर भी महंगे हो गये हैं, साइकल भी महंगी हो गयी है । मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि 6–6 महीने से मैस भत्ता या जो भी सारे अलाउंसेज हैं, जवानों के, प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ाने का निर्णय लें ताकि आपको बार–बार यह कष्ट नहीं करना पड़ेगा कि कितना बढ़ाएं या कितना नहीं बढ़ाएं ।

50 प्रतिशत जवानों के और सिपाहियों के पुलिस थानों में और पुलिस लाइन में आवास अनिवार्य करें । आजकल हमारे सिपाही, हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई. शहर में मकान लेकर रहते हैं वह ड्यूटी देने आता है तो पीछे कोई नहीं रहता । अगर पुलिस कॉलोनी में रहेगा तो उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। एक छोटी–सी बात आप देख लीजिये, + + +

गृह मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि सिपाही भी इन्सान हैं ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता,प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, असैम्बली सैक्रेटेरिएट का मुद्दा इस सदन में डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसका सम्बन्ध सीधा असैम्बली सचिवालय से है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ध्यान रखें ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस डिपार्टमेंट की व्यवस्था है असैम्बली को कुछ नहीं करना है, इसलिये मैंने बात कही है। असैम्बली के सम्बन्ध में कोई

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

मुद्दा नहीं है, पुलिस व्यवस्था करे इस चीज की कि कोई आदमी कैसे ड्यूटी दे ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप आगे चलें, आगे कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मुद्दा है। You are ignorant of law. मुद्दा यह है कि वाच एण्ड वार्ड के लोग पुलिस बुक में ओरिजिनल उनके लिये लीयन हो सकता है लेकिन They are on deputation to the Assembly Secretariat and with the Speaker. और स्पीकर का जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन है, न तो उस डिमांड पर वोट होता है और न वह मैटर डिस्कस किया जा सकता है । यह इस सदन की परम्परा रही है पिछले 45 साल से। आप यह समझते हैं कि यह पुलिस यहां पर बैठी हुई है यह वाच एण्ड वार्ड हमारे पुलिस वाले हैं । पुलिस ज्यों ही हाउस के प्रिमिसेज में एन्टर हुए नहीं, वे अध्यक्ष महोदय के स्टाफ में हैं ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं नेता, प्रतिपक्ष का मान करते हुए, सम्मान करते हुए, हमेशा बीच में बोलते हैं उसको मैं ग्रहण करता हूं । अगर ऐसी व्यवस्था है तो मैं यही चाहूंगा कि इन शब्दों को गृह मंत्री जी ग्रहण कर लें, चाहे आप प्रोसीडिंग्स में से निकाल दें ।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो करेंगे ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मदेरणा साहब, + + + है ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं तो आपकी राय मानता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : आप ठहरो, मैं होम मिनिस्टर से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। Home Minister can discuss this matter with the Speaker and Deputy Speaker. He can discuss the matter. चूंकि आपने डेपुटेशन पर दिया है उनकी सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिये, कोई दोराय नहीं है लेकिन यह मैटर ऐसा है कि असैम्बली का मैटर अपने यहां डिस्कस करते नहीं हैं । वह अध्यक्ष महोदय से बात करने की एक परम्परा है वह परम्परा निभानी चाहिये, क्योंकि असैम्बली के स्टाफ के ऊपर भी कोई भी चर्चा यहां आती है, दूसरी बात भी आती है, That we cannot discuss.

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : एक मिनट, लास्ट है ।

राजस्थान पुलिस हितकारी निधि, राजस्थान पुलिस कल्याण निधि, सामूहिक बीमा योजना, दोहरा लाभ, राजस्थान पुलिसकर्मी कल्याण योजना द्वारा पुलिस अफसरों व कर्मचारियों की भलाई के कार्य किये जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें दो–तीन तो कंट्रीब्यूटरी हैं यानी पुलिस कर्मचारी खुद पैसा देते हैं, फण्ड इकट्ठा होता है, तब राहत देते हैं। 50 वर्ष में राजस्थान पुलिस में पुलिस वालों के बच्चों के पढ़ने के लिये कोई स्कूल नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप सिपाही के बेटे को सिपाही रखना चाहते हैं, हैड कांस्टेबल के बेटे को हैड कांस्टेबल या

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

सिपाही रखना चाहते हैं? मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से, आप जब मांगों पर जवाब दें तो आर.पी.ए. के अन्दर सीनियर सैकण्डरी लेवल का विद्यालय, नवोदित योजना के तहत—निःशुल्क खाना, निःशुल्क कपड़े और विद्या देने का पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिये घोषणा करें।

दूसरा, मैं निवेदन करूंगा अस्पताल व्यवस्था के बारे में। पुलिसकर्मी हमेशा ड्यूटी में होता हुआ जख्मी होता है, बीमार होता है, उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें मालूम है, मैं खुद जाता हूं, जब तक कोई एम. एल.ए. नहीं कहेगा तब तक डाक्टर खड़ा होकर बात भी नहीं करता, दवा नहीं देता। मैं चाहता हूं कि पुलिस लाइन के अन्दर या आर.पी.ए. के अन्दर एक पुलिस चिकित्सालय बनाएं ताकि पुलिस का कर्मचारी, पुलिस का परिवार और उस परिवार के बच्चे ,उसमें इलाज करवा सकें, यह निवेदन है। समय दिया, अधिक समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खां।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र तिजारा के सम्बन्ध में तहसील तिजारा और तहसील कोटकासिम शामिल हैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। जैसे आपको मालूम है तिजारा विधान सभा क्षेत्र तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और उसमें सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का है। जैसा आपको मालूम है कि भिवाड़ी में आज बहुत बड़ी फ्लोटिंग पापुलेशन है, वहां रजिस्टर्ड वोटर्स तो केवल साढ़े छह हजार के करीब हैं मगर 75 हजार बाहर के आये लोग बसे हुए हैं। बाहर के लोगों का कोई रिकार्ड न होने की वजह से वहां पिछले कुछ सालों से ला एण्ड आर्डर और काइम ग्राफ काफी बढ़ गया है। अभी आपने सुना होगा कि सोर कलां जो कि बोर्डर पर पड़ता है, वहां एक हैड कांस्टेबल को मार दिया गया था। डकैती और दूसरा क्राइम वहां काफी बढ़ गया है। गांव सिरोलीकलां, ठाकपुरी, सारेकलां, भिण्डला, खुशकड़ा एवं बुद बावल में पुलिस चौकियां कायम करने की मांग मैं रखना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार उसको स्वीकार करेगी। खास तौर से खुशकड़ा गांव भिवाड़ी थाने में पड़ता है पर वह भिवाड़ी थाने से 12—13 किलोमीटर दूर है और वहां पर जाने के लिये हरियाणा के थ्रू जाना पड़ता है। वहां एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा है इसलिये वहां पर थाने का होना बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको नजर रखते हुए वायरलैस की गाड़ी और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। अभी हरियाण में प्रोहेबिशन लागू कर दिया, उसका इफैक्ट हमारे इलाके में बहुत पड़ रहा है। चूंकि वह बार्डर का एरिया पहाड़ी है, वहां आने—जाने में स्मगलर्स को काफी सुविधा है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। वहां पर शराबबन्दी की वजह से यहां की जो ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन है वह दिन—प्रति दिन बिगड़ती रहेगी। इस सम्बनध में मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप राजस्थान में आठ किलोमीटर या दस किलोमीटर का कोई बफर ड्राई जोन बना दें जहां शराब की कोई दुकान न हो, उससे यहां काफी कमी या उस पर पाबन्दी रहेगी।

मेरा सुझाव है कि तिजारा थाने में जो सवा एकड़ भूमि उपलब्ध है वहां स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किया जाए। मेरा यह भी सुझाव है कि

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

तिजारा, टपूकड़ा और कोटकासिम थानों को क्रमोन्नत किया जाए और जहां सब इंस्पेक्टर है वहां इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी नियुक्त हों।

अंत में, मेरे विधान सभा क्षेत्र से हटकर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1993 में पुलिस फोरेंसिक लैब के लैब असिस्टेंट के रिक्रूटमैंट हुए थे । 1994 में मैंने नियम 295 के अंतर्गत यह मुद्दा उठाया था कि जो रिक्रूटमैंट हुए हैं वे गलत हैं । इसकी इंक्वायरी के राज्य सरकार ने आर्डर किये जिसकी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री और राज्य सरकार को भेजी । मुझे 9 जुलाई, 1995 को बताया गया कि उसकी रिपोर्ट तैयार हो गयी है और सम्बन्धित को भेज दी गयी है । मेरा निवेदन है कि जो रिपोर्ट तैयार हुई है वह सदन में रखी जाए और यह बताया जाएं कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी। धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपारामजी ।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस पर चर्चा चल रही है । हम आज पुलिस में जो कमियां देख रहे हैं, दोष देख रहे हैं, मेरा इस पर यहीं कहना है मैं मानता हूं कि मानव के जीवन जीने की शैली में जो बदलाव आ रहा है यह उसी की देन है । राजस्थान और हिन्दुस्तान के लोग धीरे–धीरे आध्यात्मिक विचारों से हटकर भौतिक विचारों और भौतिकवाद की ओर जा रहे हैं पश्चिम सभ्यता की ओर जा रहे हैं, मैं मानता हूं यह उसी की देन है । मैं आपके दिये हुए दस मिनट से भी शायद कम समय बोलूंगा । हम केवल पुलिस विभाग की ही बात क्यों करें, किसी भी विभाग की बात करें । सभी सदस्यों, सरकार और हम सबको भलीभांति पता है कि व्यवस्था क्या चल रही है और कौन भ्रष्ट है, कौन भ्रष्ट नहीं है । आज हम दूसरों पर अंगुली उठाने की शैली में जी रहे हैं । उसमें हम अपनी तरफ न देखकर दूसरों की तरफ देखते हैं इसका सीधा–सीदा अर्थ है कि दूसरे की तरफ एक गुना बताएंगे तो ईश्वर, प्रकृति और देवता ने ऐसी व्यवस्था की है कि वह अपने आप तीन गुना हमको दोषी बताती है, आज किसी भी विभाग या समाज के किसी संगठन को देखें वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है । कोई भी आदमी किसी को बुरा बताते समय यह नहीं देखता कि वह कैसा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि कुछ बदलाव लाना है तो खुद बड़ा बदलाव लाने की सोचें, नहीं तो मैं मानता हूं कि यहां जो व्यवस्था है उसमें चर्चा होने के बाद भी कुछ सुधार होने की संभावना नहीं है । फिर भी व्यवस्था है, आपको बोलना है, मुझे बोलना है । मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी कि आप चुप रहे, आपका अखबार में नाम नहीं आया । मैं पुस्तक दिखाकर बता दूंगा कि मैं बोलता तो हूं ।

माननीय उपाध्यक्षजी, पुलिस की महत्ता मैं इसलिये मानता हूं, मेरे से पहले नागौर से आने वाले भंवरसिंह जी ने भी बताया कि यह एक ऐसा विभाग है जिसके डर से सभी विभागों के कार्य में ईमानदारी लायी जा सकती है । यह एक महत्वपूर्ण विभाग है । मैं संक्षेप में बताऊंगा कि इस विभाग में तनख्वाहें कम हैं, साधनों का अभाव है । कम तनख्वाह के कारण और रिश्वत देकर नौकरी लगने से अधिकारी और कर्मचारी का मन तो पहले ही मर जाता है । जो खुद अन्याय

(श्री रूपाराम)

सहन करता है वह दूसरों को न्याय देने की क्या सोचेगा ? वह तो सोचेगा कि जितने लगे हैं उतने तो मुझे लेने ही लेने हैं ।

जिस प्रकार छाछ खरीदकर उसे दूध की तरह गर्म कर दही बनाया जाएं और फिर मक्खन लाया जाएं, यह असंभव है ठीक उसी तरह मैं मानता हूं कि इस विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के उपरांत उच्च अधिकारियों को रिश्वत और भारी सिफारिश, कम तनख्वाह देना, यही वजह है जिससे इस विभाग में निरंतर बढ़ती हुई अनियमितताएं और भ्रष्टाचार जब से पुलिस विभाग बना है तब से चल रहा होगा। हम चर्चा करते हैं फिर भी भ्रष्टाचार का ग्राफ ऊंचाई की ओर जा रहा है । चर्चा में भाग लेते समय हम सभी विचारों से दूसरे का सहयोग करके अगर इसमें कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है ।

अब मैं आपको पुलिस की कार्यवाही और काम के बारे में बताना चाहता हूं । यह एक प्रवृति है मैं नहीं मानता कि सभी विभागों में सभी आदमी अपराध प्रवृत्ति के होते हैं । अभी माननीय भंवरसिंह जी ने कहा कि कुछ लोग बेईमान हैं लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ लोग ईमानदार हैं । बात मेरी भी सही है लेकिन उनसे विपरीत है । आज हम मानते हैं कि ईमानदारी का समूल नाश नहीं हुआ है। अगर हम ईमानदार प्रवृत्ति के अधिकारियों और कर्मचारियों को बल देंगे, मान–सम्मान करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे तो ईमानदारी बढ़ने की संभावना है । लेकिन अगर हम इस तरह के लोगों को संरक्षण देंगे जैसे– मेरे सामने एक–दो उदाहरण आये हैं । हमारे गोठन में एक थानेदार है जो शायद बेन जानसन और माइक टाइसन की तरह रिकार्ड कायम करना चाहते हैं और संरक्षण देने वाली हमारी सरकार तटस्थ है बस खाते रहो। जैसे–किसी अच्छे पहलवान को खिला–खिलाकर रिकार्ड कायम कराना है। कभी मास्टर ज्ञानचन्द बना दिया कभी सतपाल बना दिया । इनके खिलाफ बहुत से आपराधिक मामले होते हुए भी आत तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

सी.आर. नम्बर 1/4.1.88, थाना कोतवाली नागौर में धारा 147, 323, 342, 380 आई.पी.सी. के अंतर्गत इन पर मुकदमा लगा । इन्होंने एक आदमी रूपचंद को थाने में पीट–पीट कर मार डाला । उसका नाम मेरे से मिलता–जुलता ही है, मेरा "राम" है, उसका "चन्द" है । उसका थोड़े समय में काम चंद कर दिया। रूपचन्द ने मरते समय मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। फिर इसी मामले में इन्होंने एक महिला को पीटा । इस महिला ने सी.आई.डी. में बयान दिये । उस महिला ने यहां तक कहा कि मेरे गुप्तांगों में खून आने लगा है, मेरे गुप्तांगों में थानेदार ने करंट लगाया । इस बात की भी जांच चल रही है । मेरे पास फाइल है। जांच सी.आई.डी., सी.बी. से हुई लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया ।

सी.आर. नम्बर 2/15.1.88, थाना श्रीबालाजी, धारा 147, 323, 342, 330 आई. पी.सी. में इनके विरुद्ध दर्ज है । इसके बाद भंवरलाल पुत्र रिद्धकरण ने दिनांक 17.7.90 को एक इस्तगासा थाना जाइल में किया जिसकी जांच अभी चल रही है, कोई नतीजा सामने नहीं आया । लोहागढ़ थाने में इस अधिकारी को 17 सी.सी. और 16 सी.सी. के

(श्री रूपाराम)

पांच-छह नोटिस देने पर भी इस अधिकारी का बाल भी बांका नहीं हुआ यह हाल में एस.एच.ओ. गोठन में है। नागौर में जब कर्फ्यू लगा था तो इन्होंने मेड़ता के गांवों में जा-जाकर लोगों की पिटाई की। पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी थानेदार को अभी गोठन में, लगभग महीने भर पहले एक मुस्तगीस ने रिपोर्ट लिखायी कि उसका धान चोरी हो गया। उसने मुलजिम से 18 हजार रुपये लेकर मुस्तगीस को मुलजिम बना दिया और मुलजिम को मुस्तगीस बना दिया। यह हाल ही की बात है। अगर इस तरह के अधिकारियों को हम संरक्षण देंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अधिकारी दोषी कहां से हैं? दोषी तो संरक्षण देने वाले हैं। चोर से बढ़कर चोर की मां को मैं अपराधी मानता हूं। अभी मकराना में 3 तारीख को एक घटना हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम्पन होता है शरीर में, दिल रोता है जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं। रात को 11 बजे मेरे पास क्षेत्र के लोगों का फोन आया कि साढ़े चार साल के बच्चे की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद में उसी जगह एक 18 साल के बच्चे की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से बात की। उन्होंने तुरन्त नागौर बात की। वे रात के करीब 2-3 बजे गिरफ्तार हो गये। 5 मुलजिम थे, पांचों गिरफ्तार हो गये। वारदात 5 बजे की थी। बूडसू की घटना थी। एक तबके के लोग शांति से खेत में बैठे थे, कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं था। दूसरी साइड में कोई भी किसी तरह का हथियार नहीं है। एक जाति के लोग कुल्हाड़ी लेकर आये और एक साढ़े चार साल के बच्चे का सिर कलम कर दिया. एक 18 साल के बच्चे का सिर कलम कर दिया। थानेदार को रिपोर्ट की, थानेदार मिला हुआ था। उसने 8.30 बजे तक 3 चक्कर लगाये और लोगों को भागने का पूरा मौका दिया। वे उसी मौके पर नहीं पकड़े गये, एक दूसरी जगह बता दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम अपराधी को बचाते हैं तो अपराध में हम भी भागीदार हैं। इस न्यायालय से या इस दरबार से तो बच जाएंगे लेकिन परम पिता परमेश्वर के दरबार से हम नहीं बच सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी.आई. ने जानबूझकर छोड़ा। अपराध से पहले पुलिस की जो सबसे कमजोर व्यवस्था बनती जा रही है या जनहित में जो व्यवस्था नहीं है उसके बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बता रहा हूं। अपराध हो यह बात दूसरी है लेकिन अपराध करने वाले पुलिस से मिलकर अपराध करें, हमारी पुलिस व्यवस्था में इससे ज्यादा घृणित बात कोई नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि उन लोगों ने पहले सी.आई. से मिलकर इस तरह की मकराना में वारदात की। उन्होंने चाहे यह नहीं कहा हो कि हम मारेंगे लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा होगा कि पीटेंगे। अन्यथा सी.आई. के तीन बार जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा तब जाकर गिरफ्तारी की बात हुई। नहीं, तो वहां सैकड़ों और पचासों आदमी और मारे जाते। मैं रात को भागा-भागा गया हूं, लोगों को समझाया है। सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार साल के बच्चे के पास कौन-सा हथियार था? क्या कोई ब्रह्मास्त्र था? उसका सिर कलम कर दिया। सबसे दुःख की बात यह है कि मुख्य मुलजिम जो राजेन्द्रसिंह है, उसको बचाया जा रहा है।

(श्री रूपाराम)

अगर इस तरह के बचाने की कार्यवाही होगी तो जितना हमें राजनीति में संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार करना चाहिये, वह करेंगे, चाहे हमें कुछ भी नतीजा भुगतना पड़े । हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के अपराधों से अपराधी प्रवृति बढ़ती है । लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनकी आत्मा रोती है । हम आज जो व्यवस्था बना रहे हैं पुलिस में अपराधी प्रवृति और बदले की भावना की, इसमें वही लोग दोषी हैं जो लोगों को न्याय दिलाने में अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं।

दूसरी एक छोटी–सी बात और है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप विराजते हैं क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को पाबन्द करते हैं कि बैठे। आपकी वाणी में ऐसी ताकत है कि आपके कहते ही लोगों को बैठना पड़ता है। मुझे तो ऊंचे स्वर में कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा ।

एक छोटी–सी घटना है । परबतसर में 15 दिन पहले एक आदमी को पीट–पीट कर मार डाला गया ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक कविता भी हो जाए ।

श्री रूपाराम : जब आंखों में आंसू हों, मामला कुछ धांसू हो तो कविता नहीं कही जा सकती । यह मामला धांसू है, मेरी आंखों में आंसू हैं इसलिये मैं कविता नहीं कहना चाहता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर में मुलजिमों को एक तरफ बचाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक आदमी के पीटने से परबतसर थाने में कोई आदमी मर गया । मुलजिमों को पकड़ना चाहिये था, मुलजिमों को नहीं पकड़ कर उनके रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर वह हाथ नहीं आया तो तुम्हें पकड़ लेंगे । अगर मेरा बच्चा, मेरा भाई किसी को पीटकर चला गया तो मुझे पकड़ेंगे ? यह कौन–सा न्याय है ? अन्यथा लिखा दिया कि 12 मुलजिम हैं बाकी अन्य । अन्य में तो पूरा हिन्दुस्तान है, 90 करोड़ पड़ा है । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि निर्दोष व्यक्तियों को नहीं पकड़े और दोषियों को नहीं छोड़े। दूसरी मकराना की बात है छोटी–सी कि मकराना में अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस के इतना नजदीक हैं कि हम थाने में जाते हैं तो वह कुर्सी पर बैठे रहते

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

हैं । बूडसू जिसमें दो हत्याएं हुई हैं, बूडसू मेरा छोटा कस्बा है जिसके आसपास में 10–20 गांव हैं । अगर वहां एक थाना और खोल दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आपराधिक प्रवृत्ति में कमी आएगी । आपने मुझे समय दिया और बोलने के लिये व्यवस्था की, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की मांग पर चर्चा हो रही है और आये दिन हम अपराधों के बारे में विधान सभा में भी और विधान सभा के बाहर भी चर्चाएं करते रहते हैं । पत्र– पत्रिकाओं में भी आये दिन अपराधों की संख्या एवं अपराधों के घटनाक्रम आते रहते हैं। उपाध्यक्ष

(श्रीमती तारा भण्डारी)

महोदय, जनसंख्या में वृद्धि के साथ–साथ जैसे–जैसे समय का परिवर्तन होता जा रहा है, हमारे रहन–सहन, आचरण, तौर–तरीकों में जैसे–जैसे फर्क आता जा रहा है अपराधों में भी वृद्धि हो रही है । आज टी.वी. है, प्रेस है और चर्चाएं हैं उनमें जो घटनाक्रम दर्शाये जाते हैं वो भी अपराधों में वृद्धि करने वाले सिद्ध हो जाते हैं । कई बार आप देखते होंगे, किसी अपराधी से पूछते हैं कि यह मर्डर कैसे किया तो कहता है कि मैंने फलां सीरियल में इस तरह छुरा घुसेड़ते हुए देखा था वैसा ही मैंने किया । मेरे वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक स्कूली छात्र ने एक लड़के को जरा–सी बात पर छुरा घोंप दिया कि उसने उसको चन्दा नहीं दिया किसी छात्र यूनियन के लिये। जब उससे पूछा कि ऐसे कैसे किया तो कहा टी.वी. सीरियल में देखा था । आज का जो यह वातावरण है, यह जनसंख्या और खुली चर्चाएं, ये सभी अपराधों में बढ़ोतरी ही कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने पुलिस विभाग के पुनर्गठन की ओर भी ध्यान दिया है क्योंकि जिस प्रकार से पिछली सालों में हमारे यहां जनसंख्या की वृद्धि हुई, पुलिस को सही साधन नहीं मिले । पीछा करने के लिये जो भी गाड़ियां वगैरह चाहिये, बन्दूकें इत्यादि जो भी साधन चाहिए वह भी नहीं थे। पिछले वर्ष 1995–96 के बजट से राजस्थान सरकार ने इस ओर सोचा जिससे निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि पुलिस के स्टैन्डर्ड में फर्क आएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, घटनाएं पहले भी बहुत हुई । थानों में मौत होती थी, एस.सी. के लोगों को मारा जाता था, जवान मौतें होती थी लेकिन फर्क इतना है कि मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। आज जो पंजीकरण के अवसर दिये जा रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उन मुकदमों को, उन अपराधों को मीडिया वगैरह से जिस प्रकार से प्रचारित किया जाता है इससे भी जनचेतना बढ़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों में भी अपराधों को रोकने और अपराधों का विरोध करने की भावना का जन्म हुआ है इसलिये लग रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं । यह निश्चित बात है कि समाज में जब विकृति आती है तो 8 साल की बच्ची हो, चाहे 50 वर्ष की महिला हो, अपराधी के सामने कुछ नहीं होता और घटनाएं हो जाती हैं। जिस प्रकार से पुलिस का मोरल बढ़ाने और उनके स्टैन्डर्ड को ठीक करने के बारे में सोचा है उसमें अभी और सोचने की आवश्यकता है क्योंकि आज भी थानों की स्थिति वही है। कोई भी एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाता है तो सबसे पहले उसको कहते हैं कार्बन ले आ, दस्ता ले आ, यह ले आ, वह ले आ। इससे, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी स्टेट है इसकी भी बदनामी होती है कि थाने में गये एफ.आई.आर. लिखने को और कागज भी नहीं है। अगर कागज सरकार मुहैया कराती है तो फिर अपने थानों को ठीक करें और नहीं करते हैं तो कराना शुरू करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कह कर मेरे जिले का एक घटनाक्रम बताना चाहती हूं। आये दिन हमारे यहां घटनाक्रम हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं लेकिन हमारे जिले की निकम्मी पुलिस सिवाय लीपापोती के कुछ नहीं कर पाती है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा में भी मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था एक विधवा के हत्या काण्ड का ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक विधवा जिसका पति 11 वर्ष पहले मर गया, उस औरत ने दूसरी शादी अपने बच्चे की खातिर नहीं की ।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

मजदूरी करके वह ऊकी बाई अपने बच्चे का पेट पालती थी । उस गरीब विधवा का नीम्बोला बांध के ठेकेदार और उसके आदमियों ने मिलकर मर्डर किया । मर्डर करने के बाद वे रात भर घूमे । पुलिस, डाक्टर, सब को दबाकर सारे मामले की लीपापोती करके रिजल्ट यह लाने की कोशिश की कि वह गरीब थी, कमजोर थी, बीमार थी इसलिए मर गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सरकार का पूरा जवाब है, बड़ा हास्यास्पद जवाब है उसमें से दो–तीन पाइंट मैं आपको सुनाना चाहूंगी । सरकार ने कहा है कि हमें चार बजे ऊकी बाई के मरने का पता चला लेकिन नीम्बोला बांध से केवल 20 मिनट की दूरी पर कालन्दरी थाना है, वहां पर 7 बजकर 45 मिनट पर एफ.आई.आर. दर्ज करायी । यह तीन घंटे तक ठेकेदार और उसके आदमी क्या करते रहे ? आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर पर ऊकी बाई का गांव था, वहां भी सूचना नहीं हुई । जहां वह विधवा मरी थी, बांध पर, वहां भी किसी को पता नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर गयी थी इसलिये मुझे दर्द है । उसकी लाश को मैंने देखा, लाश के फोटोग्राफ मेरे पास हैं, अगर गृह मंत्री जी कहेंगे तो मैं उपलब्ध करवाऊंगी । उस लाश पर साफ–साफ चोटों के निशान हैं। वह हट्टी–कट्टी थी, बिलकुल भी कमजोर नहीं दिख रही थी, मैंने स्वयं लाश देखी लेकिन उसको स्वाभाविक मौत से, लू लगने से मरना बता दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, जवाब में इन्होंने यह भी बताया है कि ऊकी बाई बहुत बीमार थी, ठेकेदार के आदमियों से हाथाजोड़ी करके काम पा लेती थी और ऐसा करती थी जिसमें उसको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह उठता है कि ठेकेदार कोई कमजोर आदमी नहीं था, इस प्रकार से कोई गरीब, लाचार और असक्षम महिला काम पर आती थी और इसलिए मर गयी कि वह इतनी बीमार थी, मेरी समझ में नहीं आता । उसकी प्रतिदिन की हाजरी लगी हुई है । यदि वह मरने लायक थी तो फिर घर से चलकर कैसे आती थी और घर पर चलकर कैसे जाती थी ? यदि वह ऐसे ही मरने लायक थी तो प्रतिदिन उसकी हाजरी क्यों भरी गयी? उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदार इतना कमजोर नहीं था कि वह किसी डाक्टर के पास नहीं भेज देता या कोई साधनों की कमी नहीं थी । वहां बांध पर 10–10 गाड़ियां पड़ी रहती थी । ठेकेदार को न एफ.आई.आर. दर्ज कराने का टाइम मिला, न ऊकी बाई का इलाज कराने का टाइम मिला । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को यह कहना चाहती हूं कि विधाता ने उस बालक को पितृविहीन तो किया था लेकिन नीम्बोला बांध के ठेकेदार और उसके आदमियों ने उसको मातृविहीन किया है। यह पाप कभी भी नहीं धुलेगा। अगर उस बालक को न्याय नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दिल जलता है, मैं स्वयं गयी हूं, मैंने लाश को देखा है, चोट के निशान देखें हैं। ऊकी बाई को जहां रगड़ा गया वह स्थान मैंने देखा है । ध्यानाकर्षण का जवाब दिया है सरकार ने कि ऊकी बाई अपने घर जा रही थी। जिस जगह उसकी लाश मिली है वहां से मड़िया गांव जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई पगडण्डी नहीं है, कोई जगह नहीं, जहां से वह घर जा सकती है। ऐसी जगह उसकी लाश मिली। मेरा तो निवेदन है कि इस प्रकार के संवेदनशील मामले में पुलिस को और संवेदनशील किया जाए।

इसके साथ–साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में चोरी की वारदातें बहुत बढ़ती जा रही हैं । कार धीमी करके जैसे ही कोई

(श्रीमती तारा भण्डारी)

गहने पहने हुए महिला या आदमी दिख जाए, तो उसकी चैन खींचकर वह मारुति तेजी से चली जाती है और पुलिस देखती रह जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक नमूना और बताकर अपनी बात समाप्त करूंगी । मेरे यहां एक सी. आई. है । 10 मार्च, 1996 को विधान सभा चल रही थी, मेरी जीप चोरी हो गयी मेरे दरवाजे से । उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब भी एस.पी. को कहती कि जीप ढूंढ़िये, तो लोग कहते, मजाक बनाते थे कि विधायक की जीप चोरी हो गयी, तो हमारी रक्षा कौन करेगा । हमारे सी.आई. कहते कि विधायक की जीप चोरी नहीं हुई है, यह तो इन्होंने स्वयं ही बीमा क्लेम करने के लिये उठवायी है । उपाध्यक्ष महोदय, शर्म आती है जब हमारी राजस्थान सरकार के एम्प्लायी इस तरह की बात करते हैं । यह तो मेरी इज्जत रह गयी कि उस जीप को पाली पुलिस पकड़ कर ले आयी । जीप के कागजों की जांच भी हो गयी कि मेरी जीप में कोई बीमा ही नहीं था, मैं कौनसा बीमा क्लेम उठाती । लेकिन यह निकम्मी पुलिस का नमूना है जो अपनी जगह से नहीं हिले । हम उनको ठिकाने बताते रहे, हम फैक्स करते, टेलीफोन करते, गुजरात पुलिस से सम्पर्क करती, इनको जगह बता दी कि आप यहां जाइये, वहां जाइये लेकिन सिरोही की पुलिस हिली नहीं और मेरी बदनामी की कि इन्होंने तो बीमा क्लेम उठाने के लिए जीप उठवायी है । ऐसे संस्कार हमारे नहीं हैं । पुलिस का भी अगर ऐसा आचरण है तो इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी गर्दन तो हिला रहे हैं लेकिन आज—आज । इसको ध्यान से सुनें, मेरा यही निवेदन है । हमारे दबंग गृह मंत्री हैं लेकिन इस तरह का जहां स्टाफ हो और जहां की विधायक यह बात कर रही हो कि इस तरह की निकम्मी पुलिस है जो अपराधों का पता लगाने के लिये तैयार ही नहीं, बाहर जाने के लिये तैयार नहीं, इधर से उधर मटरगश्ती करते हैं और फिर अगर हम यह कहें कि पुलिस का मोरल डाउन होता है, या पुलिस को साधन नहीं हैं, लेकिन जहां साधन हैं वहां तो ठीक से काम करें । इसलिए इनको थोड़ा नैतिक शिक्षण देने की भी आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए एक बात कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी । आये दिन विधान सभा में महिला शोषण के मामले उठते रहते हैं, बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामले होते हैं, थानों में अपराध के मामले उठते हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि महिलाओं के जो मामले होते हैं उसमें किसी प्रकार की राजनीति लाये बिना उसका इन्वेस्टीगेशन होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहूंगी फिर अपनी बात समाप्त करूंगी । मेरे सिरोही के पास में जालौर जिले का एक नमूना है राजस्थान की पुलिस का । पहले हमारे इलाके में, पश्चिमी राजस्थान में अपराध कम होते थे लेकिन आज व्यवस्था खराब है, आज हमारे यहां अपराध बढ़ते जा रहे हैं । हमारे गांव के पास में जालौर जिले का तवाला गांव है, वहां पर पिछले वर्ष चोरियां हुई । यह मैं दिसम्बर, 1995 की बात कर रही हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है । चोरियां हुई तो लोगों ने जालौर थाने में इत्तीला दी । पुलिस की व्यवस्था की और पुलिस गश्त भी वहां पर आयी । लेकिन गश्त लगने के तीसरे दिन बड़े पैमाने पर उस गांव में चोरियां हुई तो एस.पी. ने पुलिस गश्त और बढ़ा दी । तीसरे फेज में और बड़े पैमाने पर चोरियां हुई । आज दिन तक उन चोरों का पता नहीं लगा ।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

आज हमारे प्रवासी बन्धु कोई बैंगलोर में है, कोई मद्रास में है, कोई बम्बई में है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक जरा–सी बात कह कर बैठने ही वाली हूं, ज्यादा लम्बी बात नहीं कहूंगी। आज हमारे प्रवासी बन्धु बाहर बैठे हुए हैं, वे अपने आपको अपने प्रदेश में, अपने जिले में अनसिक्योर्ड, असुरक्षित महसूस करते हैं। उस भावना को भी हमको निकालना पड़ेगा। इस प्रकार गांवों में निरन्तर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षा देने का प्रबन्ध करना होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस विभाग पर चर्चा हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी को कुछ बातें बताकर चाहूंगा कि पुलिस को थोड़ा सक्रिय करें। आज नामजद होने के बाद भी अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं यह पुलिस की मिलीभगत का उदाहरण है । गृह मंत्री जी, अगर 302, 307, 379 के किसी मुकदमे में नामजद अपराधी हैं और उनको पुलिस नहीं पकड़ती है तो यह सबसे बड़ी पुलिस की मिलीभगत का उदाहरण है । मेरे एक सवाल के जवाब में महुआ, मण्डावर और सलेमपुर के थानों की जो सूची आपने भेजी है उसमें 35 ऐसे अपराधी हैं दौसा जिले में महुआ, मण्डावर और सलेमपुर थानों के जो 302, 307, 379 के अपराधों के मुलजिम हैं। वे दो–दो, तीन–तीन साल से फरार हैं। मैंने, गृह मंत्री जी, यह भी पूछा है कि क्या सरकार ने उनको पकड़ने के लिये कोई कोशिश की ? सम्पत्ति जब्त करने का प्रावधान है या दूसरा कोई हरेसमेंट करने का प्रावधान है, क्या आपने किया ? आपका जवाब है, ऐसा कोई प्रयास हमने नहीं किया। फिर पुलिस ने क्या किया ?

उसी कड़ी में 156/94 का एक अपराधी सूबेदार सिंह 1994 से एक हत्या के अपराध में फरार था। अभी जनवरी, 1996 में तालचीड़ी, जहां का वह रहने वाला है, वहां पर उसने कमलेशी शर्मा के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और उसके घर के सारे जेवरात, नकदी वगैरह लूटकर उसके यहां डकैती डाली। तीन चीजों का अपराध जिस व्यक्ति ने किया हो, 302 का पहले से मुलजिम हो, कमलेशी के ससुर 156/94 में मुख्य गवाह हों और फिर भी आपकी पुलिस चौकी तालचीड़ी में पुलिस के साथ बैठकर वह 302 का मुलजिम शराब पीये, वहां पुलिस वालों के साथ बैठकर ताश खेले। जनवरी, 1996 को जो घटना घटी, कमलेशी शर्मा की हत्या हुई, क्या, गृह मंत्री जी, आप उन अपराधियों को पकड़ेंगे ? क्या आप उनको नामजद करेंगे ? आपने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा है कि उसमें अपराधियों का पता नही चल सका है। आपकी सरकार रहते हुए कमलेशी शर्मा के हत्यारों का पता नहीं लगा सकती। कमलेशी शर्मा का हत्यारा वह सूबेदार सिंह और उसका पूरा गैंग है। जिसने अपराध किया है आप पता नहीं लगा सकते, मुझे पता है क्योंकि उसको राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है। तालचीड़ी का भाजपा का सरपंच है उसका लड़का सूबेदार सिंह है। अब आप बताइये, कैसे अपराधी गिरफ्तार होंगे ? 302 के मुलजिम गिरफ्तार हों। सबसे बड़ी गलती तो भाजपा ने यह की है कि दौसा जिले के लोगों के लिये इस महुआ क्रिमिनल इलाके को दौसा में

(श्री परसादी लाल मीणा)

मिलाया। इसको कहीं यू.पी. में मिला देते या कहीं भरतपुर में मिला देते तो हमारा पीछा छूटता। मैं सही कह रहा हूं। आये दिन हमारा कलेक्टर, हमारा एस.पी. महुआ। इन अपराधियों की पृष्ठभूमि यह हो गयी है कि आज वहां की जनतांत्रिक संस्थाओं पर भी अपराधियों का कब्जा हो गया ।

मैं आपको, गृह मंत्रीजी, दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि आज थानों में जो मौतें हो रही हैं आप उस पर रोक नहीं लगा सके । अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पर आप रोक नहीं लगा सके । अलवर में खैरथल में हरिजन महिला को पेड़ से बांधकर निर्वस्त्र करके उसकी पिटाई की गयी, जिस तरह का अपराध किया गया, वह एक शर्मनाम घटना है। उदाहरण में जो घटना घटी डाकू के साथ, वह आपके शब्दों में ही एक बहुत बड़ी घटना है । जो थानों में मौतें हुई हैं, आपने केवल एक ही केस में चालान किया है । इतने सारे मुकदमे हैं, मेरे पास सूची है, आपने क्यों नहीं चालान किया ? बौंली थाने का मुकदमा नम्बर 95/95, हुसैन तैली की मृत्यु हुई । थाने में उसको सारी रात पीटा गया । कहा ग्राम सेवक ने, सुबह छह बजे सेल्फोस की गोली खा गया। आपके ग्राम सेवक ने यह हलफनामा दिया है कि 22 से 28 तारीख तक मैं बौंली में था ही नहीं, मैं छुट्टी पर था। आपके डीवाई.एस.पी. रिछपाल सिंह उस ग्राम सेवक को पकड़कर जयपुर लाकर जबरदस्ती उससे लिखवा रहे हैं । उसके इन्वेस्टीगेशन को इस तरह प्रभावित किया जा रहा है । आपने एडिशनल डी.जी., सी.आई.डी., (सी.बी.) को उसके लिये जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जब आप जवाब दें तो आप बताएं कि उस केस में चालान आपने एक साल में भी अब तक क्यों नहीं किया ? उस मामले को रफा–दफा करने के लिये आपका पूरा पुलिस विभाग सक्रिय है। आपने कहा कि हम 50,000 रुपये देंगे। किस–किस मुकदमे में आपने 50,000 दिये ? एक में भी नहीं दिये अभी ।

किशोर मीणा वाले मामले में आपने 302 में चालान नहीं करके 304 (1) (ए) में चालान किया है. । आपकी एफ.आई.आर. कठूमर थाने में दर्ज हुई थी । एफ.आई.आर. 365 में दर्ज हुई? 302 में वह कन्वर्ट हुई । आपने 365 में चालान नहीं किया, आपने चालान किया 304 (1) (ए) में । यह है पुलिस का इन्वेस्टीगेशन, यह है आपकी पुलिस की पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियां। क्या इस तरह आपका यह पुलिस विभाग चलेगा ? क्या राजस्थान की जनता आप पर इस तरह विश्वास करेगी ? जो आपकी पुलिस ने नहीं किया, अदालत ने उसको 365 में जेल भेजा है । इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। किशोर मीणा के मामले में आपने अपराधियों को बचाने की बहुत कोशिश की है। बहुत सीनियर ऑफिसर हैं आपके जिसको आपने जांच दी थी। हुसैन तेली की जांच आपने जिसको दी थी, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं पर उन्होंने काम बहुत घटिया स्तर का किया है। कोई पुलिस का अधिकारी कर नहीं सकता है। इस तरह का घटिया काम उस अधिकारी ने किया है । उसने 302 में किसी केस में चालान नहीं किया । बहुत जबरदस्त दबाव के बाद उसका चालान पेश हुआ है । गृह मंत्री, हुसैन तेली के मामले में उस डीवाई.एस.पी. को क्या आपने सस्पैण्ड कर दिया, आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? ग्राम सेवक को वहां से उठाकर लाकर उससे जबरदस्ती बयान लिखवाया जा रहा है, मेहरबानी करके इस कार्यवाही को रोकिये, जनता को न्याय दीजिये। हुसैन तेली के परिवारजनों को आज जिस तरह

(श्री परसादी लाल मीणा)

की यातना हुई है, आप उनको न्याय नहीं देंगे तो आपको बद्दुआएं मिलेंगी ।

मैं कहना चाहूंगा मेरे लालसोट की एक घटना है । 27–28 जनवरी की रात में वहां पर एक साथ सात दुकानों के ताले तोड़े गये और पुलिस थाने के बिलकुल पीछे । पुलिस को चार बजे इत्तला दी गयी, पुलिस सात बजे मौके पर पहुंची । तब तक चोर चोरी करके फरार हो चुके थे । क्या यही पुलिस है ? आपके तत्कालीन थानेदार वहां पर शराब पीकर सो रहे थे, उनको होश नहीं था कि किसका टेलीफोन आ रहा है । अगर मैं अभी जाऊंगा तो लोग मेरी गर्दन पकड़ लेंगे । उसकी चलने की हालत नहीं थी, उठा नहीं जा रहा था चार बजे। गृह मंत्री जी, आपका डी.आई.जी. एक–एक थाने को बेचता है, एक–एक थानेदार से मंथली लेता है । ऐसे अपराधी, ऐसे चोर थानेदारों को थाने में लगाता है, अपनी मनमर्जी से लगाता है । लगाइये, पर आपके थानेदार सारे चोर हैं, आप देख लीजिये । उस थानेदार को हटाकर मंडावर लगाया । मंडावर का जो 302 का मुलजिम था, उसको हटाकर लालसोट लगाया । क्यों लगाया लालसोट जब वह 302 का मुलजिम था ? यह आपके थानों की स्थिति है, जनता आपसे क्या अपेक्षा करेगी ?

मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज पुलिस में भ्रष्टाचार क्यों है ? आपके समय में पुलिस में भर्ती हुई थी । यह आम जनता की चर्चा का विषय है कि पुलिस के एक–एक सिपाही की भर्ती में आपके अधिकारियों ने 25 से लेकर 50 हजार रुपये तक रिश्वत ली है । आज अगर कोई सिपाही, सिपाही से कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल बनना चाहेगा तो उसकी 25 से लेकर 40 हजार तक आपके अधिकारियों को रिश्वत दी जाती है । अगर वह एस.आई. बनेगा तो फिर रिश्वत दी जाती है । आज इस तरह का माहौल आपके पुलिस विभाग में हो गया है। हालात ये हो गये हैं कि आज बिना पैसे पुलिस में किसी का कोई काम नहीं होता है । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह की प्रवृत्ति को आप रोकिये । जिन लोगों को राजनैतिक संरक्षण है या राजनीति में जिनकी पैठ है, उनके खिलाफ आपकी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है । मैं, गृह मंत्री जी, पूछना चाहूंगा, मुकदमा नम्बर 10/95 थाना तिजारा जो आपके भूतपूर्व मंत्री के खिलाफ है, एक साल में आपने उसमें क्या किया , अगर किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा होता तो आपकी पुलिस उठाकर कभी का रख देती । राजनैतिक कारणों से, राजनीति में उनका दबदबा होने से आज संतराम सैनी के हत्यारें को सजा नहीं मिल रही है। उसकी विधवा दर–दर ठोकरें खा रही है। राजस्थान के सारे एम.एल.एज. के दरवाजे खटखटाने के बाद भी अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है। गृह मंत्री जी, गरीब के लिये और अमीर के लिये एक ही कानून है, अगर आप उस कानून को गरीब के लिये अलग तरीके से उपयोग करेंगे और राजनैतिक प्रभाव वाले के साथ अलग तरीके से उपयोग करेंगे तो आपकी सरकार की विश्वसनीयता, जो खतम होने जा रही है, वह बहुत जल्दी खतम हो जाएगी । आप बताएं जब जवाब दें कि संतराम सैनी के हत्यारों को आप कब तक जेल भेजेंगे? उस मुकदमे में इन्वेस्टीगेशन का नतीजा क्या रहा, हुसैन तेली के मुकदमे का नतीजा क्या रहा ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(16.00)

(श्री परसादीलाल मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मुकदमा नम्बर 112/95 जो सलेमपुर का था, उसके मुलंजिमान को गिरफ्तार नही किया । इस महुआ में पता नही क्या है ,आप अच्छे थानेदार लगाए वहां पर। सलेमपुर हो, चाहे मण्डावार हो या और कोई जगह हो, आप वहां के थानेदार कि हालत देखिये। वहां से अपराधियों को जेल में से छुड़ा कर असामाजिक तत्व निकाल कर ले जाते हैं, ऐसी–ऐसी घटनाएं होती हैं। जब वहां उस सूबेदार सिंह को पकड़ने पुलिस गयी, पुलिस के पकड़ने के बाद गृह मंत्रीजी, आपकी पुलिस से गांव वालों ने सूबेदार छुड़ा लिया। आपने तीन महीने बाद उसको गिरफ्तार किया है और उन गांव वालों जिन्होंने पुलिस का सामना किया, उनके एक के खिलाफ आपने कार्यवाही नहीं की।

इसी तरह से आपकी यह कानून और व्यवस्था की स्थिति ले लीजिये । हरिसिंहजी ने बताया ही है । हिन्दुस्तान के इतिहास में, गृह मंत्रीजी, पुलिस का एसा भद्दा प्रदर्शन कहीं नही होगा, ऐसा घटिया एस. पी. राजस्थान में कहीं नहीं होगा जैसा दौसा का एस. पी. था। दौसा का एस. पी. जोहण पोलिंग पर जब रीपोल हो रहा था खड़ा खड़ा देख रहा था, आपका डी.आई. जी. जो उस रेंज का है, वह तमाशा देख रहा था और वहां पर पोलिंग कैप्चर हो गया। पुलिस ने क्या किया वहां पर? क्या उदाहरण है, गृह मंत्रीजीं, कि रीपोल का भी रीपोल ? कहीं हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पुनरावृति न करें, अब आप बैठें। आपका समय समाप्त हो गया है , अब बैठिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं आपको कहना चाहूंगा, कानून और व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ी है इस प्रदेश में और दौसा जिले में विशेषकर ,आप उसको ठीक करिये। आज जिस तरह आप घटिया स्तर के पुलिस अधिकारी लगाते हैं उसका आप तरीका बदलिये। राजनीतिक आधार पर आप पुलिस का जो राजनीतिकरण करने जा रहे हैं, उसका राजनीतिककरण नहीं करें । आप ईमानदार लोगों को पुलिस लाइन में लगाते है , ईमानदार लोगों को सजाएं देते हैं और जो लोग चोर हैं, जो लोग पैसे पहुंचाते हैं आप के अधिकारियों को उनको आप थानों में लगाते है, उनको सर्किल आफिसर लगाते हैं, उनको एडिशनल एस. पी. लगाते हैं और और दूसरे पदों पर लगाते है । ईमानदार लोगों को जब तक आप अच्छे पदों पर नही लगाएंगें तब तक जनता को न्याय नहीं मिल सकता। इसके लिये यह आवश्यक है, गृह मंत्री जी, कि आप अपनी पार्टी के जो एम. एल. एजं हैं, आपकी पार्टी के जो लीडर है, उनके दबाव से निकलिये। आप को बहुत दबाया जाता है, आप उनके दबाव से निकल कर इस राजस्थान की गरीब जनता को न्याय दीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप से अपेक्षा करूंगा बौंली थाने मे जो हुसैन तेली का जो मुकदमा है उसके बारे में आप बताने को कष्ट करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय , आज सदन जिस विषय के ऊपर परिचर्चा कर रहा है उसके आंकड़ों के ऊपर तो मैं अपने आप को केन्द्रित नही रखूंगा बल्कि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिये और पुलिस क्या करती है उसके उपर ही अपने विचार रखना ज्यादा उचित समझता हूं ।

मान्यवर , मैं मेरे दृष्टिकोण से पुलिस को सामाजिक विवेक मानता हूं, (व्यवधान) चिंता मत करो, वोल्यूम भी बढ़ जाएगा थोड़ी देर में।

(श्री अर्जुनदास मदान)

मान्यवर , जैसा मैं निवेदन कर रहा था मैं पुलिस को एक सामाजिक विवेक की संज्ञा देता हूं। एक व्यक्ति का स्वयं का विवेक होता है जो भीतर से बोलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुझे किस ओर जाना चाहिये । अच्छे काम के लिए हमको प्रलोभित करता है तो बुरे काम के लिए मना भी करता है, व्यक्तिगत विवेक है । इसी तरह से समाज में क्या होना चाहिए, समाज किस गतिविधि से चले, समाज में क्या कुरीतियां हैं, उनको कैसे समाप्त किया जाए। अच्छे लोगों को प्रशिक्षण मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, बुरे लोगों को दंण्ड मिले, यह सारी की सारी भूमिका पुलिस की है। मैं तो आज यह मानता हूं कि कर्मोa के चौराहे पर पुलिस का एक प्रहरी खड़ा है, वह उस मार्ग को अवरुद्ध करता है जो गलत कामों की ओर मुड़ता है और उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो अच्छे कामों की ओर जाता है। इस सामाजिक संज्ञा का जो मैंने आपसे निवेदन किया इसलिये किया कि पुलिस का एक उत्तरदायित्व है कि अच्छे मार्गोa की ओर लोगों को प्रशस्त करें और बुरे मार्गोa को अवरुद्ध करे। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या इस दिशा में हमने कुछ प्राप्त किया और नहीं किया तो उसके कारण क्या हैं ।

महोदय, मैं यह मानता हूं कि पुलिस का काम एक धर्म प्रचारक का है। आपने देखा होगा, कई बार मंदिरों में तथा अन्य धार्मिक स्थलों में भी कोई एक धर्म प्रचारक आता है, कोई जिज्ञासु आता है, कोई मनीषी आता है, कोई महात्मा आता है और वह आकर धर्म का प्रचार करता है ।

(16.05)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

सभापतिजी, उस धर्म के प्रचार के भीतर वह आदमी को उपदेश देता है कि मानव, तुझे अपने कल्याण के लिये या अपने जीवन के कल्याण के लिये क्या करना है । इस प्रकार वह प्रचारक जीवन के मार्ग में किस प्रकार से व्यक्ति को चलना चाहिए, उसका उपदेश देता है किन्तु उपदेश के साथ उसके पास साधन कुछ भी नहीं है कि लोगों को नियंत्रित रख सके अपने कर्मोa के लिये । लेकिन पुलिस के पस तो मैं मानता हूं कि वे साधन भी हैं। एक धर्म प्रचारक तो अपने प्रचार के साधनों को सीमित रख कर लोगों में केवल जिज्ञासा पैदा कर सकता है कि हमको अपना जीवन यापन कैसे करना है किन्तु सभापतिजी , मैं यह मानता हूं कि पुलिस के पास तो कई अधिकार हैं। इतने वाइटल पार्वस हैं , मैं यह कह सकता हूं कि जिनका कोई सीमांत क्षेत्र ही नहीं है और उन अधिकारों के बीच में वह समाज का नियंत्रण करती है। उपदेश तो एक बार टाला जा सकता है किन्तु पुलिस का एक सिपाही या अधिकारी लोगों को सही जीवन जीने की दिशा बताता है अपने साधनों के बल पर, क्योंकि उसके पास पार्वस है, उसके पास अधिकार है। पुलिस के पास कानून की शक्ति है उस शक्ति के आधार पर वह आपको, हमको जीवन के क्षेत्र में अन्य लोगों को भी शिक्षा देती है कि हमें जीवन को किस प्रकार से जीना है। लेकिन आज, मान्यवर, मानना पड़ेगा की पुलिस एक रक्षक का काम नहीं कर सकती है। अच्छाई की रक्षा, बुराई का विनाश, सज्जनों को प्रबलता मिले, इसकी ओर पुलिस आज अपने दायित्व की पूर्ति में सफल नहीं हो पा रही। उसका एक कारण मैं यह मानता हूं कि आज हम भी अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग नहीं हैं ।

(श्री अर्जुनदास मदान)

मान्यवर पुलिस का कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ा है मैं मानता हूं। एक टाइम था कि केवल कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर थी। पुलिस यह जानती थी कि किस प्रकार से कानून को संरक्षण देना है, किस प्रकार से समाज कि व्यवस्था बनाये रखनी है। किंतु आज आप देखें तो पुलिस आज क्या करे, खेल के मैदानों में भी उसको जाना पड़ता है, परीक्षा के केन्द्रों में भी उसको अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है, कोई बड़ा आदमी कहीं चला जाता है तो वहां भी उसको ड्यूटी देनी पड़ती है । आज आये दिन आप देखते हैं कि धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं , उसकी व्यवस्था भी पुलिस के ऊपर है। मतलब पुलिस की जिम्मेदारी पहले से बहुत बढ़ गई है । पुलिस की जिम्मेदारियां जब बढ़ी है तो उसके साथ साथ हमारा भी दायित्व बनता है, समाज में यहां बैठे हुए लोग जितने भी हैं। समाज को अच्छी दिशा देना केवल पुलिस का काम नहीं है, मैं यह मानता हूं कि चाहे हम विधान सभा में बैठने वाले लोग हों, चाहे लोक सभा में बैठने वाले हमारे अग्रज हों, हम सबका दायित्व बनता है कि समाज में किस प्रकार से कैसी व्यवस्था को हम बनाये रखें। जो लोग उस व्यवस्था को बनाये रखने में भागीदार हैं उनकी हम जितनी भी मदद कर सकते हैं, करें, यह हमारा भी दायित्व बनता है । किन्तु आज प्रश्न उठता है कि क्या हम उन दायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं।

मान्यवर, स्थिति समाज की यह बन गई कि सारा का सारा समाज पैसे के संकलन में उलझ गया। पैसे के संकलन में उलझने का तात्पर्य केवल इतना है कि समाज के लोगों ने आज पैसे को ज्यादा तरजीह देनी प्रारम्भ की और आदमी को तरजीह देना बंद या कम कर दिया। स्थिति यह हो गई कि हर आदमी आज पैसे के पीछे पड़ा है । हर आदमी यह सोचता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यही है कि वह कितने पैसे लेकर मरेगा और अपनी औलादों को कितना बांट कर वह स्वर्ग में या नरक में जायेगा। आज उस स्थिति का यदि आकलन करता हूं तो पुलिस का आदमी ऊपर से नहीं उतरता। वह भी इसी समाज में पैदा होता है, इसी समाज से किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है। वह भी इस समाज का प्राणी है और उस स्थिति में केवल इतना ही निवेदन करता हूं, सभापतिजी, कि आज पुलिस को, जो उसकी भूमिका है, एक आदर्श नागरिक बनना चाहिये क्योंकि अगर वह आदर्श नागरिक की संज्ञा नहीं निभा पाता है तो समाज को कोई सही बोध भी देने में वह सक्षम नहीं हो पायेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझे रिपीट नहीं करना चाहिये कि यदि इस समाज में वेश्याएं पतिव्रत धर्म पर भाषण देने लग जाए और आंख के अंधे बाजार में सुरमा या काजल बेचने चले जाएं कि मेरा काजल बहुत बढ़िया है,तो मैं मानता हूं कि समाज का कोई भी आदमी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। कारण केवल इतना है कि आदमी अपने आचरण में ठीक नहीं है और दूसरों को उपदेश देने के लिये चला जाय। जैसा तुलसीदासजी ने कहा –" पर उपदेश कुशल बहुतेरे ......। " क्या व्यक्ति जो बोलता है , जो कहता है , उसके ऊपर आचरण भी व्यक्तिगत रूप से करता है ? मैं भष्टाचार के ऊपर तो बोल लूं किन्तु मेरी आत्मा के भीतर मुझे भी कुरेद कर देखना होगा कि क्या मैं व्यक्तिगत आचरण में तो भष्टाचारी नहीं हूं। मैं समाज को तो उपदेश देने की बात करता हूं ,उससे अच्छे आचरण की अपेक्षा भी करता हूं किन्तु व्यक्तिगत जीवन में मैं किस ओट को लेकर, किस मुखौटे को ओढ़कर समाज के सामने आता हूं इसका चिंतन मुझे भी अपने व्यक्तिगत जीवन में करना पड़ेगा । इसलिये

(श्री अर्जुनदास मदान)

मैं आपसे निवेदन करता हूं सभापतिजी, कि आज पुलिस और हम लोग जितने यहां पर बैंठे है परमात्मा ने हमको एक दायित्व दिया है, सेवा और मेवा का दायित्व हमें भी तनख्वाह मिलती है, हमें भी वेतन मिलता है, हमें भत्ते मिलते हैं पुलिस को भी वेतन मिलता है और परमात्मा ने एक ऐसे काम का दायित्व हम दोनों के ऊपर सौंपा है कि जिससे हम सेवा के साथ–साथ मेवे की उपलब्धता कर रहे हैं। समाज को सुधारने के लिये मैं जैसा पहले निवेदन कर रहा था , एक बार पुन : दोहराता हूं कि हम विधायकों को निश्चित रूप से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने चाहिये यदि वे गलत काम करते हों और कौन प्रतिबंध लगायेगा? असीमित साधनों ने उनको इतना अहंकारी बना दिया, उनके पास इतनी पार्वस हैं कि वे उसका मिसयुटिलाइजेशन करते हैं। एक एग्जाम्पल नहीं सभापतिजी, कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे पुलिस के भ्रष्टाचार के साथ–साथ भी उसके अहंकार के ।

पहले एक जमाना था कि व्यक्ति व्यक्ति से डरता था। कोई समाज के बंधन होता थे, किसी को आंख की शर्म थी, कोई आदमी भगवान से डरता था, कोई समाज के हुक्के –पानी से डरता था, तो कोई व्यक्ति ऐसा भी था जो समाज की कुरीतियों से भीतर ही भीतर डरता था लेकिन आज की स्थिति में मां–बाप का भय भी समाप्त हो गया। मुझे पता है कि जितना मैं अपने मां–बाप से डरता था आज मेरी संतान उतना मुझ से नहीं डरती। जितना मैं उनसे आतंकित होकर जीवन निभाता था आज वे उतना नहीं डरते। आज समाज के भीतर चाहे किसी को देख लो, मास्टर का भय समाप्त हो गया, माता पिता का भय समाप्त हो गया, समाज के हुक्के पानी का भय समाप्त हो गया केवल एक भय शेष है, सभापतिजी, और वह है पुलिस का भय। कोई यह मत सोचियेगा कि मैं उनका प्रचारक हूं या उनका संरक्षक हूं। लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं कि जिस दिन पुलिस के भय का सम्बल थोड़ा कम हो गया इस समाज में, कम से कम तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति इस समाज में ठीक ढंग से जी पाएं, यह असम्भव होगा और असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अब आप कहें तो मैं बैठ जाऊं वैसे मेरे पास अभी 5 – 7 मिनट और हैं। खैर, अगर आप देना ही चाहें तो दे दें ।

श्री सभापति : दो मिनट और ले लें।

श्री अर्जुनदास मदान : अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर पुलिस में इस प्रकार की स्थित आये क्यों ? आज थर्ड ग्रेड आचरण है पुलिस में इस प्रकार ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आपको आज्ञा है, बोलिये।

श्री पसराम मदेरणा : सभापतिजी, ये कुछ बुनियादी बात कह रहे हैं ।....पुलिस का भय उनका आतंक रहना बहुत जरूरी है। समाज में जो विसंगति आई है .. (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपेदेशात्मक प्रवचन है ।

श्री सभापति : मुझे भी अच्छा लग रहा है । पर मैं सोच रही हूं कि सबका नम्बर आए। आप तो बोलिये।

श्री अर्जुनदास मदान : सभापति महोदय, बोल रहे हैं तो मेरा शायद ...

(श्री अर्जुनदास मदान)

प्रवचन है। मैंने इसलिये कहा था कि महात्मा बोल रहा है और अगर आपकी पांती में आ गया मेरा प्रवचन तो मैं अपने—आपको खुशहाल मानूंगा ।

लेकिन मैं तो यह भी निवेदन करता हूं कि आप और हम लोगों की आंखों के तेवर देखकर फैसला करते हैं। मान्यवर सभापतिजी, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम सोचते हैं कि यह गलत काम हो रहा है लेकिन फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यहां पर बैठने वाले लोग भी कभी —कभी देखते हैं कि गलत काम हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगर इस प्रकार की व्यवस्था रही और लोगों की आंखो के तेवर देखकर हमने अपनी जिन्दगी के फैसले करने चालू किये तो निश्चित रूप से समाज के जीवन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह सदैव—सदैव के लिए बन जाएगा। तुलसीदासजी के शब्दों में—

"सचिव, बैद, गुरु, तीन जब प्रिय बोलें भय आस।
राज, धर्म, तन, तीन को होय बेगी नाश "

यदि कोई व्यक्ति बीमार है और अपने वैध से कोई बात छिपाता है, यदि कोई मंत्री, अपने राजा से दुराव रखता है ,यदि एक शिष्य है अपने गुरु से सही बात नहीं बताता है तो मान लीजिये कि यह तीनों की तीनों चीजें समाज के अधोपतन का कारण बनेंगी। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि चाहे विधायक हो , हम भी यह नियंत्रण करें कि किसी आदमी ने गलत काम किया है , वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों नही हो उसको सही —सही बात कहें । ठीक है शब्दों का हेरफेर हो सकता है। सभापतिजी, मैं एक अंधे को सुरदास भी कह सकता हूं ,मैं एक बूढ़े आदमी को दाजी साहब भी कह सकता हूं ,वह तो मेरे शब्दों के उच्चारण का, मेरी बुद्धी का प्रकटीकरण है। किन्तु इतना तो मानकर चलना पड़ेगा कि समाज के ऊपर नियंत्रण रखना है, समाज के उपर किसी प्रकार उसकी प्रभावशीलता को बनाये रखना है तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की आंखों के तेवर देखकर फैसला न करें।

आज स्थिति समाज की क्या हो गयी? आज सन्यासी देखो तो जेल में बंद हैं । आज राजनेता देखो तो उनको सम्मन इश्यू हो रहे हैं, स्थितियां इतनी बुरी हैं और मैं अपने लिये नहीं कह रहा हूं सभी समाज पर बोल रहा हूं और समाज में सारे के सारे पॉलिटिशियन भी हैं। मैं क्षमा चाहूं हमने आज पैसे वाले को ज्यादा इज्जत देना प्रारम्भ किया है। एक जमाना था जब सात्विक पुरुष को ज्यादा इज्जत और सम्मान मिलता था, कन्दराओं—गुफाओं में बैठने वाले साधु के पास एक महाराजा जाकर शिक्षा प्राप्त करता था , उसके चरणों में जाकर नतमस्तक होता था और आज स्थिति यह हो रही है क्योंकि हमने भी यही सोचा और आपने भी यही सोचा कि न तो मेरा भाई मेरी मदद करता है, न मेरा मामा मदद करता है ,न मेरा बाप मेरी मदद करता है। मदद कौन करता है पैसा। मैं और मेरे जैसे अनेकानेक आदमी पैसे को जीवन का एक लक्ष्य बना कर चल रहे हैं और वह कुरीति समाज के इस पुलिस डिपार्टमेन्ट में भी आयी है । आज मर रहें हैं लोग अनाचार में। एक लिस्ट नहीं मेरे पास कई सूचियां हैं आप चाहें तो। आज पुलिस की हिरासत में मरने वाले कितने लोग हैं , बहुत बड़ी सूची है उस सूची के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि 1992 में चार लोग मरे और 1995 में नौ लोगों की हत्या हुई पुलिस की हिरासत में। आखिर पुलिस हिरासत में हत्या क्यों होती है? इसलिए होती है कि उनके अपराधों को मनवाने

136

(श्री अर्जुनदास मदान)

के लिये हम थर्ड ग्रेड के आचरण का उपयोग करते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारा भी कोई दायित्व है। पुलिस इस प्रकार के हथकंडे जब अपनाती है तो वह स्थिति आती ही है। मैं तो इतना ही सभापति जी, आपके माध्यम से सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा। ...मेरा समय बहुत कम है, मुझे अगर आप दे सकें तो दो मिनट और दे दीजिये तो मैं आपनी बात पूरी कर लूंगा। नहीं तो मैं आपकी आंख के इशारे से समझ रहा हूं कि आप यह चाहती हैं कि मैं बंद हो जाऊं।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज यह सोचना पड़ेगा। पुलिस हिरासत में एक नहीं, कोई आदमी मंडावर में मर रहा है, कोई भरतपुर में मर रहा है, कोई छीपाबड़ौद में मर रहा है, कोई लाखेरी में मर रहा है। मुख्य मंत्री महोदय ने यह तो कह दिया कि अब यह मामला हत्या का मामला होगा, लेकिन यह पुलिस की जांच कौन करेगा? पुलिस के अधिकारी। 'अपने घर का ही ढोल और घर के ही बजाने वाले', तो फिर चिन्ता किसको रहेगी मान्यवर ? यह देखना पड़ेगा कि कोई न कोई एक नियंत्रणकर्ता हो, उसमें आप रखियेगा समाजसेवी लोगों को, रिटायर्ड अधिकारियों को, कानून के जानकारों को और एक पुलिस का आदमी भी जो बहुत बड़ा अफसर हो, बैठ जाए और वह उसकी जांच करे। लेकिन अगर पुलिस हिरासत में मरने वाले लोगों की जांच पुलिस ही करेगी तो परिस्थिति क्या होगी ? उसकी इन्क्वायरी में बहुत समय लग जाएगा। साक्ष्य समाप्त हो जाएंगे। लोगों को भयभीत किया जाएगा और सामने आएंगे नहीं। चाहे फिर उसके बाद आप पचास हजार का अनुदान दें और कहें कि हम पुलिस को डांटेगें लेकिन जब यह चीज समाप्त ही हो गयी तो उसके बाद क्या स्थिति रहेगी समाज की। इसलिये मैं तो यह निवेदन करता हूं कि पुलिस की हिरासत में मरने वाले लोगों की इंक्वायरी में पुलिस का एक अधिकारी तो जरूर हो लेकिन समाज के कुछ आदमी, रिटायर्ड आफिसर्स, कानून के जानकार इन सारे लोगों की समिति बना कर भी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने उपस्थित हो सके।

महोदया, आज स्थिति बहुत खराब है। आज लोगों के कल्याण के ऊपर भी हमको विचार करना पड़ेगा। एक घोड़े को तांगे वाला जोतता है सवेरे से शाम तक, मान लीजिये, उसने सवारी अच्छी ढोयी तो शाम को उसकी पीठ भी थपथपाता है, उसको चने भी डालता है, उसकी मालिश भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी सवेरे से शाम तक ड्यूटी देता है और उसको शाबासी भी नहीं मिलती। उस घोड़े को जो सवारियां ढो – ढो कर आया है, आप चने खिलाओ मत और उससे कहें कि घोड़े तू फिर चल, तो विश्वास कीजिये, वह घोड़ा तांगे को लात मारेगा, हो सकता है सवारी के न लगे लेकिन तांगे की लकड़ी के पड़ ही जायेगी। कारण क्या है ? वह हताश रहता है, निराश रहता है वह जानता है कि मेरा टाइम भोजन करने का है ,अपनी उदरपूर्ति करने का है। जब आप उस समय भी उसको ड्यूटी पर लगा देंगे तो जब घोड़ा लात मारता है तो आदमी लात क्यों नही मारेगा? ठीक है, मैं कोई बात आपसे कह नहीं सकता मगर सोचता तो हूं। सम्भव नहीं है कि मैं सारे लोगों के सामने अपनी बातें कह सकूं लेकिन अगर मैं यह कह नहीं सकता तो यह मत सोचिये कि मैं महसूस भी नहीं करता। इसलिये सवेरे से शाम तक जिनसे आप ड्यूटी लेते हैं उसकी ड्यूटी के ऊपर कोई न कोई नियंत्रण होना चाहिये। उनके परिजनों के लिये हमको निश्चित रूप से एक योजनाबद्व तरीके से देखना पड़ेगा कि

(श्री अर्जुनदास मदान)

बच्चों को शिक्षा मिले वह भी एक व्यक्ति है,समाज का एक अंग है । आखिर पुलिस का आदमी यह भी सोचता है कि उसका बच्चा तरक्की करे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो चाहें तो उसके कारण कोई और भी हो, कर्मोa का फल हो मैं उसके ऊपर नही जाता हूं, लेकिन अगर आप इंक्वायरी करें तो मैं यह कह सकता हूं, बिलकुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दूसरे लोगों के बच्चे ज्यादा तरक्की करते हैं पुलिस के बच्चे उतनी तरक्की नहीं करते जितनी उनके मां–बाप ने की । अगर उसका प्रतिशत निकालें तो बहुत कम है। कारण केवल इतना है कि वे अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। उनकी शिक्षा–दीक्षा, उनकी पढ़ाई–लिखाई, की परिवार वालों की कोई चिंता नहीं। परिवार में क्या बीत रहा है उसकी चिंता नहीं इसलिये ...

श्री सभापति : अब आप बिराजें। श्रीमती कमला जी।

श्री अर्जुनदास मदान : महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज समाज की इस स्थिति में मेरा आपसे (व्यवधान) धन्यवाद आपको।

श्री परसराम मदेरणा : शिक्षा नहीं वह वातावरण है जो वातावरण ...

श्री सभापति : आपको मैं टोकूंगी तो नहीं, पहले ही बता देती हूं कि हमने सबको 10 मिनट का ही टाइम तय किया है ।

श्री परसराम मदेरणा : नेचर ऑफ कल्चर किसी आदमी के व्यवक्तित्व के बारे में बहुत बड़ा एलीमेन्ट हैं। उनके घर का जो वातावरण है, जैसा आप अभी कह रहे थे कि आतंक उनका रहना चाहिये, तो वे खुद भी आतंक फैलाने लग जाते हैं पुलिस वालों के बच्चे जितना फैलाते हैं उतना किसी के नहीं फैलाते।

श्री अर्जुनदास मदान : क्षमा चाहता हूं, वातावरण बनाने के लिये थोड़ा समय भी चाहिये । मान्यवर, समय नहीं होगा तो फिर क्या है ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय सभापति जी, एक मिनट । उस वातावरण को बदलने के लिये मैंने सुझाव दिया था कि जयपुर में विद्यालय खोला जाय ताकि बच्चे उस वातावरण से दूर होकर के पढ़ाई कर सकें।

श्री सभापति : आप सुनें पहले।

श्रीमती कमला : ये दो मिनट मेरे को एक्स्ट्रा मिलें ।

श्री सभापति : नहीं, मैं आप का समय अभी से शुरू कर रही हूं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति जी, प्रजातंत्र में नीतियां निर्धारण करना, कार्यक्रम बनाना और देश के भविष्य की एक बहुत व्यापक पैमाने पर संजीदगी से, आकांक्षा के साथ तस्वीर संजोना जितना आवश्यक है, उससे भी कहीं अधिक एक आम आदमी के अंदर उस प्रशासन की, उस शासन की, उस सरकार की, उसको चलाने वाले दलों की क्या तस्वीर है यह बहुत महत्व रखता है। इसलिये जब हम आज किसी भी विभाग या सरकार के किसी कियाकलाप पर चर्चा करते हैं तो हमें यह देखना जरूरी है कि आम आदमी में इस सरकार की, इस विभाग की क्या तस्वीर है। इस सरकार की अपनी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़ी भारी नीतियों के निर्धारण का इसे श्रेय है और राजस्थान को

(138)

(श्रीमती कमला)

पिछड़ा मत कहो, विकासशील भी मत कहो, विकसित कहो, भ्रष्टाचार की बात मत करो वरना यहां पर इन्वेस्टमैंट नहीं होगा और आपके जमानें में इस तरह से हुआ था, फिर ऐसा हुआ था इसलिए आज अगर हो रहा है तो फिर क्या नई बात है ? इन सब बातों से आप असैम्बली के अन्दर तो जवाब देकर बरी हो सकते लेकिन आम आदमी आपके बारे में जो सोचता है उसके बारे में आपको बहुत गम्भीरता से और संजीदगी से सोचना चाहिये। आप अपने दल में, अपने दायरे में भी समीक्षाएं करते हैं, वे समीक्षाएं बहुत – सी सही भी हैं और बहुत सी समय को गुजारने की भी हैं। लेकिन आज हम सब जो भी प्रतिनिधि हैं और जन प्रतिनिधियों के साथ में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जो क्रियान्वयन का एक कारगर हथियार है, उसके बारे में सोचना जरूरी है। जिस आकांक्षा के साथ इस देश में प्रजातंत्र को अपनाया गया और जिसके साथ आम आदमी ने अपनी आशाएं और अपना भविष्य जोड़ा है उसको बहुत गम्भीरता से लीजिये और स्थितियां बदहाल होती जा रही है, उनको सुधारने की चेष्टा कीजिये। अखबारों में जो नित्य घटनाएं आ रही हैं और जो रिपोर्ट्स आपके विभाग के आधार पर पत्रों में छपी हैं उनमें लिखा है राज्य में हर तीन मिनट पर आपराधिक घटनाएं। पुलिस विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सन् 1995 में जो सिर्फ दर्ज हुए हैं बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं– 1, 48, 200 वारदातें हुई। उसमें 1, 036 बलात्कार के मामले हैं, 359 दहेज हत्याएं हैं, 3,202 दहेज की आत्म हत्याएं हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति की वारदातें 500 से भी अधिक हैं। यह मैं सिर्फ छोटे से आंकड़े बता रही हूं इसका बहुत लम्बा चौड़ा विश्लेषण भी है। उसके बाद में इन 6 महीनो में तो और भी अधिक गति आयी है इन मामलों में। रोजाना जयपुर के अखबार कहें कि एक अज्ञात लाश मिली। जो दर्ज हुई है, जो मिली है या क्या मालूम बिना दर्ज भी होगी। जयपुर जैसे शहर में हर रोज एक अज्ञात लाश मिलना, हर रोज अपराध होना और छोटे–छोटे कस्बों के अंदर भी आपराधिक प्रवृतियों का तेजी से बढ़ना बड़ी चिन्ता का विषय है। मैं एक ही बात पूछना चाह रही हूं माननीय मंत्री महोदय से, कि आप का विभाग क्या साल में, 6 महीने में एक बार इस बात का अंकेक्षण करता है, रिपोर्ट तैयार करता है कि कस्बों में, गांवो में पिछले एक साल 6 महीने के अंदर अनजान आदमी कितने आकर बसे हैं, वे कौन हैं और कहां के हैं ? ट्रक स्टैण्ड के ऊपर किस तरह के अड्डे बने हुए हैं, कस्बों के अन्दर किस तरह अनजान ग्रुप में घुमते हैं रात को रह रहे हैं सुबह चोरी करके हत्याएं करके निकल जाते हैं। कहां है आपके पास में रिपोर्ट कि एक कस्बे में फलां वक्त में इस तरह का था तो आज 20–30 चेहरे नये–नये कौन हैं, कहां से आये, क्यों यहां पर रह रहे हैं, कहां के रहने वाले हैं? कोई देखने की जरूरत नहीं है। हमारी एक देशी कहावत है " कुछ लोहार खोटा, कुछ लोहा खोटा।" अगर लोहा सब – स्टैण्डर्ड होगा तो नतीजा क्या आएगा ? और लुहार अगर अकुशल होगा तो क्या बर्तन बनाएगा, क्या औजार बनायेगा, कैसी उनकी शक्ल–सूरत होगी ? इसलिए मेहरबानी करके आप उनकी सेवाओं को चुस्त दुरस्त करिये, उनकी सुविधाएं जुटाइये। आज के अपराधों का मुकाबला करने के लिए उनका आधुनिकीकरण कीजिये, उत्तरदायित्व उनका कायम कीजिये। जो आपके अच्छे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको आप शाबासी दीजिये, उनको प्रोत्साहन दीजिये और जो निकम्मे हैं, गैर जिम्मेवार हैं, भ्रष्ट हैं उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिये। इनका

(श्रीमती कमला)

राजनीतिकरण करने की चेष्टा मत किजिये, जनता बहुत दुःखी है बहुत परेशान है। समाज का माहौल बहुत खराब होता चला जा रहा है।

आप कहते हैं बड़ी भारी रेलवे लाइन खुल गयी हैं? बड़ा भारी तेजी से चलने वाला ट्रैफिक चल पड़ा है इसलिये अपराधिक गैंग्स आते हैं और चले जाते हैं। यह आप माननीय मुख्य मंत्री जी की तर्ज पर जवाब मत दीजिये कि आपके समय में भी ऐसा था तो अब हो रहा है तो कौन सी नई बात है अगर आधुनिक तरीके से अपराध हो रहे हैं, आधुनिक हथियारों के साथ हो रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलोजी के साथ हो रहे हैं, नये– नये तरीकों के साथ हो रहे हैं तो आप किस काम के लिए बैठे हैं? सरकार लेकर बैठे हैं, पूरा विभाग लेकर बैठे हैं, आप भी उसका मुकाबला करने के पूरी तैयारी के साथ काम करिये। अगर पूरे इक्विपमेंट नहीं हैं तो इक्विपमेंट लीजिये, पूरा अमला सुसज्जित नहीं है तो सुसज्जित कीजिये।/आपकी अनुसंधान और विश्लेषण की शाखा कायम करिये। मैं समझती हूं आज के युग के लिये आपको अनुसंधान और विश्लेषण के लिये व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि आप उनका मुकाबला कर सकें।

मेरा साथ में एक यह निवेदन है कि आप सिर्फ अपराधों को रोकने के लीये ही काम मत क़रिये, अपराध क्यों पैदा हो रहे हैं इसके लिये भी होम डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इस सरकार को चाहे वह भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, अपने सुझाव देने चाहिए, अपनी मांग पेश करनी चाहिऐ। आज फिल्में किस तरह कि आ रही हैं? जिनमें अपराध है, अश्लीलता है और कोई संयम नहीं है, कोई शालीनता नहीं हैं। समाज की सारी मर्यादाएं समाज के सामने रहन– सहन के तरीके जिस भारतीय संस्कृति और सभ्यता की हम सब लोग रात और दिन दुहाई दे रहे हैं वे सारे खतम होते चले जा रहे हैं। क्या यह हम लोंगो का फर्ज नहीं बन रहा है, चाहे विधान सभा हो, चाहे सरकार हो और चाहे गृह विभाग हो कि जिनके कारण से अपराधों की प्रवृति बढ़ रही है अपराधीकरण बढ़ रहा है उन कारणों के उपर भी रोकथाम लगाई जाय? आज जो बड़े–बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, धनपति हैं उनका रहन सहन देखिये! क्या खाना, क्या पीना, क्या शराब, क्या उनके लड़के –लड़कियों के तौर – तरीके। क्या पाबंदी नहीं लगा सकते हैं हम? क्या शादियां करते हैं, 4–4लाख रूपये के शामियाने लगाते हैं, महल बनाते। गरीब आदमी नकल करता है और डूबता है, मरता है। तो यह सारा जो समाज में हो रहा है, जिसके कारण से इस तरह कि स्थितियां आ रही हैं, क्या हम रोकने के लिये जिम्मेवार नहीं हैं? आप कहते हैं यह तो व्यवसाय है, यह तो उद्योग है, भारत सरकार इस पर पाबंदी लगाये तब जाकर होगा। राज्य सरकारों को और गृह मंत्रालयों को भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिये कि आप अपराध हटाने कि बात कर रहे हैं या अपराध की शिक्षा दे रहे हैं। किसी को आधुनिकतम तरीके से चोरी नहीं करना आये तो फिल्म बता देगी, डकैती नहीं आये तो बता देगी, स्मग्लिंग नहीं आये तो बता देगी। अपहरण करना हो और बलात्कार करना हो तो बता देगी। ये सारी चीजें जो आज देश में आयी हैं इनके बाबत हमको सोचने की जरूरत है। इसमें मजाक से नहीं, मैं बहुत दुःख के साथ और वरदहस्त के साथ कह रही हूं जिस तरह से महिलाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है फिल्मों में और जिस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, चाहे भारत सरकार कांग्रेस की थी, चाहे

(श्रीमती कमला)

आज है। मैं पण्डित नेहरू जी के ज़माने से लिखती चली आ रही हूं और जब मैं इन्फार्मेशन मिनिस्टर रही हर मीटिंग में इन्दिरा जी के सामने मैंने और ज्ञानी जैल सिंह जी ने बहुत सख्ती के साथ में इन बातों को रखा है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिये, देश का सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है, सोच खतम हो रही है, नवयुवक पीढ़ी कहां जा रही है। यह सारा आपके इस विभाग का एक दायित्व होना चाहिये। मैं अपने क्षेत्र की दो बातें कहकर

(समय – समाप्ति – सूचक घंटी)

समाप्त करूंगी। माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदया, मेरे सब –डिवीजन में तीन तहसीलें हैं। एक तहसील है जयपुर जिले के आखिरी कोने पर कोटपूतली और दो तहसील विराटनगर और शाहपुरा हैं जो कि जयपुर से लगी हुई हैं। इन दोनों तहसीलों की ज्यादातर बसावट शाहपुरा के इर्द–गिर्द है। शाहपुरा मुख्यालय स्थान होने के कारण से यहां पर जितना ज्यादा मुफीद इंतजाम आप कर पाओगे उतनी इन तहसीलों को राहत मिल पाएगी। लेकिन सब–डिवीजन कोटपूतली हैं, चाहे वह आखरी कोने पर है तो भी जो कुछ भी आप नयी व्यवस्थाएं करते हैं वे सारी सब–डिवीजन पर करते हैं। मैं यह नहीं कहती कि आप कोटपूतली पर व्यवस्था न करें, जरूर करें। वहां पर डीवाई .एस. पी. है और एडीशनल एस. पी. भी वहां भेज रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि चाहे आप एडीशनल एस. पी. शाहपुरा रखिये चाहे डीवाई. एस.पी. रखिये लेकिन एक अधिकारी इन दो तहसीलों के लिये कम से कम शाहपुरा में भी कायम करिये। इसी तरह से एस. डी. ओ. वहां हैं, बहुत अच्छा है। अगर ए. डी. एम. ले जा रहे हैं तो ए. डी. एम. वहां रख दीजिये, एस. डी. ओ. यहां रख दीजिये। इतना बड़ा एरिया है शाहपुरा का जिसमें सिर्फ एक चौकी लगी हुई है अमरसर के अन्दर। उस चौकी को वहां से हटाकर कभी सामोद लगा रहे हैं, कभी चौमूं लगा रहे हैं। मैंने आपको जब यह नयी विधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था तभी लिख कर दिया था, आज फिर निवेदन करती हूं कि आप अमरसर को पूरा थाना बनाइये। वह 14 पंचायतों की 80 हजार की पापुलेशन है, उसको लुक आफ्टर करने का पुख्ता इंतजाम करिये। बार–बार उसको दूसरी तहसील में ले जाकर पटकने की बजाय इस राजनीतिक सोच को आप खतम करिये और उस जगह पर व्यवस्था करिये।

इसी तरह से नेशनल हाई–वे पर विराट नगर और शाहपुरा के बीच में भागरू में एक थाना कायम करने का विभाग की तरफ से प्रस्ताव आया था लेकिन वह आज तक भी कायम नहीं हुआ। आप भागरू में थाना कायम करें तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन मेहरबानी करके अमरसर में तुरंत पूरा थाना कायम करिये जिससे कि इस इलाके को लाभ हो सके। शाहपुरा का बैठा हुआ थानेदार सामोद, गोविन्दगढ़ की सीमा से लगने वाले, चौमूं की सीमा से लगने वाले इलाके को पहुंचते–पहुंचते कोई राहत नहीं दिला सकता। मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है, इस मुद्दे को मैं कई बार आपके सामने रख चुकी हूं, आज फिर रख रही हूं कि आप इसको कायम करिये और इस इलाके में इस तरह की व्यवस्थाएं करिये कि जो अव्यवस्थाएं हैं और जो सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं, वे रोके जा सकें और आप अपने दायित्व को निभा सकें। इसके लिये पुख्ता तौर पर जो भी व्यवस्थाएं संभव हैं उनको करने की चेष्टा करनी चाहिये, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर): सभापति महोदय, आज पुलिस की डिमांड पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं इस चर्चा में भाग लेते हुए कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिली हुई है। यहां पर औद्योगिक उन्नति भी इन दिनों काफी हुई है। लेकिन राजस्थान में पिछले वर्षों में राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन, श्रमिकों के आंदोलन, विद्यार्थियों के आंदोलन, राज्य कर्मचारियों के आंदोलन के बाद भी जो कानून की व्यवस्था रही उसके लिये मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं इसके लिये भी राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक समरसता के माध्यम से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण राजस्थान में निर्मित किया है। उसकी वजह से यह पहला अवसर है जब साम्प्रदायिक तनाव तो हुए कई जगह लेकिन साम्प्रदायिक दंगे नहीं हो सके। साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने में राजस्थान सरकार की इच्छा शक्ति और पुलिस की सक्रियता रही और इसके लिये मैं गृह विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

मकराना से आने वाले माननीय सदस्य, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य और कई अन्य सदस्यों ने चिंता जाहिर की है कि अपराधी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एन. एन. बोहरा जो केन्द्र सरकार के पूर्व गृह सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया 1993 में। उनकी रिपोर्ट 1995 में लोक सभा में रखी गयी। अगर उस रिपोर्ट को उठाकर देखें उस पर जो चर्चा आयी उसको देखें और हम स्वयं अगर अपने जीवन में यह अनुभव करें तो लगता है कि आजादी के बाद राजनेताओं का जो आचरण गिरने लगा उस आचरण गिरने के कारण से उद्योगपति, पूंजीपति और नौकरशाही पर सारे माफिया हावी होने लगे। चाहे वे भू–माफिया थे, चाहे वे सरगना थे तस्करी के, चाहे वे नशे की दवाओं के तस्कर थे, चाहे वे शराब के तस्कर थे, लेकिन उन माफियों का शिकंजा राजनेताओं पर, अधिकारियों पर, और पूंजीपतियों पर पड़ने लगा। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है अगर उसे लोक सभा में स्वीकार कर लिया जाता ? आज तो कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसमें अपराधीकरण नहीं हुआ। आज बिहार है, उत्तर प्रदेश है और लोक सभा है, जिस तरीके के लोगों का वहां पर पदार्पण हुआ है कैसे कहा जा सकता है कि राजनीति में अपराधीकरण नहीं हुआ है ? आज मेमन या दाऊद इनको कौन पनपा रहा है ? इनको कौन संरक्षण दे रहा है ? देश में इस तरह के लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा तो किस तरीके से देश में हम आशा करेंगे ? इसलिये माननीय सदस्यों की जो यह चिंता है कि अपराधीकरण नहीं होना चाहिये राजनीति का, अपराधीकरण नहीं होना चाहिये नौकरशाही में, अपराधीकरण नहीं होना चाहिये उद्योगपतियों में, तो इसके लिये राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिये। इसके लिये हमको गहराई से विचार करना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि पुलिस में भी सुधार की आवश्यकता है और इन सब बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार को निश्चित रूप से इस सब पर विचार करना चाहिये।

मैं माननीय भैरोंसिंह जी से निवेदन करूंगा कि रामानंद आयोग बैठा था कि पुलिस को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए। आपने 35 करोड़ रूपया 1996–97 में पुलिस के सुदृढ़ीकरण कि लिये रखा है मैं निवेदन करूंगा कि उस रिपोर्ट के अंदर पुलिस के लिये जो कहा गया है, मेहरबानी करके आप उसे देखें।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आज पांचवां वेतन आयोग बैठा हुआ है और पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी तो पुलिस के लोगों की भी तनख्वाह बढ़ जाएगी। लेकिन इस बात की चिंता कौन करेगा कि उन्हें जो ये भत्ते मिलते हैं– वर्दी का भत्ता, मैस का भत्ता और सारे भत्ते, इनमें बढ़ोतरी हो जिसके लिये डांगावास जी भी कह रहे थे कि बढ़ोतरी होनी चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस के सुदृढ़ीकरण, पुलिस की ट्रेनिंग और पुलिस किस तरीके से काम करे, इस पर निश्चित रूप से आप किसी कमेटी का गठन

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

करके देखें। मैं, चूंकि घंटी बज चुकी हैं, बहुत समय नहीं लूंगा आपका।

मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उदयपुर कमीशनरी हैडक्वार्टर है, वहां पर वी. आई. पी. आते रहते हैं, वहां पर केन्द्र के मिनिस्टर्स आते रहते हैं। वहां पर ट्यूरिस्ट आते हैं। वह पर्यटन का केन्द्र बन गया है। पर्यटकों की वजह से वहां पेइंग गेस्ट, होटल और ये सब चल रहे हैं। इसके साथ–साथ गुजरात की सीमा से लगा हुआ यह उदयपुर जनजाति क्षेत्र है। जयपुर को आप देखें, यहां के थानों की संख्या देखें, यहां के अपराधों की संख्या देखें और इसकी तुलना वहां से करें तो वहां के थानों में बहुत कम लोग हैं। थानों में कम संख्या होने के कारण अपराध होते हैं इसलिये थानों की संख्या भी बढ़ायी जाए। जब कोई वी. आई. पी. आता है तो पुलिस की ड्यूटी लग जाती है। तामील कराने के लिये कौन जाएगा ? चार सिपाही तो केवल थाने में पहरा देने के लिये चाहिये, उसके बाद तफ्तीश कौन करेगा ? अपराध तो बढ़ते चले जा रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि के साथ–साथ अपराधी भी बढ़ रहे हैं और काम भी बढ़ रहा है। निश्चित रूप से पुलिस थानों के अंदर संख्या बढ़नी चाहिये। आप से निवेदन करूंगा कि उदयपुर जनजाति क्षेत्र है, इसलिये वहां आवश्यकता है एक महिला थाने की, आप एक महिला थाने का भी वहां निर्माण करें। आप ट्यूरिस्ट की दृष्टि से भी उसका निर्माण करें वहां पर। मैं कहना चाहता हूं कि बोहरबाड़ी के अंदर पहले एक पुलिस चौकी थी। मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था कि बोहरबाड़ी एक संवेदनशील एरिया है, उस पुलिस चौकी को जला दिया गया, जब उनके आपस में झगड़े हुए। आज वहां फिर पुलिस चौकी कायम होनी चाहिये। धोली बावड़ी जो बिलकुल संवेदनशील क्षेत्र है, आप मेहरबानी करके वहां पर एक पुलिस चौकी खुलवाइये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्रों में अपराध तो बढ़े हैं लेकिन बलात्कार, चोरियां, डकैती, ये बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। इस तरफ भी पुलिस को ध्यान देना चाहिये। आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमराजजी भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदय, जब मैं पहली बार यहां सदस्य चुनकर आया था तो होली के दूसरे दिन मेरी सगी भतीजी गायब हुई थी। मैंने यह बात यहां विधान सभा में कही। गृह मंत्री महोदय के पास पुलिस का जवाब आया कि वह बच्ची तो अपने आप ही घूमते–घूमते कहीं 2–3–4 किलोमीटर दूर चली गयी थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारे राजस्थान प्रान्त में बच्चे गायब होने की संख्या में और बच्चों के गायब होने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आज यही हालत है। अखबारों में हम रोजाना कहीं न कहीं किसी न किसी बालक के गायब होने की बात पढ़ते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता हूं, हमारे शहर

(श्री भीमराज भाटी)

में भी हमेशा हर 15—20 दिन के बाद कोई न कोई बच्चा गायब होता है। वर्तमान में भी 4 महीने से 2 बच्चे गायब हैं और उन बच्चों का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। जिनकी औलाद होती है, जिनकी सन्तान होती है, उनको पता है कि बच्चों के गायब होने से क्या तकलीफ होती है। वे बच्चों के गायब होने की बात जब पुलिस अधिकारियों से करते हैं तो पुलिस अधिकारी उलटा उनको धमका देते हैं कि बच्चा कहीं गया है, आ जाएगा, क्या तकलीफ हो रही है। ज़िसका बच्चा गायब है, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का बच्चा गायब है, उसके मां—बाप की और परिवार वालों की क्या हालत होती है, यह वे खुद ही जानते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मुझे दुःख है कि मेरे शहर में, जो मुख्य मंत्रीजी के जिले का मुख्यालय है, जहां से मुख्य मंत्री महोदय आते हैं, उस पाली जिले के मुख्यालय में पिछले 2—3 सालों में 17 हत्याएं हो चुकी हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, 17 हत्याएं हुई हैं और 17 हत्याओं में से किसी का अभी तक पता नहीं चला। और तो और, हमारे शहर में जिन दो जुड़वां बहनों की हत्या हुई थी उस हत्या का यहां पर मामला उठाया गया था। गृह मंत्री महोदय ने उस दिन मुझ पर अहसान किया था कि मैं सी. आई. डी. (सी.बी.) की क्राइम ब्रांच के एस. पी. लेवल के आदमी से इंक्वायरी कराऊंगा। आज तक उन जुड़वां बच्चियों की हत्या का कोई पता नहीं चला। सरे आम शहर में सिन्धी कालोनी में लोग मरे। सुरेश सराफ मरा, राजेश जैन मरा, एक मूलचंद फोटोग्राफर है उसका दामाद मरा। कलेक्टर और एस. पी. के बंगले के सामने, तीन सौ फुट की दूरी पर एक औरत की दिन में सरेआम हत्या कर दी गयी। माननीय सभापति महोदया, 17 हत्याएं हुई लेकिन उनका राज नहीं खुलता। उनका राज न खुलने के पीछे वजह है कि जो पेसेदार लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग हैं, वे हमेशा पुलिस को इंफ्लुएंस करते रहते हैं, वे किसी भी हत्या को खुलने नहीं देते हैं। जब कभी भी कोई हत्या होती है, कोई आदमी वैसे ही किसी को नहीं मार देता, उस हत्या के पीछे कोई कुछ न कुछ राज होता है। उस राज को नहीं खुलने देते हैं।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान में मूर्तियां चोरी होने की घटनाएं निरन्तर बढ़ रही हैं। चाहे वह जैन मंदिर हो चाहे कोई—सा भी मंदिर हो, मूर्तियां तोड़े जाने की घटनाएं निरन्तर बढ़ रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी चेंडा नामक गांव में मूर्तियां तोड़ी गयीं, समाधियां तोड़ी गयीं। वहां पर एक राजाराम जी का आश्रम है, वहां की साध्वीजी के साथ बदतमीज़ी की गयी, दुर्व्यवहार किया गया। उनके ऊपर हमला करने जैसी बात की गयी। उसकी एफ. आई. आर. लॉज हुई, हमने यहां विधान सभा में बात की। गृह मंत्री महोदय ने बड़े दयालु होकर, मेरे साथ और जिम्मेदार लोग थे, एस. पी. महोदय को टेलीफोन किया। लेकिन मुझे दुःख है कि जिस पुलिस से आम आदमी कांपता है, उस राजस्थान के गृह मंत्री के टेलीफोन से वहां पत्ता भी नहीं हिला। मुझे दुःख है इस बात का। जिस आश्रम की साध्वी के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस आश्रम के जो गद्दी नरेश हैं, उनको लेने के लिये मुख्य मंत्री महोदय जाते हैं। उनका पाली जिले में असर है, बाड़मेर जिले में असर है, जालौर जिले में असर है, जोधपुर जिले में असर है, उनको रिसीव करने के लिये मुख्य मंत्री महोदय जाते हैं, लेकिन राजाराम आश्रम की साध्वी के साथ में सरेआम दुर्व्यवहार होता है, समाधियों को तोड़ा जाता है, वहां मूर्तियों को तोड़ा जाता है

(श्री भीमराज भाटी)

लेकिन उसके ऊपर पुलिस कार्यवाही नहीं करती, पता नहीं क्या वजह है। कोई वजह समझ में नहीं आती कि क्या वजह है कि राजस्थान सरकार में गृह मंत्री महोदय से ऊंचा कोई आदमी नहीं है उसके बावजूद भी पुलिस हरकत में नहीं आए। यह जो पुलिस के ऊपर दबाव है, पता नहीं कैसा राजनीतिक दबाव है, पता नहीं कैसे प्रभावशाली लोगों का दबाव है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, गृह मंत्री महोदय, इस तरह के दबाव में अगर आपकी पुलिस काम करती रही तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस में यह जो राजनीतिक हस्तक्षेप है...माननीय सभापति

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

महोदया, 10 मिनट नहीं हुए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा।

यह जो राजनीतिक हस्तक्षेप है जब तक यह बंद नहीं होगा, चाहे आपके लेवल पर हो, चाहे आपके ऊपर दबाव आ रहा हो, चाहे आपके अधिकारियों के ऊपर दबाव आ रहा हो, तब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता है।

माननीय सभपति महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में पुलिस बल की संख्या में भी वृद्धि करें। पुलिस की ड्यूटी के जो आवर्स हैं, कोई वार हो, कोई त्यौहार हो, कैसी भी घटना हो, चाहे कोई भी वी. आई. पी. विजिट हो, वे लोग कभी अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ सुख–शांति से रह नहीं सकते। मेहरबानी करके उनको पूरी फैसिलिटीज दीजिये, उनको पूरे साधन मुहैया कराइये। आप हैड–कांस्टेबल लेवल तक के आदमी को मोटर–साइकिल प्रोवाइड करा दीजिये। लेकिन वे लोग अपनी ड्यूटी में कोताही करें तो उतनी ही बेरहमी से, उतनी ही कड़क कार्यवाही करके आप उनको सबक सिखाने की व्यवस्था करिये। जब तक यह नहीं करेंगे, तब तक मुझे यह उम्मीद नहीं है कि किसी को भी न्याय मिल सके, किसी का भी सही इंवेस्टीगेशन हो सके।

माननीय सभापति महोदया, मेरे पड़ोसी ने कहा कि A man is known by the company he keeps. शहर के जो नामी–गिरामी बदमाश लोग हैं, पुलिस थाने में पुलिस के अधिकारी उन नामी–गिरामी बदमाश लोगों से घिरे रहते हैं। वे नामी–गिरामी बदमाश पुलिस के अधिकारियों की दलाली करते हैं। वे जो पूरी जनता में बदनाम हैं, उन बदनाम लोगों से अगर पुलिस के अधिकारी घिरे रहते हैं तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी गांव में, किसी भी बात में पुलिस निष्पक्षता से काम कर सकेगी ? आप केवल पुलिस के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंन दे दीजिये। आपकी पुलिस से छिपा हुआ कोई बदमाश नहीं है और पुलिस उन बदमाशों की कम्पनी में ही घिरे रहती है। कौन पुलिस में आने में विश्वास करेगा। शहर के जो नामी–गिरामी बदमाश लोग हैं, केवल उनसे पुलिस के अधिकारी घिरे रहते हैं। उनका सिर्फ एक काम है, वे आपकी पुलिस के अधिकारियों की दलाली करते हैं। उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण तो तभी प्राप्त हो जाता है, राजनीतिक नेता चाहे किसी भी पार्टी का जाए, कांग्रेस का राज होता था तो वे लोग उन मंत्रियों के आजू–बाजू में डोलते थे, आज भारतीय जनता पार्टी का राज है तो वे लोग उनके आजू–बाजू में डोलते हैं। वे कोई और नहीं, महज पुलिस के दलाल हैं। उनके माध्यम से जब शहर में गड़बड़ियां होती हैं, उसकी सैटिंग वे लोग करते हैं। इसलिये वे वहां थाने में घूमते रहते हैं। थाने के लोगों के लिये आराम से सुबह से

(श्री भीमराज भाटी)

शाम तक कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर शाम तक की व्यवस्था वे लोग करते हैं। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज की व्यवस्था करते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं और तो शर्म की क्या बात करूं, हमारे शहर में चुनिन्दा म्यूनिसिपैलिटी के कांउसलर हैं, उनकी दुकान से 58 हजार रुपये चोरी हुए। उस 58 हजार रुपये की चोरी की एफ. आई. आर. लॉज हुई। उस एफ. आई. आर. को आज एक साल हो गया, जो बदमाश हैं, पुलिस की नजर में हैं कि यह आदमी चोर है, वह चोर गायब रहा शहर से दो महीने तक लेकिन उसका आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। कौन इस तरह की कार्यवाही कर रहा है जिससे आपके पुलिस के अधिकारियों को बाध्य होना पड़ रहा है कि वे उनको न्याय नहीं दिला सकते ?

माननीय सभापति महोदया, एक ताजा घटना बताता हूं। 21 जून को झुंझुनूं को एक एक्स. मिलिट्रीमैन की हत्या हुई। उस एक्स. मिलिट्रीमैन को दबाने के लिये डाइरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस ने चिट्ठी लिखी वहां के पुलिस अधिकारी को। उस आदमी की हत्या में आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वाल्व हैं। उसका सगा भाई इन्वाल्व है जिस आदमी ने झुंझुनूं से संसद का चुनाव लड़ा। कोई भी किसी का भी भाई हो सकता है लेकिन संजोग से वह उनका भाई है। लेकिन किसी का भाई इन्वाल्व हो, कोई–सी भी घटना हो, इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से मेहरबानी करके इस पुलिस को मुक्त करवा दीजिये।

जब तक इस हस्तक्षेप से आप पुलिस को मुक्त नहीं कराएंगे, आम आदमी को न्याय मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूरामजी अहारी। एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए, क्या अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : आज तो बड़ी समझदारी से काम कर रहे हो ।

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या 16–पुलिस और मांग संख्या 17–कारागार पर विचार हो रहा है। मैं भी पुलिस विभाग के बारे में अपनी बात बताऊंगा। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है कि बड़ा से बड़ा आदमी भी उससे डरता है। मेरे डूंगरपुर में पुलिस की हालत यह है कि पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। जब हमारी जनजाति के गृह मंत्री बने थे, हमें बहुत आशा थी। पता नहीं क्या हो गया। (व्यवधान) हां, अनुसूचित जाति के। मैं तो यह आशा करता था कि आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में राजस्थान का जो पुलिस

(श्री नाथूराम अहारी)

विभाग है, उसमें चुस्ती आएगी, पुलिस कुछ अच्छे काम करेगी लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया।

मैं पुलिस विभाग के बारे में बताना चाहता हूं कि जितनी भी मेरे डूंगरपुर में हत्याएं हुई हैं, एक का भी पता नहीं लगा। नलवा गांव में एक हत्या हुई। दूसरे आदमी को बता दिया और उस आदमी के परिवार वालों को पूरे घरबार से निकाल दिया और उनके घर को लूट लिया गया। उनके बीड़ में सागवान का इमारती कबाड़ा था, लकड़ी थी, वह भी लूट ले गये लेकिन पुलिस ने उस जगह जाकर उनकी कोई रखवाली नहीं की। वे अभी तक उनके घरों में नहीं आये हैं, सगे—सम्बन्धी घ्यान रख रहे हैं। उनका कोई अता—पता नहीं है। उनका जितना भी माल था, मकान के डांडे तक वे वहां से ले गये लेकिन इसकी कोई छानबीन नहीं हुई। अभी दो—चार—पांच महीने पहले बारां में एक हत्या हो गयी। वहां पर दूसरे आदमियों को बता दिया और उस आदमी को पकड़ ले गये जो आदमी गवाही दे रहा था कि उन्होंने यह गड़बड़ी की है। एक जनजाति का आदमी था उसके ऊपर उस केस को ढोल दिया और उनका अभी कुछ नहीं हुआ है। एक—दो बार पुलिस गयी थी, पता नहीं क्या किया। अभी कोई पता ही नहीं है। इसी तरह बांकड़ा में एक शराब का ट्रक पकड़ा था। भंवर शर्मा के वहां पकड़ गया। अलबाना और भंवर शर्मा को पकड़ लिया और उसके साथ ही कुन्दनसिंह को पकड़ लिया, उनको बहुत यातनाएं दीं। हम दोनों विधायक वहां गये, थाने में जाकर उनको कहा कि ये चोर नहीं हैं, आपने किस जुर्म में इन दोनों को पकड़ा है, क्या प्रूफ है आपके पास? किसकी गवाही है ? तब जाकर उनको छोड़ दिया गया। उनके पास कोई डाकूमेंट्स नहीं थे, इसलिये उनको छोड़ दिया गया।

इसी तरह से हिन्दोला में एक कृष्णदेव वल्द खाखरा और प्रभूलाल वल्द थावरा की निजी जमीनें हैं, उस जमीन पर दूसरे व्यक्ति जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उसकी रिपोर्ट गणेशपुर थाने में बार बार देने के बाद भी मुलजिम बारबार दस पन्द्रह आदमियों का नाम देकर उन्हें परेशान करता है। अभी परसों की ही बात है, उन लोगों ने पन्द्रह आदमियों के नाम लिखवाये कि इन्होंने हमला किया जबकि हमला उन लोगों ने किया था। इस तरह पुलिस का रवैया इतना खराब हो गया है कि कहा नहीं जाए।

डूंगरपुर में पिछली शादियों के टाइम में एक सरैया पैट्रोल पम्प का आदमी शाम के आठ बजे 20 हजार रुपये ले जा रहा था। मोटर साइकिल से दो आदमी आये, एक आदमी उतरा और दो—तीन थप्पड़ मार कर वे बीस हजार रुपये लूटकर ले गया। उसका आज तक कोई पता नहीं है। इसी तरह से हमारे हीरालालजी कसारा, इनकी बच्ची की शादी का दिन था। एक घर से दूसरे घर जा रही थी, दो—तीन औरतें साथ थी। उसी तरह दो आदमी फिर मोटर साइकिल पर आये, उन्होंने उतर करके उस औरत को दो—तीन थप्पड़ मारे और गले से हार लूटकर चले गये। सरेआम, पुलिस की नाक के नीचे चोरियां हो गयीं, डकैती हो जाए तो भी पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि कोई अता—पता नहीं है। पहले मैंने विधान सभा में कहा था कि इस तरह से लूटने वाली पुलिस को हमारे आदिवासी एरिये से हटा दो। कोई प्रार्थी जाए तो उससे हजार रुपये ले लिये, फिर मुलजिम आ गया तो मुलजिम से दो हजार रुपये ले लिये, दोनों को लूट लिया। लूटने के बाद जो केस था उसी को उसी तरह निपटा दिया। इस तरह के कारनामें हैं इनके कि इससे तो आदिवासी

(श्री नाथूराम अहारी)

क्षेत्र में हमारे लोग जो फैसला करते हैं वही ठीक करते हैं। भले ही लड़ाई–झगड़ा होता है तो भी कम से कम बैठकर तो करते हैं।

इसी तरह अभी चुनाव के टाइम एक झगड़ा हो गया। झगड़े में एक आदमी एक्सीडेंट से घायल हो गया, उसको अहमदाबाद ले गये। अहमदाबाद में वह मर गया। घर लाया गया। घर लाने के बाद बताया कि इसे तो अमुक ने मारा था। करीब पन्द्रह–बीस रोज पहले इन्होंने मारा था और वह शव ले जाकर उसके घर डाल दिया। पुलिस आयी, पुलिस ले गयी शव पुलिस स्टेशन। वहां से फिर दबाव डाला तो पुलिस ने शव ले जाकर वापस उसके खुद के घर डाल दिया। 12 दिन वह शव इस तरह से पड़ा रहा और लोग परेशान हो गये। हमारे एक सिस्टम है डूंगरपुर, में कि अगर कोई मर गया है उसे किसी वर्ग के लोगों ने मार दिया है तो सामने वाला वर्ग उससे मथोना के रूप में 25–50–100, मतलब हजारों में रुपया लेते हैं। इस तरह रुपया लेते हैं। इस तरह उल्टा उन्होनें बीच में रहकर के उनको उकसाया और उनसे भी पैसे ले लिये।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि पुलिस विभाग "बाड़ बेला नहीं खाये" है। हमारे बागड़ी में कहते हैं "बाड़ बेला न खाये", जो बाड़ है वही बेल को खा जाती है तो फिर जनता का रक्षक कौन होगा। मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप पुलिस विभाग को चुस्त बनाएं। पुलिस विभाग के कर्मचारियों में इस तरह की जो आदतें हैं उन्हें भुलाएं, तब जाकर इसका कोई ठीक खुलासा होगा।

पुलिस की भर्ती में जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, पुलिस की भर्ती में हमारे आदिवासी एरिये से भी बीस–पच्चीस, तीस–तीस हजार रुपये लिये जाते हैं। मैं आपसे ये मांग करता हूं कि पुलिस की भर्ती में कम से कम उदयपुर डिवीजन में तो उदयपुर के लोग ही लिये जाएं।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम अहारी : डूंगरपुर और उदयपुर में अगर आप आदिवासियों से पैसे लेंगे तो पुलिस से कोई रक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यह हालत है, इसी से मैं...

श्री सभापति : समय हो गया, समाप्त करें।

श्री नाथूराम अहारी : खैरवाड़ा में एम. बी. सी. कम्पनी है, जो मेवाड़ भील कोर मे नाम से जानी जाती है। वह केवल मेवाड़ के भील कोर के नाम से है और उसमें रख दिया 12 और 20 प्रतिशत। यह कोई तुक है ? यह कोई तरीका है ? मेवाड़ भील कोर नाम ही उसका यह है और आप रख रहे हैं किसी दूसरे वर्ग को, यह क्या तरीका है ? मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां तो वही रहेंगे जिसके नाम से वह है। ठीक है, पांच–दस प्रतिशत आप रख लें तो रख लें, हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन जिस नाम से है उस नाम को आप बिलकुल मिटाना चाहते हो तो यह आपका तरीका ठीक नहीं है।

(17.00)

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जयन्ति लाल कोली।

श्री नाथूराम अहारी : केवल एक ही मिनट। मेरे कुछ सुझाव हैं। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, वाकई पुलिसकर्मियों का वेतन कम

(श्री नाथूराम अहारी)

है इसलिये इनको वेतन ज्यादा देना चाहिये। मुलजिमों के लिये भी जो सुविधा दी जाती है वह बहुत ही कम है, वह भी बढ़ायी जानी चाहिये। थानों में न जीप है, न मोटरसाइकिल है, न टेलीफोन है। जहां–जहां भी थाने हैं वहां टेलीफोन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। टेलीफोन कभी बंद नहीं रहे। वायरलैस होता है वह तो पुलिस वाले ही कर सकते हैं आम जनता तो कोई कर ही नहीं सकती इसलिये टेलीफोन की व्यवस्था भी वहां होनी चाहिये।

जहां थाने का भवन नहीं है....

श्री सभापति : अब आप विराजें, ये सुझाव आ गये हैं।

श्री नाथूराम अहारी : बस आधा मिनट।

श्री सभापति : सारे सुझाव रिपीट हो रहे हैं।

श्री नाथूराम अहारी : नहीं, रिपीट नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : कई माननीय सदस्यों ने दे दिये ।

श्री नाथूराम अहारी : जहां थाने नहीं हैं वहां थानों के भवन बनाये जाएं आधुनिक जमाने के अनुसार। थाना गलंदर में रामसागरा नाम की एक जगह है, स्वीकृति आयी है लेकिन अभी तक वहां थाना नहीं बना है। गृह मंत्री जी से निवेदन है कि गलंदर में रामसागरा नाम की जगह पर थाना कायम किया जाए।

मेरे गणेशपुर थाने के लिये हमने दोवड़ा में त्रिवेणी पर मतलब जंक्शन की तरह है वह, तीन सड़कें मिलती हैं, जमीन रिजर्व कर रखी है लेकिन उसमें थाना नहीं बनने से जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि वह थाना जल्दी से जल्दी बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जयन्ति लाल कोली।

श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) : सभापति महोदया, आज मांग संख्या 16–पुलिस पर चर्चा हो रही है। आज से पूर्व में जिस तरह की कानून व्यवस्था पूरे प्रान्त में रही है उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ी बातें बताना चाहता हूं। आज से एक साल पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी माउण्ट आबू पधारे थे उस समय हड़मदिया गांव के अंदर एक व्यक्ति की कुछ लोगों के द्वारा मर्डर कर दिया गया था। उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और वहां की पुलिस ने तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही की लेकिन उनके वहां से जाने के बाद में पुलिस और वहां के कुछ आतंकवादी लोगों ने मिल कर उसमें से जो वास्तविक गुनहगार थे उनको तो अन्दर से निकाल दिया और उसका भाई जो बेगुनाह था वह रिपोर्ट दर्ज करने के लिये थाने में गया था; उसी को उसका घर जलाने के मामले में मुजरिम बनाया गया ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को एक और निवेदन करना चहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मंडार गांव में एक महिला रामपुरा गांव से मंडार गेहूं पिसाने के लिये आयी थी। वह गेहूं पिसा कर वापस जा रही थी, उस तरफ जा रहे एक ट्रैक्टर में वह घर जाने के लिये बैठ गयी। उसमें

(श्री जयन्ति लाल कोली)

बैठे हूए लोगों ने उसके साथ रास्ते में अभद्र व्यवहार किया, छेड़छाड़ की और फिर उसके साथ बलात्कार किया। जब हमारे जिला परिषद सदस्य ने मौके पर जाकर पुलिस को टेलीफोन पर अवगत कराया तो उस समय तो पुलिस ने वहां जाकर लीपापोती की नाम मात्र की, लेकिन बाद में उसको इतना डराया कि वह बयान देने की स्थिति में भी नहीं है।

सभापति महोदया, सिरोही और जालौर जिले के दोनों क्षेत्रों में जो गुजरात से जुड़े हुए हैं, आम तौर पर अभी छोटी–मोटी चोरियां हो रही हैं। किसी के गले में से चैन चुराना, कड़े लेना, पत्थरबाजी करना, यह एक आम बात वहां पर हो गयी है। इसके बारे में वहां की पुलिस के सकिय रहते हुए भी अभी तक एक भी मुजरिम नहीं पकड़ा गया है। मुझे अवगत हुआ है कि वहां पर कुछ गुजरात से आये हुए लोग हैं वे हमारे ऊनारामजी नाम के व्यापारी के घर से ढाई लाख रुपये की चोरी कर के ले गये। इस तरह से डरा–धमका कर वहां से पैसे लिये जा रहे हैं।

सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है। वहां पर बुंडवाड़ा, वोंट, जतावड़ा, मालीपुरा, सुलेवा आदि में अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं तथा आबकारी विभाग और पुलिस की मिलीभगत से गुजरात में शराब की तस्करी की जाती है। इसको रूकवाने का कष्ट करें।

माननीय गृह मंत्री महोदय से मेरा एक निवेदन यह है कि रेवदर के अन्दर थाना बनाने के लिये जमीन तो अलाट हो गयी है लेकिन थाना नहीं बनाया गया है अतः वहां पर बिल्डिंग बना दी जाए। एक निवेदन यह भी है कि क्षेत्र में एस. सी./एस. टी. पापुलेशन है और अलग–अलग ढाणियों और गांवों में कसी हुई है। वहां 40–40 किलोमीटर तक थाना नहीं है इसलिये बटाणा के अंदर एक चौकी भी खोल दी जाए जिससे 40–50 किलोमीटर की दूरी तक कमी महसूस नहीं हो।

एक निवेदन यह है कि अभी लोक सभा चुनाव में मंडार थाने के अंतर्गत जो जीप थाने में अलाट की गयी है, वह चलते हुए बीच में खराब हो गयी और पुलिस निगरानी रखने की बजाय बीच में ही रूक गयी। अनादरा थाने में भी इसी तरह की एक गाड़ी है। इसे बदलने की कृपा करें यही मेरा अनुरोध था। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहन लालजी मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदया, आज सदन में पुलिस की डिमांड्स पर चर्चा हो रही है । यह बहुत ही महत्पूर्ण विषय है। पुलिस की जिम्मेदारी राजस्थान की सुरक्षा की आम आदमी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आती है। आज जिस तरह का वातावरण चल रहा है, अभी इस सदन में इस सत्र में जिस तरह पुलिस पर आरोप लगाये गये, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सारी पुलिस भ्रष्ट नहीं है, इसमें राजनैतिक लोगों का हाथ है जो इसको भ्रष्ट करते हैं। मैं आप से इतना कहना चाह रहा हूं कि पुलिस के लोग सही काम करना चाहते हैं लेकिन सही काम करने पर यहां से प्रेशर जाते हैं और वे सही काम नहीं कर पाते हैं। अब एक काम सही नहीं कर पाते तो फिर पांच काम वे भी गलत करते हैं और पुलिस की पूरी इस तरह से बदनामी होती है। कोई आदमी पुलिस थाने में जाना नहीं चाहता, जाने से घबराता है, उनका व्यवहार इस तरह का है। गृह मंत्रीजी, ऐसी शिक्षा दें कि वहां आदमियों के साथ ठीक से बर्ताव हो और लोग वहां जाने से घबराएं नहीं।

(श्री मोहन लाल मोदी)

मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जब आप राजनैतिक प्रेशर से थानेदारों को लगाते हो तो उसका क्या नतीजा होता है। मेरे यहां, अब वह किसी के प्रेशर से लगा क्या लगा मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन पाटन में एक थानेदार लगाया ओम प्रकाश वर्मा। अब तो आपने उसको बदल दिया लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां वह थाना नहीं होकर बी. जे. पी. का दफ्तर हो गया। पाटन के सारे लोग वहां पाने में जमा रहते हैं । किसी प्रकार कि उनको तो परवाह ही नहीं रही । जब वरदहस्त हो तब क्या परवाह मैं आपको बताऊं कि रायपुर पाटन के अन्दर एक गुप्ता है, वह नीमका थाना से रात को बरात में से आकर अपने घर जा रहा था। महेन्द्र सिंह वगैरह जान से मारने की गरज से उसका अपहरण कर ले गये उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, हाथ बांध दिये और कुएं में डालने के लिए ले गये। जैसे ही कुछ कपड़ा निकला वह चिल्लाया। लीलाराम वगैरह कुछ लोग वहां आगये, उसकी वजह से वह बच गया, उसको वे कुएं में नहीं डाल सके। इसका केस दर्ज हुआ, 22/96 पहले पाटन थाने में पर मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। पहले उन्होंने ऐंटीसिपेटरी बेल के लिये एप्लाई किया, वह रिजेक्ट हो गयी और अब वे यह कहते हैं कि मुलजिम नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको पुलिस की कारगुजारी के संम्बध में निवेदन करना चाह रहा हूं उनके शादी की रस्म होती है निकासी, उसके अन्दर आपकी पुलिस मौजूद है, लेकिन आपको कहेंगे कि मिल नहीं रहे हैं मुलजिम। मुलजिम नहीं मिल रहे और पुलिस वहां मौजुद है, इससे ज्याद क्या शर्मनाक बात हो सकती है ? अब और लीजिये आप, जो लीला राम वगैरह ने छुड़ाया, उनके और थानेदार जी के एक रंजिश पैदा हो गयी कि इस आदमी को किस तरह से गिरफ्तार किया जाय । 395/94 एक केस था जिसके अंदर वह सरकारी गवाह थे। उनको तारीख पेशी की सही सूचना नहीं दी गयी इसलिए वह तारीख पर उपस्थित नहीं हुए कोर्ट ने यह कहा कि 3. 7. 96 को पेशी के लिये उनके वारंट जारी करें। 25. 5. 96 शनिवार के दिन उसके घर जाते हैं 9. 30 बजे और उसको जबरदस्ती पकड़ कर लाते हैं। उसको पीटते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। उसको नैक्सट डे श्री माधोपुर कोर्ट में पेश करते हैं जबकि मुलजिम नहीं है वह, वह गवाह है। अभी तो मुझे बोलना है।

(समय –समाप्ति –सूचक घंटी)

श्री समापति : यह तो सूचना है ।

श्री मोहनलाल मोदी : यह मुलजिम नहीं है, सरकारी गवाह है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये । नीमकाथाना के मोदीजी पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है । इनको बोलने दो आप ।

श्री मोहनलाल मोदी : आपकी सारी शह है इसलिये मुझे बोलना पड़ रहा है"। (व्यवधान) यह सीकर का मालिक है आखिर, ऐसी क्या बात है, इस वक्त। सभापति महोदया, वह मुलजिम नहीं है, सरकारी गवाह है गवाह को गिरफ्तार करके ले जाना बहुत बड़ा जुर्म है। आपसे तो मुलजिम गिरफ्तार हुए ही नहीं और इस गवाह को गिरफ्तार करके ले गये। कायदा यह है कि उस तारीख पर उसको ले कर जाते और पेश करते। इस तरह की कार्यवाही वहां पर हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आम आदमी इससे दुःखी है । मैं खुद भी आपके पास गया था, टोडा के हरिजन भी आपके पास गये थे। गृह मंत्रीजी, अब एक हीं निवदेन करना चाहता हूं कि राजनीति से उपर उठकर इन हरिजनों कि मदद करो, इनके साथ अन्याय मत होने दो। मै आपसे इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं पर भी कोई गलत बात हो तो

(श्री मोहनलाल मोदी)

जो चाहें वह सजा आप मुझे दें मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इन लोगों के साथ 27.4.96 को जीवनराम और राजेन्द्र कुमार लोक सभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से डा0 हरिसिंह के चुनाव एजेन्ट थे। वहां पर टोडा में एक ऐसा परिवार है जिसका आज भी टोडा गांव में इतना बड़ा आंतक है, गृह मंत्रीजी कि ऐसा जागीरदारों के टाइम पर भी नहीं था। आज वह गांव आजाद नहीं है। एक आदमी आप वहां पर भेजेंगे, कोई गवाही नहीं देगा, कोई बोल नहीं पाएगा। आपको सच्चाई का पता नहीं लगेगा। ये जो एजेन्ट थे इनको वहां के ब्राह्मण परिवार के देवकी नन्दनजी ने धमकाया कि तुम एजेन्ट मत बनो कांग्रेस के, वरना मैं शाम को तुमको समझ लूंगा। वहां हरिजन हैं ये, इन हरिजनों में हिम्मत आई वे एजेन्ट बने। शाम को 9.30 बजे टोडरमल और देवकी नन्दन कुछ लोगों को लेकर उन हरिजनों के घर गये। उनको गालियां दीं, उनको मारा–पीटा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। सभापति महोदया ये दोनों हत्या के मुलजिम हैं, ये हत्यारे हैं दोनों। इनको डिस्ट्रिक कोर्ट से सजा हो रही है लेकिन हाई कोर्ट में अपील में हैं। टोडरमल को तो आजीवन कारावास है और देवकी नन्दन को सात साल की सजा है।

श्री सभापति : आपका समय पूरा हो गया। माननीय सदस्य, समय की तो आपको पालना करनी है।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं कभी कभी बोलता हूं, यह मेरा पूरा तो हो जाए।

श्री सभापति : यह पूरा तो कभी भी नहीं होगा। माननीय सदस्य, सबको समय देना है। पुलिस की डिमाण्ड है इसलिये सब चाहते हैं थोड़ा समय उनको भी मिले। इसलिये आप कन्क्लूड करिये इसको।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, कि इन हत्यारों को प्रश्रय मत दीजिये। ये बी. जे. पी. के वहां लीडर बने हुए हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इन लोगों को न्याय दिलवाईये और न्याय दिलाकर इनको गिरफ्तार करवाईये। इसका केस नम्बर 138/96 दर्ज हुआ है वहां पर।

श्री सभापति : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी। (व्यवधान) एक मिनट और लगाइये।

श्री मोहनलाल मोदी : भ्रष्टाचार का केस दर्ज है। मैं गृह मंत्रीजी आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं आप इसमें न्याय करिये। अगर इसमें न्याय नही करेंगे और पार्टी का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं इससे बड़ा अन्याय आप और कोई नहीं कर सकते। पुलिस की सारी बदनामी की जिम्मेदारी आप पर होगी, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : माननीय सभापति महोदया, पुलिस और कारागार की मांग पर चर्चा हो रही है। कई सदस्य सम्पूर्ण व्यवस्था को दोषी ठहरा रहे हैं। हत्या, बलात्कार और डकैती की घटनाओं को लेकर हर व्यक्ति चिंन्तित रहता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि इस प्रकार की घटनाएं घटें। परन्तु इस प्रकार की घटनाओं को लेकर सम्पूर्ण व्यवस्था को ही जिम्मेदार ठहराना मैं अनुचित मानता हूं। कई अच्छे अफसर भी हैं, आज पुलिस में कई अच्छे कर्मचारी भी हैं। जो बुरे अफसर हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिये। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है पर इस डिपार्टमेन्ट में तो एक नहीं कई मछलियां हैं, उन मछलियों का पता लगा कर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

माननीय सभापति महोदया , आज जो अपराध बढ़ रहे हैं, देखा जाय तो नये–नये ईजाद, नये–नये तरीके लोग लेकर आ रहे हैं। अपराधों को बढ़ने के कई कारण हैं आज हिंसा का प्रचार फिल्मों द्वारा, टी. वी. द्वारा हो रहा है और जो नैतिकता का पतन समाज में हुआ है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वह भी इसके लिये दोषी हैं । आज इस देश का भूतपूर्व प्रधान मंत्री जहां कोर्ट में सम्मन करके तलब किया जाय जालसाजी के आरोप में तो कहां नैतिकता की बात कर सकते हैं। कहां हम बात कर सकते हैं कि इस देश का आम नागरिक ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सी. बी. आई. जांच में नहीं है आपको गलतफहमी है ।

श्री सभापति : आप बिराजें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसको एक्सपंज कराईये ।

श्री सभापति : नहीं, वह ठगी के आरोप में हैं । बैठिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ठगी के आरोप में कह रहा हूं जालसाजी के आरोप में सम्मन दिया गया है ।

श्री परसादीलाल मीणा : आडवाणी जी को भी सी. बी. आई. ने चालान किया है, यह भी लिखिये इसमें। आडवाणी जी का भी तो हवाला कांड में सी. बी. आई. ने चालान किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं बोलूंगा लिख देंगे वे । आप बोले जो लिख देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : वे उलझे हुऐ हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं बोलूंगा जो लिख देंगे । जिसका हुआ, उसका हुआ । उनमें तो इतनी नैतिकता थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की और आप के नरसिंहराव जी ने ... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आसन को भी हमको देखना पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अलवर कांड की सी. बी. आई. से जांच कराओ।

श्री शिवनाथ सिंह : और एक मुलजिम को बचाया जा रहा है (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें । बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सबका चालान होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय हरिसिंह जी बिराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आज भी आडवाणीजी (व्यवधान) उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया ।

श्री परसादीलाल मीणा : आडवाणी जी और मदन लाल जी खुराना कि तो कहो । सी. बी. आई ने मुलजिम बनाकर अदालत में पेश किया है । (व्यवधान) ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोलने, दीजिये । बिराजें। (व्यवधान) बिराजें । बोलने दीजिये। आपकी तरफ से बारी आयेगी तब जबाब दे देना ।

श्री परसादी लाल मीणा : जवाब देना था, दे दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : समय की सीमा है। मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदया, कि पुलिस में कई अच्छे आदमी भी हैं। मुझे याद है, मेरे माण्डल गढ थाने में एक सिपाही अभी एक वर्ष पूर्व चोरों का पीछा कर रहा था। बाकी सिपाही पीछे रह गये। चोर दीवार कूदकर पीछे घुस गया। चोर के हाथ में फरसा था, सिपाही को ध्यान नहीं था। ज्योंही वह कोट (दिवार) के पास गया चोर ने सिपाही पर उसका वार किया और सिपाही वहीं खत्म हो गया था। पुलिस में अच्छे आदमी भी होते हैं। अच्छे आदमी की प्रशंसा करनी चाहिए। परन्तु इस तालाब के अंदर गंदी मछलिया भी हैं, जो इस तालाब को गंदा कर रही हैं। मैं मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदया, वाकया 14. 4 .94 का है ....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मिणा : कौनसी मछली है वह ?

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। 14. 4. 94 का वाकया है। कोटा के भीमगंज थाना के एस. एच. ओ. राजेन्द्र ओझा अपने साथ चार–पांच सिपाहियों और दो–चार मुलजिमान को लेकर बिजौलिया आये। और वहां से हीरालाल सेठीया, राधेश्याम स्वर्णकार और इनको बिठा कर ले गया कोटा, सिल्ली के चोरी के आरोप में। उसके साथ मुलजिम भी थे, कहा कि आपने चोरी का सोना खरीदा है। रात भर उनको यातना दी। वे कहते रहे कि हम मोतबिर आदमी हैं, गांव मे किसी से भी हमारी जांच करा लो, हमने कोई सोना इनसे खरीदा नहीं। वहां के पारस चंद जैन जो उनके मिलने वाले थे, उनको बुलाया। उनके द्वारा हां भरने पर उनको छोड़ा। राधेश्याम स्वर्णकार से साढ़े आठ तोला सोना, हीरालाल सेठीया से पांच तोला सोना और रमेश सुनार से चार तोला सोना उन्होंने लिया और उसके हां भरने के बाद उन्हें छोड़ा। मैंने उसी दिन रात को माननीय गृह मंत्री जी को टेलीफोन किया। गृह मंत्री जी ने एस. पी. से जांच कराने के आदेश दिये। एस. पी. ने उस पारस चन्द जैन के बयानों के आधार पर यह कहा कि राजेन्द्र ओझा ने कोई सोना नहीं लिया। पर माननीय सभापति महोदया, मै कुछ तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पारस चंद जैन के बयान के आधार पर एस. पी. ने यह कहा लेकिन मैं उसके द्वारा कोर्ट में दिया गया बयान सुना रहा हूं।

मैं हीरालाल जैन जिनको पहले से जानता हूं, हीरालालजी से मेरी रिश्तेदारी है। राधेश्याम सुनार को पहले से मैं नहीं जानता था। मैं उनको 14. 4. 94 की रात्रि से ही जानता हूं। दिनांक 14. 4. 94 की रात्रि को भीमगंज थाना, कोटा से मेरे घर पर टेलीफोन आया उस पर मैं थाने पर गया। मैं रात को करीब 12 बजे गया। थाने पर जाने के बाद हीरालालजी ने मुझे पुलिस वाले को पांच तोला सोना देने की बात कही और राधेश्याम जी के लिये भी हीरालालजी ने कहा कि इनकी तरफ से साढ़े आठ तोला सोना दे दो। मैं बहुत देर तक ना ना करता रहा। फिर हीरालालजी ने मुझे कहा कि आप को मेरे पर विश्वास नहीं है। इस पर मैं थानेदार राजेन्द्र कुमार ओझा को यह कहा कि मैं इन दोनों आदमियों का सोना आपको सुबह दे दूंगा। मेरे सोना देने की बात कहने पर हीरालालजी एवं राधेश्यामजी को थाने से छोड़ दिया गया। फिर मैंने दूसरे दिन यह सोना थानाधिकारी, भीमगंज मण्डी को दे दिया जो दो डलियां सोने की थीं। एक 97.600 ग्राम की एवं एक लगभग 59.330 ग्राम की, दो डलियां 15. 4. 94 को मैंने दे दीं। उक्त सोने की कीमत लगभग 73

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

हजार रुपये होती है । एक पुलिस वाले के जरिये मैने सोना अपने हाथ से थानाधिकारी राजेन्द्र कुमार ओझा भीमगंज थाना को दिया ।

माननीय सभापति महोदया, पारस चंद जैन ने कोर्ट में बयान दिये , जिसने सोना दिया जिसे थानें में बुलाया गया । मुझे अफसोस है कि आज भी वह थानाधिकारी थाने में लगा हुआ है । कई बार माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करने के बाद भी उसके खिलाफ कार्यवाही नही की गयी । सी. आई. डी. को जांच सौंपी । उस जांच के बाद भी एक साल हो गया ,उनको न्याय नही मिला और वह सोना नहीं दिया गया । माननीय सभापति महोदया , आप आश्चर्य करेंगी कि तत्कालीन माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने भी पत्र लिखा कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए परन्तु दुर्भाग्य है किं इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार की यह घटना मेरे क्षेत्र में हुई है।

माननीय सभापति महोदया,मेरे क्षेत्र के मुरलिया गांव के रहने वाले एक पटवारी श्याम सुन्दर शर्मा और 10 वर्ष का लड़का जो रूपा परौली में डयूटी पर था वहां नौकरी कर रहा था , अचानक वहां से वह अपने लड़के के साथ में गायब हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : जब श्री अटल बिहारी बाजपेयी की बात को ही नहीं मान रहे हैं तो हम जैसे की बात को कोई क्या मानेगा ? बड़े दु:ख की बात है यह तो।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : रामस्वरूपजी, जब मै आपको टोकने लग जाऊंगा तो इस विधान सभा में बोल नहीं पाओगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : रामस्वरूपजी को नहीं रोक पाओगे। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : पुराने भाई बन्धु हैं ।

श्री सभापति : शांति रखें तो समय जाया नहीं होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे क्षेत्र में श्यामसुन्दर पटवारी मुरलिया गांव के रहने वाले रूपा पारौली पर उनकी डयूटी थी, अपने दस वर्ष के लड़के के साथ गायब हो गये। पिछले दो वर्ष से उनके परिजन पुलिस में बराबर जा रहे हैं और कह रहे है कि हमें आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गयी है। उन्होंने हत्या के कई प्रूफ भी दिये है, माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन किया परन्तु अफसोस है कि आज दिन तक इसके बारे में कोई कार्यवाही नही हुई कि वह पटवारी और उसका दस वर्ष का बच्चा कहां गया ?

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में एक औरोली गांव है। तीन महीने पहले पन्द्रह लाख की चोरी हो गयी पर आज दिन तक उसका कोई सुराग नहीं लगा, पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। और तो और सभापति महोदया, मेरे स्वयं के घर में चोरी हो गयी, पुलिस कोई पता नहीं लगा पायी। इस प्रकार जो व्यवस्था है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। माननीय गृह मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि अच्छे अफसरों को प्रोत्साहन दीजिये, उनको इनाम दीजिये, उनको तरक्की दीजिये परन्तु जो पुलिस के नाम पर कलंक है, धब्बा हैं, जो पुलिस को बदनाम करते हैं ऐसे अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाहीं करें। जो इस

(155)

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

प्रकार नेग्लिजेंसी बरतते हैं, कार्यों में लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री भीमसेनजी चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदया, मैं संक्षेप में पुलिस डिमाण्ड पर सदन में कटौती प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। पिछले वर्ष बीकानेर जिले में निर्दोष लोगों के खिलाफ टाडा के असत्य केसेज के सम्बन्ध में वहां की स्थानीय जनता ने बार—बार आन्दोलन किये, प्रदर्शन किये लेकिन इस सरकार ने उन केसेज को रफा—दफा किया। उनकी वाजिब मांग थी सी. बी. आई. से जांच कराने की, उसके बारे में सरकार ने लीपापोती के अलावा कुछ कार्यवाही नहीं की। विदेशी हथियार कहां से आये, हेरोइन कहां से आयी, इस बारे में कोई जांच नहीं की गयी। माननीय सभाषति महोदया, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसकी जांच करायी जाए।

इसके अलावा अभी बीकानेर में पुलिस हिरासत में अशोक सिंह की मौत हुई। उसकी लाश को हुसनसर हैड पर नहर में डाला गया। वहां पर वायरलैस पुलिस आपरेटर कर्मचारी शंकर लाल नियुक्त था, उसने उस लाश को नहर में डालते हुए देखा, वह एक चश्मदीद गवाह था। वह अशोक सिंह जो चश्मदीद गवाह था, संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत हुई। लोगों को ऐसी आशंका है कि सबूत को मिटाने के लिये उसकी हत्या की गयी है इसलिये इसकी उच्च स्तर पर जांच की जानी चाहिये। उनके जो रिश्तेदार हैं उनको बिना सूचना दिये उस लाश को मौके से क्यों हटाया गया ? उसके रिश्तेदार यह मांग करते हैं कि इसकी जांच की जानी चहिये। उनका यह भी कहना है कि उनके विश्वासपात्र अधिकारी जो पहले बीकानेर में एडीशनल एस. पी. रहे हैं, श्री ग्वाला, और जो आजकल अलवर में पोस्टेड हैं, उनसे उस केस की जांच करवायी जाए ताकि उनको पूरा भरोसा हो सके, न्याय मिल सके। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्वाला साहब से जांच करायी जाए अथवा किसी उच्च अधिकारी से इस मामले की जांच कराकर सही स्थिति लोगों के सामने आनी चाहिये। पुलिस ने इस सम्बन्ध में एक असत्य पर्चा बनाया है कि वह पर्चा मिला है उसके पास और यह भी बताया गया है कि उसके पास मेन्ड्रेक्स की गोलियां मिलीं। ये सारी बनावटी बातें हैं, उसकी हत्या की गयी है, ऐसा लोगों को विश्वास है, इसकी जांच की जानी चाहिये।

हमारे यहां पर रेजीडेंट डाक्टर्स का एक मामला है, उनके साथ मारपीट की गयी। मारपीट के मुल्जिमों को अरेस्ट नहीं किया गया और डाक्टर्स को हड़ताल करनी पड़ी। बड़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से एक दो नामजद कल्प्रिटस को गिरफ्तार किया। राजनीतिक हस्तक्षेप से यह सारा काम किया गया है, इस बारे में मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके साथ—साथ पुलिस ओटोमोबाइल्स बीकानेर से समाप्त की जा रही है। मैं समझता हूं इससे सरकार का खर्चा बढ़ेगा क्योंकि आपको प्राइवेट एजेन्सी के माध्यम से जीपों और गाड़ियों का संधारण कराना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस पुलिस ओटोमोबाइल्स को समाप्त न करके इसको बढ़ाया जाए और सरकारी गाड़ियों की भी उसी

(श्री भीमसेन चौधरी)

पुलिस ओटोमोबाइल्स के माध्यम से मरम्मत करायी जाए तो सरकार का खर्चा बचेगा और समय पर सारी कार्यवाही हो जाएगी।

इसके अलावा, जेल के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। बीकानेर का जो जेल भवन है वह 70–80 साल पुराना है। वह जेल भवन सुरक्षित नहीं है। डी. जी. ने अभी दौरा किया था बीकानेर जेल का उन्होंने कहा है कि यह भवन सुरक्षित नहीं है इसलिये उसका नया भवन बनना चाहिये। यह जो भवन अभी बना हुआ है बड़े लम्बे–चौड़े इलाके में है, यहां पर कॉमर्शियल काम्प्लेक्स बनाया जा सकता है जिससे सरकार को आमदनी भी होगी और सुरक्षित जगह पर नयी जेल बनवायी जाएगी तो मैं समझता हूं, इससे सुविधा होगी।

इसके अलावा, सभापति महोदया, जेल के अन्दर बीकानेर में 1992 में हत्याएं हुई, झगड़ें–फसाद हुए। अभी तक उन कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होनें यह सारी कार्यवाही की है, कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बारे में मैं सरकार के जेल विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कालीचरण जी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदया, आज सदन में मांग संख्या 16 पर चर्चा हो रही है, मैं भी इस चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

सभापति महोदया, राजस्थान की कानून–व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए और उसकी तुलना की जाए देश के अन्य प्रदेशों की कानून–व्यवस्था से तो हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान की कानून–व्यवस्था अन्य प्रदेशों से चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो और चाहे मध्यप्रदेश हो ज्यादा संतोषजनक है और उससे बेहतर है।

सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान सरकार को कि 1990 से जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का वातावरण बना है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो 1990 में जहां 14 साम्प्रदायिक घटनाएं हमारे प्रदेश में हुई थीं, 1991 में चार साम्प्रदायिक घटनाएं हुई, 1992 में आठ साम्प्रदायिक घटनाएं हुई और मुझे खुशी है यह बताते हुए कि 1993–94–95 में एक भी साम्प्रदायिक घटना हमारे प्रदेश में नहीं हुई। यह किस बात का द्योतक है ? यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिरकापरस्त पार्टी है लेकिन हमने हमारे पांच साल के शासनकाल में यह सिद्ध कर दिया, राजस्थान में 1993 में एक साम्प्रदायिक घटना नहीं, 1994 में नहीं, 1995 में एक साम्प्रदायिक घटना नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव और सौहार्द को बनाने में कितनी चिन्तित है।

माननीय सभापति महोदया, इतना ही नहीं, राज्य में कई जिलों में डकैती, नकबजनी, वाहन चोरी करने वाले अन्तरराष्ट्रीय गिरोहों को, जो कई वर्षो से हमारे राज्य में सक्रिय थे, पकड़ने में भी हमारी राज्य की पुलिस सफल रही है। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 716 अवैध हथियार पकड़े और भारी मात्रा में

(श्री कालीचरण सराफ)

कारतूस बरामद किये। 667 अपराधियों को जो अवैध हथियार के कारोबार में संलग्न थे, हमने गिरफ्तार किया। 960 व्यक्तियों को भारत से पाकिस्तान जाते हुए पकड़ा गया और 91 व्यक्तियों को पाकिस्तान से भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया।

तस्करी का सामान पकड़ने में भी हमारे राज्य की पुलिस ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 87 करोड़ 96 लाख 40 हजार मूल्य की हेरोइन और 2 करोड़ 63 लाख 9 हजार रुपये मूल्य की चरस हमारी राज्य पुलिस ने पकड़ी है। 1 करोड़ 99 लाख 5 हजार रुपये मूल्य की एसिड एण्ड हाइड्राइट तस्करों से बरामद की है। माननीय सभापति महोदया, कुल मिलाकर इस वर्ष 92 करोड़ 67 लाख 22 हजार 104 रुपये की तस्करी का सामान राज्य पुलिस ने पकड़ा है जो निश्चित रूप से कीर्तिमान है।

डकैती उन्मूलन के कार्यक्रम में भी हमारी पुलिस पीछे नहीं रही। जनवरी से दिसम्बर, 1995 तक डकैतों से हमारी पुलिस की पांच मुठभेड़ें हुई। दो डकैतों को मार गिराया और 83 डकैतो को जिन्दा गिरफ्तार किया, यह भी अपने आप में एक रिकार्ड है। उनके पास से 19 हथियार और काफी मात्रा में गोला—बारूद भी हमने बरामद किया।

सभापति महोदया, जयपुर शहर में भू—माफियाओं के खिलाफ हमारी राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान चलाए। इस अभियान के अन्तर्गत भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ, उसका अवैध हस्तान्तरण करने वालों के खिलाफ और भूमि के क्रय—विक्रय में धोखा करने वाले अपराधियों एवं गिरोहों के खिलाफ हमारी पुलिस ने बहुत ही मुकम्मल कार्यवाही की जिसका यह परिणाम है कि आज जयपुर शहर में भू—माफियाओं कही गतिविधियों पर अंकुश लगा है और कई लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।

आतंकवादी गतिविधियों के मामले में भी पुलिस पीछे नहीं रही। 1995 में आपको जैसा पता है जे. के. एल. एफ. के खूंखार आतकंवादी नवनीत सिंह कांदिया को हमारी पुलिस ने सफलतापूर्वक मार गिराया। हिन्दुस्तान में यह पहला उदाहरण होगा, राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण आतंकवादियों ने किया था, एक भी पुलिस का कर्मचारी उसमें हताहत नहीं हुआ और राजेन्द्र मिर्धा को हमने सकुशल आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाया ।

श्री शिवनाथ सिंह : कितनी दफा कहोगे ?

श्री कालीचरण सराफ : जो बात कहने लायक है उसको हजार दफा कहेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : इस नाम से आपने पहले वाला बजट पास करवा लिया।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, इतना ही नहीं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आतंककारी नवतेज सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और पंजाब के खुखांर आतंकवादी गुरजंट सिंह को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की ।

चाहें साम्प्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाये रखने की बात हो , चाहे तस्करी के सामान को बरामद करने की बात हो, चाहे घुसपैठियों को पकड़ने की बात हो, चाहे

(श्री कालीचरण सराफ)

आतंककारियो को गिरफ्तार करने की बात हो, मार गिराने की बात हो, डकैती उन्मूलन की बात हो और चाहे अवैध हथियारों की बरामदगी का मामला हो, हर मामले में राजस्थान की पुलिस सफल रही है। मैं इसके लिये पुलिस की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : उन पुलिस वालों को कुछ दो भी।

श्री कालीचरण सराफ : आज जिस प्रकार की स्थिति पूरे देश की बनती जा रही है, आज जिस प्रकार पंजाब और कश्मीर में आतंककारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, देशद्रोही ताकतें जिस प्रकार से देश की एकता और अखण्डता को चुनौती दे रही हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई. एस . आई. देश के विभिन्न हिस्सों में अपने अड्डे बनाकर देश में तोड़—फोड़ और हिंसा का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है, अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है और जिस प्रकार से आतंकवादी और आई. एस. आई. के एजेण्ट आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं, इनका मुकाबला करने के लिये आवश्यक है कि हमारी पुलिस भी आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हो। राजस्थान की एक हजार चालीस किलोमीटर लम्बी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तारबंदी का काम चल रहा है परन्तु अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार से बात करके इस तारबंदी के काम को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना चाहिये जिससे निश्चित रूप से आतंककारी गतिविधियों पर, देशद्रोही गतिविधियों पर रोक लगेगी। मैं राज्य के मुख्य मंत्री श्री भैरोसिंहजी शेखावत को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि 30 साल में पहली बार पुलिस के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिये 300 करोड़ रुपये की योजना राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने बनायी। माननीय सभपति महोदया, मैं जयपुर शहर से विधायक चुन कर आया हूं। जयपुर की कानून और व्यवस्था के बारे में भी आपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया, जैसा कि आप लोगों को पता है, जयपुर शहर में लगभग 10 हजार बंगलादेशी घुसपैठिये अवैध रूप से रह रहे हैं। इन घुसपैठियों के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन घुसपैठियों के कारण देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। 10 हजार से ज्यादा बंगलादेशी जमीन खरीद कर मकान बना कर नहीं रह रहे हैं, उन्होंने जयपुर की बेशकीमती जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके वहां झौंपड़ी बना ली हैं। इतना ही नहीं इन्होंने राशनकार्ड भी बनवा लिये, वोटर लिस्ट में अपने नाम भी लिखवा लिये। जहां बंगलादेशी घुसपैठिये रहते हैं वहां रात के समय राहगीरों को लूटने का धंधा इन्होंने कर रखा है। देह व्यापार इन बस्तियों में सरेआम चल रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने प्रशंसा की मुख्य मंत्रीजी को कि राजस्थान में बढ़िया व्यवस्था है। और दीया नीचे अंधेरा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दीया तले अंधेरा होता है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, जयपुर में अजमेर पुलिया स्टेशन रोड, घाटगेट, जनता कालोनी, सीकर हाउस, दिल्ली बाई पास विद्याधर नगर, और

(श्री कालीचरण सराफ)

करबला की सरकारी जमीनों पर ये बंगलादेशी घुसपैठिये बसे हुए हैं। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जयपुर शहर की कानून—व्यवस्था बेहतर बनाने के लिये निश्चित रूप से इन बांगलादेशी घुसपैठियों के बारे में कोई निर्णय करना चाहिये और केन्द्रीय सरकार से बात करके इनको यहां से बेदखल करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदया, पिछले पांच महीनों में जयपुर शहर में हर दो—तीन दिन के बाद एक हत्या हो रही है । यह हत्या का दौर हमारे जयपुर शहर में चल रहा है। 30 मई को शास्त्रीनगर क्षेत्र में बंधा बस्ती में एक वृद्ध मकान मालिक और एक किरायेदार की हत्या कर दी गयी। 14 मई को बगरू वालों के रास्ते में रहने वाले बंगाली युवक की होटल में ले जाकर तीन युवकों ने हत्या कर दी। ब्रह्मपुरी के कागजीवाड़ा स्थित शंकर नगर में किरायेदार की लाठी और सरियों से मार कर हत्या कर दी गयी। पिछले दिनों एक युवक की बर्बरतापूर्वक हत्या करके लाश के टुकड़े —टुकड़े कर नाले में डाल दिया गया। एम. आई. रोड पर दिन दहाड़े एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गयी। शहर में इस प्रकार के जघन्यतापूर्वक हत्याकांड पहले कभी नहीं हुए। इतना ही नहीं, जयपुर शहर में पिछले पांच माह में बलात्कार के मामलों में ढाई गुना वृद्धि हुई है। पिछली बार जनवरी, 1995 से मई, 1995 तक बलात्कार की 6 घटनाएं हुई थीं, इस बार जनवरी, 1996 से मई, 1996 तक बलात्कार की 15 घटनाएं हुई। हत्याओं के मामले में भी डेढ़ गुना वृद्धि हुई है। पिछली बार जहां हत्या की 20 घटनाएं इन पांच महीनों में, इस बार 34 हत्या की घटनाएं इन पांच महीनों के दौरान हुई। इसी प्रकार लूट की पिछली बार 24 और इस बार 26 घटनाएं हुई हैं। पिछली बार डकैती की कोई घटना नहीं हुई, इस बार एक डकैती की घटना हुई। बलवों के मामले पिछली बार 583 दर्ज हुए हैं। इस बार 647 बालवों के मामले जयपुर में शहर में दर्ज हुए। जयपुर शहर के अपराधों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है बात सही है।

जयपुर की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है निश्चित रूप से अपराधों में वृद्धि होना लाजमी है। इसके साथ—साथ आज जयपुर ब्राडगेज से जुड़ गया, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत आज जयपुर शहर से जुड़ गये। आज अपराधी अपराध करके जयपुर से भाग जाता है, उसको पकड़ने में पुलिस कामयाब नहीं रहती। परंतु यह कहना कि जयपुर शहर में इसलिये अपराध बढ़ रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जयपुर शहर का क्षेत्रफल बढ़ा है, जयपुर शहर ब्राडगेज से जुड़ गया, पर्याप्त नहीं होगा। निश्चित रूप से जयपुर शहर में बिगड़ती हुई कानून—व्यवस्था के लिये राज्य सरकार को मुकम्मल कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि पिछली बार पुलिस का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिये जयपुर में उन्होनें 55 करोड़ की योजना बनायी। पिछले साल 10 करोड़ रूपये उस पर खर्च भी किये। जयपुर में जहां पहले जयपुर संभाग का डी. आई. जी. होता था, जयपुर शहर और जयपुर देहात को अलग करके एक डी. आई. जी. की नियुक्ति की। जयपुर शहर में एस. पी. के नीचे जहां पहले दो एडीशनल एस. पी. थे उसकी जगह चार एडीशनल एस. पी. किये। डिप्टीज की संख्या में भी वृद्धि की, थानों में भी हमने वृद्धि की । परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। आज हिन्दुस्तान में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या के जितने भी शहर हैं, चाहे वह कलकत्ता हो, चाहे बम्बई हो, चाहे मद्रास हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बैंगलोर हो, हर

(श्री कालीचरण सराफ)

जगह पुलिस कमिश्नर पद्धति है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जयपुर को मुकम्मल कानून–व्यवस्था के लिये, बेहतर कानून–व्यवस्था के लिये निश्चित रूप से जयपुर में भी पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू की जानी चाहिये। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी यह सुझाव दिया है केन्द्रीय सरकार को और राज्य सरकारों को, कि जहां 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या नगर की है वहां निश्चित रूप से पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू होनी चहिये। पुलिस कमिश्नर पद्धति अगर लागू हो जाएगी तो पुलिस को मैजिस्ट्रियल पावर मिल जाएंगे जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी। धारा 107, 109 और 100 के छोटे–छोटे मुकद्मे जिनका सालों तक फैसला नहीं होता, हाथों हाथ उनका फैसला हो जाएगा। जहां–जहां यह व्यवस्था लागू है...(व्यवधान)... मैं अध्ययन करके ही बोल रहा हूं, माननीय चौधरी साहब, जहां जहां यह व्यवस्था लागू है, निश्चित रूप से वहां की कानून व्यवस्था, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : दिल्ली की अच्छी है क्या ?

श्री कालीचरण सराफ : इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार देश के अन्य बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू है उसी प्रकार जयपुर में भी यह व्यवस्था लागू होनी चाहिये। जयपुर शहर की जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रही है, शहर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इसके लिये आवश्यक है कि यह व्यवस्था की जाए।

जयपुर शहर की कानून–व्यवस्था के लिये मैं और कहना चाहूंगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वी. आई. पीज. जयपुर शहर में आते रहते हैं। चाहे प्रधान मंत्रीजी आएं, चाहे राष्ट्रपतिजी आएं, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी भी दिल्ली जाते हैं और वापस आते हैं... (व्यवधान).... दिल्ली से वापस तो आते ही हैं, साहब। वी. आई. पीज. की सुरक्षा के लिये पूरे जयपुर शहर की पुलिस लगी रहती है। मिनिस्टर जयपुर में आने होते हैं, तब किसी थाने में फोन करो कि इन्चार्ज साहब कहां हैं ? कि साहब, हवाई अड्डे गये हैं। डिप्टी साहब कहां हैं ? इन्तजाम में लगे हुए हैं। एडीशनल एस. पी. साहब कहां हैं ? कि प्रधान मंत्रीजी की यात्रा की व्यवस्था में लगे हुए हैं। एस. पी. साहब कहां हैं ? कि वे भी हवाई अड्डे गये हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि जयपुर शहर चूंकि राजधानी है राजस्थान की, वी. आई. पीज आते रहते हैं, जाते रहते हैं तो इनकी व्यवस्था के लिये एक पृथक से वी. आई. पी. स्क्वाड का निर्माण किया जाना चाहिये। कोई भी वी. आई. पी. आए उसको रिसीव करने के लिये और छोड़ने कि लिये वी. आई. पी. स्क्वाड के लोग चले जाएं और बाकी थाने जो डिस्टर्ब होते हैं हर बार, वे डिस्टर्ब नहीं हों।

माननीय सभापति महोदया, जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। 1981 में जयपुर शहर में 73575 वाहन चलते थे 1991 में ये बढ़कर 3 लाख 2 सौ 82 हो गये। आज यदि ये आंकड़े देखें जाएं तो 7 लाख से ऊपर वाहन जयपुर शहर में चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 1981 में जहां 18 किलोमीटर की रेंज में जयपुर का क्षेत्रफल था, 1991 में 55 किलोमीटीर की रेंज में जयपुर का क्षेत्रफल हो गया। 1979 से लेकर पिछले साल तक कुछ वृद्धि निश्चित रूप से की गयी है परंतु

(श्री कालीचरण सराफ)

पुलिसकर्मियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। आज जयपुर शहर में यदि आप ट्रैफिक पाइंट देखें तो लगभग 90 ट्रैफिक पाइंट इस प्रकार के हैं जहां पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक पाइंट खाली पड़े हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में ट्रैफिक की मुकम्मल व्यवस्था करने के लिये पृथक से एक ट्रैफिक एस. पी. की नियुक्ति होनी चाहिये। उसके अन्डर में दो एडीशनल एस. पी; चार डी. एस. पी. और आठ इंस्पेक्टर रहें तो निश्चित रूप से यातायात की व्यवस्था में मुकम्मल सुधार हो सकता है।

इसी प्रकार राजस्थान की राजधानी होने के कारण और इतने वाहन चलने के कारण निरन्तर दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है लेकिन दुर्घटना थाना जयपुर में केवल एक यादगार में है और वहां पर एक इंस्पेक्टर बैठा रहता है। आज विद्याधर नगर में कोई दुर्घटना हो जाए और वहां पंचनामा तैयार करने के लिये जाएं तो उसमें कई घंटे लग जाते हैं। मैं गृह मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि जयपुर में चारों दिशाओं में कम से कम चार दुर्घटना थाने होने चाहिये जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के इलाज की जल्दी व्यवस्था हो सके।

माननीय सभपति महोदया, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि विदेशों में ....

श्री सभापति : अब आप कनक्लूड करें।

श्री कालीचरण सराफ : बस दो मिनट।

विदेशों में जयपुर के कई हजार जौहरी रहते हैं जो वहां व्यापार करते हैं। पिछले दो—तीन सालों में हम देखें तो जयपुर शहर के छः जौहरियों का विदेशों में अपहरण हो गया। उनमें से कई की हत्या भी कर दी गयी। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि जयपुर के मशहूर जौहरी पदमचंद काला का ब्राजील में अपहरण कर लिया गया और फिरौती के रूप में पांच लाख डालर की डिमांड की गयी। आश्चर्य की बात यह है कि जो छः अपहरण और हत्या की घटनाएं हुई उनमें से एक भी मुलजिम आज तक विदेशों में पकड़ा नहीं गया। आज जयपुर शहर से 984 करोड़ रूपये का जवाहरात और हीरे का एक्सपोर्ट होता है, और विदेशी मुद्रा हम अर्जित करते हैं। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां—जहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और अभी लेटेस्ट ब्राजील में पदमचंद काला के अपहरण की घटना हुई है, उसके बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखें और उनसे अनुरोध करें कि कड़ाई के साथ वहां पत्र लिखा जाए कि इस प्रकार के अपराधों में संलग्न लोगों को पकड़ा जाए ताकि भय और आतंक का जो वातावरण जयपुर के जौहरियों में बना हुआ है वह दूर हो सके और वे निर्बाध गति से अपना व्यापार कर सकें।

अन्त में यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कानून—व्यवस्था अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत बेहतर है। हर मोर्चे पर चाहे वह सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का मामला हो, चाहे डकैती उन्मूलन का मामला हो, चाहे तस्करी के सामान की बरामदगी का मामला हो, पुलिस ने प्रशंसनीय कार्य किया है। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया। श्री शिवनाथ सिंह जी।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, पुलिस हमारे प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज की सुरक्षा, कानून—व्यवस्था को कायम रखने के लिये पुलिस आवश्यक है। हमेशा से पुलिस किसी भी रूप में हो, रहती आयी है। राजस्थान की पुलिस यदि और कई प्रदेशों के मुकाबले श्रेष्ठ नहीं है तो निकृष्ट भी नहीं है। मैं इस बात का हामी हूं कि जब भी हम पुलिस की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो इतना संयम हमें रखना होगा कि कहीं हमारी बातचीत से पुलिस प्रशासन में डिमोरलाइजेशन नहीं आए और जनता की निगाह में हम पुलिस की एक नीची तस्वीर खीचें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब—जब मौके आये हैं उन मौकों पर हमारे प्रदेश की पुलिस ने बहुत अच्छे काम किये हैं। उनकी हम सराहना करते हैं और करनी भी चाहिये। हमारी पुलिस फोर्स में योग्य अधिकारी भी हैं, प्रशिक्षित भी हैं जो अच्छा काम कर पाते हैं।

सभापति जी, मैं इस दृष्टि से पुलिस फोर्स को दो भागों में विभक्त करता हूं। एक, बड़े अधिकारी, सी. ओ. लेवल से ऊपर, इसमें पुलिस के जिला अधीक्षक भी आ गये और उससे ऊपर के अधिकारी भी। बहुत कम ऐसे अधिकारी मिलेंगे जिन पर हम आलोचना की उंगली उठाएं। लेकिन जो नीचे का तबका है पुलिस कांस्टेबल से सी. ओ. लेवल तक का, वहां जनता को परेशानी है और आज पुलिस की आलोचना इसीलिये होती है। आम आदमी उसी स्तर से काम पड़ता है। आज पुलिस की आलोचना इसलिये होती है कि पुलिस स्टेशन में जाने वाले को राहत नहीं मिलती है और बहुत—से मामलों में तो पीड़ा मिलती है। इस बात में राजस्थान की सरकार सुधार नहीं कर पायी है। आज भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि थाने में रिपोर्ट करने कि लिये जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अभी एक माननीया सदस्य जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान में जितने अभियोगों की सूचना दी गयी उससे कहीं अधिक अभियोग है, जुर्म हैं, जो पुलिस रिकार्ड में नहीं आते हैं, उनके लिये एक व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति पुलिस थानें में रिपोर्ट करने के लिये जाए उसकी रिपोर्ट यदि नहीं लिखी जाये तो वह अपनी चिट्ठी किसी भी अधिकारी को भेज दे और वह उसकी एफ. आई. आर. मान ली जाये। यदि यह व्यवस्था हो जाती है तो पुलिस थानों में एफ. आई. आर. नहीं लिखने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।

माननीय सभापति जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई हैं तथा दूसरे प्रांतों से आने और जुर्म करके चले जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। हमारी पुलिस को उसी हिसाब से प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा। थानों में आपने जीपें दी हैं यह ठीक है लेकिन पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग आज हम नहीं दे पायें हैं, जुर्म करने की जो नयी तकनीकी बढ़ी है उसके अनुसार हम उनको प्रशिक्षित नहीं कर पाये हैं। करने की चेष्टा हो सकती है लेकिन वह भी प्रशिक्षण हमें देना चाहिये ताकि हमारी पुलिस फोर्स मुस्तैदी से इन जुर्मो का पता लगा सके, मालूम कर सके।

अभी, सभापति जी, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया कि राजस्थान में पिछले एक साल में 711 अज्ञात शव मिले जब उनकी पहचान का मामला आया, उसमें मुलजिमों को पकड़ने का मामला आया, बहुत कम प्रतिशत उसका हुआ। उसमें हमें हमारी पुलिस को बहुत प्रशिक्षित करना चाहिये और

(श्री शिवनाथ सिंह)

इस प्रकार के मामलों की जितनी जल्दी छानबीन हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिये।

माननीय सभापति जी, पुलिस फोर्स जिसका आम जनता से काम पड़ता है, उसको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह जनता के प्रति संवेदनशील हो। ऊपर के अधिकारी अच्छे हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं लेकिन जब तक नीचे की फोर्स—पुलिस कांस्टेबल, थानेदार, हैड कांस्टेबल का व्यवहार जनता के साथ में संवेदनशीलता का नहीं होगा, काम चलने वाला नहीं है और पुलिस की आलोचना होती रहेगी। आज स्थिति यही है कि थानों में उस लेवल तक लोगों की राहत नहीं मिल पाती है।

सभापति जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि पुलिस में डिमोरलाइजेशन नहीं आए, असंतोष भी नहीं हो। मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, गृह मंत्री जी मौजूद है, आर. पी. एस. से आई. पी. एस. में प्रमोशन के मामले बहुत लम्बे समय से पड़े हुए हैं। कभी अदालतों में जाते हैं, जाकर वापस आ जाते हैं। प्रायः उनकी सीनियोरिटी चेंज होती है लेकिन ये ऐसे मामले हैं जिनको सरकार को देखना चाहिये और देखकर जितनों में हम प्रमोशन कर पाएं, करना चाहिये। आज एडीशनल एस. पी. लम्बे समय से बने हुए बैठे हैं। यदि समयबद्ध तरीके से कार्यवाही होती तो न तो अदालतों में मामले जाते और न इस प्रकार का असंतोष बढ़ता। इस ओर भी सरकार घ्यान दे। माननीय मुख्य मंत्रीजी

(18.00)

इससे सम्बन्धित हैं, वे इस मामले में ध्यान दें कि इस प्रकार के जो प्रमोशन के मामले रूके हुए हैं उनमें कारगर कदम उठाये जाएं।

सभापतिजी, मैं बहुत जल्दी ही खतम करने वाला हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया हमारे आचरण के सम्बन्ध में, समाज के आचरण के सम्बन्ध में, गिरते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में और उदाहरण दिया कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्रीजी को तलब किया गया है। तलब किया गया यह बात सही है और मैं जुडीशियरी का सम्मान करता हूं, करना भी चाहिये लेकिन आज जुडीशियरी अपने कर्त्तव्य को नहीं निभा रही है और इस स्तर तक अपने आपको गिरा चुकी है कि हमें उसकी आलोचना करनी पड़ेगी। इसी उदाहरण को लेकर मैं कहता हूं कि पूर्व प्रधान मंत्रीजी को तलब किया गया। किस के बयान पर ? एक मुल्जिम के बयान पर। जिस आदमी की ग़वाही के आधार पर उनको तलब किया गया है वह मुल्जिम है। वह साफ तौर से यह कहता है कि मैंने एक लाख, दस लाख डालर अपना अनैतिक काम करवाने कि लिये रिश्वत दी है। जिनको दी है वे जुर्मी हैं या नहीं, उनके खिलाफ जुर्म साबित होता है कि नहीं होता है कि लेकिन जो व्यक्ति साफ तौर से कहता है, अदालत में गवाही देता है कि मैंने अनैतिक काम करवाने के लिये, फेदर लेने के लिये यह रिश्वत दी, मैं कहता हूं उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हैं। एक अपराधी जिसने जुर्म किया है उसके बयान पर यह तलबी हुई है, यह सोचने की बात है, अदालत को देखने का काम है। लेकिन इस प्रकार की वृत्ति जो अदालतों में बढ़ गयी है, इसकी हम कंडेम करते हैं, यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। अदालत का देखने का काम है कि वह अदालत इस मामले में क्या करती है। यह मामला जो तलबी वाला है यह कहीं भी, किसी भी अदालत में टिकने वाला नहीं है। एक मुल्जिम एक सम्भ्रांत व्यक्ति के लिये दोष देता है और उस आधार पर उसकी तलबी होती है, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता।

सभापतिजी, मैं दो शब्द जेलों के बारे में भी कहना चाहूंगा। जेलों में सुधार की प्रक्रिया हुई है लेकिन आज भी हमारा रवैया जेलों के प्रति........

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : शिवनाथ सिंहजी, थोड़ा–सा है कि जिस आदमी ने रिश्वत दी है वह तो जुल्मी है लेकिन लेने वाला भी है यह तो आप मानते हो ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : इतनी देर बाद कैसे याद आयी ?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं यही कह रहा हूं कि लेने वाला दोषी है, वह साबित तब होगा जब उसका लेना साबित होगा। देने वाला तो जुर्म करता है, अदालत में बयान देता है कि मैंने रिश्वत दी है इसलिये वह तो सबसे पहले दोषी है। उसके बयान पर ऐसा होता है तो यह उचित नहीं है। माननीय, सब्जैक्ट से उन्होनें थोड़ा डीरेल कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप डीरेल होते ही नहीं हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी मेहरबानी है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आप कोशिश करते नहीं हैं। आप अच्छी तरह से कोशिश करते नहीं है इनको डीरेल करने की।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, हमने जेलों को आज दण्ड देने के स्थान की एक मान्यता बना रखी है। दण्ड मिलता है, जेल का भय भी होता है लेकिन आज परिवर्तित समय में हमको जेलों को सुधार गृह के रूप में काम में लेना चाहिये। आज आये दिन इस प्रकार का ज़िक्र हमारे सामने आता है कि जेलों के अन्दर महिलाओं के साथ में अत्याचार किया गया, जेलों के अन्दर जो रहने वाले हैं उनको पीटा गया मारा गया । इस प्रकार कि जो घटनाएं होती हैं वे इस समाज के लिए मौजूं नहीं हैं। इस समाज में सुधार लाने कि आवश्यकता है, जेलों को भी हम सुधार गृह के रूप में बनायें, इस प्रकार के प्रयत्न होने चाहिये ।

सभापतिजी, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले कहा कि आज भू माफिया पर नियंत्रण हुआ है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। आज इस प्रकार कि वारदातें सुनने को बहुत कम मिलती हैं और मैं कहूं नहीं भी मिलती तो भी ठीक है। लेकिन शराब का माफिया भयंकर रूप से समाज तंग कर रहा है। आज शराब के ठेके दिये जाते हैं, निश्चित दुकानें उनको दी जाती हैं लेकिन उसके बाद अनधिकृत रूप से दुकानें चलती हैं। वे 5–5, 7–7 गुण्डों को साथ लेकर जीपों में घूमते हैं, गांवों में आतंक फैल रहा है और आपकी पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। वे यह कहकर टाल देते हैं कि आबकारी विभाग का मामला है। आबकारी विभाग का काम दुकान देने का है। अनधिकृत दुकानों को नियंत्रित किया जाए लेकिन इतने बड़े रूप में जो आज हो रही है उसको आबकारी विभाग रोक नहीं सकता । जिले के आबकारी विभाग के पास एक या दो जीप होती हैं उससे उनको नियंत्रित नहीं कर सकते । यह सब हो रहा है नीचे के स्तर के पुलिस अधिकारियों के मिली भगत से। चाहे थाने दार हो, हैड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हो उनकी देखरेख में उनके संरक्षण में इस प्रकार कि कार्यवाहियां हो रही हैं । माननीय गृह मंत्रीजी, चाहे आपको कोई अलग सेल बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े लेकिन इस शराब के माफिये पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा । इस सदन में पिछले दो ढाई साल से लागातार इस बात कि मांग हो रही है कि इस पर नियंत्रण किया जाए। माननीय आबकारी मंत्रीजी ने कहा कि हम इस पर

(श्री शिवनाथ सिंह)

नियंत्रण करना चाहते हैं । ठीक है , आपने जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट , आई. पी. एस., के.एस.पी. और सम्बधित एम. एल. ए. की एक कमेटी बनायी हैं । बार बार मांग की जा रही है कि जो अनधिकृत दुकानें चल रही हैं उन पर नियंत्रण करने के लिये इस कमेटी को अधिकार दिये जाएं लेकिन माननीय आबकारी मंत्रीजी कभी देते नहीं हैं क्योंकि उस पर कमेटी का नियंत्रण हो जायेगा तो जो नीचे से ऊपर तक स्त्रोत चलता है उस स्त्रोत में कमी आजाएगी । माननीय सभापतिजी, मैं यह बात भी स्वीकार करता हूं कि आज के जमाने में राजस्थान शराब बंदी नही कर सकता, उसकी आर्थिक स्थित ऐसी नही है लेकिन इस प्रकार के काम को नियंत्रित तो कर सकता है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप इस काम को देखिये और पुलिस को इस प्रकार की हिदायत दीजिये ताकि वे इस काम पर नियंत्रण कर सकें।

आखिर में, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ जिलों में गृह मंत्री आप नहीं हैं दूसरे कई गृहमंत्री हैं, इसको रोकिये। उन गृह मंत्रियों के आदेश चलते हैं आपके आदेश नही चलते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यह बात हो रही है । उनके आदेश नीचे के अधिकारियों तक जाते हैं तो वे अधिकारी स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाते हैं। किसी का तबादला होता है, किसी केस की इंन्वेस्टीगेशन होती है तो टेलीफोन जाता है, अप्रोच होती है उस आधार पर सब कार्यवाही होती है। नीचे के अधिकारी भी दुःखी हैं। इसलिये इन दूसरे होम मिनिस्टर को रोकिये और आप अपने अधिकार क्षेत्र को काम में लीजिये ।

श्री सभापति : श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): सभापति महोदया, सदन में आज पुलिस पर चर्चा है। जब से सदन में पुलिस पर चर्चा होती आयी है निश्चित रूप से कुछ बिन्दु झलकते रहे हैं कि राजस्थान कि पुलिस भ्रष्ट है, गुण्डागर्दी होती है , चोरियां हो रही हैं, डकैती बढ़ रही है और ऐसा महसूस किया जाता है कि राजस्थान में पुलिस की स्थिति बहुत बुरी है। निश्चित रूप से एक वातावरण है इसको इनकार नहीं किया जा सकता। किन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात रखी, मैं भी इस बात से पूर्ण से कंविंस्ड होकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कि पुलिस भ्रष्ट है । दूसरे प्रदेशो में झांकने का अवसर नहीं मिला तो राजस्थान की पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट नजर आती है । जब दूसरे प्रदेशों से कम्पेयर करने कि स्थिति आती है या दुसरे प्रदेशों में जाकर वहां की स्थिति को हम देखते हैं तब अहसास होता है कि वहां से बहुत कुछ फिर भी ठीक है। मैं कुछ अलग हटकर बात करना चाहता हूं ।

कुछ माननीय विधायकों ने कहा, थानों में स्टेशनरी की चर्चा की गयी, बैठने के लिये कुर्सी टेबल नहीं, फर्नीचर की चर्चा की गयी और हवालात के मुल्जिम को डेढ़ रुपये डाइट की चर्चा भी माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर हुई। जिस जमानें में डेढ़ रुपये के चने से आदमी का पेट नहीं भर सकता तो उसकी डाइट पर खर्चा एस.एच.ओ कहां से करेगा,यह आप सोचिये । लावारिश लाश जलाने के लिये एस. एच. को ग्रामीण क्षेत्र में 266 रुपये और शहरी क्षेत्र में 500 रूपये दिये जाते हैं। लाश को उठाकर ,पोस्टमार्टम कराकर जलाने के लिये आपने 266 रुपये की राशि रखी है, उस

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

लाश को कफन एस.एच्च ओ. अपने घर से तो, ओढ़ाने वाला नहीं है । कहां से वह लायेगा, इसकी आप कल्पना कीजीए । टोपी ही धरेगा। शहर में मरने वाले पर आप 500 रुपये खर्च कर सकते हैं लेकिन गांव में मरने वालों पर आप 266 रुपये खर्च करते हैं। आपने कैसा मुल्यांकन किया, इसका फैसला तो आप करें। माननीय सभापति महोदया, बैरक थाने कि रिपेयर कि स्थिति यह है कि मेरे यहां बनवाने के लिये एक सेठजी फंस गये । थानेदार जी ने कहा कि बैरक बनवाओ तो रिर्पोट दर्ज करुं क्योंकि पी. डब्ल्यू. डी उसकी कीमत का एक प्रतिशत सालाना खर्च करने को तैयार है । अगर पानी चुता है तो गांव के किसी बजरी डालने वाले ट्रक को पकड़ा जायेगा और उससे बजरी डलवायी जायेगी । यह व्यवस्था आपने समाज को दी है ।

मेरे बड़े भाई हरिसिंहजी ने अभी कांस्टेबलों की तनख्वाहों का जिक्र किया। जो कांस्टेबल ठंडी रात में सिकुड़ता हुआ मंत्रीजी के घर के सामने रात भर खड़ा रहकर चौकीदारी करता है उसको आप क्या देते हो, कभी आपने उसके बारे में विचार किया ? कर्मचारियों की आप ड्यूटी लगाते है। एक महिला पुलिस कर्मचारी रो रही थी और मुझे कह रही थी कि रात को एक बजे ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मुझे बस का पास भी नहीं मिलता जबकी कुछ प्रदेशों जैसे हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल में पुलिस कर्मचारियों को बस का पास मिलता है सिटी बस में जिसमें 50 प्रतिशत सरकार देती है और पचास प्रतिशत कर्मचारी भुगतता है। क्या आपने सुविधाएं देने की कोशिश की ?

आप तीन साल में दो वर्दियां देते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी को टेरीकोट की वर्दी मिलती है लेकिन 24 घंटे आपकी हिफाजत करनें वाले कानून के प्रहरी को आप दो सूती वर्दियां देकर निपटा देना चाहते हैं । फिर आप कल्पना करतें है कि थाने का कोई कांस्टेबल कहीं जमानत का वांरट लेकर जाये तो सौ रुपये लेकर नहीं आए। क्या आप उसको किराया देते हैं जाने का ? इस विडम्बना पर आपको विचार करना पड़ेगा। आपको ताज्जुब होगा कि बाहर के किसी कर्मचारी को ड्यूटी पर बुलाते हैं तो उसको 38 रुपये रोज देते हैं लेकिन वह कहां ठहरेगा, क्या खाएगा, कौनसे साधन से जाएगा इस बारे में आज तक ऊपर से नीचे तक किसी को विचार नहीं हुआ।

कांस्टेबल और कांस्टेबल में फर्क है । जयपुर की पुलिस लाइन में ट्रैफिक पुलिस का अलग मैस चलता है। उसको वहां जो रोटी मिलती है उसको खाने की उसकी इच्छा नहीं होती । ए. पी. का तो खायेगा छोड़ नही सकता क्योंकि जेब अलाऊ नहीं करती लेकिन कांस्टेबल जो ट्रैफिक में है उसने विचार किया कि रोटी मुझे ढंग की मिल जाय पुलिस को अलग से मैस चलाने के लिये मजबूर होना पड़ा। यह व्यवस्था क्या है ?

राशन की सामाग्री आती है D.S.O. के यहां से बण्डल की बण्डल एक साथ। कहां जाता है ? क्या इंडिविजुअल राशनकार्ड बनाया है ? क्या कांस्टेबल को इंडिविजुअल आपने इश्यू किया है ? चीनी आएगी, मिट्टी का तेल आएगा। सभापति महोदया, चीनी की बोरियां की बोरियां हर महीने आती हैं, अफसरों के घर में जाती हैं और कांस्टेबल के नाम लिखी जाती हैं। जब कांस्टेबल इस व्यवस्था को देखता है तो क्या आप ईमानदारी की कल्पना करेंगें।

सभापति महोदया, ट्रैफिक के कांस्टेबल एक दिन मुझे मिले। उससे ईमानदारी की कल्पना करतें है कि वह रिक्श्से वाले से दो रुपये

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

न ले। एम. ए., एम. एस. सी., एम. एड., बी.एड. किया हुआ व्यक्ति ट्रैफिक पर व्हिसल लेकर खड़ा है, जब वह शाम में जाता है तो यादगार में उससे वसूली होती है और कौन से पाइंट पर कल खड़ा होना है इस बात का सौदा होता है। उसकी यह तो हिम्मत नहीं है कि माननीय सदस्यों से लूट ले लेकिन रिक्शेवालों को तो लूटे बिना नहीं रह सकता। यह आपकी व्यवस्था का दोष है।

अभी जिक्र हुआ कि जब आपका एस. एच. ओ. किसी मुकदमें में चालान करवाने के लिये ए. पी. पी. के पास जाता है तो उसको सौ रुपये देने ही पड़ेंगे। डी. वाई. एस. पी. के सी. ओ. के पास से परमीशन लेगा तो 30 रुपये परे फाइल देना ही पड़ेगा। यही व्यवस्था है। वह कहां से लाएगा ? उसकी व्यथा को कौन सुनेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ए. पी. पीज के यहां स्ट्रिक्चर्स पास हुए, और उनके खिलाफ आपने कार्यवाही की ? किसकी जिम्मेदारी है ? पुलिस की कितनी फाइलें ए. पी. पीज के पास जाती हैं, कितनों के रसीद आपने ली और कितनों का रिकार्ड आपके पास है ? इस व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा आपको।

अभी वी. आई. पी. ड्यूटी का जिक्र आया। सभापति महोदया, मैं मांग करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक अलग फोर्स होनी चाहिये। सिविल लाइन पर जब प्रदर्शन होता है तो मुख्य मंत्री निवास के बाहर मुख्य मंत्री की नौकर पुलिस डंडे बरसाती है क्योंकि उसका वह मालिक है। यदि राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में अलग से पुलिस होगी तो मुख्यमंत्रीजी के बचाव में लाठीचार्ज नहीं होगा। वी. आई. पी. ड्यूटी का जिक्र श्री कालीचरण जी ने किया जिस दिन वी. आई. पी. ड्यूटी होती है उस दिन शहर में हड़कम्प मच जाता है। उसके लिये अलग से व्यवस्था करने कि आवश्कता होती है।

(समय —समाप्ति —सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैं बैठ जाऊं ?

श्री समापति : मुझे चेतावनी देने की आवश्यकता है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मै काली चरणजी के समय को देखकर उतना ही बोलूंगा ज्यादा नहीं। हिन्दुस्तान की ऐसी कोई फौज नहीं है जिसमें प्रति दिन तीन व्यक्ति मरतें हो लेकिन हिन्दुस्तान की बेचारी पुलिस में रोजाना तीन कर्मचारी मरते हैं। उनके परिवार का क्या हाल है ? मरे हुए कर्मचारी के बेटे को नौकरी देने का कानून तो आपने बना दिया लेकिन जब तक उसका बेटा बड़ा नहीं होता और उसकी बेटी की शादी पहले आ जाये तो कौन देखभाल करता है ? ऐसे कई प्रश्न अनुत्तरित हैं जिनका जवाब इस सदन को खोजना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पर चर्चा करने से पहले हमको विचार करना पड़ेगा कि उसकी मजबूरियों पर आपने ध्यान दिया है या नहीं।

कानून व्यवस्था की बात हुई। सत्ता पक्ष सदस्यों ने कहा कि कानून—व्यवस्था सुधरी है, डकैतियां पकड़ी हैं, लूटों पर रोक लगी हैं, चोरियां पकड़ी हैं पर ऐसा लग रहा था जैसे गला घुट रहा हो और वे मजबूरी में बोल रहे हों। पापी पेट का सवाल है, सी. आर. दिख रही है लेकिन हकीकत जुबान पर आये बिना नहीं रह सकती। कालीचरणजी, कानून—व्यवस्था अगर अच्छी थी तो चेतावनी के बावजूद भी जयपुर में सवाई मानसिंह

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

स्टेडियम में बम कांड क्यों हुआ ? कानून व्यवस्था अच्छी थी तो क्यों दो–तीन दिन पहले गृहमंत्रीजी से लड़ रहे थे कि जयपुर का सत्यानाश कर दिया ? जब आप जयपुर की कानून–व्यवस्था को ठीक नहीं मानते तो वाहवाही और तारीफ की बात क्यों हो रही है ?

आपने सीमा पर पकड़े गये लोगों का जिक्र किया। गृहमंत्रीजी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जो अमेरिकन जैसलमेर के बार्डर पर पकड़े गये थे उनको गिरफ्तार करने के बाद भी वे अमेरिका कैसे चले गये ? आप कहते हैं कानून व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, फिर भी गिरफ्तारी के बाद चले गये ? जयपुर में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए इसके लिये, कालीचरण जी, आप बधाई के पात्र हैं और राजस्थान में नहीं हुए उसके लिये भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद की पात्र है। क्योंकि जो लोग ब्लैक मार्केटिंग में लग गये, पुलिस की दलाली में लग गये मंत्रियों के यहां चक्कर लगाने लग गये उनको सांम्प्रदायिक दंगों की आवश्यकता राज के लिये अब नहीं रही, वे लोग धंधे में लगे हुए हैं।

बहुत शाबाशी दी गयी कि जयपुर में भू माफिया पकड़े गये। हमें पता है कि किन किन को पकड़ा गया। चंदू लोहेवाला और धर्म चंद क्यों पकड़े गये, हमको पता है। हजारो लोगों के प्लाट आप आज भी नहीं दिला पाये, वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने ऐसे ए. डी. एम. को जयपुर में ....

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : आपने क्यों नहीं पकड़े, आप यह बता दें। आप अपने राज में एक को तो पकड़ते, हमने तो, खूब पकड़े हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : पैदा ही आपके कार्यकाल में हुए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पैदा आपके राज में हुए थे, कालीचरणजी।

श्री कालीचरण सराफ : वे भू–माफिया आपके कार्यकाल में पैदा हुए थे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : हमने जो गलती की उसको आप सुधारिये, आप पकड़िये लेकिन जब हमारा राज आएगा तो, कालीचरणजी, वे भू–माफिया भी पकड़े जाएंगे जो आपके संरक्षण में पैदा हो रहे हैं। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के...(व्यवधान) सामने आएंगे तब पता लगेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ...(व्यवधान) एक–एक करोड़ के चैक लिये हैं, आपके नेताओं ने, पकड़ते कैसे ? फालतू की बात करते हैं।...(व्यवधान)....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह बीच में व्यवधान हो रहा है। फिर आप मुझे बैठने की चेतावनी देंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ....महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप भी कन्क्लूड करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आतंकवाद की गतिविधियों के अंदर पुलिस पीछे नहीं रही, इसमें दो राय नहीं। राजेंद्र मिर्धा का नाम बार बार लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ यह भी मत भूलिये कि अगर उनको पता होता कि कांदिया था तो कोई पुलिस नजर नहीं आती। मरने के बाद अपने सर्विस रिवाल्वर से, पिस्तौल से कारतूस के खोखे खाली करके शाबाशी लेने की कोशिश भी आपके जयपुर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

पुलिस के अफसरों ने ही की थी, जो आज तक अटके हुए हैं। क्या हुआ उस इन्क्वायरी का ? क्योंकि जयपुर की कानून—व्यवस्था अच्छी है, जयपुर में एक बच्ची गायब हुई, निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी को भी दर्द हुआ और बड़े जोरशोर से तलाश हुई। लेकिन कितने बच्चे गायब हुए, कितने बच्चे पकड़े गये, कितने बच्चे बरामद किये गये, ये अनुत्तरित प्रश्न हैं।

आज जो स्थितियां चल रही हैं, लोग हवाला की चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से हवाला में कोई भी फंसता है तो वह दोषी है चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल का बड़े से बड़ा नेता क्यों न हो। लेकिन उस हवाला से बड़े हवाले अश्विनी भारद्वाज की डायरी चित्तौड़ में पकड़ी गयी, उस जैन हवाला काण्ड से बड़ी हवाला की डायरी पकड़ी गयी जिसको ऊपर की ऊपर अफसर लोग गोलमाल कर गये। उस डायरी को प्रकाशित कर दीजिये यदि आपके मन में ईमानदारी है तो, कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। लेकिन नहीं कर पाएंगे। राज गहरा है।

(18.23)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, जब ये चोरी की बात करते हैं तो एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र का। एक साल पहले एक स्कूटर चोर और उसके गिरोह की जानकारी मैंने पुलिस को दी थी। पुलिस ने स्कूटर चोर के घर से छापा मारकर स्कूटर के बरामद किया। बरामद करने के बाद एक साल हो गया, राजस्थान में कान्सटेबल से लेकर डी. जी. तक मैंने कोई अधिकारी नहीं छोड़ा कि जिसको मैंने यह जानकारी नहीं दी हो। पुलिस कहती है कि स्कूटर तो बरामद हुआ है चोरी का लेकिन मालिक का पता नहीं है। मैंने कहा कि जिसके घर से बरामद किया उसको पूछो। पुलिस कहती है कि पूना में जहां से स्कूटर बनकर आया है और जिस कम्पनी को बिका है उसके यहां जाएंगे। कम्पनी ने जिस व्यक्ति को बेचा है उसके यहां जाएंगे और उस व्यक्ति ने कहां रजिस्टर कराया है उस आर. टी. ओ. के दफ्तर से पता लगाएंगे। एक साल से बरामद किया हुआ स्कूटर थाने में पड़ा है। मैंने पूछा, गृह मंत्री जी, कि बरामद कहां से हुआ ? कहा कि एक व्यक्ति की छान के पीछे से हुआ। मैंने दूबारा एस. पी. को शिकायत की डी. एस. पी. ने इन्क्वायरी की। डी. आई. जी के पास रिपार्ट है। पता लगा कि छान के नीचे से बरामद हुआ है लेकिन मुलजिम को पकड़ने को पुलिस तैयार नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है।

एक चीनी का काण्ड हुआ था। सूरत से लायी हुई व्यापारी की चीनी श्री माधोपुर के लोसल में जाकर बिकी। गृह मंत्री जी ने घोषणा की कि मैं सब—इन्सपेक्टर को सस्पैण्ड करता हूं। ताली बजवायी। मैं पुलिस के अधिकारियों से मिला। सब—इन्सपेक्टर के खिलाफ एफ. आई. आर. भी दर्ज हुई लेकिन 6 महीने बीत गये उस एफ. आई. आर. में आज तक चालान नहीं हुआ। क्यों ? क्योंकि एक ए. डी. पी. की राय यह है कि इसमें एक डी. एस. पी. भी जिम्मेदार है। उस डी. एस. पी. को बचाने के लिये नीचे से ऊपर तक महकमा लगा पड़ा है। आपका कर्मचारी जिसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हुई, वह 6 महीने से गायब है, फरार है उसको आप पकड़ नहीं पाये। इन परिस्थितियों में कानून—व्यवस्था निश्चित रूप से सुंदर और

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

उत्तम है, अध्यक्ष महोदय। उस कानून व्यवस्था को उत्तम से हम और उत्तम मानेंगे अगर इसी प्रकार चलती रही तो। आपको विचार करने की आवश्यकता है।

पुलिस के साथ एक एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट भी था। कांग्रेस के जमाने में वह एन्टी करप्शन था, आपके राज में जब करप्शन की बात आयी तो आपने कहा कि एन्टी करप्शन कैसे रखें, हम तो ऊपर से नीचे तक डूबे पड़े हैं, आपने उसको अन्वेषण ब्यूरो कर दिया। यदि आपके मन में करप्शन को मिटानें की ईमानदारी है तो घोषणा कीजिये, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी, कि एन्टी करप्शन में जो लोग ट्रैप होंगे और जिनके खिलाफ इन्क्वायरी होगी उसके चालान की परमीशन डी. ओ. पी. से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका डी. जी. कहता है कि चालान होना चाहिये लेकिन डी. ओ. पी. से बिना परमीशन के नहीं होगा। क्यों डी. ओ. पी. का इसमें क्या वास्ता है ? यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो घोषणा कीजिये आज। यदि डी. जी. ने फैसला किया है कि चालान होगा तो डी. ओ. पी. की पंचायती नहीं होगी। कितने केसेस जाकर डी. ओ. पी. में अटक जाते हैं ? उसका कारण है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नियमों की जानकारी है कि किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगाने से पहले उसको मुझे चेतावनी देनी चाहिये, लेकिन एक मंत्री की बीवी के खिलाफ यह एस्टैब्लिश हो गया, एंटी करप्शन ने जांच करके उसको भ्रष्टाचार में लिप्त पाया, डी. एस. पी. ने इन्क्वायरी करके कह दिया कि इसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज होनी चाहिये। फिर एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं कराते ? आप तो ईमानदारी से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब तो समाप्त करो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको बुरा लगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मुझे बुरा नहीं लगा, बहुत समय हो गया है। अब विराजें आप।

श्री भीमराज मीटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला हनुमानगढ़ में नोहर के पास एक खोला गांव है, खोला गांव में नोहर में जो जोगियासर का डेरा है वहां के महंत श्री पंचमनाथ जी और उनके दो साथी श्री बनवारी और जगदीश, चारों मोटर सइकिल पर आ रहे थे। उनके ऊपर एक आदमी ने जीप चलायी, जीप चलाकर चारों को घायल किया। महंत पंचमनाथजी तो सीरियस हालत में लुधियाना में भर्ती हैं और उनके दो साथी जो मोटर साइकिल पर थे जगदीश और बनवारी, मोटर साइकिल के उपर जीप चढ़ाकर उनको नीचे गिराकर गंडासों से काट दिया गया। उन दोनों आदमियों की तो हत्या हो गयी है। हत्या करने वाला आदमी नोहर का हिस्ट्रीशीटर था और सिरसा में भी वह हिस्ट्रीशीटर है, वह वहां से फरार हो गया। नोहर के लोग बाहर हैं। आज संयोग से पुलिस की यह डिमाण्ड चल रही है, सारे आफिसर्स और सारे बड़े लोग अंदर हैं, वे किसी को मिल नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी मार्फत माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है। पंचमनाथ जी की बड़ी अच्छी श्रद्धा है, तुरंत कोई निष्पक्ष कार्यवाही करें। जो संकरिया गोदारा है वह गलत ढंग से कार्यवाही कर रहा है, उसको आप थोड़ा देखें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं। मेरी बात समाप्त कर दी मैंने। चौथाई सेकण्ड की बात है। इन हालत में एहसास यह होता है कि दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, सदन में मांग संख्या 16 ओर 17 पर चर्चा हो रही है। पुलिस विभाग का जहां तक सवाल है मैं यह मानता हूं कि अच्छे घरानों के बच्चे, नौजवान भर्ती होकर आते हैं लेकिन जैसे ही वे पुलिस ट्रैनिंग पा लेते हैं या एकआध वर्ष की नौकरी कर लेते हैं उनमें अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाती है। ये विकृतियां हैं मैं उन्हें आपराधिक वृति तो नहीं कहूंगा। इसके पीछे क्या कारण है ? क्या कोई पुलिस का वातावरण ही ऐसा है या उनके उच्च अधिकारियों को आचरण ऐसा है कि जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों में ऐसी भावनाएं पनपती हैं और वे नाना प्रकार के कारनामे करके पुरे पुलिस तंत्र को बदनाम करते हैं ? मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी कुछ ऐसा अध्ययन कराएं कि आखिर पुलिस विभाग मे ऐसी प्रवृति किस वजह से विकसित हो रही है।

दूसरे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज का एक बहुत जिम्मेदार तबका पुलिस है। शासन की छवि पुलिस तंत्र से दिग्दर्शित होती है। समय समय पर पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि उच्च स्तर के अधिकारियों को भी इस तरह का नैतिक शिक्षण दिया जाना चाहिये जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में पुलिस की जो हालत है वह मैंने माननीय गृह मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को करीब 50 अखबारों की कटिंग लगाकर के एक फारवार्डिंग पत्र के साथ सुपुर्द की है। मैं अपेक्षा करता हूं, अगर उन कटिंग्स को माननीय गृह मंत्रीजी देख लेते या मुख्य मंत्रीजी देख लेते तो उन्हें उदयपुर जिले में पुलिस की स्थिति का आभास हो जाता। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। मैंने हमारे जिले के अधिकारियों को वहां के थानेदारो और पुलिसकर्मियों की स्थिति प्रूफ के साथ दी परंतु अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी से भी उनके उदयपुर प्रवास के दौरान निवेदन किया था। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा क्षेत्र जो गरीब आदिवासी लोगों का क्षेत्र है, उसके साथ इस तरह का बर्ताव वहां की पुलिस कर रही है वह समझने की जरुरत है।

ऐसा नियम बना हुआ है कि पुलिस में किसी व्यक्ति को जांच कि लिये बुलाया जाए और वास्तव में यह फाइंडिंग्स आए कि उसमें कुछ अपराधीपन है तो 24 घंटे के अन्दर कोर्ट में पेश करना होता है। परन्तु ऐसे भी मामाले हैं कि 12 से 15 दिन तक थाने में बिठाकर रखते हैं पुलिस वाले। और वे उनके साथ जो बर्ताव करते हैं उसकी हालत तो यहां बयान के काबिल नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र गुजरात राज्य की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। वहां के पुलिस थानों में वाहनों का अभाव है। मैं अपेक्षा करूंगा कि वाहनों में अभिवृद्धि की जाए, वहां थानों में वाहन अलाट किये जाएं। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, कई वर्ग किलोमीटर में थाना बसा हुआ है, पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों की कमी है। उन पुलिसकर्मियों की बढ़ोतरी नहीं की जाती है जिसकी वजह से स्थिति यह आती है कि कई बार थाने में मात्र एक सिपाही होता है। उसकी हालत यह है कि उसको 12–12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। मैं चाहूंगा कि पूलिस की नफरी में बढ़ोतरी हो। वहां वाहन या अन्य साधन मुहैया नहीं कराये जा सकें तो जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा था, कम से कम मोटर साइकल की व्यवस्था तो की जाए ताकि वे जाकर अपनी इन्क्वायरी कर सकें।

(श्री महावीर भगोरा)

इसी तरह से पुलिस के अधिकारियों और पुलिस के नीचे के कांस्टेबल हैं, उनके आपस के सम्बन्धों की बात है। किस तरह से अधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ व्यवहार करते हैं, एक उदाहरण मैं उदयपुर का देना चाहूंगा। रात्रि गश्त के दौरान एक डीवाई एस.पी. ने जो स्वयं नशे में धुत था, एक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की। पुलिस प्रशासन ने उस डीवाई. एस. पी. के विरूद्ध तो कोई कार्यवाही नहीं की परन्तु उस पुलिसकर्मी को जरूर सस्पैंड कर दिया। उसका मेडिकल नहीं होने दिया और उसका हैडक्वार्टर डेढ़ सौ किलोमीटर दूर कर दिया। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे और उस डी. वाई. एस. पी. के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो स्वयं ड्यूटी पर नशे में धुत था। इस तरह की वारदातें अगर पुलिसकर्मियों के साथ होती रहेंगी तो निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों में असंतोष फैलेगा।

दूसरी बात, जो अभी चर्चा में आयी थी, बोर्डर के जितने थाने हैं उन थानों में स्वयं पुलिस के लोग ही नानाप्रकार की तस्करी के काम करते हैं। उनको भी चैक करने की आवश्यकता हैं। हम आशा करेंगे कि आपकी ऐसी कोई टीम वहां आप विकसित करें जो इन सभी चीजों से ऊपर उठकर कार्य करे। हालांकि आपने ऐसे प्रावधान कर रखें हैं परन्तु पुलिस वाला पुलिस वाले कि विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि पुलिस की जीप ने स्वयं जिसमें थानेदार जी बैठे हुए थे, एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी से लौट रहा था उसका एक्सीडेंट कर दिया। मैंने यह बात हमारे एस. पी. साहब को बतायी तो एस. पी. साहब ने पुलिस के जो थानेदार हैं, सिपाही हैं उनकी पैरवी की। वे उस आदमी को जिसका एक्सीडेंट हुआ था, अनजान बताकर अस्पताल में छोड़कर चले गये और परिवार को इत्तिला नहीं दी। इत्तिला नहीं देने से वह कर्मचारी जो अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था, मुखिया था, एकमात्र कमाऊ बेटा था, वह मर गया। जिस गाड़ी से, मोटर साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी की डिक्की में उसका आइडेंटिटी कार्ड था, उसकी बैंक की पास—बुक थी और अन्य तरह के उसके सारे एड्रेसेज थे। पुलिस स्वयं जब इन्क्वायरी करती है तो हर चीज की जांच करती है। गाड़ी में सामान उपलब्ध होते हुए भी, चूंकि गलती पुलिस से हुई थी, पुलिस की गाड़ी से हुई थी इसलिये उन्होनें उसकी इन्फार्मेशन नहीं दी और वह बच्चा मर गया कि गवाही दे दे। उसकी इन्क्वायरी के लिये मैंने हर स्तर पर कागजात प्रस्तुत किये हैं पर मुझे दुःख है कि आज तक उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई। उदयपुर जिले की ऐसी अनेकों घटनाओं के बारे में मैं निरन्तर गृह मंत्री जी को निवेदन करता आ रहा हूं। वास्तव में आप शासन तंत्र की छवि आम आदमी में सुधारना चाहते हैं तो मेहरबानी करके पुलिस प्रशासन पर अपना अंकुश बढ़ाइये और ऐसी व्यवस्था करिये कि पुलिस जो रक्षक है वह भक्षक नहीं बन जाए।

पुलिस विभाग के बारे में मेरे क्षेत्र के बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है। वहां पूर्व में कुछ चौकियां स्थापित थीं जैसे सिवड़िया, दो तहसीलों के मध्य का भाग है। एक तहसील वाला चोरी करके दूसरी में चला जाता है किन्तु उस क्षेत्र में कोई चौकी नहीं होने के अभाव में उनको पकड़ नहीं पाते हैं। स्थिति यह हो रही है कि सरकारी कर्मचारी भी लुट जाते हैं, क्योंकि जरुरतमंद आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह कोई न कोई वारदात करता ही रहता है।

(श्री महावीर भगोरा)

इसी तरीके से मेरे यहां धवल में चौकी है नाम मात्र की, वहां एक भी पुलिसकर्मी नहीं रहता है। करजा में जो बोर्डर का क्षेत्र है, सायरा पुलिस थाना है, उसकी सीमा करजा से कुम्भलगढ़ तक फैली हुई है। उस सीमा तक जाने के लिये सीधा कोई मार्ग नहीं है। पुलिसकर्मी अगर वहां इन्क्वायरी के लिए जाए या तामील कराने कि लिये जाए तो 100 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। वहां अगर मोटर साइकिल की व्यवस्था हो जाए तो वह सीधे पगडण्डी के रास्ते से भी वहां पहुंच करके अपनी कार्यवाही कर सकता है।

पुलिस विभाग कि बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिले में आपने सब डिवीजनल हैडक्वार्टर पर कोई नया थाना खोला है, कोई नया हैडक्वार्टर खोला है, चाहे डीवाई एस. पी. का हो खोला है। उदपुर जिला 10 तहसीलों का क्षेत्रफल लिये हुए है, 21 लाख की आबादी है, क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि वर्तमान में जो पुलिस की व्यवस्था है उससे कानून और व्यवस्था बनाये रखने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। मैं आपसे आग्रह करुंगा कि यहां पर पुलिस की व्यवस्था बढ़ायी जाए। दो कार्यालय एस. पी. हैडक्वार्टर किये जाएं, एक शहर और एक देहात का, ऐसा प्रबन्ध करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

साथ ही मांग संख्या—17 पर भी मैं थोड़ा—सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि माननीय शिवनाथ सिंह जी ने कहा अपराधों में और सजा में सुधारवादी प्रवृति विकसित हुई है, रिफोर्म एण्ड रिहेबिलिटेशन को जेल मैन्युअल में शामिल करे ताकि समाज के वे लोग जो जाने—अनजाने में गलतियां कर जाते हैं या मजबूरी में गलतियां करते हैं, समाज में पुनर्स्थापित हो सकें। ऐसी भी व्यवस्था जेलों में होनी चाहिये, ऐसा व्यवहार जेलों में होना चाहिये। जेलों में वैसे प्रशिक्षण की व्यवस्था है लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड विकसित किये जाएं कि जेल से छूटने के बाद आकर अपनी रोजी—रोटी कमा सकें, समाज में इज्जत पा सकें। जेलों में कैदियों से बर्ताव की बात आती है, आज शिक्षा की बात भी हम कर रहे हैं कि जेलों में प्रौढ़ शिक्षा चला रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा चला रहे हैं या साक्षरता का कार्यक्रम चला रहे हैं परन्तु कुछ व्यक्ति पढ़े—लिखे भी वहां आते हैं उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए तो निश्चित रूप से वे बाहर आकर समाज में योग्य आदमी स्थापित हो सकेंगे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा वापस पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं निवेदन करुंगा कि मेरे क्षेत्र में आज भी बहुत जटिल घटनाएं मौजूद हैं, माननीय गृह मंत्रीजी भी जानते हैं परन्तु उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। चार अप्रैल से गिरफ्तारी का वारंट आपकी पुलिस के हाथ में था और आज तारीख हो रही है 10 जुलाई, आज तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया हैं। हमने आपके पुलिस अधिकारियों को उनके ठिकाने तक बता दिये, उसके बावजूद भी पता नहीं उनके साथ में क्या मजबूरी है, मैं कह नहीं सकता। आपने भी कई बार आपके जिलाधिकारियों को या सम्भागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके उन अपराधियों को पकड़वाएं ताकि जो क्षेत्र में आतंक फैल रखा है उससे लोगों को निजात मिल सके। मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शांति कुमार जी धारीवाल। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा लम्बा–चौड़ा नहीं बोलकर 2–4 बातें बोलना चाहता हूं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक शेर सुना दो, शेर से चालू करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह भी हो जाए, वह उनकी डिमांड में है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, कोई ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता सदन का लेकिन 2–3 समस्याएं हैं जो इन्हीं दिनों में जाग्रत हुई हैं और खासकर मेरे कोटा संभाग में, बैठे हुए हैं भाई साहब रघुवीर सिंह जी, इनको जानकारी है कि शाहबाद के इलाके में (व्यवधान) अब आपको क्या एतराज है माताजी, अगर मैं इनको भाई साहब कहूं तो ? आप मेरी मदर हैं और विष्णु मोदी की ग्रांड मदर हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सब मानती हूं। मैं तो दादी,नानी सब कुछ हूं। माताजी कहो, दादीजी कहो, पड़दादीजी कहो,सब चलेगा, यहां कोई परवाह नहीं क्योंकि सब मैं हूं। जब पैदा हो गयी थी तब ही हो गयी थी और बाद में तो फिर बनती। कहो आप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 14–15 साल पहले बारां का आखिरी हिस्सा जो मध्य प्रदेश से मिलता हुआ है शाहबाद और किशनगंज तहसील का वहां डकैती सुनने में आती थी, स्वर्ण सिंह हुआ करता था और अमृत लाल डाकू हुआ करता था। पर उसके बाद में कभी कोई डकैती वहां पर सुनने में नहीं आयी। लेकिन इन 2–4 महीनों में हरिसिंह नाम का डाकू वहां पर आ गया और आ क्या गया, मैं कोई बात टेढ़ी–मेढ़ी कहूं तो फिर आप लोग नाराजगी दिखाओगे, एक तो तहसीलदार को उठाकर ले गया, एक चपरासी को उठाकर ले गया। जब उसके पास फिरौती पहुंच गयी, और फिरौती भी पहुंची 15–20–25 रोज बाद, उसने तहसीलदार को छोड़ा। तहसीलदार शाहबाद आया तो उसने पचासों लोगों के सामने यह बात कही कि वह बात–बात में यह कहा करता था कि तुम्हारा डीवाई. एस. पी. मेरा खास है। तो होम मिनिस्टर साहब, यह बताओ कि आपने डीवाई. एस. पी. वहां किसके कहने पर लगाया..?

श्री रतनलाल ताम्बी : हटा दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कब हटाया ? जब सारे कांड हो गये ? मैं यह नहीं कहता कि आपकी पुलिस ने कोई कसर छोड़ी हो। 600 आदमियों ने पूरे जंगल का चप्पा–चप्पा छान मारा लेकिन वह मिला नहीं। पुलिस इधर जाती थी, वह उधर जाता था। सीताबाड़ी का मन्दिर जो सबसे प्रसिद्ध मन्दिर है, उसका पुजारी कहता था कि पुलिस अगर एलान करके डाकुओं को पकड़ने आएगी तो डाकू क्या खाक मिलेंगे। तहसीलदार को उठाकर ले गया, फिर उसके बाद चपरासी को उठाकर ले गया और उसके बाद एक और आदमी को उठाकर ले गया लेकिन आज तीन माह हो गये, राजस्थान की पुलिस उस डाकू को पकड़ नहीं पायी। यह सब कुछ कमजोरी है आपकी जो ये डकैतियां अब बढ़ना चालू हुई हैं। हमारे राज में तो डकैती खतम कर दी थी हमने (व्यवधान) पूछ लो आप, डाकू खतम, यह डाकू अभी पैदा हुआ है। यह धौलपुर से ही क्यों ट्रांसफर होकर कोटा आया है ? इसका राज आप जानते हो कि किसकी सिफारिश से आपने उस डीवाई. एस. पी. को वहां पर लगाया। मेहरबानी करके ट्रांसफर्स–पोस्टिंग

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

में जब तक (व्यवधान) आप राजनैतिक हस्तक्षेप की तिलांजलि नहीं दोगे, इन लोगों की सिफारिश पर पोस्टिंग करना छोड़ोगे नहीं, तब तक इसी तरीके से कांड होंगे क्योंकि आपका खुफिया तंत्र बहुत कमजोर है, यह आप भी स्वीकार करते हैं। बारां के एस. पी. ने भी एक अखबार वाले को बयान दिया कि वाकई हमारा खुफिया तंत्र कमजोर है, हमें पता ही नहीं लगता कि कहां क्या होने वाला है। बहुत बड़ी घटना हुई है राजस्थान में यह तहसीलदार वाली। वह चपरासी भी फिरौती देकर छूटा और तीसरा आदमी जो पकड़ा गया था, वह भी इसी तरीके से छूटा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आपकी इंटेलिजेंस विंग को मजबूत कीजिये। इन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़िये, पूरी ताकत लगाइये तब जाकर ये वारदातें रुकेंगी वरना गुना जिला पास में है, मुरैना जो मध्य प्रदेश से लगता है, वह जिला भी पास में है। कभी वह उधर भागता है, कभी इधर आता है, हालत यह है उन दोनों तहसीलों में, मुझसे ज्यादा ये जानते है उन दोनों तहसीलों के बाबत, शाम के 5—6 बजे के बाद कोई आदमी सड़कों पर नजर नहीं आएगा गांव में, सब अंदर घुसकर बैठ जाते हैं (व्यवधान) रघुवीर सिंह जी क्या पूछ रहे हैं, वे तो जानते हैं कि किसने डीवाई. एस. पी. लगवाया है। Not to be disclosed. खैर, यह तो डकैतों की बाबत बातें हैं।

श्री कालूलाल गूजर : आसन की तरफ देखकर बोलें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपकी तरफ देखूं ? आसन तो मेरी तरफ देखता रहता है। वह तो आसन सर्वोदय, सर्वोपरि हैं। उनकी आज्ञा से बोलना ही पड़ता है लेकिन अवहेलना आप जैसे लोग ही करते हैं आसन की।

श्री अध्यक्ष : कृपया टोकाटाकी नहीं करें। समाप्त करने दें इनको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 2—3 बातें हैं। मैं कोई ज्यादा लम्बा—चौड़ा नहीं कहूंगा।

दूसरा मेरा अर्ज करना यह है कि अभी कोटा सम्भाग में नयी बात पैदा हुई है। मैं आपको उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इमीजिएट एक्शन लिया, फौरन आप वहां पर पहुंचे और एक ही गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांवों से जहां से वह बारात आयी थी वहां भी आप पहुंचे। सारे फैक्ट्स आपकी जानकारी में हैं। मैं कोई डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किसका कसूर था, किसका कसूर नहीं था। सब आप जानते हैं, पुलिस जानती है, दुनिया जानती है, हर आदमी जानता है लेकिन इस तरह की हरकतें वहां पर बढ़ना चालू हुई हैं और एक नहीं, कम से कम 6—7—8 जगह वह केसेज हुए हैं। धौलपुर में हुई, बागरी में हुई, मेरे यहां पांच—छह जगह हुई है। मैं कोई डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वाद—विवाद पैदा हो ख्वाहमख्वाह, उससे कोई मतलब नहीं है। अमन—चैन से हर जाति रहे, हर जाति जिस तरीके से भी वह काम करना चाहती है, करती रहे। लेकिन यह माहौल पैदा क्यों हुआ, इसके कारणों में पुलिस को जाना होगा। यह बीमारी पैदा हुई हैं नयी—नयी, इन अनुसूचित जाति वालों को सताने की। सिर्फ एक बात की जलन है। एक अनुसूचित जाति वाला अपना गौना लेने गया और वह घोड़ी पर बैठ कर निकलने लगा बारात के साथ तो पेशाब कर दिया गया उसके ऊपर, इस तरीके की हरकतें कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। वह चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मीणा हो या चाहे धाकड़ हो, कोई जाति हो, लेकिन अनुसूचित जाति के खिलाफ अगर इस प्रकार

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

का माहौल क्रिएट होता रहा तो यह समाज इतना कलंकित हो जाएगा, इतना दूषित हो जाएगा कि इसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा सब के लिये।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे बहुत परेशानी है। एक मामले में आपका जवाब है, मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : उप मुख्य मंत्रीजी हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वे क्या काम के, इस में क्या करेंगें वे, इस में कुछ नहीं कर सकते हैं आप। भ्रष्टाचार मिटाइये, यह मुख्य मंत्रीजी ने कहा था अखबारों में। मैं एक ही लाइन पढ़कर सुनाता हूं, मुख्यमंत्री शेखावत ने पत्रकारों को आव्हान किया कि वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ें। इसका मतलब यह हुआ कि वे मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार है किस कदर ? एक मेरा प्रश्न था, प्रश्न का ज़वाब यह आया कि कोटा जिले में सीमलिया नाम की एक ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत के बराबर में चम्बल फर्टिलाइजर कम्पनी का फर्टिलाइजर का कारखाना है। जब उसका कन्सट्रक्शन वर्क चालू हुआ तो सीमलिया ग्राम पंचायत की चारगाह जमीन में से, जिसमें मोरम भी थी, मिट्टी भी थी और पेड़ भी लगे हुए थे, कम से कम 15 हजार ट्रक मिट्टी, मोरम और कुछ पेड़ काट कर चम्बल फर्टिलाइजर वाले ले गये। सीमलिया के सरपंच ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। आपका जवाब है यह कि 7.1.96 को थाना सीमलिया पर रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी कि कुछ समय पूर्व चम्बल फर्टिलाइजर, गढ़ेपान, कोटा के मैनेजिंग डाइरेक्टर फलां–फलां और कांट्रेक्टर फलां–फलां चारागाह के समतल स्थान से मिट्टी और मोरम के लगभग 9–10 हजार ट्रक भर कर ले गये और मुकदमा नम्बर दर्ज किया। अब आप कहते हैं कि अनुसंधान अभी भी जारी है। चार बिस्वा जमीन या 10 बिस्वा जमीन था एक बीधा जमीन पर अगर कोई आदमी नाजायज कब्जा कर लेता है तो ट्रेस पासर में आप दफा 91 में उसको तो सजा सुना देते हो, लेकिन इन बड़ी कम्पनियों पर, जिन पर साबित है, समतल जमीन थी 15–15 फीट के गड्ढे हो गये, कटे हुए पेड़ साफ नजर आ राहे हैं, मौका मुआयना हो चुका, पंचायत के सारे लोगों की गवाही हो चुकी, उस गांव के लोगों ने गवाहियां दे दीं कि हां, हमने देखें और यह मिट्टी गयी, उसके बाद भी आप कहते हैं कि अनुसंधान, छह महीने हो गये, वह गायब हैं। सीधा सीधा यह है कि आप लोगों के राजनीतिक हस्तक्षेप से उस चम्बल फर्टिलाइजर का कुछ नहीं हो सकता। अगर यह कोई गरीब आदमी होता तो कभी का जेल में डाल दिया जाता आपकी सरकार के द्वारा। भूमिहीन आदमी आपके द्वारा दफा 91 में जेल गये हैं, हजारों की तादाद में गये हैं राजस्थान में। क्या कारण है कि इस कम्पनी के खिलाफ आपके यहां से कार्यवाही नहीं हो रही ? दो–दो बार तफतीश कुनिन्दा क्यों बदल दिये गये ?

मैंने लास्ट ईयर आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल मेरा यह था कि कोटा जिले में दर्ज किये मुकदमों की तफतीश अन्यत्र स्थानांतरित कौन कौन–सी की गयी। मुझे जवाब मिला,मैं कोटा जिले की बात पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, और जवाब मिलता है कि कोटा शहर में ये पांच मुकदमे ट्रांसफर किये सी. आई. डी. (सी. बी.) में तीन थाना मकबरा में और दो मुकदमे थाना नयापुरा में। मेरा मकसद कुल मिलाकर यह था कि जितने भी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

राजनीतिज्ञ हैं, वे चाहे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और चाहे कांग्रेस के सदस्य हैं, अगर कानून तोड़ते हैं तो उनके मुकदमे कभी वहां से ट्रांसफर नहीं होने चाहिये। और आप लोगों ने यह प्रैक्टिस बना रखी है। जो राजनीतिक् कार्यकर्ता कोई न कोई क्राइम कर बैठता है, कलेक्टर के चैम्बर में जाकर तोड़—फोड़ की, डिवीजनल कमिश्नर के चैम्बर में जाकर तोड़—फोड़ की, ऐसे—ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे और उनको आपने ट्रांसफर करके सी. आई. डी. (सी.बी.) में डाल दिया। सी. आई. डी. (सी.बी.) में डालने के बाद, आपका आखिर में यह जवाब था कि अभियोगों में अन्वेषण करीब—करीब पूर्ण हो चुका। यह लास्ट ईयर का जवाब है आपका। लास्ट ईयर जब आपकी इनवेस्टीगेशन पूरी हो चुकी तो आज तक इनका क्या हुआ ? कुछ नहीं हुआ।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री अध्यक्ष : तो कई माननीय सदस्यों को बोलना है, दो घंटे ही बढ़ाएं तो ठीक है। सदन की सहमति है। 2 घंटे समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा अर्ज करना यह है, मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी।

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये। धारीवाल साहब, विराजिये। वैसे ही अपन तो रोज बोल ही लेते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट बोल रहा हूं मैं तो। मैंने एक खबर पढ़ी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर मुकदमे वापस लेने का निर्णय। मैं इस बात को अपोज नहीं करता हूं। मुझे याद है कि इसमें अर्जुनदासजी मदान का नाम है और इनके खिलाफ जो पुलिस ने केस दायर किया है वह बिलकुल गलत किया है। मुझे जानकारी है।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके खिलाफ भी कोई है या नहीं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे खिलाफ है तो मुझे तो धरो न अन्दर, आप अभी चलो।

श्री नन्दलाल मीणा : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी चलो, मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दें।

एक माननीय सदस्य : इनके साथ जाओगे तो बच जाओगे अपने आप ही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा मतलब था कि इसमें ऐसे केसेज को जरूर छांटिये जिनमें बिलकुल जबरदस्ती ही कोई बात ऐसी कर दी गयी हो, 323 का केस हो, मामूली बात हो और प्रोवोकेशन ऐसा हो गया हो। लेकिन ऐसे केसेज आपने विथड्रा कर लिये

---

x x x शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कि कमिश्नर के चैम्बर में जाकर तोड़--फोड़ हो रही है और कमिश्नर भाग कर कमरे में घुस रहा है, कलेक्टर के चैम्बर में जाकर तोड़--फोड़ हो रही है और कलेक्टर भागकर अन्दर नाल कूद रहा है, तो फिर व्यवस्था कहां जाएगी ? कहां जाएगी ? फिर आप किस तरीके की व्यवस्था जमाना चाहते हैं ? इस तरीके से आप पुलिस का और प्रशासनिक अधिकारियों का मोरल डाउन करेंगे, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। एक कारावास के बाबत बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (वन मंत्री) : धारीवाल साहब, एक निवेदन करना चाहूंगा। क्या कोटा के पुलिस प्रशासन, डी. आई. जी., एस. पी. के बारे में आपको कोई शंका है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे किसी के प्रति कोई शंका नहीं है, साहब। मुझे राज्य सरकार के प्रति शंका है। मैं जो कुछ कह रहा हूं राज्य सरकार के लिये कह रहा हूं। यह सब काम यहां से होता है। मैं तो बल्कि उनकी तारीफ कर रहा हूं, वे जो कुछ भी कर रहे हैं। उन्होंने ही तो केस बनाये हैं ये, आपने थोड़े ही बनवाये हैं। आप तो इनको विथड्रा करवाना चाहते हो, ये केस उन्होंने ही बनाये हैं। इनमें से ऐसे केसेज जरूर निकालिये, मिलेंगे आपको पांच--सात केसेज ऐसे भी, लेकिन सारे केसेज जिनको आप विथड्रा करना चाहते हैं, ऐसे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बस एक आखरी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विराज जाएं अब। अब विराजें। बहुत अच्छा किया आपने। श्री जगदीशजी मीणा।

(19.00)

श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की मांग पर आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पुलिस विभाग के पुनर्गठन की बात हर वर्ष जोर--शोर से की जाती है परंतु पुनर्गठन केवल बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रहता है। टौंक जिले में वर्तमान में 6 तहसीलें हैं और सर्कल आफिस केवल चार ही हैं। यह संख्या अपराधियों की संख्या के आधार पर बहुत ही कम है। टौंक जिले की निवाई एवं टोडा तहसीलों में सर्किल आफिस नहीं होने से लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिये काफी दूर जाना पड़ता है। इससे गरीब लोगों को अत्यधिक परेशानियों को सामना करना पड़ता है और कई बार तो लोग वहां जा ही नहीं पाते। निवाई में पिछले वर्षों में सर्किल आफिस खोलने की जानकारी मिली थी किन्तु खर्च में कटौती करने के कारण इस औद्योगिक क्षेत्र में सर्किल आफिस नहीं खोला गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार के मामलों में उप अधीक्षक, पुलिस काफी व्यस्त रहते है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार टोडारायसिंह में भी सर्किल आफिस नहीं है और लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिये मालपुरा जाना पड़ता है। इससे गरीब जनता को अत्यधिक कष्ट होता है और उनका काफी पैसा आने--जाने में खर्च हो जाता है क्योंकि मालपुरा से टोडारायसिंह की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। इस प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसील के ग्राम मनवास, जो टोंक शहर से केवल 15 किलोमीटर दूरी पर है की ए. सी. ओ. देवली में लगती है जो यहां से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उचित नही है, अतः इसका सर्किल आफिस टोंक में लगाया जाए।

(श्री जगदीश प्रसाद मीणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में कई प्रकार के गिरोह पुलिस के संरक्षण में फल—फूल रहे हैं। आये दिन समाचार—पत्रों में बलात्कार, डकैती, चोरियां, शराब की अवैध बिक्री, शराब के ठेकेदारों एवं उनके आदमियों द्वारा पुलिस के संरक्षण में बलात्कार की घटनाएं आती हैं। माननीय मंत्री जी ने भी इस घटना को सही माना है। शराब के ठेकेदारों द्वारा पुलिस की सहायता से ग्राम उतरणा कांड में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। उसमें भी शराब के ठेकेदार और पुलिस के कर्मचारियों ने मिलकर यह बलात्कार किया। उस बलात्कार में उस महिला के साथ वह हुआ जो औरत के साथ नहीं होना चाहिये और उसका भविष्य भी खतरे से खाली नहीं है। इस प्रकार की वारदातें इस क्षेत्र में हो रही हैं। यह पुलिस के कार्यों एवं व्यवहार पर प्रश्नचिन्ह है। शराब के ठेकेदारों द्वारा पुलिस को माहवारी के रूप में रुपये दिये जाते हैं ताकि ऐसे कृत्यों पर पुलिस पर्दा डाल सके। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, इनको पुलिस बचाना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अभी कुछ दिनों पूर्व समाचार—पत्रों में छपा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की जमीनों पर देवली में एक जागीरदार राणावत परिवार ने, जो इन सभी कांडो में लिप्त है, प्रभावशाली है और उसको राजनेताओं का भी संरक्षण है, कब्जा कर लिया है। इनकी डूब क्षेत्र में जो जमीन आयी है उसकी बीसलपुर में मिली मुआवजा राशि को आपस में मिल—जुल कर गरीब किसानों के खातों से निकाल लिया है। सुरेन्द्रसिंह राणावत और उनके परिजनों के विरुद्ध दिनांक 20—6—96 को थाना गाड़ में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस थाना केकड़ी ने इन अपराधियों को पकड़ भी लिया था परन्तु प्रभावशाली लोग होने के कारण डीवाई. एस. पी., केकड़ी ने इनको जानबूझकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब पब्लिक में चर्चा हुई तब उन्होंने कहा कि इनको वापस पकड़ने के प्रयास किये किन्तु वापस पकड़ में नहीं आये। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। पुलिस की मिली भगत होने के कारण छोड़ दिया गया है, अभी तक फरार हैं, इस प्रकार लोगों का भरोसा पुलिस पर से उठने लगा है जो कि शोचनीय है। इनके पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं जिनकी फाइलें यहां ऊपर मंगवायी गयी हैं और ऊपर से यह दबाव डाला जा रहा है कि इनको रफा—दफा कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, सुरेन्द्र सिंह राणावत सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के चेयर मैन थे तब भी उनके विरुद्ध कई गबन के मामले थे। अभी पंचायत चुनावों में भी इन लोगों ने देवली में जनप्रतिनिधियों पर जानलेवा हमला किया। लाठी,बन्दूकें, तलवार आदि से लैस होकर हमला किया था परन्तु इनकी पुलिस से मिलीभगत होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मिलीभगत से ही आज शराब के ठेकेदारों ने सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, बस स्टैण्ड, मन्दिरों के आस—पास शराब के ठेके खोल रखे हैं जो नाजायज हैं। किन्तु इनको हटाने की हिम्मत पुलिस में नहीं है क्योंकि शराब के ठेकेदार पुलिस अधिकारियों की महावारी के रूप में सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में पिछले 3—4 वर्षों से डकैती, बलात्कार, हत्या आदि के मुकदमों में वृद्धि हुई है। यदि पुलिस ने इन हत्याओं, बलात्कार, डकैती आदि के मामलों में ईमानदारी से ध्यान नहीं दिया तो

(श्री जगदीश प्रसाद मीणा)

लोगों का पुलिस पर विश्वास नहीं रहेगा और लोगों में असंतोष व्याप्त हो जाएगा। आज पुलिस की मिलीभगत से लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, जुआ खेला जा रहा है। गृह मंत्री जी, इनको रोका नहीं गया तो समस्त राजस्थान का सत्यानाश हो जाएगा।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आज टौंक जिले में अपराधों की संख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के अनुपात में भी नये थाने नहीं खोले जा रहे हैं। जहां थाने हैं उनमें भवनों की उचित व्यवस्था नहीं हैं। टौंक के सदर थाने में भी अनेक कमियां हैं। इस थाने के लिये सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी है, किन्तु भवन निर्माण हेतु सरकार ने अभी तक कोई रूचि नहीं दिखायी। अतः इस प्रकार के जो भी थाने हैं, टौंक जिले में हो सके तो नया भवन बनाया जाए ताकि पुलिस चुस्त–दुरूस्त तरीके से कार्य कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग–12 पर, जो जयपुर से कोटा आता है, दुर्घटनाएं होती रहती है। जिस प्रकार से जयपुर–दिल्ली मार्ग पर पुलिस द्वारा गश्त की जाती है, उसी प्रकार की व्यवस्था इस मार्ग पर भी की जाए।

मैं अन्त में माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सभी बिन्दुओं पर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करें। इन जागीरदारों की जो पहले के कई मुकदमों की फाइलें आपके यहां कार्यालय में आयी हुई हैं उन फाइलों को वापस भेजकर उनके ऊपर कार्यवाही करायी जाए, उन फाइलों के अन्दर केस को दबाया नहीं जाए। अभी जो बलात्कार हूआ है उस बलात्कार के आरापियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल शर्मा।

श्री रामनारायण मीणा : कुर्सी का मान रखते हुए, आसन का मान रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा। हम रोजाना देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से नाम लिये जाते हैं। मैं जाकर चैम्बर में लिखा आया। या तो लिस्ट लेना बन्द कर दें हमारे सचेतक जी से।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : आप लिस्ट लेना बन्द कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसको चाहें उसको बुलाएं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। मैं अभी सब को बुलवा रहा हूं। इतनी देर में तो बहुत ज्यादा काम हो जाऐगा।...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा : हम मानते हैं, हमारे नेता महोदय भी नहीं चाहते हैं कि इस बात को कहें, आप भी नहीं चाहते हैं लेकिन सदन में जो कुछ हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : सब चाहते हैं आपको, मैं सुनना चाहता हूं आपको।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चीजें यदि हों तो आप हमारी लिस्ट लेना बन्द कर दें सचेतक जी से। बारी का सवाल नहीं है, उसके पहले तो बहुत बोल लिये। बाकी में आप कुछ भी कर लीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक नहीं बीसों प्रिसिडेंट होंगे इस सदन में जब डिमाण्ड पर बहस दो बजे तक चली है। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, लॉ—एण्ड—आर्डर सेंसेटिव इश्यु है। होम मिनिस्टिर वर्तमान सरकार का बड़ा दबंग है, लेकिन दबंग कार्यवाही तब करेगा जब आज कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, उस स्थिति की ओर इस दबंग होम मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। उसके बाद यह रूथलेसली काम करेगा। सुन नहीं रहा है वह दबंग। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि अब यह जल्दी—जल्दी डिमाण्ड पास करने का नहीं है। डिमाण्ड में हमेशा माननीय सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो समस्याएं है उनको रखने का अवसर दियां जाना चाहिये। हमने जो सूची आपको दी है, आप मेहरबानी करके....

श्री अध्यक्ष : पूरी सूची बुलवाऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप कक्ष में पधारिये, फिर वापस पधारिये, फिर कक्ष में, आप डिप्टी स्पीकर को भेजिये और पैनल आफ चेयरमैन भी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप निश्चिंत रहिये।

श्री परसराम मदेरणा : हम भी सदन में बैठे हैं इसलिये माननीय सदस्यों को समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें। मेरा निवेदन यह है कि कुछ माननीय विधायकों के कट—मोशंस हैं, कुछ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये सूचना दी है, उन दोनों को मिलाकर बुलवा रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : कानून—व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरे पहले दिन से दो एडजोर्नमेंट मोशन हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आ जाएंगे, विराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : आप मुझे नहीं बुलाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उस पर आप यह व्यवस्था दे दें कि मेरे एडजोर्नमेंट मोशन आप लगाएंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरे कट—मोशन भी है और स्थगन प्रस्ताव भी हैं।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये मैं सब को बुलवाऊगां, पर एक साथ तो सबको नहीं बुला सकता।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपने आश्वस्त किया है इसलिये टाइम दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : किसी न किसी को तो पहले कहना ही पड़ेगा। विराजें आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, आप कब बुलवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह तो अपन को सबको सुनना ही है, विराजें आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जल्दी कीजिये।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, कृपया विराजें।

(182)

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन यह है कि प्रारम्भ में बोलने वालों को तो आप काफी समय देते हैं और हमको लास्ट में कई बार 2—2 मिनट ही बोलने देते है। न तो अपनी बात पूरी कह सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। अभी तक एक माननीय सदस्य की बात खतम हो जाती।

श्री रतल लाल ताम्बी : इसमें आप ऐसी व्यवस्था करें कि सबको समान समय मिल जाए।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस और जेल पर चर्चा हो रही है और इस सम्बन्ध में कई सदस्यों ने अपने—अपने विचार रखें हैं। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि पुलिस की असफलता पर लोगों में असंतोष है और उसमें सुधार होना चाहिये लेकिन मैं इसके साथ—साथ यह भी कहना चाहता हूं, मैं जिस जिले से आ रहा हूं वहां पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस से काफी सम्पर्क रहता है और वहां के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है, निश्चित रूप से राजस्थान की पुलिस उनकी अपेक्षा काफी बेहतर है। उनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस बात से असंतोष है उस असंतोष को दूर नहीं किया जाए उसमें सुधार नहीं किया जाए। मैं धौलपुर जिले से आता हूं। अभी माननीय धारीवाल साहब ने का कि वे एक हरिसिंह डकैत से परेशान हैं, मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे तो एक हरिसिंह से परेशान हैं, हमारे धौलपुर में सब सिंह ही सिंह मौजूद हैं, हरिसिंह है, गोपाल सिंह है, रामसहाय सिंह, रामेश्वर सिंह, प्रेमसिंह है, इन सब से परेशान हैं। तो एक ही सिंह से परेशान हैं और हम तो इतने सिंहो को झेल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो अकेले ही उनके लिये पर्याप्त हैं।

श्री बनवारी लाल शर्मा : गृह मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इन लोगों ने वहां पर इतना आतंक फैला रखा है कि वहां के सब लोग परेशान हैं। डकैतियां करते हैं, लूटमार करते हैं, ट्रकों को लूटते हैं और यहां तक कि लोगों को उठाकर ले जाते हैं, किडनैपिंग करते हैं। खास तौर से इन डकैतों से वहां पर जो खनिज व्यापारी वर्ग है वह ज्यादा परेशान है। आज खुशकिस्मती से आप खनिज मंत्री भी हैं। आज खनिज उद्योग पर चोट पहुंची है इन डकैतो के कारण। आप अंदाजा लगाइये कि सरमथुरा कस्बा है वहां तक डकैत आ जाते हैं और आकर फैक्ट्रियों को, खानों को बन्द कर देते हैं। पहाड़ी कस्बों के नजदीक आ जाते हैं। इनकी जो प्रक्रिया है वह बड़ी अजीब है। खानों पर आकर श्रमिकों की पिटाई करते हैं और पिटाई करके उनको एक चिन्ह दे जाते हैं लेकिन चिन्ह देकर अपना नाम नहीं बताते हैं। अब जो मालिक है वह पता लगाता रहे कि ऐसा कौन—सा आदमी है, कौन—सी गैंग है। जब तक वह गैंग से मिल नहीं लेगा, जब तक गैंग को राजी नहीं कर लेगा, जब तक वह चिन्ह नहीं देगा तब तक वे श्रमिक उस खान पर काम नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सहयोग करो तो ठीक हो जाएगा।

श्री बनवारी लाल शर्मा : आपका सहयोग बहुत जरुरी है, आप अपने मंत्री महोदय से कहना।

तो मेरा यह निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करें। मुश्किल यह है कि पुलिस की निष्क्रियता है और कुछ उनकी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि आज उनके पास साधन नहीं हैं, आज उनके पास पुलिस फोर्स इतनी नहीं है। आप देखिये, आपके थानों में 10,12

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

या 15 आदमी तैनात रहते हैं। 15 आदमियों में से 3 आदमी तो ड्यूटी पर रहते हैं, 2–3 आदमी छुट्टी पर रहते हैं और 2–3 आदमी सम्मन तामील पर रहते हैं । थाने में कितने आदमी रह गये ? आप अंदाजा लगाइये बगल में यु.पी. लगा हुआ है वहां सैंया थाना है, खैरागढ़ थाना है। एक जैसी जोग्रीफी है, एक जैसा काइम का पैटर्न है। वहां पर एक–एक थाने में 35–35 आदमी हैं, 4–4 थानेदार हैं तब भी वे काबू नहीं कर पा रहे हैं। यह तो इकबाल है जिसकी वजह से खैरियत है कि आपका काम चल रहा है वरना आपने अगर पुलिस फौर्स को नहीं बढ़ाया तो निश्चित तौर पर इस पर काबू भी नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ–साथ, अब तक तो आदमियों कही किडनैपिंग होती थी, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आजकल नयी प्रणाली उन्होंने अपना ली है कि ट्रैक्टरों को पकड़कर ले जाते हैं। पहले तो आदमियों से फिरोती लेते थे, अब ट्रैक्टर पकड़कर ले जाते हैं, छुपा देते हैं और मनचाहे पैसे मांगते हैं, मनचाहा पैसा लेकर ट्रैक्टर को वापस करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके इसके लिये कोई न कोई ऐसा प्रयास करें जिससे कि वहां डकैतों को आतंक समाप्त हो सके। पुलिस पूरा संरक्षण दे नहीं पाती हैं, फोर्स की कमी है। वहां पर लोग बंदूक के, हथियार के लाइसेंस चाहते हैं तो लाइसेंस देने में काफी अड़चनें पैदा होती हैं, लोग काफी परेशान होते हैं। या तो आप लाइसेंस बन्द कर दीजिये, बिलकुल मत दीजिये और उनको प्रोटेक्शन दीजिये। आपके पास इतना पुलिस बल उपलब्ध नहीं, आपके पास इतने साधन नहीं हैं और वहां के लोग अपनी सुरक्षा के लिये आपसे बंदूक के लाइसेंस मांगते हैं तो लाइसेंस देते नहीं हैं महीनों पड़े रहते हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस ने आपस में तय कर लिया है। उनका बहाना क्या है कि अगर ज्यादा लाइसेंस हो जाएंगे तो 302 के मुकदमें ज्यादा बनेंगे। ये आपस में लड़ेंगे, आपस में बंदूक चलाएंगे। इसका क्या मतलब है ? और दूसरा कहते है कि धौलपुर जिले में इतने लाइसेंस हैं कि राजस्थान में कहीं नहीं हैं। मेरा यह निवेदन है कि गलत लोगों को लाइसेंस आपने दे दिये हैं लेकिन जरुरतमंदों को जिनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं उनको लाइसैंस देने में आपको क्या आपत्ति है ? जब थानेदार ने, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कर दी है, डीवाई. एस. पी. ने अपनी रिपोर्ट कर दी है फिर क्या कारण है कि उनको लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं ? अगर वे गलत आदमी हैं और उनकी गलत रिपोर्ट की है तो उन अधिकारियों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये कि आपने गलत आदमियों की रिपोर्ट क्यों की। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के बावजूद भी हथियार नहीं दिये जाते हैं अखिर क्या कारण हैं ? क्यों नहीं दिये जाते हैं ? क्यों उनको परेशान किया जाता है ? क्यों नहीं दिये जाते हैं ? क्यों उनको परेशान किया जाता है ? इस पर आपको गौर करना चाहिये।

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि वहां पर पुलिस का ध्यान डकैती की समस्या की तरफ तो चला जाता है लेकिन वहां की एक बहुत बड़ी समस्या और है कैटल लिफ्टिंग की, मवेशी चोरी की। मवेशी चोरी की हालत यह है कि डकैती का माल तो दिखायी दे जाता है, हो सकता है डकैती में 2 हजार, 3 हजार या 5 हजार रुपये का ही माल जाए लेकिन आज किसी की गाय चोरी चली गयी, किसी की भैंस चोरी चली गयी तो कम से कम 8–10 हजार रुपये की आपकी गयी। गरीब आदमी है, उनके

(184)

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

पास अच्छी जगह है नहीं बांधने के लिये। उसकी मवेशी चोरी जाती है और पुलिस इस मवेशी चोरी के खिलाफ बहुत सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। चूंकि डकैती का तो हल्ला होता है, पब्लिसिटी होती है, लोगों की जानकारी में आ जाती है इसलिए पुलिस उस पर तो सक्रिय होती है लेकिन मवेशी चोरी के ऊपर नहीं होती है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि इस बारे में खास तौर से वहां की पुलिस को पाबंद किया जाए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमान् ताम्बी साहब। आपका स्थगन भी है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग के बारे में चर्चा हो रही है। पुलिस हमारे समाज की, जान-- माल की सुरक्षा के दायित्व का निर्वाह करती है। पुलिस का राजस्थान में जो ढांचा है, मैं समझता हूं, यह ढांचा बहुत पुराना है। पुराना इस दृष्टि से कहना चाहता हूं कि पद सृजित हैं वे भी जनसंख्या के अनुपात से काफी कम हैं और जितने अपराध बढ़े हैं उनको आधुनिक ढंग से किस तरह नियंत्रण किया जाय, यह भी एक समस्या है। जब तक पुलिस के प्रति जनता में विश्वास नहीं हो तब तक पुलिस के बारे में जनता में यह धारणा बनी रहेगी कि वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस इन सब बातों को देख नहीं पा रही है। अभी वर्तमान में हमारी संख्या 59,303 है जो 1994 में 59,166 थी। कुल मिलाकर इन दो वर्षों में 137 पद नयें बढ़े हैं जो कि आज कि स्थिति में अपर्याप्त हैं।

मैं इस अवसर पर वर्तमान व्यवस्था के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कई जगह काफी अनावश्यक अधिकारी इकट्ठे हैं। उदाहरण के तौर पर महानिरीक्षक पुलिस, जिनको हम डी. आई. जी. कहते हैं, 8 यहां जयपुर में मौजूद हैं अतिरिक्त। 6 रेंज हमारे पुलिस के हैं अगर उनमें आई. जी. को बैठा दिया जाय तो हमारा प्रशासन कुशल होगा इसमें और सुदृढ़ता आयेगी, और यहां आठ के बजाय 2 पर्याप्त रहेंगे। इसी तरह दूसरे भी हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक 144 या जितने भी हैं।

कुछ और भी सुझाव हैं मेरे, जैसे भीलवाड़ा जिला जब बना था उसकी जनसंख्या 5 लाख थी, आज 16 लाख से ऊपर जनसंख्या है। और भीलवाड़ा जिले की पुलिस व्यवस्था है, एस. पी. एडीशनल एस. पी. जो सारे जिलें में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गृह मंत्री जी वैसे भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरा सुझाव है, मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था इन्होंने ताली तो बजा दी पर किया कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि एडीशनल एस. पी. एक शाहपुरा में हो जिसके माध्यम से काफी बड़ा इलाका नियंत्रित हो सकता है। इसी प्रकार जो अन्य पद हैं, उनको आप देखें। जयपुर में, उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं कि आपके डी. जी. साहब यहां पर, अतिरिक्त डी.जी. साहब यहां पर आफिस में एक कागज आयेगा एक बाबू से कागज चलेगा। जिसको 7--8 चैनल से निकालते हैं। इस तरह एक कागज छोटी मोटी बात के लिये भी 7--8 चैनल से निकालते हैं। उस चैनल में कुछ कमी की जा सकती है और जिलों में या डिवीजनल हैडक्वार्टर पर इस सारे ढांचे को उपयोगी बना सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा अपराध नियंत्रित हों और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक प्रकार से बन सके।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला कि व्यवस्था बिलकुल नगण्य टाइप है। इसमें बहुत समय लगता है और इससे

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जो मामले होते हैं, उनका अनुसंधान, उनके रिजल्ट पर्याप्त तौर से नहीं आ पाते।

मैं इस अवसर पर कुछ अपने इलाके की भी बात निवेदन करना चाहता हूं। जहाजपुर तहसील लगभग 2 लाख जनसंख्या की तहसील है और क्राइम के हिसाब से वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि काफी क्राइम बढ़ चढ़ा रहता है, कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति ज्यादा है। इसलिये जहाजपुर जैसे कस्बे में सी. ओ. का आफिस होना चाहिए ताकि उसका नियंत्रण ठीक प्रकार से हो सके। जहाजपुर इलाके में आमरवासी, गंगापुर एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर है, वहां पर भी थानें में सी. ओ.का पद होना चाहिये। आमरवासी, खजूरी, पारोली ऐसे बड़े–बड़े इलाके हैं जहां बहुत दूर–दूर तक पुलिस स्टेशन नहीं है, मैं चाहूंगा कि वहां पर भी पुलिस स्टेशन कायम करें। मेरे इलाके में टीकड़, आमलदा, रोपा में पुलिस चौकियां हों, यह सुझाव मैंने पहले भी दिया था और फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस तरह पुलिस की वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है, इसके सम्बन्ध में, मैंने खास तौर से आपसे अनुरोध किया है।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में वर्तमान में चाहे बलात्कार के केस लें, चाहे चोरी, हत्या या डकैती लें, इन मामलों में निरन्तर बढ़ोतरी हुई है और पुलिस प्रशासन वर्तमान में जो अपराध हो रहे हैं उन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। अभी हमारे साथी विधायक चर्चा कर रहे थे जयपुर की कि यहां कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। जयपुर में पिछले दिनों आपने देखा पानी का एक मामूली – सा झगड़ा हुआ, तत्काल एक व्यक्ति वहीं का वहीं मारा गया। इस तरह के कई मामले हैं जयपुर में इन दिनों शहर में 6 दिनों में एक हत्या का एवरेज भी आया है, एक व्यक्ति के 18 टुकड़े अलग – अलग जगह मिले, ढूंढते रहे। आम तौर से यहां पर शहर में गत महीनों में 18 हत्याएं हुई और जिसकी आधी तो दो सप्ताह में हो गयी। तो यह है कानून व व्यवस्था कि जयपुर की स्थिति जिसकी यहां पर बड़ी चर्चा की गयी। शास्त्री नगर की बंधा बस्ती में अवैध रिश्ते, लूट तथा रंजिश के कारण मकान में किरायेदार के साथ मारपीट हुई, वहीं के वहीं दो गरीब आदमी मर गये। कोई गवाही नहीं दे दें, नाथूलाल ज्योतिषी को वहीं सड़क पर समाप्त कर दिया तो इस तरह के कई मामले जयपुर में भी इन दिनों हुए हैं।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस वाले शराब के नशे में अक्सर धुत्त रहते हैं, उसका समाज पर काफी बुरा असर होता है। लोग वहां जाते हैं तो उनके साथ ज्यादतियां होती हैं और समय पर रिपोर्ट्स रह जाती हैं। "थाना है मैखाना, ढलती है शाम छलकते हैं जाम।" यह एक गंगा शहर बीकानेर की बात मैं कहना चाहता हूं। वहां के एस. पी. साहब के पास शिकायत पहुंची कि थाने में आज बहुत पैसा मिला है उनको किसी मामले में और वहां शराब पी जा रही है। एस. पी. साहब ने तत्काल वहां एडीशनल एस. पी. को भेजा। एडीशनल एस. पी. के जाते ही कोई मकान से कूद कर भाग रहा है, कोई क्या है, इस तरह के हालात वहां पैदा हुए। एडीशनल एस. पी. ने मौके की रिपोर्ट वहां पर दी। मैं समझता हूं कि जिस पर रक्षा का भार है, समाज में वे लोग इस प्रकार के अपराध करें, यह उचित नहीं है। शराब के कारण बहुत सारे मामले बढ़ते हैं, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले किस्सा आया था देवली तहसील में उथरना का। शराब के माफिया से पुलिस इतनी जुड़ी हुई है कि बिना किसी रिपोर्ट के उनके साथ चले जाना

(१८७)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सामान्य बात हैं। माननीय गृह मंत्री जी, उस दिन कहा कि इतनी गिरफ्तारियां हो गयी वो हो गयी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य अपराधी तो आज तक पकड़ा नहीं गया। कोई कार्यवाही उस मामलें में हुई नहीं उथरना कांड जैसे मामले अनेक होते हैं। मेरे क्षेत्र में गत वर्ष बहादुरपुरा में दो राजपूत साथ थे। एक पीया हुआ था। वह कुएं में मिला, वह मर गया था। उस घटना की आज तक कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैनें पहले भी इसको उठाया था। मेरे क्षेत्र के सांखड़ा गांव में पिछले वर्ष एक राजपूत बालक की निर्मम हत्या हो गयी हत्या के बाद सारे मामले को रफा—दफा कर दिया, कहा कि करंट से मर गया। पर जिस जगह वह मिला वहां आस—पास करंट की कोई लाइन चालू नहीं थी, कनेक्शंस कटे हुए थे। पर इस प्रकार असत्य और सत्य की बात कर देते हैं। अभी 10 दिन पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से जहाजपुर जा रहा था। रात को साढ़े बारह—डेढ़ बजे एक बस जा रही थी देवली से। उस समय जहाजपुर के पास कुराड़िया गांव है, वहां देखा तो एक लाश सड़क पर मिली। हम सब लोग बस से उतरे और देखा उस लाश को। यह एक्सीडेंट से, गाड़ी से तो नहीं मरा, ऐसा प्रतीत होता था। वह पुलिस का कांस्टेबल था जो शाहपुरा से वहां आया था घर जा रहा था। या क्या झगड़ा हुआ, पुलिस उस कांस्टेबल की हत्या का आज तक पता नहीं लगा पायी। कौन अपराधी है, क्या है। स्थिति यह है कि गृह मंत्री जी हमारे ही सब—डिवीजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पुलिस के सिपाही की हत्या हो जाए और उसके बाद कार्यवाही नहीं हो तो क्या आपकी एफिशिएंसी और क्या आपका इंटलीजेंस आप लटके—झटके तो बड़े तगड़े करते हो, लोगों से बातचीत करके प्रभावित करने का प्रयत्न करते हो मगर जब आप के महकमे की यह हालत सामने आती है तो मैं समझता हूं कि यह सोचनीय, चिंता जनक बात है।

मैं इस अवसर पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में आप पुलिस से बड़ी अपेक्षाएं करते हैं। मैं यह मानता हूं कि भ्रष्टाचार पुलिस में बहुत है, यह भी मैं मानता हूं कि गरीब लोग जाते हैं, उनकी समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। दिनभर आते हैं वहां या कहीं जाते हैं तो 2—4—5 आदमी ऐसे भी मिलेंगे कि दिनभर उनको टेलीफोन करते रहो कि भाई, यह इसकी घटना दर्ज करो, ये करे, वो करो। हमारा एक रामगढ़ गांव है वहां 16 साल की एक बच्ची के साथ 20 दिन पहले बलात्कार हुआ। तीन दफे वहां के लोग मेरे पास आये। मैंने एस. एच. ओ. को कहा कि इसकी रिपोर्ट तो दर्ज कर लो। चार दिन तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद वे एस. पी. के पास भीलवाड़ा गये, डी. एस. पी. के पास गये तब रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में अपराधियों से कोई हिसाब—किताब जमा लिया, बैठा लिया और गिरफ्तारी नहीं की। सारे गांव के लोग जानते हैं। फिर दुबारा एस. पी. के पास गये। दुबारा जाने के बाद उन्होंने फाइल मंगाई और थानेदार का डांटा कि इसमें यह कार्यवाही होनी चाहिये। इतना बड़ा बलात्कार का मामला है, कार्यवाही क्यों नहीं होती है ? मेरा निवेदन यह है कि हर मामले में गरीब आदमी रोज 2—2, 4—4 गांव वालों के साथ भीलवाड़ा जाए और तब उसकी रिपोर्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाए, यह नहीं होना चाहिये। मेरी यह मान्यता है कि कोई दुःखी आदमी आता है, उसकी एफ. आई. आर. तत्काल दर्ज हो जानी चाहिये। उसका रिजल्ट जो भी हो कार्यवाही जो भी लेकिन इसमे विलम्ब

(श्री रतनलाल ताम्बी)

न हो। गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह की व्यवस्था करें। एफ. आई. आर दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आप कुछ कार्यवाही करते नहीं, अगर यह कार्यवही शुरू कर देंगे तो इसका बहुत बड़ा असर आएगा।

अब आप कहते है कि अपराध कम हो गये मैं कह रहा हूं कि अपराध इतने हो गये, मगर आप दर्ज ही नहीं करते हैं। देवली तहसील का भूमि माफिया का सवाल, आता हैं, कुछ बड़े–बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं, छोड़ दिये जाते हैं, उनकी फाइलें यहां पर मंगवा ली जाती हैं। आसपास जो जनता रहती है उनमें इसकी बड़ी–बड़ी चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं को आप गम्भीरता से देखें।

आखिर में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भ्रष्टाचार कम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम परन्तु पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जो आप सुविधाएं देते हैं वे मैं पर्याप्त नहीं मानता हूं। जितनी उनकी ड्यूटी है....

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : ...फाइल यहां मंगवा ली, कार्यवाही नहीं होने दी, वह भी तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, इण्टरप्शन न करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मांडल तहसील में एक बहुत जघन्य अपराध हुआ उसके संम्बन्ध में ...

एक माननीय सदस्य : इनकी बस से आदमी मर गये और उनका...(व्यवधान) इन्होंने चालान नहीं होने दिया। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : वे मर गये, वह तो देख लिया। (व्यवधान) वह तो आप सबने कोशिश कर ली, क्यों राजनीतिकरण करना चाहते हो ?

श्री कालूलाल गूजर : इन्होंने चालान नहीं होने दिया उस बात का और उनकी फाइल यहां गृह मंत्रालय में रोक रखी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : वे सारी बातें... (व्यवधान) आप असत्य चालान कराना चाहते थे (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी मरे हैं उनका क्लेम भी नहीं हुआ। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप उस ट्रक वाले से मिलकर चालान कराकर मुझे फंसाना चाहते थे उसमें आप की नीयत यह रही थी। उसका भी राजनीतिकरण कर दिया आपने तो। मैं निवेदन यह कर रहा था ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री लक्ष्मीनारायणजी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं 2 मिनट में समाप्त करना चाहूंगा।

मैस के इण्डेक्स के भाव इस तरह बढ़ते हैं, इनके मैस अलाउंस को बढ़ाने की बात मैं कहना चाहता हूं। साल में 4 ड्रेसें इनको मिलें ताकि छोटी--मोटी गड़बड़ियां जो पुलिस में ज्यादा होती हैं ये निश्चित रूप से खतम हो जाएं। मैं यह चाहूंगा कि इस तरह के मामालों को आप गम्भीरता से देखें और आज ही इस बात का निर्णय लें कि 4 ड्रेसें तो कम से कम इन कर्मचारियों को मिलें और इनके मैस का स्तर ठीक हो । इनके मैस अलाउंस बढ़ाये जाएं ताकि ये ईमानदारी से ज्यादा सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक बहुत ही जरूरी मुद्दा नोट कराना चाहती हूं कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं से सम्बन्धित जो मामले हैं उनके लिऐ स्पेशल टास्क फोर्स हरेक जिले में कायम कि जाए उनके कैसेज के प्रभावी ढंग से निस्तारण के लिये आप स्पेशल समरी कोर्ट्स कायम करें । इस बाबत मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी चिट्ठी लिखी है, आपको भी भेजूंगी लेकिन मैं चाहती हूं कि इसको आप बहुत गम्भीरता से लेकर इस व्यवस्था को कायम करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : पहले आप बोल रही थीं तब रह गया दिखता है यह। कोई बात नहीं, बिराजिए। श्री लक्ष्मीनारायणजी।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 पर चर्चा हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री जी का ध्यान सदन की तरफ दिलाना चाह रहा हूं राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाती के साथ अत्याचार हो रहे हैं धौलपुर में, कोटा में गौना होते वक्त अनुसूचित बैरवा जाति के एक दूल्हे पर पेशाब फैंकना, बागली गांव के अन्दर हरिजन महिला को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटना और बीड़ियों से उसकी देह को जलाना। इसी तरह के मामले अलवर, भरतपुर, टौंक, गंगानगर और अजमेर में भी हुए ये लोग जब थानों में जाते हैं तो थानेदार इनकी कोई सुनवाई नहीं करता है क्योंकि यह गरीब तबका है। वास्तविकता तो यह है गृह मंत्रीजी, कि इनकी महिलाओ के साथ, इनकी बेटियां के साथ कोई भी 4 आदमी यह इच्छा कर लेते हैं कि इसको बस में से उतारकर किडनैप करना है ओर किडनैप कर लेते हैं। खेत में काम कर रही होती हैं, कोई भी दो व्यकित अपनी मंशा बनाते हैं और इसके साथ रेप हो जाता है क्योंकि ये अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। चाहे हरिजन समाज को हो, चाहे सवर्ण जाति का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे नीचे वर्ग का हो समाज में सभी वर्ग रहते है सबकी इज्जत समान होती है। सभी की अपनी मान मर्यादा होती है और सभी की अपनी इज्जत—आबरु होती है, परन्तु आज भी इस समाज के लोगों को हीन भावना से देखा जाता है इनको पुलिस कि तरफ से और सरकार कि तरफ से भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वास्तविकता यह है इन लोगों के पास न लाठी का जोर होता है और न पैसे का जोर होता है। अगर लाठी का जोर हो तो कोई व्यक्ति इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है, न इनके साथ रेप कर सकता है, न कोई बलात्कार कर सकता है। पैसे का जोर हो तो ये सिविल कोर्ट में जाएं, हाई—कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट तक जाएं तथा उन अत्याचारियों को, उन दोषियों को सजा दिलाकर मानें। परन्तु इसके बिना ये मेहनत — मजदूरी करें या कोर्ट— कचहरी के चक्कर काटें इन लोगों को प्रोटेक्शन दिलाने के लिये एट्रोसिटीज एक्ट आपने बना तो दिया परन्तु, गृह मंत्रीजी आप जरा ध्यान से देखिये कि कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितनों में क्या सजा मिली। यह ठीक है कि एट्रोसिटीज एक्ट का मिसयूज भी कई जगह होता है परन्तु अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जब तक ऐट्रोसिटीज एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है, तीन—चार दिन के बाद मे पुलिस कार्यवाही करती है तब तक लोग अपनी जमानत करा चुके होते हैं। थानेदार के पास जाते हैं तो थानेदार जाते ही कहता है कि भाई, यह तो मेरा मामला नहीं है, डिप्टी साहब इस पर इंक्वायरी करेंगे। दो दिन डिप्टी साहब के पास जाने में लग जाते हैं। अब 3 दिन के बाद वह जाता है, करता है कोई रिकवरी, करता कि

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

नहीं करता है, तब तक लोग जमानत करवा लेते हैं। जितने भी अत्याचारी और जितने भी मुलजिम होते हैं, वे आराम से बाजार में और हर जगह घूमते रहते हैं।

इसी प्रकार से इन लोगों की जमीनों के साथ होता है। जमीन हरिजन की होती है लेकिन सवर्ण जाति के लोग उसको बो लेते हैं, उसको बोने नहीं देते हैं। अगर वह मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता हैं। अगर गलती से हरिजन उस जमीन को बो भी लेता है और उसमें फसल उग भी जाती है तो रातभर में सवर्ण जाति के लोग जाकर उसको भेळ देते हैं, उसको मिला देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। अगर गलती से फसल पक भी जाती है तो सवर्ण जाति के लोग रातों—रात जाकर उसको काट कर अपने घर में भर लेते हैं और बाजार में बेच कर उसके पैसे ले लेते है। पुलिस इंक्वायरी करती रहती है जब कि वे फसल बेचकर अपने घर में पैसे बांध लेते हैं। पुलिस रिकवरी काहे की करेगी? वह फसल काटता है, दो दिन में उसको निकालता है और बाजार में बेचकर आ जाता है। पुलिस वाले के पास जाते हैं तो भाई अभी तो रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी में टाइम लगेगा जबकि फसल नाम का तिनका ही नहीं रहता है वहां पर। इस प्रकार गृह मंत्री जी मेरा आप से यह आग्रह है कि एट्रोसिटीज एक्ट को लागू किया जाय तो इसकी मोनीटरिंग अलग से की जाए। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार होता है इसको और जनरल केस की तरह लिया जाता है जो कई सालों तक चलते रहते हैं। वह गरीब आदमी अपना पेट पाले, मजदूरी करे या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाये? उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर उनको पैसे का प्रलोभन वगैरह देकर उनसे राजीनामा करा लिया जाता है। इस तरह जो अत्याचारी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको सजा नहीं मिल पाती और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ निष्पक्ष जांच नहीं होती जो अपराधी होते हैं उनको सजा नहीं मिल पाती।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र अनुसुचित जाति का रिर्जव क्षेत्र है। वहां पर फागी और चाकसू दोनों हैं परन्तु यहां जो डिप्टी लगता है वह दूदू का लगता है या बस्सी अथवा जयपुर आना पड़ता है जिससे तुरन्त कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर एक डिप्टी इस क्षेत्र के लिये लगा दिया जाय तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि एस. सी., एस. टी. की जहां कांस्टीट्यूएंसीज हैं या जहां वे ज्यादा रहते हैं वहां डिप्टी, एडीशनल एस. पी. या एस. पी. तीनों रेंक्स में से एक व्यक्ति एस. सी., एस. टी. का जरूर लगा दें जिससे कि वह जातिवाद के प्रभाव में आकर या पैसे के प्रभाव में आकर कोई गलत निर्णय न लें और इन लोगों को न्याय भी मिले।

मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं मैंने इसमे एक ध्यान आर्कषण प्रस्ताव भी दिया हुआ है कि राजगढ़ तहसील के अन्दर शंकर लाल बैरवा अपने गांव, रेड़ी के अंदर जमीन जोत रहा था। वहां पर उसकी पुश्तैनी 20 बीघा जमीन थी, जब वह जोत रहा था तो विश्राराम, सुखराम, रामचन्दर, श्रीनिवास, राधेश्याम बनवारीलाल, खेलचंद, छोटेलाल और कैलाश, सभी मीणा जाति के व्यक्ति आये। 21. 6. 96 की बात है जिसका एफ. आई. आर. नम्बर 45/96 है। ये लोग ट्रैक्टर में भरकर आये। बैरवा जाति का वह परिवार अपना खेत जोत रहा था तब वे सारे ट्रेक्टर में भरकर और हथियारों के लैस होकर आये। उसकी 6 माह की बच्ची थी वह लाठी के प्रहार से

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा) (190)

एट–द–स्पाट मर गयी। ट्रैक्टर चलाकर उनको रौंदा गया और यह कहा गया कि पूरा बदला लेगें ट्रैक्टर से रौंदने की पुरी कोशिश की। वे लोग थाने में गये, थानेदार ने कोई कार्यवाही नहीं की। फिर ये लोग ग्वाला साहब, जो वहां पर पुलिस अधिकारी थे, उनके पास गये, परन्तु उन्होंने भी थोड़ी–बहुत कार्यवाही करके उनको छोड़ दिया। आज भी दोषी व्यक्ति गांव में खुले घूम रहे हैं। न तो आज तक किसी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, न उस ट्रैक्टर टोली को जब्त किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस थानेदार को वहां से हटाकर, निष्पक्ष जांच कराकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री हरजीरामजी बुरडक। यह नाम उनके पुकार रहा हूं, (व्यवधान) मुझे क्षमा करेंगे आप। आप बार बार खड़े नही हों, आप मेरी बात सुनलें। यह नाम उनके पुकार रहा हूं जिनको व्यवस्था पर बोलना था। मैंने व्यवस्था दी थी कि आपको अवसर दिया जायेगा, मैं उनके नाम पुकार रहा हूं । आप बिराजिये आपका नाम आने वाला है। श्री बनवारीलालजी बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर सीधा ही आना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी मजबूरी है, आप समझो। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे जरूरी जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है सुरक्षा। अपनी सोसाईटी के अन्दर सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है, लिहाजा हर आदमी उनसे तवक्को करता है, उनसे उम्मीद करता है कि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था सही ढंग से वे करें। आज पक्ष और विपक्ष दोनों साइड से पुलिस के ऊपर काफी कुछ कहा गया । इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहां पुलिस में बहुत अच्छे–अच्छे अफसर हैं। वे भी अच्छे काम करतें है और माननीय गृह मंत्रीजी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सक्षम करें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां हैं, जिनको हम लोगों को नजर अंदाज करके नहीं चलना चाहिये, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

आज ही मेरा प्रश्न था लेकिन वह प्रश्न आ नहीं सका। उसके तहत मुझे सूचना दी गयी कि हमारे यहां टौंक जिले के अन्दर पिछले तीन साल में 47 मर्डर हुए, 52 बलात्कार हुए, दो डकैती हुई और 509 चोरियों के केस हुए। माननीय अध्यक्षजी, 47 में से आठ अदमबकुआ और पांच अदम सबूत, ये तो मर्डर हुए। उसी तरीके से बलात्कार के अंदर 14 बलात्कार अदमसबूत, अदमबकुआ घोषित किये गये और 200 से भी कम, शायद 125 चोरी के केसों में सक्षम तरीके से काम हो पाया, शेष पड़े हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान कुछ मुख्य– मुख्य बातों कि तरफ दिलाना चाहूंगा जो वे नोट फरमाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे निवाई कस्बे में 123. 12. 1994 को दिन के ढ़ाई बजे एक महावीर जैन हैं, उनके मकान में से तीन ढ़ोल लुढ़के और लुढ़क कर उनमें विस्फोट हुआ। मौके के उपर तीन आदमी मर गये। आज तक भी केस का चालान नहीं हो पाया। एक तो हरिजन था लालचन्द रैगर, एक चेतराम नाई और एक अतुल शर्मा, तीन की मौत हो गयी। आज तक चालान नहीं होने से उनको जो भी आगे कोई लाभ मिल सकता था, कम्पनसेशन मिल सकता था..

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा नाम ले रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हां, महावीर जैन हैं बड़े गांव वाले।

श्री टीकमचन्द कान्त : ये नहीं हैं जब ठीक है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्षजी, उसके अन्दर कहीं राजनीति काम कर रही है वरना 94 का केस है उसमे आज तक चालान पेश नही हुआ, यह बहुत दुःखद बात है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इसके उपर आप खास तौर से तवज्जोह दें। इससे हमारे यहां पर बड़ी अशांति फैल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से दूसरा एक और केस रैफर करना चाहता हूं, 52/95 बाबू नाम का एक नौ जवान खेत पर काम कर रहा था, उसका अकारण मर्डर कर दिया गया। उसके मुलजिमान की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस ने कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश नाकाम कोशिश रही और आज तक उसके अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार नही किया गया।

तीसरे नम्बर का जो केस है जो वह है बरूनी थाने का, 172/95 एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया। और आज तक उसमें कोई मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। उसके कारण मुख्य रूप से यह कि थाने के बाहर जो टाउट्स घूमते रहते हैं वे छानबीन सही ढंग से नहीं करने देते और सक्षम तरीके से काम नहीं हो पाता। आप जानते हैं कि जब भ्रष्टाचार कहीं लिप्त हो जाएगा तो फिर वह काम कैसे हो पाएगा। अब वे हरिजन हैं, चिल्ला—पुकार कर रह जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा सजा देते हैं तो फिर हमको देते हैं। आपको तो कुछ भी नहीं कह पाते लेकिन उसकी हमको सजा देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा का एक केस मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर को टोलड़ी सागर के ऊपर आर. एस. एस. का एक शिविर था। शिविर समाप्त होने के बाद में शिविरार्थी वहां से रवाना हुए लेकिन उनकी गाड़ी नहीं आ पायी थी, वे आकर के बाहर सड़क के ऊपर खड़े हो गये। एक गाड़ी उधर से आ रही थी। उसका सलीमुद्दीन नाम का एक ड्राइवर था जो देवगांव का था मेरी केकड़ी तहसील का। उसने देखा, बच्चे खड़े हैं, इंसानियत के नाते उसने गाड़ी को रोक लिया। सब बच्चे उसके ऊपर चढ़ गये। चढ़ने के बाद उसने कहा कि किराये के पैसे दीजिये। पैसे के ऊपर कोई टंटा हो गया होगा तो उसने लाकर उनको ट्रक स्टैंड के ऊपर रोक दिया। वे उससे झगड़ा करने लगे कि नहीं, आप हमको आगे लेकर चलिये। हो सकता है वहां पर उनकी कहा—सुनी हो गयी हो, किसी ने और भी कुछ बात कही हो लेकिन बस स्टैंड पर लाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गयी। बड़े अफसोस की बात यह है कि उस केस के अन्दर जो मुलजिमान पकड़े गये, उसके ऊपर वहां पर जबरदस्त तरीके से हड़तालें की गयीं। आर. एस. एस. की तरफ से पूरी कोशिश की गयी कि यह बिलकुल असत्य है। असत्य कैसे है? आदमी मर गया यह असत्य है? वहां उसके छोटे भाई तक को मारा, वह अकेला। पुरे बस स्टैंड के ऊपर ऐसा आतंक फैला दिया गया, इतना आतंक वहां छा गया कि कोई आदमी गवाही देने वाला नहीं मिला। एक बच्चा, सिर्फ उसने यह बात कही....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछ रहा हूं कि उसका जो छोटा भाई था, उसके बयान है, उससे आप मिले है क्या?....(व्यवधान)......

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। नहीं—नहीं, मैं ......(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसने यह कहा है कि ये मुलजिम नहीं थे। आप गलत बयानी तो मत करो। मैं बिलकुल नहीं चाहता किसी को बचाना लेकिन आप गलत बयानी कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप गृह मंत्रीजी के माध्यम से बात करिये। मुझे बात कहने दीजिये आप।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बच्चे ने यह कहा कि एक लड़के के हाथ के अन्दर प्लास्टर बंधा हुआ था और उसने उसके सिर के ऊपर स्ट्रोक किया उससे उसकी डैथ हुई है। उसके बाद में इन दो को पकड़ा गया। चार दिन बाद इनको छोड़ दिया गया। वे मुलजिमान आज तक पकड़े नहीं गये, आगे कोई कार्यवाही उसमें नहीं हुई। इससे क्या होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो हम एक साम्प्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं उसके अन्दर एकदम कमी आएगी, विश्वास की कमी आएगी। सोचेंगे कि सिर्फ एक अमुक जाति का, सम्प्रदाय का व्यक्ति था इसलिये उसके साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, कि आप उसके अन्दर जो मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार करवाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +

श्री बनवारी लाल बैरवा : वह तो आप देखें, क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह एक्सपंज कर दें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी मांग यही है कि जिन लोगों ने वह जुर्म किया है वे जुर्म करने वाले लोग पकड़े जाने चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी उथरना वाला कांड आपके सामने आया। पुलिस के लोग उसके अन्दर मुलव्वस थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आपके सामने आ गयी बात। अब इस 23 मई को एक हीरा नाम का भाट था, यह भी उसी देवली तहसील की बात है, जहां पुलिस के मुलजिमान थे, उसको वहां थाने में मार दिया। मारने के बाद यह कहा कि इसका एक्सीडेंट हो गया। उसके घर पर इत्तला करवा दी कि वह सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर चला गया है। वे सवाई मानसिंह अस्पताल की तरफ आने लगे तो रास्ते में उसकी पत्नी और भाई को कहा गया कि नहीं, नहीं, वह तो देवली में है, गलत बयानी हो गयी। उसकी लाश को लेकर टोलड़ी आये उसके सिर पर चोट थी, वह एक्सीडेंट की जो बात कह रहे थे, एक्सीडेंट वाली कोई बात थी नहीं, उसको तो मोटर साईकिल चलाना नहीं आता था, मोपेड चलाना नहीं आता था तो जब चलाना ही नहीं आता तो एक्सीडेंट कैसे करेगा ? वहां टोलड़ी के तमाम लोग जमा होगये। वहां पर बोर्ड बैठा और बैठने के बाद बोर्ड ने कहा कि हां, इसके सिर पर चोट है, धारदार हथियार की चोट है। उसके पीछे वहां का हैडकांस्टेबल है, जिसका अखबार के अंदर नाम आया है, जो बराबर लग रहा है। उसका नाम है, क्या उसको गिरफ्तार किया गया? नहीं गिरफ्तार किया गया तो किनको गिरफ्तार किया गया, उसके अंदर, गृह मंत्रीजी, आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन केसेज के ऊपर पुलिस को एक्शन करना चाहिये उन पर तो करती नहीं है और जिन पर नहीं करना चाहिये उन पर कभी-कभी बड़ी गति से केस करती है। मेरे यहां के एक सरपंच हैं जो हमेशा आकर पुलिस से कहा करते थे कि यह गरीब आदमी है इसकी मदद करो, इसके

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

बारे मे आप यह करिये, यह करिये, इसको तंग मत कीजिये। उसके ऊपर इन्होंने झूठा केस लगाया 202/95 का। वह काफी सख्त केस लगाया जबकि वह खुद उस समय थाने में बैठा हुआ था जिस समय उन गांव वालों के लड़ाइयां हुई किसी और जगह पर। जब वह थाने में मौजूद था तो उस पर केस लगने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उस पर केस लगा कर उसको गिरफ्तार करने के प्रयत्न में पुलिस लग गयी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि इस तरह की जो बातें होती हैं उनके अन्दर यह बात जरूर ध्यान रखनी चाहिये कि जो बात करने की है वह करनी चाहिये और जो नहीं करने की है नहीं करनी चाहिये।

जहां तक पुलिस की एमिनिटीज का सवाल है, अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोग रात—दिन यहां आपकी सेवा करते हैं। यह ठीक बात है कि उनमें कुछ लोग अच्छे नहीं भी हैं लेकिन अच्छे लोग हैं और वे सेवा तो करते ही हैं, उनकी तनख्वाह के बारे में उनके रहन—सहन के बारे में, उनके हर मामलात के अन्दर आपको सोचना चाहिये और उनको सुविधा जरूर प्रदान करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजलाजी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आज जिस तरीके के जुर्म और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है और नये—नये ढंग जरायमपेशा लोग निकाल रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिये, उनको मीट आउट करने के लिये आप इनको ऐसे साधन जुटाइये जिससे उनको यह निपट बीरमा मीणा की हत्या हुई, उसके कोई मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए, गुराई में डकैती हुई, उसके मुलजिमान कोई गिरफ्तार नहीं हुए इसी तरह से हमारे सिरोही गांव में एक बंगाली डाक्टर पिछले कई सालों से काम करता था, वहां रहता था, पिछले दिनों उसकी हत्या हो गयी। उसमें दो मुलजिम पकड़े गये हैं लेकिन लोगों का सोच है कि ये सही मुलजिम नहीं हैं, कोई और मुलजिम होंगें। माननीय गृह मंत्रीजी, उसके ऊपर आप जरा निगाह डालिएगा, देखिएगा कि उसके अन्दर क्या हो सकता है। जो सही बात है वह करनी चाहिये।

एक बात बहुत अच्छे तरीके से यहां रखी गयी कि कोई एफ. आई. आर. अर्ज कराने के लिये आएगा तो पुलिस कहेगी कि ये ये चीजें लेकर आओ तब यह केस दर्ज होगा। तो मंत्री महोदय, यह अच्छा भी नहीं लगता। एक वक्त था कि जब पुलिस के पास इतना फंड नहीं था कि जो यह आप लोगों को देते। तब तो चलिये मजबूरी रही होगी लेकिन आज फंड की तो कोई कमी नहीं है, फंड्स इनको प्रोवाइड कीजिये ताकि वे स्टेशनरी अपनी लगाएं, आते ही लोगों से डिमांड न करें। इसी तरह से फर्नीचर की जो कमी है वह फर्नीचर की कमी की भी वहां पर पूर्ति की जानी चाहिये। जहां पर पुरानी बिल्डिंगों के अन्दर थाने चल रहे हैं अब वहां आप नयी बिल्डिंगे बनाने की व्यवस्था कराएं। जैसे हमारे थाना सदर है, इसकी बिल्डिंग अभी तक किराये के मकान में चल रही है और मकान भी क्या है बरामदा है। थाने के लिये तो अच्छे ढंग का भवन होना चाहिये। इसी तरह से हमारा जो पुराने टौंक का थाना है उसकी भी बिल्डिंग पुरानी बनी हुई है लिहाजा आप उसको बनाने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें अब।

श्री बनवारी लाल बैरवा : टौंक के अन्दर कृषि उपज मंडी के पास में एक पुलिस चौकी और खुलवाएं क्यों कि अब बस स्टैंड भी उधर ही आने को है, कृषि उपज मंडी भी उधर ही आने को है लिहाजा यह भी सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त रहेगा। इतनी बात कह कर, अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया , धन्यवाद ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16 और 17 दोनों पर अपने कुछ सुझाव और कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पता नहीं किस प्रकार से 1978 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 में 433 ए जुड़ गयी जिससे आजीवन कारावास के बंदियों को अच्छे आचरण की जो छूट मिलती थी किसी प्रकार का काम करने की जो छूट मिलती थी ओर उस अर्जित छूट के आधार पर सलाहकार समिति की राय से 13–14 साल में वे छूट जाया करते थे, वह नहीं छूट पाते हैं। मुख्य मंत्रियों की बैठक में या केन्द्र में मुख्य मंत्रीजी मिलें तब चर्चा करें यह पूरे देश का मामला है, इस प्रकार के अच्छे सुधार के बाद भी उन्हें जेलों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा हैं इससे व्यवस्था में सुधार होगा, यह मैं निवेदन करना चाहूंगी ।

अध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर और राजस्थान में बांगलादेशी लोगों के निवास का मामला उठा है लेकिन इस बाबत पुलिस अपने आप निर्णय नहीं ले सकती। ये बांगलादेशी लोग केवल राजस्थन में ही नहीं दिल्ली और अन्य प्रान्तों में भी आ रहे हैं इसलिये इनके सम्बन्ध में भी मुख्य मंत्रीजी को केन्द्र में चर्चा करनी चाहिये कि इस सम्बन्ध में क्या नीतिगत निर्णय रहेगा इनको वापस भेजना है तो जल्दी भेजें। कहीं भी हमारे देश का कोई आदमी जाकर एक दिन भी अधिक नहीं रुक सकता है, लेकिन यहां पर अनेकों अनेक लोग हैं। अगर उनके शुद्ध आचरण होते तो हमें कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी और शहर में भी काफी लोग हैं जिन्होंने अपने अलग ही ढंग के क्रियाकलाप अपना रखे हैं। मैं उनका यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहती, इशारे में मैंने बात कही है। मुख्य मंत्रीजी को चाहिये कि वे मुख्य मंत्रियों की बैठक में, प्रधान मंत्रीजी से मिल कर या राष्ट्रपतिजी से मिल कर इसका निर्णय लें कि ये यहां रहेंगे या यहां से जाएंगे।

मैं जेलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी भरतपुर और उदयपुर जेल के रख रखाव के लिये रुपया केन्द्र से मिला था एक जनवरी, 1995 को, उसका उपयोग नहीं किया गया। यही हाल डीग में जब कैदी फरार हुआ तब हुआ उसके जाने के बाद यह हुआ कि वहां तार लगाये जाएं, विधुतीकृत किया जाए जिससे कोई भागे नहीं, तो तार तो लगा दिये गये लेकिन उनमें विद्युत प्रवाह आज तक नहीं किया गया। ये कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिन पर तत्काल रूप से काम करना है। निर्णय लेने की बात नहीं है, केन्द्र से रुपया मिला हुआ है बस आप को काम करना है। अजमेर की जेल, जोधपुर की जेल के रख–रखाव के लिये भी पैसा मिला है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। सीकर, झुन्झुनूं में 6–6 लाख रुपया वाहन खरीदने के लिये मिला, वाहन खरीदे भी गये लेकिन ऐसा ज्ञात हुआ है कि वे वहां काम में न आकर अन्य जगह पर काम में आ रहे हैं। मैं समझती हूं कि यह उचित नहीं हैं। परिवहन की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, आल्टरनेटिव व्यवस्था, चिकित्सालय की अच्छी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जब तक जेलों में नहीं होंगी, सुधार नहीं होगा। तात्कालिक रूप से कोई भी काम हो कि किस प्रकार से ले जाया जाएगा, किस प्रकार से सुरक्षा और रक्षा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की जाएगी और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी कैसे निर्णय लिये जाएंगे यह मेरी समझ में नहीं आया।

मैंने आज सुबह महिला बंदियों के सम्बन्ध में एक छोटी सी चर्चा की थी कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जायं मुझे कोई निर्णीत उत्तर नहीं मिला। मैं समझती हूं एक ऐसा वर्ग जो आजीवन कारावास का कैदी है उसके लिये न पीहर में स्थान न ससुराल में स्थान, न कहीं सरकार में स्थान, और न धरती में न आसमान में कहीं स्थान उनके बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा ? इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से निर्णय लिया जाना चाहिये, यह मैं निवेदन करना चाहूंगी।

तारबंदी की बात थी कि सीमा पर हम तारबंदी कर रहे हैं। केन्द्र से रुपया भी मिला है, व्यवस्था भी चल रही है लेकिन प्राथमिकता के तौर पर बहुत जल्दी इस काम को निपटाना चाहिये था। सीमा पर तस्करी होती है, उधर से हथियार भी आते हैं, मादक द्रव्य भी आते हैं, अन्य चीजें भी आती हैं, इधर से भी जाती हैं, मैं समझती हूं फिर अपराध और भी बढ़ते हैं। यही नहीं अपराध के प्रकार भी बढ़ते हैं। इस सम्बन्ध में एक ठोस निर्णय लेना था निर्णय यह लेना था कि जो भी हमारे प्रदेश की सीमा लगती है उस पर ऐसे लोगों को जो हथियार चलाना भी जानते हों, सुरक्षा करना भी जानतें हों रिटायर्ड सैनिक हों, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हों उनको निःशुल्क जमीन देकर बसाया जाए जो वहां की भी सुरक्षा कर सकें और देश के निवासियों की भी रक्षा कर सकें। सरकार को कई बार इस तरह के सुझाव दिये गये लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। मुख्य मंत्रीजी इसके सम्बन्ध में निर्णय लें, वे समर्थ हैं। अगर हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो हम अपराधों पर नियंत्रण कर पाएंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बड़े पैमाने पर मादक द्रव्यों की तस्करी होती है। यहां पर मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि शराब पीने के बाद पुलिस अधिकारी और अपराधी, दोनों में कोई अन्तर नहीं होता। शराब के मोह से उनको मुक्त रखने के लिये आप राजस्थान में क्या कदम उठा रहे हैं ? पीने के बाद कितना अपराध कौन करता है और पीने के लिये अपराध कौन करता है यह सोचने की बात है। दारु के लिये पैसे चाहिये, पैसा चाहिये तो भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, दूसरे की जेब काटी जाती है और एक से बढ़कर एक अपराध सामने आते हैं। इनको नियंत्रण करने के लिये इतनी चर्चा यहां हुई है यहां यह हो गया, वहां यह हो गया। आप जड़ पकड़िये, जड़ पकड़ने के बाद अपराध अपने आप कम हो जाएंगे और राजस्थान में निश्चित रूप से बहुत अच्छा साल होगा।

(20.00)

मैं यह नहीं मानती कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान में कोई अधिक अव्यवस्था है। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत सुधार हैं आज आदमी किसी वक्त भी कहीं भी चला जाता हैं ये छुटपुट घटनाएं तो मानवीय प्रवृत्ति की घोषित स्थितियां हैं। मैं चाहती हूं कि लोग सुखी रहें, सम्पन्न रहें और किसी तरह का कोई अपराध न करें इसके लिये व्यवस्था हो। जो अभी बात कर रहे थे रोटी, कपड़ा और मकान की इसकी व्यवस्था तो कीजिये लेकिन सुचारू रूप से और भी कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। उन सामाजिक व्यवस्थाओं को अगर हम कर पाते हैं तो अपराधों पर नियन्त्रण निश्चित रूप से होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अपराधी की न तो कोई जात होती है न कोई वर्ग होता है। यहां पर जब भी बात कही जाती

(196)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है या तो किसी वर्ग को लेकर कही जाती है या किसी जाति को लेकर कही जाति हैं किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में, किसी भी उम्र में कोई भी अपराध पनप सकता है, किसी भी अधिकारी और कर्मचारी में भी पनप सकता है जो जड़ है वहां पर आप आघात कीजिये। इन अपराधों से राजस्थान को मुक्ति दिलाने के लिये मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी प्रयास करें, मैं समझती हूं इसमें इनको सफलता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस में कई बार सुबह से शाम तक ड्यूटी पर खड़े रहो, यहीं पर है, विधान सभा में आठ घंटे की ड्यूटी है उसकी बजाय उनकी ड्यूटी बहुत लम्बी हो जाती है। हमसे पहले आते हैं और हमारे बहुत देर बाद जाते हैं। उनको कोई ओवर टाइम नहीं, कोई हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं। कहीं भी चढ़ गये फांसी के फन्दे पर झूल जाएं। जिन्होंने अच्छे काम किये उनको पुरस्कार दें, गलत काम करें, उनको सजा दें, यह निर्णय तो आपको लेना चाहिये। यह निर्णय लेने में क्या दिक्कत है ? कितने ही अधिकारियों के, कर्मचारियों के मामले अनुसंधान होने के बाद निर्णीत पड़े हैं लेकिन सजा नहीं दी जा रही हैं। वे पता नहीं कहां ताक में या आलमारी में रखे हैं। उन पर निर्णय होना चाहिये। अगर गलत आदमी को सजा मिली तो वे आगे गलती नहीं करेंगे। इसमें हमको देर करने की क्या आवश्यकता है ? इसमे कोई बलवा होने वाला है क्या ? अपराधी को सजा मिलनी चाहिये, वह कोई भी हो सजा मिलनी ही चाहिये।

यहां पर महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा आयी, अगर महिला थाना हर जिले में खुल जाए तो क्या दिक्कत है ? कम से कम जिला हैड क्वाटर पर तो महिला थाना होना होना ही चाहिये, उससे बहुत सुरक्षा हो जाएगी जहां पुरुष अधिकारियों से बात करने में स्त्रियां संकोच करती हैं या पूछने वाले बदतमीजी से पूछते हैं, उन सबसे उनकी सुरक्षा हो जाएगी। आप महिला थाने खोलिये जिससे कि दहेज के जो प्रकरण हैं, आत्महत्या, हत्या को आत्म हत्या में बदलना, इससे तो कम से कम मुक्ति मिलेगी।

अब यहां बम की बात आयी कि बम विस्फोट हुए। पुलिस को आधुनिकतम हथियारों से सज्जित करने के लिये किसने मना किया है ? मिट्टी मे बम दबा होता है तो मालुम नही पड़ता है। ऐसे यन्त्र नहीं है कि वहां से निकलने पर बच जायं। पुलिस की गलती है क्या ? हम अगर उनको हथियार से सज्जित नहीं करेंगे तो पुलिस क्या करेगी ? मेरे हाथ में झाडू नहीं होगी तो बुहारी कहां से लगाऊंगी ? मैं तो सीधी घर की बात जानती हूं। मैं कहना चाहूंगी जब तक हथियार नहीं होगा तो पुलिस कैसे लड़ेगी और कैसे सुरक्षा करेगी ?

एक विस्फोट यहां भरतपुर के पास में हो गया, आगरा से कोई बस आ रही थी। अब बस अड्डो में अन्दर जाना ही मुश्किल हो गया, मुश्किल क्या हो गया सामान लेकर स्कूटर से या अपने वाहन से कोई जा नहीं सकता। अब वृद्ध लोग बरसात में भीगते हुए, लटकते हुए अपना अपना सामान ले जा रहे हैं। अगर वाहन नहीं ले जाने देना है तो कम से कम हवाई अड्डों पर जैसी ट्रोलियां खड़ी हैं। वैसी ट्रोलीयां खड़ी कर दीजिये। जो बम लेकर आता है उसको तो पकड़ नहीं पाते हैं और जिसके पास बम नहीं होता जो साधारण आदमी है उसके लिये प्रबंध दिखाये जा रहे हैं। मैं इन प्रबंधों को बुरा नहीं मानती लेकिन मैं कहूंगी कि पुलिस को आधुनिकतम हथियारों से सज्जित करें जिससे कि वह आगे प्रयास कर सकें।

नाकेबंदियों पर यातायात के अधिकारी और पुलिस अधिकारी लगाये जाते है। बात

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मामूली सी है कि वे देख लें कोई तस्करी की कोई चीज तो नहीं ले जा रहे हैं यह नहीं, उनसे वे बिना पैसे लिये आगे निकलने ही नहीं देते। इतना धक्का लगता है कि उन चैक पोस्टों पर जो चैक पोस्ट सुरक्षा के लिये है, पैसे वसूल किये जाते हैं मैंने अभी चलते चलते मेरे इलाके में एक बार पुलिस अधिकारियों से कहा कि इस को बन्द करो। उन्होने कहा बंद कर दिया। अब चैक नहीं करेंग बाद में मैं गयी तो वे वहां पर वे चैक कर रहे थे। मैंने कहा कि इधर आओ जरा तो वे कहने लगे अभी आये मैंने कहा, उनसे कितने पैसे लिये ? तो वे बोले, पैसे लिये ही नहीं। मैंने एक पुलिस अधिकारी से कहा कि इसकी जेब देखो, मुझे बाद में मालूम हुआ कि वह जहां से चला था, मुझे देखकर, मेरी मुद्रा देखकर उस पैसे को वहीं गिरा दिया। वे उठवाये, बरामद किये और तब मैं आगे बढ़ी। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो ट्रक सामान लेकर आते हैं, जो अंतर–राज्यीय परमिट के हैं उन सब को चैक करने की आवश्यकता है लेकिन हमारे राज्य में जो आने वाले हैं उनसे पैसे वसूले जाने से कौन सी बात चली ? उनसे पैसा वसूल नहीं किया जाना चाहिये यह मेरा निवेदन है इससे पुलिस की छवि गिरती है इस पर निश्चित रूप से तत्काल नियंत्रण किया जाना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, जयपुर में 30 थाने हैं। अब और बढ़ गये हों तो मुझे पता नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि यहां पर मौहल्ले–मौहल्ले में थानें हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बन्द कर रहीं हूं दो बात और कह कर बन्द कर दूंगी।

मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां पर 30 थानें हैं, यहां पर सब साधन हैं। हम ओटो रिक्शा, रिक्शा लेकर या पास है तो पैदल चलकर जा सकते हैं। यहां तो मौहल्ले–मौहल्ले थाने हो गये और जयपुर के पास जो खानियां है वहां के आदमी को सुमेल के और आस पास के किसी भी मामले को दर्ज कराने के लिये बस्सी 27 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। मैंने सलाह दी थी कि कानोता में थाना खुलवाएं, वहां थाना नहीं खुला। यह बात सच्ची है कि वहां के जो थानेदार हैं पता नहीं किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, कि बजाय मामले को समाप्त करनें या समझाने के या सुलटाने के वह उकसाते हैं, भड़काते हैं अभी रामेश्वर शर्मा के साथ अन्याय हुआ। वह स्कूटर से जा रहा था, पीछे से 10 आदमियों ने उस पर हमला किया। एक आदमी उनमें से भी वैसे ही कपड़े और वैसी ही पगड़ी पहना हुआ था, वह उन्हीं के आदमियों घायल हुआ और निहत्थे आदमी को जेल में बन्द कर दिया गया जिसका कोई अपराध नहीं था। उसके यहां शादी थी, शादी के लिये सामान लेकर जा रहा था। इसमें सारा हाथ बस्सी के इंर्चाज का है। यह मैं साफ–साफ कहना चाहती हूं, मेरे में किसी को आरोपित करने की आदत नहीं है। मैं बहुत कष्टकर स्थिति में यह बात साफ–साफ कहना चाहती हूं कि इधर एक औरत के पैर काट दिये और उसी के पति को तंग कर रहे हैं। और कोई भी मामला हो, उसमें उसी के पति को तंग कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूं इस मामले में कोई अच्छी कार्यवाही करनी चाहिये।

अपराध बढ़े हैं, इन अपराधों पर नियंत्रण होना चाहिये। सरकार के खिलाफ भी अपराध बढ़े हैं और भुमाफिया के भी अपराध बढ़े हैं, तस्करी के भी अपराध बढ़े हैं,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मादक द्रव्य से सम्बन्धित भी अपराध बढ़े हैं और पुलिस में भी अपराध बढ़े हैं, अन्य लोगों में भी अपराध बढ़े है। आप इन सभी पर सुनिश्चित निर्णय लेकर कार्य करेंगे जिससे समस्त शासन व्यवस्था सुधरी रहे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री परसरामजी मोरदिया। (व्यवधान)स्थगन जिसने दिये थे और जो व्यवस्था दी है अगर उन लोगों का नहीं आयेगा तो फिर कल बात वापस आ जायेगी। श्री परसरामजी मोरदिया। (अनुपस्थित) श्री माधव सिंहजी दीवान (अनुपस्थित) श्री हीरालाल जी विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस की डिमांड पर कानून और व्यवस्था पर 2 बजे से लेकर अब तक चर्चा सुनी। इसके बारे में मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान प्रदेश की पूरी जनता की निगाहें इस सदन पर लगी हुई हैं कि आज पुलिस की डिमांड है, कोई नयी व्यवस्था होगी। माननीय सदस्य अपने अपने सुझाव देंगे और अपने एरिये की कोई भी घटना है उसके बारे में यहां सदन में जानकारी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा जहां तक मानना है यहां पर सदन में जो भी बातें कही जाती हैं उन बातों का जवाब तोड़–मरोड़कर इस तरीके से दिया जाता है कि माननीय सदस्य अपनी हवस भले ही निकाल ले, बात भले ही कह दे मगर उसका कोई फायदा निकलता हो, मुझे नहीं दिख रहा है।

प्रदेश के अन्दर एस.सी. और एस. टी. के कितने मुकदमें हुए? जितने मुकदमें दर्ज हूये उनमें से चार आने भी चालान पेश नहीं हुये। अध्यक्ष महोदय, मेरे वहां का आपको एक मामला बता रहा हूं। एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ और बलात्कार हुआ। एक माह तक वह धरने पर बैठी रही। मैंने मुख्य मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिखी सबको चिट्ठी लिखी मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई और उस मामले में एफ. आर. दे दी गयी। जब इस्तगासा पेश हुआ कोर्ट में और कोर्ट ने हिदायत दी उसके बाद चालान पेश हुआ यह राजस्थान पुलिस है। आप वाहवाही कर दो, अब क्या कहें। ऐसी हालत इस प्रदेश के अन्दर बनी हुई है। अब राजनीतिकरण ऐसा हो गया है कि अधिकारी अपने अपने वर्चस्व से एक दूसरे के पीछे पोलिटिकल एपरोच लगाते हैं। पोलिटिकल एपरोच से जब तक स्थानांतरण होता रहेगा, पुलिस के अंदर अपराध उसी तरीके से बढ़ता रहेगा पुलिस के अंदर एक ईमानदार अफसर यदि होता है तो उसको अच्छी जगह नहीं लगाया जाता। जो रात दिन एक दूसरे के पीछे घूमते हैं उनका अच्छी जगह स्थानांतरण कर दिया जाता है। मेरे यहां का मामला है, अध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छा, ईमानदार अधिकारी था, उसने ढाई कारोड़ रुपये का सोना पकड़ा। मेरा जालौर जिला बार्डर इलाका है, ढाई करोड़ रुपये का सोना पकड़ा। उसने डी. आई. जी. हैडक्वार्टर को इनफारमेशन दे दी, पुलिस अधीक्षक महोदय को इनफारमेशन नहीं मिली इसलिए वे नाराज हो गये और उनका तीन महीने की तनख्वाह रोक दी, उनको इन्क्रीमेंट देने की बात अलग है। ऐसे ऐसे अधिकारीगण जब होते हैं तो कौन ईमानदार अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना चाहेगा।

इसी तरीके से पांचला गांव के अन्दर एस. सी. का सरपंच है उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ। मैंने एस. पी. साहब को कहा,

(श्री हीरालाल विश्नोई)

एस. पी. साहब, सरपंच के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, आप कार्यवाही कीजिये। हां, कार्यवाही हो जाएगी, आप चिन्ता मत कीजिये। इस तरीके का हम लोगों को जवाब मिलता है, हम जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएं और क्या जनता हमसे अपेक्षा रखे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मामला है जिसके सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। यह दो साल पुराना एक मर्डर का मामला है। उसके अन्दर जवाब मिला है लीपापोती करके कि यह आदमी बड़ा करप्ट था। पहले तो, उस महिला के साथ इसका सम्बन्ध था, उस महिला के साथ सम्बन्ध था और फिर लास्ट में लिख दिया कि इसकी बहनों के साथ भी इसका सम्बन्ध है। इस तरीके से कानूनी कार्यवाही के अन्दर ऐसी लीपापोती हुई। एक अभियुक्त को पकड़ा गया, चालान पेश हुआ, उसको मुलजिम माना गया पर दो मुलजिमान को आज दिन तक नहीं पकड़ा गया। गृह मंत्री महोदय ने आश्वासन तो जरूर दिया है कि वह फाइल सी. आई. डी. में मंगा ली गयी है और उसकी त्वरित कार्यवाही करेंगे मगर दो साल से मैं इसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय को कई बार चिट्ठी लिख चुका, गृह मंत्री महोदय को कई बार चिट्ठी लिख चुका मगर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरीके की कार्यवाही पुलिस प्रशासन की तरफ से होती रही और आपस में पार्टी बाजी चलती रही–भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में आकर इस तरह से पुलिस प्रशासन अगर कार्यवाही करेगा तो पुलिस प्रशासन के ऊपर राजस्थान की जनता का जो पूरा भरोसा है, वह उठ जाएगा। अपने दुःख–दर्द का कोई मामला होता है तो या तो भगवान के सामने जाकर आराधना करते हैं या पुलिस चौकी में, पुलिस अधीक्षक महोदय को जाकर कहते हैं कि साहब, हमारे साथ में यह जुल्म हुआ है, हमारे आपस में यह तकरार हो गयी। उनको भगवान के बराबर मानकर आदमी वहां जाता है और उसकी कोई कार्यवाही नहीं होती है, नगण्य होती है तो आदमी कहां किस अदालत में जाएगें ? यह जो पवित्र सदन है इस सदन के अन्दर माननीय सदस्य अपने–अपने एरिये की समस्या के बारे में कहते हैं और उसकी कोई कार्यवाही नहीं होती। जब तक ऐसी लीपापोती होती रहेगी, यह सरकार चाहे कितनी ही संवेदनशीलता बता दे, कुछ भी बता दे, कुछ काम होने वाला नहीं है। राजनीतिकरण के कारण अधिकारियों के ऊपर दबाव रहेगा तब तक अधिकारी क्या करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत एक और निवेदन है कि हमारे जालौर जिला की सांचौर तहसील में सी. ओ. आफिस को खुले हुए दो साल हो गये। वह सी. ओ. आफिस एक स्कूल के अन्दर चल रहा है जबकि जमीन अलाट हुई पड़ी है। मैंने देखा कि आपने सब जगह भवन के पैसे दिये हैं लेकिन जालौर जिला जो बार्डर का जिला है, बार्डर इलाके में है उसमें आपने एक पैसे की स्वीकृति नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत गृह मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उस सी. ओ. आफिस की बिल्डिंग को बनाने के लिये बजट दिलाएं। बार्डर इलाके के अन्दर सरवाणा थाना है और चितलवाणा थाना है। सरवाणा सांचौर तहसील से कोई तीस किलोमीटर दूर पड़ता है, सरवाणा के अन्दर गाड़ी नहीं। आये दिन वहां से तस्करी होती है, पाकिस्तान से निकलने का वह रास्ता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार मेरी नजरों से देखा है कि वहां से कारों के अन्दर स्मगलर लोग जाते–आते रहते हैं

(श्री हीरालाल विश्नोई)

मगर पुलिस के पास साधन नहीं, गाड़ी नहीं, वे उनका कैसे पीछा करें। गृह मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वहां पर गाड़ी की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। न वहां पर कोई टेलीफोन की सुविधा है, तीस किलोमीटर दूर सरवाणा पड़ता है, वहां कैसे सूचना दें ? वहां से तीस किलोमीटर की रेंज में बार्डर पड़ता है, बाड़मेर का इलाका पड़ता है। वहां से वहां तक कोई साधन उपलब्ध नहीं है इसलिये वह भी व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो टाइम दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर मैं भी आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय और सरकार को कुछ बातें कहना चाहता हूं।

पुलिस के मुख्य तौर पर तीन कार्य हैं। पहला तो इनवेस्टीगेशन, दूसरा प्रिवेन्टिव और तीसरा सर्विस ओरिएंटेड। पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों सबने यही कहा है कि अगर पुलिस को ज्यादा आटोनामी मिल जाए और पोलिटिकल इन्फलुएंस नहीं हो तो वह अच्छी तरह से कार्य कर सकती है। नेशनल पुलिस कमीशन ने भी यही बात रखी है। उसके अन्दर उन्होंने दो सुझाव दिये हैं एक तो आटोनोमी का और दूसरा ग्राउण्ड लेवल, थाना लेवल पर जो कार्य हैं, कानून की व्यवस्था और इन्वेस्टीगेशन के, इनको अलग—अलग कर दिया जाए। इसमें उन्होंने लिखा है, मैं कुछ कोट करना चाहता हूं : "What is needed is that the investigative mechanism at all levels is activised and enabled to function in an environment free from extraneous influences. It would be best to begin at the grass route level. The investigative functions of the police at the thana level should be separated from law and order function, as has been recommended and.........." एक कमेटी थी एल. पी. सिंह कमेटी, उन्होंने भी यह बात कही है।

मैं अब दूसरी बात रखना चाहता हूं। माननीय कालीचरण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा पुलिस कमिश्नर व्यवस्था के बारे में। एक बार शायद केबिनेट डिसीजन भी हो गया था कि जयपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था होगी, जैसे कलकत्ता में भी है, बम्बई में भी है, अहमदाबाद में भी है, दिल्ली में भी है। वह ज्यादा उपयोगी होगी। माननीय,गृह मंत्री जी जैसा दिल्ली में हुआ है वहां तो आई. ए. एस. की लाबी इतनी स्ट्रांग है कि वे उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं और यह व्यवस्था लागू नहीं होने देते हैं, क्या यही कारण तो नहीं है कि राजस्थान के अन्दर भी यह व्यवस्था इसी कारण से रुकी हुई है ?

मैं एक ही बात और निवेदन करूंगा। विचार करें कि आप में से किसी को आज अभी दिल्ली सड़क से जाना हो या अजमेर जाना हो। एक ट्रामेटिक सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि इस टाइम कैसे जाएंगे। शुरूआत की यहां से निकले, आधा घण्टा देर हो जाएगी चुंगी नाके पर। ट्रक जो चुंगी नाके पर रुकते हैं, वहां का वहीं चार लेन हैं, ट्रक बाहर से जा सकते हैं पर वे भी बीच में आएंगे और वहीं पर पुलिस की एक व्यवस्था है। पुलिस की चौकी है वह वहां पर यह नहीं देखेगी कि जो छोटी गाड़ियां हैं उनको बीच में से निकाल दें, ट्रक को साइड में करके। मैं कह—कह कर थक गया।

अब शराब की बात कही गयी, और भी सही है कि ज्यादातर लोग शराब पीकर ही

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

ट्रक चलाते हैं। क्या व्यवस्था होगी, ट्रैफिक की बात कालीचरण जी ने भी रखी, दूसरों ने भी रखी, मैं हाई—वे पर ट्रैफिक की बात रखता हूं। कितने भी कायदे बना दें, लॉज हैं, रूल्स हैं पर आज आप जानते हैं कि डर लगता है हाई—वे पर जाने से। एक डेथ ट्रैप—जैसा है कि अजमेर पहुंचोगे या नहीं, दिल्ली पहुंचोगे या नहीं। उसके लिये मेरे दो—तीन सुझाव हैं। जो पैट्रोलिंग हो रही है और जैब्रा लाइन जिप्सी पर लगा रखी है, सब जानते हैं कि यह जीप पुलिस की खड़ी है। आप ऐसा करें कि बिलकुल आर्डनरी कारों के अन्दर पुलिस वालों को चलाएं और यह देखें कि कौन ओवरटेक कैसे कर रहा है और उसका वहीं का वहीं चालान करें। उनके सायरन हो जाए, सब व्यवस्था हो पर जैब्रा लाइन करके तो पता लग जाता है कि यह तो पुलिस की गाड़ी आगे निकल रही है, अपना बचाव कर लें।

लोग कहेंगे कि कुछ इन्टरनेशनल बात भी कह दो तो मैं कह ही देता हूं....(व्यवधान)... एक छोटी—सी व्यवस्था के बारे में है।

जयपुर के अन्दर आज आम तौर पर स्कूल बसों से बच्चे निकलते हैं, दौड़ते हैं और उनके चोट लग जाती है हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, सबके हैं। यूरोप के अन्दर जितनी भी स्कूल बसेज हैं, उनका एक ही रंग होता है—पीला। जब पीली बस खड़ी होगी रास्ते में तो कोई ओवरटेक नहीं कर सकता क्योंकि कभी भी बच्चा निकल जाए। अगर किसी ने कर लिया तो उसका उसी समय चालान हो जाता है। ऐसी कोई छोटी—सी व्यवस्था यहां भी करें।

श्री अध्यक्ष : गुड सजेशन। नो डाउट। अच्छा सजेशन है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक समस्या और है। आज जितनी भी टैक्सी सर्विसेज चल रही हैं, बसों की कमी के कारण जितनी भी टैक्सियां चल रही हैं वे अन्धाधुंध चलाते हैं सब यंग ड्राईवर है उनको फिक्र ही नहीं हैं कि पैसेंजर मरें या आगे वालों को मारें। कोई फिक्र ही नहीं है। अगर इसके लिये पैट्रोलिंग की व्यवस्था हो। पुलिस की जो पैट्रोलिंग की व्यवस्था है वे तो रोक कर देखते हैं कि लाइसेंस है या नहीं है, वह नहीं है। और कुछ मिले या नहीं मिले, वहां ज्यादा उनका ध्यान रहता है...

एक माननीय सदस्य : अमेरिका में क्या होता है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वहां तो ड्रंकन ड्राइविंग अगर किसी ने कर ली, मैं आपको यह बता दूं कि अभी साल भर पहले वाशिंगटन के गवर्नर साहब खुद ड्राइविंग कर रहे थे ड्रंकन, उनको पूरी एक रात जेल में रहना पड़ा। वहां इतना पालिटिकल इन्टरफियरेंस नहीं होता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु जी मोदी। वह लिस्ट एग्जास्ट हो गयी है जिनको व्यवस्था में बोलना था। ....(व्यवधान).... व्यवस्था के अन्तर्गत ही आपको बोलना है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी कटौती प्रस्ताव दिया हुआ है। नाम अभी तक नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव की तो बहुत लम्बी लिस्ट है। विराजें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरे को तो पांच मिनट ही बोलना है।

श्री अध्यक्ष : अभी विराजें आप। पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिन में दो बजे से होम की डिमाण्ड चल रही है। चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सभी ने अपनी पीड़ा बतायी है। अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार का जवाब आएगा, राज्य में कानून व व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूसरे राज्यों के आंकड़े दिये जाएंगे कि दूसरे राज्यों से हमारा राज्य इतना कम है। लेकिन आज अगर इस सदन की मूल भावना देखें तो कोई माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, उसने पुलिस में कितनी अराजकता है, उसका विवरण इस सदन को प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, "रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था" लेकिन राजस्थान में तो रक्षक ही भक्षक हो गये। पुलिस वाले ही अगर अत्याचार, अन्याय, चोरी और डकैती करने लगेंगे तो किस तरह की व्यवस्था इस राज्य में होने जाने वाली है। जो राज्य शांतिप्रिय प्रदेश कहलाता था, जहां की सबसे बड़ी पूंजी यह थी कि यहां की ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन अच्छी है, इसकी आज की हालत के, अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ टाइटल पढ़कर बताऊंगा आपको और वह भी पिछले छह महीने के।

थानेदार ने अनुसूचित जाति की महिला को बुरी तरह पीटा– 31.3. 96, फसलों का मुआवजा मांग रहे किसानों पर लाठी प्रहार–25.3.96, घी वालों के रास्ते में जौहरी दम्पती को लूटा–22.3.96, किरायेदार की लाठी–सरिये से हत्या–5.96, होटल में ले जाकर युवक की हत्या–17.5.96 – मैं पूरी बात नहीं बोल रहा हूं– मैं तो सीक्वेंस बता रहा हूं। " थाना है मैखाना, ढलती है शाम छलकते हैं जाम" – 31.5.96, मकान मालिक व किरायेदार की गला घोंटकर हत्या, पुलिस हिरासत में मरे हुए युवक की लाश इन्दिरा गांधी नहर में मिली, सिपाहियों पर बलात्कार और अपहरण के प्रकरण, वाहन जांच अभियान में पुलिस परिवहन कर्मियों की मौज, अशोक की पुलिस हिरासत में मौत की पुष्टि। अध्यक्ष महोदय, ये रक्षक ही भक्षक जब होंगे, जब पुलिसकर्मी ही इस तरह के कामों में शरीक होंगे तो आप स्वयं सोच लें।

अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ समाचार पत्रों के सम्पादकों को बुलाकर उनके साथ एक लंच मीटिंग की, उन्होंने कहा कि जनता बलात्कार, लूट–खसोट और माफिया तत्वों द्वारा की जा रही ज्यादतियों से काफी परेशान है। इन माफिया तत्वों को पुलिस और नौकरशाही का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने इस बात के प्रति काफी दुःख व्यक्त किया। जब उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से उक्त आपराधिक मामलों की शिकायतों के बारे में पूछा तो उन लोगों का जवाब था कि सर, ये तो सामान्य घटनाएं हैं, इतने सारे हादसे होते हैं हम कितनों को दर्ज करें, उनसे कैसे निपटें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में अभी बजट की चर्चा का जवाब देते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी जिक्र किया कि भू–माफियाओं पर हम रोक लगा सकते नहीं, शराब माफियों का हम कुछ बिगाड़ सकते नहीं, अवैध वाहनों को पुलिस रोक सकती नहीं और हत्याओं और लूट–पाट की रोक के लिये तो फुर्सत नहीं। पिछले साल में 88 घटनाएं तो डकैती की हुई, लूट की 1150 हुई, हत्या की 1485 हुई, बलवे की 20386 हुई, नकबजनी की 8340 हुई, चोरी की 16,139 हुई, बलात्कार की 1036 हुई और हत्या की 1485 । आप इसी व्यवस्था को यह मानते है कि शांतिजनक है, राजस्थान के अन्दर सब–कुछ अमन चैन से हैं ? अध्यक्ष महोदय, जब से इस सदन में मैं आया हूं तब से हमेशा एक बात सुनी कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने

(श्री विष्णु मोदी)

जाते हैं तो पहले कागज और पैंसिल मंगवाते हैं .....(व्यवधान).... मैंने नहीं कहा था, मैंने तो इस सदन में सुना। इस सदन में सुनने के अलावा इसी सदन की पहले की प्रोसीडिंग्स पढ़ी, कोई साल ऐसा नहीं आया कि जब होम पर चर्चा हुई हो और इस बात की जिक्र नहीं हुआ हो। उसके बावजूद हम एफ. आई. आर. लिखने के कागज तक की व्यवस्था नहीं करा सकें और फिर किसी बात का दावा करें तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, उससे ज्यादा शर्म की बात है कि पिछले साल राजस्थान ने महिला उत्पीड़न में अपना एक रिकार्ड बनाया। मैं समय के अभाव के कारण जरा—सा पढ़ कर बताऊंगा। टौंक जिले में डिग्गी कस्बे में श्रीमती बदाम को डायन समझ कर मार-पीट की गरी तथा गर्म सलाखें दागी गयी। पाली जिले में मोर्की के साथ सामूहिक बलात्कार, झुंझुनूं में चार वर्षीय निर्मला के साथ बलात्कार, टोंक जिले में टोडारायसिंह के कुरासिया ग्राम में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, जयपुर में दुर्गापुरा में एक महिला के साथ बलात्कार, दौसा में 9 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुआ और गत दिनों शहर के नाहरगढ़ रोड थाने में जिन बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ उसमें राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मी शामिल हैं।..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दौसा के आसपास है।

श्री विष्णु मोदी : मैं तो अखबार में जो पढ़ा उसके आधार पर कह रहा था। हरिजनों पर भी अत्याचार बढ़े हैं पर मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण हुआ, गणतन्त्र दिवस के मौके पर बम विस्फोट हुआ, वह तो टाइमिंग का फर्क रह गया नहीं तो कितना बड़ा हादसा होता। उसके बाद में महुआ में विस्फोट हुआ। जितनी भारत सरकार की एजेन्सी है, उन्होंने कहा है कि राजस्थान उग्रवादियों की सैरगाह बन गया। राजस्थान उग्रवादियों की सैरगाह बन गया है और हम इतने लाइटली इसको लें ? दिल्ली में पकड़े गये कश्मीरी उग्रवादियों से पूछताछ में हिजबुल मुजाहिदीन से सम्बन्धित एक कट्टर उग्रवादी के बारे में वर्ष 1994 से अब तक 2 बार जयपुर आकर ठहरने की जानकारी। उग्रवादी ने दोनों बार आमेर रोड पर गोलीमार गार्डन स्थित एक मकान को अपना ठिकाना बनाया जहां वह 400 रुपये माह किराया देकर रहा। आमेर रोड पर ही एक कश्मीरी एम्पोरियम से अपनी गतितिधियां चलाने के लिये टेलीफोन आदि किये। उग्रवादी ने जयपुर में ही एक प्रमुख मुस्लिम संगठन के पदाधिकारियों से सम्पर्क करके उसकी मदद से फर्जी नाम से अपना मतदाता परिचय पत्र भी बनवा लिया।

अध्यक्ष महोदय इन सारी परिस्थितियों की जानकारी रोज अखबारों में पढ़ने से मिलती है और जब भी सदन में चर्चा हो तब सुनने को मिलती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रयास कर रहे हैं, करेंगे भी मुझे आपकी निष्ठा में कोई शक नहीं है लेकिन मान्यवर, जमाना बदल रहा है, क्राइम की रेट बदल रही है, क्राइम की इंटेंसिटी बदल रही है, टैक्निक बदल रही है। जब तक आप प्रशिक्षण पर, इक्विपमेंट पर उस स्पीड से नहीं चलेंगे, माडर्नाइजेशन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पायेंगे, जिस तेजी से क्राइम बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ रहा है अगर आप उन पर रोक नहीं लगायेंगे तो कुछ नहीं कर पायेंगे। मैं समझता हूं ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है। ट्रेनिंग पर आपने कोशिश की ही होगी, प्रतिवेदन में पढ़ा भी है लेकिन मैं समझता हूं कि कोई खास काम नहीं है।

(श्री विष्णु मोदी)

अध्यक्ष महोदय, वी. पी. सिंह जी ने अभी बात कही। पहली बार मैं जब सदन में आया था और होम की डिमांड थी उस वक्त भी मैंने यह निवेदन किया था कि इतने मोटर व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और रोज बढ़ेंगे। आप देखिये हिन्दुस्तान में दो कार कम्पनीं थी आज 6 कार कम्पनीं हैं और 4--5 आने वाली हैं। टू--व्हीलर्स भी इस कदर से बढ़ गये हैं। मान्यवर, आपके पास तो लम्बे चौड़े अधिकारी हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे, अमेरिका में क्या होता है, मैं एक छोटी--सी घटना दुबई की आपको बताना चाहता हूं। हम तीन गाड़ियों से दुबई से कहीं दूर एक दूसरी सिटी में जा रहे थे एक गाड़ी जो बीच में थी, उस गाड़ी के व्हील में आग लग गयी और हमने मुश्किल से पांच मिनट वेट किया। पांच मिनट में वापस उस गाड़ी के पास आये, तब तक वहां पर फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस और ऊपर हेलीकाप्टर आ गया।

मान्यवर आप एक आई .जी. ट्रैफिक हैड क्वार्टर बनाइये, पूरे राजस्थान का उसको इन्र्चाज बनाये आपका कोई पैसा उसमे खर्च होने वाला नहीं है। इनीशियल केपीटल इन्वेस्टीमेंट उसमें हो सकता है। लेकिन आप राडार सिस्टम लाइये। राडार सिस्टम से आप क्राइम को रोकनें में भी सफलता पाएंगे। और कम से कम (व्यवधान) दुबई की जनसंख्या कितनी होगी, लेकिन आकार जितना यू. ए. ई. का है उससे कम है राजस्थान। अगर आज से उसमें परिर्वतन नहीं लाएंगे तो, मान्यवर, कितने लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। जो रेश ड्राइविंग है उसके लिये हैलीकाप्टर खरीदें या नहीं खरीदें, आप कम से कम एक आई जी ट्रैफिक बनाइयें। पूरे राजस्थान को शनैःशनै राडार के नीचे ले आइये.

श्री कैलाश मेघवाल : हैलीकाप्टर खरीदने की मांग करो।

श्री विष्णु मोदी : हैलीकाप्टर भी खरीदिये, आप घूमिये उसमें अगर क्राइम रुकता है तो। मैं जो बात कह रहा हूं अगर आज आप नहीं करेंगे कल करनी होगी। लेकिन पूरे राजस्थान को राडार सिस्टम के नीचे ले आइये जिससे कि आप रैकलेस ड्राइविंग को भी रोक सकते हैं, क्राइम को भी रोक सकते हैं नकबजनी, लूटपाट को भी रोक सकते हैं और आप चालान भी कर सकते हैं आप उससे पिन पाइन्ट भी कर सकते हैं। बम्बई पुलिस में क्या हैं ? बम्बई ट्रैफिक पुलिस इस देश में सबसे एफिसिएंट ट्रैफिक पुलिस है। वहां की पुलिस में जो रेवेन्यू कन्ट्रीब्यूशन है वह इसलिये है कि वहां एक आदमी को भी बख्सा नहीं जाता है। अगर अपने स्टाप लाइन क्रास कर दी, अगर आपने गलत टर्न भी ले लिया तब भी आपका आन दी स्पाट चालान होता है। आप जानकारी कर लें महाराष्ट्र सरकार से कि उनका ट्रैफिक विंग जो है वह स्टेट की रेवेन्यू को कन्ट्रीब्यूट करता है। आप इस पर जो कैपीटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वह निश्चित रूप से वसूल हो जाएगा और राजस्थान में मासूम लोगों की ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो जान चली जाती है वह रुक जाएगी।

मान्यवर, जहां तक इन्टेलीजेंस का सवाल है, कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारा इन्टेलीजेंस सिस्टम फेल हो गया। समय की आवश्यकता है कि आप इसको बहुत चुस्त और दुरुस्त करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा, अजमेर में आपने श्री लंका के आदमी को शरण दे रखी है। मैं आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम, से इस सदन को कि लिट्टे, एल. टी. टी. ई. आज श्रीलंका में फ्रस्ट्रेशन में है और किसी दिन भी अजमेर में बहुत बड़ा हादसा हो जायेगा। इसके बारे में मैं आपको पहले से

(श्री विष्णु मोदी)

आगाह कर रहा हूं । मान्यवर, भारत सरकार से बात करके या जो कुछ भी आप कदम उठा सकते हैं उठाएं हिन्दुस्तान में और भी अच्छी जगह हैं अगर राजस्थान में ही रखना है तो अजमेर से तो आप उनको जल्दी से जल्दी दूर शिफ्ट करें।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने फैसला करके भेज दिया और अजमेर की सेन्ट्रल जेल में कश्मीर के टेरेरिस्टस को शिफ्ट किया जा रहा है। उनकी सारी फाइलें अजमेर आ चुकी हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि वहां का मौसम ऐसा नहीं है कि ये लोग रह सकें। इसके कारण वे ट्रांसफर नहीं हो सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कश्मीर के टेरेरिस्ट राजस्थान में, खासकर अजमेर की जेल में आये तो अजमेर ही नहीं राजस्थान को खतरा बनेगा। एक मिनट।

श्री रामनारायण मीणा : यहां कोई मैगजीन पढ़ना तो मना है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी कुछ पढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा : पत्रिका पढ़ रहे हैं। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री हरिशंकर भामड़ा : पढ़ने वाला पढ़ता है जो अनपढ़ है वह बोलता है।

श्री रामनारायण मीणा : अनपढ़ हैं ? आप तो पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य को अनपढ़ मानते हो ? ... (व्यवधान)...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उप मुख्य मंत्री जी, यह गलत है। यह एक्सपंज होना चाहिये। आपने कहा कि बिना पढ़ा लिखा तो बोलता है। पढ़ा–लिखा पढ़ता है। विष्णु मोदी जी पर आरोप लगा दिया।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह मुझे पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विष्णु जी पर नहीं है। बिराजें आप । विष्णुजी, फरमाएं।

श्री विष्णु मोदी : मुझे माननीय डिप्टी सी. एम. साहब का सर्टिफिकेट नहीं चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : "ढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पण्डित होय"। आपको पंडित का ही ठेका नहीं है । अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पंढ़ा जाट खुदा बराबर।

श्री विष्णु मोदी : आप राजनीतिकरण बन्द कर दें। राजनीतिकरण करने से पुलिस फोर्स का डिमोरलाइजेशन होता है। आप कितना करेंगे या नहीं करेंगें, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जुडीशियरी ने इस देश के अन्दर यह एस्टेब्लिश कर दिया है कि कोई आदमी कानून से बड़ा नहीं है। बहुत बड़े–बड़े लोग इस कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, आप भी कम से कम इस बात की जरूर जानकारी रखें। आप अगर इस तरह की पोलिटिक्स करेंगे तो किसी दिन यहां भी किसी जज की अंतरात्मा जागेगी और कहीं आपको बाद में कुछ भुगतना न पड़े। मैं तो आपको आगाह कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य। श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में इतना–सा निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी, आप किसी सी. आई. का तबादला वहां के एस. पी. अगर नहीं चाहें, वहां के डी. आई. जी. नहीं चाहें उस सूरत में नहीं करें, बाकी आपका मिजाज, चाहे जैसा करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 16 व 17 पर वाद--विवाद, इसके उत्तर और इसके पारण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने तक समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 व 17 पर आज चर्चा हो रही है। जिस प्रकार हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हेतु सेना का महत्व होता है उसी प्रकार देश और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का होना अति आवश्यक है। पुलिस सदैव संवेदनशील हो, कर्तव्य के प्रति सजग हो। पुलिस का दायित्व है राज्य में कानून--व्यवस्था की स्थिति को संभाले रखना और जनता को सुरक्षा प्रदान करना। राज्य की पुलिस आगे बढ़ रही है परन्तु इसको काम करते समय कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

राज्य में पुलिस का पुनर्गठन लगभग 23--24 वर्ष पूर्व हुआ था परन्तु इसके बाद राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए विधिवत तरीके से पुनर्गठन नहीं हुआ है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अगले वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में नये थानें, चौकियां खोलकर जिला पुलिस का पुनर्गठन एवं विस्तार, यातायात पुलिस बल में वृद्धि एवं राजमार्गोa पर मोबाइल पैट्रोलिंग व्यवस्था का विस्तार किया जाना प्रस्तावित किया हैं, जो हर्ष की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे 2--4 कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं, वह मैं देना चाहूंगी और मेरी मांग रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर महिला पुलिस थाना खोला। मेरा एक सुझाव है, इतना बड़ा शहर होने के नाते मैं यह चाहूंगी कि जोधपुर शहर में सिवांची गेट पर अजनेश्वर जी का मंदिर है वहां पर पुलिस चौकी की स्थापना हो। वह संवेदनशील इलाका है, वहां कई तरह के लोग रहते हैं। इस दृष्टि से वहां पर पुलिस चौकी होनी अति आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर में सिवांची गेट पुलिस चौकी कई वर्ष पुरानी है, मेरे ख्याल से स्टेट के टाइम की है, उसको थाने में क्रमोन्नत करने कि लिये मेरा सुझाव मंत्री महोदय नोट करें। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में आये दिन कोई न कोई एक्सीडेंन्ट होते रहते हैं और एक्सीडेंट से मृत्यु होने के बाद उन्हें अस्पताल में ले जाते हैं। अस्पताल के अन्दर लाने के बाद अव्यवस्था हो जाती है, एक तो दुर्घटना होती है, घर का एक आदमी जाता है और फिर उन पुलिस वालों के पीछे--पीछे फिरो। वे कहते हैं कि तहरीर आऐंगे तब उनकी डैड बाडी दी जाएगी। मैं आज इस मांग के माध्यम से यह चाहूंगी कि वहां हास्पिटल में ही एक पुलिस चौकी की स्थापना होनी चाहिये। आप देखिये कि गांधी हास्पिटल और जसवंत सराय में 15 मिनट का ही फासला नहीं है फिर भी वहां

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तहरीर आने में कम से कम डेढ़—दो घंटे लग जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं तो हम उन्हें टेलीफोन करते हैं कि आप तहरीर भेजो जिससे कि वे इनकी डेड बाडी दें। इस प्रकार की अव्यवस्था है। इसको सुधारने के लिये मैं यह चाहूंगी कि हास्पिटल के अन्दर ही एक रूम में या कहीं भी पुलिस चौकी खोली जाए ताकि वहीं पर उनकी तहरीर दी जाए, वहीं पर उनकी सारी व्यवस्था हो जाए और लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़े। माननीय चिकित्सा मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं फिर भी मैं यह कहना चाहूंगी कि वहां पर ज्यूरिस्ट डाक्टर हैं वह भी लोगों को बहुत परेशान करते हैं। उसके लिये भी अलग से व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस वालों के बारे में सारे सदन ने कहा और यह बात सही भी है कि जब कभी भी कोई अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये थाने में जाता है तो उसको यह कहा जाता है कि अपनी पेंसिल लाओ, पन्ने लाओ, कार्बन लाओ। महिलाएं जाती है तो वे बड़ी असुविधा में पड़ जाती हैं कि यह क्या चक्कर हुआ। मैं अभी 5—7 दिन पहले का ही केस बता रही हूं। मेरी गाड़ी खराब हो गयी थी तो मैं गाड़ी से उतरकर नीचे खड़ी थी। थाने में से 2—4 महिलाएं आयी, उनसे मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम यहां कैसे आयीं ? मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोची मार्केट है वहां की महिलाएं थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि क्या हुआ ? तो उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होनें कहा कि वे हमें कहते हैं कि पन्ने लाओ, कार्बन लाओ और पेंसिल लाओ। यह बात मेरे बिलकुल गले नहीं उतरी। हालांकि मैं खुद पुलिस वालों की हमदर्द हूं फिर भी यह बात मेरे गले नहीं उतरी। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था, मुझे बड़ा अजीब—सा लगा। मैंने उनको 50 रुपये दिये कि तुम अभी तो जाओ, मैं तो अन्दर नहीं जाऊंगी यहां पर पुलिस वालों को कहने के लिये। यह बात मेरे बिलकुल गले नहीं उतरी। इस बात को सुधारना अति आवश्यक है। इस तरह की व्यवस्था है तो महिलाएं कहां जाएंगी? हां, ठीक है अगर कोई पैसे वाला आदमी आ गया और ले लिया तो कोई बात नहीं है मगर मध्यम श्रेणी का आदमी कहां जाएगा ? उसको भी इसका सामना करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक यह सुझाव है कि पुलिस के लिये डी. पी. सी. होना अति आवश्यक है। अगर डी. पी. सी समय पर नहीं होती है तो उनकी पदोन्नति में बड़ा विलम्ब हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सुझाव है कि जोधपुर शहर इतना बड़ा शहर होने के कारण वहां पुलिस अधीक्षक का पद ग्रामीण क्षेत्र के लिये अलग से सृजित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव दिये हैं मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय सुझावों पर जरूर ध्यान दें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपकी बहुत—बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन जी (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : राधेश्याम कहां गया ?

श्री अध्यक्ष : आ जाएंगे, आ जाएंगे। धीरज बड़ी बात है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, काफी ज्यादा चर्चा इस पर हो चुकी है। मुद्दे काफी आये हैं, काफी सुझाव आये हैं। गृह मंत्री जी यह कहने वाले हैं कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है और

(श्री रामनारायण मीणा)

हम यह कर रहे हैं, गरीब सिपाहियों को पांच रुपये बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री जी, पुलिस के बारे में जब आप जवाब देंगे तो क्या घोषणा करेंगे, यह तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन जो लोअर स्टाफ है आखिर वह बेइमानी क्यों करता है? 20–20, 30–30 किलोमीटर दूर जाता है तो उसके पास क्या साधन है? बड़ी मुश्किल से थानों में जो गाड़ियां दी हैं आपने कोई तो पुरानी हैं, कहीं धक्के खा रही हैं, कहीं इंजन ठीक नहीं है और आप बात आतंकवादियों से लड़ने की कर रहे हो। इस बारे में आप क्या सुविधा करने जा रहे हैं? मैं आधुनिकीकरण की बात तो इसलिये नहीं करता कि हालांकि आपका ध्यान उस पर है और आप कहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे पैसा आपके पास नहीं है। कर्मचारियों को तनख्वाह चुकाने को पैसा नहीं है तो पुलिस के सुधार की क्या बात करोगे आप। कोई योजना बनायी है। अब तो देवेगौड़ा से भी हमारे मुख्य मंत्रीजी मिल कर आये हैं, पहले तो मिलते ही थे, कहते हैं कि चूल्हे तक पहुंच है।.....(व्यवधान).. मैं सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भूल रही हैं, आप आसन पर नहीं हैं इसलिये आप निर्देश नहीं दें।

मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में आपकी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी बातें होती जा रही है। हम सुनते थे कि पश्चिमी बंगाल में कई थानों में पैरेलल थाने चलते हैं लेकिन यहां तो राजस्थान में भी चलता है। कहीं बलात्कार हो गया तो आपके दो चेले पहुंच गये। गृह मंत्री जी, हम आपसे कहते भी आये हैं कि राजस्थान में यह हो रहा है और यह बहुत गलत परिपाटी है। सौदा हो गया, थानेदारजी नहीं पुछ सकते क्योंकि उनको थाने में रहना है। दस हजार लिये और मुझे दो हजार क्यों दिये, थानेदारजी को पता चल जाएगा। यह हो रहा है, माननीय गृह मंत्रीजी, और आप जानते हो, दिल से जानते हो। क्या यह सही है कि जिन मामलों में सजा होनी चाहिये, गरीबों के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है उन सारे केसेज को आप यहां पर ट्रांसफर करवा लेते हो? प्रधान ने मारपीट की बून्दी जिले में हुआ, भू–माफिया है। जमीन छीनने की बात की, पीटा बुरी तरह से। उसका आपरेशन नहीं होने दिया, डाक्टरों से कहना पड़ा और ऊंची आवाज में कहना पड़ा तब उसका आपरेशन हुआ। ऐसे लोगों की फाइल आपने यहां मंगवा ली। कारण था कि रानीपुरा का सरपंच काफी दिनों तक गिरफ्तार रहा, किस अधिकारी ने सिफारिश की, मैं आपसे नहीं पूछना चाहता, उसका केस नम्बर है। आपके डिपार्टमेंट ने सिफारिश की, इतने दिन तक गिरफ्तार रहा, उसको बचाया जा रहा है। एक साधारण–से मामले में कोई भी सरपंच किसी पार्टी का होता है तो कहा जाता है कि जांच में विघ्न पड़ेगा, हम सरपंच को सस्पैण्ड करते हैं, हम चेयरमैन को सस्पैण्ड करते हैं। यह पोलीटिकलाइजेशन हो रहा है कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, आप विथड्रा कर रहे हो। मैं नहीं कहता, लाडपुरा से आने वाले माननीय विधायक का केस क्यों विथड्रा कर रहे हो। लेकिन कोटा में जिस तरह से + + +, उन सारे केसेज को विथड्रा करने की बात नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? यह बात आप नहीं देखेंगे, पुलिस प्रशासन में आप बिलकुल बदलाव नहीं ला सकते। भीमगंज मण्डी में थानेदार किसी बदमाश को पीटता है और वह कहता है कि मैं तो भाजपा युवा मोर्चा, का अध्यक्ष हूं, मुझे क्यों पीटा गया तो आप थानेदार को हटा देंगे, सस्पैण्ड करने की बात करते हो। कहीं कांग्रेस

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण मीणा)

के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी का या किसी पार्टी का कार्यकर्ता जाता है तो वहां कोई भी बात नहीं होती है इसके बावजूद भी उनकी पिटाई होती है और आप पक्ष लेते हो प्रशासन का। एक लाइन रखियेगा, माननीय गृह मंत्रीजी, आपकी पार्टी के लिये मैंने कहा है। आप कहो जिस + + + के बता दूं। कांग्रेस के जमाने में यह बात नहीं थी। एक एक थाने में बता दूं। हम तो आपके अधिकारियों को ......

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा : कहते हैं कि दो आदमी थाने में जाना बन्द कर दें, इनको कुर्सी मिलना बन्द हो जाएगी, थाने से करप्शन खतम हो जाएगा। लेकिन वे दोनों पहुंच जाते हैं कभी एम. पी. के पास मुख्य मंत्री का नाम लेकर कि, साहब, हम जा रहे हैं मुख्य मंत्री जी के पास। तो अधिकारियों को तो रहना है। मैं जात—पांत का आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता लेकिन भाजपा की परिपाटी के रंग में मत रंगिये। आप भाजपा के आदमी नहीं हो। भाजपा वह पार्टी है जो गरीबी विरोधी पार्टी है। आज मैं कहता हूं, 89 प्रतिशत पूंजीपति, करोड़पति भाजपा में हैं और आपका इससे कोई वास्ता नहीं है। गृह मंत्रीजी, आप धौलपुर गये, जिस महिला के सबसे ज्यादा चोट थी उसको धक्का देकर आप आ गये, उससे बात नहीं की, आपके अधिकारियों ने बात नहीं की। धौलपुर में घटना क्या हुई थी, एफ. आई. आर. क्या थी ? आपने बताया, अखबारों को बताया। धौलपुर में कुछ नहीं हुआ और आपने उसको बहुत ज्यादा रंग दे दिया। वहां पर नहीं कहा। राजपुतों ने हरिजन महिला को पीटा, नाम बताया। कहीं कहते हो कि गुर्जरों ने पीटा लेकिन आप यह नहीं कहते कि महाजनों ने सारा, दुकान का कर्जा नहीं चुकाया इसलिये जूते पटके, महाजनों के वहां नाम बताओगे आप। इस तरह से जातियों के जाल बुनते जा रहे हो, माननीय गृह मंत्रीजी, यह बहुत घृणित कार्य है। दो आदमी मुलजिम और 15 का चालान करा रहे हो, विक्टिमाइजेशन कर रहे हो। अपन जाति प्रथा के मामले में पुराने आदमी हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, उस जमाने की राजनीति कर रहे हैं जबकि हमारे समाज के लोग गिनती के सर्विसेज में हुआ करते थे। इसलिये मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इनके जाल में मत फंसो। पार्टी का वोट, एक जाति चली जाएगी तो दूसरी जाति वोट दे जाएगी। कितने ट्रांसफर कर लो, यह कर लो लेकिन पुलिस के, इनके चक्कर में आप मत आवो। आप इनके चक्कर में आवोगे तो हालत यह हो जाएगी। कोटा सम्भाग में एक भी आई. ए. एस., आई. पी. एस. आफिसर आपका शिड्यूल्ड कास्ट का नहीं है, कोई शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है इसलिये वहां ज्यादतियां हो रही हैं, इसलिये वहां दुष्प्रचार हो रहा है और हालात खराब हो रहे हैं। आपके डी. आई. जी. कौन हैं, आपका कमिश्नर कौन हैं, आपका कलक्टर चारों जिलों का कौन है, आपके एस. पी. कौन हैं, कौन है आपका अधिकारी? कहने को कहते हैं कि हम इस जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। किस जगह दिया आपने बढ़ावा ? मैं तो आपसे कोटा सम्भाग की बात करता हूं जहां की आप बात करते हो। कोटा सम्भाग में आप गये, माननीय गृह मंत्रीजी, आपके कई मंत्री गये। उस हरिजन बालिका के साथ जहां बलात्कार हुआ वहां तीन किलोमीटर दूर नहीं जाकर आप 70 किलोमीटर दूर चले गये क्योंकि वहां मंत्री के रिश्तेदार ने उस भील बालिका के साथ सामुहिक बलात्कार किया था। हम गये वहां, हम धौलपुर भी गये, हमें बहुत ज्यादा सदमा

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण मीणा)

पहुंचा जब हमने यह देखा कि एक भील बालिका के साथ बलात्कार हुआ। वहां पर मुलजिम के आदमी हमारे सामने उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे। हमने आकर डी. आई. जी. से कहा, एडीशनल एस. पी. से कहा तब जाकर रात को गश्त हुई। उसके बाद एक सिपाही उस गांव में नहीं लगा। उसके बाद उस भील बालिका के साथ क्या दुर्गति हुई, आप मालूम कीजिये ना, क्यों नहीं करते आप मालूम ? इसलिये कि वहां आपकी राजनीति नहीं चल सकती। राजस्थान सरकार का एक कैबिनेट मंत्री उन सामुहिक बलात्कारियों से जाकर के हास्पिटल में मिलता है। गृह मंत्री जी, पांच तारीख को। आप कुछ नहीं कहते, आपके मुख्य मंत्रीजी कुछ नहीं कहते लेकिन यदि कोई दूसरी घटना होती जहां राजनीतिक रंग देना होता तो निश्चित तौर पर अखबारों में बड़े–बड़े साया करते। अखबारों से बचो, पुलिस को सम्भालो, पुलिस की दशा सुधारो। आधुनिकीकरण तो कितना ही कर सकते हो। आप हैलीकाप्टर की बात करते हो, आप तो गरीब सिपाहियों–कर्मचारियों की तनख्वाह ही बढ़ा दो तो हम मान लेंगे कि आपने बहुत कुछ किया है।

मैंने इस सदन में कहा था कि 14 वर्ष के बालक के गुप्तांग काट करके उसको जान से मार दिया ढाढव गांव में देई थाने में, आज की तारीख तक उसकी जांच नहीं हुई, आज की तारीख तक मुलजिम नहीं पकड़े गये। यही कारण था कि देई थाने में, तुलसीपुरा गांव में जो झोंपड़िया हैं वहां पर एक शंकर धाकड़ को मार दिया गया, लूटपाट कर ली गयी। आज की तारीख तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रहें। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके लोग पैसे देकर मुलजिमान को बचाना चाहते हैं। यही नहीं, हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं कि इस ट्रैक्टर को पकड़ लिया, उस ट्रैक्टर को पकड़ लिया। आपके अधिकारियों के कान में तो मेरा जहां तक ख्याल है तेल डला हुआ है। मैंने आपके डी. आई. जी. को कहा, भंवरलाल धाकड़ ने दो हजार रुपये महीना आपके नैनवां के थानेदार, मिस्टर राजावत को नहीं दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जबकि उसके पास लाइसेंस था। क्या जजावर में ट्रैक्टर नहीं, दूसरी जगह ट्रैक्टर नहीं हैं ? अनाप–शनाप ट्रैक्टर उसी नैनवां थाने में, मैं तो इस एक थाने की बात कर रहा हूं, उसी नैनवां थाने में चल रहे हैं लेकिन दो हजार रुपये महीना देते हैं और एक भी ट्रैक्टर पकड़ में नहीं आ रहा है। पैसा दो काम करवाओ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्षजी, आपको कोई बुरी बात लग रही हो तो मैं सरकार की खिलाफत भी नहीं कर रहा हूं। मेरा कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है, डिमाण्ड की बात है।

श्री अध्यक्ष : मैं समय की बात कर रहा हूं। काफी माननीय सदस्यों के विचार आने हैं, जिनके कटौती प्रस्ताव हैं उनको भी बोलना हैं।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा जहां तक ख्याल है मैं उनकी भावना की कद्र कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही कह दिया, बहुत सुझाव आ गये और मैं भी सुझाव की बात कर रहा हूं लेकिन इनको थोड़ा सा अपनी स्थिति तो बताऊं। मैं जिस धरती से पैदा हुआ, जहां से मैं फला फुला हूं उठा हूं, खड़ा हुआ हूं उन आदमियों का ध्यान नहीं रखूगां क्या ? ये तो रख रहे हैं, बहुत ज्यादा रख रहे हैं। इन गरीबों का भी तो कुछ करो, आप बेक

(श्री रामनारायण मीणा)

लाग ही पूरा कर दो। मैं नहीं कहता आई. पी. एस. आफिसरों को ठीक जगह पर लगाओ। आपके लूणकरणसर में बावनवाली राष्ट्रीय मार्ग पर तीन व्यक्तियों की हत्या हुई। अभी बात आई थी कि महेन्द्र सिंह वगैरह, भू—माफिया नहीं, जिन्होंने गेंग रेप किया है, जिसके 27 टांके आये और हाउस में आपने स्टेटमेंट दिया । हम लोगों ने आवाज रखी, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? सिंह लगा लो तो निश्चित रूप से आपकी उसके बाद कोई औकात नहीं हैं, वक्त नहीं हैं। माफ करना, माननीय गृह मंत्रीजी।

(21.00)

इतनी हालत खराब हो गयी है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हो। डरपू प्रकृति छोड़ दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे, इस बात की परवाह मत करो।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नेशनल हाई वे पर लोग शराब पीते हैं, बदमाशी करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। माननीय शराब मंत्रीजी, एक किलोमीटर तक पीछे बस्ती है, कमिश्नर लिखता हैं कि कुछ भी नहीं है, पचास फीट पर मैं यह दूकान मंजूर करता हूं। ले लो पचास हजार रुपये, साठ हजार रुपये। इतना हो रहा है। आप तो इसमें शामिल नहीं हो न? आप तो ईमानदार आदमी हो, भगवान की दया से भरे—पूरे परिवार के हो, ऐसा क्यों हो रहा है पूरे राजस्थान में? आपको पता है कि पूरे राजस्थान में कहां कहां दुकानें है, इसके बाद में अपराध बढ़ते हैं। वहीं पर शराब पीतें है, वहीं अपराध करतें हैं।

आप दोनों मिलकर यह निर्णय कर लें तो राजस्थान की दशा सुधर जायेगी, दस ~ अपराध कम हो जायेंगे। आप यह नहीं करना चाहते तो दूसरी बात है। जुगता राम का लिंग काट दिया मानवाधिकार आयोग ने उसको पचास हजार रुपये दे दिये तो आप उसकी अपील कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैंने सुबह लटूर की विधवा को आप से मिलवाया था। मैंने आपके मुख्य मंत्री जी से मिलवाया था मर्जी आये वहां दो हजार रुपया दे देते हो और मर्जी नहीं आये तो नहीं देते हो।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : गृह मंत्रीजी, आपने कहा कि मैं जुगता राम को अमेरिका भेज दूंगा, एब्रोड भेज दूगां। वहां उसका इलाज ही नहीं हुआ है और डा. अब्राहम कह रहे है कि इसको वापस भेजा जाए, मुझे दूसरा आपरेशन करना हैं। मैं बार—बार चिट्ठी लिख रहा हूं लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कम से कम आप उसका इलाज तो करावाओ क्योंकि उसका जो इनकम्प्लीट इलाज हो गया है उसका नतीजा यह हुआ है कि उसका युरिन उसके कपड़ों पर गिर रहा है। मेहरबानी करके उसका इलाज करवा दीजिये। उसको एब्रोड भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने उसको न तो मर्द रखा है और न ही औरत बनने दिया है। बीच में रह गया बेचारा।

श्री रामनारायण मीणा : यह मानवीय दृष्टीकोण है। गृह मंत्री जी, आप सरकार के अच्छे प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हैं। जब मानवाधिकार आयोग ने किसी गरीब को पचास हजार रुपये देने की बात कह दी तो उसकी आप अपील करने की बात करते हों। मैं जिस लटूर की बात कर रहा था उसकी विधवा को पैसा नहीं दोगे, क्योंकि वह आपके आदिवासी हरिजनों से आती है। और कोई होता तो जरूर मिल जाते। लोग पुलिस ज्यादातियों के शिकार हो रहे हैं। यह ठीक है कि पुलिस कोई

(श्री रामनारायण मीणा)

जान बूझकर ज्यादती नहीं करना चाहती, कोई कारण होगा, पूछताछ की होगी, नहीं की होगी, कोई बात हो गयी होगी हम पुलिस को बदनाम नहीं करते क्योंकि मालूमात करनी पड़ती है। कभी–कभी सही आदमी को भी गलत मानकर मालूम करना पड़ता है लेकिन कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद में मानवीय दृष्टिकोण तो अपनाया जाता है।

मैं बीकानेर के टाडा प्रकरणों की बात तो इसलिये नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, मामला रफा–दफा हो गया। बहुत से मामले रफा–दफा हो जाते हैं लेकिन धारा 3 के केसेज में एफ. आर. क्यों लगाते हो, यह तो कहो। सबसे ज्यादा रेट आज धारा 3 के केसेज की है। क्या रेट है, यही जानकारी कर लो। मैं आपको एक क्लियर कट केस बताता हूं केस नम्बर 187 वर्ष 1996, थाना हिण्डौली। यह केस गरीब लक्ष्मीनारायण ने दर्ज किया है। वहां एक ब्राह्मण ज्वालाप्रसाद सरपंच था उसकी सिफारिश हो गयी, उसकी सिफारिश आपके पार्टी के बड़े नेता ने की। वह खतम करने की बात करते हो, इन्हीं का चालान करवा दो। माननीय गृह मंत्रीजी, मंदिर में चढ़ने की बात हैं। 1994 में केस दर्ज हुआ और आज की तारीख तक चालान नहीं हुआ। हनुमान जी के मंदिर में धोक नहीं दे सकता। 294/94 जिसके लिये मैंने विधान सभा में पहले भी कहा था, प्रश्न भी लगाया था लेकिन उसमें आपके हिसाब–किताब के बाद, मैंने कहा न कि बहुत से लोग– बाग पैदा हो गये हैं। इस मंदिर के मामले में आज तक चालान नहीं हुआ है। और भी ऐसे मामले हैं जहां देवताओं को धोक नहीं दे सकते। शिड्यूल्ड कास्ट के।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कृपया, समाप्त करें। श्री गोपीरामजी।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर बात है। किशोरपुरा के थानेदार ने बिना किसी बात के वहां के लोगों की दुकानें हटाने का ठेका ले लिया था क्या? डण्डे बरसायें दो ट्रक पुलिस चली गयी। जिस तरह से वहां लोगों को मारा–पीटा गया और कहा गया कि ये पाकिस्तानी मुसलमान हैं, कोटा के किशोरपुरा में हम गये। वहां लोगों के आंसू नहीं थमते थे। आप उनको रोजगार नहीं दे सकते, उनकी थड़ियां हटाने को थानेदार को कोई अधिकार नहीं था। नाराजगी सिर्फ यह थी कि वहां एक–दो सट्टे की खाइवालें होंगे, उन्होंने उनको मंथली देना बंद कर दिया (व्यवधान) इसलिये कृपा करके आप इन सारी बातों को देखें। पुलिस को सुधारें। आप पुलिस का आधुनिकीकरण करने की ही बात न करें उसके नतीजों को आप वास्तव में कागजों में नहीं प्रेक्टिकली कर दिखाएं।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन की मांग संख्या 16 पर चर्चा हो रही है।

श्री रामनारायण मीणा : मान्यवर, आप तो सरकार के आदमी हो, आपकी तो ऐसे ही चलती होगी।

आपके पास बहुत अच्छे अफसर हैं। मैं किसी गृह सचिव महोदय या दूसरे अफसरों की बात नहीं करता, खुशकिस्मती से आपके पास अच्छे–अच्छे अफसर हैं लेकिन सरकार जानबूझकर जिस तरह से अपने आपको धोखे में डाल रही है और अखबारों में प्रचार कर रही है, वह प्रचार करना छोड़े। महिलाओं की इज्जत को बचाये। सड़क दुर्घनाओं में वृद्धि हो रही है उसको रोकने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपको

(श्री रामनारायण मीणा)

इसलिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत कम और बहुत देर से बोलने को मौका दिया, कृपया ऐसे ही करते रहिये। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय आज सदन में पुलिस विभाग पर चर्चा हो रही है। जयपुर जिला, ग्रामीण में जो पुलिस का पुनर्गठन किया हैं, उस पुर्नगठन से जो असुविधाएं मेरे क्षेत्र के लोगों को हो रही हैं उनकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जयपुर ग्रामीण में पहले एक एडीशनल एस. पी. हुआ करते थे, अब वहां दो एडीशनल एस. पी. और लगा दिये, तीन एडीशनल एस. पी. हो गये। इस तरह पुलिस प्रशासन को चुस्त करने और कानून–व्यवस्था में सुधार लाने के लिये माननीय गृह मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के बगरू और कालवाड़ पुलिस स्टेशन सी. ओ. सर्कल दूदू के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों ही थाने जयपुर से मुश्किल से 20–25 किलोमीटर दूर होंगे। सी. ओ. सर्कल, दूदू इन थानों से पचास किलोमीटर दूर पड़ता है। इस क्षेत्र के लोगों को छोटे–मोटे काम के लिये यदि डीवाई. एस. पी. के पास जाना पड़े तो बहुत दूरी तय करनी पड़ती है और अनावश्यक पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक सी. ओ. सर्कल बगरू का गठन करके कालवाड़, बगरु और शिवदासपुरा, इन तीनों थानों को मिला दें। इन तीनों थानों को मिलाकर एक सी. ओ. सर्कल का गठन किया जा सकता है। जिससे इस क्षेत्र की जनता को आनावश्यक रूप से आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े। मेरे यहां कोटपूतली में एडीशनल एस. पी. की पोस्ट क्रीएट की गयी है और सोचा गया कि इससे जनता को रिलीफ मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की जो भावना इस पोस्ट को क्रीएट करने में थी उसके विपरीत वहां सारा काम हो रहा है। वहां एडीशनल एस. पी. सबसे बड़ा अधिकारी है। वहां पर निर्दोष लोगों को लूटा जा रहा हैं, बदमाश लोगों को बचाया जा रहा है। यहां 60 हजार रुपये से लेकर एक–एक लाख रुपये की रिश्वत एडीशनल एस.पी., कोटपूतली द्वारा वसूल की जाती है।

सरूण में एक माताजी की मूर्ति का प्रकरण सामने आया था। वहां सारे गांव के लोगों ने मिलकर और एडीशनल एस. पी. की सहमति से मंदिर और मूर्ति का जीर्णोद्धार करा दिया। इसके बावजूद जब उनको यह पता लगा कि इसमें कोई एक पैसे वाला आदमी इंवाल्व है तो आज तक उस मुकदमें को लटकाये हुए है। जब में स्वयं वहां के प्रधान विक्रमसिंह के साथ मिलने के लिये गया तो उन्होंने मेरे को तो नहीं पहचाना लेकिन हमारे प्रधान को अच्छी तरह पहचानता है, उनको कहा कि तुमको नेतागिरी करना सिखा दूंगा, तुम बहुत सिफारिशें लाते हो इस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ करने वाले आदमी, मैं समझता हूं कि कोटपूतली जैसे क्षेत्र में रहने के लिये उपयुक्त नहीं है।

आपने पुलिस पुनर्गठन के साथ–साथ जिस तरह के कोटपूतली, शाहपुरा, बगरू और दूदू को सी. आई. रेंज देकर अपराधों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है उसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शाहपुरा थानें में जब से सी. आई. सर्कल की पोस्ट हुई है ओर सी. आई. वहां लगाया गया है उस थाने में आये दिन जनता को परेशान किया जाता

(श्री गोपीराम जाट)

है निर्दोष लोगों को बुलाकर थानें में बिठाया जाता है और उनको अनावश्यक परेशान किया जाता है। मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो गतिविधियां थानें में होती हैं उनको रोका जाए।

एक मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आमेर थाने के अन्तर्गत अशोक कुमार गुप्ता शाम को 7 बजे अपनी दुकान बढ़ाकर जा रहा था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों को चिंता हुई और उसको ढूंढना शुरू किया गया। रातभर ढूंढते रहे और सवेरे उसकी लाश मावठे में तैरती हुई मिली। पुलिस उस मामले को आत्महत्या में परिवर्तित करना चाहती थी लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आती है तो उसके पेट में एक बूंद पानी की नहीं मिली। निश्चित रूप से यह हत्या का मामला था लेकिन करीब 10 महीनें हो गये आज तक हत्यारों की तलाश नहीं हुई। पुलिस उस गुत्थी को नहीं सुलझा सकी।

इसी तरह का एक प्रकरण मुकदमा नम्बर 231/95 हरमाड़ा थानें का है। 16—10—95 का मामला है, आज तक मुख्य अभियुक्त फरार है। चार—चार एजेंसियां जांच कर चुकी हैं—हरमाड़ा थाने ने जांच की, झोटवाड़ा थाने नें जांच की, एस. पी. सिटी जयपुर के यहां से जांच हो गयी लेकिन अभी तक अभियुक्त फरार हैं। उसको आज तक पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कार्यवाहियों में जो शिथिलता बरती ज़ाती हैं, मैं चाहता हूं कि मुस्तैदी के साथ इसमें कार्यवाही हो। एक प्रकरण, झूथाराम निवासी चौचला की लड़की 5 बजे करीब घर से गायब हुई। गायब होने के बाद वह उसको ढूंढने के लिये निकला लेकिन 20 दिन तक लड़की का पता नहीं लगा। वह उसको ढूंढने के लिये जोधपुर भी गया और भी कई जगह गया। जब ढूंढकर वापस आया और सांभर में जैसे ही बस से उतरा उसको पता लगा कि उसके रिश्तेदारों को सांभर थाने में पकड़ रखा है जब वहां गया तो वहां उसको भी पकड़कर बैठा लिया गया। 20 तारीख से 27 तारीख सात दिन तक उसकी निर्मम पिटाई होती रही पुलिस उसमें इन्वेस्टीगेशन कर रही है, कौन उसका हत्यारा था, कौन अपहरणकर्ता था, किस तरह से क्या हुआ इसको तो तय पुलिस करेगी और मैं समझता हूं कि उसके अन्दर पुलिस शिथिलता भी नहीं बरतेगी लेकिन लड़की के पिता झूथाराम को 7 दिन तक थानें में रखकर पुलिस अधिकारी ने जिस तरह से निर्मम पिटाई कि वह 5 दिन तक हाथों में खाना नहीं खा सका। आज उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी जाती है तो उससे साफ मन्तव्य जाहिर होता है कि पुलिस अधिकारी ने किस—किस तरह से उस व्यक्ति की पिटाई की। मैं चाहूंगा कि इस प्रकरण की भी जांच हो यदि किसी दोषी अधिकारी ने किसी दुर्भावना के साथ में या किसी के बहकावें में आकर उसके साथ मारपीट की है तो उसको निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिये।

मैं एक और निवेदन गृह मंत्री जी से करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक बिन्दायका इन्डस्ट्रियल एरिया डवलप हुआ है, एक मानपुरा इन्डस्ट्रियल एरिया डवलप हुआ है और दो एक जगह और इन्डस्ट्रियल एरिया डवलप हो रहें हैं जहां जहां इन्डस्ट्रियल एरिया डवलप होते हैं वहां निश्चित रूप से कई प्रान्तों के मजदूर आते हैं और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। बिंदायका इन्डस्ट्रियल एरिया वहां करीब चार साल से चल रहा है उन अपराधों को रोकने के लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर

(श्री गोपीराम जाट)

एक पुलिस चौकी का यदि निर्माण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से भविष्य में होने वाले अपराधों में रुकावट आएगी।

अन्तिम मेरा निवेदन यह है कि जयपुर के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र से काफी संख्या में किसान दूध और सब्जी लेकर आते हैं। दूध की मण्डी और सब्जी मण्डी तक जहां नो एन्ट्री एरिया भी पड़ता है उस एरिया में दूध और सब्जी गाड़ी में पांच–पांच और दस–दस आदमी लेकर आते हैं उनको जगह जगह पुलिस रोका–टोकी करती है। मैं चाहूंगा कि पुलिस उनकी रोका–टोकी नहीं करे क्योंकि ये एसेन्शल कमोडिटी के आइटम्स हैं दूध और सब्जी। जहां भी इनकी मण्डी हो वहां तक जाएं तो पुलिस उनको आनावश्यक रूप से परेशन नहीं करें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के सर्वोच्च इस सदन में पुलिस विभाग पर चर्चा हो रही है।आज दिनभर चोरी, डकैती, बलात्कार, लूट, आगजनी और हत्या ऐसे–ऐसे काण्डों की लगातार यहां चर्चा हो रही है। दुर्भाग्य है इस सदन का आज अगर यहां गुणों की चर्चा होती, कोई अच्छी बातों की चर्चाएं आतीं तब पता लगता भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप में धर्म का ढोंग भरती है, जो इस बात को कहती है कि हम तो रामराज्य लाना चाहते हैं, ये चर्चाएं इस बात को साबित करती हैं कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर हैं। रामराज्य की बात करते वाले होम मिनिस्टर साहब, श्रीराम जब बनवास में गये थे तो हम ही एस. सी. और एस. टी. के लोगों के साथ उन्होंने बनवास भोगा था। वहां पर कोई बनिया ब्राह्मण वगैरह नहीं रहते थे वहां पर अगर कोई जाति रहती थी तो भील रहते थे, मीणा रहते थे वहां पर कोई जाति रहती थी तो पिछड़ी हुई जाति रहती थी। उनको संरक्षण दिया और उनकी रक्षा की। श्रीराम ने जब राज्य संभाला उस समय भी अनुसूचित जाति जनजाति की एक महिला धोबन को उसके पति ने पूछा कि वह कहां गयी थी, मैं वह राम नहीं हूं जिसने सीता को दुबारा रख लिया था। उसी की आवाज के ऊपर श्रीराम ने प्यारी सीता को बनवास दिया था, उसी एस. सी. और एस. टी. महिला के कहने के ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य है कि एस. टी. का होम मिनिस्टर आज राजस्थान के अन्दर बन जाए....

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, क्या यह साबित नहीं होता कि इससे पहले ये भाजपा में थे।

श्री रामस्वरूप मीणा : एस. टी. का होम मिनिस्टर बनने के बाद भी एस. टी. के साथ आज लगातार अत्याचार हो रहे हैं। एक एस. टी. महिला के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार भी ऐसा वैसा नही 29 टांके उसके गुप्तांग में आये थे। वह हमारी बहन थी, आपकी भी बहन थी। ऐसा अत्याचार उसके साथ हुआ है और यह बात खाली हमारे तक ही सीमित नहीं है आपका यह पुलिस डिर्पाटमेंट बुरे कर्मो में नीचे नही हैं। बुरे अच्छे सब में होते हैं। अभी हाल का ही मैं प्रमाण बताता हूं। हमारी बहिनों के साथ कुकर्म होते हैं जिसको बलात्कार कहा जाता है लेकिन ये लोग तो जानवरों से भी नीचे चले गये हैं। आज प्रवृतियां मनुष्य की बढ़ती हुई चली जा रही हैं, जानवर की प्रवृति बढ़ रही है। हमारे एक थानेदार नें किशोर के

(श्री रामस्वरूप मीणा)

साथ कुकर्म किया। रामनिवास बाग से उठाकर ले गया उसको। किशोर के साथ कुकर्म इससे ज्यादा घृणित काण्ड और क्या होगा? जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं इन्सान की तो क्या बात है। आज यह क्यों होने लगा हैं? इसका कोई कारण है। आज आपने देखा होगा कि जंगल कट गये। जंगल में रहने वाले सारे जंगली जानवर इन्सान बन गये। और हम जानवर बन गये इसलिये प्रवृत्तियां बदल गयीं। अत्याचार नहीं बढ़े अत्याचार की प्रवृतियां बढ़ गयीं। बहन को बहन माने, गुरु को गुरु माने, पुलिस का सिपाही अत्याचारी को अत्याचारी माने और अच्छे को अच्छा कहें—ये प्रवृत्तियां खतम हो चुकी हैं। बाप बेटी के साथ बलात्कार करता है, आज अखबार में आया था। बाप जब बेटी के साथ बलात्कार करेगा तो आपकी पुलिस और हम क्या करेंगे?, बहन भाई के साथ ऐसा होता है—ये रोजाना बलात्कार सुनते सुनते थक गये हैं। राजस्थान के सदन से आवाज जाएगी तो बलात्कार की आवाज जायेगीं इसका कौन दोषी है? आपको और हमको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं हैं अगर आपने बलात्कार की आवाज बंद नहीं की तो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई नीति तय करें। घटनाओं पर रोक लगनी चाहिये। अगर ऐसीं प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं तो जनता में नैतिकता पैदा करो, नैतिक शिक्षाएं दी जाए। जो अच्छे कर्म वाले आपके सिपाही हैं या आपके आफिसर हैं जो नैतिक हैं, जिनका नैतिक आधार है, जिनका चरित्र अच्छा है, जो दारू नहीं पीता है, बहनों कि रक्षा करता है जो वीरता में आगे आया हो ऐसे को आप पुरस्कृत कीजिये जनता के बीच में आकर और जो लोग बुरा कर्म करते हैं उनको आप जनता के बीच में दण्डित कीजिये, उनका अपमान कीजिये। आपकी जेलें इन अपराधों को नहीं रोक सकतीं, अपराध रुकेंगे तो प्रवृत्तियां बदलने से रुकेंगें एक आदमी जेल से छूटने के बाद पुनः मर्डर कर देता हैं। लेकिन पहले जेल नहीं थीं। किसी ने कुछ किया तो जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। वही व्यक्ति दुबारा आकर जिंदगी में अपराध नहीं करता था लेकिन जेल से भागने के बाद आदमी अपराध करता है। यह सारा बुरी प्रवृत्तियों के कारण होता है। इसलिये अपराध रोकने के लिये हमें कुछ प्रवृत्तियों पर भी रोक लगानी पड़ेगी। अच्छे कामों के लिये प्रशंसा करनी पड़ेगी चाहे वह पुलिस डिपार्टमेंट हो या जनता हो। हमारी कुछ असुविधाएं बढ़ी हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ने से अपराधों की संख्या बढ़ी है पहले तो इनके एडवरटाइजमेंट के कोई साधन नहीं थे इसलिए अपराध कम होते थे लेकिन आज ये साधन हो गयें आज आपने देखा होगा फिल्में बन गयीं। फिल्मों के जरिये लोगों को मालूम हो गया कि क्या—क्या तरीके अपनाये जा सकते हैं, चोरी किस प्रकार की जा सकती है डकैती किस प्रकार की जायेगी किस प्रकार किसी को मारा जायेगा, किस प्रकार के षड्यंत्र किये जाएंगे कैसे बम विस्फोट होगा। ये सारी बाते सिनेमा के जरिये आती हैं लगातार इनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिये ऐसी फिल्मों पर रोक लगाई जाय ताकि अपराध नहीं बनें तब जाकर के आपका अपराध रूकेगा। कहां तक पुलिस बढ़ाओगे? कहां तक बजट रखोगे? कहां तक हैलीकाप्टर लाओगे? इनसे अपराध नहीं रुक सकते। अगर आपराधों को रोकना है तो इसके लिये हमको इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी।

दूसरे पुलिस का अत्याचार, अपराध और पुलिस में इस प्रकार की घटनाएं, सब कोई इन पुलिस वालों पर लांछन लगा रहा है कि ये लोग तो बड़े चोर होते हैं। मेरा निवेदन है कि

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पुलिस वाले क्या आसमान से आते हैं ? वे भी तो किसी के भाई हैं, किसी मां के लाल हैं, किसी के बेटे हैं, वे भी तो आपके ही हैं । हम ठीक हैं उनकी बुराई करते हैं, वह और बात है लेकिन आपने कभी उनके बारे में सोचा है ? आप ने क्या परिर्वतन कर दिया, क्या दे दिया उनको आने के बाद में ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पापी पेट सब कुछ कराता हैं जब उसका पेट ही नहीं भरेगा, उसके बच्चे का ही पेट नहीं भरेगा तो वह क्या नहीं करेगा ? वह सब कुछ करेगा। मनुष्य अत्याचार तब करता है जब वह तंग आ जाता है, मर्यादाएं लांघ जाता है। उनको तनख्वाह कितनी सी दी जा रही है ? विशेष भत्ता जो आप उनके लिये दे रहे हैं वह खाली 10 रुपये दे रहें हैं। जिस समय उनकी तनख्वाह 70 रुपये थी उस समय भी 10 रुपये और आज उनकी तनख्वाह 855 रुपये कर दी तब भी वही 10 रुपये। कुछ सोचो विचारो। आप उनकी इन चीजों को बढ़ांओ। आखिर महंगाई की मार उन पर भी लगातार पड़ रही है। ड्यूटी देते हैं 24 घंटे ।+++

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि हिन्दुस्तान में कई स्टेट ऐसे हैं जैसे यू. पी. हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उनके अन्दर रोडवेज...

श्री राजेन्द्र पारीक : सिन्ध है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं मेरे भाइयों की व्यथा सुना रहा हूं, उनके दुःख दर्द को आपके सामने रख रहा हूं और आप मजाक उड़ा रहे हो इनकी। ठीक है, उड़ा लो मजाक, आप उनकी जगह होते तो आप पर क्या गुजरती ?

मैं निवेदन करी रहा था कि इन स्टेट्स के अन्दर उनको यात्रा भत्ता दिया जाता है, यात्रा सुविधाएं दी जाती हैं, पास दिये जाते हैं। आप भी राजस्थान में यह व्यवस्था कर दो कि अब पुलिस के लिये रोडवेज का फ्री पास होगा। जहां भी जाना चाहेगा वहां जा सकता है, अपने साथ अपने परिवार के किसी सदस्य को भी ले जा सकता है, यह सुविधा आप उनको दीजिये।

तीसरा मेरे ही क्षेत्र की एक बात बताता हूं। एक डकैत गाड़ी में बैठकर के सामने से आ रहा था। जो ड्यूटी पर था उसको पता लगा कि डकैत आ रहा है तो वह गाड़ी को रोकने के लिये रोड के बीच में खड़ा हो गया। डकैत ने परवाह नहीं की, मार गया, कुचल गया। क्या वह मरा है ? नहीं, मैं कहता हूं, हिन्दुस्तान में किसी सेना का कोई सैनिक कर्मचारी मरता है उसको आप शहीद कहते हो तो मेरा सिपाही भाई जो मरता है उसको भी शहीद कहें। वह भी शहीद होता है देश के लिये, आप उसको शहीद क्यों नहीं मानते हो ? उसके लिये भी सुविधाएं दी जाएं जो एक सैनिक के मरने पर मिलती है। आपका कोई लोन हो वह दिया जाए, बच्चों के लिये सुविधाएं दी जाएं। भूतपूर्व एक सैनिक को जो सुविधा दी जाती है वे सारी सुविधाएं मेरे भाई को दी जाएं। अपने आपको वह हीन समझता है। उनके नाम आपने ठुल्ले रख दिये। ऐसे बुरे नाम से आप उनको सम्बोधित करो तो फिर आप उनसे और क्या चाहते हो ? आप यह चाहते हो कि वे अच्छे कर्म करें ? नहीं, वे अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका भी सम्मान करो, वे भी हमारे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आदरणीय हैं। अपनी ड्यूटी देते हैं। ऐसे ड्यूटी देने वालों को आपको सम्मान के साथ बोलना चाहिये।

इसके साथ–साथ मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सन् 1947 का थाना बना हुआ है। 1947 से थाने की वही बिल्डिंग है, आज वह बिल्डिंग टूटने को तैयार है। न बैठने की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की कुछ व्यवस्था है। माननीय गृह मंत्रीजी से पहले भी मैंने निवेदन किया था। आप मेरे थाने के अन्दर नयी बिल्डिंग बनाएं, जमीन हम उसके लिये दे चुके हैं। थाने के अन्दर जीप नहीं है। जो जीप आपने दे रखी है वह ऐसी है कि कहीं चोरी, डकैती हो जाए तो चोर दो मील पहुंच जाए तब तक तो हीटर ही लगता है उसके अन्दर, फिर धक्का लगाते हैं उसके बाद वह स्टार्ट होती है। जैसे राजस्थान की सरकार स्टार्ट होती है वैसे ही वह स्टार्ट होती है। इतनी देर में वह स्टार्ट होती है जैसे कोई करंट आता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय अमरा रामजी चौधरी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी व्यवस्थाओं को सुधारें, साधन दें। इनकी संख्या बढ़ाएं, इनके भत्ते बढ़ाएं, इनके साधन में जो पुराने औजार हैं उनको आप ठीक करें। इसके साथ जो भी मान–सम्मान वाली बात आए वहां मान–सम्मान बढ़ाया जाए और भूतपूर्व सैनिकों के समान उनको सुविधा दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी से मैं आशा करूंगा कि आप निश्चित इन बातों पर ध्यान देंगे। मेरे क्षेत्र की समस्या और मेरे भाई जो पुलिस विभाग में हैं, उन सभी की समस्याओं पर ध्यान देते हुए आप अपनी कीर्ति स्थापित करेंगे और ऐसा बजट देंगे कि इनकी तबीयत प्रसन्न हो जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, दो मांगे जो पेश की हैं...

श्री राजेन्द्र पारीक : क्रांतिकारी भाषण हो गया।

श्री अध्यक्ष : आज वाकई अच्छा हो गया। बहुत तसल्ली से हुआ। पहले से ज्यादा अच्छा हो गया।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जनसंख्या का बढ़ना, बेरोजगारी का फैलना और बेरोजगारी के कारण अपराधों में वृद्धि होना....

श्री राजेन्द्र पारीक : बैठते–बैठते यह कह गये कि आपने यह नहीं किया तो आपको + + +

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : खास तौर से शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनके कारण समाज के अन्दर अपराधें ज्यादा बढ़ रहे हैं। वे न तो खेती कर सकते हैं, न उनको दूसरा एम्पलायमेंट मिलता है। आजकल की शिक्षा जो मैकाले की शिक्षा है, उसके कारण

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमराराम चौधरी)

हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं। आज आप सर्वे कराकर देखें तो जो कम पढ़े–लिखें हैं उनकी बेरोजगारी के कारण, अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ शिक्षित लोग जिनका 1994 में पुलिस ने चयन किया था, चयनित करने के बाद में उनको आज दिन तक नौकरी में नहीं लिया गया। उसका कारण यह था कि उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे पेंडिंग थे। माननीय अध्यक्ष जी, मुकदमे तो हमारे कई विधायकों के खिलाफ भी दर्ज करा देतें हैं, हम डिसक्वालिफाई तो होते नहीं। एम. पी. बन जाते हैं, कोई डिसक्वालिफाई नहीं हुआ। एक लड़का मेहनत करके मैरिट में आता है, मैरिट में आने के बाद, चयनित होने के बाद में उनको नौकरी नहीं दी जा रही है तो उनको मानसिक पीड़ा होती है। मानसिक पीड़ा होने के कारण वे सुधरने के बजाय बिगड़ते हैं। 1994 के अन्दर ऐसे प्रार्थना पत्र जिन चयनित लोगों के माननीय गृह मंत्रीजी को हमने दिये, माननीय गृह मंत्रीजी ने उनकी जांच करवायी। मेरे बाड़मेर जिले के जो चयनित लोग थे उनके खिलाफ सिम्पल 323 के ही मुकदमे थे और उन दोनों मुकदमों में भी वे बरी हुए। आपने पुलिस नियम बनाये हैं उसमें आपने यह स्पष्ट लिखा है करक्टर के बारे में..." The character of a candidate for direct recruitment must be such as to qualify him for employment in the service. He must produce a certificate of good character from the Principal Academic Officer of the University, College or School in which he was last educated and two such certificates written not more than six months prior to the date of the application from the responsible persons." वे सारे सर्टिफिकेट पेश हो चुके थे उसके बावजुद उनको नहीं लिया गया। और यह है नोट वन के अन्दर –" A conviction by a court of law need not itself involve the refusal of a certificate of good character." जिनकी मैं प्लीड कर रहा हूं बाड़मेर जिले के लोगों को, उनको तो अदालत से कोई सजा भी नहीं हुई। सिम्पली इधर तो एग्जामिनेशन हुए और उसके बाद में उनके खिलाफ में 323 का मुकदमा दर्ज करवा दिया, 348 का मुकदमा दर्ज हो गया। 348 और 323 में चालान पेश नहीं हुआ और उसमें बरी हो गये। दोनों की सर्टिफाइड फोटो कापी मेरे पास हैं, वे भी हमने पेश कर दी थीं। आपने रूल्स बनाये हैं जिनमें यह बताया है, आगे लिखा है :–

" The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with the crimes of violence....." तो यह भी उनके खिलाफ नहीं था– "..... or with a movement which has its object the overthrow by violent means of Government as by law established. Mere conviction need not be regarded as a disqualification." आपने रूल्स बनाये हैं कि अगर कोई सजा काट रहा है उस समय उसने अच्छा बिहेवियर रखा हो, उसको भी आपने डिसक्वालिफाई नहीं किया है। यह आपके रूल्स में प्रावधान है। मेरी यह मांग है माननीय गृह मंत्रीजी, उसमें तीन साल का पीरियड है और अभी ढाई साल हुए हैं। ऐसे बेरोजगार लोग अपराधी नहीं बनें और उनका जीवन सुधर जाए इसलिये मेहरबानी करके उनको नौकरी दो।

अभी माननीय रामस्वरूप जी ने सिपाहियों के पेट भरने वाली बात बतायी। मैं

(श्री अमराराम चौधरी)

अक्सर सदन के अन्दर यह बात कहता हूं कि जिस किसी सिपाही की नौकरी लगे, उसको 12 महीने तक आधी तनख्वाह दें और आधी तनख्वाह फिक्सड डिपोजिट में जमा करवा दें। मान लीजिये उसको 24,000 तनख्वाह मिल रही है, 12,000 में 12 महीने में अपना गुजारा कर लेगा। अगर साल भर बाद में नौकरी लगती तो ? फिर भी तो उसको बैठे रहना पड़ता। मेरा निवेदन है कि आप पुलिस में करप्शन किस प्रकार से कम कर सकते हैं। अगर 12,000 रुपये उसके फिक्सड डिपोजिट होंगे तो उसके बाद में उसको किसी से 10 रुपये मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका ब्याज बढ़ते–बढ़ते जब वह रिटायर होगा, 15-20 लाख रूपये हो जाएंगे। कोई करप्शन होने की बात नहीं, शादी या ऐसा कोई भी काम आ गया, उसको करप्शन की जरूरत नहीं रहेगी। यह आप जब तक लागू नहीं करेंगे तो पुलिस सब ऐसे नहीं होते, सिपाही ऐसे नहीं होते हैं, सब थानेदार ऐसे नहीं होते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस बात को एडाप्ट किया जाए ताकि पुलिस के अन्दर करप्शन कम हो सके।

दूसरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें। आप क्षेत्र की बात तक ही रहें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मेरी दो मांगें हैं।

श्री अध्यक्ष : वह आप पहले कहें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मेरे बालोतरा शहर की आबादी बहुत बढ़ गयी है, करीबन साठ–सत्तर हजार की आबादी है, इण्डस्ट्रियल एरिया भी है। वहां अभी तो सब इंसपेक्टर रैंक का थाना है वहां के थाने को अपग्रेड किया जाए। सी. आई. को वहां लगाया जाए, स्टाफ और लगाया जाए ताकि उस इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर किसी प्रकार की अशांति नहीं फैले, यह मेरा निवेदन है।

तीसरा निवेदन है, जो मकराना कांड हुआ, इसमें पुलिसकर्मी दोषी नहीं है और उनको यदि दोषी करार किया गया है तो उनको नहीं किया जाए। मेरा निवेदन यह है कि बहुत–से इस तरह के अपराध होते रहे हैं, हम जो हड़तालें करते हैं, छोटी–सी चीज को बड़ी बना देते हैं और पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। बहुत–से अपराध होते हैं गांवों के अन्दर, बहुत–सी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके बारे में उनका कोई आर्गेनाइजेशन नहीं होता, लोगों में इतनी समझ नहीं होती है जिसके कारण उसको ज्यादा तूल नहीं दिया जाता इसलिये उनको न्याय नहीं मिलता। छोटी चीज को बड़ा करके कहते हैं, उस बात का ध्यान रखा जाए। और जो पुलिस के सिपाही हों चाहे अधिकारी हो, कोई भी फंसना नहीं चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, अब आप विराजिये। श्री कमल जी।

श्री कमल : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16–पुलिस पर सदन के अन्दर चर्चा हो रही है...

श्री अध्यक्ष : अभी कई माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने हैं। आप अपने क्षेत्र के बारे में बात कहें तो अच्छा है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : शराब के लिये हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, आप भी इसका समर्थन करेंगे। कोई भी

(श्री अमराराम चौधरी)

अधिकारी शराब पिया हुआ मिले, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे थानेदार हो, उसको आप वार्निंग कर दें कि वह शराब नहीं पिये। शराब पीने से अपराध बढ़ते हैं, उनका खुद का लीवर तो खराब होता ही है लेकिन उसके साथ–साथ पुलिस में अपराध करने की प्रवृति आती है इसलिए जो अफीमची कांस्टेबल हों उनको आप चेंज कीजिये। आप एक सर्वे करवाइये कि हमारे कितने अफीमची सिपाही हैं, कितने शराब पीने वाले हैं। आज जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वे शराब के कारण हो रहे हैं। ड्राइवर शराब पीकर चला रहा है..

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कई बार आ गयी हैं ये बातें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : इसलिये शराब के बारे में सर्वे करवाइये। शराब के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मर रही हैं। (व्यवधान) कहीं आत्महत्या का केस होता है तो उसको हत्या का केस बना देते हैं, उसके कारण से भी समाज में अशान्ति फैल रही है। धन्यवाद। जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। अमराराम जी, विराजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदाय, क्षमा चाहूंगा, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। मैं आपके ध्यान में लाना उचित समझता हूं कि जब सभापति या उपाध्यक्ष महोदय यहां पदासीन थे, उस समय हम लोगों को बिलकुल बाध्य कर दिया गया था, नियंत्रित कर दिया गया था कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। या तो कृपा करके आप हमारे टाइम में भी विराजा करें।

श्री अध्यक्ष : मैं भी अभी उनको 10–10 मिनट के लिये ही कह रहा हूं।

श्री अर्जुनदास मदान : नहीं, अभी सब फ्री–स्टाइल में चल रहे हैं, मामला फ्री–स्टाइल में है इसलिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय कमलजी।

श्री कमल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16–पुलिस के बारे में चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको शामिल करते हुए कुछ सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। जब कोई अपराध के बारे में थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराने जाता है तो उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उससे कागज वगैरह की मांग की जाती है। पहले तो उसको इस बात के लिये राजी करना पड़ता है कि वह उसकी एफ. आई. आर. लेगा कि नहीं लेगा। मैं इसमें यह सुझाव देना चाहूंगा कि एफ. आई. आर. के लिये एक अलग काउंटर की व्यवस्था थानों में की जानी चाहिये। जो अधिकारी एफ. आई. आर. को थाने में भेजे, उसके आधार पर थाने में इन्वेस्टीगेशन हो।

दूसरा मेरा सुझाव है, जिस किसी के जूरिस्डिक्शन में कोई अपराध घटित हो, उस अपराध के लिये उस जूरिस्डिक्शन के डीवाई. एस. पी. से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक के कर्मचारी जिम्मेदार होने चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा, कई प्रकार के अपराधों पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल होगा। कहीं चोरी हो जाए, सब को पता लग जाए लेकिन थानेदार को पता लगता नहीं है और वह उसकी कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है। जब तक उसकी रिपोर्ट का इंतजार करता रहता है। जब तक उसकी रिपोर्ट होती है, काफी तथ्य छुप जाते हैं। अतः क्षेत्राधिकारी को उसके लिये पूर्णतः दोषी

(श्री कमल)

ठहराया जाना चाहिये, उसके लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की व्यवस्थाएं की जानी चाहिये।

एस. सी. एस. टी. अत्याचार निवारण के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादातर ऐसे मामलों में दोषी होता है वह प्रबल वर्ग से होता है। प्रथम तो जैसे ही कोई मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो उसकी समाजिक रुप से बहुत निंदा की जाती है कि इसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गयी, यह हमारे विरुद्ध कैसे मुकदमा दर्ज हो गया थानें में। तो पहले तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। पहुंच जाए, उसके बाद में पुलिस इसलिये कार्यवाही नहीं करती कि वह दोषी को दण्ड नहीं दिलाना चाहती है। अपने फायदे के लिये, अपने व्यक्तिगत हितों के लिये उसका इनवेस्टीगेशन करके उनसे पैसे लेकर समझौता कराने की कोशिश की जाती है। अधिकतर मामलों में हमारे हिण्डौन में ऐसा ही होता रहा है। मान्यवर, मैं इसमें एक मुकदमें का जिक्र करूंगा। ग्राम हाड़ौली के सुखपाल वर्सेज लाला के केस में ऐसा ही हुआ। लाल ने सुखपाल की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। जब वह उसको नहीं छुड़ा सका और उसको नहीं बोने–जोतने दिया, उसने उसके विरूद्ध केस कर दिया एस. सी. एस. टी. अत्याचार निवारण अधिनियम में। कुछ दिन तक तो पुलिस नें उसमें कार्यवाही की परंतु लाला बहुंत प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने सुखपाल के ऊपर दबाव डलवाया गांव के कई लोगों को पैसे देकर कि इसको दबायें और उसको इस बात के लिये राजी करें कि जो मैंने मुकदमा किया है, झुठा है। और उसमें कोई सेल लैटर वगैरह कुछ लिखवा लिया। आज भी उसी व्यक्ति लाला का कब्जा है उस पर वह उसको आज भी जोतने–बोने नहीं दे रहा है। इस तरह के अन्य कई मामलों में ऐसा ही होता रहा है।

महोदय, यहां महिलाओं पर अत्याचार की बातें हर रोज सुनने को मिलती हैं परंतु ऐसा क्यों हो रहा है इसके मूल में जाने के बारे में बहुत कम बातें आ रही हैं। एक तरफ तो हम समाज को पश्चिमीकरण की ओर बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता और पुरुषों के साथ बराबर का काम करने का हक दिलाने की कोशिश की जा रही है परंतु ऐसे ही मामलों के द्वारा जो परिणाम आते हैं उसकी निंदा की जा रही है। हिण्डौन क्षेत्र में आरक्षण के निर्धारण के कारण लगभग 33 प्रतिशत महिलाओं ने भी चुनाव लड़ा था। जो कमजोर वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ी, उनके साथ चुनाव के समय कई गलत घटनाओं की चर्चा क्षेत्र में बुरी तरह फैली थी यहां तक आया था कि एक–आध महिला को तो अस्पताल भी भेजना पड़ा था जयपुर में। परंतु उनकी कहीं रिपोर्ट नहीं की गयी। ये तो उसके बाई–प्रोडक्ट हैं जो हम व्यवस्था कर रहे हैं। इन घटनाओं को तब तक नहीं रोका जा सकेगा जब तक समाज से ऐसी जो व्यवस्था की जा रही है उसको नहीं रोका जाएगा।

मान्यवर, अब मैं कुछ हिण्डौन से संबंधित बात कहूंगा। हिण्डौन में थाना सूरोठ है जिसके भवन का निर्माण होना बाकी है। जमीन उपलब्ध है परंतु पता नहीं क्यों देरी हो रही हैं अतः इसके भवन का निर्माण शीघ्र कराया जाए और थानों में टेलीफोन की सुविधा दिलायी जाए। थाने से 20 किलोमीटर, तक जंगल का और डांग का इलाका पड़ता है। गांव में लगभग सब जगह टेलीफोन की सुविधा है वहां से कोई आदमी रिर्पाट देने जाता है तो पांच –छह घंटे पहुचने में लग जाते हैं डांग का इलाका है और रास्ते ठीक नहीं हैं। अगर टेलीफोन की सुविधा होगी तो कोई घटना घटने पर जल्दी से सूचना थानें पर दी जा सकेगी, इससे उचित कार्यवाही समय पर हो सकेगी।

(श्री कमल)

दूसरे हिण्डौन में ट्रैफिक पुलिस की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जिससे वहां की रोड पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है अतः हिण्डौन में ट्रैफिक की उचित व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजें, और कुछ कहना है ? विराजें आप।

श्री कमल : थानों में जो पर्याप्त पुलिस बल नहीं है उसकी भी व्यवस्था की जाए। मान्यवर, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री भरत सिंहजी। श्री शैलेन्द्रजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस एक्ट 1861 में बना था, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक चेंज नहीं किया गया है। पुलिस को मात्र पीस कीपिंग फंक्शन के रूप में माना जाता था लेकिन आज पुलिस पर मल्टी डाइमेंशनल लाइबिलिटीज इम्पोज हो गयी हैं। पुलिस के कार्यो में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप हम जन प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है। हम जन प्रतिनिधियों को चाहिये कि वे पुलिस के इनवेस्टीगेशन के मामले में राजनीतिक स्वार्थो को तिलांजलि देकर हस्तक्षेप किसी तरह का न करें, पुलिस को निष्पक्ष जांच करने दें। पुलिस के आर्गेनाइजेशन में बांदीकुई के अन्तर्गत थाने को अपग्रेड किया, उसके लिए मैं गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा किंतु अपग्रेड के परिणामस्वरूप उसके कांसीक्वेंशल इम्पैक्ट, इफैक्ट के अनुसार जो दो ए. एस. आई. पांच ए. एस. आई. की पोस्ट आनी चाहिऐ थी वे नहीं आयीं जिससे जो काम अंजाम होना चाहिए और जो बैटरमैंट होता, वह नहीं हो पाया।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में तीन मिनट में एक अपराध होता है और प्रति दिन 419 अपराध की घटनाएं होती हैं। गत वर्ष 1,48,266 वारदातें रिकार्ड की गयीं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1994 में एस.सी., एस. टी. की 29 हत्याएं हुई और 1995 में 40 हत्याएं एस. सी., एस. टी. कास्ट की हुई। आज राजस्थान के अन्दर एस. सी. एस. टी. डाउन ट्रोडन वीकर सैक्शन के ऊपर अत्याचार-अनाचार हो रहे है। इसके अतिरिक्त महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी इतनी संगीनता है कि यदि इसी गति से अपराध होते रहे तो माननीय राज्यपाल महोदय को कुछ सोचना चाहिये और केन्द्र सरकार को भी सोचना चाहिये कि इस सरकार को सत्ता में रहने दिया जाय या नहीं रहने दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : आपका क्या होगा ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप चिंता मत करो, हम तो दुबारा भी जीत कर आएंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : आप पूछ कर आ जाओ, पहले सुरेन्द्र व्यासजी का भी ऐसा हुआ था।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप चिंता मत करो। आपने अभी जो लोक सभा के चुनाव में परिणाम हासिल किये हैं उससे तो मालूम है।

मेरा निवेदन करना यह है कि महिला अत्याचार राजस्थान में बढ़ रहे हैं। अलवर में जो देह शोषण काण्ड हुआ उसमें शालिनी शर्मा को गिरफ्तार करने की कोई भी कोशिश नहीं

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

की गयी बल्कि उसकी एन्टीसिपेटरी बेल हो जाए तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाय, यह पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरी ढिलाई दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जून 1995 में झुंझुनूं में चार वर्षीय निर्मला के साथ बलात्कार हुआ, उसके बारे में न अभी तक गिरफ्तारी हुई और न चालान पेश किया गया। 10 अप्रैल,, 1995 को 14 वर्षीय मंजू के साथ जो बलात्कार हुआ उसमें भी चालान नहीं पेश किया गया। इसके अलावा सितम्बर, 1995 में नागौर जिले के नाचड़ी में सात लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना की गयी यह केवल मैं महिला अत्याचार की बात बता रहा हूं उसके बाद में भी अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त देवली की 45 वर्षीय दाबूबाई के साथ सामुहिक बलात्कार की शराब के ठेकेदारों द्वारा जो कार्यवाही की गयी उसके लिये अभी तक न तो कोई मुआवजा दिया गया और न किसी तरह की अग्रिम कार्यवाही की गयीं अलवर के जुगता वसई गांव में दलित महिलाओं की जमीन हड़पने, उन्हें बेरहमी से मारने–पीटने व पेड़ पर बांधने की जो कार्यवाही हुई, जो कि माननीय गृह मंत्री महोदय को मालूम है, उसमें भी अभी ढिलाई बरती जा रही है। इसके अतिरिक्त गंगानगर के गठरारा गांव की चन्दूड़ी बाई की योनि में मिर्च डालने व लकड़ी घुसाने का अपराध 376 के अर्न्तगत हुआ किन्तु मुकदमा नहीं कायम किया गया। कोटा की कस्तुरी बाई की पिटाई की गयी और मिथ्या चोरी के इल्जाम में उसको फंसाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सिमड़ला, सीकर में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार किया गया उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त जयपुर के कामकाजी छात्रावास में पार्षदों व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनधिकार गृह प्रवेश किया गया उस पर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री महोदय की निगरानी में पुलिस ने फाइनल रिर्पाट लगा दी। जबकि अजय सिंह चित्तौड़ा की रिर्पाट थी कि भारतीय जनता पार्टी के नगर पार्षदों ने एक तरफ से अनाधिकार गृह प्रवेश किया था और यह रात्रि में किया था और आफेंस था किन्तु उसका प्रसंज्ञान नहीं लिया गया जो कि एक शर्म की बात हैं। मेरा यह कहना है कि नारी उत्पीड़न के मामले में कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती गयी है न कोई संवेदनशीलता है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में और जो डाउनट्रोडन लोग हैं वीकर सैक्सन के लोग हैं उनकी किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है।

इसके आलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस कस्टडी, जुडीशियल कस्टडी की यह स्थिति है कि दिसम्बर,1995 में बीकानेर जेल में जेलर के जुल्म से गुदा में बर्फ डालकर जसविंदर सिंह की पिटाई की गयी और उस कैदी की मौत हो गयी। इसके अलावा नागौर में कस्बे में भी हिरासत में मौत हुई। हिण्डौन सिटी में पिटाई की गयी जिससे कि राजसिंह की मौत हुई यह जनवरी, 1996 में हुआ। डीग में कैदी हरिसिंह की जेल में मृत्यू हो गयी। लगातार जेलों में मौतें हो रही हैं और राजस्थान के कैदी फरार हो रहे हैं। कैदी हास्पिटल से फरार हो रहे हैं, कैदी फरार हो रहे हैं कोर्ट से, कैदी फरार हो रहे हैं पुलिस अभिरक्षा से और जेल में भी इस तरीके की कोई रोक नहीं है। अकलेरा से 6 कैदी फरार हुए, मालपुरा से 5 हुए और डीग से 4 हुए । जैसलमेर से एक गया, किशनगढ़ से एक हुआ, धौलपुर से एक

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

गया, अजमेर से एक गायब हुआ, उदयपुर से एक गायब हुआ, हनुमानगढ़ से एक गायब हुआ, करणपुर से एक गायब हुआ। इस तरीके से पूरे राजस्थान की जेलों में से कैदी फरार हुए हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : बाड़मेर से नहीं हुए ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : जरूरत क्या है ? कैदी वहां हैं ही नहीं, कैदी तो और कहीं बैठे हैं। आपको मालूम है कहां बैठे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : बांदीकुई से क्या हुआ ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : बांदीकुई से कैसे होते ? और जगह बैठे हैं आपको मालूम ही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया टोके नहीं, पूरा करने दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसी स्थिति में मेरे कुछ सुझाव हैं, एक तो यह कि राजस्थान की पुलिस की जो इन्वेस्टीगेशन एजेंसी है उसमें कोई भी व्यक्ति साइंस का एक्सपर्ट नहीं होता है। यदि कोई भी तेजाब फैंकने का मुकदमा हो गया, फेस का डिसफिगरेशन हो गया तो कोई भी आई. ओ. को इतना ज्ञान नहीं है कि वह 326 में आएगा कि 327 में आएगा। वह 325 में करके छोड़ देगा। यदि किसी का दांत हिल गया है तो वह भी 324 में कर देंगे जबकि वह प्राइवेशन आफ दी बांडी पार्ट है। इसके अलावा बीसों बार डाक्टर लिखते हैं कि एक्सरे रिपीट आफ्टर फिफ्टीन डेज लेकिन ए. एस. आई. चौथमल या छाजूलाल आठवीं या बारहवीं पास है, वह नहीं समझता। वह 15 दिन बाद में उसको नहीं लाता है और मुकदमे की सीरियसनैस और ग्रेविटी खतम हो जाती है। यदि कोई आदमी चाकू मारता है, 21 दिन से ज्यादा हास्पिटल में रहता है, 10 बोतल खून चढ़ता है उसके बाद भी एक सामान्य इन्वेस्टीगेशन आफिसर उस मुकदमे का 324 में दर्ज कराता है जबकि वह जानलेवा, प्राणलेवा, होता है, लाइकली टू कॉज़ डैथ और टू लाइफ होता है लेकिन इतना यदि समझे इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर तो जाकर कहे कि आफ्टर हील अप था, हील अप हो गया हील अप के बाद आप फाइंडिंग दीजिये। इस तरीके से इन्वेस्टीगेशन आफिसर के कम ज्ञान के आधार पर मेडिकली जो एवीडेंस नहीं कलेक्ट कर पाते हैं इसके इसके लिऐ आपको एक मेडिकल ट्रेन्ड आदमी रखना चाहिये।

इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि जो भी बैंक में चोरियां होती हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बैंक में जो चोरी होती है उसकी अकाउंटिंग के लिये, उसकी ऑडिट के लिये पुलिस के पास कोई भी एक्सपर्ट आदमी नहीं है। एक–एक साल तक इन्वेस्टीगेशन आफिसर देखते हैं कि कोई ऑडिटर की रिपोर्ट हो तो उसकी चालान में नकल कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोती लाल जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अकाउंट का एक्सपर्ट समझने के लिए आपको इसमें भी कार्यवाही करनी चाहिये। इसके अलावा मेरा निवेदन यह है कि शराब की दुकानें अन्य दुकानों की तरह रात को 8.00 बजे बंद हो जानी चाहिये। ये शराब की दुकानें पिक्चर खतम होने के बाद भी चलती हैं जिससे कि अपराधों में बढ़ोतरी होती है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, आज जो यह चर्चा पुलिस डिपार्टमेंट पर चल रही है मैं भी अपने – आपको इसमें शामिल करना चाहता हूं वैसे सदन के दोनों पक्ष इसकी बुराई भी कर रहे हैं भलाई भी कर रहे हैं धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि धौलपुर के अंदर बदमाशी बहुत बढ़ गयी है। मैं भी उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, धौलपुर मेरे क्षेत्र से लगा हुआ हैं। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले कितनी बदमाशी बढ़ा रखी थी वहां ? अब धौलपुर में स्थिति काफी काबू में है। लाइसेंस का मसला चला था कि पुलिस प्रशासन हमको लाइसेंस नहीं दे रहा है, कलक्टर महोदय लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। जहां तक ज्ञात है इस साल कलक्टर और एस. पी. ने खानों वालों के लिए या एस. सी./एस. टी. के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिये हैं। इस पर उन लोगों को एतराज है कि इनको क्यों लासेंस दिये, वहां के बदमाश उन्हीं के पनपाये हुए हैं। हम गये थे उपचुनाव में तो वहां यह हालत मेरे साथ भी आयी थी। अध्यक्ष महोदय, पुलिस अत्याचार कराती है कि नहीं कराती मैं तो यह कहूंगा कि सबसे पहले दोषी वे लोग हैं जो पुलिस अत्याचार करने वालों की सिफारिश लेते हैं। चाहे उनमे मैं हूं चाहे कोई और भाई हो। इस चीज की रोकथाम के लिए सभी कह रहे हैं कि इसे रोका जाए। जब तक माननीय गृह मंत्री डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर एस. पी. को फोन नहीं करेंगे हर हफ्ते थाने का मुआयना नहीं होगा, जो थानों में 10–15 साल पहले से प्रक्रिया चली आ रही है दलाली की यह दलाली बंद नहीं होगी तब तक अत्याचार किसी प्रकार से नहीं रुक सकते। दलालों को थानों पर नहीं रुकने देंगे तो शायद कुछ अत्याचारों में कमी आएगी और पुलिस वालों को खतरा भी रहेगा। खतरा उनको यों टल जाता है कि हमारे पीछे कोई–न– कोई सिफारिशी बैठे हैं इसलिए वह रिपोर्ट भी नहीं लेता। कई जगह ऐसा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी देकर के परेशान भी रहते हैं यह मेरे से पूर्व में कुछ लोगों ने कहा भी है। दिल्ली वाला नियम चालू हो जाए तो अच्छा रहेगा कि थाने पर रहने वाले हैं उनके बीवी बच्चों के लिये क्वार्टर बना कर दें दिया जाए और जो दूर से या नजदीक से आने वाले हैं वे दिन में 8 घंटे ड्यूटी देकर शाम को अपने घर चले जाएं।

इसी हिसाब से कुछ और कुछ और भी बातें हैं जैसे कई दफे दंगे हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय, पुलिस वालों के लिये गृह मंत्री जी को यह करना चाहिये कि कम से कम उनके पास बनाये जाएं जिससे कि उनको यह आपत्ति नहीं हो। कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जो पहले बतायी थीं कई लोगों ने उनका पे–स्केल कम से कम पंचायत समिति का जो टीचर उसके बराबर होना चाहिये। आज 860 का स्केल है उसमें कुछ भी नहीं बन पाता। अध्यक्ष महोदय, अत्याचार जो हो रहे हैं कुछ सुधार में हैं। यह मैं नहीं कहता कि पूर्णतया सुधार में है लेकिन जब तक गृह मंत्री जी थोड़ा ड्डक्टली नहीं लेगे, ये अत्याचार मिट नहीं पाएंगे मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित) श्री रामपालजी उपाध्याय। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र जी पारीक।.... (व्यवधान) ... आ रहा है, महेन्द्र जी का भी आ रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी विधायक की तरह आतंकवादी भाषण तो देने की स्थिति में नहीं, सार–संक्षेप में ही अपनी बात आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। सुबह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

से ही जिस तरह सदन में आज इस विषय पर चर्चा हो रही है और थानों की डायरियों का जिस तरह से यहां पर पठन और पाठन हो रहा है यह किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए चिन्ता का विषय निश्चित रूप से है। जहां तक मैं समझता हूं कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसके शासनकाल में इस तरह की अराजकता फैले। लेकिन परिस्थितियां और बढ़ते हुए अपराध इस बात की ताईद करते हैं

(22.00)

कि अपराध बढ़े हैं। ....एक वक्त था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस पुरे पुलिस प्रशासन के संचालन के लिए मात्र एक आई. जी. हुआ करते थे। आज उच्चाधिकारियों की एक बड़ी जमात हमारे सामने है लेकिन उस अनुपात में जो कांस्टेबल्स भर्ती होने चाहिऐ वे नहीं हुए। मैं इसको अपराध बढ़ने का कोई कारण नहीं मानता। जब हम इसके कारणों में जाएंगे कि आखिर इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं तो इसके मूल में जो सबसे अहम मुद्दा हमारे सामने उभरकर आएगा वह है जनसंख्या वृद्धि का। माननीय अध्यक्ष महोदय जिस अनुपात में और जिस तेज गति से आज जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी के साथ–साथ अपराध का फैशन सा बनता चला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वंय कई बार अखबार में पढ़ते होंगे, आपकी जानकारी में आता होगा कि फलां किसी उच्चाधिकारी का लड़का, फलां किसी सेठ का लड़का केवल शौकिया ही अपराध कर बैठता है। वहीं बेरोजगार व्यक्ति अपने रोजगार की तलाश में निकलता है, उसको साधन नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं अपराध कर बैठता है कोई भी सरकार हो, आज के दिन यह कतई उसके लिये संभव नहीं है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या के सैलाब को रोकने के लिये, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये वह अचानक कोई अलादीन का चिराग जला दे जिससे इस देश में जो भी पैदा हुआ है उसको रोजगार मिल जाए या जनसंख्या वृद्धि का जो यह सैलाब उमड़ पड़ा है इस पर अचानक कोई रुकावट आ जाए। ऐसी स्थिति होना बड़ा मुश्किल है इसलिऐ अपराध तो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। हम भले ही आज सदन के प्रांगण में में बैठकर माननीय गृह मंत्री महोदय को भला–बुरा कहें या किसी भी सरकार को हम उलाहना दें, लांछित करें। जो अपराध घटित हो गये या घटित होने वाले अपराध का इन्वेस्टीगेशन करने और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के अलावा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सबसे अहम मसला, सबसे जरुरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि इनमें रुकावट कैसे आए। आज हम इस सदन में बैठकर चर्चा कर रहे हैं माननीय विधायक एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं। मैं कभी एक्सपर्ट कमेंट्स देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कभी–कभी तो देते ही हैं आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन मेरा निवेदन है कि इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से फैमिली प्लानिंग के मंत्री माननीय विधायकगण की एक मीटिंग आयोजित करते हैं, आपस में विचार–विमर्श के लिये इकट्ठे करतें हैं। कभी ऊर्जा मंत्री द्वारा एक मीटिंग आयोजित की जाती है, माननीय विधायक भी आमंत्रित होते हैं। बैठकर आपस में चर्चा होती है और उनसे सम्बधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श होता हैं मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि यहां एक्सपर्ट कमेंट्स शायद आपको न मिलें लेकिन आप किसी दिन वर्ष में यदि एक बार भी समस्त उच्चाधिकारियों और

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एक्सपर्ट कमेंट्स देने वालों के साथ विधायक बंधुओं को लेकर बैठेंगे, एक विचार गोष्ठी होगी, आपस में विचारों का आदान–प्रदान होगा तो आप निश्चित मानिये कि गैप आफ कम्युनिकेशन संवादहीनता जो बनी हुई है, यह संवादहीनता दूर होगी अपराधों को रोकने के लिये। और यहां बैठकर हम जिस तरह से आरोप–प्रत्यारोप कर रहे हैं यह स्थिति भी अपने उन विचारों के आदान प्रदान से निश्चित रूप से कम होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बात पर आपको और ध्यान देना होगा कि न्यायिक प्रक्रिया में जो विलम्ब हो रहा है , यह भी अपराध बढ़ने में एक बड़ा भारी कारण बनता जा रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं, न्यायालय से उसके फैसले नहीं हो रहे हैं, लोग उसका भय नहीं मान रहे हैं। जब किसी अपराधी को इस बात का भय ही नहीं है कि हमने जो अपराध किया है इसका दण्ड हमको दो महीने बाद ही मिलनेवाला है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह निश्चित होकर, स्वच्छंद होकर फिर कहीं न कहीं अपराध कर बैठता है। सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में भले ही लॉ डिपार्टमेंट हो या पुलिस महकमा हो, आपस में समन्वय होना चाहिये कि कैसे जल्दी से जल्दी न्याय प्रक्रिया चुस्त–दुस्त हो और न्यायालय में होने वाला विलम्ब रुके। इसके निश्चित रूप से हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का मुख्य रूप से कार्य पीस मेनटेन करने का था प्रिवेंटिव था। आज वी. आई. पी. ड्यूटीज में मेलों के आयोजन में, धार्मिक यात्राओं में, स्कूल में कहीं एग्जाम होने हैं व्यवस्था करने के लिये पुलिस का जाना साधारण बात हो गयी है। स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम्स की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिये आपने वहां पुलिस की व्यवस्था की है। इसके नतीजे क्या निकले हैं ? इसके नतीजे ये हुए कि पुलिस का सारा का सारा महकमा इन इंतेजामत में लग गया। क्रिमिनल्स को मौका मिल गया, इन्वेस्टीगेशन में विलम्ब होता चला जा रहा है। आप चाहे गृह मंत्री जी से अपील करें, चाहे आप सरकार के किसी उच्चाधिकारी से अपील करें, रिजल्ट तो सामने है। सम्बन्धित अधिकारी बार–बार शिकायत करता है कि मुझे समय नहीं है, मुझे इन ड्यूटीज में जाना पड़ रहा है, मेरे पास समय की कमी है। आप इसमें एक ऐसी व्यवस्था करें कि कुछ लोगों को पर्टीकुलर ड्यूटी में पाबन्द कर दें कि ये केवल इन्वेस्टीगेशन का ही काम करेंगे(व्यवधान) आपकी अलग से ड्यूटी लगती है इसमें आप नहीं जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यातायात के मामले में अधिकतर लैप्सेज पाये जाते हैं। कभी हाईवेज पर जाम हो जाता है आपको बहुत जल्दी में जाना है, हाईवेज पर जाम हो गया और इसका सारा दोष हम पुलिस के माथे मढ़ देते हैं। यह वास्तव में एक बड़ी भारी गलती भी है। वैसे तो यह लम्बी चर्चा का विषय है लेकिन आपने चूंकि समय सीमा की पाबंदी कर रखी है इसलिये मैं इस मामले में अधिक नहीं जा कर सार–संक्षेप में इतना सा ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये बातें ऐसी नहीं हैं जिन पर केवल चर्चा करके हम समापन कर लें कि मेरे थानों में यह अपराध हुआ है..

श्री अध्यक्ष : श्री मदनमोहन जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सिर्फ दो मिनट और लूंगा। आपने पुलिस विभाग के बारे में काफी चर्चा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कर ली, उनकी बुराइयों के बारे में काफी चर्चा कर ली, मैं पुलिस से सम्बन्धित जो कुछ समस्याएं हैं वे आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपका कांस्टेबल रोडवेज की बसों में निर्बाध रूप से यात्रा करता है, उसको पैसा नहीं देना पड़ता। माननीय यातायात मंत्री और गृह मंत्री दोनों बैठकर एक ऐसी नीति बना लें कि मिनिमम कोई भी राशि 30 रुपये, 40 रुपये, 35 रुपये हर महीने एक कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर के व्यक्ति से कटौती करके यदि यातायात की सुविधा दिलाएंगे तो, अध्यक्ष महोदय, इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।

श्री मदनमोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर जो चर्चा हो रही है....

श्री राजेन्द्र पारीक : साथ में एक और निवेदन करना चाहूंगा। आज एक साधारण—सा कर्मचारी भी खाना खाएगा तो उसको 15—20 रुपये में भी एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता और आप उनको मैस भत्ता देते हैं 182 रुपये, कम से कम उनको 300—350 रुपये तो करिये। उनके कपड़ों की धुलाई के 25 रुपये देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदन मोहन जी। कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक छोटा—सा निवेदन और कर दूं। आये दिन आप देखते होंगे कि थानों में बलात्कार के केसेज होते हैं, थानों में अपराध बढ़ते हैं। इसको रोकने के लिये सस्ता और सुगम उपाय यदि कोई है तो वह यह है कि उन थानों में जो इन्चार्ज है उसका आवास आप वहां पर कर दें। उसके लिये यह पाबन्दी हो कि वह अपना परिवार वहां पर रखे।

श्री अध्यक्ष : विराजें। यह काफी बार आ गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : परिवार वहां पर रहेगा तो इस तरह के अपराध, बलात्कार होते हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी।

श्री अध्यक्ष : काफी बार आ गया, विराजें आप। मदनमोहन जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने समय दिया इसके लिये आपको बहुत—बहुत धन्यवाद।

श्री मदनमोहन : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में पुलिस की मांग संख्या—16 पर जो चर्चा हो रही है मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करते हुए ...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन की ऐसी भावना दिख रही है कि इस दबंग होम मिनिस्टर का रिप्लाई सुनने के लिये सदन बहुत आतुर है।

श्री अध्यक्ष : बस एक माननीय सदस्य और बाकी हैं जिनके कटोती प्रस्ताव हैं। (व्यवधान) विराजें।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है, हमारे चीफ व्हिप भी बोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय, बोलें। जिन माननीय सदस्यों का नम्बर कम आता है उन्हें बुलवाना चाहता हूं। बोलें आप। आप बैठिये, मुझे सब पता है किस—किस के कटौती प्रस्ताव हैं, कौन नहीं बोले। जो कम बोलते हैं उनको जरूर बुलाऊंगा। (व्यवधान)

श्री मदनमोहन : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विभाग की वजह से प्रदेश के विकास के ऊपर भी अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आसार होते हैं। जिस प्रदेश का पुलिस प्रशासन, सुचारू रूप से अपना कार्य करे वह उस प्रदेश के विकास में भी सहायता प्रदान करता है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में अन्य राज्यों से तुलना की गयी, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य राज्यों की तुलना में न जाकर के हम अपने इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था के बारे में सोचें और इसी को सुदृढ़ कर इसको आगे बढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय, पिछले महिने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक मर्डर हुआ। तिहाड़ जेल से एक कैदी रिहा होकर आया और वह सारेकलां नामक एक जगह पर रहने लगा। देहली पुलिस वहां पर उसे गिरफ्तार करने के लिये आयी, तो वहां पर उस पुलिस के कांस्टेबल को जो अभियुक्त को पकड़ने, आया था, गोली मार दी गयी। उसके बाद रैड अलर्ट कर दिया गया अलवर जिले के अन्दर। उसके बाद एक घटना घटित होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, रैड अलर्ट के दौरान। थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जहां दो तो राजस्थान पुलिस के डी. आई. जी. होते हैं और एक दिल्ली पुलिस का डिप्टी कमिश्नर होता है, एक मारुति कार को लूट लिया जाता है, उसमें सवार औरतों को पीटा जाता है। न आज तक कार बरामद हुई, न कोई अभियुक्त पकड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जुगताबसई में कांड हुआ और हरिजन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, मैं आपके माध्यम से उसके बारे में भी गृह मंत्री, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो झगड़ा हुआ उस झगड़े की जड़ केवल एस. डी. ओ. किशनगढ़वास और डीवाई. एस. पी. किशनगढ़वास हैं। चाहे आप किसी भी एजेंसी से जांच करवा कर देख लें आपको तथ्यात्मक रिपोर्ट मिलेगी कि उस गांव के दोनों समुदायों में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। उस झगड़े की जड़ एस. डी. ओ. किशनगढ़वास ने जबरदस्ती उस व्यक्ति को बुलाकर जिसको पता ही नहीं था कि मेरी जमीन यहां है, जो 20 साल से जमीन जोत रहे थे, उनको बेदखल करा कर उस आदमी के रजिस्ट्री करायी। रजिस्ट्र कराने के बाद उन लोगों में झगड़ा कराया और गांव में तनाव पैदा कराया। इसके लिये एस. डी. ओ. किशनगढ़वास और डीवाई. एस. पी. किशनगढ़वास जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगढ़वास सब डिवीजन से मात्र एक किलोमीटर दूरी पर शाम को 7 बजे मर्डर होता है जिसका वहां की पुलिस को पता लगता है दूसरे दिन एक बजे। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की अकर्मण्यता अलवर जिले में फैली हुई है और जितनी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनके लिये मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि यही समय है, इसके ऊपर सोच लीजिये अन्यथा जनता का विश्वास यदि आप पर से उठ गया तो मैं कहता हूं कि पुलिस वालों को कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। मैं पुलिस का विरोधी नहीं हूं केवल इनकी अकर्मण्यता का विरोधी हूं। जिस तरह से इनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान पुलिस के डी. जी. इसके अन्दर अपना दखल करें जिससे उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एस. सी. और एस. टी. एक्ट का चाहे जहां उपयोग करके

(श्री मदनमोहन)

लोगों के साथ जो अत्याचार किया जाता है, मैं इसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जमीन किसी की, मामला किसी का और दर्ज होता है एस.सी., एस.टी. के नाम से। इस एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके दुरुपयोग को भी रोकें।

अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करुंगा कि अलवर जिले में महिलाओं के साथ जितने भी अत्याचार हुए हैं, इनके अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। एक महीना बीत चुका है, एक महीने में बीसों घटनाएं हुई हैं लेकिन आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसे केसों में बढ़ोतरी हुई और समय पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इनको बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री मदनमोहन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान के कांस्टेबल और उपनिरीक्षक हैं इनका वेतन भी केन्द्रीय सरकार के वेतन के बराबर किया जाए। जो कांस्टेबल छुट्टी पर चले जाते हैं, उसके बाद उनको आमद कराने के लिये एस. पी. के सामने पेश होना पड़ता है। यदि एस. पी. नहीं हो तो उनको 3–4 दिन अनुपस्थित रहना पड़ता है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि एडिशनल एस. पी. को भी आमद करने की पावर दी जाए जिससे कि पुलिस का जो सिपाही अपनी ड्यूटी पर तैनात होना चाहता है, वह समय से पीछे नहीं हटे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी। संक्षेप में अपने एरिये की और खास–खास बातों को कहें।

श्री अमराराम (धोद) : हां, खास–खास ही कहूंगा बिना खास एक भी नहीं कहूंगा। राजस्थान के बाहर से एक भी नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान मुख्य मंत्री इस ओर बैठते थे तब उनका जो दृष्टिकोण था, अब उधर पहुंचने के बाद बिलकुल उससे उलटा हो गया है। सीकर जिले में 22 अप्रैल, 1987 को एक घटना घटी थी। पुलिस ने चार घंटे तक गोलियां चलायी। प्रतिपक्ष के नेता और वर्तमान मुख्य मंत्री पधारे तब उन्होंने यह कहा कि चार घंटे गोली चलायी गयी है यह पुलिस की निर्ममता है, इसके लिये इन दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिये। किसान छात्रावास विद्यार्थियों के लिये वापस देना चाहिये और पुलिस वहां से हटायी जानी चाहिये। मृतक छात्र कानाराम को मुआवजा दिया जाना चाहिये, घायलों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। इस सदन में भी प्रतिपक्ष के नेता ने कई दफा इस मामले को उठाया। लेकिन वही छात्रावास जिसमें ग्रामीण छात्र रहने चाहिये, उस घटना के 9 साल बाद और मुख्य मंत्री जी के शासन काल के 5 साल बाद भी उसमें पुलिस बैठा रखी है। किसानों के पसीने की कमाई के एक–एक रुपये से छात्रावास बना था, उसके गेट तोड़ दिये गये, उसके दरवाजे तोड़ दिये गये और पूरी सम्पत्ति को नष्ट कर दिया गया। अब मुख्य मंत्री जी इस बात को भूल गये हैं।

जहां तक पुलिस का सवाल है थानों में शरीफ और गरीब आदमी जाने से कतराता है। थानों में खुले आम आराम से जाने में महफूज है तो वह तस्कर है, शराब माफिया है,

(श्री अमराराम)

जुआरी है। वे आराम से जा सकते हैं, शरीफ और गरीब आदमी पुलिस थाने में जाने से कतराते हैं। उसके साथ कोई भी अत्याचार होता है, बहुत–से तो ऐसे हैं जो मुकदमे तक दर्ज नहीं करते। अगर दर्ज हो जाएं तो, चाहे वह पहले की सरकार थी चाहे आज है उनमें राजनीतिक दखलंदाजी इतनी हो गयी है कि सही रूप से इन्वेस्टीगेशन नहीं होते। जहां तक दहेज हत्याओं का, महिला अत्याचारों का सवाल है लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं। गृह मंत्रालय से सर्कूलर भी निकला है। सीकर के थोई थाने की सिनारला की घटना है– सुमन 12 साल की लड़की सातवीं क्लास में पढ़ती थी, उसके साथ पुलिस के कांस्टेबल ने रेप किया। जब उसका पिता रिपोर्ट लिखाने के लिये गया एक दिन, एस. एच. ओ. ने वापस भेज दिया। दूसरे दिन फिर गया तो कहा कि जो रिपोर्ट लेकर आये हो यह फाड़ो, केवल छेड़–छाड़ की रिपोर्ट लिखो तब दर्ज की जाएगी। जब 10 दिन तक यह होता रहा जब वहां के एस. पी., एडिशनल एस. पी. के पास पहुंचे। उन्होंने खुद बयान लिये तब जाकर 376 का मुकदमा बनाया गया। मिलीभगत से एस. एच. ओ. ने उस पुलिस कांस्टेबल को बचाने के लिये उसके पिता पर यह दवाब डाला कि कुछ पैसे लेकर आप राजीनामा कर लो। उसकी जमानत भी कर दी छेड़छाड़ में। जब एडीशनल एस. पी. के सामने आया तब 376 में मुकदमा दर्ज हुआ और उसको अरैस्ट करके जेल में भिजवाया गया। लेकिन वह थानेदार उस परिपत्र के जारी होने के बाद भी बदस्तूर वहीं है। जिस डीवाई. एस. पी. की चर्चा अभी दीपेन्द्र जी कर रहे थे, जो शोकत अली के मामले में शामिल है। उसी लोशन में 353/95 दहेज की हत्या हुई, जिसकी जांच 1995 में हुई थी। आज तक वह नहीं करना चाहता। उसी सदर थाने का 146/96 में मर्डर हुआ, मर्डर हाने के बाद जिसको सार्वजनिक कुएं में डाल दिया गया। मर्डर के बाद जिसकी सहायता डालने के लिये ली गई, दो महीने से ज्यादा बीत गये लेकिन उसके कोई मुलजिम को नहीं पकड़ा गया। कुएं में डालने वाले ने, उसका साथ देने वाले मुलजिम ने भी पुलिस में आकर यह बयान दे दिये कि मैंने उसकी लाश को कुएं में डालने में मदद की है उसके बाद भी मुलजिम को बचाया जा रहा है। और उसके बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया, वह मुलजिम इस बात का गवाह है कि उस थाने में पूरी सूचना दे दी गयी थी। लेकिन उसको आत्महत्या करार देने के लिये आज भी पुलिस कसरत कर रही है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वे मुलजिम नहीं पकड़े जाएं। इस तरह से पूरे के पूरे, एक नहीं, चाहे वह गंगानगर का.....(व्यवधान) कथूड़ी देवी का प्रकरण हो...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री महेन्द्रजी मीणा।

श्री अमराराम (धोद) : चाहे सार्दुलशहर का दर्शन सिंह का हत्या काण्ड हो, तमाम राजनीतिज्ञ उसमें शामिल हैं। जब मजदूर उद्योग में अपने हकों के लिये संघर्ष करते हैं, पुलिस मालिकों का साथ उस हड़ताल को तोड़ने के लिये देती है मजदूरों पर असत्य मुकदमे बनाकर। चाहे वह रींगस का मामला हो, जहां 50–50 असत्य मुकदमे 8 महीने की हड़ताल में बनाए गये। चाहे अलवर की मॉडर्न सिंथेटिक्स का मामला हो, जहां मजदूर लड़ता है राजस्थान की पुलिस उनके पक्ष में खड़ी मिलती है। इसके बारे में आप उनके लिये कुछ करें। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रजी मीणा। इनका कटौती प्रस्ताव है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, पुलिस डिमाण्ड में अपने को शामिल करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि दौसा जिले के अन्दर पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। थानों के अन्दर जितने भी इंचार्ज लगे हुए हैं, थानेदार लगे हुए हैं, उन्होंने उच्च अधिकारियों को और सरकार तक को पैसे देकर अपनी नियुक्ति वहां करा रखी है। मान्यवर, जनता अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर साल एवरेज 4 मर्डर होते हैं। बलात्कार, लूट—खसोट, आगजनी और गुंडागर्दी के तो सैकड़ों मामले हैं लेकिन हत्या के हर साल एवरेज 4—5 मामले होते हैं। मान्यवर, अभी 3 मई को दिन के 11 बजे ग्राम कैराई के अन्दर कमली और धौली 2 महिलाएं घर से निकली थीं। अपने नजदीक खेत पर बंलीता बीनने गयी थीं। दिन के 11 बजे हवस का एक दरिन्दा आया, कमली नाम की महिला को पकड़ा, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। मान्यवर, इस मामले की हमने कोलवा थाने के अन्दर एफ. आई. आर. दर्ज करायी, नामजद हत्यारा दर्ज करवाया। लेकिन अभी तक उस हत्यारे को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। पुलिस को मालूम है हत्या किसने की है। हम गृह मंत्रीजी से मिले, डी.जी. साहब से मिले और राठौड़ साहब से मिले। राठौड़ साहब ने हमारी बात सुनी और सम्बन्धित अधिकारी को कहा लेकिन अभी तक कोई भी हत्यारा उसमें नहीं पकड़ा गया है। इससे जनता के अन्दर आक्रोश है।

मान्यवर, इसी के साथ 3 जुलाई को दूसरी घटना हुई। ग्राम गिरधरपुरा में बाबू सैनी नाम के एक व्यक्ति की दांतला से हत्या कर दी गयी। मर्डर करके उसको छोड़ गये, वह मरा भी नहीं तो जिंदा भी नहीं रहा। वह आज न्यूरो सर्जरी वार्ड में जीवन—मरण के बीच झूल रहा है। भगवान करे, वह बच जाए लेकिन सम्भावना कम ही है। इसी प्रकार मान्यवर, बदमाशों ने करोड़ी ग्राम के अन्दर, एक घर के अन्दर घुसकर सोती हुई महिला की हत्या कर दी। उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान) इसी प्रकार से मानपुरा थाने के अन्दर रुकमणी नाम की महिला ....

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री परसराम मदेरणा : यह हाउस एक बजे तक चलेगा, आप ताली बजाकर क्या करना चाहते हैं ? गृह मंत्रीजी, माननीय सदस्य की कांस्टीट्यूएंसी में टोटल एनार्की है। There is no law and order. आप थोड़ा सुनो, यह ताली बजाना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति से सुनें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा :मान्यवर, ग्राम करोड़ी के अन्दर गुण्डे आये और सोते हुए लोगों को मारा। एक महिला की तो बलात्कार करके हत्या कर दी और 5 अन्य को घायल कर दिया। इसी प्रकार मानपुरा थाने के अन्दर रुकमणी नाम की महिला के मुंह में कपड़े ठूस कर उसकी हत्या कर दी। कानवाड़ ग्राम के अन्दर 10 हजार रुपये के ऊपर एक व्यक्ति को बोतल से मारा। उसकी भी हमने नामजद रिपोर्ट करायी। थाना मानपुरा के अन्दर, थाना कोलवा के अन्दर, मेरे क्षेत्र में आते हैं दोनों और थाना बांदीकुई के अन्दर एक भी मुलजिम को पकड़ा नहीं गया है। यह पुलिस की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त करें। दूसरों को भी बोलना है अभी।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मान्यवर, और चीजें तो बाद की हैं, मेरा निवेदन यह है कि एक तो इस प्रकार ...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पुलिस रोज 24 घंटे काम करती है, अपन 12 घण्टे तक तो उस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान न करें। श्री कंग साहब ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेहन्दीपुर बालाजी जो कि एक धार्मिक स्थान है, वहां देश–विदेश के तीर्थयात्री हनुमानजी के दर्शन करने आते हैं। आप भी समय–समय पर वहां पधारते हैं। मान्यवर, वहां यात्रियों की भी जेबें काट ली जाती हैं। हरियाणा से विश्नोई नाम का एक यात्री वहां आया था, उसकी लूट–खसोट करने के बाद हत्या कर दी गयी। वे मर्डरर आज तक नहीं पकड़े गये हैं। मान्यवर, बाहर के यात्री आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिये वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि मेंहदीपुर बालाजी पर थाने की व्यवस्था की जाए। एक थाना सिकन्दरा में भी खोला जाए क्योंकि थाना दूर पड़ता है तो गुण्डागर्दी को रोक नहीं पाते।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कंग साहब को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मेरा निवेदन है कि मेंहदीपुर बालाजी में एक थाने की व्यवस्था की जाए। शराब के जो ठेके रात भर खुले रहते हैं उनको बंद किया जाए क्योंकि उनकी वजह से ही हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, गुण्डागर्दी होती है। जितनी भी शराब की दुकानें टाइम के बाद खुली रहती हैं उनको बंद करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कंग साहब। इतनी जल्दबाजी न करें। आपका नम्बर आता है तो कैसे करते हैं। दूसरों को बोलने दें।

श्री जगतार सिंह (श्रीकरणपुर) : आदरणीय अध्यक्षजी, कारागार और पुलिस विभाग की मांग पर विचार हो रहा है, इसमें मैं भी अपने को शामिल करता हूं। माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत डिस्कस किया, जेलों के बारे में भी बात आयी तो मेरा यह निवेदन है कि जेलों में बंदियों के साथ न तो अच्छा व्यवहार किया जाता है, और उनका खाने और पीने को भी अच्छा इंतजाम नहीं है। कैदियों की मुलाकात का जो सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी है और एक अमानवीय तरीका है जिसको अपने को सुधारना चाहिये।

मैं इसी के साथ–साथ पुलिस के बारे में ऐसी बात जो मेरे ध्यान में है उस पर अपने विचार रखता हूं। दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में राजस्थान पुलिस का रिकार्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। यह हमने उस समय भी देखा जब आतंकवाद का जमाना था, ऐसे बहुत–से आतंकवादी राजस्थान की पुलिस द्वारा पकड़े गये जो पंजाब या अन्य जगहों से यहां आये। राजस्थान की सरकार और पुलिस ने उस समय बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया था जिसकी सराहना किये बिना नहीं रहा जा सकता।

(22.27)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

मगर फिर भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी ओर ध्यान लाना अति आवश्यक है। अभी हमारे गंगानगर में सी. आई. डी. का पद खाली पड़ा है, उस पद पर एक साल भर से एडिशनल एस.पी. का अपाइण्टमेंट नहीं हुआ।

(श्री जगतार सिंह)

बार्डर पर हमारी फोर्स लगी हुई है, सैण्टर में हमारा ब्यूरो इन्वेस्टीगेशन है। बार्डर इन्वेस्टीगेशन पर, जो हमारी ब्रांच हैं सेण्टर में, उनको तो बार्डर का भत्ता मिलता है। मगर हमारी सी. आई. डी. या हमारे इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट वाले बार्डर पर जब काम करते हैं, जैसे कि मेरे करणपुर में भी हैं, रायसिंहनगर में भी हैं तो न तो उनके लिये किसी तरह की ऑफिस की व्यवस्था है जिस घर में उन्होंने ऑफिस ले लिया, उसको छोड़ते नहीं हैं, और न ही उनके रहने की व्यवस्था है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे बार्डर एरिया में जो इंटेलीजेंस ब्यूरो है उसके लिये सेण्टर के बराबर भत्ते की व्यवस्था की जाए।

जहां तक सवाल आता है करप्शन का, ऐसी कई बातें हैं जिनका हम सुधार कर सकते हैं। जैसे पुलिस लाइन में भी सिपाहियों की ड्यूटी लगाते हैं तो उनका ड्यूटी ऑफिसर हवलदार मेजर है या रीडर है, वे उन्हीं आदमियों को ड्यूटी पर भेजते हैं जिनसे उनको कुछ भेंट–पूजा मिल जाए। ये ऐसी बातें हैं जिन पर मैं समझता हूं कि विभाग एक तरह से गलत परम्परा में डूबा हुआ है, रिश्वतखोरी होती है। पुलिस के सिपाहियों को बाहर जाने का भत्ता भी मिलता है, उनको एक महीने का अलाउन्स भी मिलता है तो उस लालच में वहां बैठे हुए अधिकारी उनसे पैसा लेते हैं और उनकी ड्यूटी लगाते हैं।

इसी के साथ–साथ मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां गंगानगर में जैसे एस. टी. और एस. सी. के केस रजिस्टर होते हैं, उनकी इंवेस्टीगेशन डीवाई. एस. पी. लेवल के आफिसर से करवायी जाती है। मगर ऐसे बहुत–से फाल्स केस इस एट्रोसिटी एक्ट की आड़ में हो जाते हैं, जिनकी अगर हम कार्यालय में मिलते हैं, बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हमें तो इसमें चालान करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर, ऊपर से दबाव है। हमारा यह मानना है कि इंवेस्टीगेशन सही हो। जहां तक सवाल आता है राजनीतिकरण का, यहां पर बात हुई कि राजनीति से ऊपर उठकर अपने को सोचना चाहिये। मगर मेरे यहां के ऐसे दो केसेज हैं जिनमें मैं यह बता सकता हूं कि राजनीतिकरण ही नहीं किया गया, पुलिस स्टेशन का भारतीय जनता पार्टीकरण कर दिया गया। दोनों तरफ से, एक तरफ से बी. जे. पी. के कार्यकर्ता और एक तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुकदमें दर्ज हुए। दोनों एक डेट में दर्ज हुए और दोनों एक जैसे मुकदमे थे। गजसिंहपुर का यह मुकदमा है, जिसमें वहां के एफ. आई. आर. लिखने वाले ने 323 को काटकर 307 कर दिया लेकिन उसी तरह का दूसरा मुकदमा वैसे ही रखा, जिसमें शॉर्प वैपन जोड़ दी। थानेदार इनकी मर्जी से लगें, डीवाई. एस. पी. इनकी मर्जी से लगें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम उस लेवल पर इतना नीचे नहीं जाना चाहिये कि कार्यकर्ताओं को उसकी पीड़ा हो और प्रशासन को.....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जगतार सिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं इसी तरह का एक जरूरी उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा। समाप्त।

श्री जगतार सिंह : भारतीय जनता पार्टी के सरपंच के खिलाफ, ऐसा माननीय सभापति महोदया.....(व्यवधान).....

श्री सभापति : मैंने दो मिनट की कही है। दो मिनट ही बस। तीसरा मिनट नहीं होना चाहिये।

श्री जगतार सिंह : हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद हमारे आदमियों का चालान किया गया मगर भारतीय जनता पार्टी के सरपंच का, जिसने गोली चलायी मौके पर हवाई फायर के छल्ले पकड़े गये, उसका चालान नहीं हुआ। तो ऐसी व्यवस्था कितनी घटिया बात है कि राजनीति का स्तर किस कदर नीचे चला गया। भारतीय पार्टी का जो इतना दखल, इसको थानों में भी रोका जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री किशन गोपालजी कोगटा। समाप्त करें आप।

श्री जगतार सिंह : होम मिनिस्टर साहब भी अपना बता दें कि वे कहां तक जाना चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदया, आज मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा हो रही है।

श्री सभापति : चर्चा नहीं, आप तो सुझाव दे दें। दो मिनट ही हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरी बात सुनेंगे तो शायद आप टाइम ज्यादा दे देंगे।

श्री सभापति : नहीं, ज्यादा नहीं देंगे। दो मिनट।

श्री शिवनाथ सिंह : इनके भाषण से सम्मोहित हो जाएंगे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मांग संख्या 17–जेल पर मुझे एक अवसर मिला, कोटा जेल का निरीक्षण करने का, माननीय मंत्री महोदय के साथ मैं कोटा जेल का निरीक्षण करने गया। सब बातें देखते हुए भी कुछ ऐसी बातें हैं, जो करनी बहुत आवश्यक हैं। आज क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम के बढ़ने के साथ जो मुलजिम जेल जाते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज जेल में जो स्थान है पन्द्रह साल पहले भी उतना ही था, बीस साल पहले भी उतना ही था जबकि आजीवन कारावास वालों की संख्या और जेल जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। मैं चाहूंगा सरकार से कि जेलों में स्थान बढ़ाये जाएं बैरक बढ़ाये जाएं जिससे किसी भी एक जिले का दूसरी जगह स्थानान्तरण नहीं करना पड़े। वहां पर जैसी मिलती है उसी जेल में रहे।

माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 16–पुलिस के बारे में...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप जेल में गये कैसे ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : मंत्री महोदय के साथ।

श्री परसराम मदेरणा : जेल की जो मैनुअल है, उसमें कोई रिलेटिव है वही जाकर मिल सकता है। (व्यवधान)..

श्री किशन गोपाल कोगटा : नहीं, मैं अन्दर नहीं गया , साहब।

श्री परसराम मदेरणा : (व्यवधान) क्यों नहीं गये जेल में ? मिनिस्टर के साथ आप जेल में पधार गये, इनको टेको जेल में।

श्री किशन गोपाल कोगटा : राजस्थान में.....(व्यवधान) इस सदन के नेता

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब या उप मुख्य मंत्री माननीय भामड़ा साहब, सार्वजनिक निमार्ण मंत्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी साहब, सारे हिन्दुस्तान में,कलकत्ता, कर्नाटक मद्रास, हैदराबाद जाते हैं और प्रवासी राजस्थानी बंधुओं से जब चर्चा करते हैं तो वे यह बात कहते हैं कि राजस्थान में औद्योगिक शांति है, यहां के नागरिक सुरक्षित हैं ओर यहां का वातावरण बहुत स्वच्छ है आपलोग वापस राजस्थान आएं उद्योग—धन्धे खोलें, आप सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार की चर्चा यहां हुई उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जो कुछ वहां बताया जाता है उसमें धीरे—धीरे कुछ प्रतिशत कम हो रहा है। कैलाशजी मेघवाल जैसे सक्षम व्यक्ति को गृह मंत्रालय दिया गया है तो यह जो स्तर थोड़ा गिर रहा है उसको ठीक करना चाहिये। जिस प्रकार से रेडियो और टेलीविजन में...

श्री सभापति : आपका सुझाव समाप्त।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सुनिये, एक मिनट। मौसम विभाग यह कहता है कि पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या चर्चा रही। इसी प्रकार,माननीय गृह मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है कि सुबह आठ बजे 24 घंटे की डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट लें कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्राइम हुए या क्या व्यवस्था हुई और निर्देश दें। इस ढंग से टाइटनेस रहेगी डिपार्टमेंट पर तो निश्चित रूप से ये जो राजस्थान में क्राइम बढ़ रहे हैं वे कम हो पाएंगे।

श्री सभापति : बस। श्री राधेश्यामजी। सुझाव समाप्त, दो मिनट लिये थे, आपको पांच मिनट दे दिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र की बात बताऊं, मेरे क्षेत्र में आजकल एक समस्या बहुत बढ़ी है। यू. पी. और बिहार के क्राइम करने वाले, चोरी करने वाले यहां राजस्थान में आये हुए हैं। अजमेर जिले में एक ऐसा गिरोह है जो बसों में बैठने वालों की अटैची खोलता है और चुपचाप जेवरात निकालकर वापस पैक कर देता है। जिनका सामान है वे अपने घर या शादी में पहुंचते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, जब जेवरात पहनने लगते हैं तो वह डिब्बा नजर नहीं आता है। सभापति महोदया, अजमेर में एक गैंग है बुलन्दशहर यू. पी. की। ऐसे ही विजयनगर में है। गुमानमलजी पोखरना के साथ हुआ जब वे दो तारीख की शादी में अजमेर जा रहे थे। रास्ते में उनकी अटैची में से 35 तोला सोना निकाल लिया। अजमेर में रिपोर्ट दर्ज करायी तो भीलवाड़ा में मांडल में चार जनों का एक गिरोह पकड़ा गया, जो बस में अटैची में से चोरी कर रहे थे। 12 तोला सोना और चार जने पकड़े गये। जब उनसे पता किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा गिरोह अजमेर में हैं, हम 35—40 जने हैं। रोज आधा गिरोह भीलवाड़ा से अजमेर जाता है और आधा गिरोह अजमेर से भीलवाड़ा जाता है और यह हम करते रहे हैं। आपने पुलिस के तीन—चार ग्रुप बनाये जो बुलन्दशहर और उसके आसपास बाकी के लोगों को पकड़ने गये लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के गिरोह जो सक्रिय हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री राधेश्यामजी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदया, एक बात और है। अजमेर और जयपुर के बीच एक्सीडेंट हो रहे हैं और

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

जाम लगते हैं। चाहे हाई कोर्ट में हो, विधान सभा में हो या किसी आफिस में जाओ, अगर किसी को बहाना बनाना है कि आज तारीख नहीं लगी, तो कहते हैं कि साहब जाम लग गया था। और इसे सब स्वीकार करते हैं। इसका मतलब यह है कि अजमेर और जयपुर के बीच में आये दिन सुबह, शाम, रात को कभी भी जाम हो सकता है और होता रहा है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से कहूंगा कि सुचारू रूप से दस—दस, बीस—बीस किलोमीटर के बीच में अगर पुलिस की व्यवस्था की जाए तो ये जाम रुकेंगे और जो वर्किंग आवर्स हैं, जो आवश्यक काम हैं उसमें जाने के लिये सुविधा होगी। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : परम सम्माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से पुलिस की डिमाण्ड पर मांग संख्या 16 और 17 के विषय में, माननीय होम मिनिस्टर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वास्तव में आज यह बहुत गम्भीर मामला है। राजस्थान के सामने इस चर्चा से शायद कोई नयी तस्वीर उभर कर आएगी, जिससे आम जनता को, खासकर जो गरीब और बैकवर्ड लोग हैं उनको लाभ मिल पाएगा, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि सब बड़े अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और गृह मंत्री महोदय एक—एक बात को बड़ी ध्यान से सुन भी रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा न हो कि हर साल की तरह चर्चा हो जाए और चर्चा के बाद आगे कुछ नहीं बढ़े । उसका तो कोई लाभ नहीं होगा राजस्थान की जनता को। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि जितने भी अच्छे सुझाव हैं, चाहे वे इधर से आये हों चाहे वे इधर से आये हों अगर वास्तव में वे अच्छे हैं और आपके दिमाग में या हमारे अधिकारियों के दिमाग में वास्तव में कोई पीड़ा है कि राजस्थान में हम कोई नयी क्रांति लाना चाहते हैं जिससे हिन्दुस्तान को यह लगे कि राजस्थान की पुलिस के मुकाबले और कहीं भी शासन नहीं है, तो उनको आपको मानना चाहिये। वह तभी हो सकता है जब हमारे अधिकारी जो उच्च स्तर पर बैठे हैं वे भी अपने आपको दुबारा से तैयार करें और अपने नीचे वाले अधिकारी की भी एक तरह से क्लास लगाएं जैसे टीचर बच्चे को पढ़ाता है। हमारा यह कानून कई बार जरूर बदला है लेकिन पूरी तरह.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जो बढ़िया सुझाव हों, दे दीजिये। चर्चा बहुत हो गयी सिर्फ सुझाव।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदया, मेरे को अध्यक्षजी ने कहा था कि आप 10 मिनट बोलेंगे, 11 मिनट मैं लूंगा नहीं। और वे कह के गये हैं, आप कहो तो बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : आप बोलिये फिर कह के गये हैं तो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय सभापतिजी, यहां राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन—प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अपराधी दिनदहाड़े किसी भी नागरिक या व्यापारी को लूट लेते हैं। अपराधियों के मन में पुलिस और प्रशासन का कोई भय नहीं है। नागरिकों की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। नागरिक जब सरकार के पास पहुंचते हैं तो सरकार भी उस विषय में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि जेलों के अन्दर कोई भी कैदी मृत हो जाएगा तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। राज्य में हर 3 मिनट में एक आपराधिक घटना घट रही है। वर्ष 1995 में 1,48,266 वारदातें रिकार्ड की गयी थीं, लूट की 1150, हत्या की 1485, बलवे की 2386, नकबजनी की 8340, चोरी की 16,139 और बलात्कार की 1036 घटनाएं हुई। वर्ष 1993 की तुलना में लूट की घटना में 10 परसेंट की वृद्धि हुई, हत्या में साढ़े 5 परसेंट की वृद्धि हुई, बलवे में 15 परसेंट की वृद्धि हुई, नकबजनी में साढ़े 10 परसेंट की वृद्धि हुई, चोरी के अन्दर 13.16 परसेंट की वृद्धि हुई, बलात्कार में 16 परसेंट की वृद्धि हुई और अन्य में 27 परसेंट की वृद्धि हुई।

दिनांक 26–4–1996 को 'राजस्थान पत्रिका' में प्रसंग, 'अपराध में वृद्धि' दिनांक 28–3–1996 को 'राजस्थान पत्रिका' में, 'देरी पर थाना प्रभारी निलम्बित', 'आधी रात को घर में घुस कर थानेदार को ग्रामीणों ने पीटा', दिनांक 25–3–1996 को 'पंजाब केसरी' में, 'जिला कारागार–कैदियों को यातनाएं देने का अड्डा', दिनांक 15–3–1996 को 'हिन्दुस्तान समाचार' में, "पुलिस मारपीट की मौत को हत्याएं माना जाएगा : शेखावत", दिनांक 11–3–1996 को "दैनिक जागरण" में, 'राज्य में हर तीन मिनट पर होती हैं आपराधिक घटनाएं" व दिनांक 11–3–1996 को ही 'पंजाब केसरी' में, 'पुलिसकर्मियों के खिलाफ 2856 शिकायतें मिलीं, 74 में आरोप साबित हुए बाकी सब यों ही निपटा दी गयीं।' 1994 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की 29 हत्याएं हुई, वर्ष 1995 में 40 हत्याएं हुई। अनुसूचित जनजाति के वर्ग की 12 हत्याएं हुई। पिछले एक साल में तस्करी की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है, पिछले साल 92 करोड़ 67 लाख का तस्करी का माल पकड़ा गया। यह समाचारों में जो कुछ अंकित हुआ है, यह सब अखबारों की कटिंग हैं और एक–एक अखबार इस समय मौजूद है।

इस तरह की घटनाएं हमारे प्रदेश के अन्दर बढ़ रही हैं, इन बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिये हम सब लोगों को बैठ कर चिन्तन करना चाहिये। केवल मात्र भाषण दे दिया और मंत्रीजी ने सुन लिया, इससे इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है।

इसके साथ ही, अभी तीन दिन पहले हीरालालजी इन्दौर का एक जेल कर्मचारी के खिलाफ प्रश्न था, पूरे एक घंटे तक अध्यक्षजी ने वह प्रश्न चलाया। मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इंक्वायरी चल रही है रिपोर्ट आ जाए मैं उसको सस्पैंड कर दूंगा। वह रिपोर्ट आ गयी और रिपोर्ट आये भी आज छः दिन हो गये। आपका यहां सदन में आश्वासन था। उस आदमी ने धोखाधड़ी की है, जिसने अपने आप को एस. सी. का कह कर प्रमोशन ले लिया और एस. सी. के व्यक्ति को दो महीने तक पीछे रखा। जब उसको मालूम हुआ कि अब मेरा प्रमोशन वैसे ही होने वाला है तब अपनी एक एप्लीकेशन दे दी कि मेरा यह प्रमोशन गलती से किसी ने कर दिया। गलती से सरकार ऐसे कैसे कर देगी ? उस पर आपको चिंता नहीं है ? आप बड़ी शांति से, धैर्य से बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आप उठ कर फोरन घोषणा करें कि उसको तो सस्पैंड कल ही कर दिया था, मेरे को तो ऐसी आशा है क्योंकि जो इंक्वायरी आप चाहते थे वह इंक्वायरी हो चुकी है।

श्री समापति : माननीय सदस्य, घड़ी की तरफ भी ध्यान दीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अब मैं श्रीगंगानगर जिले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां पिछले दिनों में जबरदस्त चोरियां हुई हैं। कहीं रिवाल्वर ले लिया तो कहीं 2 लाख रुपये की चोरी। एक चौधरी यादरामजी का रिवाल्वर, दो लाख रुपये और 200 तोला के करीब सेना—चांदी, कोई पता नहीं चला। उसके बाद एक मिस्टर कौल हैं जी ब्लाक में उनका 88 हजार का कैश दिन में 10 बजे और एक रिवाल्वर, सोना और चांदी चोरी। यह समझ में नहीं आयी। उसके बाद लक्कड़ मंडी में राजस्थान टिम्बर स्टोर से 5 बजकर 10 मिनट पर 75 हजार रुपये डाकू ले गया एक मिनट में एक एल ब्लाक में आतिशबाजी बनाने वाले मुसलमान के 65 हजार रुपये दिन के 11 बजे ले गया, उसका कुछ पता नहीं। 9 साल की हरिजन की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बड़ी दु:खदायी घटना है लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं। पता क्यों नहीं लगता ? श्री भंवर सिंह शेखावत, डीवाई. एस. पी. गंगानगर में एक डाक्टर के दोस्त थे। उस डाक्टर के दोस्त थे तो उनके घर चले गये।

श्री समापति : माननीय सदस्य, अब आप संक्षिप्त करें। दूसरों का भी ध्यान रखें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जी हां। उनके घर जब गये, उन्होंने चाय रखी, आदर—सम्मान किया। घर में कोई नौकर नहीं था। उन्होंने कहा मेरे साथ ड्राइवर भी है, तो उनके घर वाला जो डाक्टर था गुप्ता, वह ड्राइवर को चाय देने के लिये बाहर ले गया। पीछे उनकी धर्म पत्नी के साथ क्या किया, यह पुलिस अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं। बाड़ ही खेत को खाने लग गयी। इतना बड़ा पुलिस अधिकारी, जो गंगानगर का डीवाई. एस. पी. हो, वह इस तरह करे। जब वहां से रिपोर्ट आयी, एस. पी. ने रिपोर्ट भेजी, डी. आई जी. ने रिपोर्ट भेजी हमारे डी. जी. साहब ने फौरन उसको सस्पैंड कर दिया। लेकिन हुआ क्या ? 5 मिनट के बाद, क्योंकि वह शेखावत था, 5 मिनट बाद फिर बहाल हो गया।

श्री समापति : माननीय, विराजें आप अब। धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पांच मिनट बाद उनको बहाल कर दिया गया। जब सारी प्रक्रियाएं दुबारा चालू हुई तो वापस उसको ट्रांसफर कर दिया गया। गृह मंत्रीजी, एक आपको ध्यान होगा श्री अब्दुल अजीज जो थाना प्रभारी हैं मटीली रठान में, मैं चार बार आपको मिला हूं, 30 साल की नौकरी में 25 साल वहीं रहे। मैं आपसे मिला, बहुत सारे लोग मिले, आपने ट्रांसफर कर दिया लेकिन 15 दिन में वापस। फिर ट्रांसफर किया और फिर 15 दिन में वापस। हे कैलाशपतिजी, मेरे पूजनीय कैलाशपतिजी, यह आपका हाल है। ऐसा भयंकर, जो ऊग्रवादीयों से मिला हुआ है। और हरिजनों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है। अगर आप उसकी सारी लीला देखें तो। मेरे को सभापति महोदया, इजाजत दें मैं आपके सामने उस व्यक्ति का वह चिट्ठा रखूं कि आप कानों के हाथ लगा लेंगे। इस तरह के लोग भी पुलिस में हैं।

हमारी पुलिस बहुत अच्छी है इसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन किसी भी अच्छी बात से हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिये....

श्री समापति : अब आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमें और ज्यादा इसमें तरक्की करनी है। जो असुविधाएं हैं उनको दूर करना है। पहले गंगानगर जिले के अंदर तीन मिनट में एक जिप्सी आया करती थी...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदरणीय सभापति महोदया, मैं अपनी बात ही नहीं कहूं ? मैं सुबह 11 बजे से बैठा हूं।

श्री सभापति : आप एक बात अच्छी कह देते हैं, फिर बुरी कहकर क्या करेंगे ? विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगनगर : 11 बजे से मैं बैठा हूं। मेरे पास आप देखो कितनी चीजें हैं। आप ऐसे क्या कर रही हैं, आखिर इतनी देर से बैठे हैं। इतना टाइम हो गया पांच मिनट में क्या जाता है ?

श्री सभापति : मुझे तो सारे सदन का ध्यान रखना है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्री महोदय, दीपक तले अंधेरा। मैंने मंत्री महोदय को चार दिन पहले कहा कि गंगानगर से एक व्यक्ति अपनी नयी जीप लेकर यहां आ रहे थे। उनके पिताजी बहुत सीरियस हो गये, उन्हें हास्पिटल के लिये यहां लाया गया। दिवाकर होटल के बाहर खड़ी की, चांदी, सोना और सब सामान बीच में था। उन्होंने रिपोर्ट इसलिये नहीं करायी कि डर गये, राजधानी में दो नम्बर का माल हो और जीप के लिये आपने कहा कि कल मिल जाएगी। मंत्री महोदय, उस जीप का पता नहीं, तीन लाख रुपये की न्यू ब्राण्ड जीप, जो कि चार दिन पहले कम्पनी से निकली थी जयपुर से। आज सुबह की बात है मेरे क्वार्टर पर नगर परिषद विजय नगर के चेयरमैन और पार्षद आये हुए थे। रात को सोये और पांच बजे के आस–पास उठे होंगे। एक पैंट–शर्ट और एक दूसरी पैंट थी, एक में 570 रुपये और दूसरी में 240 रुपये थे, वे चोरी हो गये। मैंने थाने के अंदर टेलीफोन किया। थानेदार आया नहीं और जो सिपाही था उसने कहा, थानेदारजी आएंगे तो रिपोर्ट लिखेंगे। मैंने फिर टेलीफोन किया, तीन बार टेलीफोन किया पर उस थाने में थानाधिकारी नहीं मिला। मैं जालूपुरा थाने की बात कर रहा हूं। मैं बी–वन, एम. एल. ए. क्वार्टर में रह रहा हूं, मेरे बिलकुल सामने जालूपुरा थाना है। महावीर जी, आपके घर के पास में, जहां पहले आप रहा करते थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें। हो गयी आपकी बात। विराजिये प्लीज।

श्री राधेश्याम गंगानगर : निवेदन यह है कि अगर आपके सामने हकीकत नहीं आएगी तो कैसे होगा। मैं कह रहा था गंगानगर में पहले जब पंजाब और हरियाणा का चक्कर चलता था, तीन मिनट के अंदर एक जिप्सी एक से दूसरी जगह घूमती थी। उस समय क्राइम बहुत कम होते थे, चोरी और डकैतियां कम होती थीं। आपकी व्यवस्था है, न जाने वे जिप्सियां कहां चली गयीं। मैंने पिछले सैशन में भी यह बात कही थी कि वह व्यवस्था करें क्योंकि वह बार्डर पर है। पाकिस्तान का बोर्डर नजदीक है, आपको मालूम है। पंजाब बिलकुल सिर पर है, हरियाणा इधर है। तीन–तीन स्टेट्स लगती हैं ऐसा संवेदनशील इलाका है। उसके अंदर आपको मुस्तैदी रखनी चाहिये जिससे कम से कम जुर्म हों, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार इस तरह की घटनाएं नहीं हों। ऐसी व्यवस्था करना आपका कर्तव्य बनता है।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सभापति कह रही हैं कि माननीय सदस्य, आप विराजिये। अब मान लो ऐसी कई चीजें रह गयी हों, जो आपकी नजर में लाना जरुरी है...

श्री सभापति : और रह गयी हैं तो लिखित में दे दीजिये, विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, नहीं। लिखित में दे दें तो वे इसमें आ जाएंगी ?

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल मीणा। आप माननीय सदस्य, इतने समझदार हैं, मैं क्या कहूं आपको। ग्यारह बज रहे हैं। अभी मंत्रीजी का जवाब भी आएगा। कृपया विराजें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : समझदार हैं, अपनी बात ही नहीं कहें ?

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पुलिस विभाग पर कई प्रकार के लांछन लगाये जा रहे हैं, तारीफ भी की गयी। यह बात सही है कि कांग्रेस का राज रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज रहा हो, ठेकेदारों का चाहे वे कोई भी डिपार्टमेंट के हों, कमीशन बन्द हो जाए तहसीलदार का चाहे वह किसी भी तहसील का हो पूरे राजस्थान में, कमीशन बन्द हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता चाहे तो पुलिस के अंदर कभी भी एफ. आई. आर. लगी हो। आप और हम कुछ भी कर लें लेकिन वह कमीशन बन्द नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है।

इसके साथ मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने संभागवाइज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें ली हैं, उसी प्रकार से आप भी अधिकारियों के साथ संभागवाइज दो महीने में या तीन महीने में एक बार मीटिंग करें। बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत सामने आए तो उनको दण्डित किया जाए। ऐसा करने से अपराधों में कमी आ सकती है।

महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक झूठे व्यक्ति से कुछ गुण्डा गिरोह द्वारा मेरे खिलाफ उस व्यक्ति को टार्चर करके 164 के बयान दिलवाये गये। माननीय गृह मंत्री महोदय ने उसका सी. आई. डी. में ट्रांसफर करके सी. आई. डी. से जांच करवायी। सी. आई. डी. के अधिकारी द्वारा मेरे खिलाफ चालान पेश करने के लिये...

श्री परसादीलाल मीणा : आप खुद का मामला नहीं उठा सकते। पांइट आफ आर्डर, खुद का मामला हाउस में नहीं उठा सकते। गृह मंत्रीजी को वैसे ही बता दें यह तो।

श्री कन्हैयालाल मीणा : सॉरी। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : कोई इन्ट्रेस्टेड मामला ऐसा हो जिसमें ... (व्यवधान) इसमें कोई रोक नहीं है। आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम क्या करें, मीणा साहब ने, मीणा साहब को रोका। आप और हम क्या करें ?

श्री परसादीलाल मीणा : नियमों में लिखा है स्वयं का मामला कोई नहीं उठा सकता। कैसे नहीं है रोक ? आप नियम पढ़ते हैं क्या ?

श्री कन्हैयालाल मीणा मैं मेरा व्यक्तिगत नहीं बता रहा हूं। ऐसा एक मामला था, उस मामले में किसी अधिकारी का .... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें। टोका टोकी में समय जा रहा है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : डी. जी. साहब के सामने भी वह मामला आया। उन्होंने उसको साबित भी कर दिया, उस व्यक्ति द्वारा इस तरह करना प्रूफ हो गया। इस प्रकार की रिश्वतखोरी वाले मामले के बाद उस व्यक्ति ने वापस वहां जाकर अधिकारियों को प्रताड़ित करना, धमकाना और उल्टे बयान करवाना शुरु कर दिया। मैंने लाकर उनके यहां बयान भी करवा लिये और सारा काम करवा दिया लेकिन उनके खिलाफ ऐसी कोई जल्दी कार्यवाही नहीं होने की वजह से आम जनता में भय व्याप्त रहता है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, एक खराब मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है।

श्री सभापति : यह सब रिपीटीशन मत करिये। कोई सुझाव हो तो दे दीजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। कई जगह सी.बी.आई. को राजस्थान की पुलिस ने पीछे छोड़ दिया है, जैसे भंवरी देवी भटेरी कांड है। अन्तरराष्ट्रीय लेवल पर उसको बलात्कार घोषित किया गया, राजस्थान की पुलिस ने उसकी जांच की। वास्तव में यह सही था कि जब उस दिन भंवरी देवी वहां है ही नहीं तो कैसे हुआ। उसके अंदर अन्तरराष्ट्रीय लेवल पर जाकर राजस्थान को बदनाम किया क्योंकि सी.बी.आई ने उसको बलात्कार घोषित किया, लेकिन फिर कोर्ट ने साबित कर दिया कि सी. बी. आई. असत्य है।

इसी प्रकार एक मर्डर और बलात्कार का मामला था, जिसे सी. बी. आई. साबित नहीं कर सकी उसको राजस्थान की पुलिस ने देहली जाकर हल किया यह बात सही है कि एक मुलजिम था लेकिन पन्द्रह को पकड़ा और पन्द्रह को पकडकर उनसे 75 हजार रुपये रिश्वत भी ले आये। लेकिन असली मुलजिम को लाकर के साबित कर दिया उन्होंने। उन्होंने लाकर साबित कर दिया कि सी. बी. आई असत्य है और राजस्थान की पुलिस काम करने में माहिर हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री सभापति : धन्यवाद। विराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की जनता जब किसी रिश्वतखोर को पकड़वाती है अ. पकड़वाने पर अन्वेषण ब्यूरो में जाकर पैसा जमा कराती है 10 हजार या 5 हजार और रिश्वत साबित हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर-अंदर उसको वापस पैसा देना चाहिये। ईनाम तो दूर रहा उस व्यक्ति को आप कोर्ट में घसीटते हैं। और 10–10 साल तक कोई फैसला नहीं होता उसका कसूर क्या है ? एक तो रिस्वतखोरों को पकड़वाया और उसका पैसा एण्टी करेप्शपन में जमा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो एण्टी करेप्शन में पकड़वाने वाला व्यक्ति हो उसको वह पैसा वापस दिलवाया जाना चाहिये जो रिश्वत साबित हो जाए।

(23.00)

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय खेत सिंहजी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : चोरी के मामलों में....(व्यवधान)

श्री समापति : अब आप विराजें, ये सब सुझाव हो गये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : दौसा के अन्दर दस–दस, बीस–बीस व्यक्तियों को पकड़े रखते हैं वास्तव में उनका हाथ नहीं होता है उसमें। उसके बावजूद उनमें कई गलत आदमी भी निकल जाते हैं इसलिये यह पाबन्दी दूर की जानी चाहिये। पुलिस के अन्दर पाबन्दी है कि एफ. आई. आर. में नाम होना चाहिये तब ही जाकर उसको थाने में बिठाया जाए। कई बार चोरियां उनसे बरामद की जाती हैं....(व्यवधान)

श्री समापति : विराजिये, महोदय।

श्री कन्हैयालाल मीणा : दूसरा निवेदन है कि दलालों और हिस्ट्रीशीटरों को..(व्यवधान)

श्री समापति : अब विराजें आप। धन्यवाद।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मेरा आपसे निवेदन है कि एस. पी. आफिस में देख लें, डी. आई. जी. आफिस में देख लें, डी. जी. साहब के यहां देख लें चक्कर काटेंगे ये हिस्ट्रीशीटर, दलाल। ये लोगों को गुमराह करके रिश्वत लेते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जलेबी चौक में झगड़ा हो चुका है उन लोगों के साथ में, यहां पांच छः बार गरीब लूट हो चुकी है पांच–पांच, छः–छः हजार रुपये। जो रीडर होते हैं यहां डीवाई. एस. पी. के यहां, एस. पी. के यहां जो बैठते हैं उनसे रिश्वतखोरी आज भी देखें तो आपको पांच, छः हिस्ट्रीशीटर यहां जलेबी चौक में डी. जी. साहब के यहां घूमते मिल जाएंगे।

श्री समापति : अब आप विराजें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि कम से कम ऐसे व्यक्तियों की यहां ऊठ बैठ बन्द की जाए और जांच की जाए कि कितने हिस्ट्रीशीटर और कितने दलाल यहां बैठते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मैं शेरगढ़ से विधायक हूं। शेरगढ़ में तीन थाने हैं – एक शेरगढ़ है, एक बालेश्वर और एक देचू है। इनका जूरिस्डिक्शन लगातार 40 वर्षों से डीवाई. एस. पी. रूरल जोधपुर के तहत रहा है लेकिन न मालूम किन कारणों से देचू थाने को निकालकर फलौदी, डीवाई. एस. पी. के तहत दे दिया गया है । यह बहुत गलत काम हुआ है । वहां की सारी जनता यह चाहती है ओर देचू थाने के जो गांव हैं जोधपुर के बहुत नजदीक तक आ चुके हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो जूरिस्डिक्शन पहले जोधपुर रूरल के नीचे था वही जूरिस्डिक्शन रहना चाहिये। मैंने डी.आई.जी. साहब से भी बात की थी, एस.पी. साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा कि साहब, फलौदी के डीवाई. एस. पी. के पास वर्क लोड कम है। फलौदी के डीवाई. एस. पी. के पास पांच थाने हैं, फलौदी खुद में ही पांच थाने हैं । विश्नोई साहब वहां के एम.एल.ए. हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं । इसके अलावा यदि आपको कोई थाना देना है तो एस.डी.ओ. का जूरिस्डिक्शन फलौदी और ओसियां का है, शेरगढ़ तो जोधपुर तहसील के साथ जुड़ा हुआ है और जोधपुर के एस.डी.ओ. के जूरिस्डिक्शन में आता है । मुंसिफ मजिस्ट्रेट वहां के सारे एक्स.ईएन्स और शेरगढ़ के सारे आफिसर्स तो जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं । यह ख्वाहमख्वाह एक थाना निकालकर आपने फलौदी के तहत दे दिया जिससे वहां की जनता में बड़ा असंतोष है । मेरा आपसे यह निवेदन है कि वही जूरिस्डिक्शन जो पहले था उसी प्रकार से आप कर दें तो वहां के लोगों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी पूरी चलती है हुजूर फिर यह भाषण आप क्यों दे रहे हो ?..... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप इतना कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि गृह मंत्री महोदय, इस बात को मान लेंगे और मुझे बड़ा सैटिस्फेक्शन होगा, अतः अब इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है ।

एक छोटी–सी बात और निवेदन करता हूं जोधपुर के एम.एल.ए. साहब भी जानते हैं कि एक धोतीदारी ने बहुत बच्चियों के साथ में बलात्कार किया था और उसका बड़ा हंगामा हो गया था जोधपुर में, डर भी बहुत फैल गया था। उसको पकड़ने वाला जो कांस्टेबल है वह मेरी कांस्टीट्युएंसी से है । उनके प्रमोशन का केस था, वह वहां से रिकमण्ड हुआ । वे बेचारे कई महीनों से लटक रहे हैं उनका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, उनका प्रमोशन निश्चित तौर पर होना चाहिये ।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : उसके साथ बच्चों का रोल था और पांच छः सिपाही भी साथ थे और उन छः सिपाहियों को सम्मानित किया गया जनता के द्वारा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप करो न, कौन मना करता है ? मैं तो खुद चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सम्मानित करो । उनको आप प्रमोशन दो तो पुलिस के अन्दर मोराल बूस्ट अप होगा और भी ऐसे कई काण्ड होंगे तो उनके अन्दर रिस्क लेकर वे पकड़ेंगे । उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन उसको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है उसका नाम सुरेन्द्र पाल सिंह है और उसका नम्बर 1660 है और धोती वाले काण्ड को वह पकड़ने वाला है इसलिए भी मेरा खास तौर से आपसे निवेदन है मुझे बहुत सुझाव देने हैं लेकिन चूंकि समय की पाबन्दी आपने रखी है मैं एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर बात करूंगा ।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, पुलिस विभाग की मांगों पर 45 माननीय विधायकों ने कटौती प्रस्ताव दिये थे और उन 45 माननीय विधायकों ने 123 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये। पुलिस विभाग के पुनर्गठन और सुधार, अधिकारियों/कर्मचारियों के साधन–सुविधाएं बढ़ाने, भवनों के निर्माण, चौकियां स्थापित करने, इस तरह के 61 कटौती प्रस्ताव थे । सामान्य आलोचना वाले जिनमें कोई स्पेसिफिक घटना का वर्णन नहीं था, 45 कटौती प्रस्ताव थे, 13 ऐसे कटौती प्रस्ताव थे जिनमें विशिष्ट प्रकरणों के बारे में सन्दर्भित किया गया था और चार कटौती प्रस्ताव ऐसे थे जो पुलिसकर्मियों की कम्प्लेन्ट्स के सम्बन्ध में थे । इन 123 कटौती प्रस्तावों की जानकारी मेरे पास है । आज 52 माननीय विधायकों ने अपने विचार व्यक्त किये और 52 माननीय विधायकों ने जब अपने विचार रखे हैं तो कई ऐसे प्रसंग भी आये हैं जो कटौती प्रस्तावों में भी नहीं थे और पूर्व जानकारी में भी नहीं थे ऐसी स्थिति में उनका अभी उत्तर दे पाना मेरे लिये संभव होगा नहीं । वैसे मैं एक निवेदन कर दूं कि यहां पर स्थगन प्रस्ताव भी आये हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आये हैं और चिट सिस्टम के द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया जाता है और आज की इस चर्चा में भी माननीय विधायकों ने विचार रखे हैं यह विभाग के सुधार के लिये, विभाग की कार्य प्रणाली में संशोधन करने के लिये और विभाग को सही

श्री कैलाश मेघवाल

दिशा में आगे ले जाने के लिये ।

सभापति महोदया, मेरा यह मानना है कि पुलिस विभाग कानून और व्यवस्था को ठीक रखने के लिये उत्तरदायी है । अगर पुलिस विभाग की यह कार्य प्रणाली ठीक है, पुलिस विभाग ठीक ढंग से काम कर रहा है तो हमारे समाज की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली जिसमें राजनीतिक कार्य प्रणाली भी है, धार्मिक कार्य प्रणाली भी है, सामाजिक कार्य प्रणाली भी है और सांस्कृतिक कार्य प्रणाली भी है, सारी गतिविधियां संचालित होने में बहुत बड़ी मदद मिलती है और इसलिए जिन भी माननीय सदस्यों ने यहां सुझाव रखे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं । कईयों ने आवेश में रखे हैं, कईयों ने आक्रोश भी व्यक्त किया है, कईयों ने वास्तविक पीड़ा भी व्यक्त की है, कईयों ने केवल समाचार–पत्रों के आधार पर जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अपना कथन किया है, कईयों ने अपनी जानकारी के आधार पर और कईयों ने उनको दी गयी जानकारी के आधार पर अपने विचार रखे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं स्वागत इसलिये करता हूं कि ये सारे विचार आये । यहां हमने मंथन किया है और ये विचार आये हैं इसलिये कि हम सब एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था और राजस्थान की पुलिस की कार्य प्रणाली ठीक ढंग से चले यही इसमें उद्देश्य है । इसलिये मैं सब पर विश्वास करते हुए कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया कि पुलिस की कार्य प्रणाली ही ऐसी है। आपको जो पुलिस विभाग की रिपोर्ट दी गयी है, कार्य निष्पादन का, अकाउंट निष्पादन का जो विवरण दिया गया है और जो रिपोर्ट रखी गयी है उसमें सारी जानकारी दी गयी है । कुछ मसले जो सामने नहीं आये या जिनके बारे में ठीक कार्यवाही नहीं हुई, उन्हीं को आधार बनाकर यहां जब हम एक पिक्चर खड़ी करते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग में तो सब गड़बड़ है– मर्डर्स भी ट्रेस नहीं हुए, बलात्कार के केस भी नहीं हुए, डकैती के केस भी नहीं हुए, रिकवरीज नहीं हुई जो कमियां रह गयी हैं, जो भूले रह गयी हैं, उनके बारे में हम सब यहां चर्चा करते हैं ।

(23.10)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं यह भी मानता हूं कि जिन भी माननीय विधायकों ने यहां अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने कुल मिलाकर एक बात मन से स्वीकार की कि राजस्थान की पुलिस का काम तुलनात्मक दृष्टि से अन्य प्रदेशों की तुलना में अच्छा है, यहां की सारी स्थिति ठीक चल रही है यहां का सारा ला एण्ड आर्डर भी ठीक है और कुछ ने दोनों पक्षों को बहुत अच्छा बताया है यहां के प्रशासनिक कार्य को भी और पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली को भी । यह हमारे लिये संतोष का विषय है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, Perfection has got no saturation. पूर्णता का कभी सेंचुरेशन बिन्दु आता नहीं, सुधार की गुंजाइश, संशोधन की गुंजाइश, कार्य प्रणाली को ज्यादा सुचारू बनाने की गुंजाइश, हमेशा बनी रहेगी । पुलिस विभाग में तो मेरा ऐसा मानना है, अन्तर्राष्ट्रीय जगत की कुछ रिपोर्ट्स मुझे पढ़ने को मिली है, यह ला एण्ड आर्डर का विषय तो हमेशा हर जगह ही आलोचना का विषय रहा है चाहे किसी भी स्थिति में हम इसको ले जाएं ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

यहां पर यह भी कहा गया कि जब मैं बोलूंगा तो आंकड़े बता दूंगा, यहां के वहां के। यह पहले से सोच रखा है लेकिन इस मामले में मैं कुछ आंकड़े इसलिये बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कुछ नये सोशल ट्रेन्ड्स चल रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : किसने सोच रखा है ? हमने तो कुछ नहीं सोच रखा है ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके माननीय विधायक बोले थे ।

श्री परसराम मदेरणा : हमने तो एक बात सोच रखी है कि आप जब गृह मंत्री नहीं रहेंगे तो आपकी सेवाएं इण्टरपोल को दे दी जाएं ।

श्री कालूराम गूजर : आपने गृह मंत्री जी के लिये अच्छा सोचा है ।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, अभी मेरा जाने का विचार नहीं है । आपके सोच का तो स्वागत है लेकिन इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मेरा जाने का विचार नहीं है ।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि महिलाओं के बारे में यहां पर लगातार जब से विधान सभा चली है, माननीय सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त की जाती रही है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब से विधान सभा बनी है ।

श्री कैलाश मेघवाल : जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है [illegible] लेकिन अब महिलाओं के बारे में ज्यादा चिन्ता होने लगी है । अनुसूचित जाति—जनजाति के बारे में भी हमने ज्यादा चिन्ता करना चालू किया है और गरीब वर्ग के बारे में भी हमने ज्यादा चिन्ता की है । इसकी एक पृष्ठभूमि है । ऐसा नहीं है कि अचानक ऐसी स्थिति आ गयी । उनकी आज तक की जिस तरह की सामाजिक स्थिति थी और जिस पृष्ठभूमि में वे काम करती थी उससे महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में उछाल देने का प्रोत्साहन देन का प्रयत्न चल रहा है । जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं । अब धीरे—धीरे कुछ शिक्षा भी आ रही है, कुछ राजनीतिक जागृति भी आ रही है तो महिलाएं स्वयं भी अपना स्थान प्राप्त करने के लिये आगे आ रही हैं । ऐसी स्थिति में उनको प्रोत्साहन मिले तो जो कदम उनके आगे बढ़ रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी, ये और आगे बढ़ेंगे ।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि एक एजेण्डा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब दिल्ली में कायम हुई, मिनिमम प्रोग्राम में यह भी था कि 33 प्रतिशत स्थान लोक सभा और विधान सभा में महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाएंगे और यह जो संयुक्त मोर्चा का भी एजेण्डा है, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो दोनों का कॉमन है । मेरा ऐसा ख्याल है कि इस कॉमन कार्यक्रम को कोडिफाई करने के लिये संविधान में संशोधन करने में कोई बाधा नहीं आएगी । ऐसी स्थिति में महिलाओं को राजनीति में बहुत अधिक सक्रियता के अवसर मिलेंगे । जो अवसर हमने पंचायत राज में दिये हैं, जो हमने स्वायत्तशासी संस्थाओं में दिये हैं और दूसरी सरकारी नौकरियों में भी ।

श्री परसराम मदेरणा : बी.जे.पी. के

(श्री परसराम मदेरणा)

घोषण पत्र में वायदा किया गया था हिन्दुस्तान के मतदाताओं से । यह बी.जे.पी. के घोषणा पत्र में था या नहीं था ?

श्री कैलाश मेघवाल : बी.जे.पी. के घोषण पत्र में भी था और हमारा मिनिमम प्रोग्राम भी है ।

श्री परसराम मदेरणा : मिनिमम प्रोग्राम तो 13 दिन का था ।

श्री कैलाश मेघवाल : घोषणा पत्र में भी है । मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि महिलाओं के बारे में चिन्ता है और यह चिन्ता वाजिब है । महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले इसके लिये महिलाओं के अपने संगठन भी और सभी राजनीतिक पार्टियों में काम करने वाली महिलाएं भी चिन्तित हैं । राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात की चिन्ता करते हैं कि महिलाओं को कम से कम इतनी सुरक्षा दी जाए और उनका इतना ध्यान रखा जाए। पुलिस विभाग को इस तरह के निर्देश दिये गये हैं । एक विशेष प्रकोष्ठ इस विषय में पुलिस हैडक्वार्टर में भी और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी लगातार कार्यशील है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में विशेष तौर से निगरानी रखी जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा ट्रेन्ड आया शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स का। अब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जागृति है । शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स में अब नया सोच आया है । अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें मुझे, मैं एक बात कहना चाहता हूं ये दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जो यथा स्थितिवाद से अंगड़ाई ले रहे हैं । मैं जिस गांव में गया था धौलपुर में, आजादी के पचास साल [illegible] पहली बार [illegible] उन्होंने प्रारम्भ किया [illegible] यथास्थिति टूटी [illegible] रिएक्शन आया, प्रतिक्रिया हुई। ये प्रतिक्रियाएं अब आना चालू हुई हैं जो कि बहुत पहले आ जानी चाहिये थी लेकिन क्योंकि शिक्षा नहीं आयी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने तो घोड़ी पर बैठने का विचार ही त्याग दिया ।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे तो आपने बैठाया ही नहीं । मैं, अध्यक्ष महोदय, आज भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि आज भी पौराणिक परम्पराएं हैं रूढ़िवादी परम्पराएं चल रही हैं और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग उन पौराणिक परम्पराओं और रूढ़ियों से ऊपर उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अब जो नयी पीढ़ी है उसमें जागृति आ रही है, उसके आधार पर यह सरकार के लिये सोच का विषय है सरकार इस बात पर पूरी तरह गंभीर है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यल्ड कास्ट पर होने वाले किसी भी अत्याचार के ऊपर जो भी स्थिति सामने आती है उनको पूरा प्रोटेक्शन दे । अपराधों का इन्वेस्टीगेशन करें, अपराधियों को सजा दिलाए । लेकिन एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या और आती है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ट्राइब्स में जो इन्वेस्टीगेशन होते हैं उनकी फाइलें आप यहां मंगवाते हो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं । (व्यवधान) केकड़ी में ट्राइबल की जमीन पर कब्जा कर लिया उस सराफ पार्टी, राजेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह वगैरह ने, आपने फाइल यहां मंगवा ली । आपके डी.वाई.एस.पी. यादव ने मुलजिमान को पुलिस के पास से ले जाकर छोड़ा। उस डीवाई. एस. पी. के खिलाफ आपने इसलिये कार्यवाही नहीं की कि यह

(श्री रामनारायण मीणा)

मामला ट्राइबल्स का था । ज्यादतियां हो रही हैं । यह हो रहा है । It is goin on.

श्री कैलाश मेघवाल : अपनी बात आपने कही और मैं इसको मना नहीं करता। मैं इस बात को मना नहीं करता कि एक अपराधी जो होता है वह अपराध से बचने के लिये जमीन आसमान एक करता है। अपराध करने के बाद वह वकील भी करता है तो वह प्रभावशाली सिफारिशें भी ढूंढता है, हर तरह से इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी को प्रभावित करता है या इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी का जो प्रभावित करते हैं उन लोगों तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक वह लड़ता है। कोई ऐसा इन्स्टूमेंट अगर बना होता, माननीय रामनारायण जी, जिससे आते ही मालूम पड़ जाता कि जो हो रहा है यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है, यह अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है तो नकली है या मक्कारी की है। ऐसा इन्स्टूमैंट नहीं है इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरे पास दोनों पक्ष के हैं । कोई यह कहे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने से तफ्तीशें बदली हैं.....

श्री रामनारायण मीणा : सत्ताइस टांके जिस महिला के आये हैं...

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । टोका टाकी नहीं ।

श्री कैलाश मेघवाल : आप डिस्टर्ब मत करिये । इसलिय नहीं कि आपने धौलपुर वाली घटना के बारे में जो अपना रोल अभी यहां व्यक्त किया जबकि वह केवल दो आदमियों की एक साधारण घटना थी । मैं उस मौके पर जाकर आया हूं, वहां पेशाब फेंकने की घटना हुई । मैंने सारी गवाही, [illegible] जानकारी [illegible] लेकिन आपने जो वहां अपना पक्ष रखा उससे आपके प्रति मेरा थोड़ा आदर कम हुआ है । आपको इस मामले में...

श्री रामनारायण मीणा : आपने जातिवाद को बढ़ावा दिया है । वहां पर लोगों को लड़ाया ।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप । विराजें ।

श्री कैलाश मेघवाल : बढ़ावा जातिवाद को देने का नहीं है । बढ़ावा यह है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स, शिड्यूल्ड कास्ट आज अलग-अलग लोगों से पीड़ित है...

श्री रामनारायण मीणा : यह घोषणा पत्र है बी.जे.पी. का । आपने जातिवाद बढ़ाया ।

श्री अध्यक्ष : सुनें आप । नहीं तो यह विषय बहुत देर तक चलता रहेगा ।

श्री रामनारायण मीणा : आप सदन की कमेटी बैठाइये आपने जातिवाद वाद फैलाया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो जांच हो गयी और चालान भी तेरह का हो गया ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, विराजें ।

श्री कैलाश मेघवाल : और त्वरित गति से किया जाएगा ।

श्री रामनारायण मीणा : आप तेरह की जगह पचास का करिये, आप तो पाकिस्तान भेज दीजिये । आप तो सहनशील आदमी हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : सवाल पाकिस्तान भेजने का नहीं है । सवाल यह है कि आज शिड्यूल्ड कास्ट की स्थिति ऐसी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हकीकतन सब लोग जानते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोग कहीं पर ओ.बी.सी. से पीड़ित हैं, तो कहीं पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स से पीड़ित हैं तो कहीं पर और किसी से। जहां पर जो कास्ट डोमिनेटिंग रही है, जो मसल पावर और धरती वाली कास्ट रही है, उससे हमेशा ही पीड़ित रहे हैं, शोषित रहे हैं । इसलिये हमको इसको बिलकुल एक सोशल प्राबल्म की तरह लेना पड़ेगा । कहीं गूजरों से पीड़ित है, कई अहीरों से पीड़ित हैं, कहीं मीणों से पीड़ित हैं, कहीं राजपूतों से पीड़ित हैं, कहीं जाटों से पीड़ित हैं । तो इसमें यह बात नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कई ब्राह्मणों और बनियों से भी पीड़ित हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खेतसिंह जी की राय से सहमति व्यक्त करता हूं कि कहीं--कहीं पर है लेकिन ये दोनों कौमें इतनी चतुर हैं, मैं आपको बताऊं कि महाजन तो इतना महाजन है, ज़ल के नुमा होता है । और ब्राह्मण भी इतना चतुर होता है कि समय के साथ बदलते देर नहीं करता है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि आपने पुराण पढ़े होंगे तो ब्राह्मणों ने पहले व्यवस्था कर दी जब भगवान ने उनका राज दिया तो बोले कि राज हमारे बस की बात नहीं है । हम इन्हीं से राज करवाएंगे, जो ठीक राज करेगा वह [illegible] दिया, बनियों का राज दिया, अब आपको दे रहे हैं । आप ठीक चलाएंगे तो आपको चलाएंगे नहीं तो आपको भी हटा देंगे, यही हम करने वाले हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं चाहता हूं कि भाभड़ा साहब की भावनाएं फलीभूत हों । यह मेरे मन की इच्छा है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह हमारी व्यवस्था है, इसको करेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं इसलिये कि वास्तविक स्थिति जाए । शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन दोनों की मिला कर 29.73 प्रतिशत है और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है वह जनरल पर्सेन्ट में केवल 4.27 पर्सेन्ट आया है । यह 4.27 पर्सेन्ट इस बात को इंगित करता है कि जो जनरल क्राइम रेट है उस क्राइम रेट के मुकाबले शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति बहुत ही प्रोटेक्शन है । शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति क्राइम की रेट बहुत कम है कुछ घटनाओं के उछाल और कुछ घटनाओं के प्रचार मात्र से यह नहीं कहा जा सकता । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं । राजस्थान की अनुसूचति जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी नयी जो अपेक्षाएं, नई आकांक्षाएं है उनको पूरा करने में राज्य सरकार पूरा संरक्षण देगी । उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं की जाएगी। जो पुलिस का सारा बेड़ा है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

डा.आई.जी. स्तर तक, एस.पी. स्तर तक इसको बात के निर्देश दिये गये हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति किसी भी तरह का अन्याय या अत्याचार होता है, आपराधिक गतिविधियां होती हैं उसमें त्वरित गति से कार्यवाही करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्यप्रणाली में कई तरह की कमियां निकाली जाती हैं, कई तरह की चूकें निकाली जाती हैं, कई तरह के आरोप–प्रत्यारोप लगते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन सबका एक सोशियोलोजिकल फिनोमिया भी है । हम यहां जितने लोग बैठे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब एक गुलामी के गुलाम हैं और वह है संस्कारगत गुलामी । पैदा होते ही हमको कुछ संस्कार मिलते हैं । इस देश में पैदा होते ही दो चीजें मिलती हैं जाति और धर्म । मैं पैदा हुआ मेघवाल माता–पिता के यहां, मेघवाल हो गया और रामदेवजी मेरे पुजारी हो गये । खेतसिंह जी राजपूत हो गये और उनकी कोई शक्तिपीठ और देवीपीठ वह माताजी हो गयी । ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों की पृष्ठभूमि में आदमी बड़ा होता है, पलता है, पढ़ता है और आज जैसा एनवायर्नमेंट के बारे में माननीय विपक्ष के नेता ने कहा था, इसका पर्सनेलिटी के डवलपमेंट में बहुत बड़ा योग है । हैरिडिटी एण्ड एनवायर्नमेंट दो ऐसे ऐलिमेंट हैं जो कि एक पर्सनैलिटी को डवलप करते हैं और उस पर्सनैलिटी के जो संस्कार पड़ते हैं वह संस्कारगत गुलामी है चाहे वह पुलिस में चला जाए, नौकरी में चला जाए, व्यापार में चला जाए, चाहे कितना ही आवरण डाल दे । इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज देश की आवश्यकता है, सारे चिन्तकों ने भी बतायी है साइन्टिफिक टैम्पर की । वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब तक इस देश में नहीं बनेगा तब तक हम जातिवादी दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो सकते, जातिवादी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो सकते, साम्प्रदायिक दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो सकते, साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो सकते। साइन्टिफिक टैम्पर की स्थिति क्या है मैं सदस्यों के लिये छोड़ता हूं कि वे स्वयं सोच लें । जो संस्कारगत गुलामी है, यह गुलामी हमारी कार्यप्रणाली को कई बार प्रभावित करती है । चाहे पुलिस का अधिकारी है, चाहे सिपाही है, चाहे डी.जी.पी. है और सारे नीचे के किसी भी तरह के हैं उनके अपने संस्कार हैं पुलिस की नौकरी में आने के पहले उनके कुछ संस्कार पड़े हैं । नहीं चाहते हुए भी, कई बार सुषुप्त अवस्था में वे वापस जागृत हो जाते हैं और हमारी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं । यह सारे देश की समस्या है, केवल राजस्थान की समस्या नहीं और इससे मुक्ति तभी मिल सकेगी जबकि हमारा साइन्टिफिक टैम्पर डवलप होगा । साइन्टिफिक टैम्पर के आधार पर सारे वैज्ञानिक...

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय को इस विभाग से गृह मुक्त ही मान रखा है । यह गुलामी की प्रथा तो आप संस्कारगत बता रहे हैं न हम सब लोगों ने आपको इससे मुक्त मान रखा है ।

श्री कैलाश मेघवाल : कृपा है आपकी मेरे पर । कई बार यह होता है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : घोषणाएं कर दें आप तो ।

श्री कैलाश मेघवाल : घोषणाएं तो कर देते हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं कि राजस्थान में चालान परसेन्टेज 61.2 परसेन्ट है । गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के

(श्री कैलाश मेघवाल)

पब्लिकेशन के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं उन अन्तिम आंकड़ों के आधार पर मैं आपके सामने यह स्थिति रख रहा हूं कि आल इण्डिया का एवरेज है । 52.9 प्रतिशत । 52.9 प्रतिशत चालान होता है। हमारे यहां 61.2 चालान परसेन्टेज है। उस एवरेज से हम ऊपर हैं। परसेन्टेज ऑफ फाल्स केसेज, आज बहुत कम शिकायत आयी है। पिछले दिनों लगातार हमने इस बात की कोशिश की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की कोशिश की है, सभी अधिकारियों से कहा है कि एफ.आई. आर. तो दर्ज होनी ही चाहिये । आज भी कुछ शिकायतें आयी है, इन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी । एफ. आई.आर. तो दर्ज रजिस्टर होगी । हमारे यहां फाल्स एफ.आई.आर. देने का परसेन्टेज 22.12 और आल इण्डिया एवरेज फाल्स परसेन्टेज ऑफ केसेज 5.4 । इसी तरह परसेन्टेज ऑफ दी केसेज पेंडिंग एट दी एण्ड ऑफ दी ईयर। एण्ड ऑफ दी ईयर जो इन्वेस्टीगेशन होता है । इन्वेस्टीगेशन के बाद चालान पोजिटिव या चालान नैगेटिव ? एफ. आर. है चालान नैगेटिव और चालान एफ. आर. पाजिटिव। उसमें आल इण्डिया परसेन्टेज है 21.1 और राजस्थान का परसेन्टेज है 3.9 । ये पेंडिंग केसेज.....

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो पहले फिगर दिया है न उससे मैं कन्फ्यूज हो गया। आल इण्डिया परसेन्टेज 5, आपके यहां पर है 22 परसेन्ट, इसका मतलब राजस्थान में आदमी झूठे बहुत हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह तो नहीं कहता कि झूठे बहुत हैं लेकिन तफ्तीश से असत्य प्रथम सूचनाएं पायी गयी हैं वह परसेन्टेज मैं आपके सामने रख रहा हूं। लीडिंग क्वेश्चन से मेरे से कहलवाना चाहते हैं वह बात मैं नहीं कह रहा ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि डेफिनिटली कई मामलों के अन्दर कनकाक्टेड एण्ड फाल्स केसेज हो सकते हैं। यह असत्य वाली बात तो मैं यूं ही लाइटली कह रहा था । पुलिस को ठोक बजा कर देखना चाहिये कि वास्तव में कनकाक्टेड फाल्स और मेडअप केसेज नहीं हों । ऐसा होता है तो इनोसेंट आदमी के साथ में मिसकैरिज ऑफ जस्टिस हो जाता है, बहुत बड़ा उसके साथ में अन्याय हो सकता है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैं एक चीज और जोड़ दूंगा परसेन्टेज ऑफ रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रोपर्टी । स्टोलन प्रोपर्टी की रिकवरी राजस्थान में 63.22 परसेन्ट होती है । That is third highest in the country. आल इण्डिया एवरेज है 15.8 । यह भी मैं आपके सामने इसलिये रख रहा हूं कि यह बात कही गयी है कि रिकवरी कम होती है, चोरियां कम पकड़ी जाती हैं । लेकिन उस मामले में भी हम आगे हैं । इसके बाद परसेन्टेज ऑफ सिटी । जयपुर सिटी तो हाइयेस्ट इन 23 सिटी मेजर सिटीज ऑफ इण्डिया । जयपुर में जो चोरी की परसेन्टेज ऑफ रिकवरी है वह 63.2 है और यह सारे देश में हाइयेस्ट है । इसके अलावा दूसरे भी आंकड़े हैं पर उन आंकड़ों में मैं आपको नहीं ले जाना चाहता।

श्री परसराम मदेरणा : हाइएस्ट तो रह सकती हैं । वह यों रह सकती है कि जो गैंग चोरी करते हैं । करीबन साल भर के बाद में अंधेरे में आपके हाथ लग जाते हैं तो

(श्री परसराम मदेरणा)

दस चोरियों एकदम बरामद हो जाती है। यह आपकी क्षमता या आपकी दक्षता से नहीं हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता से पूर्णतया सहमत हूं । यह स्थिति है, आपने अगर समाचार पत्रों में देखा हो तो कि हमारे यहां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की गैंग्स आपरेट कर रही हैं । हमारे यहां का लोकल क्रिमिनल तो बहुत कम इन्वाल्व्ड है । वे आते हैं, क्राइम करके चले गये और स्थिति यह बनती है कि पकड़ में आते हैं तो 10—12, 25—30 चोरियां उनसे खुलती हैं ओर उससे परसेन्टेज बढ़ता है । इसे पुलिस को मुस्तैदी कहा जाना चाहिये कि बाहर की गैंग्स को यहां आने पर पकड़ लेते हैं आज की इस बढ़ी हुई जनसंख्या में। अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस को कितने संतुलन बैठाने पड़ते हैं । आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के अलग इन्सट्रक्शन हैं, पुलिस को वहां पर सारी रिपोर्ट्स देनी पडती है और शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन यूनियन कमीशन पुलिस को आज जिस परिस्थिति में काम करना पड़ रहा है, वह बहुत ही संतुलन से काम करना पड़ रहा है ।

कस्टडी डैथ की बात यहां उठी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि कस्टडी डैथ जैसा वीभत्स अपराध कोई नहीं हो सकता । खुले में कोई लड़ाई होती है, उसमें आदमी मरता है तो उसमें स्थिति कोई ज्यादा खराब नहीं होती है । आपस में भी होती है । लेकिन एक जो बिलकुल ही असहाय अवस्था में, चेन्स में है, उसको मारना, उसमें भी पुलिस वाले जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाएं । राजस्थान सरकार इस बारे में बहुत गम्भीर है । अभी जो अशोक सिंह की हत्या हुई है, उसमें 6 आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, निलम्बित किया जा चुका है । उस मामले में पूरी मुस्तैदी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जब कभी भी कहीं ऐसा हो जाता है वे तुरन्त अधिकारियों को बुलाकर चर्चा करते हैं ।

श्री रामनारायण मीणा : वे सिंह थे।

श्री कैलाश मेघवाल : आप सिंह और गैर सिंह की भाषा बोलना छोड़ देंगे तो उचित रहेगा।उथरणा में भी सारे सिंह करीब—करीब.....

श्री रामनारायण मीणा : ... सताया जा रहा है और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले सिंहों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। फाइल यहां मंगायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं आपने उस रोज भी आरोप लगाया था, उथरणा में सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं । जिस मुख्य ठेकेदार का आपने कहा था वह सिंह भी गिरफ्तार हो चुका है। उसमें सात मीणे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। दो शिड्यूल्ड कास्ट के भी हो चुके हैं। वह गैंगवार थी दो शराब के ठेकेदारों में। उसमें यह सही है कि उथरणा में मीणी महिला के साथ जो कुछ भी हुआ उससे ज्यादा अमानुषिक और घृणित कृत्य कोई नहीं हो सकता है। लेकिन करने वाले कौन थे । यह आउट कम किसका था ? उसमें भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं शराब के ठेकेदारों की । मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मेरे पास सूचना आज ही आयी है ।

श्री रामनारायण मीणा : ठेकेदारों के ठेके चल रहे हैं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। यह बाद में डिस्कस करते रहना। अब इसमें कोई रिजल्ट तो निकलना है नहीं । कौन कहे, क्या कहे ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय रिजल्ट तो नहीं निकलेगा । चाहे एक्सीडेन्ट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वह लूट हो रही है, यह जो कंजूमर कल्चर आयी है यह उसकी रेसपोंसिबल है और उससे ज्यादा है शराब । So you are Social Engineer. यह एक साइंस हो गयी है । साइन्टिफिक टैम्पर की बात कर रहे हैं न, Social Engineering is now a post-graduation qualification in America. जब आप प्रोहिबिशन को लागू करो हम आपको उसमें को आपरेट करेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह आपने एक नीति सम्बन्धी बात राखी है जिसको मैं आपकी तरफ से मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। आप स्वयं जानते हैं कि दलों में और जो राजनीति में जो व्यवस्था चल रही है उसमें इस तरह के निर्णय कैसे लिये जाते हैं। मैं उसमें एक ही बात कह सकता हूं कि हमने यह प्रयोग किया था।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी को तो आपने कह दिया कि संवेदनशील बहुत हैं । आप कन हैं ? मैं आपको मुख्य मंत्रीजी से ज्यादा समझ रहा हूं । मुख्य मंत्री जी पुलिस में रह आये, इतने संवेदनशील नहीं है । मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि मुख्य मंत्री जी तो एक [illegible] नहीं है [illegible] नहीं है, वह नहीं है । हरियाणा में प्रोहिबिशन हो गया, गुजरात में हो गया, आपने यह लैण्डलावड बीच में आ रहा है । आप प्रोहिबिशन कीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : थैंक यू वैरी मच। प्रतिपक्ष के नेता महोदय को मुझे दिये गये कम्पलीमेंट्स.....

श्री भंवरसिंह डांगावास : गृह मंत्री जी, एक मिनट । प्रतिपक्ष के नेता महोदय, पुलिस वाला होने से संवेदनशील नहीं हो, आपका यह बात कहना वाजिब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : विराजें। जैसे आप संवेदनशील हैं, वैसे ही हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने पुलिस वालों की बात थोड़े ही की है, मैं तो होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं । ये तो होम मिनिस्टर हैं । यह पुलिस–वुलिस का नहीं है, यूं–यूं कहने से कुछ नहीं है । मैं तो होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं और आप मूंछें तानकर खड़े हो जाते हैं ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : ये मूंछें हैं तो तनती हैं। बगैर मूंछों वाले तान भी नहीं सकते। आपने यह कहा था कि पुलिस वाले इसलिये भैरोंसिंह जी संवेदनशील नहीं हैं, आपका यह बात कहना वाजिब नहीं था ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने होम मिनिस्टर की संवेदनशीलता की बात कही ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : आपने

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

भैरोसिंह जी का नाम लिया और पुलिस वाला होना नाम लिया यह रिकार्ड में है । आप ऐसी बात नहीं करें ।

श्री परसराम मदेरणा : हर वक्त ही कोई बात कह दें, यह ठीक नहीं है ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कई तुलनाएं हम करते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने विकसित देशों के साथ हमारी तुलना की है । मैं शुरू से इस तरह की तुलना के खिलाफ रहा हूं और इसलिये रहा हूं कि जहां जनसंख्या कम, भू–भाग ज्यादा उन्नत टेक्नोलोजी, ज्यादा डवलपमेन्ट वहां धनाढ्य मुल्क। वहां के हिसाब से हिन्दुस्तान की सारी पृष्ठभूमि की तुलना की नहीं जा सकती। आज अमेरिका की तुलना क्या करेंगे ? हमारे से एक चौथाई तो उनकी आबादी है और पांच गुना उनका क्षेत्रफल है । नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलोजी बहुत एडवांस है । वहां केवल चार परसेन्ट लोग खेती में लगे हुए हैं जो सारे अमेरिका का पेट भरते हैं और मौका आने पर सारी दुनिया का भी पेट भरते हैं । हमारे यहां आज भी 72 प्रतिशत आदमी खेती में लगा हुआ है । ये कुछ तुलनाएं ऐसी इस देश में होने लगी हैं जिन्हें मैं फाइव स्टार कल्चर की तुलनाएं कहता हूं । मैं लोक सभा में गया था उस समय एक आध कमेटी का मैम्बर था तो मैंने इसी तरह के सवाल उठाये थे जिनका जवाब मुझे मिला नहीं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप इसे 15 मिनट में खतम कर दें ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक–दो बातें और कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आज यहां एक बात उठी थी कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं होने के पीछे कारण यह है कि हमारा कानून बहुत ही लचीला और प्रभावहीन है। मैं इसका कारण बताता हूं ।

श्री परसादीलाल मीणा : एक मिनट सुन लें, गृह मंत्री जी । जितनी भी अवैध जीपें चलती हैं उनमें 35–35, 40–40 सवारियां चलती हैं और आपके पुलिस वाले देखते रहते हैं । आपके पुलिस वाले मन्थली लेते हैं। आप इसको कसिये, जीपें मत चलने दीजिये । आध देखें कि 5 सवारी, 10 सवारी जितनी निर्धारित हैं उतनी ही सवारी चलें । ड्राइवर शराब पीकर चलते हैं । अवैध जीपों में जो चलती हैं मेहरबानी करके उस पर आप रोक लगाओ । पुलिस की मन्थली रोक दीजिये तो दुर्घटनाओं का आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : देखिये, रैश एण्ड नैग्लीजेंट ड्राइविंग का ऐ सैक्शन 279 है । यह आई.पी.सी. 1861 में बनी थी, 304 (ए) ओरिजिनल आई.पी.सी. में नहीं है, 304 (ए) बाद में आया है । और 279 केवल रैश एण्ड नैग्लीजेंट एक्ट को ही पनिश करता है और डैथ को पनिश 304 (ए) करता है । यह क्यों इन्ट्रोड्यूस किया गया है, इसकी पृष्ठभूमि आप देखें। 304 सैक्शन का सैकिण्ड पार्ट आप एप्लाई करना चाहें तो हर एक्सीडेंटल डैथ में एप्लाई हो सकता है। लेकिन वह एप्लाई होता है तो उसमें जमानत नहीं होती है और सजा ज्यादा। जब 304 (ए) अमैण्ड किया गया उस समय में आपसे निवेदन करूं कि यहां पर कितने लोगों के पास में कार या जीपें थीं ? साहब लोग, शासनकर्ता वह यह देखें कि यहां एक्सीडेंट हुआ तो यहां की यहां जमानत। इसकी पृष्ठभूमि ओर है। हमारे कानून जो

(श्री कैलाश मेघवाल)

बने हैं इनका पूरा इवेंल्यूएशन हुआ है। तो मेरा यह निवेदन करना है कि इसमें यह 304 (ए) नहीं होता तो आज आधे एक्सीडेन्ट कम से कम समाप्त हो जाते; भय रहता लोगों में। आज भय नहीं है, 379 में भय ही नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में जिस तरह की स्थिति है इसको सुधारने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी लगातार कमेटी बनाये रखे हुए हैं, वे लगातार अभियान भी चला रहे हैं आखिर लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ हरेक के लिये चिन्ता का विषय है। चाहे वह एकसीडेंट से हो या किसी भी कारण से हो और रोड एक्सीडेंट्स में तो Indian roads are the greatest killers. बड़ी पीड़ा होती है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि सुबह उठते ही जब अखबार में एक्सीडेन्ट देखता हूं तो अपने आपको अपराधी महसूस करता हूं। कोई भी अपराध होता है तो होम मिनिस्टर क्या बन गया हूं, अपने आपको अपराधी मानता हूं। दस मर गये, 20 मर गये, 5 मर गये, They are family members. लाइफ जाती है तो इस विषय में भी बड़ी चिन्ता करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के कानून का बहुत बड़ा डिफेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। वह डिफेक्ट इसलिये सामने रखना चाहता हूं कि सब चिन्तनशील लोग बैठे हैं। Protection of the human body, it should be the duty of the State. आज 323 का केस नान काग्निजेबल होने की वजह से गरीब जगह–जगह पिट जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा न्याय यहां प्राप्त होता है। पिट गया उसके बाद जाओ, वकील को फीस दो, कम्प्लेंट लिखो, अदालत में जाओ और फिर [illegible] जंवाई [illegible] की तरह आएंगे और उनकी सेवा करो यह सब होने के बाद भी सम्मन हो जाए तो हो जाए। मेरा यह मानना है और मैंने इस बात को दूसरे मंचों पर भी कहा है कि प्रोटैक्शन ऑफ दी ह्यूमन बॉडी, दूसरे प्रापर्टी के कोई केसेज हैं या प्रापर्टी के साथ कुछ होता है उसका आप कम्पांउडेबल बना दीजिये, कैसे ही बना दीजिये। यह जो सेक्शन है यह इस देश के गरीबों के लिये सबसे ज्यादा अहितकार रहा है। रास्ते चलते चार आदमी आपको बुरी तरह पीट दें और आप पुलिस में गये 323 में कि चार आदमियों ने पीटा, खून आ रहे हैं। डाक्टरों ने लिख दिया सिम्पल इंजरीज अब पुलिस वाले की कृपा हो गयी तो 342 या 341 में बना करके काग्निजेबल बना दें और पुलिस वाले की कृपा नहीं हुई तो काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं। एक आदमी चार आदमियों से पिट गया, उससे पूछो कि देश का कानून क्या है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्र में गरीब आज पिट रहा है। उस गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अदालत में जाकर न्याय प्राप्त कर सकें, वकील कर सके, गवाहियों की गर्ज कर सके। यह एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर सोचना चाहिये। मैंने दूसरे मंचों पर भी इस बात को उठाया है, आज आपके सामने भी रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता कि पुलिस में सब ठीक है, लेकिन अन्ट्रेसेबल केसेज भी होते हैं। जब किसी केस में पूरी क्षमता से कार्य करने के बाद भी अगर उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते, वर्क आउट नहीं कर सकते तो उसको तुरन्त यह मान लेना कि पुलिस की इससे मिलीभगत है या पुलिस रिश्वत खा गयी है या पुलिस पर किसी ने दबाव दे दिया है या गृह मंत्री का

(श्री कैलाश मेघवाल)

[illegible] चल गया है ; इस तरह की बातें, यह तात्कालिक प्रक्रिया होती है । पीड़ित पक्ष की प्रतिक्रिया तो हमेशा समझ में आती है लेकिन इसको कुछ इस तरह से देखना चाहिये । पुलिस वाले भी उसमें कोई हेराफेरी करते होंगे, मैं यह भी मानता हूं लेकिन कुछ जेनुइन केसेज भी होते हैं । अभी 15 दिन पहले एक लड़का चला गया उसकी इंवेस्टीगेशन चालू हुई । मैंने डी.आई.जी., एस.पी. को बुला कर कहा । वह पीड़ित पार्टी आयी कि साहब टेलीफोन मिलवाओ, उनको नहीं पकड़ रहे हैं ओर दूसरे दिन लड़का खुद ही घर पर आ गया था । वे कह रहे थे कि इनको पकड़ो, नहीं तो मिलेगा ही नहीं । पीड़ित पक्ष को थोड़ा–सा भी यदि शक हो जाए, आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें जैसे कोई लड़की अगवा कर ली जाती है तो जिससे उसकी दोस्ती रही उसको नहीं पकड़ेंगे और आज यह डिस्कस में भी था । रुढ़िवादी हमारा दुर्भाग्य एक रहा है कि इस देश में कुछ समाज व्यवस्था थी । उस चीज को जन आन्दोलन से ठीक करना चाहिये था या जन आन्दोलन खड़ा करने के बाद कोडिफाई करना चाहिये था। हमारा robust working understanding है codified is law. उसमें है क्या ? collective wisdom, when regulated, is law जैसे हमने शारदा एक्ट बना दिया । यहां बैठे हुए सब माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कौन शारदा एक्ट की धज्जियां उड़ते हुए नहीं देखता है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप भी नहीं देखते हो क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं भी देखता हूं, मैं स्वीकार करता हूं । मैं जानता हूं कि इसमें प्रतिशोध के कारण कई लोग आते हैं [illegible] हैं : हमारा दहेज [illegible] दहेज में [illegible] हो गया, दहेज का कानून अच्छा बना है लेकिन आपको बता दू कि कई बार मर गयी तो सास, सास की मां और पीड़ित पक्ष तो यह चाहता है कि पूरे ही लोग दोषी हैं जिसमें कई बार सच्चाई नहीं होती, कई बार होती भी होगी । हमारे दूसरा छूआछूत वाला मानना है । जो सोशल जन आन्दोलन के रूप में प्रगतिशीलता के आधार पर, सुधारवादी आन्दोलन के आधार पर जो सुधार कोडिफाई होने चाहिये थे वे हमने पहले कोडिकाई कर दिये जिसके लिए हमारा समाज तैयार नहीं है। ऐसे कई कानून हैं इसलिये कानून के प्रति आदर में कमी आयी है, कानून टूटता है। पूरी तरह से जब लॉ का पालन नहीं होता है तो कानून के प्रति आदर में कमी आती है और यह कमी की भावना भी कई तरह से हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है ।

एक माननीय सदस्य : आप तो घोषणाएं बताओ ।

श्री कैलाश मेघवाल : अब आप बोर हो गये तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप विद्वान हो । यह तो हम मान गये कि आप विद्वान हो, अब 15 मिनट में खत्म करो ।

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा, 15 मिनट में खत्म कर रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मै। इन सारे प्रश्नों का जवाब...

श्री परसादीलाल मीणा : कई कानून के मुद्दे भी हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : [illegible] इन्डिविजुअल [illegible] है । [illegible] है कि कुछ केसेज में गिरफ्तारियां भी हुई घडसाना में हुई है । क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब हरिजन एट्रोसिटीज और महिला एट्रोसिटीज के केसेज आये तो हर केस की पूरी पुख्ता कार्यवाही के लिए आई.जी. स्तर के अधिकारियों को हर जगह भेजा था कई जगह मैं भी गया हूं और कई जगह दूसरे मंत्रियों को भेजा है । इसलिये जहां तक प्रयत्न होता है राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है, जागरूक है, चिन्तित है और सदैव इस बारे में प्रयत्न होता रहेगा, माननीय मुख्य मंत्री जी के इस तरह के निर्देश हैं । दूसरी जो गिरफ्तारियां इस तरह की हैं उन सबकी मेरे पास डिटेल्स है ।

यहां बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी हमारे पुलिस कांस्टेबल के बारे में ।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री महोदय, 12 बजने वाले हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : 12 तो नहीं बजेंगे, जल्दी खतम कर दूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक दो आंकड़ें रखना चाहता हूं जिसका आज हमने सुधार किया है । ये 1–4–1989 के आंकड़ें हैं क्योंकि 1–4–1990 से तो हम आ गये थे और 1–4–1989 तक आप थे । आपके वक्त की स्थिति बता दूं कि 1-4–1989 को मैस भत्ता सिविल पुलिस को 85 रुपये मिलता था।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले की भी बताओ ।

श्री कैलाश मेघवाल : [illegible] है 1976 का भी है, मैंने [illegible] निकलवाया है । 1976 में मैस भत्ता 10 रुपया सिविल पुलिस और पुलिस लाइन वाले का भी 10 रुपया और आर.ए.सी. को 25 रुपया.

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन दिनों में महंगाई इतनी नहीं थी ।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, नहीं थी । पर अब महंगाई बढ़ गई तो अपने भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहिये यह भी आप चाहेंगे । 1–4–1989 को 85 रुपया था सिविल पुलिस के लिये, पुलिस लाइन के लिये 12 रुपया था और आर.ए.सी. के लिये 100 रुपया था । यह एक स्थिति थी जिसमें लगातार मैंने 2–3 बार बढ़ोतरी की है और आज की तारीख में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने तीन श्रेणी में वृद्धि की है । सिविल पुलिस को अभी 175 रुपया प्रति माह का मैस भत्ता मिलता है, इस 175 रुपये में 35 रुपये बढ़ा कर हम 210 तक ले आये क्योंकि मैं आज सबको 210 दे रहा हूं । बीच में 182 था आर्म्ड पुलिस के लिये, लाइन वालों के लिये और 190 था आर.ए.सी. के लिये और 175 सिविल पुलिस का मैस भत्ता था । इसको भी 210 कर दिया है और जो 182 आर्म्ड पुलिस के लिये था उसको भी 210 कर दिया है, आर.ए.सी. के 190 को भी 210 कर दिया है। यह वृद्धि हमने उनके मैस भत्ते में कर दी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग में 50 नये गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं और गृह रक्षा विभाग में 7 नये गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो मैस अलाउंस बराबर कर दिये आर.ए.सी. के और सिविल पुलिस के तो गृह मंत्रीजी आप संवेदनशील तो हैं ही । आप जाकर इन दोनों का भोजन देख लीजिए, मैं बड़े यकीन के साथ में यह कह रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे पास प्लाटून रहती है इसलिये मैंने एक–दो दफे सब्जी मंगवायी है वहां से । आपके वहां पर पानी, दाल और तीन टुकड़े रखते हो, जेल में जिस तरह से खाना है । आपके बीच में यह गड़बड़ है । मैस अलाउंस से मतलब नहीं है । मैस अलाउंस में आर. ए.सी. का खाना बढ़िया मिल रहा है, पुलिस लाइन का बहुत घटिया बन रहा है और अलाउंस वह का वह है । यहां पर लीकेज है, इस लीकेज को बन्द करो आप ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जिस बिन्दु की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पर्सनली इस बारे में देखूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : पर्सनली आप खाना दोनों का जाकर टैस्ट करेंगे तो दिन–रात का अन्तर है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने नेशनलाइज इसलिये कर दिया है कि सबका बराबर हो। एक श्रेणी का 210 कर दिया। पहले थोड़ा–सा फर्क था। जिसमें एक 175 था । लेकिन यह जो आपका बिन्दु है, यह बिन्दु बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवस्था ठीक होनी चाहिये । वे उनकी व्यवस्था में पौष्टिक भोजन हो ताकि उनका शरीर ठीक बना रहे वे बन्दूक और लाठी उठा सकें ऐसा उनका स्तर बना रहे इस बात के प्रयत्न किये जायेंगे, मैं कोशिश करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग में 50 तथा गृह रक्षा विभाग में सात नये गैस कनेक्शन का प्रावधान किया गया है और पुराने हैं जो तो हैं ही।

वर्दी धुलाई भत्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक वर्दी–धुलाई भत्ता 25 रुपया मिल रहा था । उस 25 में 10 रुपया की वृद्धि करके वर्दी धुलाई भत्ते को 35 रुपये तक हम ले आये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैलफेयर फण्ड में पुलिस तथा गृह रक्षा के जवानों के कल्याण के लिये 25 लाख रुपया पुलिस विभाग को और 5 लाख रुपया गृह विभाग को दिया जा रहा है । खेल निधि में 20 लाख रुपया अनुदान दिया जा रहा है ।

पुलिस लाइन हेतु पंखे । मैंने कहा सुवि–धाएं बहुत बढ़ायी हैं जवानों के कल्याण हेतु पुलिस विभाग को 1620 पंखे, 30 पंखें प्रति पुलिस लाइन हेतु तथा 16 पंखे गृह रक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाएंगे । तो पंखे बढ़ा दिये हैं जिसमें कुल खर्चा 16.20 लाख रुपये पुलिस का आएगा और 16 हजार रुपये गृह रक्षा का आएगा ।

स्नान गृह और शौचालय निर्माण। स्थिति ठीक करने के लिये स्नानगृह और शौचालय निर्माण के लिए पुलिस विभाग को एक करोड़ रुपये तथा गृह रक्षा विभाग को 9 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे ।

विद्युत व्यवस्था । पुलिस लाइन थानों चौकियों आदि में बिजली की व्यवस्था

(श्री कैलाश मेघवाल)

हेतु 50 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाएगा ।

पीने के पानी की व्यवस्था । विभिन्न पुलिस लाइन, थानों, चौकियों पर जवानों को पेयजल सुलभ करवाने के लिए पुलिस विभाग को 125 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाएगा ।

श्री परसराम मदेरणा : बजट में प्रावधान है क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह बजट में नहीं है । यह ओवर एण्ड अबव बजट आइटम है ।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा, अब आप घोषणा कर रहे हो ।

श्री कैलाश मेघवाल : आज घोषणा कर रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : हां, ठीक है ।

श्री कैलाश मेघवाल : इस पर आपको निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने आपके सामने मांग रखी है उसके अलावा 35 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है आधुनिकीकरण के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में... उस 35 करोड़ के बाद जेल, सिविल डिफेंस और पुलिस डिपार्टमेंट के लिये 9 करोड़ रुपये का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री ने आज और स्वीकार किया है । जो ओवर एंड अबव दिस बजट होगा ।

पुलिस विभाग के आर्मरर के भत्ते अब तक बहुत कम थे । आर्मरर भत्ता उप निरीक्षकों का पहले 30 रुपये था उसे 100 रुपये कर दिया गया है । हैड कांस्टेबल का पहले 20 रुपये था उसको 75 रुपये कर दिया गया है और सिपाही का पहले 15 रुपये था उसको 50 रुपये कर दिया गया है ।

कमाण्डों के भत्तों में वृद्धि कमाण्डों के कठिन कार्य को देखते हुए उनको देय भत्ता कर सब इंस्पेक्टर का 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है, हैड कांस्टेबल का बढ़ाकर 75 रुपये से 150 रुपये कर दिया गया है और सिपाही का 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है ।

ड्रिल भत्ते में वृद्धि । प्रशिक्षण कार्य के महत्व को देखते हुए इस वर्ष में लगे ड्रिल के इंस्ट्रक्टर के भत्तों में वृद्धि कर प्रति माह एस.आइ. को ड्रिल भत्ता 30 रुपये मिलते थे इनको 100 रुपये कर दिया गया है । हैड इंस्ट्रक्टरर का 20 रुपये से 75 रुपये कर दिया गया है और सिपाही का 15 रुपये से 50 रुपये कर दिया गया है ।

बिगुलर को अब तक 10 रुपये भत्ता दिया जाता था उसको अब 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है क्योंकि बिगुल बजाने में फैफड़ों पर जोर पड़ता है और बहुत इम्पोर्टेंट कार्यवाही थी ।

एम.टी. भत्तों में वृद्धि । एम.टी. भत्ता अभी तक सब इंस्पेक्टर को 40 रुपये मिलता था वह 80 रुपये कर दिया गया है । हैड कांस्टेबल को 80 रुपया मिलता था उसको 120 कर दिया गया है और सिपाही जिसको 90 रुपया मिलता था उसको 130 कर दिया गया है ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अंशकालीन रसोईयों को भुगतान । अभी हमारी आर.सी. की कुछ कम्पनियां नयी खड़ी हुई हैं, कुछ नये थाने खोले हैं उसकी वजह से हमें 133 अंशकालीन रसोइयों के पदों का सृजन करना पड़ेगा । उसके लिये 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से 8 लाख 64 हजार रुपये स्वीकार किये गये हैं और गृह रक्षा विभाग को 28 हजार 8 सौ रुपये दिये जाएंगे।

नाई, धोबी, सईस को वर्दी। नाई, धोबी, सईस भी पुलिस फोर्स की परमानेंट ड्यूटी में हैं । लेकिन आज तक इनको वर्दी भत्ता नहीं मिलता था । इनकी सख्या करीब 517 है । इनको भी 948 रुपये की दर से प्रति वर्ष वर्दी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है । प्रारम्भ किया गया है, अभी तक नहीं था ।

ठण्डे पानी के कूलर । जवानों को पेयजल सुविधा देने के लिये पुलिस विभाग 216 वाटर कूलर हेतु 43.20 लाख रुपये उपलब्ध करायेगा । दो वाटर कूलर गृह रक्षा विभाग को 50 हजार रुपये में उपलब्ध कराये जाएंगे । डैजर्ट कूलर था एग्जास्ट फैन । पुलिस कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिये तथा पुलिस लाइनों में 8 नग प्रति लाइन की दर से कुल 432 कूलर तथा 540 एग्जास्ट फैन उपलब्ध कराये जाएंगे । इस कार्य में क्रमशः 17.28 लाख तथा 18090 लाख रुपये व्यय होंगे । गृह रक्षा विभाग को कूलर हेतु एक लाख रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे ।

गृह रक्षा के स्वयंसेवकों के भत्तों में वृद्धि। अभी तक इनको 40 रुपये प्रतिदिन दिये जाते थे जिसको 50 रुपये कर दिया गया है । गृह रक्षा विभाग के स्वयंसेवकों को वर्दी धुलाई भत्ते में भी हमने वृद्धि की है । इनको पहले पांच रुपये प्रति सप्ताह की दर से 25 रुपये माह के दिये जाते थे अब इनको प्रति सप्ताह 7 रुपये की दर से महीने के 35 रुपये करने का प्रावधान किया गया है ।

इस प्रकार पुलिस कर्मचारियों के कल्याण हेतु 650 करोड़ रुपये तथा गृह रक्षा विभाग के कर्मचारियों के कल्याण हेतु 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है और जेल विभाग का एक करोड़ का अलग से । इस तरह 9 करोड़ का प्रावधान है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदस्यों द्वारा यहां बड़ी चिंता व्यक्त की गयी आर.पी. एस. से आई.पी.एस. अधिकारियों के प्रमोशन की । यह बात सही है कि यह मसला पांच–चार साल से है । पांच डी.पी.सी. नहीं होना, यह चिंता का विषय है । इस चिंता के विषय में सरकार की कंट्रीब्युटरी गलती तो हो सकती है लेकिन सबसे ज्यादा गलती आर. पी. एस. के अधिकारियों की है जो लगातार अदालतों में जाते रहे, एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा । पिछले साल फिर डी.पी.सी. कराकर एक लिस्ट भी तैयार करायी गयी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में चले गये चयन श्रृंखला का जो प्रमोशन है वह उसको चयन श्रृंखला को पहले वे प्रमोशन नहीं मानते थे । सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चयन श्रृंखला को भी प्रमोशन मानें जायें । उसके प्रमोशन मानने का उसने जो डाइरेक्शन दिया है उसके आधार पर नयी सूचियां तैयार होकर डे–टू–डे इसकी मोनीटरिंग करने के निर्देश दे दिये गये हैं । आप सब सदस्यों की जो चिंता है और पुलिस विभाग के आर.पी.एस. से आई.पी.एस. बनने वाले अधिकारियों में जो निराशा है उस निराशा को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रबन्ध किया है और बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि हम आर.पी.एस. से आई.पी. एस. के प्रमोशन देने में सफल होंगे । ऐसी 20–22 पोस्टें हैं जिनके कारण नीचे से ऊपर प्रमोशन नहीं हुए हैं और एक प्रमोशन नहीं होने से नीचे के भी रुके हुए हैं । सारी पुलिस व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में बहुत सक्षम होंगे । आप सबने जो सुझाव दिये, उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की पुलिस आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप कानून–व्यवस्था को ठीक ढंग से कायम रखने में सफल होगी । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग मंजूर करायी जाए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय जेल मंत्रीजी..... (व्यवधान)..... विराजें दो मिनट । जेल मंत्रीजी को सुन लें ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, कारागार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या–17 जो कारागर विभाग से सम्बन्धित है इसके निमित्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कारागार विभाग के बारे में यहां माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ये माननीय सदस्य कह रहे हैं...(व्यवधान)... इन्होंने वायरलैस का मामला कट मोशन से उठाया था ।

श्री कैलाश मेघवाल : I will take note of it, Sir. I will do the needful. I know his problem. I have called that file for examination from the Vigilance, Sir.

श्री श्रीकिशन सोनगरा : जेल विभाग के बारे में जो भ्रम है उसको तोड़ने के लिये मैं नि[illegible] करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने अभी पिछले दिनों दिनांक 23–3–96 को हमारे यहां राजस्थान की जेलों का भ्रमण कर अभिव्यक्ति की है कि मैं आज प्रातः यहां की जेलों का राउण्ड लेने, बंदियों से मिलने, उनसे बात करने एवं गांधीजी की मूर्ति का अनावरण करने हेतु आया हूं । मैंने बंदियों के योगासन कार्यक्रम, भजन में सहभागिता, व्यक्तिगत गायन कार्यक्रम और वक्ता के रूप में भाषण देने को देखा । बंदियों के सुधार के वास्तविक प्रयास राजस्थान में हो रहे हैं । मैंने बंदियों के सुधार एवं कार्यक्रमों के द्वारा चरित्र तथा आचरण के पुनर्निर्माण के लिये सहायता का वायदा किया । वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह कहा कि मैं जाकर वहां से राजस्थान की जेलों के लिये सहायता भेजूंगा। मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह जो मत राजस्थान की जेलों के बारे में है, माननीय राधेश्यामजी, वह आपसे बहुत कुछ ऊपर है । आज राजस्थान की जेलों को यह सारा स्थान मिल रहा है । वह कम बात नहीं है ।

इसी तरह से हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की धारणा राजस्थान की जेलों के लिए क्या है वह भी सुन लीजिये । मैं जब 19–12–95 को राजस्थान आयी तो महिला जेलों का निरीक्षण किया । राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती मोहिनी गिरीजी ने कहा, आज विश्वास नहीं होता है कि कारागार घर की तरह लगे । यह कौन कह रहा है ? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कह रही है कि विश्वास नहीं होता है कि कारागार घर की तरह लगे। ऐसे

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

कारागारों में महिलाओं की मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। मैं यह कामना करती हूं... (व्यवधान)...

(24.00)

आप सुनिये तो सही। आगे लिखा है.. मैं यह बधाई देती हूं कि भारत के सभी कारागृह इस स्टैण्डर्ड के हों । महिलाओं को दस वर्ष में छोड़ दिया जाए । इस तरह की श्रेष्ठ धारणा राजस्थान की जेलों के बारे में है । मैं यही नहीं आज देश में चाहे पंजाब के आतंकवादी हों, चाहे आज कश्मीर के आतंकवादी हों, चाहे सिक्किम या हमारे पूर्वांचल के आतंकवादी हों, ऐसे जो बंदी हैं उन सब को आज देश में रखने के लिये कोई भी प्रदेश तैयार नहीं होता है लेकिन आज भारत सरकार इस बात का विश्वास लेकर कि राजस्थान की जेलों में सुरक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हमारे यहां पंजाब के आतंकवादी अजमेर में बन्द रखती है । हमारे यहां जोधपुर में कश्मीर के आतंकवादी बंद रहते हैं, हमारे यहां जोधपुर में सिक्किम, नागालैण्ड और इन सब जगहों के जो आतंकवादी हैं वह रहते हैं। (व्यवधान)....

श्री राधेश्याम गंगानगर : आई.जी. बना दो उसको । (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखें... (व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर : बात ही नहीं सुन रहे हैं... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। ...(व्यवधान)..

श्री राधेश्याम गंगानगर : [illegible] जानता हूं मिट्ठूसिंह का क्या हुआ : (व्यवधान).....

श्री श्रीकिशन सोनगरा : ... (व्यवधान)... बिलकुल श्रेष्ठ हमारे बारे में राय है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, एक घंटे तक आपके सामने 3 तारीख को बहस हुई थी । इन्क्वायरी कम्प्लीट हो गयी। जो मतलब की बात है वह तो कह नहीं रहे हैं.. (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहे । (व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर : ....(व्यवधान). ....मैं पूछना चाहता हूं कि मिट्ठूसिंह का क्या हुआ ? ...(व्यवधान)..... आई.जी. बना रहे हैं क्या उसको ?...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : ..... (व्यवधान).. यह निवेदन इसलिये करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है । आज हमारे राजस्थान में 98 कारागृह चलते हैं, और इन कारागृहों में हम केवल उनके भोजन, सुरक्षा का ही काम नहीं करते । इसके बाद भी हम यह कोशिश भी करते हैं कि उनका मानसिक स्तर ऊंचा हो ।.....(व्यवधान)..... हम यह प्रयास करते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पिछला वर्ष जो अभी 1995—96 गया है उसमें 30 विद्यार्थी सीनयिर हायर सैकंडरी की परीक्षाओं में राजस्थान की जेलों

([illegible])

से बैठे हैं । 21 विद्यार्थी हमारे राजस्थान की जेलों से स्नातक और स्नातकोतर परीक्षाओं में बैठे हैं। इसी तरह से हमने राजस्थान की सम्पूर्ण जेलों में साक्षरता का कार्यक्रम भी हाथ में लिया है और सैकड़ों लोग साक्षर हो रहे हैं। बंदी एक अनपढ़ बंदी को राजस्थान में पढ़ा रहा है । ये सारे काम हो रहे हैं यही नहीं उनके आध्यात्मिक विकास के लिये हम राजस्थान की जेलों विश्यना शिविरों का भी आयोजन करते हैं । प्रेक्षक ध्यान आये दिन हम आयोजन करते हैं। इस सबके बाद भी सभी तरह के धर्म गुरुओं के वहां प्रवचन कराते हैं । उनमें धूम्रपान की आदत कम हो उसके लिये सामाजिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम वहां आयोजित होते हैं। होली दिवाली ओर जितने भी त्यौहार हैं उनमें हम मिलन के कार्यक्रम चलाते हैं और एक नया जीवन देने की हम कोशिश करते हैं राजस्थान की जेलों में । इसी के साथ–साथ कई तरह के उद्योग हम राजस्थान की जेलों में चलाते हैं । राजस्थान की जेलों का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है वह आज बिलकुल तेजी के साथ आगे बढ़ाने की बात भी है ।

यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जेलें इस बात के लिये भी देश में प्रसिद्ध हैं कि हमारे यहां 5 खुले बंदी शिविर हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में बंदी खुला जीवनयापन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं । खुली मजदूरी करते हैं और अपना खर्चा खुद वहन करते हैं। एक तरह से वे समाज में आत्मसात हो जाएं यह सारी की सारी व्यवस्था का बहुत अच्छा उदाहरण राजस्थान की जेलें इस देश में प्रस्तुत कर रही हैं । इस नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का दृश्य जो ये पैदा करना चाहते हैं, अपने निहित स्वार्थों के लिए जिस तरह के आरोप लगाते हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं ।

माननीय राधेश्याम जी, आपने एक बात कही थी कि आज कोई बंदी अगर मर जाता है तो उस अधिकारी के खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज करानी चाहिये । इसी तरह से माननीय शैलेन्द्र जी ने भी कहा है कि लखविन्दर सिंह जी बीकानेर जेल में था, वह एक अधिकारी की लापरवाही से या उसके अत्याचारों से गुजर गया । तो जेल विभाग ने 302 में उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी है । उसको सस्पैण्ड किया है और उसके खिलाफ ही नहीं जैलर के खिलाफ कार्यवाही की । ऐसा कुछ नहीं है राजस्थान की जेलों में जैसा आपने बताया । यह मैं निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं वह हम कर रहे हैं इसके बाद भी माननीय शैलेन्द्र जी ने कहा कि मालपुरा से फरारी हुई, इकलेरा में फरारी हुई । उन्होंने कहा और भी जगह हुई है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ...(व्यवधान)... आप बोलकर चुप देंगे । मेरे को मिट्ठूसिंह की बताइये... (व्यवधान)... आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं । माननीय मंत्री महोदय, मिट्ठूसिंह का क्या किया आपने ?. ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक : ... मिट्ठूसिंह चौहान।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ..व्यवधान.. माननीय मंत्री महोदय, निटठूसिंह चौहान का क्या हुआ ?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : सारे दृश्य इस तरह के उपस्थित हो रहे हैं लेकिन राजस्थान की जेलें श्रेष्ठतम हैं... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : खतम हो गयी आपकी बात ?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सब के बाद...(व्यवधान).

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मामला है ।

श्री अध्यक्ष : बात सुनें पहले ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जेलों में कर्मचारियों ओर बंदियों के हित के लिये और उनको कई सुविधायें प्राप्त हों उस सब के लिये राजस्थान सरकार ने नये प्रावधान किये हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैस भत्ते में वृद्धि–जेल कर्मचारियों के कल्याण के लिए देय मैस भत्ता बढ़ाकर पुलिस कर्मियों के बराबर 210 रुपया प्रति माह किया जा रहा है । इसी तरह से हमारे यहां करीब 8 हजार की संख्या में राजस्थान के जेलों में बंदी रहते हैं और उनकी नित्य प्रति भोजन की व्यवस्था का सुबह–शाम का सिलसिला चलता है । उसके लिये पहले भी गैस कनेक्शन हैं और जो घट रहा है उसके अन्तर्गत जैल कर्मियों व बंदियों की सुविधा के लिये जेल में 23 नये गैस कनेक्शन दिये जाएंगे । प्रत्येक कनेक्शन के 40 हजार रुपये की दर से इस कार्य हेतु 9 लाख 20 हजार रुपये के प्रावधान किये गये हैं । इसी तरह से हमारे यहां जो कर्मचारी हैं उनके वर्दी धुलाई के भत्ते में वृद्धि की जा रही है । जो पहले मिलता था उससे और 10 रुपये बढ़ा दिये हैं। इसी तरह से 40740 रुपये के अतिरिक्त प्रावधान किये हैं । कर्मचारियों के कल्याण कोष के लिये जेल कर्मचारियों के कल्याण कोष में 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है । हमारे यहां जो बंदी रहते हैं उनके यहां पंखे वगैरह की कमी की पूर्ति करने के लिये जेल कर्मचारियों एवं बंदियों के कल्याण हेतु विभिन्न जेलों में 42 हजार का प्रावधान छत के पंखों का किया गया है। राजस्थान सरकार ने विभिन्न जेलों में 14.40 लाख रुपया स्नानगृह तथा शौचालय आदि निर्माण के लिये अतिरिक्त आबंटन किया है। राजस्थान में जिस तरह की पेयजल की समस्या है उसकी गंभीरता को देखते हुए राजस्थान की विभिन्न जेलों पर कर्मचारी तथा बंदियों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये 20.98 लाख रुपया दिया जा रहा है । आरमोरर्स के भत्ते में भी वृद्धि करके जेल विभाग में कार्यरत आरमोरर्स को पुलिस के आरमोरर्स के समकक्ष भत्ता दिया जा रहा है । एम.टी. भत्ते में भी वृद्धि की गयी है । जेल विभाग में कार्यरत वाहन चालकों को पुलिस विभाग के वाहन चालकों के समकक्ष एम.टी. भत्ता दिया गया है । इसी तरह से जेल कर्मचारियों को गर्मियों में राहत पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न जेलों कार्यालयों में 10 पेयजल कूलर्स

उपलब्ध कराये जाएं. इस कार्य हेतु 40 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है ।

जेल अधिकारियों के वर्दी भत्ते में वृद्धि जेल के अधिकारियों को देय वर्दी भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के समान किया जा रहा है। इस कार्य पर 58560 रुपये का व्यय होगा । सहायक कारापाल और उप कारापाल को वर्दी उपलब्ध कराने के लिये 2.26 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । प्रहरियों, मुख्य प्रहरियों को पुलिसकर्मियों के समान वर्दी उपलब्ध कराने के लिये 46.13 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक बन्दियों को न तो मंजन दिया जाता था, न साबुन दिया जाता था । राज्य सरकार द्वारा पहली दफा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको मंजन, साबुन और जो कपड़े पहनने के लिए मिलते थे उनमें और अतिरिक्त वृद्धि करके उन्हें मंजन, साबुन, कपड़े आदि उपलब्ध कराये जाएंगे जिसके लिये इस वर्ष 24 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, हमारी बहुत सारी जेलों में तो दूरसंचार के साधन टेलीफोन वगैरह थे मगर बहुत सारी जेलें ऐसी थी जिनमें टेलीफोन नहीं थे । कई दफे बन्दियों के बीमार पड़ने पर, डाक्टर को बुलाने या उसको ले जाने, फरारी की सूचना देने, एक्सीडेंट होने या इस तरह के जो संकट आते थे उनको दूर करने के लिए राज्य की बहुत-सी जेलों में जहां पर टेलीफोन आदि कोई भी संचार व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहां 83 नये टेलीफोन कनेक्शन हेतु 12.45 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

इसी तरह से हमारे यहां जो जेलें बनी हुई हैं इनमें बहुत सारी बिल्डिंग पुरानी हैं । उन पुरानी बिल्डिंगस के रख-रखाव और मरम्मत के लिये सरकार ने चालीस लाख रुपये का प्रावधान किया है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदरणीय मंत्रीजी, मिट्ठू जी का क्या हुआ ?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये जेल विभाग ने अतिरिक्त प्रावधान किये हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं जो कह रहा हूं जी.उसका क्या हुआ ? मिट्ठू जी रह गये क्या 9 आई.जी. बना दिया क्या उसको ?

मांग संख्या 16 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,81,40,55,000 (तीन अरब, इक्यासी करोड़, चालीस लाख, पचपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,36,60,000 (सत्रह करोड़, छत्तीस लाख, साठ हजार) तक की राशि, लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही गुरुवार, 11 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 00.14 बजे, गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट – 1

तारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूची

पंचायत समिति बाप, जिला–जोधपुर में स्वीकृत/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उच्चीकृत उपकेन्द्र/उपकेन्द्रों की सूची ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	(सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) बाप
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,	जाम्बा
3.	,,	केलनसर
4.	,,	भारु
5.	,,	कानासर
6.	,,	कानसिंह की सीड़

उच्चीकृत उपकेन्द्र/उपकेन्द्र

1.	उच्चीकृत उपकेन्द्र,	जैसला
2.	,,	कानासर
3.	,,	टेकरा
4.	,,	मलार
5.	उपकेन्द्र	रिण
6.	,,	चिमाना
7.	,,	टापू
8.	,,	चम्पासर
9.	,,	रोहिणा
10.	,,	शेखासर
11.	,,	सिहाड़ा
12.	,,	ननेऊ
13.	,,	उजासर
14.	,,	उदट
15.	,,	बावड़ीकलां
16.	,,	घटियाली
17.	,,	बूंगडी
18.	,,	चाकू
19.	,,	गोलहिण्डोल
20.	,,	मालमसिंह की सीढ़
21.	,,	टाढरवाला
22.	,,	जोधसिंह की सीढ़
23.	,,	राणेरी
24.	,,	मोटाई
25.	,,	देदासरी
26.	,,	नारवाड़ा भाटिया
27.	,,	सोडाइड़ा
28.	,,	सिदरथ
29.	,,	चारणों का नोखड़ा
30.	,,	बडी सिंह
31.	,,	मिडकिया
32.	,,	घटोद
33.	,,	चारवाई
34.	,,	अजेरी
35.	,,	सांवरा गांव

पिछले 6 माह से पंचायत समिति बाप में चिकित्सक एवं नर्स के रिक्त पदों की सूची ।

1. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) बाप

1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ, सर्जरी	–	1
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	–	1
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	–	1
4.	मेल नर्स – प्रथम	–	1
5.	स्टाफ नर्स	–	2

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाम्बा

1.	मेल नर्स – द्वितीय	1

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलनसर

1.	मेल नर्स – द्वितीय	1

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारु

1.	मेल नर्स – द्वितीय	2

5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानासर

1.	चिकित्सा अधिकारी	1
2.	मेल नर्स द्वितीय	1

6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानसिंह की सीड़

1.	चिकित्सा अधिकारी	1

7.	उपकेन्द्र जैसला	प्रसाविका	1
8.	,, घटियाला	,,	1
9.	,, बावड़ीकलां	,,	1
10.	,, टेकरा	,,	1
11.	,, रोहिणी	,,	1
12.	,, जोधसिंह	,,	1
13.	,, खिदरथ	,,	1
14.	,, मिडकिया	,,	1
15.	,, घटोद	,,	1
16.	,, चारवाई	,,	1
17.	,, अजेरी	,,	1

परिशिष्ट – 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी की पेयजल योजनाएं

251. **कन्हैया लाला मीणा** (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वित्तीय वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में कितनी पेयजल योजनाएं किस–किस गांव के लिए और कब–कब स्वीकृत की गई ? क्या इन स्वीकृत योजनाओं की सरकार द्वारा कियान्विति कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में उक्त अवधि के दौरान कौन–कौन से गांवों को पाईप लाईन से जोड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में वर्ष 1996–97 में कितने गांवों को पेयजल से जोड़ने का लक्ष्य ने निर्धारित किया गया है ? इस वर्ष पेयजल से जोड़े जाने वाले गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन्दर्भित विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1994–95 व 95–96 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति तथा कियान्विति का वांछित विवरण परिशिष्ट–"क" एवं "ख" में संलग्न है ।

(2) सन्दर्भित विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 94–95 व 95–96 में पाइप लाईन से जोड़े गये ग्रामों की वांछित सूची परिशिष्ट–"ग" पर संलग्न है ।

(3) क्षेत्र के सभी ग्राम पेयजल योजनाओं से पूर्व में ही लाभान्वित हैं । परिशिष्ट–"क" में जो योजनाएं प्रगति में है उन योजनाओं को 1997 में पूर्ण किये जाना लक्षित है ।

(विवरण व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मीना गैस एजेन्सी, कोटपूतली (जयपुर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

252. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मीना गैस एजेन्सी कोटपूतली के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें विभाग एवं सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो दो वर्षों में कौन–कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या–क्या कार्यवाही की गयी ? शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिकायतों की जांच करवाकर उक्त गैस एजेन्सी के लाइसेंस को निलम्बन/रद्द करने की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री रामचन्द्र रावत)

सरकार कब तक उक्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि मीना गैस एजेन्सी कोटपूतली के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई । गत दो वर्षों में चार शिकायतें प्राप्त हुई । शिकायतें सही पाये जाने पर मीना गैस एजेन्सी के विरुद्ध दिनांक 22.3.94 को थाना कोटपूतली में प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 121/94 दर्ज हुई है । पुलिस द्वारा जांच कर चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है । शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) अभी तक गैस एजेन्सी का लाईसेंस निलम्बन नहीं किया गया है । इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस द्वारा अनुसंधान कर संबंधित न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया है । न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसी के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी ।

(शिकायतों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हरिश्चन्द्र सागर परियोजना पर बांध का निर्माण

253. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हरिश्चन्द्र सागर परियोजना का निर्माण कब करवाया गया था तथा उस समय इस सिंचाई परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या थी तथा वर्तमान में कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सिंचाई क्षमता को कम करने के पीछे विभाग के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि टेल क्षेत्र में ग्राम अतरालिया के पास जहां मुख्य नहर समाप्त होती है वहां नहर की खुदाई तो पूर्ण हो गई है मगर सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण इस क्षेत्र को कमाण्ड में से निकाल दिया गया है ?

(4) क्या हरिश्चन्द्र सागर परियोजना पर बांध बना कर पानी संग्रहित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो कालीसिंध नदी के व्यर्थ बहने वाले पानी को क्यों नहीं रोका जा रहा है ?

उत्तर

(1) हरिश्चन्द्र सागर परियोजना का निर्माण 1956 में करवाया गया । उस समय इस परियोजना की डिजाइन के अनुसार सिंचाई क्षमता 31,085 एकड़ थी । वर्ष 1995–96 में इस परियोजना से 14,120 एकड़ रकबे में सिंचाई हुई ।

(2) नदी में वर्षाकाल समाप्ति के पश्चात् डेढ़ से दो माह तक ही नहरें चलने लायक जल उपलब्ध रहता है । सिंचाई की मॉग की पूर्ति हेतु पर्याप्त जल मात्रा का वांछित समय तक उपलब्ध नहीं होने के कारण सिंचाई क्षमता कम करनी पड़ी । हरिश्चन्द्र सागर पिकअप वीयर पर वर्षा ऋतु के पश्चात् नदी में ऊपर से बहकर आने वाले पानी की मात्रा कालान्तर में लगातार कम होने के कारण इस परियोजना

(सिंचाई मंत्री)

की वास्तविक सिंचाई क्षमता कम हो गई है ।

(3) अतरालिया ग्राम हरिश्चन्द्र सागर की मुख्य नहर से निकलने वाली रोलाना डिस्ट्रीब्यूटरी की चैन 340 (टेल) से भी नीचे की ओर स्थित है जब कि रोलाना डिस्ट्रीब्यूटरी चेन 150 तक ही बनाई गई है । इसी प्रकार टेल क्षेत्र की घाना हैडा नहर चैन 867 (टेल) तक न खुदवा कर चैन 590 तक ही बनवाई है एवं रामपुरा नहर चैन 340 (टेल) तक न खुदवा कर चैन 150 तक ही बनवाई है। जहां नहर नहीं खुदवाई उस क्षेत्र को पर्याप्त पानी के अभाव में कमाण्ड में नहीं लिया गया ।

(4) हरिश्चन्द्र सागर पिक अप वीयर स्थल बांध बनाने हेतु उपयुक्त नहीं है। हरिश्चन्द्र सागर पिक अप वीयर से करीब 25 किलोमीटर ऊपर कालीसिंध नदी पर भंवरासी ग्राम के निकट बांध बनाकर इस की नदी का पानी रोकने की योजना विचाराधीन है ।

राज्य में अकाल राहत कार्य

254. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) सरकार द्वारा इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किन–किन कार्यों को प्राथमिकता दी गई है ?

(2) क्या ऐसी प्राथमिकता के संबंध में सभी कार्यों के आदेश सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार है ? यदि हां, तो सरकार उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–"अ")

(2) जी हां ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संवत् 2052 में स्वीकृत किये जाने वाले कार्य

(क) बाढ़ या अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त तालाबों/नहरों का पुनर्निमाण

(ख) अधूरे/टूटे एनीकटों व तालाबों का पुननिर्माण

(ग) गत वर्षों के अकाल राहत के अधूरे सार्वजनिक निर्माण कार्य

(घ) जानवरों के पीने के पानी के लिए नाड़ियों व बरसात के पानी को रोकने के लिये जोहड़ आदि का निर्माण

(च) पेयजल के सार्वजनिक कुओं को गहरा करवाना, मरम्मत करवाना, खेली बनवाना । जिन गांवों में सार्वजनिक पेयजल कूप नहीं हों वहां सार्वजनिक पेयजल कूप निर्माण कार्य बशर्ते कि उसके पूरे होने से अकाल की अवधि के दौरान ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध हो सके ।

(छ) राजकीय स्कूल भवन, पशु चिकित्सालय, आयुर्वेदिक औषधालय, चिकित्सालय, सब सेण्टर आदि के भवनों का निर्माण व भवन रहित पंचायतों में पंचायत घरों का निर्माण ।

(ज) शाला भवनों की चार दीवारी व गिरदावर व पटवार घर, ग्राम सेवक क्वार्टर, चिकित्सा कर्मियों, शिक्षकों के क्वार्टर बशर्ते कि इससे इन कर्मियों के उनके मुख्यालय पर टिकने की पूरी सम्भावना हो ।

(झ) सड़कों के निर्माण में निम्न प्राथमिकता रखी जानी चाहिए :–

(1) 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 की आबादी के गांव या पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली डब्लू.बी.एम. सड़क ।

(2) 1991 की 1000 की आबादी या पंचायत समिति की पूर्व में निर्मित सड़के ग्रेवल हो तो उनका डब्लू.बी.एम. तक अप्रेग्रेडेशन, लिंक पुलिया/रपट, इन सड़कों पर सी.डी. वर्क्स व कच्चा विलेज ट्रेक पर सी.डी. वर्क

(3) जिन पंचायत समितियों में इस प्रकार की सभी सड़कें बनी हुई हैं वहां 1991 की जनगणना के आधार पर 750 आबादी के गांवों को जोड़ने वाली सड़कें ।

(य) पुलिस स्टेशन/चौकियों का निर्माण।

(र) सहकारी संस्थाओं के गोदामों का निर्माण यदि सहकारी समितियां सामग्री हेतु 30 प्रतिशत की राशि जमा करा दें । श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 ही रखा जाए ।

(ल) ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति व आबादी को सम्भावित बाढ़ से बचाव के कार्य ।

(व) वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण व वन्य जीव प्रतिपालन वन विभाग से संबंधित ।

जिला बूंदी के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन

255. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उपस्वास्थ्य केन्द्र तिसाया (बारां) जावरा, खजूरी तथा नाहर गंज (बूंदी) के भवन निर्माण के लिये स्वीकृतियां जारी की गई हैं ? यदि हां, तो किस तारीख को ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त उपस्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक पूर्ण करवा लिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां

उप स्वास्थ्य केन्द्र	स्वीकृति तिथि
तिसाया (बारां)	11–8–92
जावरा (बूंदी)	22–12–90
खजूरी (बूंदी)	16–2–96
नाहरगंज (बूंदी)	22–11–95

प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । तिसाया (बारां) उपकेन्द्र का कार्य सा. निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है । अब गत वर्ष जुलाई 95 से भूमि उपलब्ध करा दी गई है, निर्माण कार्य प्रगति पर है । शीघ्र पूर्ण करवा लिया जायेगा । उप स्वास्थ्य केन्द्र जावरा (बून्दी) का भवन का निर्माण कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बूंदी द्वारा कराया जा रहा है कार्य प्रगति पर है । उप स्वास्थ्य केन्द्र खजूरी (बूंदी) के भवन का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है । उप स्वास्थ्य केन्द्र नाहरगंज (बूंदी) के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नीमकाथाना (सीकर) की कृषि भूमि पर अतिक्रमण

256. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नीम का थाना (सीकर) क्षेत्र के पाटन इलाके के ग्राम रामपुरा (बेगा की नांगल) बल्लुपुरा ग्रामों में स्थित खानों का मलवा वहां के किसानों की कृषि योग्य भूमि पर जबरन डालकर उन्हें भूमि से बेदखल किया जा रहा है ?

(2) क्या खान मालिकों ने सम्बन्धित कृषकों को कोई मुआवजा दिया है ? यदि हॉ, तो कितना एवं किस दर से ? यदि नहीं, तो खान मालिकों ने कृषि भूमि पर मलवा किस हैसियत स डाला ?

(3) क्या सरकार खान मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही कर कृषकों को राहत दिलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं किसानों की कृषि योग्य भूमि से बेदखल नहीं किया जा रहा है । पूर्व में खान से लगी कुछ खातेदारी भूमि में अल्प

(खनिज मंत्री)

मात्रा में मलबा अवश्य डाला गया था, जो पट्टा–धारियों द्वारा हटा लिया गया है ।

(2) कृषकों को नियमानुसार मुआवजा देने की जानकारी विभाग को नहीं है । विभाग द्वारा मै. ओरियन्टल टाल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि. को खान का मलबा कृषि भूमि में डालने के सम्बन्ध में दिये गये नोटिस के उत्तर में अवगत कराया गया है किउन्होंने मलबा खातेदार की सहमति से एवं उन्हें कुछ राशि देकर डाला था । पट्टाधारियों द्वारा ऐसे डाले हुए मलबे को पुनः हटा लिया गया है ।

(3) वर्तमान में खान मालिकों द्वारा मलबा कृषि भूमि में नहीं डाला जा रहा है । यदि कृषि भूमि में मलवा डाला गया तो नियमानुसर कार्यवाही की जावेगी ।

जिला नागौर एवं जोधपुर की सड़कों का डामरीकरण

257. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार की सड़क निर्माण की क्या नीति है ?

(2) जोधपुर एवं नागौर जिले में सड़क नीति के अन्तर्गत कौन–कौन सी ऐसी सड़कें है जिनका निर्माण नीति के अन्तर्गत हो रहा है किन्तु जिनकी स्वीकृति जारी नहीं हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ने 1971 में जिन ग्रामों की आबादी एक हजार थी उन्हें वर्ष 1996 तक डामर से जोड़ने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या जोधपुर एवं नागौर जिले में उपरोक्त सड़कों को निर्धारित अवधि में डामर से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की सड़क नीति के अनुसार 1971 की जनगणना के 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को डामर सड़क से तथा पंचायत मुख्यालयों को कम से कम ग्रेवल सड़क से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जोड़ने की नीति है ।

नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1991 की जनगणना पर आधारित 1000 से अधिक की जनसंख्या के सभी गांवों की एवं सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजनाधन तथा रोजगारोन्मुखी योजनाओं में उपलब्ध धन से संबंधित रूप से उपयोग में लाना प्रस्तावित किया गया है ।

(2) ऐसी कोई सड़क नहीं है, अतः सूची सदन की पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं । राज्य की सड़क नीति के अनुसार 1971 की जनगणना पर आधारित एक हजार से अधिक की आबादी वाले गॉवों को डामर की सड़क से मार्च, 1997 तक जोड़ना प्रस्तावित है ।

तहसील खैरवाड़ा (उदयपुर) के छात्रावासों में व्यवस्थापकों के रिक्त पद

258. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री दयाराम परमार)

(1) क्या यह सही है कि छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की देख–रेख के लिए व्यवस्थापक आवश्यक है ? यदि हां, तो जहां व्यवस्थापक नहीं है उन छात्रावासों में छात्रों की देख–रेख कौन करता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के छात्रावासों में व्यवस्थापकों के कुछ पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ? उन्हें अब कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि छात्रावासों में रहने वाले नये छात्र/छात्राओं की व्यवस्था की देख–रेख छात्रावास अधीक्षक द्वारा की जाती है । जहां समाज कल्याण विभाग के छात्रावास अधीक्षक नहीं है उन स्थानों पर व्यवस्थापक के रूप में शिक्षा विभाग के अध्यापक/अध्यापिकाओं को अतिरिक्त चार्ज के रूप में छात्रावास संचालन का कार्य सौंप रखा है ।

(2) हां, खैरवाड़ा तहसील में कन्या छात्रावास अधीक्षकों के दो पद एवं बालक छात्रावास अधीक्षकों के चार पद, कुल छः पद रिक्त हैं । रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न संख्या 259
स्थगित

जिला जोधपुर के चयनित क्षेत्रों में गेहूं का वितरण

260. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में आबंटित चयनित क्षेत्रों के गेहूं को सामान्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1993 से 1996 की अवधि में कितना गेहूं किसकी अनुमति से इस प्रकार वितरित किया गया ? क्या यह भी सही है कि चयनित क्षेत्रों के एवं सामान्य क्षेत्रों के लिए आवंटित गेहूं की दर में बहुत अन्तर है ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में कार्यरत कुछ उचित मूल्य की दुकानें जो सहकारी बाजार से गेहूं प्राप्त कर रही थी और लगातार वितरण कर रही थीं को अकारण जोधपुर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी को स्थानान्तरित कर दिया गया है ? जबकि मार्केटिंग सोसायटी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में (चयनित) दुकानदारों को ही गेहूं प्रदान करती है, तो फिर जोधपुर शहर की दुकानें इसे क्यों स्थानान्तरित की गई ?

(3) क्या सम्बन्धित क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा मार्केटिंग सोसायटी द्वारा उठाये गये गेहूं के विवरण के सत्यापन की जांच समय–समय पर की गई है ? यदि हॉ, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । चयनित क्षेत्रों एवं सामान्य क्षेत्रों के लिये गेहूं का अलग से आबंटन नहीं किया जाता है । चयनित क्षेत्र एवं सामन्य क्षेत्र में गेहूं की दर में 60 पैसे प्रति किलो का अन्तर है ।

(2) जी हॉ । सहकारी बाजार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नियमित सप्लाई नहीं मिल पाती थी । जिससे वितरण

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

व्यवस्था में काफी कठिनाई उत्पन्न होती थी। जिसे जनहित में कुछ उचित मूल्य की दुकानों को जोधपुर को–आपरेटिव–मार्केटिंग सोसायटी से गेहूं उठाने के लिए अधिकृत किया गया। इससे पहले भी जोधपुर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., जोधपुर शहरी क्षेत्र की दुकानों के लिये वितरण का कार्य करती थी ।

(3) जी हां । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गुड़गांव नहर परियोजना से डीग की भूमि की सिंचाई

261. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गुड़गांव नहर परियोजना से तहसील डीग की कितने हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है तथा परियोजना के पूर्ण होने पर कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ?

(2) अब तक किन–किन नहरों (मुख्य नहर, माइनर एवं वितरिकाएं) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं परियोजना पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा अभी और कितनी राशि व्यय होने की संभावना है ?

(3) इस परियोजना पर गत तीन वर्षों में नहर निर्माण व मरम्मत पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(4) क्या इस परियोजना के बारे में कोई अन्तर्राज्यीय समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? क्या समझौते के अनुरूप गुड़गांव परियोजना को अपने हिस्से का पानी मिल रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि शार्ट सप्लाई की स्थिति में हरियाणा क्लिनर नहर जिसका निर्माण राजस्थान के धन से हुआ है, से अवैध तरीकों से पानी लेता है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) गुड़गांव नहर परियोजना से तहसील डीग में पिछले दस वर्षों में वर्ष 92–93 में मात्रा 252 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हुई है । परियोजना के पूर्ण होने पर 22,932 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ।

(2) अब तक मुख्य नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा डीग क्षेत्र में 2 वितरिकाएं व 18 माइनरें है जिनमें से दो वितरिकाओं और 12 माइनरों का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष 6 माइनरों का कार्य पानी न मिलने के कारण स्थगित किया हुआ है । परियोजना पर वर्ष 1995–96 तक 2256.74 लाख रुपये राशि व्यय हो चुकी है और शेष कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए 1283.26 लाख रुपये की राशि व्यय होने की सम्भावना है ।

(3) इस परियोजना पर गत तीन वर्षों में नहर निर्माण व मरम्मत पर जो राशि व्यय हुई उसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

(सिंचाई मंत्री)

1.	वर्ष 1993–94	65.02 लाख रु.
2.	वर्ष 1994–95	78.56 लाख रु.
3.	वर्ष 1995–96	81.95 लाख रु.

(4) जी हां । दिनांक 12 मई, 1994 को 5 राज्यों के मध्य यमुना जल बंटवारे हेतु समझौता हुआ है । जिसके अन्तर्गत राजस्थान को 1.119 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा । यमुना जल उपयोग हेतु गुड़गांव कैनाल में 500 क्यूसेक्स, भरतपुर फीडर में 300 क्यूसेक्स तथा डीग एस्केप में 40 क्यूसेक्स की क्षमता है । समझौते के अनुरूप उपयोग हेतु आई.डी.आर. द्वारा एक वृहद योजना तैयार की जा रही है । अभी तक समझौते के अनुरूप गुड़गांव नहर परियोजना भरतपुर फीडर व डीग एस्केप में पानी प्राप्त नहीं हो रहा है । राजस्थान सरकार द्वारा अपने हिस्से के पानी को प्राप्त करने हेतु अपर यमुना बोर्ड की बैठकों में प्रयास किये जा रहे हैं ।

(5) जी हां । इस सम्बन्ध में हरियाणा राज्य के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श के अलावा अन्तर्राज्यीय मामलों पर आयोजित बैठकों में इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है, अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है ।

अजमेर एवं भीलवाड़ा जिलों के अकाल राहत कार्य

262. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले में पंचायतों के अन्तर्गत चलने वाले अकाल राहत कार्यों को पंचायतों से हटाकर अन्य समितियों के माध्यम से करवाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो कहां–कहां किन कारणों तथा किस राज्यादेश/नीति एवं नियम के अन्तर्गत ? विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायतों के विरुद्ध अकाल राहत कार्योa के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो दोनों जिलों से प्राप्त शिकायतों तथा जांच की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा एक आदेश कमांक एफ. 1 (2) (15) स. आ. सामान्य ग्रुप–1/95/11626–710 दिनांक 6 मई, 1996 जारी करने से पहले उक्त समितियों का गठन कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग 4 में वर्णित आदेश में समिति के गठन का प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो क्या पंचायतों द्वारा ही कार्य करवाये जाने के निर्देश थे ?

उत्तर

(1) जी हां । कुछ पंचायतों द्वारा कराए जा रहे कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कमेटियों का गठन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया गया था । कमेटी गठित की गई पंचायतों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम जिला	नाम पं.सं.	नाम पंचायत
1.	भीलवाड़ा	1. शाहपुरा	डाबला चांदा
		2. जहाजपुर	गन्धेर
2.	अजमेर	1. श्रीनगर	श्रीनगर

(राज्य मंत्री, अकाल सहायता)

2. अराई	भगवानपुरा अराई लाम्बा ढसुक खीरिंया

(2) जी हां । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) जी हां । जनहित में कमेटियों का गठन किया गया था ।

(4) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु जिला कलेक्टर सक्षम है जिसके अनुसरण में जिला कलेक्टरों द्वारा कार्यवाही की गई ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला टौंक का आंख फोड़ काण्ड

263. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)

एवं श्री बनवारीलाल मिण्डा (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है हाल ही में टौंक जिले में पिपलु थानान्तर्गत गांव भुरावली तथा टोडारायसिंह थाना के अन्तर्गत गांव अलिपारी में आंख फोड़ काण्ड की घटनाएं घटित हुई हैं ? यदि हां, तो क्या फर्जी चिकित्सकों को पकड़ा जा चुका है ?

(2) जिन लोगों की आंखें चली गई उन व्यक्तियों को सरकार द्वारा क्या सहायता उपलब्ध कराई गई ?

(3) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो इस हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(4) उक्त घटनाओं को रोकने में कोताही बरतने वाले अधिकरियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि टौंक जिले के पिपलु थानान्तर्गत ग्राम भूरावली एवं टोडारायसिंह थाना अन्तर्गत ग्राम अलीपारी आंख फोड़ कांड की घटना घटित हुई है तथा फर्जी चिकित्सक श्री मो. इस्माइल उर्फ मझू एवं दूसरा महमूद अली पुत्र श्री मो. इस्माईल नि. नला नीलगरान रामगंज जयपुर दिनांक 3.6.96 को गिरफ्तार किये जा चुके हैं ।

(2) ग्राम अलीपारी में हजारी पुत्र मांगी, लक्ष्मीनारायण पुत्र घासी दरोगा, राधा पत्नी हरनाथ तथा ग्राम भूरावली में सिंगारी पत्नी सुवा, दाखा पत्नी नानगा, नाथी पत्नी गोपी उपरोक्त व्यक्तियों की नीम हकीमों द्वारा आपरेशन किये जाने के कारण आंखों की ज्योति चली गई थी । उन्हें दिंनाक 21.5.96 से 26.5.96 तक सआदत अस्पताल टौंक में भर्ती कर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एवं भोजन सुविधा उपलब्ध कराई गई एवं दिनांक 27.5.96 को एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में इलाज हेतु सरकारी वाहम द्वारा ले जाकर भर्ती कराया गया । जयपुर में भी विशेषज्ञों द्वारा सफल आपरेशन किये गये एवं इनकी आंखें की ज्योति वापस आ चुकी है । जयपुर

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

में भी इनका निःशुल्क इलाज एवं खाने पीने की व्यवस्था की गई ।

(3) टौंक जिले में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो, इसके लिये गांव–गांव में जाकर भ्रमणशील दलों द्वारा नीम हकीमों से आपरेशन नहीं कराने हेतु जानकारी दी गई एवं जिला प्रशासन द्वारा अपील के रूप में पम्पलेट छपवाकर जिले में वितरित किये गये। इस हेतु नीम हकीमों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु एक अधिनियम बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है ।

(4) जिले के चिकित्सा विभाग द्वारा ही उक्त कांड से पीड़ित मरीजों का पता लगाया गया । बिना विलम्ब के नेत्र विशेषज्ञों की टीम भिजवाकर सभी प्रकार क इलाज हेतु समुचित व्यवस्था की गई । इसमें किसी भी अधिकारी द्वारा कोताही नहीं बरतने के कारण कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

भीलवाड़ा नगर के थानों में पंजीबद्ध प्रकरण

264. श्री कालूनलाल गूजर (मांडल)

एवं श्री रामरिछपाल बुनाल (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भीलवाड़ा नगर में चोरी के मामले अधिकाधिक दर्ज हो रहे हैं ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में प्रति वर्ष कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनमें से कितने मामलों में बरामदगी हुई है और कितनों में अदम बरामदगी व अदम जानकारी के अन्तिम रिपोर्ट दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्र में अपराध बढ़ने के क्या कारण रहे और सरकार इसके समाधान हेतु क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चोरी के प्रकरणों में सामान्य वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 से 1995 तक भीलवाड़ा नगर में हुई चोरी के अपराधों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) भीलवाड़ा में औद्योगिक विकास बढ़ने से बाहर के श्रमिक एवं अन्य व्यक्ति अधिक संख्या में आते हैं, जिनमें कुछ आपराधिक प्रवृति के होने से अपराध कर लेते है । इन अपराधों की रोकथाम हेतु शहर में गश्त व नाकाबन्दी बढ़ाई है । ज्ञात बदमाशान पर निरन्तर निगरानी जारी है । अन्य क्षेत्रों से आये व्यक्तियों की जांच उनके निवास स्थानों से कराई जा रही है । इसके अतिरिक्त शहर में अधिक सुदृढ़ पुलिस प्रशासन हेतु पुलिस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत एक नया थाना तथा दो नयी पुलिस चौकियां बनाया जाना विचाराधीन है ।

पिछले 5 वर्षों में भीलवाड़ा शहर में चोरी के दर्ज मुकदमात का विवरण

क.सं.	वर्ष	वर्ष में चोरी के दर्ज अभियोग	अदमवकू	अदमपता	चालान	चोरी गई सम्पत्ति	बरामदगी की गई सम्पत्ति
1.	1991	308	23	207	78	2212307/–	1215928/–
2.	1992	233	20	129	84	2763435/–	1396294/–
3.	1993	283	12	169	102	3269946/–	1292565/–
4.	1994	351	30	198	123	3726817/–	1996180/–
5.	1995	351	23	210	118	4476581/–	2672777/–

जिला नागौर की सड़कों का डामरीकरण

265. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर के ग्राम तरनाऊ से ढेरी तक सड़क का गत तीन वर्षों से डामरीकरण लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिला नागौर के ग्राम रोल से रातंगा वाया गोठ–मांगलोद जाने वाली सड़क पर प्रतिदिन चित्तौड़गढ़ व निम्बाहेड़ा के लिए काफी संख्या में वाहन चलते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के छः कि.मी. सड़क मार्ग का डामरीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिले के 101 कि.मी. से अड़बड़ तक 9 कि.मी. सड़क मार्ग के डामरीकरण की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि नहीं, तो सरकार इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । तरनाऊ से डेहरी तक वर्तमान में एक लेयर मैटल की सड़क बनी हुई है तथा इसका डामरीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों तथा प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है ।

(2) जी नहीं । रोल–रातंगा–मांगलोद सड़क पर करीब 20 ट्रक तथा 4 बसे प्रतिदिन गुजरती है ग्राम रोल और रातंगा को पहले से डामर की सम्पर्क सड़क विद्यमान है । रोल से रातंगा सड़क का निर्माण सड़क नीति के अन्तर्गत प्राथमिकताओं में नहीं आता अतः उक्त सड़क का डामरीकरण वर्तमान में संभव नहीं है ।

(3) जी नहीं । राज्य की सड़क नीति के अनुरूप अड़बड़ पहले से ही डामर की सड़क से जुड़ा हुआ है । अतः प्रस्तावित सड़क का निर्माण सड़क नीति के अन्तर्गत प्राथमिकता में नहीं आने के कारण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम राश्मी (चित्तौड़गढ़) का छात्रावास भवन

266. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम राश्मी में अनुसूचित जाति का छात्रावास संचालित है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ?

(2) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त छात्रावास हेतु भवन निर्माण पुरानी तहसील की भूमि पर कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

बिजौलिया (भीलवाड़ा) की पेयजल योजना

267. श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ के बिजौलिया कस्बे में गर्मी में पेयजल की किल्लत के कारण टेंकरों द्वारा पेयजल मुहैया कराया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के विषम पेयजल संकट के निवारण के लिए सरकार ने एक करोड़ 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है ?

(3) यदि हां, तो यह राशि कब स्वीकृत की गई तथा इस योजना में अब तक क्या प्रगति हुई ? क्या उक्त योजना पर कार्य चालू हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) बिजौलिया की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन निवारण हेतु 143.98 लाख रुपये की पुनर्गठित योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(3) योजना की स्वीकृति 10 जनवरी, 1996 को की गयी । तकनीकी स्वीकृति अभी की जानी है जिसके पश्चात् योजना पर कार्य प्रारंभ हो सकेगा ।

अमरपुरा (डूंगरपुर) सिंचाई परियोजना

268. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार डूंगरपुर की अमरपुरा सिंचाई परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? परियोजना का प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां । परियोजना का तखमीना पूर्व में बनाया जा चुका है । अब इसकी लागत की गणना नई बी.एस.आर. 1996 के आधार पर करवाई जाकर इसकी लाभ लागत के अनुपात की गणना की जानी शेष है । लाभ लागत अनुपात निर्धारित सीमा में होने, निर्धारित तकनीकी मानदण्डों के अनुसार स्वीकृति योग्य होने एवं वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर इसका कार्य प्रारम्भ करवाया जाना सम्भव होगा ।

जिला भीलवाड़ा के अकाल राहत कार्य

269. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में स्वीकृत राहत कार्य विभिन्न एजेन्सियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 में कुल कितने कार्य कुल कितनी राशि के स्वीकृत हुए हैं ?

(श्री रामपाल उपाध्याय)

विवरण श्रमिक संख्या एवं मासिक वृद्धि सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) कुल स्वीकृत राशि में से कितने प्रतिशत राशि 31 मई, 1996 तक व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सहाड़ा, रायपुर तहसीलों में भी राहत कार्य स्वीकृत हुए हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी–कितनी राशि के ? इन पर 31 मई, 1996 तक स्वीकृत राशि का कितना प्रतिशत खर्च हो चुका है ? एजेन्सी–वाईज विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या स्वीकृत राशि की तुलना में श्रमिकों की कमी से 90 प्रतिशत कार्य पूरे नहीं हो पाये ? यदि हां, तो ऐसे कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 में 3263 कार्य 4921.87 लाख रुपये की राशि के स्वीकृत हुए हैं । श्रमिक संख्या एवं वृद्धि सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–"क")

(2) 31 मई, 96 तक लगभग 45 प्रतिशत राशि राहत कार्यों पर खर्च हो पाई है ।

(3) जी हां । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–"क")

(4) जी नहीं । जिले को आबंटित श्रमिक सीमा से कम श्रमिक ही (मई के अलावा) राहत कार्यों पर आये थे ।

श्रमिक संख्या एवं कार्यरत श्रमिकों का विवरण

क.सं.	नाम माह	श्रमिक संख्या	कार्यरत श्रमिक संख्या
1.	जनवरी, 1996	6000	5931
2.	फरवरी, 1996	12000	11950
3.	मार्च, 1996	20000	19556
4.	अप्रेल, 1996	35000	33900
5.	मई, 1996	40000	42388
6.	जून, 1996	60000	59205
7.	जुलाई, 1996	30000	30000

अभिकरणवार किया गया व्यय

क.सं.	नाम अभिकरण	पं.स. सहाड़ा			प.स. रायपुर		
		कुल राशि (लाखों में)	31.5.96 तक व्यय	प्रतिशत	कुल राशि (लाखों में)	31.5.96 तक व्यय	प्रतिशत
1.	पं.स. सहाड़ा व रायपुर	332.00	110.00	33	212.57	57.66	30
2.	सा.नि. विभाग	105.12	8.43	8	43.95	3.59	8
3.	सिंचाई विभाग	31.50	5.40	17	9.00	3.60	40

जिला भरतपुर में खाद्य पदार्थोa की जांच

270. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भरतपुर जिले में खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच हेतु विभाग के निरीक्षकों ने खाद्य पदार्थों के जांच हेतु दिनांक 1–4–1995 से 31–3–1996 की अवधि में कोई नमूने लिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितने, कब और किस वस्तु के ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त नमूनों की जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 1.4.1995 से 31.3.1996 की अवधि में भरतपुर जिले में खाद्य निरीक्षकों द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थोa के 362 नमूने जांच हेतु लिये गये । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) उक्त नमूने की जांच के बाद खाद्य पदार्थोa के 49 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए । इनमें से 44 सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मोa के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा 44 मामले न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं । शेष 5 मामले न्यायालय में पेश किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला टोंक के थानों में पंजीबद्ध प्रकरण

271. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में टोंक जिले में कितने मामले कत्ल, डकैती, बलात्कार के किस–किस थाने में कब–कब दर्ज हुये ?

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

(2) उपरोक्त अपराधों में से किस–किस मामले में कौन–कौन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा कितने अभियुक्त गिरफ्तार होने शेष हैं ?

(3) क्या ऐसे भी कोई मुकदमे हैं जिसमें अभियुक्त नामजद नहीं हो पाये ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दिनांक 1.4.94 से 31.3.96 तक गत तीन वर्षो में टोंक जिले के विभिन्न थानों में कत्ल के 47, चोरी के 509, डकैती के 2 एवं बलात्कार के 52 मुकदमें दर्ज हुए हैं । विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न हैं ।

(2) सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है ।

(3) जी हॉ । वर्ष 1994 में 83, वर्ष 1995 में 161 एवं वर्ष 1996 में 47 मुकदमों में मुल्जिमान का पता नहीं चलने से नामजद नहीं किये जा सके ।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सवाई माधोपुर में सड़कों का निर्माण

272. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1995–96 में कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं कितनी का काम अधूरा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितनी सड़कें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार अधूरी सड़कों को पूरा करने में प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो इन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(4) क्या नादौती तहसील के ग्राम कैमला से पिलौदा के लिए सड़क निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सड़क निर्माण का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

(5) क्या उक्त जिले में सड़क निर्माण के कार्य में घोटाले होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या सरकार मेंहदीपुर बालाजी बाई पास बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1995–96 में कुल 380 सड़कों के कार्य स्वीकृत है जिनमें से 99 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 281 सड़क कार्य प्रगति पर हैं । सूची संलग्न है । विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 36 सड़क कार्य विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत है जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" में अंकित है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां । अधूरी सड़कों को पूर्ण करने का संभावित समय परिशिष्ट "अ" में अंकित है ।

(4) जी नहीं ।

(5) सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर तत्काल उचित कार्यवाही की जाती रही है ।

(6) वर्तमान में मेंहन्दीपुर बालाजी में बाईपास बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रख गया)

नवोदय समाज कल्याण समिति, अलवर

273. **श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नवोदय समाज कल्याण समिति, अलवर को विभाग द्वारा इस वर्ष किस–किस प्रकार की गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया तथा उक्त संस्था को अधिकृत किये जाने के समय से अब तक किस–किस कार्य के लिए कितनी–कितनी राशि उपलब्ध करवायी गयी ? उक्त संस्था के पदाधिकारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था द्वारा छात्राओं को ब्लैकमेल किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रकरण सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नवोदय समाज कल्याण विकास समिति, अलवर को विभाग द्वारा किसी भी गतिविधि को संचालित किये जाने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है, और न ही किसी प्रकार की अनुदान उपलब्ध कराई गई है। संस्था के पदाधिकारियों के नाम परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं ।

(2) जी नहीं । उक्त संस्था द्वारा छात्राओं को ब्लैकमेल किये जाने संबंधी कोई प्रकरण लिखितरूप में विभाग के ध्यान में नहीं आया है ।

नवोदय समाज कल्याण विभाग समिति

नवोदय समाज कल्याण विकास समिति की बैठक दिनांक 7.6.95 को सम्पन्न हुई । जिसमें नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई । नव निर्वाचित नवीन कार्यकारिणी इस प्रकार है ।

	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	सुश्री रचना गुप्ता	पुत्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता	अध्यक्ष	211, स्कीम नं. 10, अलवर	समाज सेविका
2.	श्रीमती सुमन जैमन	पत्नी श्री सुबोध जैमन	उपाध्यक्ष	3, मनुमार्ग, अलवर	समाज सेविका
3.	श्रीमती गोमती शर्मा	पत्नी श्री देवदत्त शर्मा	सचिव	38, आर्य नगर, अलवर	समाज सेविका
4.	श्रीमती मोहिनी खन्ना	पत्नी श्री रोशन लाल	कोषाध्यक्ष	468, स्कीम नं. 2, अलवर	समाज सेविका
5.	श्रीमती शशी राजपूत	पत्नी श्री महेन्द्र कुमार	सदस्या	प्रताप स्टूडियो, मालाखेड़ा रोड, अलवर	गृहिणी
6.	श्रीमती सुनीता खंडेलवाल	पत्नी श्री ओ.पी. खंडेलवाल	सदस्या	9, एम.जी. मार्केट, रोड नं. 2, अलवर	गृहिणी
7.	श्रीमती नमीता अग्रवाल	पुत्री श्री राधेश्याम	सदस्या	267, स्कीम नं. 2, अलवर	गृहिणी

नगरपालिका मंडल लालसोट की बैठकें

274. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मंडल की एक माह में एक बार बैठक बुलाने का नियमों में प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि कई नगरपालिका अध्यक्ष नियमित रूप से मंडल की बैठक आयोजित नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अध्यक्षों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका लालसोट की पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नगरपालिका मंडल की बैठक एक माह में एक बार नियमित रूप से बुलाई जायेगी ? यदि हां, तो उक्त निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय के बाद भी नगरपालिका मंडल, लालसोट की नियमित रूप से बैठकें नहीं बुलाई गई हैं ? यदि हां, तो अगस्त 1995 के बाद कब–कब उक्त नगरपालिका मंडल की बैठकें आयोजित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । विभाग की जानकारी में आने के बाद ऐसें अध्यक्षों को बैठक आयोजित करने की हिदायत राज्य सरकार द्वारा दी जाती है । पालना न करने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है इस हेतु विधि विभाग से राय प्राप्त कर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । वर्तमान मंडल की किसी भी बैठक में मंडल की बैठक एक माह में एक बार बुलाने का निर्णय नहीं लिया गया है । अगस्त 1995 के बाद मंडल की बैठकें क्रमशः 26.9.95, 8.11.95, 15.1.96 व 21.3.96 को आयोजित की गई हैं ।

चाकल परियोजना (बूंदी)

275. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत बाबई के पास नदी पर चाकल परियोजना पर बांध बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त परियोजना को स्वीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं व कब तक इस योजना की स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हॉं, बूंदी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत बाबई के पास चाकल नदी पर चाकल सिंचाई परियोजना के नाम से बांध बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं ।

(2) राज्य सरकार द्वारा चाकल सिंचाई परियोजना का संशोधित तखमीना 2/91 में

(सिंचाई मंत्री)

वर्ष 1991 के मूल्यों के स्तर (प्राइस लेवल) पर 798 लाख रुपये का तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसकी केन्द्रीय जल आयोग के निदेशालय द्वारा जांच की गई एवं तत्पश्चात् वर्ष 1992–93 के प्राइस लेवल पर 955.32 लाख रुपये का संशोधित तखमीना अन्तिम रूप से 8/95 में केन्द्र सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक में स्वीकृति हेतु दिनांक 25.8.95 को रखा गया जिसे उक्त समिति ने स्वीकृति योग्य पाया गया । केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के प्रयास भी लगभग 4 वर्षों से जारी हैं । इस स्वीकृति के पश्चात् राज्य सरकार के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर योजना आयोग से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होगी ।

सीकर में राजकीय महिला चिकित्सालय की स्थापना

276. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर में 100 बैड का राजकीय महिला चिकित्सालय स्वीकृत किया गया था ? यदि हॉं, तो कब ?

(2) उक्त चिकित्सालय हेतु किन दानदाताओं ने भूमि उपलब्ध करवाई व किन शर्तों पर ? दानदाताओं द्वारा भवन कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ? किन किन दानदाताओं ने कितना कितना दान दिया? विवराण सदन की मेज पर रखें।

(3) यह महिला चिकित्सालय कब शुरू होने जा रहा है एवं इसमें स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कितने पद किस–किस के स्वीकृत किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 22.9.88 को महिला चिकित्सालय, सीकर की स्वीकृति जारी की गई ।

(2) राज्य सरकार ने राजकीय श्रीमती अयोध्या कुमारी मातृ सदन, सीकर के जीर्ण भवन जो श्री सागरमल सोमानी ने भूतपूर्व राजा श्री कल्याण सिंह से दान में प्राप्त हुई भूमि पर भवन बनाकर राज्य सरकार को 26.3.57 को समर्पित की थी, की भूमि को जन कल्याण समिति सीकर को दानदाताओं के सहयोग से 100 शैय्याओं के राजकीय चिकित्सालय का भवन 2 वर्ष में बनाकर देने की शर्त पर भूमि उपलब्ध कराई । भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है । दानदाताओं द्वारा दिये गये दान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) महिला चिकित्सालय के माह सितम्बर, 96 में प्रारम्भ होने की संभावना है । 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के संचालन की स्वीकृति अनुसार जन कल्याण समिति सीकर को स्टाफ स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार के नार्म्स के अनुसार अधिकृत किया गया है । समिति द्वारा पदों के सृजन हेतु कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग को प्रेषित नहीं किये गये हैं ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

थानाधिकारी, गुढ़ा गोड़जी (झुंझुनूं) के विरुद्ध जांच प्रकरण

277. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सही है कि झुंझुनूं जिले के गुढ़ा गौड़जी थाने के थानाधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा ककराना गांव की महिलाओं के साथ दिनांक 8 मार्च, 1996 को मारपीट करने के वाकये की शिकायत पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं, उपमहानिरीक्षक पुलिस जयपुर ग्रामीण तथा गृह मंत्री राजस्थान सरकार के समक्ष बजरंगलाल आदि लोगों द्वारा की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस की जांच के आदेश माननीय गृहमंत्रीजी द्वारा उपमहानिरीक्षक आरक्षी, जयपुर तथा अन्य अधिकारियों को दिये गये थे ?

(3) यदि हां, तो किस–किस अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा दोषी थानाधिकारी गुढ़ा गौड़जी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस प्रकरण में गृह मंत्री ने नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश उपमहानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज (द्वितीय) को दिये थे ।

(3) परिवाद की जॉच उप अधीक्षक पुलिस झुंझुनूं द्वारा की गयी । प्रकरण में की गई अनियमितताओं के लिए थानाधिकारी गुढ़ा गौड़जी एवं मुख्य आरक्षक के विरूद्ध नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है । जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है ।

जांच रिपोर्ट

विषय : जांच परिवाद श्री बजरंग लाल पुत्र श्री मालाराम जाति बलाई निवासी ककराना थाना गुढ़ा गौड़जी मुकदमा नम्बर 31/96 धारा 447 भा.द.स.

निवेदन है कि दिनांक 3–5–96 को पुलिस अधीक्षक जिला झुंझुनूं के आदेश क्रमांक: 8318–19 दिनांक 2–5–96 की अनुपालना में मुकदमा नम्बर 31/96 धारा 447 भादस थाना गुढ़ा गौड़जी की मूल अभियोग पत्रावली वास्ते तफतीश पुलिस उप अधीक्षक वृत्त झुंझुनूं की मय परिवाद श्री बजरंग लाल पुत्र मालाराम जाति बलाई निवासी ककराना थाना गुढ़ा से प्राप्त हुई । परिवाद में वर्णित तथ्यों की जांच रिपोर्ट चाही गई थी । जो निम्न प्रकार से हैं :–

1– मालाराम व बुजराम पुत्रान फत्ताराम जाति चमार नि. ककराना सगे भाई हैं । जिनमें मालाराम बड़ा है । मालाराम के चार लड़के हैं जिनमें मातादीन (अध्यापक) बजरंग लाल (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) भीमाराम (अध्यापक) व पूर्णराम (प्राइवेट) स्कूल में पढ़ाता है जो बूनाराम के दो लड़के हैं । हीरालाल (पटवारी) व प्रेमाराम (प्रोजेक्ट में नौकरी) इस तरह दोनों ही भाइयों के लड़के अच्छा खाने कमाने वाले हैं । मालाराम व बूनाराम दोनों ही भाइयों के मकान ग्राम

ककराना में आमने सामने हैं । दोनों के मकान के दरवाजे आमने सामने खुलते हैं बीच में रास्ता उत्तर से दक्षिण को जाता है । बूनाराम के मकान के पीछे हिस्से में एक दरवाजा खुलता है जिसमें सीढ़ियां लगी हुई हैं इस दरवाजे के दाहिने हिस्से में मालाराम के लड़कों ने खाद की कुरडी डालना प्रारम्भ कर दिया । दिनांक 1–2–96 को श्री हीरालाल पुत्र बूनाराम जाति चमार निवासी ककराना की रिपोर्ट पर मु. नं. 31/96 धारा 447 भादस थाना गुढ़ा में दर्जकर तफतीश श्री प्यारेलाल हैड कांस्टेबल इन्चार्ज चौकी गुढ़ा के सुपुर्द की गई ।

2– इसी अनुसंधान के सिलसिले में दिनांक 8–3–96 को श्रीबृज मोहन थानाधिकारी थाना गुढ़ा हमराह मोहन लाल स.उ.नि. गुलाब सिंह कानि. नं. 732 राम प्रसाद कानि. नं. 368 मय सरकारी जीप चालक सुखमाल एफ. सी. नं. 672 के ग्राम ककराना पहुंचा । इस अभियोग का तफतीश कनिन्दा श्री प्यारेलाल मु.आ. पूर्व में ही मौके पर उपस्थित था । मौके पर मौतबिरान रामेश्वरलाल मीणा व भादरया गुर्जर थे । थानाधिकारी ने मौके पर पड़ी खाद की कुरडी व छड़ियां करीब 5 भरोटी को जप्त करके उमराव सिंह गुर्जर को सुपुर्द की । वाका पर सुपुर्द की । इसी कार्यवाही के दौरान मालाराम की घर की औरतें जिनमें श्रीमती नाराणी पत्नी मालाराम, शारदा पत्नी बजरंगलाल, अंकिता पत्नी पूरणा, कमली पत्नी मातादीन, गायत्री पत्नी भोमाराम मुस्मात, मनोहरी पुत्री मातादीन, सुमनलाल पुत्री बजरंगलाल नें इस कार्यवाही में बाधा पहुंचाई । मुजामत की मौके पर मौजूदा हीरालाल पटवारी व इन औरतों के धक्का मुक्की हुई । थानाधिकारी मौके पर उपस्थित मौतबिरान ने काफी समझाईश की । लेकिन नहीं मानी तथा छड़ी व पत्थर उठा कर पुलिस वालों व बूनाराम के घरवालों को पीटना चाहा। इस पर मौके पर उपस्थित लोगों ने मामला शान्त किया । थानाधिकारी थाना गुढ़ा ने दिनांक 19.3.96 को उपरोक्त सातों औरतों के विरूद्ध 12/186 आईपीसी का इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

3– जांच के दौरान श्रीमती बनारसी मंगला राम श्रीमती सावित्री, इसर राम बजरंग लाल तथा मुलाजमान बृजमोहन थानाधिकारी प्यारे लाल हैड कानि., गुलाबसिंह एफसी 732, सुखपाल कानि. 672 के बयान लिए गये । वांछित रिकार्ड प्राप्त किया गया ।

4– ईसर राम चमार उम्र 73 वर्ष के बयानों के मुताबिक पुलिस में कुरड़ी को ट्रैक्टर में डालना शुरू करवाया तो बजरंग लाल के घर की औरतें आड़ी फिर गई । इस पर हीरा पटवारी ने पुलिस के सामने ही धक्के मार मार कर आड़े पटक दी । औरतों ने मुजामत करने के लिए पत्थर उठा लिए । इस पर पुलिस वालों ने उनसे धक्का मुक्की कर ली । इसके बयान से क्योंकि यह वृद्ध आदमी है ने हीरा लाल द्वारा ही धक्का मुक्की कर औरतों को पटकना बताया है । न कि पुलिस वालों द्वारा । पुलिस वालों को पीटने के लिए औरतों द्वारा छड़ी व पत्थर उठा लेने पर अपनी रक्षा में पुलिस वालों ने उन्हें रोका । यह जो एक स्वाभाविक प्रकिया है ।

5– मुस्मान सावित्री पत्नी विद्याधर जाति धाणका जो घटनास्थल के पड़ौस में रहती है उसने भी अपने बयानों में बतलाया है कि कुरड़ी हटाते समय बजरंग के घर की औरतें आड़ी फिर आई । इस हीरा पटवारी ने व पुलिस ने इन औरतों को धकेल कर मेरे घर में बाड़ दी।

इसके इस कथन से भी प्रगट है कि हीरा लाल पटवारी ने औरतों के साथ धक्का मुक्की की है । जो इसी परिवार का एक सदस्य है । जांच के दौरान चोट प्रतिवेदन की प्रति फोटो प्राप्त की गई । मुस्मात शारदा के चार चोटों में तीन बुस जांघों में व एक सोजननुमा चोट कुल्हें पर । इसी तरह मुस्मात कमला के एक चोट नीलगू जांघ पर व सूजन दाहिने हाथ पर, इसी तरह मुस्मात नाराणी के दो चोट सूजननुमा कूल्हें व घुटने पर, इसी तरह मुस्मात गायत्री के चोट प्रतिवेदन में कोई चोट नहीं है । मुस्मात अंकिता के चोट सूजननुमा छाती पर आना अंकित है । चोट प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया जाता है कि मुस्मात शारदा, कमला, नाराणी के ही क्रमशः चार, दो, दो चोटें आई हैं । जो हीरा लाल पटवारी के द्वारा मारने पर आना संभव है । अगर पुलिस द्वारा जान बूझ कर रंजिशपूर्ण इरादे से चोट पहुंचाई जाती तो चोटे काफी संख्या में व शरीर के हर हिस्से में आनी चाहिये। वैसे भी इस अभियोग संख्या 31/96 का मैंने मौका देखा था तो धक्का धूम में पत्थरों पर गिरने से भी आना संभव है ।

6– प्रकरण संख्या 31/96 धारा 447 आईपीसी में दर्ज होकर तफतीश हुई है। धारा 447 आई.पी.सी. में दर्ज हुआ था । धारा 447 में अतिक्रमण को हटाने का (पुलिस) द्वारा हटाना कोई प्रावधान नहीं है । अतिक्रमी का चालान विशेष कर दिया जाना ही समुचित था । हालांकि इस दृष्टि से थाना स्तर पर की गई कार्यवाही न्यायोचित नहीं मानी जा सकती फिर भी कार्यवाही जो पुलिस ने की है उस दृष्टि से मालाराम के परिवार की औरतों को जोश खरोश के साथ पुलिस के सामने जाकर सरकारी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिये था । खाद की कुरड़ी ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी जिसके हट जाने से मालाराम के परिवार को भारी क्षति हुई हो ।

7– अभियोग संख्या 31/96 में मेरी जांच से घटनास्थल की भूमि संदिग्ध पाई गई है । क्योंकि मालाराम व बुनाराम के दोनों के मकानों के पट्टे हैं लेकिन बूनाराम के मकान का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है दोनों भाईयों के बंटवारे के आधार पर देखा जाये तो बूनाराम के पास जमीन ज्यादा है । लेकिन मालाराम द्वारा बूनाराम के मकान के पीछे आकर कुरड़ी डालना भी उचित प्रतीत नहीं होता व न उधर उसका मकान है और ना ही पीछे आने का कोई रास्ता । केवल मात्र मुंछ की लड़ाई है जो सन् 1994 से दोनों भाईयों के परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं. व पुलिस को टार्गेट बनाया जा रहा है।

8– मालाराम व बूनाराम जाति से चमार होकर दोनों सगे भाई हैं मारपीट व धक्का मुक्की में बूनाराम का लड़का हीरालाल पटवारी ने ही मुख्य रूप से भूमिका निभाई है । थानाधिकारी श्रीबृजमोहन असवाल भी जाति से खटीक है इस तरह सम्बन्धित सभी लोग अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते हैं । ऐसी सूरत में जान बूझकर अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार किया गया है वाला तथ्य साबित नहीं होता ।

अतः श्रीबजरंग लाल पुत्र माला राम चमार निवासी ककराना द्वारा परिवाद में उल्लेखित तथ्य जांच से प्रमाणित नहीं होते । जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है ।

भवदीय,

एस.डी.

(नारायण लाल)

भवीदय,

एस.डी.(नारायण लाल)

कुलपति, राजस्थान विश्व–विद्यालय के स्वविवेकाधीन राशि

278. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के बजट में कितनी राशि कुलपति के स्व विवेकाधीन कोष के रूप में निर्धारित है ? राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वित्तीय वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 में इस राशि में से किन–किन मदों पर कितना–कितना व्यय किया गया तथा किस–किस को भुगतान किया गया, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय की सूचनानुसार बजट में निर्धारित राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

बजट –	1994–95	रु. 180000/–
बजट –	1995–96	रु. 180000/–

(2) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में कुलपति स्वविवेकाधीन कोष में से कुल राशि कमशः 77,350/– तथा रुपये 66,998/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण संलग्न किया जा रहा है ।

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF EXPENDITURE INCURRED DURING 1994-95 OUT OF V.C. DISCRETIONARY FUND :

S.No.	Particulars	Amount
1.	Sh. D.K. Galani RS. SASC for Res. Work	1,500.00
2.	Sh D.K. Sharma, Work charge Employee DSW for treatment	810.00
3.	Secretary Sports Board to honour outstanding players	15,000.00
4.	Sh. Amrik Pal Singh, Student M.Sc. (P) Maths for treatment	2,500.00
5.	Subhash Garg For Org. XVI Annual Conference AIFUCTO	15,000.00
6.	Sh. Mukesh Kumar B.Sc. Pt. III Financial assistance for studies	1,200.00
7.	DSW for Org. Kavi Sammelan Pratap Jayanti	15,000.00
8.	DSW for publishing Magazine	5,000.00

S.No.	Particulars	Amount
9.	Sh. Dayal Singh peon DSW for financial assistance	500.00
10.	DSW for literary programme	12,500.00
11.	Sh. Devendra Kr. Galani SASC Res. Scholar for Research Work.	1,500.00
12.	Sh. Amrik Pal Singh M.Sc. (P) Mathas for financial assistance	6,840.00
		77,350.00

Statement showing the datails of expenditure incurred out of Vice-Chancellor's Discretionary Fund during 1995-96

S.No.	Particular's	Rs.
1.	Shri O.P. Swami, Student of M.Sc. Chemistary financial assistance	1,200.00
2.	Ms. Sapna Dubey Student of M.Sc. Chemistry financial assistance	1,200.00
3.	Shri Kishanpal Singh Verma L.L.B. Financial Assistance	1,800.00
4.	Shri Sher Singh M.Sc. Chemistry Financial Assistance	1,800.00
5.	Shri Mathew Jonh Student of M.Com. Financial Assistance	1,800.00
6.	Ms. Mamta Agarawal M.A. Sanskrit - Fin. Assistance	2,400.00
7.	Secretary, Rajasthan Sports Recreation Club Fee (Bank of Rajasthan)	700.00
8.	Employees of RUNTSA Track Suit	7,996.00
9.	Shri D.K. Galani Res. Scholar - SASC financial assistance	1,500.00

S.No.	Particular's	Rs.
10.	Maharaja Guest House Akhil Bhartiya V.C. Challange Cup	5,808.00
11.	Maharaja Guest House Honour of Cricket Team	660.00
12	Director, SASC Dr. D.K. Galani Financial Assistance	1,500.00
13.	Head, Bus. Admn. Rakesh Purohit, Dip. in Marketing - Fin. assistance	1,200.00
14.	Head, Bus. Admn. Shri Swarnim Chaturvedi M.Com. (F) Fin. Assistance	1,200.00
15.	Principal, Com. College Mukesh Purohit, B.Com. Pt. I - Fin. Assistance	1,200.00
16.	Kasturba Hostel Ms. Neelam Krishnaiya	5,043.00
17.	Deptt. of Law P. Maharashi, LLM Financial Assistance	5,000.00
18.	President, RUNTSA Financial Assistance	10,000.00
19.	M/s. Taxon Colour Lab Student of Electron Financial Assistance	5,895.00
20.	Dr. P.S. Bhatnagar Head, Pub. Admn. Financial Assistance	2,520.00
21.	Shri Ramesh Dadhich Bhabha Hostel (Partial damage of Car)	5,980.00
22.	D.S.W. Medical Reimbursement of HS Sonali Sinha	596.00
	Total	66,998.00

रोहट (पाली) में छात्रावास की स्थापना

279. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने–कितने छात्र हैं ?

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिये पाली जिले में कुल कितने छात्रावास हैं और उनमें कितने कितने छात्र निवास कर रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि रोहट पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों की पर्याप्त संख्या के बावजूद भी छात्रावास नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोहट में समाज कल्याण छात्रावास खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति 7214 एवं अनुसूचित जन जाति के 1323 छात्र निम्नानुसार हैं :–

क.सं.	विद्यालय	अनु. जाति के छात्रों की संख्या	अनु. जन जाति के छात्रों की संख्या	योग
1.	उच्च माध्यमिक	3382	690	4072
2.	सीनियर उ.मा. विद्यालय	3832	633	4465
	योग	**7214**	**1323**	**8537**

(2) अनुसूचित जाति एवं जन जाति हेतु पाली जिले में कुल 18 छात्रावास स्वीकृत हैं । छात्रावासों की सूची व छात्र संख्या का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(3) यह सही है कि रोहट पंचायत समिति क्षेत्र में विभाग का कोई छात्रावास नहीं है रोहट में समाज ल्याण विभाग का छात्रावास प्राथमिकता से खोलने का विचार है । छात्रावास प्रारम्भ किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

पाली जिले के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रावासों की सूची

क.सं.	नाम छात्रावास	योजना का नाम	प्रवेशित छात्रों की संख्या वर्ष 1995–96
1.	राजकीय छात्रावास, झालना	अनु. जाति	44
2.	राजकीय छात्रावास, जैतारण	„ „	55
3.	राजकीय छात्रावास, सोजत	„ „	50
4.	राजकीय छात्रावास, सादड़ी	„ „	24
5.	राजकीय छात्रावास, सुमेरपुर	„ „	23
6.	राजकीय छात्रावास, आनन्दपुर	„ „	25
7.	राजकीय छात्रावास, खैड़	„ „	25
8.	राजकीय छात्रावास, रायपुर	„ „	18
9.	राजकीय छात्रावास, (कन्या), पाली	„ „	25
10.	राजकीय छात्रावास, बूसी	„ „	25
11.	राजकीय छात्रावास, पाली (स्वच्छकार)	स्वच्छकार	18
12.	राजकीय छात्रावास, मारवाड़ जंक्शन	अनु. जाति	—
13.	राजकीय छात्रावास, देसूरी	„ „	25
14.	राजकीय छात्रावास, रा. स्टेशन	अनु. जन जाति	46
15.	राजकीय छात्रावास, सेवाड़ी	अनु. जंन जाति	55
16.	राजकीय छात्रावास, नैड़ा	„ „	25
17.	राजकीय छात्रावास, नाडौल	„ „	24
18.	राजकीय छात्रावास, नाणा	„ „	33

सहायक अभियंता खण्डेला (सीकर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

280. श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, खण्डेला जिला सीकर के क्षेत्र में कुल कितने हैण्ड पम्प एवं ट्यूब वैल कहां–कहां लगे हैं ? इनमें से कितने चालू हैं एवं कितने बंद हैं तथा कितने हैण्ड पंप खोदकर बंद कर दिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि दायरा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लम्बे अर्से से हैण्डपंप खराब है जिसकी शिकायत ग्रामीणों एवं शालाप्रधान द्वारा कई बार की जाने के बावजूद पानी मुहैय्या नहीं कराया जा रहा है एवं संबंधित अभियन्ताओं के आदेशों की पालना संबंधित कर्मचारियों द्वारा नहीं की जाती है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों/अभियंताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

(3) सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में किन कारणों से कब–कब एवं किस अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय छोड़ा गया ? क्या उक्त अभियन्ता के अधिकतर क्षेत्र से बाहर रहने की शिकायतें जिला कलक्टर एवं उच्चाधिकारियों को दी गई ? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उल्लेखित सहायक अभियंता के अधीन क्षेत्र में कुल 903 हैंडपम्प तथ 45 नलकूल स्थापित हैं । इनमें से 729 हैंडपंप तथ 34 नलकूप कार्यरत हैं । कुल 174 हैण्डपम्प एवं 11 नलकूप परित्यक्त हैं । विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) उल्लेखित हैंडपंप को मई, 96 में ठीक किया जा चुका है । इसके खराब होने की शिकायत शाला प्रधान से प्राप्त हुई थी । हैण्डपंप ठीक किया जा चुका है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

(3) वर्ष 1994–95 में संबंधित सहायक अभियंता द्वारा 16 नवम्बर एवं 19 नवम्बर, 94 को आकस्मिक अवकाश अधिशासी अभियंता से स्वीकृत कराकर मुख्यालय छोड़ा गया । वर्ष 1995 में दिनांक 5 से 6 जून, 5 जुलाई से 7 जुलाई, 1 सितम्बर तथा 1996 में 6 मार्च, 18 मार्च, 21 मार्च से 22 मार्च अर्थात् कुल 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश सहायक अभियंता द्वारा अधिशासी अभियंता की अनुमति प्राप्त कर उपभोग किया गया एवं मुख्यालय छोड़ा गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 26 सितम्बर, 1995 से दिनांक 6 दिसम्बर, 1995 तक भी सहायक अभियंता मुख्यालय से बाहर रहे, परन्तु इस अवधि में इस अधिकारी द्वारा 26 सितम्बर से 7 अक्टूबर, 95 की अवधि की ही अनुमति अधिशासी अभियंता से प्राप्त की गई । सहायक अभियंता के मुख्यालय पर नहीं रहने की शिकायत पर सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया जिसका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है एवं इस संबंध में कार्यवाही लंबित है । जिला कलक्टर से की गई शिकायत के संबंध में कोई प्रपत्र विभाग के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीसलपुर बांध की जल संरक्षण क्षमता

281. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बुज का नाका नामक लघु सिंचाई योजना तथा इसी प्रकार की अन्य कई लघु सिंचाई योजनाएं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि जिलों में बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी योजनाएं अपूर्ण अवस्था में छोड़ दी गयी है और इनमें से प्रत्येक की जल संरक्षण क्षमता एवं उन पर अब तक का व्यय तथा शेष लागत कितनी है ?

(2) बीसलपुर बांध की जल संरक्षण क्षमता कितनी रखी गयी है और इसमें संग्रहित जल का कितना भाग सिंचाई एवं पेयजल हेतु कहां–कहां काम में लिया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल तथा सिंचाई जल से शहरी क्षेत्रों की जलापूर्ति की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा जिला उदयपुर में बुज का नाका नामक लघु सिंचाई योजना बीसलपुर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है तथा वर्तमान में अपूर्ण स्थिति में है । इसी प्रकार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले में 35 योजनाएं बीसलपुर बांध के जल ग्रहण में स्थित हैं तथा अपूर्ण अवस्था में है । योजनावार जल संरक्षण क्षमता एवं उन पर अब तक व्यय एवं शेष आने वाली लागत की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 3870 करोड़ घन फुट रखी गई है । जिसमें से 1620 करोड़ घन फुट पानी पेयजल एवं 800 करोड़ घन फुट सिंचाई सुविधाओं हेतु रखा गया । पेयजल की सुविधा अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, जयपुर व सांगानेर आदि शहरों तथा पाइप लाइन से आस–पास के गांवों हेतु प्रस्तावित है । जबकि सिंचाई की सुविधा टोंक जिले की देवली, टोंक एवं उनियारा तहसीलों में उपलब्ध करवाई जाना प्रस्तावित है ।

(3) जल स्रोत एवं जलापूर्ति भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं । पेयजल को प्राथमिकता देते हुए शहरी क्षेत्रों को जलापूर्ति की जाती है ।

परिशिष्ट "ब"

क.सं.	नाम परियोजना	जिला	जल आरक्षण क्षमता	अब तक व्यय लाखों में	शेष लागत	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7
1.	नेमाड़िया	भीलवाड़ा	19.00	23.79	13.08	36.87
2.	पचानपुरा	—	15.50	15.62	14.50	30.12
3.	गणेशपुरा	—	44.39	9.39	79.41	88.80
4.	गन्धेर	—	10.73	6.94	38.55	45.49
5.	सरला सागर	—	23.53	34.65	20.31	54.96
6.	धोला दांता	—	34.00	28.51	24.18	52.69
7.	रतन सागर	—	28.82	5.65	84.35	90.00
8.	देवरी नाला	—	43.00	5.13	122.67	127.80
9.	श्याम सागर	—	9.31	12.39	38.61	51.00
10.	इन्टालिया	—	36.00	19.26	50.00	69.26
11.	गंगादेह	—	41.00	22.85	43.07	65.88

1	2	3	4	5	6	7
12.	बोरीया	भीलवाड़ा	36.00	24.03	27.70	51.73
13.	भैसा कमेड	राजसमन्द	52.51	22.11	132.40	154.51
14.	मेवाडिया	"	30.00	15.00	30.00	45.00
15.	थोरिया	"	8.00	7.00	13.00	20.00
16.	सांगठ	"	40.50	17.00	15.00	32.00
17.	हापडा	"	18.00	7.26	15.00	22.26
18.	सांगावास	"	30.00	8.00	74.00	82.00
19.	राव टैंक	"	19.00	12.00	23.00	35.00
20.	गोविल फीडर	"	5.00	3.00	3.00	6.00
21.	टिकड	"	44.67	10.80	46.06	56.86
22.	बांका	"	17.90	6.00	15.00	21.00
23.	उथनोले	"	8.00	4.50	25.50	30.00

1	2	3	4	5	6	7
24.	मोतम सागर	राजसमन्द	12.00	6.00	24.00	30.00
25.	माता जी खेडा फीडर	„	95.04	18.47	11.97	90.44
26.	मोडा देह	„	66.00	4.51	15.44	20.00
27.	ढेढ बारा का नाका	„	18.00	8.41	16.59	25.00
28.	थाना का मंड	„	12.00	12.21	11.79	24.00
29.	जिलोला	„	15.00	10.09	9.91	20.00
30.	रूपरेल	चित्तौड़गढ़	306.00	13.50	710.00	723.50
31.	भुजडा	„	35.69	8.04	86.38	94.42
32.	ओडवाडिया	„	35.41	9.51	109.61	119.12
33.	रडियारी सन्डयारी	„	15.60	3.41	52.78	56.19
34.	मुनेर	„	52.00	1.90	115.00	116.90
35.	बुझ का नाका	उदयपुर	73.50	29.41	125.51	154.92

परिशिष्ट – 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 247 के मापदण्ड)

REVISED PROPOSED NORMS

S.No.	Particular	Addl. S.P.	Dy. S.P.	Ins.	S.I.	A.S.I.	H.C.	Consts.	UDC & UDC	LDC	IV Class	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Addl. S.P. Office	1	-	-	1	-	1	3	1	1	1	9
2.	C.C. Offices	-	1	-	-	1	-	5	-	1	-	8
3.	Police Stations S.H.O. City/Sadar/Sub. Div. HO. Rank of Inspector.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Upto 60 Crimes	-	-	-	1	-	2	17	-	-	-	20
	60 to 120 "	-	-	-	1	1	2	19	-	-	-	23
	120 to 180 "	-	-	-	1	2	2	21	-	-	-	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Upto 180 to 240 " crime	-	-	-	2	3	2	23	-	-	-	30
	240 to 300 "	-	-	-	2	4	3	25	-	-	-	34
	300 to 360 "	-	-	-	2	5	4	27	-	-	-	38
	360 to 420 "	-	-	1	2	6	4	29	-	-	-	42
	420 to 480 "	-	-	1	2	7	4	31	-	-	-	45
	480 to 540 "	-	-	1	2	8	4	33	-	-	-	48
	540 to 600 "	-	-	1	2	9	4	35	-	-	-	51
	600 to 660 "	-	-	1	2	10	4	37	-	-	-	54
	660 to 720 "	-	-	1	3	10	4	39	-	-	-	57

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 313 का विवरण)

क.सं. 1	कॉलोनी 2	लागत 3	कार्य 4
1.	ललिता शास्त्री नगर	6.14 लाख	नालियों का निर्माण
2.	सुभाष कॉलोनी	8.60 लाख	" " "
3.	राम नगर कॉलोनी	9.46 लाख	" " "
1.	ललिता शास्त्री नगर	4.49 लाख	सड़कों का कार्य
2.	सुभाष कॉलोनी	4.94 लाख	" " "
3.	राम नगर कॉलोनी	7.82 लाख	" " "
4.	प्रताप नगर	3.46 लाख	" " "
5.	तुलसी नगर	3.64 लाख	" " "

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 315 का विवरण)

जीप श्री छोटू खां पुत्र नूर मोहम्मद, महावीर नगर, पाली के नाम है जिसका मुख्त्यारनामा श्री मंगलसिंह पुत्र बद्रीसिंह, 240, सर्वोदय नगर, पाली के नाम दिया हुआ है । वाहन का रजिस्ट्रेशन आर.जे. 22–टी–141 है । जीप परिषद में 20–10–95 से 19–1–96 तक किराया 400/– रुपये निर्धारित कर निम्नानुसार भुगतान किया गया :–

20–10–95 से 19–12–95 तक 12,000/– रुपये

20–12–95 से 19–1–96 तक 12,400/– रुपये

दिनांक 20–1–96 से एक वर्ष की निविदायें आमंत्रित तथा नेगोसियेशन कर जीप लगाई, भुगतान निम्नानुसार किया गया :–

20–3–96 से 19–5–96 तक 24,000/– रुपये

20–5–96 से 18–6–96 तक 12,000/– रुपये

परिशिष्ट–6

308 (अतारांकित प्रश्न संख्या 321 की सूची)

वर्ष 1990 से 1996 की अवधि में जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हैण्ड–पम्पों की सूची –

क्र.सं.	स्थान
1	2
1.	जोगियों की पोल, जालप मोहल्ला
2.	नवल आश्रम
3.	गांधियों की गली, सीटी पुलिस
4.	जालोरी गेट के अन्दर, श्याम भवन के पास
5.	जालप मोहल्ला, हाथी चौक, अम्बु जी के मकान के पास
6.	जूना घास का ठेका, गुलाब सागर
7.	हनुमान जी के मंदिर, जालोरी गेट
8.	चौहान जी का नोहरा, बागर चौक
9.	कालिया बुक्का, हरिजन बस्ती
10.	आदर्श मोहल्ला घास मंडी
11.	भांग गली लखारा बाजार
12.	गोलियों की पोल, कपड़ा बाजार
13.	फतह पोल किले के नीचे
14.	गंगलाव घट्टा बकरा मंडी
15.	नागोरियों का बास गली नं. 2
16.	चौहान जी का नोहरा
17.	मियों की घेर
18.	खपटा मोती चौक मालियों की गली
19.	जूना घास का ठेका (परित्यक्त के स्थान पर)

1	2
20.	कबूतरों का चौक, सीताराम जी का मंदिर
21.	पुरबियों की गली, भिस्तियों का बास
22.	जालोरी गेट स्कूल के बाहर
23.	कवंर राज जी बाड़ा, नवल जी की गली
24.	घोड़ों का चौंक, मेघवालों का बास
25.	भिस्तियों का बास, जगदम्बा मंदिर गली
26.	सुमेर पुष्टिगर स्कूल प्याऊ के पास
27.	गिरधर मंदिर के पास, खानिया
28.	नाजर जी की बावड़ी, जालोरी गेट बारी के अन्दर
29.	हरिजन बस्ती, जालोरी गेट
30.	पीपली की गली, राम गोपाल जी वकील के मकान के पीछे
31.	कबूतरों का चौक, गेरो का चौक
32.	कालिया दुक्का हरिजन बस्ती
33.	बाइजी का तालाब, बालरवा ठाकर की हवेली के पास

वर्ष 1996–97 में निम्नलिखित स्थानों पर हैण्डपम्प लगाये जाने की स्वीकृति और प्रदान की गई है जिनका निर्माण कार्य करवाना शेष है ।

1. नाईयों का चौक, सिटी पुलिस
2. ओसवालों का न्याति का नोहरा
3. मोदियों की गली, हटडियों का चौक
4. मकराना मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस के पीछे
5. गांछा बाजार, पोल के अन्दर

300

310

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में स्थित वर्तमान में चालू व खराब हैण्डपम्पों की सूची

क्र.सं.	वार्ड नं.	स्थापित हैण्डपम्पें की संख्या	चालू हैण्डपम्पों की संख्या	खराब हैण्डपम्पों की संख्या		
				अस्थायी रूप से खराब (मरम्मत योग्य)	परित्यक्त	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	13	47	45	1	1	2
2.	14	23	22	1	—	—
3.	15	34	34	—	—	—
4.	23	23	22	1	—	1
5.	24	36	34	1	1	2
6.	25	30	29	1	—	1
7.	26	26	26	—	—	—
8.	27	64	62	1	1	2
9.	28	40	38	2	—	2
10.	29	50	50	—	—	—
11.	30	44	42	1	1	2
12.	31	35	35	—	—	—
13.	35	20	27	1	—	1
14.	37	24	24	—	—	—
15.	38	38	36	2	—	2
	कुल	550	534	12	4	16

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 326 का विवरण)

अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्याख्याताओं की सूची

क.सं.	नाम	विषय	प्रतिनियुक्ति तिथि	स्थान
	1	2	3	4 5
1.	श्री आर.के. शर्मा	अर्थशास्त्र	8–9–92	ग्रामीण विकास विभाग, पाली
2.	श्रीमती विमला जैन	अर्थशास्त्र	7–11–84	परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास, जयपुर
3.	श्रीमती उषा पुरी	अंग्रेजी	2–2–91	महिला पोलीटेक्निक, जयपुर
4.	श्रीमती सुशीला कोठारी	इतिहास	8–12–95	निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, जयपुर
5.	श्रीमती अलका सिंह	मनोविज्ञान	2–5–92	महिला बाल विकास, जयपुर
6.	श्रीमती ज्योति भट्ट	संस्कृत	17–5–96	सहायक निदेशक, भाषा विभाग, जयपुर
7.	श्री वसुधाकर गोस्वामी	समाज शास्त्र	21–7–92	जिला गाजिटियर्स, निदेशक, महिला एवं बाल विकास, जयपुर

1	2	3	4	5
8.	श्री राकेश दुग्गल	रसायन शास्त्र	7—1—93	एन.एस.एस. लाईजिन ऑफीसर शिक्षा प्रकोष्ठ—3, जयपुर
9.	डॉ. सुषमा व्यास	रसायन शास्त्र	8—7—93	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, जयपुर
10.	डॉ. वीणा प्रधान	रसायन शास्त्र	27—3—95	महिला बाल विकास विभाग, जयपुर
11.	श्रीमती अमिता गिल	भौतिक शास्त्र	1—10—90	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर
12.	श्री ए.के. सान्डिल्य	भूगर्भ शास्त्र	29—8—90	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर
13.	श्री अनिल कुमार कूमट	व्या. प्रशासन	3—9—94	महिला पोलीटेक्निक, जयपुर
14.	श्री बजरंग लाल दायमा	व्या. प्रशासन	3—1—95	परियोजना प्रबन्धक, जालौर
15.	डॉ. एच.एस. महला	ई.ए.एफ.एम.	3—4—95	एच.सी.एम.राज. लोक प्रशासन, जयपुर

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 331 का विवरण)

क.सं.	नाम बांध	बकाया रकम (लाखों में)
1	2	3
1.	मेजा	8.66
2.	लडली	0.26
3.	सरेरी	4.25
4.	खारी	1.07
5.	नाहर सारा	1.22
6.	अरवड	2.68
7.	उम्मेद सागर	1.37
8.	मात्रिकुण्डिया	0.13
9.	पचानपुरा	0.41
10.	झाडोल	0.51
11.	गोवटा	1.59
12.	कोठारी	1.72
13.	जेतपुरा	7.07
		30.94

इसके अतिरिक्त 368 छोटे तालाब हैं जिनकी सिंचाई कर की वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जाती है, उनकी बकाया राशि :–

	7.95
बकाया का कुल योग :–	38.89

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 332 का विवरण)

विमाग द्वारा गत पांच वर्षों यथा, 1991—92 से 1995—96 तक सिंचाई खंडवार लघु सिंचाई कार्यों के लिए आवंटित किये गये बजट विवरण :

(अंक लाख रुपये में)

क.सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष 1991—92 से 93—94 तक कार्य प्रभारी कर्मचारियों के वेतन सहित			केवल अनुरक्षण/ मरम्मत कार्य हेतु	
		91—92	92—93	93—94	94—95	95—96
1	2	3	4	5	6	7
	लघु सिंचाई कार्य					
1.	अधि. अभि. सि. खण्ड, जयपुर	66.63	71.48	85.15	63.60	54.60
2.	,, दौसा	35.06	27.85	57.94	18.00	8.50
3.	,, सवाईमाधोपुर	83.49	77.38	90.41	76.00	40.00
4.	,, सीकर	17.18	22.82	24.29	7.00	10.00
5.	,, टोंक	70.20	54.92	57.86	14.00	15.00
6.	,, अलवर	49.26	59.08	83.08	21.50	18.00
7.	,, भरतपुर	112.98	85.73	94.44	9.45	3.50
8.	,, डीग	13.43	2.24	2.42	2.00	2.60
9.	,, धौलपुर	9.04	11.68	11.43	6.04	3.30
10.	,, अजमेर	62.90	67.90	55.40	5.70	7.59
11.	,, जोधपुर	62.64	29.00	32.33	8.20	5.16
12.	,, जालौर	130.09	15.48	20.22	16.28	11.50
13.	,, सिरोही	128.35	28.05	55.98	32.80	21.50
14.	,, पाली	163.00	59.00	62.81	40.50	25.00

3057

1	2	3	4	5	6	7
15.	,, मेड़ता सिटी नागौर	8.07	15.60	18.93	3.30	5.50
16.	,, उदयपुर	92.00	107.50	87.71	13.75	20.65
17.	,, कांकरोली (राजसमन्द)	44.00	65.00	63.88	6.05	8.00
18.	,, चित्तौड़गढ़	65.98	61.97	55.36	28.30	18.25
19.	,, भीलवाड़ा	134.00	135.00	118.83	12.40	10.00
20.	,, डूंगरपुर	49.00	49.00	66.35	13.70	15.85
21.	,, बांसवाड़ा	34.00	35.47	38.12	3.05	4.00
22.	,, कोटा	28.94	17.64	10.18	7.09	0.90
23.	,, बूंदी	36.22	34.27	59.69	93.25	7.00
24.	,, झालावाड़	12.64	17.07	14.82	14.76	6.00
25.	,, बारां	65.40	104.16	133.79	112.25	32.00
26.	,, जाखम (धरियावद)	2.00	–	2.11	0.90	2.20
	योग :–	1576.50	1255.29	1403.53	628.87	357.60

उक्त सारणी में वर्ष 1991–92 से 1993–94 तक के किये गये राशि के विवरण में कार्यप्रभारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते सम्मिलित हैं जिनका व्यय वितरण राशि का 77 प्रतिशत है शेष 23 प्रतिशत ही आवश्यक रख–रखाव/मरम्मत कार्य के लिए शेष रहता है । वर्ष 94–95 के बाद रख–रखाव /मरम्मत कार्य एवं कार्यप्रभारी कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान पृथक–पृथक किया जा रहा है जिससे कार्यों के लिए समुचित राशि वितरण हो सके ।

राजसमन्द जिले में विभिन्न तालाबों पर मरम्मत कार्यों पर हुए व्यय का वर्ष 1991–92 से 95–96 तक का पंचायतवार विवरण

क.सं.	नाम कार्य	पंचायत समिति	91–92	92–93	93–94	94–95	95–96
8	1	2	3	4	5	6	7
1.	भाणा लिफ्ट सिंचाई	राजसमंद	0.77	1.41	0.90	0.35	0.18
2.	राजनगर लिफ्ट	,,	1.76	2.64	1.87	0.83	0.38
3.	लालपुरा	,,	–	–	0.09	–	–
		योग :–	2.53	4.05	2.86	1.18	0.56
4.	खमनौर लिफ्ट	नाथद्वारा	1.04	0.96	0.96	0.54	0.68
5.	खारीफीडर	,,	1.08	2.16	1.65	0.22	0.32
6.	नन्दसमन्द	,,	0.22	3.23	5.74	1.13	0.97
7.	कठार	,,	–	–	0.32	–	–
8.	सिसवी	,,	–	–	0.08	–	0.05
9.	गांव गुडा	,,	–	–	0.48	–	–
10.	सलोदा	,,	–	–	0.78	–	–
11.	सगरूण	,,	–	–	0.51	0.27	–
12.	कागमदारडा	,,	–	–	–	–	0.11
13.	नेगडिया	,,	–	–	–	–	0.05
14.	पलाना फीडर	,,	–	–	–	–	0.11
		योग :–	2.34	6.35	10.52	2.16	2.29

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	माताजी का खेड़ा	रेलमगरा	0.20	0.24	0.08	0.42	0.13
16.	भैराई तालाब	,,	0.14	0.45	0.30	0.60	0.36
17.	बनेडिया	,,	–	0.17	–	–	0.02
18.	खण्डेल	,,	–	–	0.23	–	–
19.	चराणा	,,	–	–	–	0.23	–
20.	पनोतिया	,,	–	–	–	0.02	–
		योग :–	0.34	0.86	0.61	1.37	0.51
21.	चन्द्रभागा	आमेट	0.17	–	0.45	–	–
22.	लीकी	,,	0.25	0.13	–	0.36	–
23.	आगरिया	,,	0.11	0.13	0.13	0.21	–
24.	भादला	,,	0.59	0.48	–	–	–
25.	गोवलिया	,,	–	0.14	–	–	–
26.	फुकिया माई	,,	–	–	0.23	–	–
27.	गुगली की फूट	,,	–	–	–	0.54	–
		योग :–	1.12	0.88	0.81	1.12	–
28.	जवाहर सागर	कुम्भलगढ़	0.10	0.01	0.19	0.06	0.31
29.	सांगठ	,,	0.01	–	0.53	0.17	–
30.	तलादरी	,,	0.29	0.02	0.30	0.37	–

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	बनोकिडा	कुम्भलगढ़	0.14	—	0.30	—	—
32.	गोविल फीडर	,,	0.28	—	—	—	—
33.	केलवाडा	,,	—	3.05	—	0.10	0.22
34.	जवालिया	,,	—	0.14	—	—	—
35.	साथिया	,,	—	0.10	9.25	—	—
36.	उमरवास	,,	—	0.25	0.52	—	—
37.	धानिन	,,	—	—	0.06	—	—
		योग :–	0.82	3.57	2.19	0.70	0.53
38.	भोपाल सागर	भीम	0.09	—	—	0.67	0.20
39.	बार	,,	—	0.24	—	—	--
40.	मोडा कांकर	,,	—	0.10	—	—	--
41.	बग्गड़	,,	—	0.05	—	—	0.01
42.	नदी नाला	,,	—	—	0.16	—	0.33
43.	केडिया देह	,,	—	—	—	0.26	—
44.	नीमझर	,,	—	—	—	0.27	0.06
45.	बरजाल	,,	—	—	—	0.12	—
46.	भीम तालाब	,,	—	—	—	0.07	0.07
47.	रामदेव सागर (मियाला)	,,	—	—	—	0.28	0.39
		योग :–	0.09	0.29	0.16	1.67	1.06

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	कुण्डेली	देवगढ़	1.46	–	0.04	0.43	0.20
49.	मानसरोवर	,,	1.14	0.17	–	–	–
50.	कालाभाटा	,,	–	0.32	0.53	0.21	–
51.	रणजीत सागर	,,	–	0.23	0.27	–	–
52.	गुणिया	,,	–	2.58	0.16	–	–
53.	जीरण	,,	–	0.58	0.33	0.16	–
54.	घाटी	,,	–	–	–	0.19	0.02
55.	सुखाई	,,	–	–	–	0.27	0.06
		योग :–	2.60	3.30	1.33	1.26	0.28

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 333 की प्रति)

IMMIDIATE

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE RAJSTHAN JAIPUR

No. Vig (20) Police (A) Gr/1/96/7224&7304 Dated June 18, 19, 1996

MEMO

1. All Range Dy. Is. G.P. (Inclucing C.R.P.) Rajasthan.

2- All District Supdts. of Police (Including G.R.P.) Rajasthan.

3. All Commendous, R.A.C. (Including I.R.) Commandents M.B.C. Kherwara.

4. Director, R.P.A./Principel, R.P.T.C. Jodhpur/All Commandants, P.T.S.s Rajasthan.

1. Consupptin of liauor in Police Units Particulerly Police Stations is a very serious malaise against which utmost vigilanee should be mainairned. The concorned C.O.s/Addl. Ss.P. should carry out surprise checking after sunset and if any police porsonnel are found consuming liquor, immediate disciplinary action should be initiated after getting such persons medically examined.

2. Unauthorised Liqour vends in close proximity of Police lines/R.A.C. Campuses/Police Stations/Out Posts have also come to my notice. I view it as very serious. All concerned officeres should take immediate suitable stops to get all such unauthoised liquor vends removed. Even if there is an authorised liquor shop very close to a police unit, the concerned S.P. should get in touch with the Excise Department to set it removed from there.

3. In Future, in any instance of liquor consumption in Police Stations coming to notice, besides action against the S.H.O. and the concerned staff, the C.O. will be held responsible.

Sd/-

Director General of Police,

Rajasthan, Jaipur.

311

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 385 की प्रति)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

मु.नं. 90/96 धारा 302, 120 बी, 34 भादस दिनांक 16/6/96 थाना पुरानी टोंक जिला टोंक।

सेवा में श्रीमान थानेदार साहब थाना पुरानी टोंक विषय मेरे भाई साजिद की हत्या बाबत मान्यवर उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं व मेरा छोटा भाई साजिद घर से खाना खाकर रात 8 बजे करीब बाजार के लिए रवाना हुए थे । बकरों का चौक के पास मैं थोड़ा रूक गया तब तक साजिद मेरे से थोड़ा आगे निकल गया वहीं मुझे महबूब अली व हबीब भी मिल गये । हम तीनों वहां से रवाना हो गये तब तक साजिद हाजी कपड़े वाले की दुकान के पास पहूंच गया तभी अचानक मोईनुदीन जेनुदीन, बदरूदीन पुत्रान जहरूदीन, व फारूक पुत्र बदरूदीन आये और साजिद को घेर लिया मोईनुदीन के हाथ में चाकू था व जेहरूदीन के हाथ में तलवार थी मोईन ने कहा कि आज साजिद को जान से खतम कर दो । तब फारूक बदरूदीन ने साजिद को पकड़ लिया व मोईनुदीन ने दो तीन चाकू की साजिद के मारी व जेनुदीन ने भी मारपीट की हम भागकर के गये तो ये लोग साजिद को जमीन पर पड़ा छोड़कर भाग गये फिर मैं मेहबूब व हबीब ने मिलकर के साजिद को अस्पताल पहूंचाया जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई । इन लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर के साजिद की हत्या की है । साजिद के बांई तरफ सीने से नीचे व ठूडी के नीचे चोट आई है जिससे उसकी मौत हुई है । रिपोर्ट पेश करता हूं कार्यवाही की जावे । प्रार्थी हस्ताक्षक राहत पुत्र मो. नूर मुसलमान निवासी दरवाजा पुरानी टोंक दिनांक 16/6/96

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि यह लिखित व रिपोर्ट श्री राहतनूर पुत्र मोहम्मद नूर जाति पठान मुसलमान आयु 48 साल निवासी निवाई दरवाजा पुरानी टोंक ने बमुकान शाहदत अस्पताल टोंक में पेश की मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 302, 120 बी, 34 भादस का घटित होना पाया जाता है । अतः सन.एस.एच.ओ. फूलचंद मसरुक तफ्तीश होता है । मूल रिपोर्ट वास्ते कायमी मुकदमा बदस्त कानि सुरेश कुमार 156 के थाना पुरानी टोंक रवाना की गई। बाद कायमी मुकदमा/जुर्म नम्बर से अवगत कराये।

हस्ताक्षर एस.एच.ओ. थाना

ह. राहतनूर

पुरानी टोंक कैम्प शआदत अस्पताल

टोंक 16/6/96

नोट : उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी की सुरेश कुमार कानि. 156 नेलाकर पेश की जिस पर मुकदमा न. 10/96 धारा 302, 120 बी, 34 भादस में दर्ज कर एफ.आई.आर. श्रीमान एस.एच.ओ. साहब के पास बकुमाम अस्पताल टोंक बबस्त कानि. श्री सुरेश कुमार 156 के रवाना की गई प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई ।

ह./–

फूलचन्द एस.एच.ओ. थाना पुरानी टोंक

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 336 की सूची)

थाना कठूमर पर पदस्थापित पुलिस कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	निवासी	पदस्थापन दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री भंवर सिंह गूजर उप निरीक्षक	उच्चैन थाना उच्चैन, जिला भरतपुर	19.10.95
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार अहीर, कानि.	कोसली थाना सालावास (हरियाणा)	21.3.94
3.	श्री कैलाश चन्द शर्मा है. कानि. 1015	लीली थाना मालाखेड़ा, अलवर	14.9.95
4.	श्री जगदीश प्रसाद ब्राह्मण, 899	बिसोता, थाना राजगढ़, अलवर	15.7.94
5.	श्री दीन मोहम्मद. मेव, कानि. 1063	सोख, थाना खैरथल, अलवर	12.6.89
6.	श्री खेमचन्द कानि. 156 (चमार)	नौगावा, रामगढ़, अलवर	9.6.95
7.	श्री सुभाषचन्द जाट कानि. 622	सुलसा थाना चाबल, जिला महेन्द्रगढ़	23.3.91
8.	श्री जयनारायण जाटव कानि. 810	खैरथल थाना खैरथल, अलवर	21.7.91
9.	श्री रविदत्त जाट, कानि. 416	माजरा कला थाना, शाहजहांपुर, अलवर	2.5.95
10.	श्री हरिशंकर शर्मा कानि. 444	दिखवाड़ा, थाना राजगढ़, अलवर	9.11.95
11.	श्री भीमसिंह जाट कानि. 313	सिलक थाना झझर, जिला रोहतक (हरियाणा)	18.6.92
12.	श्री दलीप कुमार शर्मा, 327	कोतवाली, अलवर	18.6.92
13.	श्री रमेश चन्द शर्मा कानि. 283	माचाडी थाना, राजगढ़, अलवर	7.5.92
14.	श्री सुरेश चन्द चमार कानि. 893	बनघड़ा थाना, तिजारा, अलवर	11.11.92
15.	श्री मोहरपाल मीणा कानि. 845	अचलपुरी थाना मालाखेड़ा, अलवर	4.2.93
16.	श्री पप्पू सिंह मीणा कानि. 1238	कसोदा, थाना नगर, अलवर	19.1.96
17.	श्री राधेश्याम जाट कानि. 21	भजीट थाना सदर, अलवर	24.4.94
18.	श्री बिहारी लाल गुर्जर, कानि. 227	बाजाहेड़ा पोस्ट, मूड़ोती थाना नगर, अलवर	15.7.94
19.	श्री रघवीर सिंह जाट कानि. 428	केरवा जाट थाना, एम.आई.ए., अलवर	27.7.94
20.	श्री दौजीराम मीणा कानि. 685	रामनगर, थाना कुम्हेर, जिला भरतपुर	20.6.96

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 337 का विवरण)

STATEMENT PREPARATION AND DISTRIBUTION OF I.D. CARDS

District	Ass. con.	Electorate as on 1995	%Of Photo-graphed	% Of prepared I.D.Card	% Of issued card to electorate
1	2	3	4	5	6
Ajmer	9	1164504	82.60	83.52	78.23
Banswara	5	712911	82.56	21.38	03.54
Dausa	5	710727	72.32	44.85	39.58
Dungarpur	4	552420	77.09	77.73	60.55
Jaipur	15	2609225	82.07	71.52	58.25
Jalore	5	770472	85.76	71.29	43.49
Sirohi	3	442419	85.24	58.85	31.44
Tonk	5	665097	77.02	58.97	57.22
Total	**51**	**7627775**	**81.04**	**64.99**	**51.46**
Barmer	6	976586	79.08	72.54	59.74
Bhilwara	8	1113506	76.17	76.47	67.21
Bikaner	4	905186	68.99	76.93	58.61
Chittorgarh	7	1000574	76.81	81.15	49.86
Jaisalmer	1	179770	87.07	83.18	76.81
Pali	8	1112944	71.50	69.18	56.61
Rajsamand	4	572220	66.36	78.12	35.47
Udaipur	10	1386465	80.46	70.35	68.19
Total	**48**	**7247251**	**75.35**	**74.62**	**59.45**

1	2	3	4	5	6
Baran	4	529549	79.81	72.32	44.45
Bundi	4	488240	77.02	83.53	43.08
Ganganagar	5	863982	78.18	86.64	71.93
Hanumangarh	6	1036523	82.05	86.17	75.65
Jhalawar	5	632912	79.04	77.48	43.34
Jodhpur	9	1494133	82.58	87.45	63.04
Kota	5	801069	87.19	74.98	57.75
Nagaur	10	1499756	82.67	77.14	49.63
Total	**48**	**7346164**	**81.63**	**81.45**	**58.37**
Sikar	8	1259148	75.21	76.07	68.64
Churu	7	104059	72.78	83.29	76.66
Jhunjhunnu	7	1112589	69.93	96.90	65.18
Total	**22**	**3417796**	**72.75**	**84.80**	**70.01**
Alwar	11	1511705	88.41	69.59	60.89
Bharatpur	9	1135733	80.92	65.39	40.84
Dholpur	3	434130	77.16	76.60	75 66
S. Madhopur	8	1192624	72.34	71.49	67.83
Total	**31**	**4274192**	**80.79**	**69.63**	**58.72**
Rajasthan	**200**	**29913178**	**78.83**	**74.17**	**58.05**

जिलेवार मतदाता परिचय पत्रों पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	भुगतान की गयी कुल राशि
1	2	3
1.	अजमेर	6177000
2.	अलवर	9506000
3.	बांसवाड़ा	975000
4.	बारां	2639000
5.	बाड़मेर	7156000
6.	भरतपुर	4553000
7.	भीलवाड़ा	7176000
8.	बीकानेर	5451000
9.	बून्दी	3262000
10.	चित्तौड़गढ़	2919000
11.	चूरू	6489000
12.	दौसा	3030000
13.	धौलपुर	2769000
14.	डूंगरपुर	3009000
15.	गंगानगर	6183000
16.	हनुमानगढ़	6534000
17.	जयपुर	14842000
18.	जैसलमेर	241000
19.	जालौर	3627000
20.	झालावाड़	2056000
21.	जोधपुर	10051000
22.	झुंझुनूं	5716000
23.	कोटा	6455000
24.	नागौर	7849000
25.	पाली	4928000
26.	राजसमन्द	881000
27.	सवाई माधेपुर	6335000
28.	सीकर	7594000
29.	सिरोही	2053000
30.	टोंक	4058000
31.	उदयपुर	8304000
	योग	162818000

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 338 का विवरण)

नागौर जिले में निकलने वाले खनिज एवं उससे प्राप्त आय का विवरण

कार्यालय का नाम	नाम खनिज	नाम स्थान जहां खनिज निकलता है मय तहसील	वर्ष 95–96 में प्राप्त आय
1	2	3	4
खनिज अभियंता नागौर	जिप्सम	भदवासी, जीवनबेरा, खेराट, मंडाना आदि तहसील–नागौर गोठमांगलोद तहसील–जायल	1,46,13,376.00
	लाईम स्टोन	माडपुरा, भवण्डा, मुण्डवा तहसील–नागौर कटौती, सोनाला आदि तहसील–जायल	58,75,766.00
	मैसेनरी स्टोन	तॉतवास, श्री बालाजी, गोगेलाव, बड़ली व खजवाना, रायधन आदि तहसील–नागौर बड़ी खाटू व ख्याला वलटू आदि तहसील–जायल वाया छोटी खाटू, कोलिया, केराव आदि तहसील–डीडवाना लाडनूं, सुनारी, हीरावती, लोडसर, पाडीलाई, निम्बीजोधा आदि तहसील–लाडनूं	30,16,836.00
	चूना कंकर	अम्बाली, बल्दूरोली, छीजोली आदि तहसील–जायल बाठडी, डीडवाना आदि तहसील–डीडवाना लाडनूं, जसवंतगढ़, सीडियास, सुनारी, खानपूर तहसील–लाडनूं	75,241.00
	ग्रेनाइट	कुमासिया, तहसील–लाडनूं	6,500.00
	मार्बल	सुनारी तहसील–लाडनूं	6,500.00
	बजरी	तहसील–नागौर, डीडवाना, जायल, लाडनूं	—
	लिग्नाइट	कसनाऊ, इग्यार, अडवड आदि तहसील–जायल	—
	विविध आय	आवेदन शुल्क आदि	8,18,481.00
		कुल योग रुपये :–	**244.13 लाख**

1	2	3	4
सहायक खनिज अभियंता, गोटन	लाइम स्टोन	गोटन, गगराना, पुन्दलु, बाटन धनापा तहसील–मेड़ता	545.03 लाख
	टंगस्टन	रेवत तहसील–डेगाना	0.30 लाख
	चिनाई पत्थर	सिंघाश्यामदास, बावलियावास, मिलावास आदि तहसील–मेड़ता आछोजाई, डेगाना, ईडवा, बाडोघाटी आदि तहसील–डेगाना	1.93 लाख
	बजरी	जसनगर तहसील–मेड़ता डेगाना तहसील–डेगाना	1.18 लाख
	काली मिट्टी	मेड़ता तहसील–मेड़ता	1.62 लाख
	विविध आय		10.65 लाख
		योग रुपये :–	**560.71 लाख**

1	2	3	4
खनिज अभियंता, मार्बल मकराना		मकराना, गुणावती, बोरावड़, माताभर, तहसील–मकराना बिदियाद, मोरेंड, कीला डूंगरी आदि तहसील–परबतसर	8,10,50,928.00
	चेजा पत्थर	जसराना डूंगरी, देव डूंगरी, तिरसिंगिया तहसील–नावा व परबतसर	3,38,290.00
	बजरी	तहसील–नावा व परबतसर	3,95,887.00
		कुल योग रुपये :–	**817.85 लाख**
		कुल योग रुपये :–	**1622.69 लाख**

खनिज विभाग द्वारा बनाई गई क्वारी सम्पर्क सड़कों की विवरण सूची

(राशि लाखों में)

क.सं. 1	सड़क का नाम 2	दूरी किलोमीटर 3	निर्माण वर्ष 4	लागत राशि 5
1.	बोरावड़ रेलवे कासिंग मकराना से माताभर तक	5 किलोमीटर	1970–71	12.00 लाख
2.	मकराना पुराने डाक बंगले से गुणावती तक	2 किलोमीटर	1970–71	6.00 लाख
3.	मकराना घाटी चौराहे से गुलाबी रेंज बोरावड़ रोड तक	2 किलोमीटर	1970–71	6.00 लाख
4.	मकराना घाटी चौराहे से बिदियाद तक	8 किलोमीटर	1987	22.39 लाख
5.	मकराना घाटी चौराहे से बोरावड़ कुमारी तक	3 किलोमीटर	1978	3.65 लाख

नोट :– निम्न सड़कों के टूट जाने व खराब हो जाने के कारण पुनर्निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1995–96 में जारी की गई :–

1. मकराना से गुणावती
2. मकराना से गुलाबी रेंज

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 339 की सूची)

क.सं.	संस्थान का नाम		संख्या	एक्सरे मशीन लगाये जाने का वर्ष
	1		2	3 4
1.	सामान्य चिकित्सालय,	अलवर	5	1985, 1977, 1980, 1983, 1983
2.	महिला चिकित्सालय,	अलवर	1	1971
3.	आर.आर. हॉस्पिटल,	बड़ौद	2	1995, 1971
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,	बहरोड़	1	1985
5.	–यथा–	राजगढ़	1	1978
6.	–यथा–	खेड़ली	1	1987
7.	–यथा–	गोविन्दगढ़	2	1991, 1989
8.	–यथा–	किशनगढ़	1	1990
9.	–यथा–	तिजारा	1	1991
10.	–यथा–	बानसूर	1	1995
11.	–यथा–	थानागाजी	1	1995
12.	–यथा–	मालाखेड़ा	1	1996

क्र सं.	संस्थान का नाम		रोगी वाहन उपलब्ध कराए जाने का वर्ष
1	2		3
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,	बहरोड़	1984
2.	–यथा–	मालाखेड़ा	1991
3.	–यथा–	थानागाजी	1991
4.	–यथा–	राजगढ़	1990
5.	–यथा–	रामगढ़	1991
6.	–यथा–	लक्ष्मणगढ़	1991
7.	–यथा–	तिजारा	1991
8.	–यथा–	खेड़ली	1991
9.	–यथा–	भिवाड़ी	1991
10.	–यथा–	गोविन्दगढ़	1992
11.	–यथा–	बानसूर	1992
12.	–यथा–	बहादुरपुर	1994
13.	–यथा–	ऊटवाल	1994
14.	–यथा–	पिनान	1994
15.	–यथा–	प्रतापगढ़	1994
16.	–यथा–	राजपुरबड़ा	1994
17.	–यथा–	टपूकड़ा	1995
18.	–यथा–	जखराना	1995
19.	–यथा–	बीजवाड़ चौहान	1995
20.	–यथा–	नीमूचाना	1995
21.	–यथा–	मौजपुर	1995
22.	–यथा–	[illegible]णी	1996
23.	–यथा–	शाहजहाँपुर	1996

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 341 की सूची)

वर्ष 1995–96 में जिलेवार खोले गये उपस्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	जिला	उपकेन्द्र की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	16
2.	अलवर	42
3.	बांसवाड़ा	17
4.	बाड़मेर	28
5.	भरतपुर	34
6.	बारां	21
7.	भीलवाड़ा	12
8.	बीकानेर	14
9.	बूंदी	18
10.	चित्तौड़गढ़	43
11.	चूरू	64
12.	दौसा	25
13.	धौलपुर	19
14.	डूंगरपुर	20
15.	गंगानगर	20
16	हनुमानगढ़	26
17.	जयपुर	34
18.	जैसलमेर	16
19.	जालौर	11
20.	झालावाड़	22
21.	झुंझुनूं	22
22.	जोधपुर	23
23.	कोटा	7
24.	नागौर	27
25.	पाली	10
26.	राजसमंद	8
27.	सवाई माधोपुर	37
28.	सीकर	11
29.	सिरोही	9
30.	टोंक	9
31.	उदयपुर	35
		[illegible]

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 350 का विवरण)

वर्ष 1994–95 व 1995–96 में कराए गए राहत कार्यों का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण

क.सं.	विधानसभा क्षेत्र	वर्ष 1994–95 (संवत् 2050)				वर्ष 1995–96 (संवत् 2052)			विशेष विवरण
		स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों में)	प्रारंभ कराए गए कार्यों की संख्या	व्यय की गई राशि (लाखों में)	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों में)	प्रारंभ कराए गए कार्यों की संख्या	
1.	भिनाय	752	808.51	566	467.07	604	951.25	556	
2.	ब्यावर	237	246.48	180	142.39	279	380.09	262	
3.	केकड़ी	372	321.53	282	185.78	393	601.83	369	
4.	किशनगढ़	381	378.65	314	218.72	342	597.54	319	
5.	मसूदा	547	541.88	406	313.80	490	598.52	461	
6.	नसीराबाद	334	353.56	248	204.26	318	430.57	299	
7.	पुष्कर	353	365.19	261	210.79	289	485.56	273	
	योग	2976	3015.80	2257	1742.81	2715	4045.36	2539	

नोट :– संवत् 2052 की अभाव स्थिति में राहत कार्यों हेतु कार्यकारी अभिकरणों को राशि रू. 2158.00 लाख उपलब्ध कराई गई है । राहत कार्य प्रगति पर है । राहत कार्य समाप्ति पर व्यय की गई राशि ज्ञात हो सकेगी ।

ह.
जिला कलक्टर (सहा.)
अजमेर

भुगतान का विवरण

वर्ष 1994–95 (संवत् 2050) में अधिकतम 95773 श्रमिक कार्यरत थे । श्रमिकों को नियमानुसार देय सम्पूर्ण राशि रुपए 1252.96 लाख का भुगतान किया जा चुका है । उक्त अवधि का श्रमिक भुगतान करना शेष नहीं है । वर्ष 1995–96 (संवत् 2052) के दौरान मार्च, 96 तक अधिकतम 20715 श्रमिक कार्यरत थे । माह मार्च, 96 तक राशि रुपए 292.89 लाख को पूर्ण श्रमिक भुगतान किया गया है । माह अप्रेल, 96 में 40679, मई, 95 में 50858 व जून, 96 में 80275 अधिकतम श्रमिक कार्यरत रहे । दिनांक 15.5.96 तक की मजदूरी राशि रुपए 447.82 लाख का श्रमिक भुगतान किया गया है शेष राशि रुपए 849.20 लाख के भुगतान का कार्य प्रगति पर है ।
